पंचदश माला, खंड 30, अंक 12

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012
19 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 30 Sept 2015

(खंड 30 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

श्री राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

राकेश कुमार
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

हंसराज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 30, बारहवां सत्र 2012/1934 (शक)]

अंक 12, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012/19 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224	2-120
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 240	124-173
अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760	173-880
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
मानवाधिकार दिवस	881
सभा पटल पर रखे गए पत्र	881-891
कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन	891
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों की दयनीय स्थिति के कारण हुई भुखमरी और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	892
श्री टी.आर. बालू	892, 894-897
डॉ. चरण दास महंत	892-894, 903-904
सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012	905
(दो) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012	905-906
सदस्य द्वारा निवेदन	909-912
देश में और अधिक संख्या में धान प्रापण केंद्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में	909-912

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा में भिवानी और लोहारू के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु निधियां जारी किए जाने तथा राज्य के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता 919-931

श्रीमती श्रुति चौधरी 920-921

(दो) उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान के मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच और अधिक डिब्बों वाली यात्री गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल सिंह शेखावत 921

(तीन) तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 921-922

(चार) नागपुर में एक नया कैंसर अस्पताल खोले जाने तथा वहां के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल को अतिरिक्त उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 921-923

(पांच) पश्चिमी दिल्ली में तीन राजमार्गों को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेस हाइवे जिससे इस क्षेत्र के काफी लोगों के विस्थापन का खतरा है, के मार्ग को बदले जाने की आवश्यकता

श्री महाबल मिश्रा 923-924

(छह) आंध्र प्रदेश में जगतियाल और कोडाड के बीच दो लेन वाली सड़क को चार लेन वाली सड़क बनाये जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 924-925

(सात) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी 925

विषय कॉलम

(आठ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 की पुनरीक्षा करने तथा उसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आजाद 926

(नौ) रसायन मुक्त जैविक कृषि किए जाने तथा उसके इस्तेमाल किये जाने की आवश्यकता

श्री शिवराम गौडा 926-927

(दस) मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिये विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री देवराज सिंह पटेल 927-928

(ग्यारह) देश में बैंक कर्मियों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 928

(बारह) "उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991" को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रहमान 929

(तेरह) केरल के अलथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों के चारों ओर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्य सुकर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू 929-930

(चौदह) आंध्र प्रदेश में भद्राचलम और कोवूर के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री नामा नागेश्वर राव 930-931

(पन्द्रह) सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए पंजाब करार पर्यवसन अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता के बारे में राष्ट्रपतीय संदर्भ का अनुसरण किए जाने की आवश्यकता

श्री कुलदीप बिश्नोई 931

विषय	कॉलम
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011	932-981
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शैलेन्द्र कुमार	932-933
प्रो. सौगत राय	932-937
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	937-939
श्री ए. सम्पत	939-943
श्री पिनाकी मिश्रा	943-947
श्री आनंदराव अडसुल	948-949
श्री गुरूदास दासगुप्त	950-954
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	954-957
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	957-959
श्री अजय कुमार	959-961
श्री कौशलेन्द्र कुमार	961-962
श्री एस. सेम्मलई	963
श्री यशवंत सिन्हा	963-964
श्री पी. चिदम्बरम	964-971
खंड 2 से 15 और 1	972-978
पारित करने के लिए प्रस्ताव	981
सभापति द्वारा टिप्पणी	
नियम 80(i) को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव	987-988
बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	981-982, 986-987, 988-989

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	991-992
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	992-100
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1003
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1004-1006

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के विश्वनाथन

लोक सभा

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012/19 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में धान की कहीं खरीद नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदया : जीरो ऑवर में आप अपनी बात कहिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : धान की खरीद न होने की वजह से किसानों की स्थिति बहुत खराब है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह सब मत दिखाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जीरो ऑवर में हम आपको मौका दे देंगे, तब आप इसे उठाइएगा। अभी प्रश्न काल को चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 221 — श्री सतपाल महाराज।

[अनुवाद]

पोत उद्योग का विकास

***221. श्री सी. शिवासामी : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोत निर्माण उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पत्तनों में अवसंरचना के उन्नयन तथा पोत परिवहन क्षेत्र में भारतीय टनभार के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/ की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार पोत परिवहन उद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्थानीय पोत परिवहन उद्योग को किसी पहचान की गई वित्तीय संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा ऋण अथवा बांड जुटाने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (घ) इस संबंध में एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में 27 प्रमुख शिपयार्ड हैं। सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीय शिपयार्डों के पास विभिन्न प्रकार के जलयान/पोत निर्मित किए जाने की विशेषज्ञता है।

(ख) सरकार ने पत्तनों में अवसंरचना के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार की पहलें की हैं जिनमें शामिल हैं क्षमता आवर्द्धन तथा मशीनीकरण की विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से सौंपना/कार्यान्वयन; क्षमता आवर्द्धन/उन्नयन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी जिसके लिए बोली दस्तावेजों का मानकीकरण किया गया है; और स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा, पत्तन अवसंरचना के लिए गए निवेश के लिए आयकर के पक्ष से लाभ भी उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार, नौवहन क्षेत्र में भारतीय टनभार को बढ़ाए जाने के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि, टनभार कर पर पद्धति को लागू करना और सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाले कार्गो के संबंध में भारतीय पातका वाले पोतों को कार्गो सहयता दिए जाने की नीति।

(ग) और (घ) उन नौवहन कंपनियों को जो सेवा क्षेत्र में हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉड्स (एफसीसीबी) के रूप में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अपने विदेशी इक्विटी धारकों से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक विदेशी मुद्रा ऋण लेने की अनुमति है और 200 अमेरिकी डॉलर से अधिक के प्रस्तावों पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाता है।

श्री सी. शिवासामी : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री के जबाव से ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन शिपयार्ड में भिन्न-भिन्न प्रकार के जहाजों को बनाने की क्षमता है। शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री का योगदान आर्थिक विकास में हो सकता है और रोजगार सृजन में भी हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इंडियन शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए कोई सुविचारित योजना है।

श्री जी.के. वासन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार मैरिटाइम एजेंडा, 2020 लेकर आई है जो पोत परिवहन मंत्रालय की हर तरह से एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पोर्टों, शिपिंग और आईडब्ल्यूटी के विकास का रोडमैप है। एजेंडा को इस प्रकार बनाना है कि हमारे पत्तन अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हो। इस एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें पोत-परिवहन मंत्रालय के लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक देश में मजबूत अनुषंगी आधार विकसित करने और रोजगार सृजन करने के लिए वर्ष 2020 तक (पोत निर्माण) के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शिपबिल्डिंग बाजार में पांच प्रतिशत की भागीदारी प्राप्त करना है। जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी बताया कि (पोत निर्माण) और अनुषंगी इकाइयों में (शिपबिल्डिंग) लगभग 2.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिसमें से इस उद्योग में 0.5 मिलियन लोग प्रत्यक्ष तथा 2 मिलियन लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं तथा वाणिज्यक शिपबिल्डिंग (पोत निर्माण) की डिजाइन क्षमताओं का विकास एवम् देश में शिपबिल्डिंग (पोत मरम्मत) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश में प्रमुख पोत मरम्मत केन्द्र के रूप में विकास करना है।

श्री सी. शिवासामी : अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तीन प्रमुख पत्तन हैं। इन पत्तनों में मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन करने की अपार संभावनाएं हैं। मैं जानना चाहता हूं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री जी.के. वासन : महोदया, नि:संदेह तमिलनाडु राज्य की तट रेखा भारत में दूसरी सबसे लंबी है और यहां तीन प्रमुख पत्तन हैं – चेन्नई पोर्ट, दि वीओसी पोर्ट तथा एन्नोर पोर्ट। चेन्नई पत्तन में कुशल प्रचालन के लिए 415 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से चेन्नई के निकट श्रीपेराम्बुदूर में इंटीग्रेटेट ड्राई पोर्ट-कम-मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक केन्द्र बनाने की योजना है। तूतीकोरिन के वीओसी पत्तन में दो कोल बर्थ नॉर्थ कार्गो, वर्थ नम्बर 1 और 2 में निर्माण कार्य चल रहा है। दो बर्थ नॉर्थ कार्गो, बर्थ नम्बर 3 और 4 का कार्य जनवरी, 2013 में शुरू किया जाएगा।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एन्नोर पत्तन में आईओसीएल द्वारा प्रतिवर्ष 10 मिलियन की क्षमता वाला एक नया एलएनजी टर्मिनल का प्रस्ताव किया जा रहा है और परियोजना का कार्य आने वाले वर्ष में शुरू होने की संभावना है।

श्री जोस के. मणि : कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एकमात्र ऐसा शिपयार्ड है जो पोत परिवहन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य कर रहा है। पिछले एक दशक के दौरान प्राप्त की गई विशेषज्ञता से इन शिपयार्ड के पास नेवी का उच्च गुणवत्ता का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि परियोजना के कार्यान्वियन में विलंब हो रहा है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार इस परियोजना को और विलंब किए बिना कार्यान्वित करेगी?

श्री जी.के. वासन : महोदया, आपके माध्यम से मैं इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि सीएसएल के पास उच्च गुणवत्ता का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जो प्रचालन में है। यह ढुलाई एयरक्राफ्ट सर्वाधिक जटिल तथा स्वदेश में निर्मित किया जा रहा सबसे बड़ा युद्ध पोत है। इसका निर्माण पूरा होने पर भारत विश्व के उन पांच देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास आईएसी आकार के ढुलाई वायुयानों की डिजाइन तैयार करने तथा उसका निर्माण करने की क्षमता है। कांट्रेक्ट का चरण-एक 12 मई, 2007 को हस्ताक्षरित हुआ और संविदा के अनुसार इस पोत का निर्माण कार्य दो माह के विलंब से फरवरी, 2009 में शुरू हुआ और कांट्रेक्ट के चरण-एक का कार्य पूरा किए बिना इस पोत का प्रदर्शन दिसम्बर, 2011 में किया गया। ऐसा मुख्यत: डीआरडीओ तथा सेल द्वारा विकसित स्पेशल हाई स्ट्रेंग्थ लो एलॉय स्टील की डिलीवरी में विलंब के कारण हुआ था। चूंकि डिजाइन के विकास में पर्याप्त प्रगति हो गई है, नेवी और सीएसएल चरण-दो में किए जाने वाले निर्धारित कार्य के लिए प्रारुप संविदा करने पर सहमत हो गए हैं, जो दिसम्बर, 2016 तक पूरा किया जाना है।

डॉ. चिन्ता मोहन : महोदया, बंगलौर, चेन्नई और तिरुपति में मेगा औद्योगिक कॉरीडोर बनने वाला है। लगभग 500 प्रमुख उद्योग ने वहां कार्य प्रारंभ कर दिया है। ये उद्योग आयात और निर्यात करना चाहते

हैं। आंध्र प्रदेश की तटरेखा 100 कि.मी. लंबी है। भारत सरकार, आंध्र प्रदेश में प्रमुख पत्तन बनने की योजना बना रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस औद्योगिक कॉरीडोर की सहायता हेतु आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित प्रमुख पत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है।

श्री जी.के. वासन : मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने पिछले साल अगस्त माह में तटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि भारत सरकार इन राज्यों में प्रमुख पत्तन, शिपयार्ड अलाव प्रमुख पोर्ट-कम-शिपयार्ड की स्थापना करना चाहती है बशर्ते कि राज्य सरकारें इसके लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराएं। कुछ राज्यों ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी जबकि कुछ अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन स्थलों की पहचान की है जिसके लिए सरकार ने प्रमुख पत्तन के विकास हेतु अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने का वायदा किया है। भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति ने इन स्थलों का दौरा किया और अप्रैल, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद अनुमानित लागत क्षमता और परियोजना के अन्य ब्यौरों की स्थिति स्पष्ट होगी। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में नए पत्तन की स्थापना करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीसीआई) का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारुप कैबिनेट नोट सितम्बर, में परिचालित किया गया था। कुछ मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं जबकि अधिकतर मंत्रालयों की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही यह प्रस्ताव सीसीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री करीब-करीब 27 मेजर इंडस्ट्रिज और छोटे-मोटे इंडस्ट्रिज हजारों की मात्रा में देश में हैं। शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री के माध्यम से देश में इम्प्लायमेंट आया था। शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी कैपिटल इंवेस्टमेंट की जरूरत है। वर्ष 2007 में यूपीए सरकार ने इस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ की वजह से जो सब्सिडी स्कीम थी, उसे वापस कर लिया गया। उन्होंने यह परिवर्तन किया कि सौ प्रतिशत एफडीआई से इंडस्ट्री को डेवलप करो। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की इंप्लायमेंट थी, डेवलपमेंट हुआ था? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री में दुबारा सब्सिडी स्कीम लाएगी और यदि सब्सिडी नहीं देगी तो इंसेंटिव देगी ताकि इंडस्ट्री रिवाइव करे और पूरे भारत में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में लोगों की इम्प्लॉयमेंट के लिए वह बैस्ट इन्वैस्टमेंट क्षेत्र बने?

[अनुवाद]

श्री जी.के. वासन : महोदया, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि सब्सिडी स्कीम, जो वर्ष 2007 तक प्रचालन में थी, से शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ। योजना के प्रचालन के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत का आर्डर बुकिंग वर्ष 2002 में 0.02 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007 में 1.24 प्रतिशत हो गया। चूंकि, इस योजना को 2007 में बंद कर दिया गया था इसलिए 14.8.2007 तक की गई संविदाओं के लिए सब्सिडी जारी कराने हेतु कैबिनेट की अनुमति प्राप्त की गई थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्ष 2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिए 5,152 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है। सचिवों की समिति ने 16.11.2012 को हुई अपनी बैठक में इंडियन शिपयार्ड हेतु सब्सिडी के लिए एक संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया। संशोधित प्रस्तावित योजना में पूर्ववर्ती योजना के 30 प्रतिशत की बजाय 15 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि इस सब्सिडी द्वारा चरणबद्ध रीति से घरेलू आपूर्तिकत्ताओं के लिए लागत के रूप में 50 प्रतिशत सामग्रियों और संघटक उपलब्ध कराये जाएंगे। सीओएस की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रस्ताव को व्यय विभाग तथा आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के साथ उठाया जाएगा।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : महोदया, मैं नवी मुम्बई निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं और सबसे बड़ा जेएनपीटी पत्तन मेरे संसदीय क्षेत्र के निकट है। माननीय मंत्री ने अनेक अच्छे कदम उठाए हैं। जेएनपीटी एक सरकारी पत्तन है। इसी तरह हमारे राज्य में तीन प्राइवेट पत्तन हैं, लेकिन वह अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माननीय मंत्री वहां अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री जी.के. वासन : महोदया, पीपीपी परियोजनाएं आज की हकीकत हैं क्योंकि पत्तन विकास परियोजनाएं प्रदान करने के लिए यह सर्वाधिक पसंदीदा तरीका है। जेएनपीपी पत्तन सहित देश के अधिकतर पत्तनों में पत्तन विकास परियोजनाएं पीपीपी मोड के माध्यम से दी जा रही हैं और इन्हीं परियोजनाओं में विकास कार्य किया जा रहा है। जेएनपीटी ने हाल के वर्षों में पोर्ट पत्तन उपकरणों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया है। पत्तन में पिछले वर्ष 103 करोड़ रु. की लागत से तीन क्वे क्रेन को बदला गया है। जेएनपीटी ने हाल ही में 600 करोड़ रु. के निवेश से 300 मीटर के कंटेनर बर्थ को पीपीपी मोड प्रदान

किया है। इस पत्तन में वर्ष 2013 तक चौथे कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने की योजना है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जेएनपीटी ने मुम्बई - जेएनपीटी चैनल को गहरा तथा चौड़ा करने के लिए ड्रेजिंग कांट्रेक्ट दिया है। इससे चैनल की गहराई 14.5 मीटर तक बढ़ जायेगी जिससे जेएनपीटी पत्तन में बड़े पोतों का आवागमन सुकर होगा।

[हिन्दी]

पथकर संग्रहण एजेंसियां

***222. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण हेतु जिम्मेदार ठेकेदारों/एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन एजेंसियों द्वारा संपूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संग्रहित पथकर और उक्त एजेंसियों के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन पथकर संग्रहण एजेंसियों के विरुद्ध स्थानीय लोगों/निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन एजेंसियों के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु कोई निगरानी तंत्र विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रियायतग्राही/एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्क का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली में पथकर संग्रहण एजेंसियों द्वारा उल्लंघनों पर कार्रवाई के लिए प्रावधान है और इसकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजना निदेशकों, स्वतंत्र इंजीनियरों और आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पीडब्ल्यूडी एजेंसियों द्वारा स्थायी पुलों/राष्ट्रीय राजमार्गों संग्रहीत टोल टैक्स

लाख रु.

क्र.सं.	राज्य	स्टेशन	पुल/हेतु	2009-10	2010-2011	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर-I	शक्ति नाला	171.14	209.37	245.97
2.		रायपुर-II	शिवनाथ नदी	169.19	309.39	283.08
3.		जगदलपुर	इंद्रावती	73.64	103.51	89.19
		उप-जोड़		413.97	622.27	618.24

1	2	3	4	5	6	7
4.	उत्तराखंड	हल्दवानी	कोशी सेतु	80.75	75.85	98.4
5.		उत्तरकाशी/भाखड़ी	यमुनोत्री/धरसू	6.35	0	3.54
6.		रुड़की	सांग सेतु	70.87	91.42	99.7
7.		रुड़की	रवासन सेतु	140.04	163.53	136.42
8.		रुड़की	घदेरा सेतु	0	0	0
		उप-जोड़		298.01	330.8	338.06
9.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	साई पुल	106.55	106.55	106.55
10.		लखनऊ	सरायन सेतु	137.11	80.05	0
11.		गोरखपुर	अमी सेतु	61.49	36.67	0
12.		मिर्ज़ापुर	खजुरी पुल	48.63	74.31	79.8
13.		गाजीपुर	बेसो पुल	98.17	26.77	33.8
14.		गाजीपुर	माहीघाट/जय प्रभा	13.01	14.76	32.13
15.		लखनऊ/बरेली	गर्रा सेतु	159.66	79.83	0
16.		सुल्तानपुर	पिपरी हेतु	148.66	132.96	145.05
17.		मिर्ज़ापुर	रिहंद पुल	29.25	31.44	0
18.		मिर्ज़ापुर	कन्हार पुल	13.41	14.42	15.5
19.		गाजीपुर	वीर अब्दुल हमीद	16.84	19.14	22.27
20.		इलाहाबाद	सीएस आजाद सेतु	113.16	114.17	114.21
21.		इलाहाबाद	टन सेतु	26.55	26.55	31.5
22.		झांसी	केन सेतु	22.87	75.03	112.22
23.		गाजियाबाद/मेरठ	यमुना नदी हेतु	128.8	134.47	203.82
24.		धामपुर	बैराज सेतु	66	127.48	142.28
		बांदा	बांदा घाट सेतु	0	16.25	48.76
		उप-जोड़		1190.16	1110.85	1087.89

1	2	3	4	5	6	7
25.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	हिरन पुल	201.64	0	0
26.		जबलपुर	तिलवार घाट	167.46	12.16	0.1
27.		ओबैदुल्ला गंज	पार्वती पुल	147.51	0	62.66
28.		शिवपुरी	डिग्री नाला पुल	617.6	0	0
29.		इंदौर	क्षिप्रा पुल	1208.85	452.6	0
		उप-जोड़		2343.06	464.76	62.76
30.	महाराष्ट्र	नागपुर	वगाधी/अमरावती	0	0	0
31.		सोलापुर	वाडकबल पुल	79.67	206.81	167.18
32.		शेतफाल	लंबोती पुल	268.26	338.42	347.72
33.		नागपुर	खुनी पुल	0	0	0
34.		उस्मानाबाद	येनेगुर पुल	192.51	284.68	313.4
35.		पेन रायगढ़	सावित्री पुल	355.09	338.81	71.55
		उप-जोड़		895.53	1168.72	899.85
36.	केरल	अलुवा/तिरुवनंतपुरम	रारा-47 अक्कूलम	136.58	156.25	172.62
37.		अरूर - पलरीवत्तोम	कुंदनूर पुल	136.24	130.55	111.24
38.		कोट्टापुरम	वारापुझा रारा-527	141.64	131.87	131.58
39.		कलीकट	कोझीकोड आरापुझा	201.92	214.04	208.71
40.		कोडुन्गल्लुर	पुदुपोन्नल	0	0	0
41.		कोडुन्गल्लुर	कोट्टापुरम 353/KL/17	20.79	12.44	34.3
42.		कोडुन्गल्लुर	चेत्तूवाई (360 नौकरी)	11.81	7.31	22.56
43.		ईडापल्ली	कोच्ची पाननगड बाइपास	270.54	236.04	66.36
			अलुवा			9.69

1	2	3	4	5	6	7
			अरूर			37.86
		उप-जोड़		919.52	888.5	794.92
44.	कर्नाटक	कारवार	शारावती पुल	130.46	151.21	140.22
45.		चित्रदुर्गा होसपेट	हगारी पुल	108.29	121.49	155.36
46.		मंगलोर	नेत्रवाती	120.39	135.06	189.04
47.		बंगलूर	वीरवैष्णवी	118.59	108.15	
		उप-जोड़		477.73	515.91	484.62
48.	गुजरात	राजकोट	ऊतावली पुल	0	0	0
49.		अहमदाबाद	साबरमती पुल/एलआर	274.87	218.3	243.86
		उप-जोड़		274.87	218.3	243.86
50.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	रूद्रम गांव रोड	0	0	0
51.		हैदराबाद	मुनियारू पुल	0	0	0
52.		परकिट	निजामाबाद-जगदलपुर	326.38	206.98	94.39
		उप-जोड़		326.38	206.98	94.39
53.	मणिपुर	इम्फाल	सेनापति पुल	0	4	4.05
54.		इम्फाल	लियोंग पुल	0	0	0
		उप-जोड़		0	4	4.05
55.	असम	जाखलबंधा	कलियाभो अधिक सड़क	32.74	98.25	205.29
56.		गोकलगंज अभयाप	गंगाधारा पुल	160.51	72.91	171.62
		उप-जोड़		193.25	171.16	376.91
57.	विहार	गुलजार बाग	एमजी सेतु पुल	828.4	538.49	800
58.		बिहारशरीफ	रंजोली/घुलिया नाला	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
59.		दरभंगा (घोसा घाट)	झंझारपुर पुल	0	0	0
60.		पूर्णिया	कारी कोसी सेतु	148.03	62.29	86.92
		उप-जोड़		976.43	600.78	886.92
61.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	एनाई इंदिरा गांधी पुल	18.45	10.73	45.07
62.		नमक्कल	उच्च स्तर पुल 271 किमी.	0	0	0
63.		थूथूकुडी	38/6 किमी. की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7ए के पुल	0.19	0.1	27.5
		उप-जोड़		18.64	10.83	72.57
64.	पंजाब	मोहाली/रूपनगर	सिरसा नदी पुल	203.82	53.99	0
		उप-जोड़		203.82	53.99	0
65.	राजस्थान	जयपुर/दौसा	बाणगंगा पुल	15.14	23.08	44.78
66.		जयपुर	बनास/टोंक पुल	365.98	393.53	449.65
67.		झालावाड़	चंद्रभागा	103	104.97	168.15
68.		रींगस	आरओबी रींगस	138.51	129.18	124.89
		उप-जोड़		622.63	650.76	787.47
69.	ओडिशा	बांकी	ब्राह्मणी पुल	43.72	56.59	43.06
70.		जशीपुर	बंधन पुल	75.51	73.93	69.63
71.		अंगुल	लिंगरा नाला पुल	100.7	119.11	138.91
		उप-जोड		219.93	249.63	251.6
	हिमाचल प्रदेश	पंडोह	जिया पुल		45.37	17.51
	महायोग			9373.93	7313.61	7021.62

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

शुल्क संग्रहण एजेंसी के नाम सहित राज्य-वार सार्वजनिक वित्त पोषित पथकर

क्र. सं.	खंड	रारा	प्लाजा स्थान	टोल इक्ट्ठा करने वाली एजेंसियों के नाम
1	2	3	4	5
			आंध्र प्रदेश	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
1.	इच्छापुरम - पुइनटोला	5	किमी. 473.632 बेल्लूपदा	मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2.	इच्छापुरम - नंदीगाम	5	किमी. 172.800 (नया 530.404) लक्ष्मीपुरम	मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
3.	नंदीगाम - श्रीकाकुलम	5	किमी. 589.554 मदापम गांव जिला श्रीकाकुलम	मै. एमडी उस्मान
4.	श्रीकाकुलम - चंपावती	5	किमी. 616.704 चिलकापलेम	मै. सहकार ग्लोबल लिमिटेड
5.	चंपावती/कोप्परला - विशाखापट्नम	5	किमी. 656.704 नाथवलसा, जिला विजयनगरम	मै. एमईपी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड
6.	विशाखापट्नम - अंकापल्ली	5	किमी. 728.055 अगनमड्डी	मै. के. रवीन्द्र रेड्डी
7.	अंकापल्ली - तुनी	5	किमी. 795.498 वीमापडु, जिला विशाखापट्नम	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
8.	तुनी - राजामुंद्री (बोम्मुरू)	5	किमी. 865.553 निकट कृष्णावरम	मै. एसवीईसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
9.	बोम्मुरू - गुंडुगोलनू	5	किमी. 964.350 तनुकु	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
10.	गुंडुगोलनू - विजयवाड़ा - एलुरु बाइपास सहित	5	किमी. 1050.794 (कलपारु ग्राम)	मै. कोव्वुरी रवींद्र रेड्डी (व्यक्तिगत)
11.	गुंडुगोलनू - विजयवाड़ा - एलुरू बाइपास सहित	5	किमी. 1075.244 (पट्टीपडु ग्राम)	मै. कोव्वुरी रवींद्र रेड्डी (व्यक्तिगत)
12.	अडलूर येल्लारेड्डी - गुंडला पोचमपल्ली	7	**किमी. 443.713 मनोहराबाद**	मै. बीएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र/एपी सीमा - इस्लाम नगर	7	किमी. 180.300 आदिलाबाद जिले में पिप्पलवाडा गांव के पास	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	इस्लाम नगर - कटडल	7	किमी. 245.400 आदिलाबाद जिले में रोलमंबा/ पिप्पलवाडा गांव	मै. बीवीएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
15.	कटडल - अरमूर	7	किमी. 281.320, गमजाल	मै. ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड (पूर्व ईगल निर्माण कंपनी के रूप में जाना जाता है)
16.	कोथाकोटा बाइपास - कुरनूल	7	किमी. 200.95 (पुल्लूर)	मै. टीजीवी इंवेस्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	कुरनूल - करीदीकोंडा	7	किमी. 250.700, अमाकाथाडू, जिला कुनूल	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	करीदीकोंडा - मरूर	7	किमी. 310.200, कासेपल्ली, जिला अनंतपुर	मै. बीवीएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
19.	मरूर - एपी/कर्नाटक सीमा	7	किमी. 376.075 मरूर, जिला अनंतपुर	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
			बिहार	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
20.	औरंगाबाद - बाराचेट्टी	2	किमी. 200.100 गांव साव काला	चकवा सेक्योरिटस प्राइवेट लिमिटेड
21.	फोरबिसगंज - पूर्णिया	57	किमी. 267.000 अररिया जिले में हरियाबाड़ा	मोहम्मद उमर खान
22.	मुजफ्फरपुर - दरभंगा	57	किमी. 26.200 मुजफ्फरपुर में मैथी	मै. बालाजी इंटरप्राइजेज
			गुजरात	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
23.	रतनपुर - हिम्मत नगर	8	किमी. 416.00 वनटाडा जिला साबरकांठा	मै. सहकार ग्लोबल लिमिटेड
24.	हिम्मतनगर - चिलोदा	8	किमी. 472.035 काठपुरा	मै. चकवा सेक्योरिट्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	गारामोर- - समखियाली	8ए	किमी. 286.655 सूरजबाड़ी	एचएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

1	2	3	4	5
26.	गारामोर - बामनबोर	8ए	किमी. 213.100 बघासिया	मै. सहकार ग्लोबल लिमिटेड
27.	पालनपुर/खेमाना-आबूरोड	14	किमी. 338.23 खेमाना	एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
	ओएमटी परियोजनाएं			
28.	राधनपुर - अदेसर	15	किमी. 160.0 वरही	पटेल हाइवेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
29.	अदेसर - समखियाली	15	किमी. 226 माखेल	
30.	पालनपुर - राधनपुर	14	किमी. 403.00 भिलाड़ी	
31.	पालनपुर - राधनपुर	14 और 15	किमी. 439.00 बेलगाम	
32.	पोरबंदर - भिलाडी	8बी	किमी. 11.00 बनाना टाउन	मैं गुजरात प्रतिभा जॉनसन ओएमटी-2 प्राइवेट लिमिटेड
33.	भिलाडी - जेतपुर	8बी	किमी. 82.00 दुमियानी	
			झारखंड	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
34.	बाराचेट्टी - गोरहर	2	किमी. 279.425 रसैय धमना, जिला हजारीबाग	मैं. वेस्टवेल आयरन ऐंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
35.	गोरहर - बरवा अड्डा	2	391.600 राजगंज	मैं चकवा सेक्योरिटस प्राइवेट लिमिटेड
			कर्नाटक	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
36.	महाराष्ट्र बॉर्डर - बेलगाम	4	किमी. 591.24 कोगनोली	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
37.	हट्टारगी - हीरेवागेवाडी	4	किमी. 537.77 हट्टारगी	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

1	2	3	4	5
38.	गब्बूर - देवगिरी	4	किमी. 352.550 बंकापुर	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
39.	एपी/कर्नाटक सीमा - देवनहल्ली	7	किमी. 464.774 निकट बागेपल्ली	मै. एस.बी. लोजिस्टिक
40.	होड्डासिद्नहल्ली - हदादी	4	किमी. 237.650 हेब्बालू, जिला देवनागरी	मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
41.	हदादी - देवगिरी	4	किमी. 288.200 चालागेरी, जिला हावेरी	मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
			महाराष्ट्र	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
42.	अमरावती बाइपास	6	किमी. 1.3 और किमी. 16.550	मै. इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
43.	देवधारी-केलापुर	7	किमी. 150.00 यवतमाल जिले में केलापुर के निकट	मैं. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स
	पुलों			
44.	वगाधी नाला पुल	7	किमी. 58.800	मैं. बोरले बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
			मध्य प्रदेश	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
45.	आगरा - धौलपुर	3	किमी. 34 बराठा	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
46.	मुरैना - ग्वालियर	3	किमी. 85.870 ग्राम चौंधा, जिला मुरैना	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
47.	झांसी - लखनादेन	26	किमी. 294.500 सागर जिले में ग्राम तीतरपानी	मै. चकवा सेक्योरिटस प्राइवेट लिमिटेड
48.	लखनादोन - महागांव	7	किमी. 584.500 सिवनी जिले में ग्राम अलोनिया के पास	मै. चकवा सेक्योरिटस प्राइवेट लिमिटेड
	ओएमटी परियोजनाएं			
49.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा अमोला गांव - (शिवपुरी बाइपास)	76 और 25	किमी. 589.370 रामनगर	मैं झांसी - बारन पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	4	5
50.	अमोला - झांसी बाइपास	25	किमी. 84.650 रकसा	
			ओडिशा	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
51.	भद्रक - चेतिया	5	किमी. 98.000 (मि. 191.698 नया) पानीकोइली	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
52.	सुनाखला- भुवनेश्वर	5	किमी. 397.310 खुर्दा के पास गंगापदा (नया किमी. 301.700)	मै. गुरूकृपा इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स,
53.	भद्रक - बालासोर	5	किमी. 182.175 (97.960 किमी. नया) शेरगढ़	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
			पंजाब	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
54.	अमृतसर - वाघा सीमा	1	किमी. 479.868 (छिदन)	मै.रोहन राजदीप टोलवेज लिमिटेड
			राजस्थान	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
55.	किशनगढ़ - गांव कालवियास	79 और 79ए	किमी. 80.800 कावलियास	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
56.	भीलवाड़ा - चित्तौड़गांव	79	किमी. 163.650 जोजरो का खेड़ा	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
57.	रिठोला - उदयपुर गांव	76	किमी. 166.00 नारायनपुरा	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
58.	उदयपुर खेरवाड़ा	8	किमी. 311.100 पाडुना गांव	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
59.	खेरवाड़ा बाइपास	8	किमी. 348.450 (खांडी ओबरी उपला फल्ला ग्राम)	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

1	2	3	4	5
60.	चित्तौड़गढ़ बाइपास	79 और 76	किमी. 28.500 रिठोला	मै. वीरेन्द्र व्यास
61.	आबू रोड - पालनपुर/खेमाना	14	किमी. 270.25 उंडवरिया जिला सिरोही	मै. मैपसको बिल्डर्स लिमिटेड पी
	ओएमटी परियोजनाएं			
62.	गदावली नदी - राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	76	किमी. 525.725 मुंडियार	मै. झांसी - बारन पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड
63.	स्वरूपगंज - पिंडवाड़ा और पिंडवाड़ा - उदयपुर	14 और 76	किमी. 11.200 मालेरा/पिंडवाड़ा	मैं उदयपुर पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड
64.	पिंडवाड़ - उदयपुर	76	किमी. 64.200 जसवंतगढ़/गोगुंडा	
65.	चित्तौड़गढ़ - बिछौर	76	किमी. 237.629, बस्सी गांव	मै. चित्तौड़गढ़ कोटा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
66.	बिछौर - बिजोलिया	76	किमी 294.469, आरोली गांव	
67.	बिजोलिया - कोटा	76	किमी. 340.979, धनेश्वर गांव	
68.	कोटा बाइपास - देरूमाता मंदिर	76	किमी. 427.000 सिमलिया/बारन	मै. कोटा बारान टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड
69.	देरूमाता मंदिर - गदावली नदी	76	किमी. 479 फतेहपुर	
	पुल			
70	आरओबी - किशनगढ़	8	किमी. 368.02	मै. आशीर्वाद इंडस्ट्रीज
			तमिलनाडु	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
71.	वालाझपेट - कांचीपुरम	4	किमी. 104.99 चेन्ना समुद्रम	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
72.	मदुरै - विरुद्धनगर	7	किमी. 18.652 कप्पालूर के पास जिला मदुरै	मै. ईगल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठाणे

1	2	3	4	5
73.	कांचीपुरम चेन्नई	4	किमी. 37.80 श्री पेरुमबुदुर	मै. श्री गुरु कृपा इंडेन डिस्ट्रीव्यूटर्स
74.	विरुद्धनगर - कोविलपट्टी	7	किमी. 74.930 निकट इत्तूरवत्तूम जिला विरुद्धनगर	मै. श्री गुरु कृपा इंडेन डिस्ट्रीव्यूटर्स, बंगलौर
75.	कोविलपट्टी - मुंद्रादायप्पू	7	किमी. 125.350 सलाईपुधुर के पास जिला तूतीकोरिन	मै. ईगल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठाणे
76.	मुंद्रादायप्पू - अंजूग्रामम	7	किमी. 185.387 नांगुनेरी के निकट जिला तिरुनेलवेली	मै. छाबड़ा एसोसिएट्स
77.	चेन्नई बाइपास	45 और 4	किमी. 16.50 वनग्राम	मै. रवीन्द्र रेड्डी
78.	ताम्बरम - टिंडीवनम	45	किमी. 52.820 (पन्नूर)	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स
79.	ताम्बरम - टिंडीवनम	45	किमी. 103.500 (आथुर)	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स
80.	त्रिची - तोवरनकुरिची	45बी	किमी. 21.020 (बोथाकुडी गांव के पास)	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
81.	तोवरनकुरिची - मदुरै	45बी	किमी. 113.630 (चित्तमपट्टी गांव के पास)	मै. एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
			उत्तर प्रदेश	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
82.	टूंडला - माखनपुर	2	किमी. 225.00, टूंडला	मै. यू टोल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
83.	शिकोहाबाद - इटावाऔर इटावा बाइपास	2	किमी. 285.0 सेमरा, अतिकाबाद	मै. शिवा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
84.	इटावा - सिकन्दरा	2	किमी. 351.50 अनंतराम	मै. नीरज उपाध्याय
85.	सिकन्दरा - भौंती	2	किमी. 393.00 से किमी. 2.80 सिकन्दरा	मै. सहकारी आवास निर्माण एवम् वित्त निगम लिमिटेड

1	2	3	4	5
86.	भौंती - फतेहपुर	2	किमी. 506.202, पुरवामीर	मै. सहकारी आवास निर्माण एवम् वित्त निगम लिमिटेड
87.	फतेहपुर - खोखराज	2	किमी. 120.50 कटोघन	मै. वीरेंद्र नाथ उपाध्याय
88.	इलाहाबाद - हंडिया - वाराणसी	2	किमी. 279.12, लालानगर	मै. प्रीमियर कार सेल्स लिमिटेड
89.	इलाहाबाद बाइपास	2	किमी. 161.850 सिहोरी उपहार, किमी. 185.544 आदमपुर, किमी. 196.605 राजापुर मकसूदन, किमी. 216.815 भोपतपुर और किमी. 239.950 सजौला	मै. नीरज उपाध्याय
90.	गाजियाबाद - हापुड़ और हापुड़ बाइपास	24	किमी. 29.30 डासना	मै. वेव इंडस्ट्रीच प्राइवेट लिमिटेड
91.	नैनी में केबल आधारित पुल और इसके पहुंच मार्ग	27	किमी. 1.600	मै. यू टोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
92.	पुलघाट - मुरादाबाद	24	किमी. 121.975 जोया	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
93.	लखनऊ - कानपुर	25	किमी. 39.00 नवाबगंज	मै. वकरंगी कैपिटल (पी) लिमिटेड
94.	झांसी - ललितपुर	26	किमी. 85.280 ललितपुर जिले में ग्राम वीगाखेत	मै. बालाजी एंटरप्राइजेज
95.	झांसी - पूच	25	किमी. 140.400 झांसी जिले में ग्राम सेमारी	मै. सहकारी आवास निर्माण एवम् वित्त निगम लिमिटेड
96.	हापुड़ - गढ़मुक्तेश्वर	24	किमी. 88.500 पुलघाट, जिला गाजियाबाद	मै. नागर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
97.	रानीमऊ - फैजाबाद	28	किमी. 107.000 रोनाही, जिला फैजाबाद	मै. सूर्य इंटरनेशनल
98.	अयोध्या - बस्ती	28	किमी. 163.000 चौकड़ी, जिला बस्ती	मै. शिवा कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर
99.	बस्ती - गोरखपुर	28	किमी. 198.000 मांडव नगर	मै. विनयेंद्र नाथ उपाध्याय
100.	गोरखपुर बाइपास	28	किमी. 3.5 गोरखपुर बाइपास	समीर पांडे,

1	2	3	4	5
	पुर्लो			
101.	सीतापुर	24	—	मै. विनय कुमार पांडे, बलरामपुर
102.	शाहजहांपुर	24	—	मै. नितेश मोहन ठेकेदार, देहरादून
103.	बेसो	29	—	मै. मुनिंदर नाथ उपाध्याय
			पश्चिम बंगाल	
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं			
104.	बरवा अड्डा - पानागढ़	2	किमी. 454.8 गरूई	पथकराधान निलंबित
105.	बुदबुद - पलसित	2	किमी. 585.692 पलसित जिला बर्दवान	पथकराधान निलंबित
106.	पलसित - धनकुनी	2	किमी. 646.005 धनकुनी	पथकराधान निलंबित
107.	खड़गपुर - डान्टन	60	किमी. 103.490 रामपुरा	पथकराधान निलंबित
108.	डान्टन - बालासोर	60	किमी. 52.000 गांव लक्ष्मणनाथ	मै. एमईपी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड
109.	पूर्णिया - डलखोला	31	किमी. 451.00 सूरजपुर	मै. मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
110.	सोनापुर - गोशपुकुर	31	किमी. 451.00 दार्जिलिंग जिले में पश्चिम मेदाती	मै. सीमांचल कांस्ट्रक्शन

भारतीय राष्ट्रीय राजामर्ग प्राधिकरण

राज्य-वार संग्रह के अंतर्गत वर्तमान में बीओटी टॉल प्लाजा पर फैला

क्र. सं.	खंड	रारा	प्लाजा स्थान	शुल्क संग्रह शुरू कर दिया	टोल इक्ट्ठा करने वाली एजेंसियों के नाम
1	2	3	4	5	6
			आंध्र प्रदेश		
	बीओटी परियोजनाएं				
1.	टाडा - नेल्लोर	5	किमी. 86.00 सल्लूरपेट, किमी. 124.40 बुढानम और 155.30 वेंकटचलम	21.05.04	मै. सीआईडीबी इंवेंचर्स एसडीएन बीएचडी और मै. स्वर्ण टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
2.	थोंडापल्ली - जेडचेरला	7	किमी. 54.00	12.02.09	मै. जीएमआर जेडचेरला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
3.	जेडचेरला - कोटाकट्टा	7	किमी. 114.087	14.03.09	मै. एल एंड टी वेस्टर्न आंध्रा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड
4.	नंदीगाम - विजयवाड़ा	9	किमी. 226.40 किसारा	12.09.04	मै. सीआईडीबी इंवेंचर्स एसडीएन बीएचडी
5.	वियजवाड़ा - चिलकालूरीपेट	5	किमी. 416.8 काजा	22.05.03 और 01.05.09 (बीओटी)	मै. विजयवाड़ा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
6.	चिलकालूरीपेट - ओंगोले	5	किमी. 1200.00 गांव बोलापल्ली, जिला प्रकाशम	01.02.07 और 22.11.11 (बीओटी)	सिम्हापुरी एक्सप्रेस लिमिटेड (बीओटी)
7.	ओंगोले - कवाली	5	किमी. 1264.00 गांव टांगुटुर जिला प्रकाशम	01.02.07 और 22.11.11 (बीओटी)	

1	2	3	4	5	6
8.	कवाली - नेल्लोर	5	किमी. 1326.000 गांव	27.08.05 और 22.11.11 (बीओटी)	
	एसपीवी परियोजनाएं				
9.	विशाखापट्टनम पत्तन संपर्क परियोजना	एसआर	किमी. 9.158 (पंचवटी कॉलोनी) और किमी. 2.262 (नौसेना का गोस्थानी गेट)	15.12.06	
			बिहार		
	बीओटी परियोजनाएं				
10.	बारून - औरंगाबाद (वाराणसी - खंड)	2	मोहनिया	05.11.07 संशोधित 12.09.2011 (बीओटी)	मै. सोमा आइसोलक्स वाराणसी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
11.	मोहनिया - बारून (वाराणसी - खंड)	2	किमी. 111.00, सासाराम संशोधित किमी. 860	11.07.08 संशोधित 12.09.2011 (बीओटी)	मै. सोमा आइसोलक्स वाराणसी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
			छत्तीसगढ़		
	बीओटी परियोजनाएं				
12.	दुर्ग बाइपास	6	किमी. 312.500	15.12.00	मै. शक्ति कुमार एम. संचेती लिमिटेड
			गुजरात		
	बीओटी परियोजनाएं				
13.	वडोदरा - सूरत खंड 4 लेन पर नर्मदा पुल और इसके पहुंचमार्ग	8	किमी. 193.500	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ	

1	2	3	4	5	6
14	गोंडल - राजकोट	8बी	किमी. 120.50 पिथाडिया और किमी. 156.80 भरूडी	28.10.06 और 16.05.08 से पूरी लंबाई पर	मै. वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड
15.	वडोदरा - भरूच	8	किमी. 157.20 भरथना	03.06.09	मै. एल एंड टी वडोदरा भरूच टोलवे लिमिटेड
16.	भरूच - सूरत	8	किमी. 245.750 चोरियासी	25.09.09	मै. आईडीएए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
17.	चलथान (सूरत) - वागलधारा	8	किमी. 297.360 बोरिएक	19.06.05 और 20.02.09	मै. आईआरबी सूरत द हिसार टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
18.	वागलधारा - कजली	8	किमी. 356.200 भागवड़ा	30.05.05 और 20.02.09	मै. आईआरबी सूरत द हिसार टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
19.	समखियाली - गांधीधाम	8ए	किमी. 309 समखियाली	10.06.03 (01.10.10, बीओटी)	एल एंड टी समखियाली गांधीधाम टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
	एसपीवी परियोजनाएं				
20.	ए.वी. एक्सप्रेसवे चरण-I	एनई-1	किमी. 2.616 - और एक तरफा चौक	01.02.04	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर
21.	ए.वी. एक्सप्रेसवे चरण-II	एनई-1	किमी. 43.855 पर किमी. 86.1 सहित दो तरफ प्लाजा (नाडियाड) और 58.616 किमी. (आनंद)	02.10.04	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर
22.	अहमदाबाद - वडोदरा	8	किमी. 91.000 (वसाड)	01.00.07	मै. आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर
			हरियाणा		
	बीओटी परियोजनाएं				
23.	बदरपुर - कोसी	2	किमी. 72 श्रीनगर	10.06.02	मै. डीए टोल रोड लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
24.	पानीपत ऊंचा राजमार्ग	1	किमी. 96.000	17.07.08	मै. एल एंड टी ऊंचा कॉरिडोर लिमिटेड पानीपत
25.	दिल्ली - गुड़गांव	8	किमी. 24.0, किमी. 42.00 एवं किमी. 19.10 परसाइड प्लाजा	25.01.08	मै. जेपी डीएससी वेंचर लिमिटेड
26.	बदरपुर ऊंचा राजमार्ग	2	किमी. 18.700/किमी. 20.200	29.11.10 बीओटी	बदरपुर फरीदाबाद टोल रास्ता लिमिटेड
27.	पानीपत अंबाला	1	किमी. 146.40 (पूर्व में किमी. 132 पर करनाल में)	24.06.02 और 11.05.09 (बीओटी)	मै. सोमा आइसोलक्स एक टोलवे प्राइवेट एनएच. लिमिटेड
28.	जीरकपुर - परवानू	22	किमी. 51.400 ग्राम सूरजपुर चंडी मंदिर	06.04.2012	मै. हिमालयन एक्सप्रेस लिमिटेड
			कर्नाटक		
	बीओटी परियोजाएं				
29.	नीलमंगला - तुमकुर	4	किमी. 30.0 नीलमंगला और किमी. 61.0 तुमकुर	10.02.04	मै. जस टोल रोड कंपनी लिमिटेड
30.	सिल्क बोर्ड जंक्शन - होसुर	7	किमी. 32.700 (4 साइड प्लाजा)	07.04.10 (बीओटी)	मै. बंगलूरु ऊंचा टोलवे लिमिटेड
31.	बंगलूरु - नीलमंगला	4	किमी. 14.875 और किमी. 26.075 नीलमंगला और बंगलूरु (4 साइड प्लाजा - 16.600, 17.100, 23.150 और 23.800)	12.12.10 (बीओटी)	मै. नवयुग बंगलूरु टोल रास्ता प्राइवेट लिमिटेड
32.	जंक्शन - देवीहल्ली नीलमंगला	48	किमी. 32.750 - किमी. 100.300	23.06.12 (बीओटी)	मै. लैंको देवीहल्ली राजमार्ग प्राइवेट लिमिटेड
33.	बीजापुर - हुंगुंड	13 (नई राष्ट्रीय राजमार्ग-50)	किमी. 103.888 कसाब जिला बीजापुर और किमी. 165.650 नागरहल्ला जिला बागलकोट	02.05.2012	

1	2	3	4	5	6
34.	बेलगाम - धारवाड़	4	किमी. 483.600 हीरेवागेवाडी	07.07.07 (बीओटी) 04.05.2011 संशोधित	अशोका बेलगाम धारवाड़ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
35.	डोड्डासिद्दनहल्ली - तावरकेरे	4	किमी. 172.767 गैलालू	26.03.08 (बीओटी) 04.06.2011 संशोधित	मै. आईआरबी तुमकुर चित्रदुर्गा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
36.	तावरकेरे - अंतरासनहल्ली	4	किमी. 104.530 करजीवनहल्ली	15.12.07 (बीओटी) 04.06.2011 संशोधित	मै. आईआरबी तुमकुर चित्रदुर्गा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
37.	देवनहल्ली - बंगलूरु	7	किमी. 538.000 पर	25.04.2011	मै. नवयुग देवनहल्ली टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
			केरल		
	एसपीवी परियोजनाएं				
38.	ईडापल्ली - वाइटिल्ला - अरुर	47	एर्नाकुलम जिला में कुंबलम के निकट किमी. 356.500	11.06.2011	
	बीओटी परियोजनाएं				
39.	त्रिशूर - अंगमाली - ईडापल्ली	47	किमी. 278.000 (पलियक्करा)	09.02.2012	
			महाराष्ट्र		
	बीओटी परियोजनाएं				
40.	सतारा - कागल	4	किमी. 634.5 और किमी. 694.150	24.10.05 से किमी. 70.0 पर और 01.07.06 से किमी. 62.76 पर	मै. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड
41	मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे (4 लेन)	4		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ	

1	2	3	4	5	6
42.	धारवाड़ हुबली (2 लेन)	4	किमी. 432.800 और किमी. 404.00	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ	
43.	पुणे - खेड	50		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ	
44.	नागपुर - कोंधली	6	किमी. 20.612	23.09.2011	मै. बालाजी टोलवेज लिमिटेड
45.	कोंधली - तलेगांव	6	किमी. 76.00 (करंजा)	24.04.08	मै. ओरिएंटल पाथवेज (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड
46.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा - वैनगंगा पुल	6	किमी. 449.260	21.10.10	मै. अशोक हाइवेज (बांद्रा) प्राइवेट लिमिटेड
47.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा - धुले	3	किमी. 203.400 (सिरपुर) किमी. 236.600 (सोनगीर)	11.02.2012	धुले पलेसनेर टोलवे लिमिटेड
48.	पिंपलगांव - धुले	3	किमी. 356.715 चांदवल और किमी. 268.632 धुले	25.10.09 और 19.04.10	इरकॉन - सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
49.	वडापे - गोंडे	3	किमी. 455.485 घोटी (बदरूख) और किमी. 532.690 अर्जुनाली	25.05.10 और 02.09.2011	मुंबई नासिक एक्सप्रेस लिमिटेड
50.	कजली - मनोर	8	किमी. 420.34 चरोती	01.03.04 और 20.02.09 (बीओटी)	मै. आईआरबी सूरत दहिसर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
51.	मनोर - बसीन क्रीक दहिसर	8	किमी. 474.1 शिरशाद	29.05.03 और 20.02.09 (बीओटी)	मै. आईआरबी सूरत दहिसर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
52.	पश्चिमी डायवर्जन, कटराज पुनर्संरेखण और कटराज - सरोले	4	किमी. 819.240 (खेदशिवपुर गांव, जिला पुणे)	05.05.07 (बीओटी, 01.10.10)	मै. पीएस टोल रोड कंपनी लिमिटेड
53.	खंडाला - सतारा	4	किमी. 748.600 अनेवाड़ी गांव	23.03.05 (9.0 किमी. लंबाई + दिनांक 01.10.10 बीओटी)	मै. पीएस टोल रोड कंपनी लिमिटेड
54.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा - नागपुर और नागपुर बाइपास और पहले से ही चार लेन (नागपुर - हैदराबाद) का रखरखाव	7	703.700 और 19.660 निकट टेकादी और डंगरगांव गांव नागपुर जिले में	11.07.2012	मै. ओरिएंटल नागपुर बाइपास प्राइवेट लिमिटेड
55.	पिंपलगांव - नासिक - गोंडे	3	किमी. 390.450 बसवंत गांव के निकट	02.10.2012	मै. पीएनजी टोलवेज लिमिटेड
	एसपीवी परियोजनाएं				
56.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन संपर्क परियोजना (चरण-I) (एसपीवी आधार पर)	4बी और 4	किमी. 13.050 (चिर्ले) और अन्य किमी. 23.250 (करंजाडे) पर	11.08.05	संगम (आई) लिमिटेड
57.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन (द्वितीय चरण) (एसपीवी आधार पर)	54 एसएच	किमी. 9.100 (दास्तां)	25.11.10	एमईपी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड
			मध्य प्रदेश		
	बीओटी परियोजनाएं				
58.	गुना बाइपास	3	किमी. 331.000	19.07.08	मै. गुना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
59.	इंदौर खालघाट	3	किमी. 82.800	21.08.09	ओरिएंटल पाथवेज (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड
60.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा - खालघाट	3	किमी. 141.85	04.04.2011	एसईडब्ल्यू नवयुग बड़वानी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड
61.	इंदौर - देवास	3	इंदौर बाइपास पर किमी. 591.00 रारा-3 के जंक्शन के फ्लाईओवर के ठीक बाद	01.09.2011	इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड
			ओडिशा		
	एसपीवी परियोजनाएं				
62.	चांदीखोल - पारादीप	5ए	किमी. 4 श्रीरामपुर	04.07.09	मै. एजे टोल्स प्राइवेट लिमिटेड
	बीओटी परियोजनाएं				
63.	भुवनेश्वर - चेतिया	5	किमी. 35.000 (किमी. 245.50 नया) मंगुली नजदीफ कटक	(01.06.02/04.05.08) और 13.12.2011	मै. एसजेईपीएल
			पंजाब		
	बीओटी परियोजनाएं				
64.	अम्बाला - जीरकपुर	22 और 21	किमी. 23.100 दपार	10.12.08	मै. जीएमआर
65.	कितरपुर - कुराली	21	किमी. 35.000	09.08.2011	मै. बीएससी - सी एंड सी टोल प्लाजा
66.	जालंधर - अमृतसर	1	किमी. 410.140 और किमी. 446.960	30.04.10	मै. आईवीआरसीएल
67.	अंबाला - खन्ना	1	किमी. 213.300 शंबू	24.06.02 और 11.05.09 (बीओटी)	मै. सोमा आईसोलक्स एचएन वन टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
68.	खन्ना जालंधर	1	किमी. 328.05 लुडुवाल (किमी. 296 दोराहा में पहले)	24.06.02 और 11.05.09	मै. सोमा आईसोलक्स एचएन वन टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
			राजस्थान		
	बीओटी परियोजना				
69.	जयपुर - किशनगढ़	8	किमी. 286.450 जयपुर और किमी. 360.20 किशनगढ़	09.04.05	मै. जीवीके जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड
70.	आगरा - भतरपुर	11	किमी. 30.300 कोरई	09.07.09	मै. ओरिएंटल पाथवेज (आगरा) प्राइवेट लिमिटेड
71.	भरतपुर - महुआ	11	किमी. 64.570 और किमी. 98.500	08.05.09	मै. मधुकॉन हाउस आगरा - जयपुर एक्सप्रेस लिमिटेड
72.	जयपुर - महुआ	11	किमी. 156.60 और किमी. 204.70	31.03.08 और 26.09.09	मैं जयपुर महुआ रेलवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
73.	गुड़गांव - कोटपुतली	8	किमी. 115 शाहजहांपुर	15.03.02 और 03.04.09	मै. पिंकसिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
74.	कोटपुतली - चंदवाजी	8	किमी. 211 मनोहरपुर	30.03.98 (चैनेज बदल दिया गया है और जयपुर बाइपास संशोधित अधिसूचना में शामिल कर लिया गया है) और 03.04.09 (बीओटी)	मै. पिंकसिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
75.	जयपुर बाइपास चरण-I और II	8 और 11	जयपुर बाइपास चरण-II पर हमरा से किमी. 13.20	27.03.06	मै. पिंकसिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
			तमिलनाडु		
	बीओटी परियोजनाएं				
76.	कृष्णागिरि - थोपुरघाट	7	किमी. 154.440, पलयम ग्राम, धर्मपुरी जिला	07.02.09/(16.6 किमी. + दिनांक 13.07.2010)	एल एंड टी कृष्णागिरि थोपुर टोल रोड लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
77.	ओमालूर - नमक्कल	7	किमी. 191.800	(पुराना चैनेज 199.20 और 248.625) 06.08.09 और 14.06.10	मै. एमवीआर इंफ्रास्ट्रक्चर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड
78.	नामक्कल - करुर	7	किमी. 259.500	24.08.09	एन.के. टोल रोड लिमिटेड
79.	करुर बाइपास - डिंडीगुल बाइपास	7	किमी. 332.000	05.11.09	टीएन (डीके) एक्सप्रेसवे लिमिटेड
80.	डिंडीगुल बाइपास - समयानेल्लौर	7	किमी. 398.500	28.09.09	मैं डीएस टोल रोड लिमिटेड
81.	सलेम - कुमारपलयम	47	किमी. 27.697 वैगुंथम गांव	01.07.10 (बीओटी)	मै. आईवीआरसीएल
82.	कुमारपलयम - चेंगापल्ली	47	किमी. 88.287	27.08.09	मै. कुमारपलयम टोलवेज लिमिटेड
83.	टिंडीवनम - अलूंडुरपेट	45	किमी. 148.900	24.07.09	मै. जीएमआर
84.	अलूंडुरपेट - पडलूर	45	किमी. 192.750 और किमी. 244.00	05.09.09	मै. त्रिची टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
85.	पडलूर - त्रिची	45	किमी. 304.510	06.05.10	मै. एसए इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
86.	तंजावुर - त्रिची	67	किमी. 120.900	12.05.2011	मै. त्रिची तंजावुर एक्सप्रेस लिमिटेड
87.	मदुरै - तूतीकोरिन	45बी	किमी. 143.580 निकट इलियारपाथी गांव जिला मदुरै और किमी. 254.940 निकट पुदुरपांडिपुरम गांव जिला टुटिकोरिन	02.07.2011	मै. एमटीपीएल
88.	चेन्नई टाडा	5	किमी. 27.00/किमी. 21.625	03.04.09	मै एल एंड टी चेन्नई टाडा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
89.	होसुर - कृष्णागिरि	7	किमी. 88.300 कृष्णागिरि	04.07.05 संशोधित 07.06.2011 (बीओटी)	मै. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अर्थात्, मै. एचके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड
90.	कृष्णागिरि - अम्बुर	7 और 46	किमी. 46.850 पेड्डाकल्लूपल्ली (वनियांबदी)	01.07.06 संशोधित 07.06.2011 (बीओटी)	मै. एल एंड टी कृष्णागिरि वालाझपेट टोवले लिमिटेड
91.	अम्बुर - वालाझपेट	46	किमी. 98.520 पल्लीकोंडा जिला वेल्लोर	20.08.06 संशोधित 07.06.2011 (बीओटी)	
92.	त्रिची - डिंडीगुल	45	किमी. 382.850 निकट पोन्नमबालापट्टी	11.01.2012	
93.	पुदुचेरी - टिंडीवनम	66	किमी. 6.572 मोरतंडी	13.12.2011	(मै. पीटीटीएल)
94.	सलेम - उलूंडरपेट	68	किमी. 73.760 नाथकरई और किमी. 105.00 वीरचोलापुरम पश्चिम	28.07.2012	मै. एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड
			उत्तर प्रदेश		
	बीओटी परियोजाएं				
95.	कोसी - आगरा	2	किमी. 164.55 महुवन	10.06.02	मै. डीए टोल रोड लिमिटेड
96.	मुरादाबाद बाइपास	24	किमी. 156 टीपी-1 और किमी. 158 टीपी-2	21.06.01	मै. आईएल एंड एफएस
97.	मेरठ - मुजफ्फरपुर	58	किमी. 76.000 ग्राम सिवाया जिला	25.04.2011 (21.10.2011 पूर्ण लंबाई)	मै. वेस्टर्न यूपी टोलवेज लिमिटेड मेरठ
98.	लखनऊ - सीतापुर	24	किमी. 468.000 दमंत ठंतंईतप और किमी. 420.000 निकट करौंदी	17.10.2011 (02.08.2012 पूर्ण लंबाई)	मैं लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
99	वाराणसी - मोहनिया	2	वीआरएम बाइपास के किमी. 12.00 संशोधित किमी. 800.00	18.05.08 (बीओटी) संशोधित 12.09.2011	मै. सोमा आइसोलक्स वाराणसी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
			पश्चिम बंगाल		
	बीओटी परियोजनाएं				
100	द्वितीय विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग	2	किमी. 666.644, राजचंदपुर	04.07.07	मै. सेकेंड विवेकानंद पुल टोलवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
101	धनकुनी - कोलाघाट	6	किमी. 35.250 जलधुलगोरी में	13.10.06 और 01.04.2012	मैं अशोक धनकुनी खड़गपुर टोलवे लिमिटेड
102	कोलाघाट - खड़गपुर	6	किमी. 112.695, देबरा/बारामूला	17.10.08 और 01.04.2012	

अनुबंध-II

भारतीय राष्ट्रीय राजामर्ग प्राधिकरण

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 12 अक्तूबर तक राज्य-वार प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) के संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	रारा सं.	खंड	प्लाजा के नाम	लाख रु.				टिप्पणियां
				2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			आंध्र प्रदेश					
लोक वित्त पोषित								
1.	5	अंकापल्ली - विशाखापट्नम	अगनमपुडी	915.47	972.22	1125.18	661.77	
2.	5	नदीगाम - इच्छापुरम	मदापम	1722.97	1800.28	2003.64	1039.07	
3.	5	इच्छापुरम - पुइनटोला	बेल्लूपदा				210.75	
4.	5	इच्छापुरम - श्रीकाकुलम	लक्ष्मीपुरम	1415.02	1483.66	1612.09	888.37	
5.	5	चिलकालूरीपेट - विजयवाड़ा	काजा	291.59	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
6.	5	विजयवाड़ा गुंडुगोलनू (31/8 किमी.)	पट्टीपडु	1453.18	1662.70	1745.35	1041.16	
7.	5	विजयवाड़ा गुंडुगोलनू (53/3 किमी.)	कलपारू	1488.16	1723.67	1819.03	1076.32	
8.	5	रामुंदरी - तुनी	कृष्णावरम	3116.74	3315.26	3567.41	2172.38	
9.	5	तुनी - अंकापल्ली	वीमापडु	3606.68	3838.40	4102.69	2737.68	
10.	5	विशाखापत्तनम - चंपावती	नाथवलसा	1295.02	1464.64	1419.85	1065.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	5	बोम्मुरू - गूंडूगोलनू	टनुकु	3281.19	3705.04	3900.47	2522.56	
12.	5	कवाली - नेल्लोर	सुनमबत्ती	2273.94	2415.85	2092.15		बीओटी को हस्तांतरित
13.	5	कवाली - ओंगोले	तांगटूर	3371.65	3493.57	2492.78		बीओटी को हस्तांतरित
14.	5	ओंगोले - चिलकालूरीपेट	बोलापल्ली	2100.88	2412.33	1532.86		बीओटी को हस्तांतरित
15.	5	श्रीकाकुलम - चिलकपलेम	चिलकपलेम	1659.45	1807.77	1864.70	1159.07	
16.		महाराष्ट्र/एपी सीमा - इस्लाम नगर	पिपलवाड़ा		•		870.21	
17.	7	इस्लाम नगर - कटडल	रोलमामदा		1416.60	2770.90	1772.22	
18.	7	कडटल - अरमूर	गमजाल	856.46	1648.32	1777.88	1130.73	
19.	7	कोथाकोटा - कुरनूल बाइपास	200.95 (एपी-5) किमी.	1158.31	4612.84	5012.73	2779.04	
20.	7	कुरनूल - करीदीकोंडा	अमाकाथाडू		361.79	3074.56	2245.74	
21.	7	करीदीकोंडा - मरूर	कासेपल्ली		350.37	3086.80	2347.15	
22.	7	एपी/कर्नाटक सीमा - मरूर	मरूर		836.71	2133.38	1514.85	
23.	7	अडलूर येल्लारेड्डी गुंडला पोचमपल्ली	मनोहराबाद	2362.76	2862.90	3290.41	1990.91	
		कुल आंध्र प्रदेश		32369.48	42184.90	50424.84	29225.29	

बिहार

लोक वित्त पोषित

1.	2	बारून - बाराचट्टी	साव - काला	3416.78	3635.84	2664.23	1543.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	2	मोनिया - बारून	सासाराम	2509.05	2727.95	1331.73		बीओटी को हस्तांतरित
3.	57	मुजफ्फरपुर - दरभंगा	मैथी			481.57	768.30	
4.	57	फोरबिसगंज - पूर्णिया	हरियाबाड़ा			269.05	212.21	
सेतु								
5.	57	गोसाघाट पुल	पुल	83.27	50.39			बंद
		कुल बिहार		6009.10	6414.18	4746.58	2523.74	

गुजरात

लोक वित्त पोषित								
1.	8	रतनपुर - हिम्मतनगर	वनटाडा	886.00	1008.88	1277.16	906.16	
2.	8	हिम्मतनगर - चिलोदा	काठपुर	1407.80	1501.43	1652.06	1014.24	
3.	8ए	समखियाली - गांधीधाम	समखियाली	2491.27	1034.56			बंद
4.	8बी	पोरबंदर - भिलाडी	वनाना	248.38	77.75			ओएमटी को हस्तांतरित
5.	15	राधनपुर - अदेसर	वरही	1314.22	89.24			ओएमटी को हस्तांतरित
6.	14	राधनपुर - पालनपुर	भिलाडी	1437.31	96.95			ओएमटी को हस्तांतरित
7.	8बी	भिलाडी - जेतपुर	दुमियानी	427.89	126.51			ओएमटी को हस्तांतरित
8.	15	अदेसर - समखियाली	किमी. 226 पर माखेल	1073.81	104.44			ओएमटी को हस्तांतरित
9.	8ए	बामनबोर - गारामोर	बघासिया	332.04	723.48	1029.29	968.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	14	पालनपुर/खेमाना - आबूरोड	खेमाना	1366.86	1778.14	1910.48	1166.81	
11.	8ए	गारामोर - समखियाली	सूरजबाड़ी			1870.98	2626.67	
ओएमटी								
12.	14 और 15	पालनपुर समखियाली (ईडब्ल्यू)	वरही माखेल भिलाडी बेलगाम		5958.33	7095.83	4531.33	
13.	8बी	पोरबंदर भिलाडी, भिलाडी - जेतपुर	वनाना दुमियानी		337.50	483.75	305.25	
		कुल गुजरात		10985.59	12837.20	15319.56	11519.20	
			हरियाणा					
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बदरपुर - कोसी	श्रीनगर	2131.66	2305.74	2658.40	1510.49	
2.	1	पानीपत अंबाला	करनाल	561.44	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
		कुल हरियाणा		2693.10	2305.74	2658.40	1510.49	
			झारखंड					
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बाराचट्टी - गोरहर	रसोया धमना	2656.01	2790.08	2788.19	1957.51	
2.	2	गोरहर - बरवा अड्डा	बर्सजाम		636.30	1602.55	2072.89	
		कुल झारखंड		2656.01	3426.39	4390.74	4030.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				कर्नाटक				
लोक वित्त पोषित								
1.	4	बेलगाम - महाराष्ट्र सीमा	कोगनोली	1760.87	2030.17	2125.54	1273.17	
2.	4	हीरेवागेवाडी - हट्टारगी	हट्टारगी	1994.35	2168.23	1057.82	501.69	
3.	4	हीरेवागेवाडी - धारवाड़	हीरेवगावदी	1516.13	1646.81	162.84		बीओटी को हस्तांतरित
4.	4	अंतरासनहल्ली - तावरकेरे	करजीवनहल्ली	3741.16	4222.32	859.59		बीओटी को हस्तांतरित
5.	4	गब्बूर - देवेगिरी	बंकापुर	1960.38	1884.36	2211.67	1508.34	
6.	4	डोड्डासिद्दनहल्ली - हदादी	हेब्बालू				153.46	
7.	4	हदादी - देवगिरी	चालागेरी				38.47	
8.	4	तावरेकेरे - डोड्डासिद्दनहल्ली	गैलालू	3487.80	3824.06	796.09		बीओटी को हस्तांतरित
9.	7	एपी/कर्नाटक सीमा - देवनहल्ली	किमी. 464.774 बागेपल्ली	451.60	2202.90	2501.30	1456.45	
		कुल कर्नाटक		14912.29	17978.85	9714.85	4931.58	
				महाराष्ट्र				
लोक वित्त पोषित								
1.	4	सतारा - खंडाला	अनेवाड़ी	2002.53	952.07			बीओटी को हस्तांतरित
2.	4	पश्चिमी डायवर्जन	खेदशिवपुरम	4049.20	2009.18			बीओटी को हस्तांतरित
3.		देवधारी - केलापुर	केलापुर				371.84	
4.	6	**अमरावती बाइपास**	**अमरावती बाइपास**	**508.32**	**540.87**	636.22	593.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सेतु								
5.	7	खूनी पुल	पुल	114.66	127.14	154.55	39.25	
6.	7	वगाधी नाला पुल	पुल	192.39	197.43	218.19	107.04	
		कुल महाराष्ट्र		6867.10	3826.69	1008.96	1111.36	
				मध्य प्रदेश				
लोक वित्त पोषित								
1.	3	आगरा - धौलपुर	बरौठा	582.14	641.93	772.05	502.03	
2.	3	आगरा - ग्वालियर	चौंधा	729.99	775.94	905.19	589.98	
3.	25	झांसी बाइपास - अमोला	किमी. 80.000 रकसा	389.73	658.54	307.67		ओएमटी को हस्तांतरित
4.	76 और	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा अमोला	रामगर	79.20	99.42	27.09		ओएमटी को हस्तांतरित
5.	26	झांसी - लखनादोन	तीतरपानी			55.90	414.48	
6.	7	लखनादोन - महागांव	अलोनिया			576.62	984.64	
ओएमटी								
7.	76	गदावली नदी - राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	मुंडियार			798.58	798.58	
	76 और 25	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा - अमोला	रामनगर					
	25	अमोला - झांसी बाइपास	किमी. 80.000 पर रकसा					
		कुल मध्य प्रदेश		1781.06	2175.84	3443.11	3289.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ओडिशा				
लोक वित्त पोषित								
1.	5	भुवनेश्वर - कटक - जगतपुर	गोपालपुर - मंगुली	2104.96	2978.44	2566.07		बीओटी को हस्तांतरित
2.	5	चेतिया - भद्रक	पानीकोइली	1945.70	2776.03	2550.07	1527.34	
3.	5	सुनाखला - भुवनेश्वर	गंगापदा	1468.53	1811.99	1518.11	1045.10	
4.	5	भद्रक - बालासोर	शेरगढ़			411.39	1346.28	
		कुल ओडिशा		5519.19	7566.45	7045.64	3918.71	
				पंजाब				
लोक वित्त पोषित								
1.	1	खन्ना - जालंधर	दोराहा	542.41	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
2.	1	अंबाला - खन्ना	शंभू	238.18	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
3.	1	अमृतसर - वाघा (किमी. 456.100 (किमी. 492.030)	छिद्दन	181.18	294.83	82.53		
		कुल पंजाब		780.59	181.18	294.83	82.53	
				राजस्थान				
लोक वित्त पोषित								
1.	8	कोटपुतली - जयपुर बाइपास	मनोहरपुर	30.83	0.00	0		बीओटी को हस्तांतरित
2.	8	गुड़गांव - कोटपुतली	शाहजहांपुर	41.97	0.00	0		बीओटी को हस्तांतरित
3.	8	जयपुर बाइपास चरण-I और II	दौलतपुरा	13.96	0.00	0		बीओटी को हस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	79 और 79ए	किशनगढ़ - भीलवाड़ा	कावलियास	4614.17	4921.27	6210.63	4091.55	
5.	79	भीलवाड़ा - चित्तौड़गढ़	जोजरो का खेड़ा	3894.15	4099.86	5178.14	3338.56	
6.	76	रिठोला - उदयपुर	नारायनपुरा	1691.67	1969.08	2691.56	1769.04	
7.	8	उदयपुर खेरवाड़ा	पाडुना	2790.28	3009.28	3588.38	2348.89	
8.	8	खेरवाड़ा - रतनपुर	खांडी ओबीआरआई	1673.10	1728.51	1919.49	1185.26	
9.	76	चित्तौड़गढ़ - बिछूर	नीचे या मंद स्वर में गाने वाला	644.41	738.26	306.27		ओएमटी को हस्तांतरित
10.	76	बिछूर - बिजोलिया	आरोली	588.26	640.13	221.16		ओएमटी को हस्तांतरित
11.	76	बिजोलिया - खारीपुर	धनेश्वर	624.98	704.02	263.63		ओएमटी को हस्तांतरित
12.	76	पिंडवाड़ा - जसवंतगढ़	मालेरा	174.27	241.29	82.79		ओएमटी को हस्तांतरित
13.	76	जसवंतगढ़ - देबरी	जसवंतगढ़	64.30	390.03	152.94		ओएमटी को हस्तांतरित
14.	76	गदावली नदी - राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	मुंडियार	80.67	124.96	59.99		ओएमटी को हस्तांतरित
15.	76	कोटा बाइपास - देरूमाता मंदिर	सिमलिया	190.83	505.99	284.97		ओएमटी को हस्तांतरित
16.	76	देरूमाता मंदिर - गदावली नदी	थ्जमीचनत	95.89	364.89	167.22		ओएमटी को हस्तांतरित
17.	14	आबू रोड - पिंडवाड़ा	न्दकअंतपलं	1518.92	2056.14	1869.12	783.34	
18.	79 76	और चित्तौड़गढ़ - बाइपास	त्पजीवसं	484.41	2636.58	3242.05	2196.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सेतु								
19.	8	आरओबी किशनगढ़	पुल	422.01	409.95	446.20	189.02	
ओएमटी								
	76	चित्तौड़गढ़ - विछूर	बस्सती					
20.	76	बिछूर - बिजोलिया	आरोली			1482.00	1296.75	
	76	बिजोलिया - खारीपुर	धनेश्वर					
21.	76	कोटा बाइपास - देरूमाता मंदिर	सिमलिया			536.25	577.50	
	76	देरूमाता मंदिर - गदावली नदी	फतेहपुर					
22.	76	पिंडवाड़ा - जसवंतगढ़	मालेरा			283.50	330.75	
	76	जसवंतगढ़ - देबरी	जसवंतगढ़					
		कुल रास्थान		19639.08	24540.26	28986.29	18107.18	

तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक वित्त पोषित								
1.	4	कांचीपुरम - वालाझपेट	चेन्नासमुद्रम	2440.32	2551.53	2961.00	1633.65	
2.	7	होसुर - कृष्णागिरि	कृष्णागिरि	3550.17	3919.61	685.51		बीओटी को हस्तांतरित
3.	46	कृष्णागिरि - अम्बुर	अम्बुर	2024.24	2474.47	417.04		बीओटी को हस्तांतरित
4.	46	अम्बुर - वालाझपेट	पल्लीकोंडा	2990.25	3610.28	599.05		बीओटी को हस्तांतरित
5.	4	कांचीपुरम - चेन्नई	श्रीपेरुमबुदुर	2653.85	3374.06	3510.00	2549.83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	45	ताम्बरम - टिंडीवनम	परिनूर	2316.74	2159.35	3060.00	1639.82	
7.	45	ताम्बरम - टिंडीवनम	आथुर	2071.12	2255.86	3330.37	1582.32	
8.	45	चेन्नई बाइपास	चेन्नई बाइपास	1467.79	1900.18	2250.00	1800.57	
9.	45बी	तोवरनकुरिची बाइपास मदुरै अंत	चित्तमपट्टी गांव	6.91	1900.40	2375.41	2094.72	
10.	45बी	त्रिची - तोवरनकुरिची	21.020 (बोथाकुडी गांव) किमी.		1538.36	1652.95	1795.68	
11.	7	मदुरै - कन्याकुमारी	एतूरूवत्तम			820.78	1250.74	
12.		मदुरै - विरुद्धनगर	कप्पालूर				501.21	
13.	7	कोविलपट्टी - कायथर	सलाईपुधुर			1081.32	1094.74	
14.	7	तिरुनेलवेली - पन्ननगुडी	नांगुनेरी			2408.27	1212.45	
		कुल तमिलनाडु		19541.40	25684.10	25151.71	17155.73	

उत्तर प्रदेश

लोक वित्त पोषित

1.	2	कोसी - आगरा	महुवन	2118.13	2347.61	2750.07	1562.57	
2.	2	रामपुर थारिवन - कोखराज	कटोघन	1454.09	1583.32	1804.31	1177.58	
3.	2	इलाहाबाद बाइपास	इलाहाबाद बाइपास				1377.09	
4.	2	सिकंदरा - भौंती	सिकंदरा	1007.84	1082.13	1275.07	1004.88	
5.	2	हंडिया - राजातालाब	लालानगर	1873.58	1985.02	2144.02	1436.61	
6.	2	वाराणसी - मोनिया	बाइपास वीआरएम	2857.63	3079.71	1331.32		बीओटी को हस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	2	इटावा - सिकंदरा	अनंतराम	2106.21	2248.24	2763.37	1684.63	
8.	24	गाजियाबाद हापुड़ और हापुड़ बाइपास	डासना	976.35	1109.63	1262.64	634.98	
9.	2	शिकोहाबाद - इटावा	सेमरा अतिकाबाद	1958.50	2181.29	2490.85	1655.08	
10.	25	लखनऊ - कानपुर	नवाबगंज	1834.27	2147.06	2995.79	2833.49	
11.	28	रानीमऊ - फैजाबाद	रोनाही				247.86	
12.	28	अयोध्या - बस्ती	चुकादी				202.98	
13.	28	बस्ती - गोरखपुर	मांडव नगर				9.05	
14.	2	भौंती - फतेहपुर	पुरवामीर	1835.33	2154.63	2692.63	2050.32	
15.	2	टूंडला - माखनपुर	टूंडला	1219.75	1487.11	1768.55	1527.19	
16.		हापुड - गढ़मुक्तेश्वर	पुलघाट				12.36	
17.	24	गढ़मुक्तेश्वर - मुरादाबाद	जोया		1613.85	3629.76	2295.52	
18.	26	झांसी - ललितपुर	वीगाखेत			12.22	378.71	
19.	25	झांसी - पुंछ	सेमारी			155.18	2104.60	
सेतु								
20.	2	शास्त्री पुल	पुल	242.36	63.41			बंद
21.	27	नैनी में केबल आधारित पुल (5.4 किमी.)	पुल	765.76	750.96	782.34	459.36	
22.	24	काली नदी पुल	पुल	267.20	258.93	217.75	130.22	
23.	24	सीतापुर	पुल	80.06	168.12	103.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	24	शाहजहांपुर	पुल	93.14	175.63	107.57		
25.	29	बेसो पुल	पुल	48.23	85.12	55.11		
26.	28ब	घाघराघाट पुल	पुल	142.02	142.02	142.02	83.02	
		कुल उत्तर प्रदेश		20659.01	24456.35	28646.75	23133.84	
		पश्चिम बंगाल						
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बुदबुद - पलसित	पलसित	3521.75	3936.11	4227.86	2228.87	
2.	2	बरवा अड्डा - पानागढ़	गरूई	2048.11	2033.36	1823.50	1014.42	
3.	2	पलसित - धनकुनी	धनकुनी	3267.51	3732.26	4132.98	2218.38	
4.	60	डांटन - खड़गपुर	रामपुरा	908.70	979.40	1003.74	531.87	
5.	6	कोलाघाट खड़गपुर	देबरा/बारामूला	2475.11	2766.81	1750.49		बीओटी को हस्तांतरित
6.	6	धुनकुनी - कोलाघाट	जलधुलगोरी	3644.48	4063.14	2357.54		बीओटी को हस्तांतरित
7.	60	डान्टन - बालासोर	संतोषपुरा/ लक्ष्मणनाथ	1015.14	1172.87	1083.66	658.49	
8.	31	पूर्णिया - किशनगंज	सूरजपुर		58.43	0.00	979.21	
9.	31	सोनापुर - गोशपुकुर	पश्चिम मदाती				783.50	
		कुल पश्चिम बंगाल		16880.80	18742.38	16379.78	8414.74	
		कुल जोड़		161293.81	192320.49	198212.04	128954.50	

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 12 अक्तूबर तक बीओटी प्लाजा पर राज्य-वार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	रारा सं.	खंड	प्लाजा के नाम	किमी. में लंबाई	लाख रु.			
					2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			आंध्र प्रदेश					
एसपीवी								
1.	एसआर	कॉन्वेंट जंक्शन से अयप्पा मंदिर (वीपीसीपी)		12.000	498.90	540.12	672.23	
बीओटी								
2.	5	टाडा - नेल्लोर	नेल्लोर, बुढानम और सल्लूरपेट	111	7232.15	8519.79	10412.65	9238.64
3.	9	नंदीगाम - विजयवाड़ा	किसारा	48.000	2520.18	3101.09	3626.17	3028.24
4.	5	थोंडापल्ली - जेडचेरला	एमपी 3	58.006	4196.94	5130.31	5887.51	5117.09
5.	5	चिलकालूरीपेट - विजयवाड़ा	काजा	83.000	5999.47	7675.47	8625.04	7298.32
6.	7	जेडचेरला - कोटाकट्टा	एमपी 4	55.740	3136.21	3754.57	4371.72	3748.73
7.	5	ओंगोले - चिलकालूरीपेट	बोलापल्ली	70.945			1820.88	4246.80
8.	5	कवाली - ओंगोले	तांगटूर	69.000			2833.04	7222.30
9.	5	कवाली - नेल्लोर	सुनमबत्ती	43.800			1673.44	4210.90
कुल आंध्र प्रदेश				23583.85	28721.35	39922.68	44111.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			बिहार					
बीओटी								
1.	2	मोहनिया - बारून	मोहनिया	42.600			2212.70	3735.80
2.	2	बारून - औरंगाबाद	सासाराम	94.800			4467.11	7811.76 1
		कुल बिहार			0.00	0.00	6679.81	11547.56
			गुजरात					
एसपीवी								
1.	एनई-I	ए.वी. एक्सप्रेसवे चरण-I	अहमदाबाद और एयूडीए रिंगरोड	43.400	2664.92	7585.05	13727.65	
2.	एनई-I	ए.वी. एक्सप्रेसवे चरण-II	नाडियाड आनंद और वडोदरा	49.902	3462.73			
3.	8	अहमदाबाद वडोदरा	वसाड	88.850	3086.01	3845.75	4606.28	
4.	8	वत्रक पुल	42 किमी. पर	8.750	164.74	146.10		
बीओटी								
6.	8ए	समखियाली - गांधीधाम	समखियाली	56.160		2635.91	6281.08	
7.	8	जेतपुर - गोंडल - राजकोट	राजकोट	67.127	3111.43	3338.06	3823.69	3754.02
8.	8	चलथान - वागलधारा	बोरिएक	55.200	8126.65	8836.60	10020.44	8784.78
9.	8	वागलधारा - कजली	भागवडा	63.000	8182.33	9050.81	10020.44	8784.78
10.	8	भरूच - सूरत	चोरियासी	65.000	6623.04	13000.10	14284.58	12020.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	8	वडोदरा भरूच	भरथाना	83.300	13363.36	18963.00	21112.00	17760.00
		कुल गुजरात			48785.21	67401.37	83876.17	51103.57
			हरियाणा					
बीओटी								
1.	1	पानीपत ऊंचा	सोनीपत	10.000	3544.22	3739.25	5188.97	3463.00
2.	1	पानीपत अंबाला	करनाल	110.000	10195.48	13412.93	8901.16	7585.45
3.	2	बदरपुर ऊंचा राजमार्ग	बदरपुर	4.400		1112.84	3259.61	2873.21
4.	2	बदरपुर - कोसी	किमी. 72 श्रीनगर					
5.	22	जीरकपुर - परवानू	चंडी मंदिर					2117.81
6.	8	दिल्ली - गुड़गांव	गुड़गांव	27.700	15393.63	19351.17	21252.59	17902.75
		कुल हरियाणा			29133.33	37616.18	38602.33	33942.22
			कर्नाटक					
बीओटी								
1.	7	सिल्क बोर्ड जंक्शन - होसुर	32.700 (4 साइड प्लाजा)	24.365		5846.98	7306.41	5939.87
2.	4	बंगलूरु - नीलमंगला	बंगलूरु - नीलमंगला	19.565		1021.71	3716.68	3390.98
3.	48	नीलमंगला जंक्शन - देवीहल्ली	किमी. 32.750 और किमी. 100.300	82.262				
4.	13 (नया रारा-50)	बीजापुर - हुंगुंड	नागरहल्ला जिला बागलकोट	97.220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	4	तुमकुर - नीलमंगला	चित्रदुर्गा	32.500	3845.21	4432.20	5232.43	4714.97
6.	4	तावरेकेरे - डोड्डासिद्दनहल्ली	गैलालू	57.000			5910.24	6236.67
7.	4	अंतरासनहल्ली - तावरकेरे	करजीवनहल्ली	60.000			6617.10	7069.30
8.	4	हीरेवागेवाडी - धारवाड़	हीरेवगावदी	79.360			2583.33	4861.77
9.	7	देवनहल्ली - बंगलूरु	किमी. 538.000 पर	22.120	-			194.91
		कुल कर्नाटक			3845.21	11300.89	31366.19	32408.46
			महाराष्ट्र					
एसपीवी								
1.	4 और 4बी	जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट-II		30.000	4293.80	4817.42	6074.06	
2.	4 और 4बी	जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट-II					649.29	
बीओटी								
1.	4	सतारा - कागल	टासवाडे और किनी	132.760	6711.57	7803.12	7577.45	6364.70
2.	8	मनोर - दहिसर	खानवाड़े	63.000	8630.12	9442.27	10020.44	8784.78
3.	6	नागपुर कोंधली	20.612 किमी.	39.841			1417.66	2324.70
4.	6	कोंधली - तलेगांव	49.522	2532.85	3117.90	3017.75	2453.65	
5.	6	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा - वैनगंगा पुल	वैनगंगा पुल	72.056		1817.09	4452.00	3687.37
6.	3	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा - धुले वीनसम	किमी. 203.400 (शिरपुर) किमी. 236.600 (सोनमीर)	68.300			1183.00	6578.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	3	पिंपलगांव - धुले	नासिक	99.000	2641.22	11936.83	14228.00	13506.20
8.	3	वडापे - गोंडे	घोटी (बीके), अर्जुनाली	94.770		5120.64	9853.00	10628.21
9.	7	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा - नागपुर और नागपुर बाइपास और चार लेन का पहले से ही प्रचालन और अनुरक्षण (नागपुर - हैदराबाद)	703.700 और 19.660 निकट टेकादी और डंगर गांव नागपुर जिला					
10.	3	पिंपलगांव - नासिक - गोंडे	गांव बसवंत के पास					
11.	4	सतारा - खंडाला	अनेवाड़ी	56.000		2206.54	5754.28	5710.00
12.	4	पश्चिमी डायवर्जन	खेदशिवपुरम	80.70		3774.26	8967.77	8950.00
13.	8	कजली - मनोर	चरोती	57.400	8438.05	9144.76	10020.44	8784.78
		कुल महाराष्ट्र			33247.61	59180.83	83215.14	77772.48
			मध्य प्रदेश					
बीओटी								
1.	3	गुना बाइपास	गुना	14.000	1068.84	1357.74	1447.84	1377.68
2.	3	खालघाट - मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	किमी. 141.85	82.800			7720.32	7257.50
3.	3	इंदौर - खालघाट	किमी. 82.800	77.550	3583.31	6717.29	8562.36	7929.51
4.	3	इंदौर - देवास	इंदौर बाइपास	45.050			1883.79	3158.20
		कुल मध्य प्रदेश			**4652.15**	8075.03	19614.32	19722.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ओडिशा					
एसपीवी								
1.	5ए	चांदीखोल - पारादीप	4 किमी. श्रीरामपुर	76.588	809.12	1746.89	1831.00	
बीओटी								
2.	5	भुवनेश्वर - कटक - जगतपुर	गोपालपुर/मंगुली	70.000			2087.72	
		कुल ओडिशा			809.12	1746.89	3918.72	0.00
			पंजाब					
बीओटी								
1.	1	खन्ना - जालंधर	लाडोवाल	100.000	7041.51	8234.35	8901.16	7585.45
2.	1	अंबाला - खन्ना	शंबू	66.000	3429.70	4092.68	8901.16	7585.45
3.	1	जालंधर - अमृतसर	जालंधर - अमृतसर टोलवे	49.000		2053.47	2623.38	2388.99
4.	1	अम्बाला - जीरकपुर	दपार	33.011	1871.73	2157.60	2461.61	2226.77
5.	21	कुराली - कीरतपुर	सोलखियां	42.900			1615.04	1974.41
		कुल पंजाब			12342.94	16538.10	24502.34	21761.07
			राजस्थान					
बीओटी								
1.	8	कोटपुतली - जयपुर बाइपास	मनोहरपुर	57.500	9137.35	10541.33	11498.45	10053.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	8	गुड़गांव - कोटपुतली	शाहजहांपुर	120.500	16104.39	19943.92	22258.49	19307.05
3.	8	जयपुर बाइपास चरण-I और II	दौलतपुरा	48.400	5831.32	6646.60	7618.61	6784.79
4.	8	जयपुर - किशनगढ़	किमी. 286.450 जयपुर और किमी. 360.20 किशनगढ़	90.385	17080.17	18863.36	22402.75	19546.83
5.	8	जयपुर - महुआ	किमी. 156.60 और किमी. 204.70	54.720	4114.21	5897.36	4736.49	6705.89
6.	11	आगरा - भरतपुरा	किमी. 30.300 कोरई	44.500	938.83	1337.28	1594.08	1709.93
7.	11	भरतपुरा - महुआ	किमी. 64.570 और किमी. 98.500	57.000	2371.42	3082.93	3484.96	3493.16
		कुल राजस्थान			55577.69	66312.78	73593.83	67601.00

तमिलनाडु

बीओटी

1.	7	कृष्णागिरि - थोपुरघाट	किमी. 154.440, पलयम ग्राम, धर्मपुरी जिला	69.400	6679.31	9158.75	11122.07	9865.13
2.	7	ओमालूर - नमक्कल	किमी. 191.800	49.425	1908.54	4240.46	5360.78	4919.61
3.	45	टिंडीवनम - उलूंदुरपेट	किमी. 148.900	72.900	3718.49	6341.76	7231.17	6586.13
4.	7	डिंडीगुल बाइपास - समयानेल्लौर	किमी. 398.500	53.049	1450.86	3543.18	4204.28	4086.29
5.	45	उलूंदुरपेट - पडलूर	किमी. 192.750 और किमी. 244.00	93.894	3232.55	6681.22	8026.36	6948.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	45	त्रिची - डिंडीगुल	पोन्नमबालापट्टी	88.278			557.22	2302.79
7.	66	पुदुचेरी - टिंडीवनम	मोरतंडी	38.608			341.09	908.60
8.	45	पडलूर - त्रिची	किमी. 304.510	38.427		2060.66	3065.30	2742.21
9.	67	तंजावुर - त्रिची	किमी. 120.900	48.480			2072.53	1832.23
10.	45बी	मदुरै - तूतीकोरिन	किमी. 143.583, किमी. 254.940	127.400			4060.45	4698.33
11.	47	सलेम - कुमारपलयम (टीएन-06)	किमी. 00.00 और किमी. 53.525	53.525		1991.94	3078.75	2937.93
12.	47	कुमारपलयम बाइपास - चेंगापल्ली	चेंगापल्ली	48.510	1772.71	3341.28	3691.97	3280.03
13.	7	नमक्कल - करुर	करुर	41.370	894.63	1780.12	2296.81	2113.89
14.	7	करुर बाइपास - डिंडीगुल बाइपास	करुर	77.725	961.69	2621.12	3023.92	3251.13
15.	5	चेन्नई - टाडा	टाडा	43.400	3302.12	3971.22	4904.07	4426.70
16.	7	होसुर - कृष्णागिरि	कृष्णागिरि	55.000	6549.63	7756.70		
17.	46	कृष्णागिरि - अम्बुर	अम्बुर	73.380	3583.53	3893.83		
18.	46	अम्बुर - वालाझपेट	पल्लीकोंडा	78.201	4912.98	5422.69		
19.	68 (नया रारा-79)	सेलम - उलूंडरपेट	किमी. 73.760 नाथकरई और किमी. 105.000 वीरचोलापुरम पश्चिम	64.940				
		कुल तमिलनाडु			23920.90	45731.70	78082.92	77972.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			उत्तर प्रदेश					
एसपीवी								
1.	24	मुरादाबाद बाइपास	टीपी-I और टीपी-II	18.220	1083.09	716.60		
बीओटी								
2.	2	वाराणसी - मोनिया	बाइपास वीआरएम	55.000			3526.68	5439.23
3.	58	मेरठ - मुजफ्फरनगर	किमी. 76.000 ग्राम सिवाया जिला	57.000			5945.72	6194.32
4.	2	कोसी - आगरा	किमी. 164.55 महुवन					
5.	24	मुरादाबाद बाइपास	किमी. 156 टीपी-I और 158 टीपी-II					
6.	24	लखनऊ - सीतापुर	किमी. 420 और किमी. 468	50.000				2690.00
		कुल उत्तर प्रदेश			1083.09	716.60	9472.40	14323.55
			पश्चिम बंगाल					
बीओटी								
1.	8	विवेकानंद पुल	विवेकानंद पुल	6.000	5468.64	6502.71	7512.22	6676.17
2.	6	धनकुनी - कोलाघाट (प्राप्त नहीं)	जलदुलागोरी				8027.52	
3.	6	कोलाघाट - खड़गपुर (प्राप्त नहीं)	देबरा					5007.11
		कुल पश्चिम बंगाल			5468.64	6502.71	7512.22	19710.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			केरल					
एसपीवी								
1.	47	ईडापल्ली - वाइटिल्ला - अरूर	कुंबलम	16.450			630.02	
बीओटी								
1.	47	त्रिशूर - अंगमाली - ईडापल्ली	किमी. 278.000 (पलियक्करा)	6.000			826.64	7897.80
		कुल केरल			0.00	0.00	1456.65	7897.80
			छत्तीसगढ़					
बीओटी								
1.	6	दुर्ग बाइपास	दुर्ग बाइपास	18.000	2512.30	2666.49	3301.29	3113.70
		कुल केरल			2512.30	2666.49	3301.29	3113.70
		कुल जोड़			244962.03	352510.91	505117.02	482988.57

अनुबंध-III

पथकराधान के विरुद्ध स्थानीय लोगों/निवासियों से प्राप्त शिकायतों के श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है:—

1. कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार — पुष्टि के पश्चात् संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई/ड्यूटी से हटाया गया। कर्मचारियों को अच्छे व्यवहार के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए गए।

2. सड़क की खराब स्थिति — सड़क के तुरंत अनुरक्षण के लिए कार्रवाई की गई।

3. उच्च पथकर दर — यह नीति के अनुसार है।

4. स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए अतिरिक्त छूट — जिले के भीतर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को शुल्क नियम में संशोधन करके छूट पहले ही प्रदान कर दी गई है।

5. स्थानीय लोगों को छूट — नीति के अनुसार नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

6. प्लाजा पर पथकर संग्रहण में विलंब — एजेंसियों को दक्ष स्टाफ रखने के लिए कहा गया ताकि कोई असामान्य विलंब न हो।

7. पथकर प्लाजा की अवस्थिति।

स्थानीय जनता/निवासियों द्वारा पथकर प्लाजाओं पर पंजीकृत शिकायतों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	शिकायतों (उक्त प्रकृतिक की) की संख्या
1	2	3
1.	तमिलनाडु	129
2.	गुजरात	1
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	राजस्थान	64
5.	कर्नाटक	386
6.	बिहार	14
7.	पश्चिम बंगाल	41
8.	ओडिशा	2
9.	झारखंड	17
10.	आंध्र प्रदेश	260
11.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	17
12.	पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर	0
13.	दिल्ली	33
14.	महाराष्ट्र	1
15.	केरल	16

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : अध्यक्ष महोदया, ऐसी महंगाई में एनएचएआई और ठेकेदार मिलकर जिस तरह से जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बन रहे हैं, उस पर मैंने मंत्री महोदय से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, फोर लेन से सिक्स लेन बनाने वाली सड़कों में जब ठेका होता है, तो टैक्स तब लिया जाता है जब पूरी रोड बनकर तैयार हो जाती है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपके राज्य जयपुर में हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है। इसमें कम्पनी ने ठेका मिलते ही काम शुरू होने से पहले ही टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है और लगभग 12 सौ करोड़ रुपया उस कम्पनी ने वसूल कर लिया है। मैंने अपने प्रश्न के 'घ' भाग में पूछा था कि क्या आम जनता की शिकायतें आपके पास आ रही हैं, तो उसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का अधूरा जवाब दिया है। मंत्री जी ने जानकारी दी है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या की है, यह नहीं बताया। ऐसी एजेंसियां जिनको काम मिलता है, वे काम शुरू करने से पहले ही आम जनता से पैसा वसूल

करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मंत्री जी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, इस बारे में इनका जवाब शून्य है।

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह हम सबके लिए भी चिन्ता का विषय है। वर्ष 1997 में टोल लेने के रूल्स बनाये गये। उन रूल्स में यह प्रोविजन किया गया कि जब भी हम फोर लेन से सिक्स लेन को बनायेंगे, तो जो डे एवॉर्ड करेंगे, उसी दिन से हम टोल वसूल करने लग जायेंगे। जो टोल फोर से सिक्स लेन का वसूल किया जा रहा है, वह वर्ष 1997 में टोल कलैक्शन के जो रूल्स बने हुए हैं, उनके आधार पर किया जा रहा है। जब हम फोर लाइन से सिक्स लाइन में रोड कन्वर्ट करते हैं, पहले दिन से ही ठेकेदार टोल कलैक्ट करता है। रोड़ बनाने में जो तकलीफ होती है, उससे पैसेंजर्स को तकलीफ होती है, यह बात सही है। लेकिन वर्ष 1997 के जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के आधार पर...*(व्यवधान)* आपको बात तो सुननी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)* बात सुनने के बाद ही आप बोलिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को पहले अपना जवाब पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, नैशनल हाईवे एक्ट 1956 के सैक्शन नाइन के अन्तर्गत यह प्रोविजन है कि हम टोल लगाने के प्रोविजन करेंगे। वर्ष 1997 में जो रूल्स बने, उन्हें हाउस में ले किया गया। हाउस ने उन रूल्स को पास किया। वर्ष 2008 में जो रूल्स बने, उन्हें हाउस में ले किया गया। हाउस में पास किया गया। जो टोल कलैक्शन हो रहा है, वे कानून सम्मत बनाये गए एक्ट के आधार पर हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह सही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अगर आप सभी लोग बोलेंगे, तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : जब हम टोल को फोर लाइन से सिक्स लाइन में कन्वर्ट करते समय लागू करते हैं, उसके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है, यह बात सही है। इसे एड्रैस करने के लिए हमने सबसे पहले यह निर्णय किया किसी भी कंडीशन में जो टोल बढ़ेगा, वह 25 परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हमने यह भी निर्णय किया कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, उन पर टोल 50 परसेंट दिया जायेगा। जब तक हम इस कानून को बदलने की कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह कठिनाई रहेगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय इस बात से भिज्ञ है। हम इस नियम में परिवर्तन करने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट में जायेंगे और फिर आपके पास आयेंगे कि इसमें परिवर्तन करने के लिए काम किया जा सकता है। आज के दिन, क्योंकि कांशियस डिसीजन वर्ष 1997 में जो बने हुए हैं, वे 20 साल के लिये एवॉर्ड किये गये हैं। उनके कांशियस डिसीजन के टर्म्स एंड कंडीशन्स को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपकी भावना से सहमत हूं। इस तकलीफ को दूर किया जाना चाहिए। इसे दूर करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे आम जनता को लाभ मिलने वाला नहीं है। इसके नियमों में परिवर्तन क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम तो हमने ही बनाये हैं। क्या सरेआम जनता इस तरीके से लुटती रहेगी? इस बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

मैं दूसरे विषय पर आना चाहता हूं। अभी एफडीआई की चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में नार्थ-साउथ कॉरीडोर बना रही कोरियन कम्पनी पिछले सात सालों से वहां पर कार्यरत है, लेकिन आज तक वहां काम प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो रोड़ टैक्स के नाम पर हमसे एकमुश्त पैसा जमा कराया जाता है। दूसरी तरफ टोल पर रोड़ टैक्स के नाम पर हमसे दोबारा पैसा लिया जाता है।

तीसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी ठेकेदार हैं, आये दिन ये घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण आम जनता के बीच में झगड़े, विवाद हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में टोल वसूलने वाली कम्पनियों के खिलाफ स्वतंत्र रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के बारे में क्या यह सरकार विचार करेगी और लोगों को इसमें राहत दिलायेगी?

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात बिल्कुल सही है कि हमें एक कांशियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रोड बनाने या इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदया, आप जानकर आश्चर्य करेंगी कि आज तक जब हमने पब्लिक प्राइवेट मोड में काम शुरू किया है, लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है और हमने 20 हजार किलोमीटर सड़क बनायी है। यदि हम पब्लिक-प्राइवेट मोड के अन्तर्गत सड़क निर्माण का काम नहीं करेंगे, तो हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। इसलिए हमने कांशस डिसीजन लिया है,

कांशस डिसीजन लेने के बाद यह काम किया है। यह काम कोई यूपीए की सरकार में नहीं हुआ है, वर्ष 1997 में यह एक्ट बना था, उसके अंतर्गत हमने कार्रवाई की है, वर्ष 2008 के एक्ट के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता की तकलीफ को हम समझते हैं और उसको एड्रेस करने के लिए जो भी कार्रवाई करने की जरूरत है, वह हम करेंगे और आपके सामने हम आएंगे कि उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, टोल टैक्स करने वाली एजेंसियां जनता का शोषण करने वाली एजेंसियां बन गयी हैं और इन एजेंसियों में गुण्डे टाइप के लोग रखे जाते हैं, जो जनता को डराने एवं धमकाने का काम करते हैं। सरकार ने टैक्स कलेक्ट करने के संबंध में जो कानून बनाया है, वह बिल्डरों एवं ठेकेदारों के लिए है, आम आदमी को उससे फायदा नहीं हो रहा है। इन कानूनों से आम आदमी का शोषण होता है। देश भर में टोल ठेकेदारों के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है, परन्तु सरकार टोल टैक्स कलैक्ट करने वाले कानूनों का सहारा लेकर मौन बैठी हुई है।

डॉ. सी.पी. जोशी : महोदया, यह बात सही है कि टोल कलेक्शन में जनता के साथ मिसबिहेवियर होता है, इसकी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। इसको एड्रेस करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि टोल टैक्स कलेक्शन करने वाले जो लोग मिसबिहेवियर करेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कानूनन कार्रवाई करने के संबंध में अगर उनके टोल को टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो उसे टर्मिनेट भी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन : यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद हमारे देश की अवसंरचना को सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें बड़े पैमाने पर विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार बनाई गईं। इसके परिणामस्वरुप उपयोगकर्त्ताओं के यात्रा समय में काफी कमी आई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और वाहनों के रखरखाव की लागत भी कम हुई है। सड़क की यात्रा अब सुरक्षित और सुखद हो गई है। साथ ही संबंधित अधिकरणों द्वारा एकत्रित किए गए टोल शुल्क के संबंध में जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय को उठाया गया है, मैं 5.12.2008 को जारी अधिसूचना का और सचिवों की समिति की 20.04.2009 की रिपोर्ट का भी संदर्भ लेना चाहूंगा। यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमा से 10 किमी. की दूरी के बाद एक टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि एक अन्य टोल प्लाजा....

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री एन.एस.वी. चित्तन : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर उसी दिशा में 60 किमी. की दूरी के भीतर अन्य टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया कुछ स्थानों पर इन दो मानकों का उल्लंघन किया गया है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के मदुरई जिले में मेरे गृह नगर तिरुमंगलम में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर नगरपालिका सीमा के 1.5 किमी. के भीतर ही एक टोल प्लाजा स्थापित किया जा रहा है और 60 किमी. से कम दूरी पर एक अन्य टोल प्लाजा है। इसी खंड पर नियमों और मानकों के विरुद्ध प्लाजा पर ऑपरेटर स्थानीय उपयोगकर्त्ताओं से पैसा वसूल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। हमारे देश के अन्य भागों में भी ऐसे मामले हो सकते हैं।

महोदया क्या आपके माध्यम से मैं अपने प्रिय और माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि इस मामले से हस्तक्षेप करते हुए इस टोल प्लाजा की जांच करे ताकि इसे हटा कर तिरुमंगलम से 10 किमी. दूरी पर स्थापित किया जा सके। साथ ही जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया देश भर में उपयोगकर्त्ताओं से लिया जाने वाला टोल शुल्क भी बहुत अधिक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय टोल शुल्क को कम करने के लिए और विवादग्रस्त खंडों पर स्थापित टोल प्लाजाओं को स्थानांतरित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।

डॉ. सी.पी. जोशी : महोदया, मैं इस बात से सहमत हूं कि 1970 के नियमों तथा 2002 के नियमों में विसंगतियां है और इन विसंगतियों के कारण विभिन्न स्थानों पर ऐसे टोल प्लाजा स्थित हैं और लोग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समस्याएं झेल रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह मुद्दा मेरे समक्ष उठाया है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा और जो भी संभव होगा हम करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी : हमें राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने की गति को बढ़ाना होगा। यह सही है कि सरकारों के पास सीमित संसाधन हैं। इसलिए मंत्री जी ने जिस पीपीपी मॉडल की बात कही है, वह काफी हद तक सही है। अगर हम सोचें कि जो लोग बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, वे टोल दे सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय निवासी हैं, हमारे देश में किसान अपनी ट्रॉली लेकर जाते हैं, अगर हम सोचें कि वे हर दिन इस शुल्क को दे पायेंगे, तो उसके पास देने के लिए साधन नहीं हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्षेत्रीय निवासियों को हम क्या छूट दे सकते हैं, क्या बिना सर्विस लेन विकसित किये, क्योंकि कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा लोगों के पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वे मजबूर हो जाते हैं? इसके अलावा हम जो करार या समझौता करते हैं प्राइवेट पार्टी से, तो क्या उसमें यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि बिना सर्विस लेन बनाए वे राष्ट्रीय राजमार्ग का ठेका ना लें?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले कहा कि 1997 के कानून के अंतर्गत जो कंसेशनेयर्स हुए, वे 2008 के अंदर जो कंसेशननेयर हुए हैं, उनके अंदर नियम में अंतर है इस कारण यह प्राब्लम आ रही है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2011 में हमने फैसला किया है कि जिले में जो वाहन रजिस्टर्ड हैं, उनसे मात्र केवल 50 प्रतिशत टोल लिया जाएगा। लेकिन जो 1997 के पहले कंसेश्नेयर बन गए...*(व्यवधान)* आप पहले सुन लें। ट्रैक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा कहता है तो वह सही नहीं है। इस कानून के अंतर्गत ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी टोल का पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपके नोटिस में ऐसा है, तो मेरे ध्यान में लाएं, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यहं भी कहना चाहता हूं कि 2008 के बाद के जो कंसेशनेयर्स हैं और 1997 के जो कंसेशनेयर्स हैं, उनके बीच में जो डिस्क्रिपेंसी के कारण जो पब्लिक फंडेड के प्रोजेक्ट 1997 में बन गए हैं, उनके कंसेशनेयर्स के कारण यह प्राब्लम क्रिएट हो रही है, जिसे माननीय सदस्य ने बताया है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि 1997 के कंसेशनेयर्स को दोबारा नेगोशिएट करें और 2000 के रूल के अंतर्गत लाएं, जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके। इस बारे में हमने इनीशिएट लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

श्री वैजयंत पांडा : महोदया, माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखे गए अपने विस्तृत उत्तर में, प्राप्त शिकायतों का कुछ ब्यौरा दिया है। मद संख्या 12 में कहा गया है कि हरियाणा से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं जबकि पूरा देश जानता है कि कुछ सप्ताह पूर्व, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा को जोड़ने वाले टोल बूथ पर भारी ट्रैफिक जाम था जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ था वास्तव में इसने कुछ समयावधि के लिए टोल वसूलना बंद कर दिया। यह एक अन्य उदाहरण है जिसमें प्रशासन और स्वयं यह सम्मानित सभा अपना दायित्व छोड़ रहे हैं जिसके कारण अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।

माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न यह है कि बढ़े हुए यातायात के अतिरिक्त एक समस्या यातायात की सुचारू व्यवस्था की कुशलता न होना है क्योंकि यह सब व्यवस्था मैन्युली की जाती है, जबकि विश्व में अन्य हर स्थान पर, अब उनके पास प्रौद्योगिकी है और आने जाने वाले उन वाहनों का स्वचालित पठन होता है जिन्होंने अपने मासिक शुल्क चुका दिए हैं। क्या माननीय मंत्रीजी के पास इन टोल बूथों पर ट्रैफिक की शीघ्रतर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी लागू करने का प्रस्ताव है?

डॉ. सी.पी. जोशी : महोदया, मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं कि हमने पहले ही नन्दन नीलेकनी समिति द्वारा संस्तुत आरएफआईडी प्रौद्योगिकी को लागू कर दिया है। हमने इस अवधारणा को लागू करना आरंभ कर दिया है और दो वर्षों के भीतर, पूरे देश में प्रत्येक वाहन के साथ आरएफआईडी होगा अत: हम दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा पर जिस समस्या को आज झेल रहे हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी।

[हिन्दी]

श्री आनंद प्रकाश परांजपे : मैं जिस संसदीय क्षेत्र कल्याण से आता हूं, वह जिला ठाणे, महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई ऐसा जिला होगा जिसमें 18 टोल, चाहे एनएचएआई के हों या राज्य सरकार के हों, पड़ते हैं। हमारे यहां से तीन नेशनल हाइवेज़ एनएच तीन, आठ और चार। मेरे संसदीय क्षेत्र में टोल की बहुत बड़ी समस्या है। यहां संजीव नाईक जी बैठे हैं, वह भी जानते हैं। एनएच-तीन का जो मसला है, एनएचएआई के स्टेंडर्ड के हिसाब से रोजाना दो लाख वाहन वहां से गुजरते हैं। माननीय मंत्री जी को हमने कई बार इस बारे में निवेदन किया है कि वहां पर आठ लेन की आवश्यकता है, अभी इन्होंने छ: लेन का कार्यक्रम हाथ में लिया

है, वड़पे से लेकर गोंडपे तक, लेकिन ठाणे से जहां से यह एनएच तीन शुरू होता है, इसके एक ओर भिवंडी संसदीय क्षेत्र पड़ता है और दूसरी तरफ कल्याण संसदीय क्षेत्र पड़ता है। आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। कभी-कभी मुझे महसूस होता है कि इनकी सारी नीतियां लोगों के लिए हैं या ठेकेदारों के लिए हैं, क्योंकि दो लाख से ऊपर वाहन रोजाना एनएच तीन से गुजरते हैं इसलिए वहां आठ लेन की आवश्यकता है। बीच में रांजोली और मांकोली दो जंक्शन्स हैं, जहां पर महाराष्ट्र सरकार एमएमआरडीए के माध्यम से 180 करोड़ रुपये से दो फ्लाई ओवर बनाना चाहती थी, पूरा खर्चा महाराष्ट्र सरकार करना चाहती थी लेकिन उसके लिए एनओसी भी एनएचएआई ने नहीं दी। अनेक बार मंत्रालय को निवेदन किया और माननीय मंत्री जी को निवेदन के साथ मानसून सत्र में हम मिले भी थे। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी पॉलिसी क्या है? क्या इनकी पॉलिसी लोगों के लिए है या ठेकेदारों के लिए है?

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य एक तरफ तो कह रहे हैं कि पीएसयूज बढ़ गये हैं इसलिए 4 लाइन्स से 6 लाइन्स और 6 लाइन्स से 8 लाइन्स की जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम कन्सेशनर्स को मदद करने के लिए करना चाहते हैं। हम कन्सेशनर्स को मदद करने के लिए नहीं करना चाहते हैं। कानून बने हुए हैं उसके अंदर टोल कलैक्शन होता है। यदि आपने जो पीएसयूज बनाए हैं उनके अंदर ज्यादा है तो निश्चित तौर पर उसे 6 लाइन्स बनाने के लिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. सी.पी. जोशी : हम पट्टाधारक को राज्य सरकार को इसे उपयोग करने के लिए नहीं देंगे। इसे एनएचएआई का ही विशेषाधिकार रहने दें। यह विशेषाधिकार एनएचएआई द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और फिर हम राज्य सरकारों को देंगे आप इसकी प्रशंसा करेंगे।

भारतीय मछुआरों की सुरक्षा

***223. श्री ए. सम्पत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनन्य आर्थिक जोन सहित भारतीय समुद्र में हमारे मछुआरे विदेशी पोतों के आसान लक्ष्य बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गोलीबारी, मुठभेड़ आदि की घटनाओं सहित तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए तथा मछुआरों की कितनी मौद्रिक हानि हुई; और

(घ) भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) 15 फरवरी, 2012 को "सैंट एंथनी" नामक मत्स्ययन नौका पर एमटी एनरिका लैक्सी नामक व्यापारिक जहाज द्वारा गोलीबारी की एक घटना की सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त एमवी प्रभु दया के साथ टकराने के पश्चात् 01 मार्च, 2012 को डोन-1 नामक मत्स्ययन नौका कोच्चि के अपतटीय समुद्र में डूब गई थी। एमटी एनिरका लैक्सी द्वारा गोलाबारी की घटना में दो मछुआरे मारे गए थे जबकि एमवी प्रभु दया के साथ मत्स्ययन नौका के टकराने से 05 मछुआरे मारे गए थे। मछुआरों को हुई आर्थिक हानि की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। भारतीय तटरक्षक के ड्यूटी चार्टर में हमारे मछुआरों के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में शामिल किया गया है। सोमालियाई समुद्री दस्युओं द्वारा हमले से बचने के लिए कुछ विदेशी जहाज भारतीय पश्चिमी समुद्र तट के क़ाफी समीप के पारगमन कर रहे हैं जिसके कारण उनके द्वारा भारतीय मछुआरों द्वारा उपयोग किए जा रहे मत्स्ययन क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तटरक्षक द्वारा नियमित गश्त और हवाई निगरानी संचालित की जाती है। इस क्षेत्र में सामुद्रिक दस्युता संबंधी मामलों से निपटाने के लिए कार्यरत विभिन्न सूचना आदान-प्रदान केन्द्रों को भारतीय तट के अपतटीय समुद्र में मत्स्ययन गतिविधियों के बारे में अवगत करवा दिया गया है और लघु मत्स्ययन नौकाओं के बारे में चौकन्ना रहने के लिए क्षेत्र में पारगमन करने वाले व्यापारिक जहाजों हेतु सलाह जारी करने का अनुरोध किया गया है। कुआलालम्पुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती ब्यूरो (आईएमबी) समुद्री दस्युता रिपोर्टिंग केन्द्र तथा ब्रिटेन समुद्रवर्ती व्यापार संगठन (यूकेएमटीओ) ने लघु मत्स्ययन नौकाओं के बारे में चौकन्ना रहने हेतु क्षेत्र में पारगमन करने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए ऐसी सलाह पहले ही जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त एशिया में जहाजों के विरुद्ध सामुद्रिक दस्युता और सशस्त्र डकैती के मुकाबले के लिए क्षेत्रीय सहयोग करार के अंतर्गत सिंगापुर में स्थापित सूचना आदान-प्रदान केन्द्र ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर मत्स्ययन गतिविधियों के बारे में एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस क्षेत्र में मत्स्ययन

गतिविधियों के बारे में पारगमन करने वाले व्यापारिक जहाजों के ट्रैफिक को सुग्राही बनाने के लिए भारत के मुख जल सर्वेक्षक द्वारा भी 'नवएरिया' नामक एक नौ-संचालन चेतावनी जारी की गई है। नौ परिवहन महानिदेशक ने भी भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर मत्स्ययन गतिविधियों के बारे में नौ परिवहन समुदाय को अवगत करवाने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में मत्स्य समुदाय को अवगत करवाने के लिए भारतीय तटरक्षक उनके साथ नियमित सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

श्री ए. सम्पत : महोदया, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की तट रेखा विश्व की सबसे लम्बी और जटिल तट रेखाओं में से एक है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्यपालन पर निर्भर है।

महोदया, इस मामले में मैं अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा और इस संबंध में आपसे सुरक्षा भी चाहूंगा। अब भी, सोमालियाई जलदस्युओं के कब्जे में छः महीने के बाद भी — कुछ भारतीय जहाजों में काम कर रहे भारतीय नागारिक बंधन बना कर रखे गये हैं। साथ ही, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर के पृष्ठ संख्या 2 में कहा है कि आपकी अनुमति से मैं इसे यहां उद्धृत करना चाहूंगा:—

> "कुछ विदेशी जहाज भारतीय पश्चिमी तट के बहुत निकट से पारगमन कर रहे हैं ताकि सोमालियाई जल दस्युओं से हमले से बच सकें जिससे वे भारतीय मछुआरों द्वारा उपयोग किए जा रहे मत्स्य क्षेत्र में अतिक्रमण में अतिक्रमण कर रहे हैं।"

मेरा प्रश्न यह है कि जबकि हमारे ही भाई बन्धु सोमालियाई जल दस्युओं द्वारा बंधक बनाकर रखे गए हैं हमारी सरकार अभी भी इस मामले में क्यों सो रही है और इन सभी विदेशी जहाजों को भारत के पश्चिमी तट से गुजरने की अनुमति क्यों दे रही है? इसके कारण हमारे लाखों गरीब मछुआरों का जीवन संकट में है। तमिलनाडु और केरल के समुद्रतट विदेशी जहाजों के अतिक्रमण के कारण अत्यंत सुभेद्य और असुरक्षित हो गए हैं। इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री जितेन्द्र सिंह : महोदया, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि भारत की तटरेखा 6516 किमी. है, नौ तटीय राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में विशिष्ट आर्थिक जोन 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लगभग 35 लाख (3.5 मिलियन) मछुआरे, 3222 मछुआरों के ग्राम और 2 लाख से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं, मोटराइज्ड तथा मैकेनाइज्ड दोनों ही प्रकार की है। सरकार अत्यंत चिंतित है।

माननीय सदस्य ने भारतीय मत्स्य क्षेत्र में विदेशी जहाजों के आने से संबंधित जो मुद्दा उठाया है वह अति जोखिम क्षेत्र से संबंधित है 178° पूर्वी देशान्तर का पश्चिमी क्षेत्र अति जोखिम क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत ने मामले को आइएमओ में समुद्री सुरक्षा समिति के समक्ष उठाया है कि अति जोखिम क्षेत्र को 65° पूर्वी देशान्तर के पश्चिम तक स्थानांतरित कर दिया जाए। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक पहल की गई है — सोमालिया तट की समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह जिसकी बैठक प्रत्येक 4 माह में होती है। भारत इस मामले को सक्रियता पूर्वक संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अभिकरण में उठा रहा है।

श्री ए. सम्पत : अध्यक्ष महोदया माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुआलालाम्पुर स्थित इंटरनेशनल मेरीटाइम ब्यूरो पाइरेसी रिपोर्टिंग सेन्टर और यूके मेरी टाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आदि तथा सिंगापुर में स्थापित आईएससी के संबंध में विवरण दिया है अपने उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 3.2 मिलियन लोग मत्स्य उद्योग पर निर्भर है। उनमें से अधिकांश गरीब तथा अशिक्षित हैं। वे इन सब बातों के संबंध में नहीं जानते।

मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न में मैंने एक मुद्दे की ओर इंगित किया है। आजकल हमारे मछुआरों पर श्री लंका की नौसेना द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं। उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। जो लोग तमिलनाडु तथा मेरे राज्य केरल से मछली पकड़ने जा रहे हैं उन पर भी श्री लंकाई नौसेना द्वारा हमले हो रहे हैं। ऐसा पाकिस्तानी नौसेना की ओर से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के मत्स्य उद्योग के गांवों के होने तथा लाखों मछली पकड़ने की बोट होने आदि पर हमें गर्व है। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो मछुआरे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, वे सुरक्षित वापिस आ पायें, उन्हें कोई गोली न मारे और उन पर कोई हमला न करे आदि के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कठोर कदम उठाए गए हैं? अकेले पोत ही मछली पकड़ने की छोटी बोटों पर हमला नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उत्तर में इटैलियन्स के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि हमारे भारतीय लोग इटैलियन्स पोतों से दागी गई गोलियों से मारे गए। यहां स्वयं माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि एमटी-एनरिका लैक्सी द्वारा गोलीबारी की घटना में दो मछुआरे माए गए जबकि 5 मछुआरे एमवी

प्रभुदाया के साथ मछली पकड़ने की नौका की टक्कर से मारे गए। फिर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मछुआरों को हुए आर्थिक घाटे की जांच राज्य सरकार कर रही है। अब भी हमारे पास मछुआरों को हुए आर्थिक घाटे के सही आंकड़े नहीं हैं। हम अपने नागरिकों के लिए ऐसे कौन से सुरक्षा उपाय अपनाएं ताकि वे समुद्र में जाकर बिना गोली खाए वापस सुरक्षित अपने घर लौट कर आ सकें? वह इसलिए कि हमारे लोग विशेषकर तमिलनाडु और केरल राज्य के मछुआरे असुरक्षित हो गए हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. पी. वेणुगोपाल : यह मामला बेहद गंभीर है और मैं इन माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : महोदया, हम इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप मुझे इसकी सूचना दे दीजिए।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : हम इस संबंध में पहले ही सूचना दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदया : मैं उस पर विचार करूंगी।

श्री जितेन्द्र सिंह : महोदया, मैं माननीय सदस्यों और पूरे सदन की चिंता में उनके साथ हूं।

भारतीय तट रक्षकों ने मछुआरों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। मैं आपको उनके द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। मछुआरों को निम्नलिखित सलाहें/अनुदेश दिए गए हैं जो निम्नवत् हैं:–

(क) समुद्र में मछली पकड़ने जाने के लिए नाव पंजीकरण प्रमाण-पत्र और अनुमति पत्र को साथ ले जाएं।

(ख) सभी नाव कर्मियों को पहचान-पत्र साथ लेकर जाना चाहिए।

(ग) सभी नावों पर जीवन रक्षक उपकरण साथ ले जाएं।

(घ) नावों पर वीएचएफ संचार सेट और जीपीएस उपकरण होना चाहिए।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार न किया जाए।

(च) समूह में मछली पकड़ने का लाभ उठाएं।

(छ) संकट में एक-दूसरे की मदद करें।

(ज) किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत दें।

2009 से, अब तक 1696 सामुदायिक वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन सब के साथ-साथ, एक आरंभिक परियोजना जिसमें सभी मछली पकड़ने की नावों में ट्रांस्पोंडर्स लगाए जाएंगे, प्रगति पर है। फिर, भारतीय तट रक्षकों ने इस मुद्दे को विविध अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सामने उठाया है। मैं आपको उनके द्वारा की गई कुछ पहलों के बारे में बता सकता हूं।

कुआलालम्पुर स्थित द इंटरनेशनल मेरिटाइम ब्यूरो (आईएमबी), पाइरेसी रिपोर्टिंग सेंटर ने एक एडवाइजरी जारी की है। द यूके मेरिटाइम ट्रेड ऑर्गनिआईज़ेशन ने भी मछली संबंधी गतिविधियों वाले उस क्षेत्र में जा रहे नाविकों के लिए आवश्यक एडवाइज़री जारी की है। इसके अलावा उस क्षेत्र में चल रहे जहाजों को भी बताया गया कि जिन क्षेत्रों में मछुआरे हैं और कृपया उन क्षेत्रों से दूर रहें। सिंगापुर में स्थापित द इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर भी ऐसी गतिविधियों के लिए काम कर रहा है। एक नेविगेशनल वॉर्निंग सिस्टम है जिसके बारे में अपने उत्तर में मैंने विस्तार से बताया है और मैं नहीं समझता यहां उसे पढ़कर सदन का समय व्यय करना उचित है।

इसके अतिरिक्त, केरल और अन्य राज्यों के प्रिंट मीडिया ने भी मछुआरों को इन सलाहों (एडवाइज़रिस) के बारे में सूचित किया है। महानिदेशक (पोत परिवहन) ने भी भारत के दक्षिणी-पश्चिमी भाग पर मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों के बारे में पोत परिवहन समुदाय को अवगत कराने हेतु एक सूचना जारी की है। तत्पश्चात्, भारतीय तट रक्षकों ने आकाश और समुद्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न पूछने से पहले मैं अपनी एक शिकायत आपके समक्ष दर्ज कराना चाहती हूं। यह जो उत्तर सदन के पटल पर रखे जाते हैं, उनमें इस प्रश्न का उत्तर आज हमारे सैट में नहीं है। मैंने डिप्टी स्पीकर साहब और आडवाणी जी का सैट भी देखा था कि हो सकता है कि मेरे सैट में छूट गया हो लेकिन तीनों में से किसी में भी नहीं था। स्वाभाविक है कि उन्होंने उत्तर लेट भेजा होगा, समय पर नहीं भेजा होगा। आपके सचिवालय के संबंधित लोग यहां नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मंत्री जी को निर्देशित करें कि उनका मंत्रालय समय पर दोबारा जवाब भेजा करें ताकि हम लोगों को मिल जाएं क्योंकि उससे पूरक प्रश्न पूछने में आसानी होती है।

अध्यक्ष महोदया, मछुआरों की सुरक्षा का मसला हमारे देश के लिए बहुत अहम बना हुआ है। अभी भी आपने सदन में भावनाएं

देखी होंगी। लगभग हर सत्र में इस मामले को हम उठाते हैं और सदन के बाहर भी उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिस समय श्रीलंकन नेवी द्वारा दो भारतीय मछुआरों को मार दिया गया था तो मैंने यह मामला विदेश मंत्री के साथ उठाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है लेकिन उन्होंने स्वीकर किया कि उसकी बैठक कभी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अब हम आज से नियमित रूप से इसकी बैठक करेंगे और इस मामले को हल करेंगे तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही पांच मछुआरे फिर मार दिये गये। फिर जब मैंने यह मसला उठाया तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों के मछुआरे परस्पर संबंधित हैं। हमें यह लगता है कि दोनों जगह के प्रतिनिधियों को बैठाकर हम एक बैठक करवाएं तो मामले का हल निकल सकेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या तब से ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है? क्या इन दोनों जगह के प्रतिनिधियों की बैठक हो गई है और अगर हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला?

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र सिंह : महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा; एक इंडो-श्रीलंका संयुक्त कार्य दल, इस संबंध में बनाया गया और इसकी पहली बैठक निदेशक, मात्स्यिकी और पर्यावरण के साथ नई दिल्ली में अप्रैल, 2005 में हुई थी। इसकी दूसरी बैठक जनवरी, 2006 में कोलंबो में हुई थी और तीसरी बैठक फरवरी, 2011 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसकी चौथी बैठक इसी वर्ष निदेशक, मात्स्यिकी और पर्यावरण के साथ हुई थी। उन्होंने बैठक की और भारतीय सरकार और श्री लंका की सरकार के बीच के मुद्दों पर चर्चा की।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि दोनों तरफ के मछुआरों के प्रतिनिधियों की जो बैठक होनी थी, उसके बाद तो फिर पांच मछुआरे मारे गये थे और मुझे यह कहा गया कि दोनों तरफ के प्रतिनिधयों के साथ बैठेंगे और उसमें इस मसले को हल करेंगे क्योंकि अब वहां के मछुआरे भी आकर वहां फिशिंग करना चाहते हैं। जिस समय एलटीटीई का मामला चल रहा था तो वे फिशिंग के लिए नहीं आते थे। हमारे वाले ही जाकर फिशिंग करते थे लेकिन अब वे भी यहां आना चाहते हैं। मुझे यह कहा गया कि दोनों जगह के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग कराएंगे और उसमें इस मसले को हल कर लेंगे क्योंकि यह मसला अभी हल नहीं हुआ है। अभी भी हमारे लोगों को कभी गोली मार दी जाती है, कभी अरैस्ट कर लिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान के लोग बंद हैं और बीसियों की संख्या में यहां लोग मारे जाते हैं या अरेस्ट किये जाते हैं। इसीलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि दोनों तरफ के मछुआरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जो मसला हल होना था, क्या वह बैठक हो गई?

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संबंध में एक प्रचालनात्मक समस्या है। श्री लंकाई और भारतीय समुद्री सीमाएं बहुत नज़दीक हैं। जिन अलग-अलग ज़ोनों में सीमाएं विभाजित की गई हैं, एक-दूसरे के बेहद नज़दीक हैं। तो, कभी-कभी श्रीलंका और भारत की सीमाएं पार हो जाती हैं।

मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम एक बैठक करने जा रहे हैं और मैं यह बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित करूंगा और इस संबंध में हम सुधारात्मक कदम उठाएंगे। निःस्संदेह, दोनों मामले द्विपक्षीय है। इस संबंध में, विदेश मंत्रालय कुछ कदम उठा चुका है। यह मामला मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन, रक्षा मंत्रालय और भारतीय तट रक्षक को जो भी करना आवश्यक लगता हो, हम वो करेंगे।

श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

मछुआरों से संबंधित मुद्दा अत्यंत संवेदनशील और तमिलनाडु में ज्वलंत मुद्दा है। यह कोई पहली या दूसरी बार नहीं है कि जब ऐसी घटना हुई हो। 1983 से अब तक, लगभग 400 मछुआरे मारे जा चुके हैं; 193 नावें क्षतिग्रस्त हुई हैं 800 मछुआरे घायल हो चुके हैं; और 124 मछुआरे लापता हो चुके हैं।

ऐसी घटनाएं हमारे तटीय इलाकों में लगातार हो रही है। हमें इस मामले का ठोस समाधान निकालने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु के रामेश्वरम और नागपट्टीनम के मछुआरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं समझता हूं कि मैं इस सवाल का पहले ही जवाब दे चुका हूं। मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को पुनः दोहरा सकता हूं। एक संयुक्त कार्यदल, श्रीलंका के साथ और पाकिस्तान के साथ भी तथा हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ गठित हो चुका है। अतः सरकार द्वारा द्विपक्षीय पहलें की जा चुकी हैं। इसके साथ-साथ, यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि मछली पकड़ने वाली नावें अक्सर

सीमाएं लांघ जाती हैं। वे अक्सर वाणिज्यिक पोतों के मार्गों में पहुंच **जाती हैं। इसलिए,** मैं समझता हूं, इस तथ्य को मानते हुए इसका समाधान **करना आवश्यक** है कि मछुआरों को सटीक जानकारी दी जाए कि **वे सीमाएं** पार न करें।

श्री पी.सी. चाको : उत्तर देते समय, संबंधित मंत्री ने सोमाली लुटेरों द्वारा लुटे गए जहाजों के बारे में उल्लेख किया। यह मुद्दा कई अवसरों पर पहले भी उठाया जा चुका है। मंत्री जी ने बताया कि 27 भारतीय मछुआरे पकड़े गए हैं। आज, सभी मुख्य समाचारपत्रों में यह खबर दी गई कि लुटेरों ने अंतिम चेतावनी दे दी है कि वे उन्हें शीघ्र ही गोली मार देंगे। सिर्फ हमारे मछुआरे ही उनके पास बंधक हैं उनके परिवार वाले इस बात से बहुत दु:खी हैं। वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में एक व्यवस्था है और वे चौमासी बैठकें आयोजित कर रहे हैं और एक अपील भी की गई है। भारत सरकार के अधीन क्राइसिस मैनेजमैंट ग्रुप जो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर बना है, को तुरंत हरकत में आकर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा, भारतीय नागरिकों की जिंदगी बंदूक की नोक पर टिकी होगी। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है।

मैं पिछले छ: महीनों से मंत्रिमंडल, सचिव, रक्षा सचिव, पोत परिवहन निदेशालय आदि के दरवाजे खटखटा रहा हूं। नागरिकों के माता-पिता सरकार के इस रवैये से क्रोधित हैं। अन्य देशों में, जिनके जहाजों को बंधक बना लिया जाता है, सीधे तौर पर कुछ संपर्कों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और अपने जहाजों और नागरिकों को छुड़ा रहे हैं। केवल हमारे देश के लोगों के साथ संकट की घड़ी में यतीमों की तरह छोड़ दिया जाता है।

अत: मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन करने की सोच रही है जिससे कि उन भारतीय नागरिकों को छुड़ाया जा सके जो सोमाली डाकुओं के बंदी हैं... *(व्यवधान)*

श्री जितेन्द्र सिंह : यह मामला विदेश मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय से संबद्ध है। मेरा मानना है कि पोत परिवहन मंत्रालय में ऐसे अधिकारियों का समूह है जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

दैनिक/ठेका मजदूर

***224. श्री पूर्णमासी राम:**
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दैनिक मजदूरों और ठेका मजदूरों के लिए काम के कोई घंटे निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में ठेके के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों को संबंधित राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित मजदूरी का ठेकेदार भुगतान करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दैनिक/ठेका कामगारों को सुनियोजित ढंग से नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 51 के अनुसार एक कामगार के लिए एक सप्ताह में अधिकतम सीमा 48 घंटे है। इसी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार किसी कामगार के लिए दैनिक घंटे 48 घंटों की साप्ताहिक सीमा के अध्यधीन किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। जहां तक कार्य के घंटों का संबंध है यह अधिनियम नियमित और ठेका/दैनिक मजदूर के बीच कोई भेद नहीं करता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय स्तर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, ठेका मजदूर को सीधे ही अथवा ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित करने वाले औसत प्रतिष्ठान को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

केन्द्रीय क्षेत्र में, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मामले में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायतें की जा सकती हैं और ऐसी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है तथा कार्यवाही की जाती है।

(ङ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा अन्य श्रम कानूनों सहित विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत ठेका मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा

निगम द्वारा मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा संबंधी तथ्यों को क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जाता है बशर्ते कि जिन प्रतिष्ठानों में बाहरी मजदूर कार्य कर रहे हैं वे उक्त अधिनियमों के दायरे में आते हों।

श्री पूर्णमासी राम : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज देश में ठेका एवं दैनिक मजदूरों की हालत बहुत खराब है और यह हमारे श्रम कानूनों का सही ढंग से पालन न होने के कारण है। मजदूरों की हालत अत्यंत खराब होती जा रही है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रमायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में ठेके एवं दैनिक मजदूरों को एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत न्याय मिल पाता है, क्या सरकार ने इसके लिए कोई ठोस नियम बना रखा है?

दैनिक एवं ठेका मजदूरों को भविष्य निधि के भुगतान में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों की भविष्य निधि का पैसा चीनी उद्योग एवं नियोजकों द्वारा उनके खाते में वर्षों तक जमा नहीं किया जाता है तथा भविष्य निधि के आयुक्तों द्वारा प्रबंधकों एवं नियोजकों के खिलाफ कोर्ठ ठोस कार्रवाई भी नहीं की जाती है, जिसके चलते श्रमिकों को समय पर भविष्य निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। क्या सरकार ने इस तरह की विसंगतियों को दूर करने का कोई ठोस कदम उठाया है या उठाना चाहती है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वास्तव में यह एक समस्या है, इसे मैं मानता हूं। लेकिन इसे सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक तरफ जो कांट्रैक्ट लेबर्स के काम की स्थिति है, वह ठीक हो और उन्हें जो मजदूरी सेम वर्क, सेम वेजिज मिलनी चाहिए, हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सैंट्रल स्फियर्स का सवाल है, हमने इनफोर्समैन्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ कदम उठाये हैं। जहां तक स्टेट्स का सवाल है, हमने बहुत सी स्टेट्स को लिखा है और खासकर जब लेबर मिनिस्ट्री की कान्फ्रेंस होती है, उसमें भी हमने इसके बारे में कहा है। इसमें बहुत सी स्टेट्स इंटरैस्ट नहीं लेती हैं, यह बड़े दुःख की बात है, फिर भी हम बार-बार लेबर कान्फ्रेंस, सैक्रेटरीज़ मीटिंग और मिनिस्टर्स मीटिंग में इन्फोर्स करने के लिए कहते हैं। इसलिए आज यह जो गंभीर समस्या है, इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि इस पर एक अमैंडमेंट लाकर हम कुछ करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि जब कांट्रैक्ट लेबर वॉयलेशन होता है तो इसके लिए आपके मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? मैं 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि वर्ष 2009-10 में 5181 केसिज़ फाइल हुए, 2010-11 में 7129 और 2011-12 में 7832 इंस्पेक्शन किये गये। ये नम्बर ऑफ इंस्पेक्शन किये गये हैं और इनमें जो केसिज़ फाइल किये गये हैं, मैंने आपके सामने उनके आंकड़े बताये हैं। लेकिन 2009-10 में 2318 कंविक्शन हुए, 2010-11 में 1528 हुए और 2011-12 में 3634 कंविक्शंस हुए हैं। यानी जिस जगह वायलेशन होता है, वहां सरकार इंटरफियर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन स्टेट्स को भी ज्यादा मजबूती के साथ काम करना है और हम हमेशा उनके साथ सम्पर्क में रहते हैं। हम यह कोशिश करते रहे हैं कि उन्हें वेज भी ठीक मिले और जहां वायोलेशन होता है, उस जगह पर भी हम कुछ कदम उठा सकें। मैं मानता हूं कि कुछ खामियां हैं, इसीलिए इसमें अमैंडमेंट लाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर स्टेक होल्डर्स, लेबर ट्रेड यूनियंस, सरकार, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स और जो इम्पलायर्स हैं, अगर सभी ने मिलकर कोऑपरेट किया तो इसमें कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा।

श्री पूर्णमासी राम : अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योगों में दैनिक मजदूर और ठेका मजदूर ज्यादा काम करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या दैनिक और ठेका मजदूरों की पहचान करने के लिए कभी छापा डाला गया है? उसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन उद्योगों में, चाहे चीनी उद्योग हो या अन्य उद्योग हो, चाहे बड़े ठेकेदारों का धंधा हो, वहां पर कब तक छापा मरवा कर जगह-जगह पर इनकी तलाश कर के मज़दूरों को भविष्य निधि की राशि दिलाने का काम करेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदय, जैसा मैंने अभी बताया है कि हमारे विभाग की ओर से इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। कंडक्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ इरैग्युलेरिटीज़ हैं तो नोटिस भी दिया जाता है। नोटिस देने के बाद अगर उनका रिप्लाई संतोषजनक नहीं होता है, तो फिर केस फाइल किया जाता है। उसी में जो कंविक्शन के नंबर मैंने दिए हैं, कंविक्शन के बाद बहुत से एम्पलॉयर के खिलाफ कदम उठाया गया है। खास कर के प्रोविडेंट फण्ड और ईएसआईसी के बारे में भी पूछा है। उसके लिए भी जगह-जगह पर, जब कोई नोटिस या कंप्लेंट आती है, तो प्रोविडेंट फण्ड और ईएसआईसी वाले भी इसके ऊपर कदम उठाते हैं।

अध्यक्ष महोदया : कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद — अनुपस्थित।

श्रीमती अन्नू टण्डन : मैडम, जैसे कई इंडस्ट्रीज में हैं वैसे ही मेरे लोक सभा क्षेत्र में लेदर इंडस्ट्री में भी कई लाख लोग काम

करते हैं। परंतु ये अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में ठेकेदारों द्वारा कान्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं। जब प्रोजेक्ट आया या ऑर्डर आया तो उनको काम मिल गया। उसका नतीजा यह होता है कि उनकी कोई स्थायी आमदनी नहीं होती है। न ही उनको कोई पीएफ या ईएसआईसी जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं। केवल चंद लोगों को नौकरी पर रख कर खाना-पूर्ति हो जाती है। बाकी सब लोग कान्ट्रैक्ट पर होते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस तरह के अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में लेबर को जो रोजगार मिलता है, मैं इंडस्ट्री की तरफ से भी समझती हूं, क्योंकि उनके पास कंटीन्यूअस प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, पर इस तरह के जो कान्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, इन लोगों को कोई न्यूनतम वेतन देने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है? इन लोगों को पीएफ या ईएसआईसी की सुविधा दिलाने की कोई योजना है या उस पर कोई विचार हो रहा है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदया, मैंने अभी कहा कि रेग्युलर लेबर्स के लिए जो कानून लागू हैं, वह कान्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए भी लागू है। चाहे वह पीएफ हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे मिनिमम वेजेज़ हो और चाहे ग्रेच्युटी हो। हर कानून जो पर्मानेंट वर्कर्स के लिए लागू होते हैं, वही कानून उनके लिए भी होते हैं। फर्क इतना ही है कि अगर हर राज्य इन कानूनों को कमिटमेंट के साथ लागू करे तो माननीय सदस्य ने जो दिक्कतें बताई हैं या जो डिफेक्ट्स बताए हैं, वे दूर हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि बहुत से राज्य इसमें अपना कदम या योगदान नहीं देते हैं, इसीलिए ये दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाकर, मजदूरों को राहत दी जाए। इसकी कोशिश हो रही है। अगर सभी स्टेक होल्डर्स सपोर्ट करेंगे तो इसका हल हो जायेगा।

श्री तूफानी सरोज : महोदया, सभी माननीय सदस्यों ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की परेशानियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराया है। आज देश में 36 करोड़ से ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनके लिए कोई श्रम नीति नहीं बनाई गई है। अधिकांश कंपनियों ने अपना कार्य ठेके पर दे रखा है जिससे उनकी तमाम जिम्मेदारियों से बचत हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र के कराखियांव औद्योगिक क्षेत्र, वाराणसी की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र की तमाम कंपनियों में ठेके पर मजदूरों को रखा गया है। 12 घंटे के लिए साढ़े तीन-चार हजार पगार दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कराखियांव औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोई विशेष टीम भेज कर जिसमें क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी हों, ताकि कोई लीपा पोती न हो सके, वहां के मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए कोई टीम बनाने का काम करेंगे?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, अगर यह स्टेट स्फीअर में है तो हम स्टेट को लिखेंगे कि वहां पर मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा है, वर्किंग ऑवर्स के बारे में भी अगर शिकायत है तो भी हम स्टेट को लिखेंगे और अगर वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्फीअर में आता है, जूरिस्डिक्शन में आता है तो मैं उसके बारे में रिपोर्ट मंगवाकर जो भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रश्नकाल समाप्ति पर है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप मेरी बात सुनिये।

महोदया, इस कानून को राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है और सेन्ट्रल स्फीअर में सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। इसी वजह से अगर उनके स्फीअर में आता है तो उन्हें उस पर अमल करना चाहिए और अगर हमारे स्फीअर में आता है, जूरिस्डिक्शन में आता है तो हम उस पर कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

'हैंक यार्न' दायित्व

*225. **श्री सुरेश कलमाडी :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हैंक यार्न' दायित्व के अंतर्गत विद्यमान तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कताई मिलों को राहत प्रदान करने के लिए 'हैंक यार्न' दायित्व तंत्र में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों/कताई मिलों से विशेषकर महाराष्ट्र से, कताई मिलों के लिए 'हैंक यार्न' दायित्व को कम करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों/कताई मिलों से प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी तथा इस संबंध में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) हैंक यार्न दायित्व एक ऐसा तंत्र है जो हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर हैंक यार्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रख्यापित की गई दिनांक 17.4.2003 की वर्तमान हैंक यार्न पैकेज अधिसूचना में यह प्रावधान है कि यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो सिविल उपभोग के लिए यार्न को पैक करता है, तिमाही आधार पर यार्न का कम से कम 40% हैंक के रूप में पैक करेगा और पैक किए गए हैंक यार्न में न्यूनतम 80% हैंक यार्न 80 और उससे कम के संख्यांक में होगा। यार्न का उत्पादक जिसके पास स्वयं पैकिंग करके इस दायित्व को पूरा करने के लिए रील बनाने की क्षमता नहीं है उसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से इसे पूरा करना होगा:—

(i) यार्न का उत्पादक स्वतंत्र बाहरी रील बनाने वालों सहित अधिशेष रीलिंग क्षमता वाले किसी अन्य उत्पादक से अपने यार्न की रील तैयार करवा सकता है।

(ii) किसी तिमाही विशेष के लिए यार्न के एक उत्पादक की कमी की पूर्ति, संबंधित क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय की संतुष्टि पर दूसरे उत्पादक द्वारा अपने स्वयं के हैंक यार्न दायित्व को पूरा करने के बाद की जा सकती है।

हैंक यार्न पैकिंग दायित्व की पूर्ति की निगरानी के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यार्न का प्रत्येक उत्पादक अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय को संबंधित तिमाही की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरे माह की 10 तारीख को अथवा उससे पूर्व तथा दूसरे माह के अंत में क्रमश: निर्धारित तिमाही रिपोर्ट फार्म में विभिन्न रूपों में पैक किए गए यार्न की श्रेणियों के विवरण और अन्य मिलों को हस्तांतरित किए गए हैंक यार्न पैंकिंग दायित्व की पूर्ति की स्थिति प्रस्तुत करेगा।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र की कताई मिलों सहित कई राज्यों ने हैंक यार्न दायित्व को वर्तमान 40% से घटाकर 10% करने का अनुरोध किया है। हैंक यार्न दायित्व की समीक्षा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी और इस समिति के विभिन्न मुद्दों पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ समीक्षा की। समिति ने सिफारिश की कि जब तक हैंक यार्न की मांग और उपभोग पद्धति से संबंधित अधिप्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक हैंक यार्न दायित्व योजना के संबंध में यथास्थिति रखी जाए। इस प्रयोजनार्थ वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र द्वारा विभिन्न संख्याकों की मांग, वितरण और उपभोग पद्धति, हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक यार्न की पर्याप्तता और उपलब्धता, यार्न विनिर्माता यूनिटों द्वारा हैंक यार्न दायित्व का अनुपालन किए जाने और उन मिलों को, जो अंतत: दायित्वों को पूरा करती हैं, कताई मिलों से बाध्यता अंतरित किए जाने की प्रक्रिया में लागत की पहचान, कार्यकुशलता आदि सहित इसे पूरा करने की वर्तमान पद्धतियों का अध्ययन करने (अगले 6-8 माह में पूरा किया जाना है) और यह सिफारिश करने का निर्णय लिया है कि क्या हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना (एचवाईपीएन) के वर्ममान उपबंध पर्याप्त हैं या इनमें परिवर्तन किए जाने की जरूरत है।

'नेशनल गंगा रिवर बेसिन आर्थोरिटी' के अंतर्गत परियोजनाएं

*226. **श्री प्रताप सिंह बाजवा :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नेशनल गंगा रिवर बेसिन आर्थोरिटी' के अंतर्गत इसके शुरू होने से लेकर अब तक विभिन्न कस्बों और शहरों में कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में परियोजनाएं आज तक भी शुरू नहीं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रदूषण स्तर पर 'नेशनल गंगा रिवर बेसिन आर्थोरिटी' की परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम के अंतर्गत इसके शुरू होने से लेकर अब तक गंगा वाले राज्यों के 43 शहरों में 2600 करोड़ रु. की कुल लागत से 53 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इसमें से अभी तक राज्यों के समान भाग सहित केन्द्र द्वारा 779 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अक्तूबर, 2012 तक कुल 506 करोड़ रु. खर्च किये गये हैं। मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है:—

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं	एसटीपी क्षमता (एमएलडी)	नवम्बर, 2012 तक जारी कुल धनराशि (भारत सरकार और राज्य)	अक्तूबर, 2012 तक कुल व्यय
1.	उत्तराखंड (11 शहरों में 15 परियोजनाएं)	155.6	31.3	43.43	22.39
2.	उत्तर प्रदेश (5 शहरों में 7 परियोजनाएं)	1341.6	313	447.18	321.61
3.	बिहार (4 शहरों में 4 परियोजनाएं)	441.86	82	50.52	33.46
4.	पश्चिम बंगाल (23 शहरों में 27 परियोजनाएं)	659.41	44.23	237.84	128.10
	कुल	2598.7 अर्थात् 2600.00	470.53	778.97 अर्थात् 779.00	505.56 अर्थात् 506.00

(ख) और (ग) 53 स्वीकृत परियोजनाओं में से 7 पूरी हो चुकी हैं, 40 कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में है, और शेष 6 परियोजनाएं अक्तूबर, 2012 से शुरू की जानी हैं। इन 6 परियोजनाओं में से 4 (1 उत्तर प्रदेश में और 3 पश्चिम बंगाल में) बोली लगाये जाने के स्तर (बिडिंग स्टेजज) में है और 3 परियोजनाएं उत्तराखंड में हैं जो भूमि संबंधित समस्याओं के कारण शुरू नहीं हुई है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) चूंकि एनजीआरबीए परियोजनाएं हाल ही में मंजूर की गई है और उनमें से अधिकांश परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, अत: उनके प्रभाव को मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा गंगा नदी में जल गुणवत्ता का नियमित मॉनीटरन किया जा रहा है। यह देखा गया है कि जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के बावजूद, गंगा कार्य योजना (जीएपी) परियोजना के पूरा होने के बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) की दृष्टि से जलगुणवत्ता में सामान्यत: सुधार हुआ है।

[हिन्दी

अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजनाएं

***227. श्री कमलेश पासवान : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गईं तथा निर्माण की गई सड़कों की कुल लंबाई (किलोमीटर में) कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कों के निर्माण/विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों सहित कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी) : (क) से (ङ) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आर्थिक महत्व व अंतर-राज्य संपर्क योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों और निर्मित की गई सड़कों की लंबाई का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आर्थिक महत्व व अंतर-राज्य संपर्क योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है और निधियों की उपलब्धता पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृति मौजूदा कार्यों की देनदारियों और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13@		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (किमी.)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (किमी.)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (किमी.)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (किमी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	201	0	65.70	0	46.77	0	0	18.20	0	0	0	48.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	2	2	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00
3.	असम	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
4.	बिहार	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3	0	4.00	7	0	5.00	0	0	5.00	0	0	2.00
6.	गोवा	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
7.	गुजरात	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
8.	हरियाणा	3	3	18.05	2	2	27.19	4	4	31.88	0	0	14.70
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0.00	0	0	3.20	0	0	4.69	0	0	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	5.00
11.	झारखंड	0	0	3.00	0	0	23.72	3	2	5.85	1	1	0.81
12.	कर्नाटक	4	4	78.00	7	7	41.35	0	0	68.00	1	0	7.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
13.	केरल	0	0	0.00	4	1	9.00	0	0	0.00	1	0	0.00
14.	मध्य प्रदेश	17	4	9.53	21	11	21.60	0	0	19.74	0	0	0.00
15.	महाराष्ट्र	4	4	0.00	1	1	0.00	69	0	0.00	0	0	0.00
16.	मणिपुर	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	15.00	2	0	5.00
17.	मेघालय	0	0	0.00	0	0	0.00	2	1	1.00	4	0	12.00
18.	मिजोरम	0	0	16.00	0	0	17.60	1	0	17.60	5	0	20.50
19.	नागालैंड	0	0	54.60	2	2	0.00	3	1	21.00	11	0	0.00
20.	ओडिशा	6	1	50.00	3	1	35.85	0	0	18.53	0	0	5.35
21.	पंजाब	1	1	17.59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
22.	राजस्थान	2	2	10.71	5	5	14.20	4	3	24.50	0	0	15.90
23.	सिक्किम	3	3	56.87	1	1	29.00	2	0	44.83	0	0	0.00
24.	तमिलनाडु	20	1	2.00	6	2	42.80	0	0	27.60	0	0	0.00
25.	त्रिपुरा	0	0	0.00	1	1	0.00	1	0	1.00	0	0	0.00
26.	उत्तराखंड	4	0	12.00	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	2	1	0.00	1	1	6.00	3	1	16.00	0	0	2.13
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	1	1	0.00	2	0	0.00	0	0	8.00

@ – अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार।

निर्यात पर प्रतिबंध

*228. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री लालजी टन्डन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्याज, चीनी, कपास, दूध और अन्य कृषि उत्पादों सहित कतिपय वस्तुओं के विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिबंध लगाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्याज, चीनी और कपास के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध अथवा मात्रा संबंधी प्रतिबंध, यदि कोई हो, को पूरी तरह हटाने सहित इस संबंध में निर्यात-आयात नीति की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप किसानों और केन्द्रीय राजकोष को क्या लाभ होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) विदेश व्यापार नीति के तहत कुछ वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध/प्रतिबंधित है। इसमें सभी वन्य पशु, काष्ठ तथा अर्द्ध तैयार काष्ठ उत्पाद, दालें (कुछ छूटों के साथ), खाद्य तेल (कुछ छूटों के साथ), पौधे तथा पौधे के हिस्से जो कि साइट्स सूची और वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के अधीन आते है, चारा, कुछ प्रकार के उर्वरक, काष्ठ पल्प आदि और विशेष रसायन, आर्गेनिज्म, सामग्री, उपकरण तथा प्रौद्योगिकी (स्कोमैट) के तहत आने वाली मदें शामिल है। पूरी सूची विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट *www.dgft.gov.in* पर उपलब्ध है। निर्यात पर निषेध/प्रतिबंध (i) घरेलू उपयोग/उपभोग के लिए वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता (ii) प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा तथा (iii) प्रचुर मात्रा में उपलब्धता संबंधी चिंताओं का ध्यान रखना, सुनिश्चित करने के लिए है।

(ग) से (ङ) निर्यात/आयात नीति की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सरकार, घरेलू बाजार में माल की उपलब्धता, उत्पादन, मूल्य की स्थिति जैसे विविध कारकों तथा विविध राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं आदि को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक मंत्रालयों, संबंधित विभागों और अन्य पणधारियों के साथ विचार-विमर्श से निर्यात/आयात नीति की समीक्षा करती है। मार्च, 2012 में कपास के निर्यात पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसे बाद में हटा लिया गया। प्याज के निर्यात पर रोक को भी हटा लिया गया है। पिछले तीन वर्षों में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

पूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना

*229. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूरक वनरोपण हेतु की गई विद्यमान व्यवस्था क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो तदर्थ 'कैम्पा' में उपलब्ध निधि का ब्यौरा क्या है तथा राज्य पूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है और इसका क्या प्रयोजन है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेत्तर उद्देश्य के लिए भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शर्त निर्धारित करती है कि संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन और रखरखाव के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से निधियों की वसूली करेगी और इसे तदर्थ काम्पा को हस्तांतरित करेगी।

(ख) टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं.202 में इन्टरलोकुटरी एप्लीकेशन (आईए) संख्या 566 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया गया था कि एक 'प्रतिपूरक वनीकरण निधि' सृजित की जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, आवाह क्षेत्र शोधन योजना निधियों आदि के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को जमा किया जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि भारत संघ प्रतिपूरक वनीकरण निधि के लिए एक निकाय गठित करने और उसका प्रबंधन करने हेतु व्यापक नियम बनाएगा। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 अक्तूबर, 2002 के उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 23 अप्रैल, 2004 के आदेश के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) का गठन किया था।

यह देखते हुए कि काम्पा अभी भी कार्यात्मक नहीं बना है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका में आईए सं. 827, 1122, 1216, 1473 के साथ आईए सं. 1337 में दिनांक 5 मई, 2006 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आदेश दिया था कि काम्पा के कार्यात्मक बनने तक तदर्थ निकाय अथवा तदर्थ काम्पा का गठन किया जाए और सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2000 के आदेश के अनुरूप 30 अक्टूबर, 2002 से संग्रहित राशि का लेखा-जोखा रखें और उपरोक्त तदर्थ निकाय को उसका भुगतान करें।

प्रतिपूरक वनीकरण कार्य करने के लिए तदर्थ काम्पा से निधियां जारी करने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों और जन प्रतिनिधियों से निरंतर प्राप्त अनुरोधों के अनुपालन में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य/संघ शासित सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य काम्पा संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए।

उपरोक्त रिट याचिका में आईए सं. 2143 में दिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 10 जुलाई, 2009 के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्देश दिया था, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बनाए गए राज्य काम्पा संबंधी दिशा निर्देशों और ढांचे को अधिसूचित किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 जुलाई, 2009 के अपने उक्त आदेश में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित मूल राशि के 10% के अनुपात में प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रु. की राशि अगले 5 वर्षों के लिए जारी करने की तदर्थ काम्पा को अनुमति दी थी। तदनुसार, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य काम्पा का गठन किया गया हैं।

(ग) दिनांक 4.12.2012 की स्थिति के अनुसार तदर्थ काम्पा के पास लगभग 23,930/-करोड़ रु. (मौजूदा/अपरिपक्व एफडीआर पर अर्जित ब्याज को छोड़कर) उपलब्ध है।

राज्य काम्पा को प्रचलन की वार्षिक योजनाओं के आधार पर और राज्य काम्पा संबंधी दिशानिर्देशों और उपर्युक्त रिट याचिका में आईए संख्या 2143 में भारत के उच्चतम न्यायालय के 10 जुलाई, 2009 के आदेश के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। राज्य काम्पा को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ शासित-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य काम्पा को जारी की गई निधियों की मात्रा (रुपये में) के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौर

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक प्रचालन योजना के वर्ष			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10,990,000	7,869,000	5,779,000	—
2.	आंध्र प्रदेश	897,832,000	1,207,444,000	1,185,700,000	1,196,039,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	163,676,000	177,882,000	411,900,000	—
4.	असम	67,174,000	104,487,000	—	—

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	77,300,000	86,674,000	80,400,000	—
6	चंडीगढ़	1,765,000	1,296,000	—	—
7	छत्तीसगढ़	1,232,135,000	1,341,066,000	995,439,000	1,143,800,000
8	दादरा और नगर हवेली	1,682,000	—	1,536,000	—
9	दमन और दीव	—	—	—	—
10	दिल्ली	18,471,000	13,991,000	—	—
11	गोवा	121,197,000	102,468,000	—	—
12	गुजरात	249,647,000	291,568,000	263,000,000	324,117,000
13	हरियाणा	191,141,000	188,909,000	164,500,000	—
14	हिमाचल प्रदेश	366,771,000	421,656,000	571,262,400	—
15	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	237,835,000
16	झारखंड	950,028,000	1,031,622,000	624,989,300	—
17	कर्नाटक	585,573,000	509,160,000	415,700,000	437,200,000
18.	केरल	17,509,000	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	530,482,000	509,656,000	535,209,000	—
21.	महाराष्ट्र	893,549,000	854,893,000	826,300,000	782,123,000
22.	मणिपुर	7,456,000	13,350,000	19,134,000	—
23.	मेघालय	967,000	—	—	—
24.	मिजोरम	—	—	—	—
25.	नागालैंड	—	—	—	—
26.	ओडिशा	1,310,618,000	1,401,753,000	1,668,510,050	2,058,244,000
27.	पुदुचेरी	—	—	—	—
28.	पंजाब	330,547,000	265,215,000	200,200,000	193,118,000

1	2	3	4	5	6
29.	राजस्थान	325,908,,000	420,698,000	318,913,000	–
30.	सिक्किम	80,092,000	102,334,000	90,400,000	8,75,23,000
31.	तमिलनाडु	19,713,000	17,032,000	13,830,000	–
32.	त्रिपुरा	35,418,000	25,848,000	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	470,962,000	353,505,000	–	–
34.	उत्तराखंड	816,532,000	827,488,000	653,160,00	–
35.	पश्चिम बंगाल	52,957,000	62,760,000	48,436,000	–
	कुल	9,828,092,000	10,340,624,000	9,094,297,750	6,372,476,000

[अनुवाद]

गंगा में प्रदूषक

***230. श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम' ने गंगा में प्रदूषकों के स्तर के संबंध में हाल ही में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या गंगा नदी के जल में भारी धातुओं की मौजूदगी के कारण गंगा तट पर बसे स्थानों पर पित्ताशय कैंसर विश्व में दूसरे नम्बर पर तथा प्रोस्टेट कैंसर देश में सबसे ज्यादा पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केन्द्र (आईसीएमआर) से प्राप्त सूचना के अनुसार नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (एनआरसीपी), बंगलूरु के पास गंगा तट पर बसे स्थानों पर जनसंख्या आधारित कोई कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। एनआरसीपी ने यह भी सूचना दी है कि उनके लिए यह बताना संभव नहीं है कि गंगा तट पर बसे स्थानों पर देश में कैंसर (पित्ताशय तथा प्रोस्टेट कैंसर सहित) के सर्वाधिक मामले हुए हैं।

(ङ) गंगा नदी के अभिज्ञात प्रदूषित भागों में प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए वर्ष 1985 से गंगा कार्य योजना (जीएपी) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में मलजल का अंतरावरोधन एवं अपवर्तन, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत साफ-सफाई कार्य, शवदाहगृह आदि जैसे कार्यों का कार्यान्वियन शामिल है। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत, गंगा नदी के अभिज्ञात प्रदूषित भागों में प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए कुल 83 मलजल शोधन संयंत्र स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 69 मलजल शोधन संयंत्र 1091 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता के साथ सृजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त एक सम्यक नदी घाटी दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी का प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अधिकार सम्पन्न, आयोजना, वित्त पोषण, मॉनीटरन और समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया है।

नदी प्रदूषण उपशमन कार्यों का कार्यान्वियन केन्द्र और राज्य सरकारों का एक निरंतर तथा सामूहिक प्रयास है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा

प्रदूषण उपशमन की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जाती है। **एनजीआरबीए** में यह भी संकल्प लिया गया है कि मिशन स्वच्छ गंगा के अंतर्गत, वर्ष 2020 तक गंगा में कोई अनुपचारित सीवेज तथा औद्योगिक बहिस्राव प्रवाहित नहीं किया जाएगा।

लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

***231. श्री भक्त चरण दास :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनियां लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों में लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस प्रयोजनार्थ कुल कितना बजटीय आवंटन नियत किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा अब तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नई योजना शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निम्नलिखित बड़ी कंपनियां देश के लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगी हुई हैं:—

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां

(i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

(ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

निजी क्षेत्र की कंपनियां

(i) टाटा स्टील लिमिटेड

(ii) जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

(iii) एस्सार स्टील लिमिटेड

(iv) जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड

(v) जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड

कंपनियों द्वारा विगत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए आर एंड डी कार्यक्रमों से पर्याप्त उपलब्धियां हासिल हुई हैं:—

- कच्ची सामग्री का अपग्रेडेशन;
- प्रक्रिया, उत्पाद और उत्पादकता में सुधार;
- नए उत्पादों का विकास; और
- ऊर्जा खपत एवं पर्यावरण संबंध में सुधार।

(ग) इस्पात मंत्रालय में योजना निधि के साथ आर एंड डी तथा इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) के साथ आर एंड डी नामत: दो आर एंड डी नामत: दो आर एंड डी स्कीमें हैं। पहली स्कीम में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के लिए बजटीय आवंटन 118 करोड़ रुपये था। इसके लिए 89.50 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) की कुल निधि आबंटित की गई थी, जिसमें से वास्तविक व्यय 40.81 करोड़ रुपए था। एसडीएफ स्कीम में उक्त अवधि के दौरान 52.32 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय (2012-13 से 2016 तक) के दौरान योजना आयोग ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

विशेष आर्थिक जोनों में मंदी

***232. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री रवनीत सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में विशेष आर्थिक जोनों में किए गए निवेश में मंदी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के उपबंधों में संशोधन करने तथा निर्यातोन्मुखी एककों का पुनरुद्धार

करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये विशेष आर्थिक जोन और निर्यातोन्मुखी एकक निवेश हेतु आकर्षक केन्द्र बने रहें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने न्यूनतम वैकल्पिक-कर और लाभांश वितरण कर को वापस लेने के संबंध में पुनर्विचार करने हेतु वित्त मंत्रालय से सम्पर्क किया है और यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) एसईजेड स्कीम के प्रमुख उद्देश्यों में अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों का सृजन, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार अवसरों का सृजन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास शामिल है। अधिसूचित एसईजेडों को अनधिसूचित करने के लिए और प्रदत्त अनुमोदनों के निरसन हेतु एसईजेड विकासकर्त्ताओं से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। इन अनुरोधों के कारणों में, जहां भी आवेदकों द्वारा इंगित किया गया है, वैश्विक आर्थिक मंदी, बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया न मिलना, कुशल श्रमशक्ति का अभाव तथा विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेडों) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) तथा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का अधिरोपण आदि शामिल हैं। गत तीन वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान एसईजेड में संचित निवेश को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार हैं:—

गत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान
एसईजेड में किया गया निवेश

वित्त	निवेश (करोड़ रुपए)	वृद्धि दश्र % में (पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में)
2009-2010	148488.62	27.79
2010-2011	202809.54	26.78
2011-2012	201874.76	-0.46
2012-2013 (अप्रैल से सितम्बर, 2012)	218795.41	7.73

(ग) से (ङ) सरकार ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सूचनाओं/सुझावों के आधार पर विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) स्कीम की नीति तथा प्रचलनात्मक कार्यढांचे की समीक्षा की है और वर्तमान में एक अधिक निवेशक अनुकूल वातावरण एवं एसईजेड सकीम के सुचारू प्रचालन के लक्ष्य के साथ एसईजेड मानकों में आवश्यक परिवर्तनों के माध्यम से एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक कार्यढांचा सुधार हेतु एक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श कर रही है। इसके अलावा, सरकार को निर्यात संबंधी निवेश हेतु निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) को एक आकर्षक गंतव्य बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए निर्यातन्मुखी इकाई (ईओयू) स्कीम के नवीकरण की जांच-परख हेतु गठित समिति की सिफारिशें भी प्राप्त हुई हैं। इन सिफारिशों को अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। एसईजेड प्रतिष्ठनों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) तथा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट के मुद्दे को भी अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उठाया जा रहा है।

सड़क निर्माण संबंधी प्रतिदिन का लक्ष्य

***233. श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क/राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण देश में प्रतिदिन निर्मित/निर्माण की जा रही सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए वित्त स्रोतों/जुटाई गई धनराशि सहित कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी उपयोग में लाई गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (घ) गत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षित और पूरी की गई लंबाई का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लंबाई किमी.)

वर्ष	एनएचडीपी		गैर-एनएचडीपी		एसएआरडीपी-एनई		एलडब्ल्यूई		उपलब्धि प्रतिदिन
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2009-10	3165	2693	2458	2315	207	156	—	—	14.15
2010-11	2500	1780	2468	2157	366	146	200	251	11.87
2011-12	2500	2248	2254	1531	270	150	800	1084	13.73
2012-13	3000	1169*	1592	707*	300	27*	1200	556*	11.49

*अक्तूबर, 2012 तक।

कार्यान्वयन की प्रगति विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, जन सुविधाओं का स्थानांतरण, पर्यावरण, वन स्वीकृति, रेलवे अनुमोदन, ठेकेदारों का अल्प-निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं आदि की वजह से प्रभावित होती है।

अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विलंबों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन के साथ मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटों की स्थापना, जन सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित दिक्कतों का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समितियों का गठन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, तीव्रता से कार्य पूरा करने के लिए मुख्यालय और फील्ड यूनिटों में विलंबित परियोजनाओं की गहन मॉनीटरिंग और आवधिक समीक्षा की जाती है।

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/के लिए आबंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन				व्यय			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13^	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13^ (31.10.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	348.39	254.77	113.99	196.36	348.39	254.77	119.80	54.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	206.29	177.64	213.43	228.58	206.29	177.64	200.18	9.37
4.	बिहार	245.45	199.15	247.54	324.18	245.45	199.15	232.31	60.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	चंडीगढ़	2.95	8.81	1.00	2.80	2.95	8.81	0.81	0.49
6.	छत्तीसगढ़	79.65	53.53	56.05	80.97	79.65	53.53	52.95	25.50
7.	दिल्ली	17.21	52.58	6.50	1.42	17.21	52.58	5.70	0.10
8.	गोवा	33.16	30.14	5.00	23.26	33.16	30.14	4.79	0.21
9.	गुजरात	150.26	111.60	95.96	148.93	150.26	111.60	88.82	37.41
10.	हरियाणा	152.16	143.69	100.00	56.96	152.16	143.69	98.16	20.76
11.	हिमाचल प्रदेश	80.46	95.72	110.26	188.82	80.46	95.72	121.15	31.12
12.	झारखंड	117.90	112.70	92.00	113.64	117.90	112.70	97.14	37.34
13.	कर्नाटक	305.43	276.65	328.31	301.57	305.42	276.65	313.06	120.63
14.	केरल	141.23	109.00	165.82	168.59	141.23	109.00	153.66	10.43
15.	मध्य प्रदेश	150.16	134.24	101.69	133.79	150.16	134.24	76.07	11.34
16.	महाराष्ट्र	326.18	265.53	286.52	228.43	326.18	265.53	304.90	112.19
17.	मणिपुर	19.65	63.88	50.28	61.88	19.65	63.88	47.09	12.43
18.	मेघालय	61.54	79.08	85.05	103.14	61.54	79.08	82.76	9.98
19.	मिजोरम	5.52	24.23	40.00	107.51	5.52	24.23	40.81	7.17
20.	नागालैंड	30.46	26.94	21.00	85.15	30.46	26.94	19.63	2.40
21.	ओडिशा	333.70	230.71	293.28	215.21	333.70	230.71	272.94	78.55
22.	पुदुचेरी	9.22	3.93	4.50	8.93	9.22	3.93	4.73	3.61
23.	पंजाब	188.49	115.00	115.11	111.70	188.49	115.00	117.23	36.95
24.	राजस्थान	140.24	147.31	119.63	210.48	140.23	147.31	116.93	59.51
25.	तमिलनाडु	168.40	182.13	158.37	180.64	168.40	182.13	159.99	102.06
26.	उत्तर प्रदेश	433.21	452.55	313.21	362.68	433.21	452.55	323.75	141.96
27.	उत्तराखंड	160.91	130.83	83.46	84.00	160.91	130.83	51.72	45.98
28.	पश्चिम बंगाल	147.00	120.61	292.00	177.76	147.00	120.61	282.93	97.24
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.89	2.13	38.37	0.00	1.89	2.13	1.00
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)*	11744.70	17918.94	23442.89	25265.98	9017.96	12563.94	21379.89	8001.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सीमा सड़क संगठन*	756.00	760.00	540.00	550.00	723.49	694.49	515.00	269.71
	एसएआरडीपी-एनई*	1200.00	1500.00	1950.00	2000.00	667.60	1046.71	1939.98	703.02
	एलडब्ल्यूई*	125.00	750.00	1200.00	1500.00	5.00	718.05	1166.68	448.34

*राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

^अनंतिम

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार समझौते

***234. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन देशों का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार संवर्धित सहयोग और निवेश हेतु तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रसंघ क्षेत्र के देशों के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते करने या विद्यमान मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चल रही वार्ताएं कब तक पूरी होने की संभावना है तथा इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित उक्त अवधि के दौरान इन देशों के साथ किए गए कुल व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घरेलू उद्योगों और किसानों सहित इन मुक्त व्यापार समझौतों का सेवाओं और निवेश पर प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कर रियायत हेतु प्रावधान करने सहित अनेक कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता अनुभव करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) उन देशों का विवरण जिनके साथ पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत ने मुक्त व्यापार करार किए है; नीचे दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान किसी एफटीए पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

क्र.सं.	करार का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	कार्यान्वयन की तारीख
1	2	3	4
1.	भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	13.08.2009	भारत एवं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के संबंध में 1 जनवरी, 2010 भारत और वियतनाम के संबंध में 1 जून, 2010 भारत और म्यांमार के संबंध में 1 सितम्बर, 2010 भारत और इंडोनेशिया के संबंध में अक्तूबर, 2010 भारत और ब्रुनेई के संबंध में 1 नवम्बर, भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी, 2011 भारत और फिलीपीन्स के संबंध में 1 जून, 2011 भारत और कम्बोडिया के संबंध में 1 अगस्त, 2011

1	2	3	4
2.	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार	07.08.2009	01.01.2010
3.	भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार	16.02.2011	01.08.2011
4.	भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार	18.02.2011	01.07.2011

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान में सरकार द्वारा नीचे दिए गए एफटीए/देशों के साथ मौजूदा एफटीए के विस्तार हेतु वार्ता की जा रही है:—

क्र.सं.	करार का नाम तथा साझेदार देश
1	2
1.	भारत-ई यू द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुवानिया, लक्जबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम)
2.	भारत-आसियान सी ई सी ए- सेवा एवं निवेश करार (ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)
3.	भारत-श्रीलंका सीईपीए
4.	भारत-थाईलैंड सीईसीए
5.	भारत-मॉरीशस सीईसीपीए
6.	भारत-ईएफटीए बीटीआईए (आईसलैंड, नॉर्वे, लिश्टेंस्टाइन तथा स्विट्जरलैंड)
7.	भारत-न्यूजीलैंड एफटीए/सीईसीए
8.	भारत-इजराइल एफटीए
9.	भारत-सिंगापुर सीईए (द्वितीय समीक्षा)
10.	भारत-दक्षिणी अफ्रीकी सीमाशुल्क संघ (एसएसीयू) अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) (दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड और नामीबिया)
11.	भारत-मर्कोसर पीटीए (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरूग्वे)
12.	भारत-चिली पीटीए
13.	बिमस्टेक सीईसीए (बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल)
14.	भारत-खाड़ी सहयोग परिषद् (जीसीसी) कार्यढांचा करार (सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर और यमन)
15.	भारत-कनाडा सीईपीए
16.	भारत-इंडोनेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार सीईसीए
17.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए

वार्ताएं जारी है और जारी वार्ताओं को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय-सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। भारत के एफटीए के लिए प्राथमिकता क्षेत्र वस्तु, सेवा एवं निवेश में वार्ताओं के जरिए बाजार पहुंच प्राप्त करना है। उक्त अवधि के दौरान भारत के एफटीए भागीदार देशों के साथ कुल व्यापार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) एफटीए के प्रभाव का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसकी शुरूआत एफटीए वार्ताओं के आरंभ होने से पूर्व ही हो जाती है। अपने व्यापार भागीदारों के साथ वार्ताएं शुरू करने से पहले प्रस्तावित एफटीए के घरेलू उद्योग सेवाओं एवं कृषि क्षेत्र पर प्रभाव सहित उनकी व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए आंतारिक रूप से और संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) के माध्यम से अध्ययन किए जाते है।

घरेलू उद्योग तथा कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए इन करारों में संवदेनशील/नकारात्मक मद सूचियों का प्रावधान किया गया है जिनके संबंध में एफटीए के तहत सीमित अथवा शून्य टैरिफ रियायतें दी जाती है। इसके अतिरिक्त आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति की स्थिति में किसी देश को पाटनरोधी और रक्षोपाय जैसे उपायों का सहारा लेने की अनुमति है। प्रत्येक एफटीए में एक संयुक्त समीक्षा तंत्र होता है जो एफटीए के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। उदाहरण के लिए भारत-सिंगापुर सीईसीए की द्वितीय समीक्षा की जा रही है। अपने सभी एफटीए भागीदारों के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) भारत द्वारा अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का पालन किया जाता है और तदनुसार एफटीए के अंतर्गत सहमत टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफों में कमी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के एफटीए भागीदार देशों के साथ हुए कुल व्यापार का ब्यौरा

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर)

क्र. सं.	देश	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (अनंतिम)		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1.	ब्रुनेई	24.44	428.65	453.09	23.07	234.17	257.23	895.49	751.68	1647.17	19.36	524.80	544.16
2.	कम्बोडिया	45.54	5.05	50.59	66.94	8.02	74.95	99.45	7.62	107.07	60.75	6.98	67.73
3.	इंडोनेशिया	3,063.36	8,656.66	11,720.02	5,700.87	9,918.63	15,619.50	6,677.99	14,623.55	21,301.54	2,784.47	8,234.87	11,019.34
4.	लाओ पीडीआर	16.93	20.05	36.98	13.11	0.22	13.33	14.97	89.53	104.5	9.60	78.30	87.90
5.	मलेशिया	2,835.41	5,176.78	8,012.19	3,871.18	6,523.58	10,394.76	3,977.36	9,557.85	1,353.21	1,979.05	6,350.22	8,329.26
6.	म्यांमार	207.97	1,289.80	1,497.77	320.62	1,017.67	1,338.29	545.38	1,324.82	1870.2	238.95	810.17	1,049.11
7.	फिलीपींस	748.77	313.07	1,061.84	881.10	429.39	1,310.49	992.91	455.63	1,448.54	661.30	320.16	981.46
8.	सिंगापुर	7,592.17	6,454.57	14,046.74	9,825.44	7,139.31	16,964.75	16,857.71	8,600.29	254.58	7.619.34	4,077.03	11,696.38
9.	थाइलैंड	1,740.16	2,931.52	4,671.68	2,274.21	4,272.09	6,546.31	2961.01	5,383.60	8,344.61	1,859.00	3,215.25	5,074.24
10.	वियतनाम	1,838.95	521.81	2,360.76	2,654.44	1,064.90	3,716.34	3,719.09	1,733.45	5,452.54	1,806.57	1,160.63	2,967.20
	असियान का योग	18,113.70	25,797.96	43,911.66	25,627.99	30,607.98	56235.95	36,744.35	42,528.03	79,272.38	17,038.37	24,778.41	41,816.78
11.	जापान	3,629.54	6,734.18	10,363.72	5,091.24	8,632.03	13,723.27	6,328.54	12,100.57	18,429.10	2,390.26	7,131.74	9,522.00
12.	कोरिया गणतंत्र	3,421.05	8,576.07	11,997.12	3,727.29	10,475.29	14,202.58	4,352.35	13,098.93	17,451.28	3,121.72	6,973.15	10,094.87

मोबाइल टावरों से उत्सर्जित होने वाले इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडियशन को रोकना

***235. श्री कमल किशोर 'कमांडो' :**
श्री सुवेन्दु अधिकारी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडिएशन का देश में वन्य प्राणियों, पक्षियों आदि पर भी प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सलाह जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पक्षियों और मधु-मक्खियों सहित वन्यजीवों पर दूरसंचार टॉवरों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 अगस्त,2010 को गठित विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट के अनुसार इस बात के संकेत मिले हैं कि इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक विकिरण का प्रभाव पशुओं, पक्षियों तथा कीटों की जैविक प्रणलियों पर पड़ता है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने पक्षियों तथा मधु-मक्खियों सहित वन्यजीवों पर मोबाइल टॉवरों के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु उनके प्रयोग के संबंध में एक निर्देशिका जारी की है। निर्देशिका की विषय-वस्तु का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय ने यह निर्देशिका राज्यों के वन एवं वन्यजीव विभागों तथा स्थानीय निकायों, पंचायती राज मंत्रालय और दूर संचार विभाग सहित संबंधित संगठनों को उनकी सूचना एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु परिचालित की है।

विवरण

पक्षियों और मधु-मक्खियों सहित वन्यजीवों पर मोबाइल टॉवरों के प्रभाव को कम करने के लिए उनके प्रयोग के संबंध में निर्देशिका

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2010 को *'पक्षियों और मधु-मक्खियों सहित वन्यजीवों पर दूरसंचार टॉवरों के संभावित प्रभावों के अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ समिति'* गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उपलब्ध वैज्ञानिक सूचना का पुनरवलोकन यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक विकिरण (ईएमआर) जैविक तंत्रों में हस्तक्षेप करते हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और तत्पश्चात् पणधारियों के साथ किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर, ईएमआर आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले, विनियमित करने वाले और किसी अन्य तरीकें से उनसे संबंधित कार्य करने वाले विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची तैयार की गई है। सूचीबद्ध कार्यों का मुख्य उद्देश्य ईएमआर के प्रभावों से बचना और उनका प्रशमन करना है। तदनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, प्रयोक्ता अभिकरणों और वपक रूप से जन साधारण से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुरोध व्यापक करता है;

I. पर्यावरण और वन मंत्रालय :

1. दूर संचार टॉवरों से हो रहे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक विकिरणों का वन्यजीवों, विशेषत: पक्षियों और मधु-मक्खियों पर भिन्न-भिन्न नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, अलग-अलग प्रकार के वन्यजीवों के साथ-साथ मनुष्यों से संबंधित प्रभावों की सूचना को जन-जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ईएमआर की सुरक्षित सीमाओं हेतु मानक अधिसूचित करने के लिए मानदंडों के विनियम हेतु संबंधित अभिकरणों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

II. राज्य/स्थानीय निकाय :

1. दूर संचार विभाग द्वारा अधिसूचित मानकों के संदर्भ में शहरी बस्तियों/शैक्षिक/अस्पताल/औद्योगिक/आवासीय/ मनोरंजन परिसरों में और विशेष रूप से सुरक्षित क्षेत्रों (पीए) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास ईएमआर की नियमित जांच और मॉनीटरिंग कराई जानी चाहिए। ईएमआर के दृष्टिकोण से समस्या पैदा करने वाले टॉवरों को उपयुक्त रूप से अन्यत्र पुनर्स्थापित किया जाना/हटाया जाना चाहिए।

2. टॉवरों के ढांचों में और उनके आस-पास सेल फोन टॉवरों और संबद्ध विकिरणों के खतरों के संबंध में बड़े संकेत और संदेश प्रदर्शित किए जाएं। इन संकेतों के अतिरिक्त,

हाइ डाइरनल रेपटर अथवा वाटरफाऊल गतिविधियों के क्षेत्रों में दिन के समय दृष्टिगत निशानों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3. वन्यजीवों और/अथवा पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टॉवरों के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करने से पूर्व संस्थापना स्थलों का पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन और समीक्षा करना महत्वपूर्ण होगा। संरक्षित क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में और उनके आस-पास सेल फोन टॉवरों की संस्थापना से पहले वन विभाग से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

III. राज्य पर्यावरण और वन विभाग :

1. सेल फोन टॉवरों और उनसे उत्पन्न ईएमआर से होने वाले खतरों के संबंध में बनाए गए विभिन्न मानकों और मानदंडों के विषय में जनता को जागरूक बनाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित विभागों द्वारा मीडिया की सभी विधाओं के माध्यम से और क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च स्तर की स्पष्टता से नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाएं। वन विभागों द्वारा सभी वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में भी ऐसी सूचनाएं लगाई जानी चाहिए।

IV. दूरसंचार विभाग :

1. उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों की अतिव्याप्ति की रोकथाम के लिए, मौजूदा टॉवरों के एक किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में नए टॉवरों की स्थापना की अनुमति न दी जाए। यदि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए निष्क्रिय अवसंरचना में भागीदारी को अनिवार्य बना दिया जाए तो इससे अतिरिक्त टॉवरों की आवश्यकता कम हो सकती है। यदि नए टॉवर बनाने आवश्यक हों तो उन्हें अत्यधिक एहतियात और सावधानी से निर्मित किया जाना चाहिए ताकि उनसे पक्षियों के उड़ान मार्ग में अवरोध उत्पन्न न हो और क्षेत्र के सभी टॉवरों से कुल विकिरणों में वृद्धि भी न हो।

2. ईएमआर उत्पन्न करने वाले सेल फोन टॉवरों और अन्य टॉवरों की अवस्थिति एवं बारम्बारता को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाए। यह शहर/जिला/गांव के स्तर पर किया जा सकता है। सभी सेल फोन टॉवरों के अवस्थिति-वार जीआईएस मानचित्रण का रख-रखाव किया जाए जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, मोबाइल टॉवरों और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास पक्षियों और मधु-मक्खियों की संख्या की मॉनीटरिंग करने में मदद मिलेगी।

3. विभिन्न प्राणियों के जीवन पर प्रभाव संबंधी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, ईएमआर के प्रसारण की सुरक्षित सीमाओं संबंधी भारतीय मानकों को परिमार्जित किए जाने की तत्काल आवश्यकता हैं। भारतीय मानकों में सुधार किए जाने तक, नेटवर्कों के ईष्टतम कार्य-निष्पादन पर समझौता किए बिना, प्रसारण स्तरों को कम करने और यथा संभव अधिक सख्त मानदंडों को अपनाने के लिए एक एहितयात दृष्टिकोण अपनाए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

V. सभी संबंधित अभिकरण :

1. ऑन-ग्राऊंड सुविधाओं के लिए सुरक्षा-प्रकाश व्यवस्था को कम किया जाए तथा जहां तक संभव हो, पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रकाश व्यवस्था नीचे की ओर स्थित अथवा अनुप्रवाह में हों।

2. वन्यजीवों पर ईएमएफ विकिरण के प्रभाव के संबंध में किए गए किसी भी प्रकार के अध्ययन को वन विभाग और दूर संचार विभाग के साथ साझा किया जाए ताकि समुचित नीति-प्रतिपादन को सुकर बनाया जा सके।

समुद्री तटों का संरक्षण

***236. श्री सुदर्शन भगत :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पर्यटक स्थलों के पास समुद्री तट लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार समुद्री तटों का संरक्षण करने तथा पर्यटक स्थलों के पास प्रदूषण रोकने हेतु कोई कार्य-योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि पर्यटक स्थलों पर समुद्री तट पर सीवेज और कचरे का निपटान किया जाता है। भारतीय तटों

में मुख्यत: औद्योगिक बहिस्त्राव छोड़े जाने, अनुपचारित सीवेज के निपटान, कृषीय अपशिष्ट, तटीय शहरों, नगरों के पास उर्वरक संयंत्रों के प्रचालन, तथा पत्तनों और बंदरगाहों में उर्वरकों के रख-रखाव के कारण होता है। तथापि तटीय प्रदूषण में वृद्धि कुछ स्थानों पर विशेष रूप में तथा स्थानीकृत स्वरूप में है।

(ग) से (ङ) तटीय प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ''तटीय समुद्री मोनीटरिंग एवं अनुमान प्रणाली (सीओएमएपीएस)'' पर एक राष्ट्रीय समन्वित मोनीटरिंग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। प्रदूषण स्तर के रुझानों को समझने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 20 स्थानों को मॉनीटर किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्धारित मानकों का उद्योगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहि:स्त्राव मानक निर्धारित कि है। सीआरजेड में उद्योगों, आपरेशनों और प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाते हुए तटीय भागों को भी तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) के रूप में घोषित किया गया है। केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तटीय जल गुणवता के पुनर्स्थापन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत जल प्रदूषण का नियमन कर रहे हैं।

तटीय प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान के अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण।

(ii) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण अनुपालन सुनिश्चित करना।

(iii) जलीय संसाधनों में अपशिष्ट जल छोड़ने वाले शहरी केन्द्रों, जहां कोई शोधन सुविधाएं नहीं हैं, को उपयुक्त कार्रवाई हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(iv) औद्योगिक बहि:स्त्राव के संबंध में जल गुणवता में सुधार लाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा मानकों के अनुपालन हेतु सहमति प्रबंधन लागू किया जा रहा है।

कौशल विकास

*237. **श्री नवीन जिंदल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास संबंधी नीति में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राष्ट्रीय नीति के शुरू होने से लेकर अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई, उपयोग में लाई गई और जारी की गई;

(ग) क्या कौशल विकास पहल के अंतर्गत जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे, उनमें से आधे से भी कम प्रशिक्षणार्थियों को ही नियुक्तियां प्राप्त हुई हैं तथा प्रमाणित छात्रों में से केवल 40-60% छात्र ही स्व-रोजगार प्राप्त अथवा बेरोजगार पाए गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कौशल विकास पहल, आईटीआई पाठ्यक्रमों और अन्य व्यावसायिक प्रमाणन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रमाणित व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्ति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) कौशल विकास राष्ट्रीय नीति (एनपीएस डी) ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए लक्ष्यों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 31 अक्तूबर, 2012 तक कुल 1730.20 करोड़ रु. की अपेक्षित निधि के साथ 80 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग संबंधित राज्य सरकारों के विभागों तथा अन्य पणधारकों को, उनके स्वयं के नियमित बजटीय आवंटन के साथ, जिस पर केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है, शामिल करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी स्वयं की कार्यनीतियां एवं योजनाएं तैयार कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2011-12 से कुशल व्यक्तियों की संख्या की उपलब्धि के प्रबोधन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् के सलाहकारा के कार्यालय की स्थापना की गई है और उन्होंने देश के लिए वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011-12 की उपलब्धि 46.53 लाख के लक्ष्य की तुलना में 45.68 लाख रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई अध्ययन अभी तक नहीं कराया गया है। तथापि, राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक वर्ष कौशल अंतराल सर्वेक्षण एवं विश्लेषण कराएं ताकि उद्योग की निश्चित आवश्यकता उपलब्ध हो और तदनुसार

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि उनमें से अधिकांश नियोजित हो सकें। प्रशिक्षित, प्रमाणीकृत व्यक्तियों इत्यादि पर आंकड़े संग्रहित करने कके लिए हाल ही में एक प्रबंधन सूचना प्रणाली चालू की गई है।

(ङ) विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नालिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) प्रशिक्षुओं के नियोजन हेतु आईटीआईज में प्रशिक्षण, परामर्श एवं नियोजन प्रकोष्ठ सृजित किए गए हैं।

(ii) नियोजन प्रकोष्ठों के माध्यम से कैम्पस प्लेसमेंट का भी आयोजन किया जा रहा है।

(iii) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत आईटीआईज में नियोजनीयता कौशल नामक विषय की शुरुआत की गई।

(iv) वास्तविक समय आधार पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए और जहां कही आवश्यक हो, शुद्धि करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार की गई है।

(v) उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रशिक्षण अवसंरचना एवं प्रशिक्षकों में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 1727 सरकारी आईटीआईज का उन्नयन किया गया है। भारतीय गुणवता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि उन्नत/आधुनिक आईटीआइज के मामले में आईटीआई स्नातकों का नियोजन 81-99% तक बढ़ा है जबकि अन्य आईटीआईज में इसकी रेंज 41 से 60% के बीच है।

विवरण

मंत्रालय/विभाग/संगठन	वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आकलित संख्या (मिलियन)
1	2
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	150
श्रम एवं रोजगार	100
पर्यटन	5
वस्त्र	10
सड़क परिवहन और राजमार्ग	30
ग्रामीण विकास	20
महिला एवं बाल कल्याण	10
कृषि	20
एचआरडी उच्चतर शिक्षा	50
एचआरडी व्यावसायिक शिक्षा	
भारी उद्योग विभाग	10
शहरी विकास	15
सूचना प्रौद्योगिकी	10
खाद्य प्रसंस्करण	5
निर्माण उद्योग विकास परिषद् (योजना आयोग के अंतर्गत)	20
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10
अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	15
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5
प्रवासी भारतीय कार्य	5
वित्त-बीमा/बैंकिग	10
उपभोक्ता कार्य	10
रसायन एवं उर्वरक	5
अन्य (विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि)	15
कुल	530

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में जनशक्ति की कमी

***238. श्री पी.के. बिजू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में जनशक्ति की अत्यधिक कमी है और यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष विभिन्न अकादमियों से पास होने वाले कैडेटों की संख्या की तुलना में तत्संबंधी सेवा, श्रेणी और रैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कार्मिकों ने सेवाओं से सेवा अवधि पूर्ण होने से पहले सेवानिवृत्ति की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने कार्मिकों को सेवानिवृत्त किया गया;

(घ) क्या सरकार ने युवाओं को रक्षा बलों में भर्ती हेतु आकर्षित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सशस्त्र सेनाओं की कमी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सशस्त्र सेनाओं की सेना-वार जनशक्ति की कमी का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:—

सेना		नौसेना (30.9.2012 तक)		वायुसेना (1.12.2012 तक)	
अफसर (1.7.2012 तक)	अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक 1.10.2011)	अफसर	नौसैनिक	अफसर	वायुसैनिक
10100	32431	1996	14310	962	7000

इसके अलावा वर्ष 2010 से विभिन्न अकादमियों से कुल 9001 कैडेटों ने प्रशिक्षण पूरा किया है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में रिक्तियां होने के कुछ प्रमुख कारणों में समय-समय पर बल की संख्या में वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने से अनेक और लाभप्रद वैकल्पिक कैरियर के अवसरों की उपलब्धता, चयन के कठोर मापदंड और खतरे के संभावित उच्च जोखिम के साथ कठिन सेवा शर्तें शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान सेवा अवधि पूर्ण होने से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना
2009	7798	161	577
2010	7514	150	828
2011	10603	157	1000
2012	10081	170	571

(घ) और (ङ) सरकार ने युवाओं को सशस्त्र सेनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए भर्ती रैलियों का आयोजन, मीडिया कैम्पेन आदि सहित कई उपाय किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं की नौकरी को और आकर्षित बनाने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं। इनमें उन्नत वेतन संरचना के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन, परिवार आवास परियोजना (एमएपी) के जरिए अतिरिक्त पारिवारिक आवास और सशस्त्र सेनाओं में प्रोन्नति के अवसरों में सुधार करना शामिल है।

[हिन्दी]

वस्त्र उत्पादों का निर्यात

***239. श्री महाबल मिश्रा :**
श्री नरहरि महतो :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिले सिलाए वस्त्रों, परिधानों, रेशमी कपड़ों, सूती/मानव निर्मित वस्त्रों, हस्तशिल्प कालीनों और हथकरघा सहित वस्त्र उत्पादों के मद/मूल्य/मात्रा और देश-वार निर्यात का ब्यौरा क्या है और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने कोई

निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) इस अवधि के दौरान इन मदों के निर्यात में गिरावट के क्या कारण है और अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान निर्यात संबंधी नीतियों /योजनाओं की समीक्ष करने तथा देश में विभिन्न निर्यातोन्मुखी इकाइयों के माध्यम से निय्रत संवर्धन हेतु अधिक रियायतें देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मदों के निर्यात संवर्धन हेतु आम आचार संहिता शुरू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों सहित सरकार द्वारा दिए गए/प्रस्तावित निर्यात लाभों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) भारत का वस्त्र उत्पाद जो 2009-10 में 17.87 बिलियन अमरीकी डॉलर का था 2010-11 में बढ़कर 25.11 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2011-12 में 30.46 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। अप्रैल से सितंबर, 2012 तक भारत का वस्त्र निर्यात 14.18 बिलियन अमरीकी डॉलर बैठता है। निर्यात की मदें/मूल्य इस प्रकार हैं:—

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 अप्रैल-सितम्बर
सिलेसिलाए परिधान	10.06	11.02	13.07	5.93
रेशम	0.59	0.63	0.47	0.12
कपास वस्त्र	5.71	8.68	11.32	4.48
मानव निर्मित फाइबर	3.97	4.70	5.63	2.59
हस्तशिल्प और कालीन	0.96	1.29	1.08	0.58
हथकरघा	0.26	0.34	0.55	0.32

देश-वार निर्यातों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। अप्रैल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) ने 2010-11 में 12 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2011-12 में 14 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लिया है। सरकार द्वारा, वर्ष 2009-10 में वैश्विक मंदी के कारण एईपीसी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 2012-13 में एईपीसी ने 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसकी तुलना में सितंबर, 2012 के अंत तक 6.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रगति प्राप्त कर ली गई थी।

(ग) 2009-10 से 2011-12 की अवधि में वस्त्र निर्यातों में लगातार वृद्धि हो रही है अर्थात् 2012-13 में अप्रैल-सितंबर, 2012 की अवधि में वस्त्र निर्यातों में डॉलर के रूप में (-) 5.94 प्रतिशत वृद्धि दिखाई दे रही है जबकि रुपयें में यह 13.58% वृद्धि हुई है। डॉलर के रूप में नकारात्मक वृद्धि का कारण संयुक्त राज्य अमरीकी और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख बाजारों में मंदी होना है।

(घ) जी, हां। सरकार ने विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्रों की निर्यात संबंधित नीतियों की समीक्षा की है और वस्त्र निर्यात तेजी से बढ़ाने के लिए नीति संबंधी हस्तक्षेप किए हैं।

(ङ) विदेश व्यापार नीति 2012-13 केअधीन प्रदान किए गए निर्यात लाभों में (i) 31 मार्च, 2013 तक हस्तशिल्प, सिलेसिलाए परिधानों को शामिल करके हथकरघा, कालीन लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 2% ब्याज सहायता देना; (ii) सिले-सिलाए परिधानों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन को निर्यात के लिए 31 मार्च, 2013 तक बाजार लिंक्ड फोकस उत्पाद योजना प्रदान की गई है; (iii) फोकस बाजार योजना और विशेष फोकस बाजार योजना के अधीन प्रत्येक 7 नए बाजारों को शामिल करना, शामिल हैं। सरकार ने अप्रैल उद्योग में अनुपालन मानकों के सुधार के लिए अप्रैल क्षेत्र में सामान्य अनुपालन संहिता 'दिशा' के लिए एक योजना स्कीम का कार्यान्वयन आरंभ किया है।

विवरण

शीर्ष 25 देशों को वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादों का देश-वार निर्यात

भारत निर्यात आंकड़े

वस्तुएं; वस्त्र एवं क्लोदिंग, चैप्टर 50 से 63 तक

मिलियन अमेरिकी डॉलर

भागीदार देश	कैलेंडर वर्ष		
	2009	2010	2011
1	2	3	4
विश्व	21787	27188	32642

1	2	3	4
संयुक्त राज्य अमेरिका	4226	4946	5780
चीन	868	2325	2929
संयुक्त अरब अमीरात	1625	1798	2162
युनाइटिड किंगडम	1708	1667	2088
जर्मनी	1604	1528	1960
बांग्लादेश	500	1105	1101
इटली	743	778	1030
फ्रांस	916	810	1017
स्पेन	676	667	813
तुर्की	399	667	731
नीदरलैंड	512	523	728
बेल्जियम	386	474	615
ब्राजील	288	497	557
सऊदी अरब	429	473	541
श्रीलंका	307	397	502
मिश्र	192	338	492
कनाडा	358	347	431
जापान	240	261	397
डेनमार्क	279	281	381
पाकिस्तान	565	657	381
ईरान	102	174	318
दक्षिण कोरिया	211	378	314
मलेशिया	136	279	285
आस्ट्रेलिया	184	205	285
दक्षिण अफ्रीका	169	199	255

आंकड़ों का स्त्रोतः जीटीआईएस के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय।

[अनुवाद]

वृहत हथकरघा क्लस्टर

***240. श्री ए.के.एस. विजयन :**
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ सहित देश में विशेषकर रेशम आधारित हथकरघा हेतु वृहत/परम्परागत हथकरघा क्लस्टर स्थापित किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रौद्योगिकीय और वित्तीय मदद प्रदान की जा रही हैं;

(ग) इन क्लस्टरों पर राज्य-वार कितने बुनकर/उनके परिवार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन क्लस्टरों को आबंटित की गई/उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषकर तमिलनाडु में हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय वर्ष 2005-06 के एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) कार्यान्वित कर रहा है। 11वीं योजना में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण (एप्रोच) जारी रखा गया और क्लस्टर विकास तथा ग्रुप एप्रोच सहित विभिन्न घटाकें वाली "एकीकृत हथकरघा विकास योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई। योजना के तहत जिन क्लस्टरों में 300-500 हथकरघे हैं उन्हें प्रति क्लस्टर 60.00 लाख रुपये की

ऊपरी लागत से 3 वर्ष की अवधि में उनके एकीकृत और समग्र विकास के लिए शुरू किया गया। निधियों का उपयोग नैदानिक अध्ययन, स्वयं सहायता समूह और कंसोर्शियम का गठन करने, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, सामान्य सुविधा केन्द्र/रंगाई हेतु स्थापित करने, कच्चे माल की सहायता करने, कौशल उन्नयन करने, डिजाइन विकास और उत्पाद में विविधता लाने, प्रचार और विपणन करने, नए करघे खरीदने, डॉबी, जैकार्ड, सहायक सामग्री, मार्जिन राशि, कार्य स्थलों आदि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में 49 क्लस्टरों और छत्तीसगढ़ में 10 क्लस्टरों सहित 610 क्लस्टरों को मंजूर किया गया है और अब तक 216.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। ग्रुप एप्रोच घट के तहत 10-100 बुनकर वाले समूहों को कौशल उन्नयन, नए करघों की खरीद, डॉबी, जैकार्ड, सहायक उपकरण और कार्य स्थलों के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 10,000/- रुपये से 30,000/- रुपये की लागत से 2 वर्ष के लिए लिया गया है। तमिलनाडु में 271 समूहों और छत्तीसगढ़ में 30 समूहों सहित 2248 ग्रुप एप्रोच परियोजनाओं को अब तक 107.73 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है।

इसके अलावा वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2012-13 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार वाराणसी (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), विरुद्ध नगर (तमिलनाडु), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), प्रकाशम और गुंटूर जिलों (आंध्र प्रदेश) और गोड्डा तथा निकटवर्ती जिलों (झारखंड) में 6 मेगावा हथकरघा क्लस्टर शुरू किए गए हैं। प्रत्येक मेगा हथकरघा क्लस्टर में 25,000 से अधिक हथकरघे होने चाहिए और 70.00 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर की ऊपरी केन्द्रीय सहायता से 5 वर्ष की अवधि में इनका विकास किया जाना है।

इनमें से अधिकांश क्लस्टर कॉटन, ऊन, रेशम, जूट आदि या इनके मिश्रण (ब्लैंड) का इस्तेमाल करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के हथकरघा उत्पाद तैयार किए जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 में तमिलनाडु राज्य सरकार को 4 सिल्क क्लस्टर अर्थात् (1) पल्लावर, कांचीपुरम जिला (2) वरदराज, कांचीपुरम जिला (3) अरणी, तिरुवनमलाई, जिला और (4) रासीपुरम सुपरसिल्क, तिरुचेनगोड जिला मंजूर किए गए हैं।

मंजूर किए गए क्लस्टरों की संख्या, जारी की गई राशि और बुनकरों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) हथकरघों के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:—

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(iii) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(iv) मिल गेट कीमत योजना

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

उपर्युक्त योजनाएं तमिलनाडु सहित सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हैं।

उल्लिखित योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित समूचे देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(I) ऋण के अवरुद्ध पड़े अवसरों को खोलने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्ति बुनकरों के ऋण माफ करने के लिए वर्ष 2011-12 में पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज शुरू किया है। अब तक तमिलनाडु में पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के ऋण माफ करने लिए 59.85 करोड़ रुपये अनुमोदित किए जा चुके हैं।

(II) भारत सरकार ने वर्ण 2011-12 में "हथकरघा क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण" भी शुरू किया है जिसमें (i) बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करना (ii) नए ऋणों पर 3 वर्ष के लिए 3% की दर से ब्याज परिदान प्रदान करना (iii) 4200/- 3पये प्रति बुनकर की दर से मार्जिन राशि की सहायता प्रदान करना और (iv) ऋण गारंटी शामिल है। अब तक तमिलनाडु में 790 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 197.50 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं।

(III) हथकरघा बुनकरों को सस्ता यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 में 10% यार्न कीमत सब्सिडी योजना भी शुरू की है। अब तक तमिलनाडु में 51.04 करोड़ रुपये मूल्य के 5.569 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की जा चुकी है।

विवरण

स्वीकृत क्लस्टरों व ग्रुप अप्रोच परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या, जारी धनराशि तथा बुनकरों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अब तक स्वीकृत क्लस्टर की कुल संख्या	अब तक स्वीकृत ग्रुप अप्रोच परियोजनाओं की कुल संख्या	2010-11 से 2012-13 (2012 तक) जारी धनराशि (लाख रुपए)	क्लस्टरों एवं ग्रुप अप्रोच परियोजनाओं में बुनकरों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	56	352	1282.58	67958
2.	बिहार	16	6	312.37	11267
3.	छत्तीसगढ़	10	30	337.12	4810
4.	दिल्ली	1	0	16.83	460
5.	गुजरात	9	0	24.94	4245
6.	हरियाणा	1	22	54.19	772
7.	हिमाचल प्रदेश	8	57	385.66	11266
8.	जम्मू और कश्मीर	10	17	303.62	3875
9.	झारखंड	36	90	1274.35	46081
10.	कर्नाटक	24	18	704.58	27816
11.	केरल	25	21	754.33	15389
12.	मध्य प्रदेश	18	7	415.83	15554
13.	महाराष्ट्र	7	54	285.37	3679
14.	ओडिशा	38	92	1228.74	24561
15.	पंजाब	0	4	15.35	80
16.	राजस्थान	6	16	174.44	4615
17.	तमिलनाडु	53	271	3987.30	83204
18.	उत्तर प्रदेश	55	334	2821.24	82077

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तराखंड	9	44	436.94	6136
20.	पश्चिम बंगाल	42	65	1770.91	61860
	कुल (क)	424	1500	16586.69	475704
	एनईआर				
1.	अरुणाचल प्रदेश	22	62	659.16	16590
2.	असम	53	95	1555.43	53106
3.	मणिपुर	67	347	2108.33	40810
4.	त्रिपुरा	9	55	806.74	8444
5.	मिजोरम	2	36	307.76	1883
6.	नागालैंड	34	44	1883.56	20100
7.	सिक्किम	0	50	114.36	1030
8.	त्रिपुरा	25	59	760.25	11957
	कुल (ख)	212	748	8195.59	153920
	सकल योग (क) + (ख)	636	2248	24782प28	629624

[हिन्दी]

विनिर्माण क्षेत्र

2531 श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की कमी के कारण भारत में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति बदतर होती जा रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र हेतु विद्युत की कमी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त सुझाए गए अन्य उपाय क्या हैं और योजना आयोग के सुझावों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) विद्युत की कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र की हालत बदतर होने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वार्षिक आम समीक्षा "अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकी" में प्रकाशित जानकारी के अनुसार औद्योगिक श्रेणी (जन उपयोगी और गैर-जन उपयोगी) में विद्युत उपभोग (अंतिम उपभोक्ता को अंतिम बिक्री) 2009-10 के 297621.16 एमयू की तुलना में 2010-11 में बढ़कर 321117.48 एमयू हो गया है।

तथापि, देश में ऊर्जा सृजन में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का विकास, कैप्टिव कोल ब्लॉक्स का आवंटन, नई जल नीति, संचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आदि शामिल हैं।

(ख) लगभग एक दशक के भीतर जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लागू की गई है।

[अनुवाद]

गैंडों का संरक्षण

2532. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने देश में पबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में आई बाढ़ के कारण भटक गए गैंडे को उठाकर अन्य स्थान पर ले जाने हेतु हेलीकॉप्टर प्रदान करने के असम राज्य सरकार के अनुरोध पर सहमति जतायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) (क) देश में पबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में आई बाढ़ के कारण भटक गए गैंडे को उठाकर अन्य स्थान पर ले जाने हेतु असम राज्य सरकार द्वारा भारतीय वायु सेना को हेलीकॉप्टर प्रदान करने का अनुरोध किये जाने के बारे में इस मंत्रालय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा निर्यात

2533. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों के पास उपलब्ध खाद्य वस्तुओं, फलों और अन्य सामानों के अधिशेष भंडार की बड़ी मात्रा के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को उनके पास उपलब्ध अधिशेष उत्पादों को सीधे अन्य देशों को निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नौकरी के मामले में पुनर्व्यवस्थापन

2534. श्री जयंत चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों विशेष रूप से शार्ट कमीशंड ऑफीसरों की नौकरी के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई रूपरेखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशालय, जो रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन शीर्षस्थ निकाय है, अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, और रोजगार पुनर्वास को सुकर बनाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्होंने कि अपना सेवा काल पूरा कर लिया हो और जो भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हों, उन सभी के लिए पुनर्वास सुविधाएं उपलबध कराई जाती हैं।

भूतपूर्व अधिकारियों के लिए पुनर्वास के निम्नलिखित अवसर उपलब्ध हैं:—

(क) सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमों से प्राप्त मांग के आधार पर भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के नामों को स्पोंसर करना।

(ख) सुरक्षा एजेंसी स्कीम का आबंटन।

(ग) एनसीआर में ईएसएम (अधिकारियों) द्वारा सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन।

(घ) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा संचालित) केन्द्रों का आबंटन।

(ङ) कोयला लदान तथा परिवहन स्कीम।

इच्छुक तथा पात्र भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में समूह ग और घ पदों में उपलब्ध रिक्तियों में 10% से 24.5% तक का प्रतिशतता-वार आरक्षण उपलब्ध किया गया है। अधिकांश राज्य सरकारें भी राज्य सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण उपलब्ध कराती हैं। सभी अर्ध-सैन्य बालों में असिटेंट कमाडेंट स्तर तक के सभी पदों में 10% रिक्तियां आरक्षित है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली सेवाओं का पदों के लिए वायु में उचित छूट उपलब्ध है।

व्यापक कौशल विकास नीति

2535. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में व्यापक कौशल विकास नीति को बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास एजेंसियों की गतिविधियों को समन्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वैश्विक प्रमुख और शीर्षस्थ भारतीय कंपनियों द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रम के प्रमाणन हेतु सरकारी-निजी भागीदारिता (पीपीपी) मॉडल पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा तैयार किए गए रोड मैप का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास आईटीआई संस्थाओं और अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लोगों को औपचारिक शिक्षा मानकों में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति तैयार की है जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 फरवरी, 2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह नीति देश के विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज है।

(ग) और (घ) फिलहाल, सरकार वैश्विक प्रमुख और शीर्ष भारतीय कंपनियों द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रमों के प्रमाणीकरण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, क्षेत्र कौशल परिषदें स्थापित की जा रही हैं जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों, प्रशिक्षण मानकों, प्रमाणीकरण इत्यादि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

(ङ) "राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन" में केन्द्र सरकार के अनेक संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रयास और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति द्वारा मार्गनिर्देशित निजी क्षेत्र के कार्यकलाप सम्मिलित हैं और उसे निम्नलिखित तीन संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है:—

(i) नीति निदेश के लिए कौशल विकास प्रयासों की विस्तृत श्रेणी की समीक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद्;

(ii) प्रधानमंत्री परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीतियों की रचना के लिए योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय कौशल विाकस समन्वय बोर्ड"; और

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी, "राष्ट्रीय कौशल विकास निगम" (एनएसडीसी), जिसमें 49% इक्विटी आधार का केन्द्र सरकार द्वारा और 51% का निजी क्षेत्र द्वारा अंशदान किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र को शामिल करते हुए निगम से श्रम बाजार की कौशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसडी) में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएनडीसी) तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विस्तृत रोड मैप संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) और (छ) सरकार आईटीआई संस्थानों और अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु व्यक्तियों के लिए औपचारिक शिक्षा मानदंडों में छूट देने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल (एमईएस) पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास पहल नामक एक नई योजना आरंभ की गई है जिसमें स्कूलों और सार्वजनिक/निजी प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओज इत्यादि सहित संस्थानों के

माध्यम से अल्पावधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत, पांचवीं कक्षा तक शैक्षिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए कौशल का, स्वतंत्र मूल्यांकन निकायों से मूल्यांकन कराने के उपरांत, परीक्षण और प्रमाणीकरण करवाने का प्रावधान है।

विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन प्रशिक्षित	वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आकलित संख्या (मिलियन)
1	2	3
1.	कृषि	20
2.	उपभोक्ता मामले	10
3.	रसायन एवं उर्वरक	5
4.	निर्माण उद्योग विकास परिषद् (योजना आयोग के अंतर्गत)	20
5.	खाद्य प्रसंस्करण	5
6.	वित्त-बीमा/बैंकिंग	10
7.	भारी उद्योग	10
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10
9.	मानव संसाधन विकास उच्चतर शिक्षा मानव संसाधन विकास व्यावसायिक शिक्षा	50
10.	सूचना प्रौद्योगिकी	10
11.	श्रम और रोजगार	100
12.	अति लघु, लघु, मध्यम निगम	15
13.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	150
14.	प्रवासी भारतीय कार्य	5
15.	अन्य (विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि)	15
16.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	30
17.	ग्रामीण विकास	20
18.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	5
19.	पर्यटन	5
20.	वस्त्र	10
21.	शहरी विकास	15
22.	महिला तथा बाल विकास	10
	कुल	530

भू-तापन

2536. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असामान्य मौसमी स्थितियों के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में सूनामी, अत्यधिक वर्षा और सूखा भू-तापन के प्रभाव हैं;

(ख) यदि हां, तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भू-तापन के कारण जलवायु परिवर्तन और इसके देश पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ एक बैठक बुलाई/चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना सहित चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) एक ओर ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी ओर सूनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं एवं अतिवृष्टि और सूखा जैसी अतिमौसमी घटनाओं के बीच हुई प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट, कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित नहीं है। तथापि वर्षा सहित अति मौसमी घटनाओं में भिन्नता देखी गई है। लेकिन ये घटनाएं हमेशा जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ी जा सकती।

(ग) सरकार ने भारत के चार जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों नामश: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और उत्तरी-पूर्व क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्रों, नामश: कृषि, प्राकृतिक पारि-प्रणाली एवं जैवविविधता, जल और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आकलित करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया था और वर्ष 2010 में "जलवायु परिवर्तन और भारत 4x4 आकलन - 2030 के दशक के लिए एक क्षेत्रीय और प्रादेशिक विश्लेषण" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

(घ) और (ङ) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का पक्षकार है और कन्वेंशन के अंतर्गत समुचित संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का निराकरण करने की दृष्टि से यूएनएफसीसीसी के तत्वाधान में होने वाले विचार-विमर्शों और वार्ताओं में नियमित तौर पर शामिल होता रहा है।

[हिन्दी]

मजदूरों का कल्याण

2537. श्री धर्मेन्द्र यादव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों सहित मजदूरों से संग्रहित उप-कर सहित श्रम उप-कर को उपयोग में नहीं लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) संग्रहित उप-कर के माध्यम से मजदूरों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उप-कर को केवल मजदूरों के लिए पूर्णत: उपयोग में लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,1996, के अनुसार राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड एक निधि की स्थापना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि नाम से करता है। इस निधि का मुख्य स्रोत राज्य सरकारों द्वारा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से एकत्रित उपकर है जिसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996 में किए गए प्रावधान के अनुसार बोर्डों को अंतरित किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार निर्माण उपकर के रूप में 7057.29 करोड़ रुपये की कुल राशि एकत्र की गई थी जिसमें से 1009 करोड़ रुपयें का उपयोग निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ किया गया है।

(ग) और (घ) उपकर संग्रहण एवं कल्याण गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के उपबंधों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बल देती रही है। केंद्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को अप्रैल, 2010 में तथा हाल ही में 5 जून, 2012 करे उपकर संग्रहण एवं उसके उपयोग तथा अधिनियम को क्रियान्वित करने का लिखित अनुरोध किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव ने भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि वे कामगारों के पंजीकरण की गति को तीव्र करने, केंद्र सरकार की आदर्श योजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करने एवं निर्माण कामगारों एवं उनके बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए कल्याण निधियों का उपयोग करने के लिए कदम उठाएं।

[अनुवाद]

नदियों का प्रदूषण

2538. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी और तुंगभद्रा जैसी नदियां अभी भी उतनी ही प्रदूषित हैं जितनी कि वे पहले हुआ करती थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश में किये गये विभिन्न नदियों के जलगुणता मॉनीटरन के आधार पर 150 प्रदूषित क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं। इसमें कावेरी नदी के किनारे स्थित दो क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित तीन क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में इस समय कावेरी और तुंगभद्रा सहित 20 राज्यों के 191 शहरों की 41 नदियां शामिल हैं। योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न प्रदूषण स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ अपरिष्कृत मलजल का अंतरावरोधन और अपवर्तन, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्पलागत साफ-सफाई सुविधाओं का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाह गृहों की स्थापना और नदी तटाग्र विकास आदि शामिल हैं। कावेरी और तुंगभद्रा नदियों के लिए क्रमशः 156 और 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता सृजित की गई है।

[हिन्दी]

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश

2539. श्री गोपाल सिंह शेखावत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की ऐसी कोई सिफारिश थी कि जिससे यह अनिवार्य हो जाता है कि असैनिक अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे सेना अधिकारियों को सेना में वापस भेजा जाए और इस प्रकार सृजित रिक्तियों को असैनिक अधिकारियों द्वारा भरा जाए;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सुझाव देते हुए कि सशस्त्र सेनाएं प्रतिनियुक्ति पर गए तथा अन्य संगठनों में स्थाई सैकंडमेंट पर गए सैन्य अफसरों की संख्या की समीक्षा करे, यह मत व्यक्त किया था कि उन संगठनों के उत्तरोत्तर सिविलीकरण के माध्यम से सैन्य अफसरों को वहां से वापस लिया जाए और उन्हें सशस्त्र सेनाओं में तैनात किया जाए ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा ऐसी संस्थाओं के नाम नहीं बताए गए थे।

(ग) जी, नहीं, क्योंकि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के उपर्युक्त सुझाव को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना

2540. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना" के अंतर्गत राहत और बचाव उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एम्बुलेंस और क्रेनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस और क्रेनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन वाहनों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान देश में राहत सेवाओं के लिए चिन्हित गैर-सरकारी संगठनों और उनको प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त वाहनों के इष्टतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा संचालित सर्वेक्षण/लेखापरीक्षा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले तीन वर्ष के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना 'अभिघात केन्द्रों के एकीकृत नेटवर्क की स्थापना' के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 136 क्रेनें और अभिनिर्धारित अभिघात परिचर्या केन्द्रों को 70 उन्नत जीवन सहायक एंबुलेंसें प्रदान की हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस) के उपबंधों के अनुसार, उपस्कर की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिव के माध्यम से मंत्रालय को भेजी जानी अपेक्षित होती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों/परिवहन विभागों और गैर-सरकारी संगठनों की एंबुलेंसों, क्रेनों की तैनाती और उनके इष्टतम उपयोग सहित प्रत्येक राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपाती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रबंधों का मूल्यांकन करने के लिए मई, 2012 और जून, 2012 में बैठकें भी बुलाई थीं। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों में क्रेनों/एंबुलेंसों की तैनाती और उपयोगिता के संबंध में सूचना प्रदान की है। तथापि, कुछ राज्य जैसे प्रदेश, सिक्किम आदि को अभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी है। राष्ट्रीय दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 के लिए 10 टन क्रेन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छोटी रिकवरी क्रेनों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकता की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विभाग का नाम	10 टन क्रेन	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छोटी रिकवरी क्रेन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	23	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	2	6
3.	बिहार	परिवहन विभाग	6	-
4.	छत्तीसगढ़	डीजी/आईजी पुलिस	5	-
		परिवहन विभाग	2	-
5.	दिल्ली	परिवहन विभाग	6	-
6.	गोवा	डीजी/आईजी पुलिस	-	10 (5-मध्यम और 5-छोटी क्रेनें)
7.	हरियाणा	डीजी/आईजी पुलिस	-	10 (मध्यम आकार की)
		परिवहन विभाग	-	2
8.	हिमाचल प्रदेश	डीजी/आई पुलिस	10	-
		परिवहन विभाग	-	13

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	डीजी/आईजी पुलिस	-	33 (19-मध्यम आकार की और 14-छोटे आकार की)
		परिवहन विभाग	3	
10.	केरल	डीजी/आईजी पुलिस	4	4
		परिवहन विभाग	8	2
11.	मध्य प्रदेश	डीजी/आईजी	132	-
12.	मणिपुर	परिवहन विभाग	5	-
13.	मेघालय	डीजी/आईजी पुलिस	-	12 (6-छोटी और 6 मध्यम आकार की क्रेनें)
		परिवहन विभाग	-	1
14.	मिजोरम	डीजी/आईजी पुलिस	-	8
		परिवहन विभाग	3	-
15.	ओडिशा	परिवहन विभाग	17	-
16.	पंजाब	डीजी/आईजी पुलिस	10	-
17.	राजस्थान	परिवहन विभाग	34	-
18.	सिक्किम	डीजी/आईजी पुलिस	-	10 (5-मध्यम और 5-छोटे आकार की)
	परिवहन विभाग	-	2	/
19.	त्रिपुरा	परिवहन विभाग	4	11 (5-मध्यम और 6-छोटे आकार की)
20.	उत्तराखंड	डीजी/आईजी पुलिस	-	5
		परिवहन विभाग	-	15
21.	उत्तर प्रदेश	परिवहन विभाग	19	-
22.	पश्चिम बंगाल	डीजी/आईजी पुलिस	5	10
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	परिवहन विभाग	2	-

1	2	3	4	5
24.	पुदुचेरी	डीजी/आईजी पुलिस	-	3 (एक मध्यम और 2 छोटे आकार की क्रेनें)
	जोड़		300	180

वर्ष 2010-2011 के लिए 10 टन क्रेन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छोटी रिकवरी क्रेनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकता की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विभाग का नाम	10 टन क्रेन	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छोटी रिकवरी क्रेन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	परिवहन विभाग	10	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	-	10
3.	असम	परिवहन विभाग		
4.	छत्तीसगढ़	डीजी/आईजी पुलिस	5	-
5.	दिल्ली	डीजी/आईजी पुलिस	6	6 (1.5 टन)/ 6 (2.5 टन)
6.	गुजरात	डीजी/आईजी पुलिस	17	16
7.	गोवा	डीजी/आईजी पुलिस परिवहन विभाग	2	5 (5-मध्यम और 5 छोटी क्रेनें)
8.	हरियाणा	डीजी/आईजी पुलिस	7	-
9.	हिमाचल प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस परिवहन विभाग	6 10	- 10
10.	जम्मू और कश्मीर	डीजी/आईजी पुलिस	-	48
11.	कर्नाटक	डीजी/आईजी पुलिस	24	18
12.	केरल	डीजी/आईजी पुलिस	5	5
13.	मध्य प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	127	-
14.	मणिपुर	डीजी/आईजी पुलिस		

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	डीजी/आईजी पुलिस	-	4
16.	मिजोरम	डीजी/आईजी पुलिस	-	6
		परिवहन विभाग	4	10
17.	नागालैंड	परिवहन विभाग	4	4
18.	पंजाब	डीजी/आईजी पुलिस	8	15
19.	राजस्थान	परिवहन विभाग	34	
20.	सिक्किम	पुलिस विभाग		
21.	त्रिपुरा	डीजी/आईजी पुलिस	4	9 (3 मध्यम, 6-छोटी)
		परिवहन विभाग	4	9 (3-मध्यम, 6-छोटे आकार की)
22.	उत्तराखंड	डीजी/आईजी पुलिस		
23.	उत्तर प्रदेश	परिवहन विभाग	19	-
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	डीजी/आईजी पुलिस	5	5
		परिवहन विभाग	2	-
	जोड़		303	191

वर्ष 2011-2012 के लिए 10 टन क्रेन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छोटी रिकवरी क्रेनों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकता की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विभाग का नाम	क्रेनें (10 टन)	छोटी/मध्यम आकार की क्रेनें	एंबुलेंस
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	63	-	-
		परिवहन विभाग	5	5	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस		26 (3 से 5 टन क्षमता)	21 (टाटा सूमो या 407 (4 4) एंबुलेंस)
		परिवहन विभाग	-	23	23

1	2	3	4	5	6
3.	असम	परिवहन विभाग	7	12	12
4.	छत्तीसगढ़	पुलिस विभाग	5	-	5
5.	हरियाणा	डीजी/आईजी पुलिस	8	10	10
6.	हिमाचल प्रदेश	परिवहन विभाग	10	16	18 (बीएलएस)
7.	जम्मू और कश्मीर	डीजी/आईजी पुलिस	58	74	66 (बीएलएस)
		परिवहन विभाग	12	13	12
8.	झारखंड	डीजी/आईजी पुलिस	33	34	40
9.	कर्नाटक	डीजी/आईजी पुलिस	24	18	-
10.	केरल	डीजी/आईजी पुलिस	2 (2-5 टन और 2 एक टन)	-	-
		परिवहन विभाग	1. पुलिस विभाग	15	15 (बीएलएस)
		केरल सड़क सुरक्षा प्राधिकरण	16 (13-5 टन और 9-1 टन)		
			2. अग्निशमन और बचाव विभाग 8	-	118 (स्वास्थ्य विभाग के लिए बीएसएल)
11.	मध्य प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	40	68	89
12.	महाराष्ट्र	डीजी/आईजी पुलिस	40	23	63 (बीएलएस)
13.	मणिपुर	परिवहन विभाग	-	5	-
14.	मेघालय	डीजी/आईजी पुलिस	24	29	25
		परिवहन विभाग	संख्या उल्लिखित नहीं	संख्या उल्लिखित नहीं	संख्या उल्लिखित नहीं
15.	मिजोरम	परिवहन विभाग	-	-	10
16.	नगालैंड	डीजी/आईजी पुलिस	5	-	5 (बीएलएस-एंबुलेंस टाटा विंगर एसी)
		परिवहन विभाग	5	-	5

1	2	3	4	5	6
17.	ओडिशा	डीजी/आईजी पुलिस	10	15	21
		परिवहन विभाग	5	-	-
18.	पंजाब	डीजी/आईजी पुलिस	10	-	-
19.	सिक्किम	परिवहन विभाग	उल्लिखित नहीं	-	-
20.	तमिलनाडु	डीजी/आईजी पुलिस	10	5	10 (बीएलएस)
21.	त्रिपुरा	डीजी/आईजी पुलिस	4 (3-मध्यम)	6	-
22.	उत्तराखंड	डीजी/आईजी पुलिस	-	6	2
		परिवहन विभाग	-	20	25
23.	उत्तर प्रदेश	डीजी/आईजी पुलिस	72 लिफ्टिंग क्रेनें	-	50
		परिवहन विभाग	62	-	56
24.	पश्चिम बंगाल	परिवहन विभाग	6	6	22
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	डीजी/आई पुलिस	4	-	6
		परिवहन विभाग	6	6	-
26.	चंडीगढ़	परिवहन विभाग	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		554	435	739

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराए गए एंबुलेंसों/ क्रेनों के ब्यौरें

वर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
राज्य	क्रेन (10 टन)	क्रेन (छोटी/ मध्यम आकार)	एंबुलेंस	क्रेन (10 टन)	क्रेन (छोटी/ मध्यम आकार)	एंबुलेंस	क्रेन (10 टन)	क्रेन (छोटी/ मध्यम आकार)	एंबुलेंस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2	-	-	-	-	12	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	–	1	–	–	–	–	–	5	–
असम	–	–	–	–	–	–	1	1	–
बिहार	1	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	1	–	–	–	–	–	2	–	–
गोवा	–	1	–	–	–	–	1	–	–
गुजरात	–	–	–	–	–	11	3	–	–
हरियाणा	–	2	–	–	–	1	2	–	–
हिमाचल प्रदेश	4	5	–	–	–	–	–	5	–
जम्मू और कश्मीर	1	2	–	–	–	2	–	5	–
झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	7	5	–	–
केरल	2	1	–	–	–	–	2	–	–
मध्य प्रदेश	5	–	–	–	–	–	5	–	–
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	3	–	–	–
मणिपुर	1	–	–	–	–	–	–	2	–
मेघालय	–	4	–	–	–	–	–	4	–
मिजोरम	1	2	–	–	–	–	–	4	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	3	–
ओडिशा	2	–	–	–	–	3	–	–	–
पंजाब	1	–	–	–	–	1	2	–	–
राजस्थान	2	–	–	–	–	10	6	–	–
सिक्किम	–	3	–	–	–	–	–	2	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	9	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	1	2	–	–	–	–	–	2	–
उत्तराखंड	–	4	–	–	–	–	–	2	–
उत्तर प्रदेश	1	–	–	–	–	9	6	–	–
पश्चिम बंगाल	2	2	–	–	–	2	–	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	1	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	3	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुदुचेरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	30	30	–	–	–	70	40	36	–

बाल मजदूरों के लिए विद्यालय

2541. श्री बलीराम जाधव :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत आवंटित निधियों और खर्च की गई धनराशि सहित चलाए जा रहे विद्यालयों की जिलावार संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु जिला स्तर पर परियोजना समितियां गठित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों के ध्यान में आई मुख्य कमियां/शिकायतें क्या हैं;

(ङ) परियोजना समितियों में सम्मिलित सिविल विशेषरूप से मध्य प्रदेश के सागर और विदिशा जिलों की सोसाइटियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं;

(च) क्या प्रशासन अथवा विभिन्न अन्य कारणों से एनसीएलपी के अंतर्गत कुछ विद्यालयों को बंद किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं से हटाए गए/मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इस योजना के तहत 7311 विशेष स्कूल चलाए

जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) जिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) लगभग 3.2 लाख बच्चे विशेष विद्यालयों में दाखिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन के अनुवीक्षण के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में परियोजना समितियों का गठन किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई प्रमुख कमी/शिकायत की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) मध्य प्रदेश के सागर जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत सिविल सोसाइटी तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित योजना समिति का संघटन संलग्न विवरण-III में दिया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

(च) और (छ) विशेष विद्यालयों में 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को औपचारिक/अनौपचारिक पद्धति के आधार पर संघनित पाठ्यक्रम वाली शिक्षा अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् बच्चों से पांचवीं कक्षा के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद की जाती है। विशेष विद्यालयों में अधिकतम तीन वर्ष पूरे करने के पश्चात बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में शामिल किया जाता है और समय-समय पर परियोजना समितियों द्वारा किए जाने वाले ताजे सर्वेक्षण के आधार पर उन्हें विद्यालय पुनः आवंटित किए जाते हैं।

विवरण-I

उन जिलों की सूची जहां विशेष विद्यालय चलाए जा रहे हैं

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डापा, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, खम्माम, नेल्लूर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प.गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद और कृष्णा
2.	असम	3	नॉगांव, कामरूप और लखीमपुर
3.	बिहार	24	नालंदा सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर
4.	छत्तीसगढ़	7	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और कोरबा
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, भुज, बनासकांठा, दाहोद, बडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट
6.	हरियाणा	3	गुडगांव, फरीदाबाद और पानीपत।
7.	जम्मू और कश्मीर	2	श्रीनगर और उधमपुर

1	2	3	4
8.	झारखंड	8	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, प. सिहंभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू और हजारीबाग
9.	कर्नाटक	15	बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलौर, ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, दावणगेरे, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या
10.	मध्य प्रदेश	21	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) और झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना और कटनी
11.	महाराष्ट्र	15	सोलापुर, थाणे, सांगली, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गोंदिया और मुम्बई उप नगर
12.	नागालैंड	1	दीमापुर
13.	ओडिशा	24	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलंगीर, कटक, देवगढ़ गजपति, (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगड़, सम्बलपुर, सोनपुर, जयपुर, क्योंझर, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़, और सुन्दरगढ़
14.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर
15.	राजस्थान	27	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाडा, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुझंनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा, बारन
16.	तमिलनाडु	17	चिदम्बरनार (तूतीकोरिन), कोयंबदूर, धरमापुरी, वेल्लोर, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोड, डिन्डीगुल, थेनी, कांचीपुरम, थिरूवन्नामल्लाई, तिरूवल्लूर, नाम्मक्कल और विरूधनगर
17.	उत्तर प्रदेश	47	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बारांबकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नौज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कोशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जोनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद
18.	उत्तराखंड	1	देहरादून

1	2	3	4
19.	पश्चिम बंगाल	18	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर
20.	दिल्ली	1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	कुल	266	

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जारी अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 नवम्बर, 2012 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	399.52	705.69	1013.61	448.54
2.	असम	616.68	378.55	891.57	429.47
3.	बिहार	1661.44	727.43	1338.49	264.03
4.	छत्तीसगढ़	293.99	364.82	620.44	377.68
5.	गुजरात	169.64	165.01	67.12	65.32
6.	हरियाणा	63.28	186.77	99.10	128.11
7.	जम्मू और कश्मीर	0	25.66	50.60	15.00
8.	झारखंड	155.95	47.78	391.63	86.59
9.	कर्नाटक	447.03	64.47	220.74	162.36
10.	मध्य प्रदेश	560.92	608.25	1332.28	413.08
11.	महाराष्ट्र	419.39	433.32	973.17	517.38
12.	नागालैंड	21.43	40.87	36.55	0

1	2	3	4	5	6
13.	ओडिशा	862.56	1167.78	1374.26	604.35
14.	पंजाब	127.22	130.59	208.82	133.70
15.	राजस्थान	371.58	395.64	436.53	95.91
16.	तमिलनाडु	449.53	504.28	854.26	415.00
17.	उत्तर प्रदेश	1627.43	1772.83	1585.40	696.17
18.	उत्तराखंड	0	0	26.40	0
19.	पश्चिम बंगाल	1015.35	1537.63	220498	828.94

विवरण-III

मध्य प्रदेश के सागर जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत परियोजना समिति का संघटन

1	2	3
1.	कलेक्टर, सागर	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह, सांसद, लोक सभा, सागर	सदस्य
3.	माननीय श्री शिवराज भैया, सांसद, लोक सभा, दामोह	सदस्य
4.	माननीय श्री गोपाल भार्गव, विधायक, रेहली एवं माननीय मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	माननीय श्री भानुराधा, विधायक, देवरी	सदस्य
6.	माननीय प्रदीप लारिया, विधायक, नरयावली	सदस्य
7.	माननीय श्री शैलेन्द्र जैन, विधायक, सागर	सदस्य
8.	माननीय डॉ. श्रीमती विनोद पंथी, विधायक, बीना	सदस्य
9.	माननीय श्री गोविन्द सिंह राजपूत, विधायक, सुर्खी	सदस्य
10.	माननीय श्री अरुणोदय चौबे, विधायक, खुराई	सदस्य
11.	माननीय श्री नारायण प्रजापति, विधायक, बांदा	सदस्य
12.	माननीय श्री हरवंश सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सागर	सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी, सागर	सदस्य
14.	परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, सागर	सदस्य

1	2	3
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सागर	सदस्य
16.	सहायक श्रमायुक्त, सागर	सदस्य
17.	संयुक्त निदेशक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, सागर	सदस्य
18.	जिला वयस्क शिक्षा अधिकारी, सागर	सदस्य
19.	कार्यालय प्रभारी, भूमि अभिलेख, सागर	सदस्य
20.	महाप्रबंधक, जिला औद्योगिक केन्द्र, सागर	सदस्य
21.	उप-निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन, सागर	सदस्य
22.	अग्रणी बैंक अधिकारी, सेंट्रल बैंक, सिविल लाइन्स, सागर	सदस्य
23.	वरिष्ठ अधिकारी, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, सागर	सदस्य
24.	अध्यक्ष, एटक, सागर	सदस्य
25.	बीओआरएएल के प्रतिनिधि, बीना	सदस्य
26.	बीना पावर कं. के प्रतिनिधि	सदस्य
27.	घड़ी डिटर्जेंट के प्रतिनिधि, सागर	सदस्य
28.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय बीड़ी श्रमिक अस्पताल, सागर	सदस्य
29.	सेवा भारती, एनजीओ, सागर	सदस्य
30.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, सागर	सचिव
31.	परियोजना निदेशक, एनसीएलपी, सागर	नोडल अधिकारी

[अनुवाद]

एनसीएससी/एनसीएसटी के सुझावों का क्रियान्वयन न होना

2542. श्री सोमेन मित्रा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामलों में सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निष्कर्षों/सुझावों पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से तथा ऐसे किसी अन्य समय पर जैसा आयोग उपयुक्त समझे, संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदत्त रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 338 के खंड 6 के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को, संघ से संबंधित अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किए जाने के लिए कहेंगे।

एनसीएससी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन की जांच की जाती है।

[हिन्दी]

जालौर में सड़क निर्माण

2543. श्री देवजी एम. पटेल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट की कमी के कारण जालौर स्थित सायला में सड़क संगठन, सामान्य आरक्षित अभियंता बल (जीआरईएफ) ने सड़क निर्माण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सड़क के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सड़क का नाम स्पष्ट नहीं है। तथापि, सीमा सड़क संगठन को जालौर जिले में सियाला गांव के पास से गुजरती हुई जालौर-सिन्धी सड़क सौंपी गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष में 8.16 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य की योजना बनाई गई है।

(ग) उक्त सड़क के निर्माण-कार्य की चालू वित्तीय वर्ष में किए जाने की पहले ही योजना है तथा इस सड़क के लिए 8.16 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई हैं।

[अनुवाद]

नदी तल से बालू निकालने पर रोक

2544. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि देश में बालू का खनन व्यापक रूप से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अत्यधिक बालू निकालने के कारण देश की पारिस्थितिकी पर बुरा असर पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु कुछ उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं; और

(च) नदी तल से अत्यधिक बालू निकालने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) बालू के खनन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। बालू सहित लघु खनिजों के सभी खनन कार्यकलापों के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अपेक्षित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन वैज्ञानिक और सतत् ढंग से हो।

(ग) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने लघु खनिजों के खनन से संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं की जांच के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में दिनांक 24.3.2009 एक समूह गठित किया था। इस समूह ने मार्च, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और लघु खनिज की परिभाषा, खान पट्टे के आकार, खान पट्टे की अवधि, खान-समूह, छोटे आकार की खानों के लिए दृष्टिकोण, लघु-खनिजों के लिए खनिज-योजना की अपेक्षा, नदी तल से खनन आदि के संबंध में कई सिफारिशें की थीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे रिपोर्ट की जांच करके खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अंतर्गत आने वाले लघु खनिजों के खनन संबंधी खनिज रियायत नियमों में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को शामिल करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें। "दीपक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" मामले में 2009 की एसएलपी (सी) संख्या 19628-19629 में 2011 की आईए संख्या 12-13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27.02.2012 के अपने आदेश के तहत यह निदेश दिया है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मार्च, 2010 में प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अंतर्गत आवश्यक नियम बनाने के लिए तुरंत कदम उठाएं।

रक्षा कार्मिकों को निःशक्तता लाभ

2545. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कार्मिक नि:शक्तता लाभ हेतु पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो छुट्टी के दौरान घायल अथवा दुर्घटना में चोटिल होने वाले नि:शक्त कार्मिकों को नि:शक्तता का लाभ न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक जिन्हें सैन्य सेवा के कारण हुई नि:शक्तता अथवा नि:शक्तता में हुई बढ़ोतरी के बावजूद सेवा में बनाए रखा जाता है, वे नि:शक्तता के समय नि:शक्त/युद्ध घायल होने के कारण एकमुश्त क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होते हैं। ऐसे कार्मिक, जो अपने की सेवा में बनाए रखने का विकल्प नहीं चुनते हैं वे सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय नि:शक्तता पेंशन/युद्ध घायल पेंशन के लिए पात्र होते हैं। कार्मिक द्वारा जब एक बार एकमुश्त क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली गई हो तो उन्हें सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर कोई नि:शक्तता पेंशन/युद्ध घायल पेंशन देय नहीं होती। नि:शक्त कार्मिकों को नि:शक्तता का लाभ देने के लिए प्रमुख कारक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नि:शक्तता और सैन्य सेवा के बीच एक सांयोगिक संपर्क स्थापत करना है। ड्यूटी स्टेशन से छुट्टी के स्थान की ओर विलोमतया यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को भी सामान्यतया सैन्य सेवा के कारण हुई माना जाता है।

[हिन्दी]

ट्यूशन फीस का संवितरण

2546. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-सह-साधन छात्रवृति योजनाओं के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए पूर्ण फीस के संवितरण/प्रतिपूर्ति हेतु एक प्रणाली क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (पीएमएस-ओबीसी योजना) के अंतर्गत, पहले ही भरण-पोषण भत्ते, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए वाचक प्रभार, अध्ययन दौरा प्रभार, शोध प्रबंध टंकण/छपाई प्रभार और पत्राचार पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए पुस्तक भत्ते के अतिरिक्त अनिवार्य वापस न लौटाए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान है।

अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए कोई योग्यता सह साधन योजना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उद्योगों द्वारा जहरीली गैसों का उत्सर्जन

2547. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण को प्रदूषित करने में औद्योगिक विकास के परिणाम के रूप में जहरीली गैसों का उत्सर्जन मुख्य भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा देश में जहरीली गैसों का उत्सर्जन करने वाले चिहिनत उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक विकास के कारण जहरीली गैसों के उत्सर्जन का पर्यावरण की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ देश में 53 महानगरों सहित 222 शहरों/कस्बों के 537 स्थलों पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा रही है। पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रदूषण के उपशमन हेतु नीतियों को तैयार करना, उन्नत ऑटो-ईंधन की आपूर्ति, वाहन जनित एवं औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को सख्त किया जाना, विनिर्दिष्ट उद्योगों हेतु पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बनाना, म्युनिसिपल, खतरनाक एवं बायो मेडिकल अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छता प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, प्रमुख शहरों एवं गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वियन जन जागरुकता बढ़ाना आदि शामिल है।

(ग) और (घ) उच्चतर प्रदूषित उद्योगों की 17 श्रेणियों जैसे लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, थर्मल विद्युत संयंत्र, कॉपर तथा लेड स्मेलटर, एलुमिनियम, फर्टिलाइजर, तेल रिफाइनरी, पेट्रो रसायन आदि से होने वाले उत्सर्जन परिवेशी पर्यावरण के प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्योगों से होने वाले उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ऐसे उद्योगों से निकलने वाले गैसीय प्रदूषकों हेतु मानक अधिसूचित किए हैं। जेनसेटों तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता हेतु मानकों को अधिसूचित किए जाने के अलावा उद्योगों की 59 श्रेणियों हेतु उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इन उद्योगों द्वारा अधिसूचित मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उप-क्षेत्रों के कार्य निष्पादन प्रवृत्ति में वार्षिक विकास दर 8.7% थी।

विकास संबंधी परियोजनाओं को पूरा करना

2548. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अपने सदस्यों की संख्या की कमी के कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश की विकास परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसी खंडपीठों (बैंचों) सहित एनजीटी में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनजीटी में सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अधिनियम, 2010 की धारा 4 में अन्य बातों के साथ-साथ, एनजीटी में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्यों के अध्यधीन तथा समान संख्या में विशेषज्ञ सदस्यों की व्यवस्था की गई है। इस समय, अधिकरण में 3 न्यायिक सदस्य और 6 विशेषज्ञ सदस्य हैं। एनजीटी में 6 न्यायिक सदस्यों तथा 4 विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति को भेजा गया है।

[हिन्दी]

विश्व विरासत

2549. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी को विश्व विरासत के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) सरकार के पास गंगा नदी को विश्व विरासत के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से गंगा नदी के अद्वितीय महत्व को मानकर इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है।

[अनुवाद]

स्वीकृति संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

2550. श्री राजू शेट्टी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री नरेश दयाल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के संबंध में लवासा परियोजनाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) श्री नरेश दयाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट और की गई सुनवाइयों के आधार पर, मंत्रालय ने दिनांक 17 जनवरी, 2011 को मैसर्स लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलसीएल) को यथा स्थिति बरकरार रखने और किसी प्रकार का निर्माण कार्य

न करने तथा परियोजना ब्यौरों को उनके गुण दोषों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत करने के अंतिम निर्देश जारी किए।

तद्नुसार, मैसर्स एलसीएल ने ग्राम मुलशी तथा वेल्हे तालुका, जिला पुणे, महाराष्ट्र में हिल स्टेशन के विकास हेतु पहले चरण (2000 हैक्टेयर) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया। ईएसी ने पांच पूर्व-शर्तों सहित विभिन्न शर्तों के अध्यधीन पर्यावरण मंजूरी (ईसी) जारी करने हेतु इस परियोजना की सिफारिश की। एक पूर्व शर्त के अनुसार, सचिव (पर्यावरण), महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया गया किया कि वे परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण), अधिसूचना, 1986 के उल्लंघन हेतु कार्रवाई करें। तद्नुसार, पुणे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दिनांक 4.11.2011 को आरसीसी सं. 4671/2011 द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई कार्रवाई सहित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और पांच पूर्व-शर्तों के अनुपालन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उचित प्रक्रिया को अपनाने के प्रावधान विभिन्न पर्यावरणीय रक्षोपाय निर्धारित करते हुए इस परियोजना को दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को पर्यावरण मंजूरी दी गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से मना करना

2551. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने से मना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य से परामर्श करके इस संबंध में अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी करते हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य और जिलों के स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।

परियोजनाओं को स्वीकृति

2552. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरणीय स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए लघु उद्यमियों की अपीलों पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु उच्चस्थ स्तरों पर एक पृथक तंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का किस तरह से स्वीकृति की समस्या का समाधान करने और प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) मामलों में देरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए अलग से तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा तंत्र पहले से विद्यमान है। पर्यावरणीय मंजूरियों हेतु मामलों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रस्तावों का मूल्यांकन शीघ्रता से करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित बैठकें।

(ii) सभी स्टेकहोल्डरों के सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाइट पर परियोजना स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना।

(iii) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईआईए रिपोर्ट तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट मैनुअल तैयार किए गए है और मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

शकुन्तलम थियेटर

2553. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के स्वामित्व में प्रगति मैदान में स्थित शकुन्तलम थियेटर को हाल ही में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि थियेटर के अतीत के गौरव को संरक्षित रखने के लिए इसे पुन: खोला जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां। दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से वाणिज्यिक फिल्मों का नियमित प्रदर्शन बंद कर दिया गया है।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि शाकुन्तलम थिएटर का उपयोग संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा अन्य व्यापार संवर्धन कार्यकलापों के लिए किया जाएगा।

(ग) हमें निर्णय के खिलाफ कुछ जन सदस्यों से लगभग 25 प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) आईटीपीओ को प्रगति मैदान के लीज के लिए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रगति मैदान के एक भाग के रूप में शाकुन्तलम थिएटर का उपयोग केवल संगोष्ठियों, सम्मेलनों और अन्य व्यापार कार्यकलापों के लिए ही किया जा सकता है।

पत्तनों को सड़कों के साथ जोड़ना

2554. श्री के. सुगुमार : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में पत्तन संपर्क परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी निधियां निर्धारित/उपयोग की गई हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं में देरी के कारण समय और लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) कार्य की गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में पत्तन संपर्क परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ख) ब्यौरा और वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित/प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न परियोजना विशिष्ट कारणों से कुछ परियोजनाओं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है, को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(ङ) मामलों को हल करने तथा विलंब करने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए प्रत्येक स्तर पर सभी संभव उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। परियोजनाओं को पूरा करने की वास्तविक/संभावित तारीख का संलग्न विवरण-I में दी गई है।

विवरण-I

महापत्तन संपर्क के लिए परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	कार्य का नाम	लंबाई (किमी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	पूरा होने की संभावित/ वास्तविक तिथि	अक्तूबर, 12 तक संचयी प्रगति % में	वर्तमान स्थिति/विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल में कोलाघाट से हल्दिया तक हल्दिया पत्तन संपर्क (रारा-41)	52.2	522	दिसम्बर, 2012	97.5	मई, 2012 में कार्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है सिवाय मेचड़ा आरओबी पर कुछ लघु कार्यों के जिन्हें पूरा किया जाना है।
2.	ओडिशा में चंडीखोले से पारादीप तक पारादीप पत्तन संपर्क (रारा-5ए)	77	525.42	मई, 2010	पूर्ण	लागू नहीं
3.	आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पत्तन संपर्क	12.5	116	दिसम्बर, 2004	पूर्ण	लागू नहीं
4.	तमिलनाडु में चेन्नई-एन्नोर पत्तन संपर्क	30	600 (अनुसूची के अनुसार)	जून, 13	42.11	कोई विलंब नहीं
5.	बीओटी आधार पर एनएचडीपी चरण-VII के अंतर्गत रारा-4 पर गेट नं. 10 (चेन्नई पत्तन) से मदुरागोयल तक उत्थापित सड़क	19	1815	सितम्बर, 2013	14.79	कोई विलंब नहीं
6.	तमिलनाडु में रारा-7 पर तुतीकोरिन पत्तन संपर्क परियोजना	47.2	349.50	दिसम्बर, 2012	85	कोई विलंब नहीं
7.	कोचीन में किमी. 348.4 से किमी. 358.75 तक रारा-47 को 4 लेन का बनाया जाना	10.40	193	जनवरी, 2011		
8.	कर्नाटक में रारा-13, 17 और 48 पर नया मंगलौर पत्तन परियोजना	37.5	363	दिसम्बर, 2012	96	कोई विलंब नहीं

1	2	3	4	5	6	7
9.	गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 17बी पर मोरमुगाओ पत्तन संपर्क	18.3	145	दिसम्बर, 2011	10.44	(i) 13.1 किमी. में कार्य पूर्ण। (ii) शेष 5.2 किमी. में कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पश्चात् भी ऋण भार मुक्त भूमि उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के कारण रूका रहा। (iii) राज्य सरकार ने भारतीय माननीय उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शेष कार्य हाल ही में कार्यान्वयन के लिए गोवा सरकार को सौंप दिया गया है।
10.	जेएनपीटी: पनवेल क्रीक ब्रिज सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 4बी, रारा-4, आमरा मार्ग और एसएच-54 (अब राष्ट्रीय राजमार्ग 348) को चार लेन का बनाया जाना	44.4	302	दिसम्बर, 2008	पूर्ण	लागू नहीं

विवरण-II

महापत्तन सड़क संपर्क के लिए परियोजनाओं संबंधी एसपीवी के लिए निर्धारित/प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	एसपोवी का नाम	निर्धारित निधि (करोड़ रुपए)	उपयोग निधि (करोड़ रुपए)
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता - हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	522.00	426.13
ओडिशा	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	525.42	498.04
महाराष्ट्र	मुंबई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	600.00	252.66
केरल	कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	193.00	179.33
तमिलनाडु	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	600.00	336.80
तमिलनाडु	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	349.50	221.25
कर्नाटक	नव मंगलूर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	363.00	232.59
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	116.70	111.72
गोवा	मोरमुगाओ पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	145.00	91.63

[हिन्दी]

दलितों पर अत्याचारों को रोकने हेतु निगरानी प्रणाली

2555. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हिंसा, दुरूपयोग और शोषण के मामलों की जांच करने के लिए कोई सामुदायिक प्रणाली तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम हेतु उपचारात्मक उपाय करने के लिए अत्याचार की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अत्याचार के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों को ब्यौरा क्या है;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार रोकने की दृष्टि से अधिनियमित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबोधित करती रहती है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संबोधित, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में दिनांक 10.04.2010 के अपने सलाह-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें हिंसा, दुर्व्यवहार एवं शोषण के मामलों को रोकने के लिए एक सामुदायिक मानीटरिंग प्रणाली विकसित करने और इन्हें नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा जागरुकता पैदा करने एवं इसके प्रसार मे सामान्य रूप से समुदाय को भी शामिी करने की सलाह दी थी।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान एवं उत्तर

प्रदेश की राज्य सरकारों ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनका, उपलब्ध सूचना के अनुसार, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) पीओए अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई पीओए नियमावली, 1995 के नियम 12 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख है कि जिला मजिस्ट्रेट आदि अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों का नियम में अनुबंधित अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार, नकद या माल के रूप में या दोनों प्रकार से तुरंत राहत प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे, जिसे दिनांक 23.12.2011 की राजपत्र अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया है और इसमें प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का न्यूनतम पैमाना (अपराध की प्रकृति के अनुसार 50,000 रुपए से 500,000रुपए के बीच) निर्धारित करेंगे। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 24,136 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई थी।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र (जिले, अन्यथा विनिर्दिष्ट)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	**जिला करीम नगर** करीम नगर-II , एलएमडी कालोनी, बेजानकी, मुलकनूर, इब्राहीमपतनम, जुलापल्ली, मुथारम (एम), जाम्मीकुंता, कमलपुर, कोंरापेत, सिरसील्ला, गोल्लापल्ली, गंगाधारा, कतराम, गामभारोपेत, इल्लांथकुंता, बोयनापल्ली, जगतीयल टाऊन, मेतपल्ली, मांथानी, **जिला कुड्डप्पा** वेल्लूर मंडल, कोपल (वी), प्रोड्डातूर मंडल, कल्लूर (वी), छोटाप्पली (वी), कमारनूर (वी), नंनगानूर पल्ली (वी), राजूपाले मंडल, तंगूतूर (वी), परल्लापड्डू (वी), अराकाता वेमूला (वी), वेलावली (वी), चापडू मंडल, कोथावरम (वी), वेदूरूरु (वी), चीपाडू (वी), चिन्नागुरुवेलूरु (वी), सम्बेपल्ली मंडल, कडीयालावनपल्ली (वी), चिन्नामाडेम मंडल, मालापल्ली (वी), माइडुकूर मंडल, एन. वेरावल्ली (वी) डुवूर मंडल, मेडीरेडीपल्ली (वी), नेलातूरु (वी), पेडाजोनावरम (वी), डुव्वूरा (वी), खाजीपेट मंडल, मुथुलूरूपाडी (वी), रवूलापल्ली (वी), नगासानीपल्ली (वी), थुडुमालाडिने (वी), बी. मटटम मंडल, मल्लेपल्ली (वी), धीरसावंचा (वी), नेल्लातूरु (वी), गोडलावीडू (वी), सोमीरेडीपल्ली (वी), बडवेल मंडल, बडवेल टाउन, गोपावरम मंडल, कोथाचेरूवू (वी), रासापेट (वी), अतलूरु मंडल, कनासामुद्रम (वी), इरुवूरू (वी), अतलूरु (वी), कालासापाडू मंडल, राजूपलेम (वी), बी. कोडूरु मंडल, बी. कोडूरु (वी), चितवेल मंडल, थिम्मैयागरीपल्ली (वी), वीराभल्ली मंडल, पुथावंडाल्लापटी (वी)। **जिला वारंगल** थाटी कोंडा, अथमाकुर, अन्नारम, मोन्द्रै, नगयैपल्ली, पेरुकेडु, सीथमपेट, थिमापुर, थुरकालासोमारम, थीगाराजूपल्ली, इनावोला, सन्नूरू, सुदानापल्ली, चेन्नारम, एनूगल्लू, गीसूगोंडा, कटरेयल, सिरोले। **जिला निजामाबाद** अरमूर, अंकापुर, न्यालकल, कुलासपुर, मोफल, नंदीपेट, निजामपुर, अभांगापटम, थिमापुर, डोनकल, रम्मनापेट ग्राम, अलूर, भीमगल, मनचीप्पा, चिंथाकुटा, मोसरा, जुआकुरा अदीवीलींगल, कोमटपल्ली, मुनजीपेट, सेटपल्ली, जुबादी, एरागुट्टाल्ला, बानापुर, इकलारा, पेड्डा इडगी, संथापुर। **जिला श्रीकाकुलम** सरुगुजिल्ल मंडलः पुरसोट्टनपुरम, पोनडूरु मंडलः रपाका। **जिला रंगा रेड्डी** बिजवार, चेगोले, संगमकला, पेड्डेमूल मंडल की मनसानपल्लली, यल्ललाल, अचयाथापुर, जुंटूपल्ली, विकाराबाद मंडल की वीरामपल्ली पीलारम, मारपल्ली मंडल की

1	2	3
		मोगिलीगुंडला, बंतारम मंडल की नगरम और मोटकूपल्ली, चेवेल्ला मंडल की रेगाडीधानपुर, साबाद मंडल की शोलीपेट, अंनथरम, ओगीपुर, टुंडुर मंडल की टंडुर टाउन, रेडीगानापुर, कोकट, बानापुर, चेन्नारम, गट्टेपल्ली, पुलमामीदी नवावपेट मंडल, पमेना, संकेतपल्ली, बल्कपुर, जिंगुरथी, उदंडापुर, जनगम, बसीराबाद मंडल का एकमैं, पगडीपल्ली, कमालपुर, यल्ल मंडल का देवानूर, थरूर मंडल का डोरनल एंड जेदपल्ली, रोमपल्ली, जालागुडा, शाबाद, टंगुटुर, संकरापल्ली मंडल का कोटापल्ली, पुडुगुरथी, शयद मलकापुर, पगिडीयाल, गंडीडका का कोंडापुर, मोहमदाबाद मंडल पीरापल्ली पोथीरेडीपल्ली, डोमामंडल का बसपल्ली, चिंथालपल्ली, पुडुर (एम) को चिलापुर, चंगोमूल पीएस, परीगी, सलकारपेट, थिरूमालापुर, कोथापल्ली बमपल्ली, कंकल, चिगूरालापल्ली, परीगी मंडल का नगकाल, मुनसोदरापल्ली, चकालीपल्ली, चकालीपल्ली, कुलाकचेरल, मंडल का कलमानमकुल्लवा, गुडूगोनियापल्ली।
		जिला कुरनूल कुरनूल उप-मंडल, पेड्डानेलातूर, कुरनूर, पीयालाकुरथी, लड्डागिरी, नंदयाल उप-मंडल, पुसूलूर, पोनानपोरम, अयालूर, गजूपल्ली, थम्माडापल्ली, कोडाजूतूर, मेरावादा, आलमपुर, कोराटामडी, धानी, मनचालाकता, पैसारावल, पलूपुर, रामाकृष्णापुरम, पेडालेवेल्लापुरम, गोनावरम, धोने उप-मंडल, बुलकापुरम, चेरलोल्ली, ओक एवं ढोने अदोनी उप-मंडल अलूर, करुवल्ली, कुरमाचेडु, मूलूगुंडम, बनावननूर, पुटसकलामरी, सुहीवे, हेबबाटम, नेरीकी, कमीनाहाल, चिंथाकुंता, गुडीकाबालूर, ओडूर एवं बापूरम, **अतमाकूर उपमंडल**, अमालपुरम, नल्लाकलवा, कुरुकुंडा, एसएन थांडा, इंदरस्वरम, मुस्तेपल्ली, रेगाडुगूर, पमूलापडु, रुद्रावरम, भानुमूककला, बनाकाचेरालावनाला, गुवालाकुटला एवं चिंथालापल्ली और वेमपेंटा।
		जिला महबूबनगर चिन्ना लिंगालचेद, जमलपुर, केसवपुर, आफ कोइलाकोंडा मंडल, काकरियापड, कोल्लूर, चोवदुर आफ माबुबनगर मंडल,पेदादरपल्ली, इब्राहिमबाद, तंकाराऑफ हनवाडा मंडल, एलवांपल्ली आलूर ऑफ जादचेरला मंडल, पाथमोलगरा, कोथामोलगर आफ भूथपुर मंडल, पोथीरेडडीपल्ली, मारेदपल्ली, गोरिता आफ थिम्माजीपेत मंडल, गुंतीपल्ली, मादांपल्ली, पुडुर, सेट्टी आत्मकुर, आफ गादवल मंडल, आइज, चिन्नातांदरापादु, मेदिकोंडा, आजे मंडल, बोयलगुद्मे, कुचीनेरला, बालगेरा, इंडुवसी आफ धातु मंडल, येलकूर, अमरावती, थातिकुंता आफ माल्दामल मंडल, रेवुपल्ली, भीमपुर, रंगापुर, धारूर, नेत्तेम्पाद, कोथुलागिद्दा, कोंदापुर आफ धरूर मंडल, तंगला, पीपडु, मद्दूर, कोकला, ऑफ वाडडेपल्ली मंडल, इतियालपाडु ऑफ मनोपद मंडल, शैकपल्ली, सथारला, शेगपुर, ऑफ इतियाला मंडल, मुलामल्ला, जुराला ऑफ आत्माकुर मंडल,।
2.	बिहार	**जिला गया**, सीतामढ़ी, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, बक्सर, सारन, बांका, भभुआ, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), सुपौल, लखीसराय, वैशाली, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, किशनगंज, बेगुसराय, रोहतास, जहानाबाद, भोजपुर, मुज्जफरपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, भागलपुर, पटना, गोपालगंज, पुर्निया, नवादा, मंगेर और औरंगाबाद (33)।
3.	गुजरात	**जिला अहमदाबाद**, मेहसाना, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, खेड़ा, अमरेली, राजकोट, (ग्रामीण), साबरकंठा, वडोदरा (ग्रामीण), भरूच और कच्छ (11)।
4.	झारखंड	**जिला हजारी बाग** की पहचान प्रमुख अत्याचार प्रवण क्षेत्र के रूप में की गई।

1	2	3
5.	कर्नाटक	**जिला बंगलूरु** (शहर) कुम्बल गढ़, चेन्ना, सांद्रा, तत्तानगर, श्रीनिवासपुर, कडाथिपपुर, होरोंहल्ली, कडुगुडा और बीचिनाहल्ली, **जिला बंगलूरु (ग्रामीण)**, **जिला बीजापुर**, बरदौला, **जिला कोलार** हराती ग्राम तथा हनागटटी ग्राम, **जिला गुलबर्गा**, अलगी, सीतानूर, गजेलखेड, भुसनूर, सुरापुर, चिंचोली, वोथाना, हिप्पीगिरी, पेटनपुर, हगांरगडगी, रोयाकोडे, मिमहेरगी, अफजलपुर, **जिला बेलगाम**, एनोगोला गांव, बेंदीगिरि, बालदाबगेवडी, मेपनादिनी, पटागुंडी और अंजीवली, **जिला बीदर** तोरेकाला, भालकी, ढकुली, कुशनूर और होराहट्टी, **जिला चित्रदुर्ग**, गुडीहाली, बब्बुलिरिया, सोमागुड्डाक्यामाडु, चिक्कन्यकन्याहाली, ओबेनाहल्ली, अनजी, **जिला बैल्लारी**, देशनूर तथा तेलघ, **जिला हासन** गंडासी गांव, चिगाहाली और बांदाशेट्टाली, **जिला धरवाड़** सतार, होन्नापुर, केहगेरी, ब्यादागी, बट्टीकोप्पा, वर्दा और वांरगलिया, **जिला चिकबल्लारपुर, जिला चिक्कामागलौर, जिला कामराज नगर, जिला बागलकोट,** जिला डी.के., **जिला देवांगरे,** जिला गडाग, **जिला हावेरी, जिला कोपल** (20)।
6.	केरल	जिला तिरुवनंतपुर, आइडुक्की और कोझीकोड (3)
7.	मध्य प्रदेश	**जिला ग्वालियर** थाना डाबरा, थाना भितारवाड़ : कस्बा (भितारवाड़ा), **जिला शिवपुरी** थाना पिचौर : कस्बा पिचौर, थाना करेड़ा : कस्बा करेला, **जिला गुना** : थाना कोतवाली : गांव भूड़े बालाजी, थाना कोतवाली : श्री राम कालोनी, **जिला बेतुल** थाना बेतुल : गांव गंज, थाना अमला टाउन : अमला, थाना सारनी : गांव पथाखेड़ा, **जिला इंदौर** थाना महो : कस्बा महो, थाना मानपुर : कस्बा मानपुर, **जिला मांडला** थाना कोतवाली : गांव मंडला खास, **जिला शिओपुर** थाना कोतवाली : गांधीनगर क्षेत्र, थाना कराहाल: कस्बा कराहाल **जिला राजगढ़** थाना कोतवाली : कस्बा कोतवाली, थाना बैयोरा : बैयोरा, थाना सारंगपुर : कस्बा सारंगापुर, थाना पचौर : कस्बा कचौर, **जिला रतलाम** थाना मानक चौक : मानक चौक शहरीक्षेत्र, थाना स्टेशन रोड : स्टेशन रोड शहरी क्षेत्र, थाना औद्योगिक क्षेत्र : औद्योगिक क्षेत्र शहरी क्षेत्र, थाना जौरा : जौरा शहरी क्षेत्र, **जिला भींड** थाना दिहात : महावीर नगर क्षेत्र, **जिला शहडोल** : थाना धनपुरी : माइकल चौराहा क्षेत्र, **जिला होशंगाबाद** थाना होशंगाबाद : होशंगाबाद नगर, थाना इटारसी : इटारसी नगर, थाना पिपरिया : कस्बा पिपरिया, थाना शिओनी मालवा : कस्बा शिओनी मालवा, थाना बबई : **जिला भोपाल** थाना निशांतपुरा : गांव चोला, थाना निशांतपुरा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी क्षेत्र, **जिला विदिशा** थाना सिविल लाइन : विदिशा : कस्बा सिविल लाइन, विदिशा, थाना कोतवाली : कस्बा विदिशा, थाना गंजबसोदा : कस्बा गंजबसोदा, **जिला सिहोर** थाना कोतवाली : कोतवाली शहर, **जिला सागर** थाना मोती नगर : पंत नगर काकागंजवाड़, थाना खुराई : शास्त्री वार्ड सागर नाका, थाना रेहली : राम नगरी मुहल्ला, थाना बिना : भीमवार्ड, **जिला मौरैना** थाना कोतवाली : महोल्ला गोपालपुर, थाना कोतवाली : मुहल्ला दातापुर, थाना सिविल लाइंस : गांव जोरा खुर्द, थाना सुमावली ग्राम सुमावली, थाना सुमावली, गांव विरुवा, थाना रामपुरकला : गांव रामपुर (17)।
8.	महाराष्ट्र	थाणे, नासिक, धूले, जलगांव, नांदुरबार, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, यवतमल, बुल्ढाना, अकोला, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रापुर, औरगांबाद, जालना, बीड, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, ओसमाननाबाद, वासिम, गढ़चिरौली (25)।

1	2	3
9.	ओडिशा	जिला अंगुल, (पालाहैड़ा, छनदीपाड़ा, जरापाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र), जिला भद्रक, (भद्रक शहर, ग्रामीण (सदर) नईकानीधी, दुसूरी, बनसाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र), जिला बुढ़ (बुढ़ बोनसुनी, मनामुडना, कंतामल, पुरानाकटक, हरभंगा पुलिस स्टेशन क्षेत्र), जिला बालासौर (बालासौर शहर, खंतापाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, उपाड़ा, सिंगला, सदर पुलिस स्टेंशन क्षेत्र), जिला कटक (बारंबा, नियली, गोविंदापुर स्टेशन क्षेत्र), **जिला धेनकनाल** (सदर, गोंड़िया पुलिस स्टेशन क्षेत्र), **जिला देवगढ़** (समस्त देवगढ़ जिले के सभी चार पुलिस स्टेशन क्षेत्र), **जिला कंधामल** (एस.पी. कंधामल की सूचना के अनुसार समस्त कंधामल जिला अत्याचार प्रवण क्षेत्र है), **जिला कालाहांडी** (धर्मगढ़, जूनागढ़, जयपटना, कोकसार, सदर, केगांव और भवानीपटना शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र), **जिला खुर्द** (बड़ागाड़ा, लिंगराज, बालिंता, बेलुगांव, बानापुर, जंकिया, बाली पटना, खांडागिरी पुलिस स्टेशन शहर), **जिला क्योंझर** (क्योंझर शहर, सदर, पटना, घासीपुरा, घाटागांव, आंनदपुर, छंपुआ, जोडा, बारबिल पुलिस स्टेशन क्षेत्र), **जिला मयूरभंज** (बारीपाड़ा शहर, बंगरीपोस,, खुंटा, उदाला, ठाकुरमुंडा, करंजीया, झारपोखरिया, रासगोविदंनपुर, बरसाही पुलिस स्टेशन क्षेत्र), **जिला नुआपाड़ा** (सीनापाली ब्लाक क्षेत्र), **जिला पुरी** (सदर, शहर, सी-बीच, चंद्रपुर, सत्याबाड़ी, ब्रह्मागिरी, देलांग, कानस, पीपली, गोप, बलंगा, निमापाड़ा-कुरष्णाप्रसाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र), जिला सोनपुर (सोनपुर, ब्रम्हाराजापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र), **जिला सुंदरगढ़** (सुंदरगढ़ शहर, सदर, लेपरीपाड़ा, हेमगिरी, बिसरा, राजगंगपुर और सेक्टर-19 पुलिस स्टेशन क्षेत्र), (16)।
10.	तमिलनाडु	कांचीपुरम, तिरूवलूर, कुड्डालोर, विलाउपुरम, तिरूवनामलाई, वेल्लौर, धर्मापुरी, सीलम, नामक्काल, तिरूचिरापल्ली, पेरम्बूर, करुर, नागापट्टिनम, थिरूवरूर तंजावुर, पुड्डूकोट्टाई, कोयम्बटूर, इरोड, नीलगिरि, मदुरै, डिंडीगल, थेनी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, वेरुद्धनगर, तिरुनेलवेल्ली, थूथुकुडी और कन्याकुमारी (28)।
11.	राजस्थान	**जिला जयपुर**, भीलवाड़ा, अलवर, जालौर, कोटा, सिरोही, झालावर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, **टोंक**, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, चुरु, और हनुमानगढ़ (18)।
12.	उत्तर प्रदेश	**जिला लखनऊ**, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, बाराबंकी, बांदा, जौनपुर, खीरी, कानपुर नगर, फैजाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ (16)।

टिप्पणी:

एम : मंडल वी : गांव

[अनुवाद]

आरएसबीवाई की स्थिति

2556. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) वर्तमान समय में लक्षद्वीप सहित देश के विभिन्न भागों में लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों, लक्षित परिवारों और सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेश स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए

'राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना' औपचारिक ढंग से 1 अक्तूबर, 2007 से प्रारभ की गई थी। यह योजना 01.04.2008 से संचालन में आई। यह योजना असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमालच प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी तथा चंडीगढ़ प्रशासन के कुल 439 जिलों को शामिल करके 26 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार 3.31 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 43.26 लाख से अधिक व्यक्ति अस्पतालों में इलाज करा चुके हैं तथा बीमा कम्पनियां 1962.77 करोड़ रु. से अधिक का भुगतान कर चुकी हैं। आरएसबीवाई के अंतर्गत कुल 12,538 अस्पताल (सार्वजनिक एवं निजी दोनों) पैनल में हैं। कार्यान्वियन के दौरान आरएसबीवाई कवरेज का विस्तार बीपीएल परिवारों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त श्रेणियों के लिए किया गया है:—

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

(ii) रेलवे पोर्टर

(iii) गली में फेरी लगाने वाले

(iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक कार्य कर चुके मनरेगा कामगार

(v) बीड़ी कामगार

(vi) घरेलू कामगार

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना

2557. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू करने और बंधित श्रम को गैर-कानूनी करार देने के बावजूद बंधित श्रम की प्रथा विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र सहित कतिपय क्षेत्र में अभी भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और बंधित श्रम में सलंग्न लोगों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई हैं:

(घ) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूरे देश में ऐसे अनेक मामले पाए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, जिसे बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के अंतर्गत 25 अक्टूबर, 1975 से पूरे देश में बंधुआ श्रम प्रथा समाप्त कर दी गयी है। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जब कभी बंधुआ मजदूरों की विद्यमानता का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास के लिए पहचान की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31.3.2012 तक पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या 2,94,155 है।

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से, बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम मई, 1978 से प्रचलन में है। इस योजना के अंतर्गत प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/-रुपये की दर से पुर्नवास सहायता प्रदान की जाती है जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार समान रूप से वहन करती हैं। इस योजना में सर्वेक्षण, जागरूकता सृजन संबंधी क्रिया-कलापों और मूल्यांकन अध्ययनों के आयोजन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है।

(ग) से (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने को अधिदेश दिया गया है। जिलाधीश तथा एसडीएम और इस अधिनियम के अंतर्गत गठित सतर्कता समितियों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी कतिपय कर्तव्य/उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। इस अधिनियम में बंधित श्रम के प्रवर्तन के लिए शास्तियों का प्रावधान है। बंधुआ श्रम के कार्य में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई संबंधी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम के क्रियान्वयन की

निगरानी कर रहा है। यह आयोग बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के बारे में जिलाधीशों, एसडीएम, पुलिस अधिकारियों और श्रम विभागों के कार्यकर्ताओं को परिचित कराने तथा संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक रूप से कार्यशालाएं आयोजित करता है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए सचिव, श्रम एवं रोजगार की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया है। यह समूह इस अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर देने हेतु समय-समय पर क्षेत्र-वार बैठकें आयोजित करता है।

केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु की राज्य सरकार ने मर्यादित कार्य के संवर्द्धन द्वारा दासता की कमजोरी में कमी लाने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से राज्य में एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ की थी। अब इस दृष्टिकोण की देश के कुछ अन्य राज्यों में पुनरावृत्ति का प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकृत बेरोजगार महिलाएं

2558. श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार महिलाओं की संख्या क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन रोजगार केन्द्रों द्वारा इन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों द्वारा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है;

(घ) क्या इन केन्द्रों ने महिलाओं को काम पर लगाने के लिए कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बरं, 2011 को देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाली महिलाओं, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों की कुल संख्या 1.37 करोड़ थी।

(ख) 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार विगत 3 वर्षों 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार चाहने वाली महिलाओं को प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	रोजगार चाहने वाली महिलाओं को प्रदान किया गया रोजगार (हजार में)
2009	53.4
2010	107.1
2011	85.7

(ग) से (ङ) रोजगार कार्यालयों द्वारा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया संतोषजनक है। रोजगार कार्यालय विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के प्रति रोजगार चाहने वाली महिलाओं का नामांकन कर रहे हैं तथा वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करते हैं।

[अनुवाद]

ई-कचरे की मात्रा पर रोक

2559. श्री एस. अलागिरी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पत्तन क्षेत्रों में ई-कचरे की लदाई की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-कचरे की बढ़ती प्रवृत्ति की स्थिति में भविष्य में ई-कचरे की लदाई की समस्या का किस तरह से समाधान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्टों के आयात और निर्यात के विनियमन हेतु परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम अधिसूचित किए हैं। निपटान हेतु ई-अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से केवल पुनर्चक्रण या रिकवरी या पुन: प्रयोग के लिए आयात की अनुमति है। इन नियमों के अनुसार, केवल उन पुनर्चक्रण इकाइयों को ही ई-अपशिष्ट के आयात और निर्यात की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है जिसके पास पर्यावरणीय दृष्टि से मजबूत पुनर्चक्रण सुविधाएं हों और जो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रणा बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास पंजीकृत हों। मंत्रालय ने विगत में पंजीकृत पुनर्चक्रण इकाइयों को ई-अपशिष्ट के निर्यात की तथा ऐसी केवल एक इकाई को पुनर्चक्रण हेतु आयात की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में ई-अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) आयात और निर्यात से संबंधित उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसमें वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीजीएफटी), जहाजरानी मंत्रालय (पत्तन विभाग), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ii) अलग से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के दायरे में आने वाले विद्युत एवं इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों के उत्पादकों द्वारा संग्रहण केन्द्र या व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से वापस लेने की प्रणालियां स्थापित करके अपने उत्पादों की कालावधि की समाप्ति पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट को एकत्र किया जाना अपेक्षित है।

(iii) ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रमण केवल प्राधिकृत तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास पंजीकृत सुविधाओं में ही किया जा सकता है। उत्पन्न अपशिष्ट को पर्यावरणीय दृष्टि से मजबूत सुविधाओं वाले पंजीकृत या प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता या पुन: प्रसंस्करणकर्त्ता को भेजना या बेचना अपेक्षित है।

(iv) ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से समुचित प्रबंधन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों में ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से समुचित प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण और कार्यपद्धति का प्रावधान है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रेडार

2560. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक द्वीप में कोई रेडार स्थापित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को नारकोंडम हानबिल्स के तट पर रेडार लगाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) जी, हां। अत्यधिक स्थानिक नारकोंडम होनबिल्स के पर्यावास पर दृष्टिगत प्रतिकूल प्रभाव के कारण, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नारकोंडम में रडार स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इस संबंध में श्री लवकुमार खाचर से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें नारकोंडम होनबिल्स के मुद्दे को उजागर लिया गया है।

[हिन्दी]

जाति प्रमाण-पत्र जारी करने को कम्प्यूटरीकृत किया जाना

2561. श्री सज्जन वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति संबंधी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने को कम्प्यूटरीकृत किए जाने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसी कोई

योजना नहीं बनाई है क्योंकि जाति प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी किए जाते हैं जिनकी सत्यापन एवं प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अपनी स्वयं की कार्य पद्धति है।

[अनुवाद]

नेशनल पार्क के इर्द-गिर्द औद्योगिकरण जोन

2562. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की ऐसी सिफारिशों का विरोध किया है कि 600 से अधिक नेशनल पार्कों और अभ्यारण्यों के इर्द-गिर्द सीमित औद्योगिकरण जोन के परिसीमा को कम किए जाने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 17 मार्च, 2005 को हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के आसपास पारि-संवेदी क्षेत्रों की घोषणा हेतु स्थल विशिष्ट प्रस्ताव रखे जाने के निर्णय का अनुपालन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

पुराने जहाजों पर प्रतिबंध

2563. श्री पी. विश्वनाथन : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग (आईआरएस) से पंजीकृत न होने वाले 25 वर्ष से अधिक पुराने जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विशेष रूप से भारत में आयात होने वाली खाद्य वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा इंडियन चार्टरर्ज जिन्हें नये जहाज के लिए 20 से 30 प्रतिशत दर तक प्रीमियम अदा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है के बचाव के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस नये नियम से शिप ब्रेकिंग उद्योग को लाभ होगा;

(घ) आईआरएस से पंजीकृत जलयानों की संख्या क्या है जो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और इन दुर्घटनाओं में अनुमानित हानि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार के पास तटीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं पर रोक लगाने का कोई ठोस प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) उन जलयानों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) से वर्गीकृत नहीं है, बशर्ते वे जलयान इंटरनेशनल एशोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाईटिज (आईएसीएस) की बारह अन्य सदस्य सोसाइटिज में से किसी एक से वर्गीकृत हो।

(ख) चार्टरिंग दरों के भुगतान में 20% से 30% तक की वृद्धि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) समुद्रीय दुर्घटनाओं से बचाव करने के मद्देनजर, अधिसूचना जारी की गई थी।

(घ) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के 06.12.12 तक के दौरान आईआरएस से वर्गीकृत भारतीय पोतों की नौवहन दुर्घटनाओं का आंकड़ा, निम्नानुसार है:–

वर्ष	जलयानों की संख्या
2009	27
2010	36
2011	36
2012	09

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय नौसेना, तट रक्षक और राज्य सरकारों के साथ पोत परिवहन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों में समुद्रीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों का निर्णय लिया है:–

I. जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) को अंगीकार करना और प्रवर्तन तथा उच्च यातायात सघनता वाले पत्तनों के लिए सुजलपथ।

II. यातायात पृथक्करण योजना (टीएसएस) को अंगीकार करना

और प्रवर्तन अथवा भारत के तट के लिए लागू पोत मार्ग की यातायात लेनें।

III. भारत के तट के साथ-साथ दीपस्तंभों पर स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) रिसीवर उपकरण।

IV. भारत के तट में यातायात की सघनता और यातायात प्रबंधन में वृद्धि के प्रति स्टेकहोल्डर्स को जागरुक बनाने के लिए सलाह/अधिसूचनाओं का प्रवर्तन।

V. भारत के तट पर ई-नौचालन के कार्यान्वयन को आरंभ करना और बढ़ावा देना।

निःशक्त व्यक्ति की चेयरमेन के रूप में नियुक्ति

2564. **श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से डिसेबिलिटी राइट्स कमीशन अथवा विभिन्न सरकारी संस्थाओं में केवल निःशक्त व्यक्तियों की ही चेयरमैन के रूप में नियुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या योजना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) हालांकि, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है देश में कोई निःशक्त व्यक्ति आयोग विद्यमान नहीं है, केवल निःशक्त व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों के रूप में नियुक्त करने के संबंध में समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं। निःशक्त व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख हैं। तथापि, इस समय, केवल निःशक्त व्यक्तियों को संस्थाओं के प्रमुख नियुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परियोजनाएं

2565. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8300 किलोमीटर के अपने लक्ष्य की तुलना में केवल 900 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का कार्य सौंपा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत केवल 1300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की बोलियां आमंत्रित कर बहुत ही कम प्रगति हासिल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कार्यान्वयनाधीन कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य रोक दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा अन्य मामलों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 8800 किमी. के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों की 1010 किमी. लंबाई सौंपी है।

(ख) 145 किमी. के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और अन्य 1535 किमी. लंबाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) 38 परियोजनाओं में, वित्तीय व्यवस्था विभिन्न कारणों जैसे कि वन/वन्य जीव/रेलवे से स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं, भूमि अधिग्रहण में विलंब, रियायतग्र द्वारा पूर्व शर्त को पूरा ना किए जाने के कारण नहीं की जा सकी।

(घ) अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलंब को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल है:— शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन के साथ मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, विशेष भूमि अधिग्रहण इकाईयों की स्थापना, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण संबंधी अडचनों, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों आदि को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन। इन बाधाओं को दूर करने के लिए वित्तीय संस्थाओं सहित सभी हितधारियों को शामिल करते हुए हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त कार्य को तीव्रता से पूरा करने के लिए मुख्यालय तथा फील्ड इकाइयां विलंबित परियोजनाओं पर आवधिक रूप से कड़ी निगरानी रखी जाती है।

हथियारों की अवैध बिक्री में अधिकारियों की संलिप्तता

2566. **श्री उदय सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने यह स्वीकार किया है कि उनके अनेक अधिकारी हथियारों की अवैध बिक्री में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने अब तक सेना के कार्मिकों की खरीद करने वाले लोगों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित है कि सेना के कर्मचारियों को भले ही वे सेवा में हों अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त अपने हथियारों को बेचने की अनुमति न दी जाए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सेना अधिनियम/विशेष सेना आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में सेना के अधिकारियों और यूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (जीसीओ) द्वारा गैर-मानक पैटर्न (एनएसपी) की बिक्री से संबंधित एक मामला प्रकाश में आया है। इन हथियारों के विक्रेताओं/डीलरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

(i) मै. हरिशरण व्यापारिक प्रतिष्ठान, बीकानेर।

(ii) मै. गुप्ता गन हाउस, श्रीगंगानगर।

(iii) मै. मोदी गन हाउस, भरतपुर।

(iv) मै. जैन आर्म्स डीलर, सिरसा।

(घ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए नॉन-सर्विस पैट्न हथियारों के निपटान संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया में संशेधन किया गया है।

नो-गो पॉलिसी के अंतर्गत क्षेत्र

2567. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला क्षेत्र में 'नो-गो' पॉलिसी के अंतर्गत कितना क्षेत्र शामिल है और यह क्षेत्र देश में कुल वन आच्छादित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : कोयला खनन और अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 20.09.2011 को आयोजित करनी पांचवीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया की गो/नो-गो की अवधारणा को छोड़ दिया जाना चाहिए तथा कोयला खनन हेतु वन भूमि के उपयोग से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओइएफ) द्वारा उसके गुणावगुण के आधार पर कार्रवाई तथा विचार किया जाना चाहिए।

तद्नुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 30.08.2012 के अपने पत्र द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को सूचित किया कि वे कोयला खनन परियोजनाओं हेतु वन भूमि के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगने वाले प्रस्तावों पर जीओएम के उक्त निर्णय के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं और उन प्रस्तावों पर मामला दर मामला तथा गुणावगुण आधार पर विचार करने के लिए पुन: आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज सकते हैं।

आस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन

2568. श्रीमती मेनका गांधी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों इन देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया में विश्व स्तरीय वूल टेस्टिंग लेबोरेटरी के सहयोग से मुम्बई में विश्व स्तरीय वूल टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दोनों देशों के संयुक्त अध्ययन दल के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापक आर्थिक सहयोग करार/मुक्त व्यापार करार वार्ताएं शुरू की गयी हैं।

(ग) और (घ) भारत और आस्ट्रेलिया से मध्य ऊन (विषय पर) एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते के अनुसार इंडो-आस्ट्रेलियाई संयुक्त कार्यबल गठित की गयी है। इस संयुक्त कार्यबल द्वारा ही भावी तौर-तरीकों का निर्धारण किया जाएगा।

सांसी जाति को अनुसूचित जाति कोटि में शामिल किया जाना

2569. श्री शेर सिंह घुबाया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से सांसी समुदाय और इसकी उप-जाति जैसे कि कुच बंद, गडरिया रेशबंद, के पाट, अहेरिया, तेतुलु आदि को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा स्थापित, संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अनुसार संसद के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में सांसी जाति को इसकी दो उप-जातियों नामश: भेडकुट एवं मिनेश के साथ पहले ही पंजाब राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री, पंजाब ने दिनांक 04.12.2009 के अपने पत्र के माध्यम से कुच बंद, गडदिया, बछबंस, कोपेट, अहेरिया, तित्तलू, भेरिया, भंटू, अरहार, भट्टू, चत्तू, हबुरा, किकन, हर्रार, कोहला, बहलोवाला, बिट्टू, लंगेह, सिंगीवाला, कंजर, मिर्शकरी, ब्लेगिआरमौर, किंगीकट, धे, कलेकनार, चड्डी या चाडी, बिर्टवाल, बिनारिया, पाखलवारा, बद्दोन एवं हारिया को सांसी जाति के उप-जाति के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। चूंकि उक्त सिफारिश, अपेक्षित नृजातीय सूचना के साथ साबित नही की गई थी, अत: मंत्रालय ने दिनांक 23.02.2010 के अपने पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया है।

(ग) इस मामले में कोई समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी संशोधन संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

संवर्ग का पुनर्गठन

2570. श्री विष्णु पद राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसचिवीय संवर्ग के पुनर्गठन का मामला आईडीए बैठक के समक्ष रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) यह प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष कब से लंबित है; और

(घ) इस मामले का कब तक समाधान किए जाने और कब तक लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय उत्पादकों को गैस की अनियमित आपूर्ति

2571. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस की अनियमित आपूर्ति से कतिपय राज्यों में चाय के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों को गैस की दोष आपूर्ति करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस का उपयोग केवल ऊपरी असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर जोरहट तथा गोलाघाट जिलों में अवस्थित चाय फैक्टरियों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि इन फैक्ट्रीयों में पिछले कुछ वर्षों से गैस का उपयोग होता रहा है, परंतु अनियमित एवं अपर्याप्त आपूर्ति की रिपोर्ट इस वर्ष के अगस्त माह के मध्य में ही प्राप्त हुई है। गैस की अनियमित आपूर्ति का एक कारण कुछ स्थानीय छात्र संघों द्वारा किया गया आंदोलन था, जिन्होंने गैस की पाइपलाइन बलपूर्वक बंद करवा दी थी। इस बाधा के परिणामस्वरूप चाय के उत्पादन में गुणवत्ता की हानि, तोड़ी गई हरी पत्ती का दुरुपयोग हुआ तथा कुछेक फैक्ट्रियों को संसाधन प्रक्रिया रोकनी पड़ी। इसके कारण लघु उपजकर्त्ताओं को संसाधन हेतु हरी पत्ती स्वीकार न करने वाली अथवा अत्यंत कम कीमत का प्रस्ताव करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा।

(ग) इस मामले को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा असम सरकार के साथ उठाया गया है, ताकि चाय फैक्ट्रियों को प्राकृतिक गैस की निश्चित एवं अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावित क्षेत्र के प्रमुख गैस आपूर्तिकर्ता अर्थात् मै. ऑयल इंडिया लि. और वितरक मै. असम गैस कम्पनी लि. को उपर्युक्त निर्देश जारी किए जा सकें। आज की स्थिति के अनुसार, स्थिति भली-भांति नियंत्रण में है और सभी हितबद्ध पक्षकार एक स्थायी समाधान हेतु प्रयासरत हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या की पुनरावृत्ति न हो।

अभयारण्य के निकट संयंत्र की स्थापना

2572. श्री रामकिशुन :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति ने जम्मू के निकट एक अभयारण्य जोकि अनेक विलुप्तप्राय: प्रजातियों का घर है, में डेड बर्नट मैगनेशिया संयंत्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से भंगुर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण हेतु किए गये उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) चिप्परिअन हिल्स पर 1240000 टीपीए हाई ग्रेड मैंगनासाइट डिपोजिट के उत्खनन तथा त्रिकूट वन्यजीव अभ्यारण्य, जम्मू और कश्मीर की सीमा से 10 कि.मी. के भीतर आने वाले गांव पंथाल, कटस रेआसी में 30000 टीपीए डेड बर्नट मैगनेसिया संयंत्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 14 अक्तूबर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था और कतिपय शर्तों के साथ इसकी संस्तुति की थी।

(ख) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के निर्णय को चुनौती देते हुए तथा चिप्परिअन हिल्स पर 1240000 टीपीए हाई ग्रेड मैंग्नासाइट डिपोजिट के उत्खनन में 30000 टीपीए डेड बर्नट मैगनेसिया संयंत्र की स्थापना हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थायी सकिति के निर्णय को निरस्त करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करने की प्रार्थना करते हुए तथा त्रिकूट वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना रद्द करने के लिए भी दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) यथा श्री रिंकु शर्मा, जम्मू बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूपीपीआईएल सं. 02/2012 तथा सुश्री विलक्षणा सिंह, जम्मू और श्री दिवाकर शर्मा, जम्मू बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूपीपीआईएल सं. 03/3012 दायर की गई है।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने दोनों पीआईएल की सुनवाई करते हुए दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अपने आदेश द्वारा दोनों याचिकाओं को यह संकेत करते हुए रद्द कर दिया था कि दोनों याचिकाएं हर लिहाज से समयपूर्व दायर की गई थीं क्योंकि त्रिकूट अभ्यारण्य को अधिसूचित न किया जाना और साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन थी तथा उक्त आदेशों की प्रतीक्षा किए बगैर याचिकाकर्त्ताओं ने याचिकाएं दायर कर दी थीं।

[हिन्दी]

वनीकरण प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रावधान

2573. श्री मधु कोड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में वन भूमि क्षेत्र पर उद्योग और खनन कार्य के लिए पट्टाधारकों को गैर-वन क्षेत्र संबंधित कार्य के लिए दी गई भूमि के बदले उनके द्वारा मंत्रालय को वनीकरण हेतु किसी अन्य स्थान पर उतनी ही भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या झारखंड में औद्योगिक और खनन कार्यों में निजी और सरकारी क्षेत्र की अनेक कंपनियां संलग्न हैं;

(ग) यदि हां, तो गैर-वन कार्यकलापों के लिए प्रयोग की जा रही वन भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) झारखंड में पट्टाधारक कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उन्हें गैर-वन क्षेत्र संबंधित कार्य के लिए प्रदान की गई भूमि के बदले मंत्रालय को उतनी ही भूमि उपलब्ध करा दी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) मंत्रालय, वनेतर प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप वनेतर भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने की शर्त निर्धारित करता है। तथापि, केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केंद्रीय

क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में, अपवर्तित वन भूमि के क्षेत्र के दुगने अवक्रमित वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण की अनुमति दी जाती है। 3 मीटर से नीचे भूमिगत खनन और 1 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे कुछ अन्य मामलों में क्षतिपूरक वनीकरण पर जोर नहीं दिया जाता है।

(ख) और (ग) झारखंड में जिन औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह गैर-वन भूमि प्राप्त करेगी, उस पर वनारोपण करेगी और मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप उसे आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करेगी।

(घ) क्षतिपूरक वनीकरण के संबंध में निर्धारित शर्त में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को गैर-वन भूमि उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं है। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर-वन भूमि के ब्यौरे मंत्रालय में समेकित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

वन (संरक्षण), अधिनियम 1980 के अधिनियम से अब तक झारखंड राज्य में औद्योगिक और खनन संबंधी कार्यकलापों हेतु अपवर्तित वन भूमि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	परियोजना की श्रेणी	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अपवर्तित भूमि
1.	जल-विद्युत	3	22
2.	खनन	106	11755
3.	ताप-विद्युत	5	1139
4.	पारेषण रेखा (ट्रांसमिशन लाइन)	91	2325
	कुल	292	15241

पेटेंट प्रदान करने में रॉयल्टी

2574. श्री हुक्मदेव नारायण यादव :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों पेटेंटिंग के लिए विदेशी कंपनियों को रॉयल्टी का भुगतान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में इनके नामों सहित भारतीय कंपनियों द्वारा ऐसी विदेशी कंपनियों को किए गए रॉयल्टी के भुगतान और प्रदत्त रॉयल्टी के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा घरेलू कंपनियों को रॉयल्टी का भुगतान करने से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय पेटेंट कानून में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में भारतीय औषध बाजार पर इसका संभावी प्रभाव क्या होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 पेटेंट प्राप्तकर्ता को एकाधिकार प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह लाइसेंसप्रदाता और प्राप्तकर्ता के बीच परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस दे सकता है। तथापि, पेटेंट, डिजायन एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) द्वारा अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के मामले में रॉयल्टी सहित लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तें पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 90 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-209, 2012 और 67 का उन्नयन

2575. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग-209, 212 और 67 के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) रारा-209 के तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से बंगलूरु खंड के उन्नयन के लिए प्रस्ताव पीपीपीएसी को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। जहां तक रारा-212 का संबंध है संशोधित पीपीपीएसी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। रारा-67 के संबंध में, उन्नयन का ऐसा प्रस्ताव कोई नहीं है।

[हिन्दी]

वन उत्पादों का उत्पादन

2576. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहा, करंजी जैसे वन उत्पादों का प्रयोग देश में अल्कोहल के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के वनों में प्रचुर मात्रा में मोहा और करंजी की उपलब्धता को देखते हुए इनसे पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) देश में करंजी से अल्कोहल बनाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ जनजातियों द्वारा घरेलू स्तर पर अक्सर महुआ से शराब बनाने की सूचना मिलती रहती है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय का बायोडीजल के उत्पादन हेतु पौधों की खेती करने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। एनएपी स्कीम के अंतर्गत, केवल वनस्पति रहित अत्यधिक अवक्रमित क्षेत (10% वृक्षावरण से कम वाले क्षेत्र) में परियोजना क्षेत्र के 10% क्षेत्र में जतरोफा प्रजातियां रोपण करने के लिए दिनांक 22-7-2003 को एक सलाह जारी की गई थी। दिनांक 5 सितंबर, 2005 को जारी स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया था कि वन भूमि पर तेल उत्पादन करने वाले पौधों का रोपण एक वनेत्तर कार्यकलाप है जो वन (संरक्षण) 1980 के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित होता है। तथापि, यदि तेल उत्पादन करने वाला पौधा प्रश्नाधीन क्षेत्र में देशज पौधा है और इसका रोपण, संबंधित वन क्षेत्र हेतु समग्र वनीकरण कार्यक्रम का भाग है, तो अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

नि:शक्तों हेतु रैम्पों का निर्माण

2577. **डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक स्थलों जैसे विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि और सरकारी कार्यालयों में रैम्पों का निर्माण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है ताकि सार्वजनिक स्थलों को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सुगम बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी ऐसे स्थलों पर रैम्प निर्मित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 46 के अनुसार, उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण, अपनी आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं में, अन्य कामों के साथ-साथ सार्वजनिक भवनों में रैंप उपलब्ध कराएंगे।

(ख) और (ग) शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली मंडल) ने 28 अगस्त, 2002 को संशोधित भवन उप-नियमों को अधिसूचित किया है ताकि दिल्ली में निर्मित सार्वजनिक भवनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। सार्वजनिक भवनों में बाधा-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने संबंधी इन भवन उप-नियमों को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नगरपालिका भवन उप-नियमों में समाविष्ट करने के लिए परिचालित किया गया था।

सार्वजनिक स्थलों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने हेतु 31 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने या तो अपने भवन उप-नियमों को संशोधित किया है अथवा निर्देश जारी किए हैं।

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना के तहत स्वायतशासी निकायों और विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निकायों सहित राज्य सरकारों सहित राज्य सरकारों को बाधा-मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है।

अनेक सार्वजनिक स्थानों जैसे- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा कई सरकारी कार्यालयों, स्कूलों आदि में रैप उपलब्ध कराए गए हैं।

जल-जनित रोगों में वृद्धि

2578. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख नदियों में पानी का प्रदूषण स्तर अत्यधिक उच्च है, जिसके परिणामत: जल-जनित रोगों और इससे मौतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, नदियों के तटों पर स्थित शहरों और कस्बों में नदियों के अधोप्रवाह में घुलनशील ऑक्सीजन, बॉयोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और कॉलीफार्म बैक्टीरिया की दृष्टि से जलगुणवत्ता में ह्रास देखने में आया है। इस ह्रास का मुख्य कारण सीवेज का निष्पादन हो सकता है। स्वस्थ्य संबंधी प्रभावों को जल प्रदूषण से जोड़ा जा सकता है। तथापि, इन आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए कई निर्णायक डाटा उपलब्ध नहीं है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के माध्यम से नदियों के प्रदूषण उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरक बना रहा है। इस योजना में फिलहाल 20 राज्यों के 191 कस्बों की 41 नदियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई प्रदूषण उपशमन स्कीमों में सीवेज का अंतरावरोधन, अपवर्तन और शोधन; नदी तटों पर कम लागत के स्वच्छता संबंधी कार्य; विद्युत/उन्नत काष्ठ आधारित शवदाहगृह आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 4707 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमआरसीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्य कार्यान्वियन एजेंसियों को 1387.68 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

कार्गो क्षमता के वाहक में कमी

2579. श्री बाल कुमार पटेल : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्गो ढुलाई क्षमता और पेट्रोलियम, तेल और उप-स्नेहक की ढुलाई/तरल कार्गो कैरियर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी पोत भारतीय कार्गो व्यापार के लगभग नब्बे प्रतिशत के वाहक हैं;

(घ) क्या बड़ी संख्या में भारतीय कार्गो पोत, शुष्क कार्गो जैसे लौह अयस्क, जोकि भारतीय निर्यात का मुख्य संघटक है, की ढुलाई के लिए काफी पुराने हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और आधुनिक कार्गो पोतों को खरीदने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) कार्गो ढुलाई क्षमता में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि करीब 134 भारतीय पंजीकृत टैंकर्स काम कर रहे हैं। क्षमता व्यापार की गतिशील स्थिति के कारण एक सापेक्ष शब्द है जो कार्गो पार्सल के आकार, समुद्र यात्रा/रोजगार अवधि और बाजार मांग पर निर्भर करती है।

(ग) जी, हां।

(घ) कुल 1,145 भारतीय ध्वज जलयानों में से करीब 280 कार्गो जलयान 25 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं।

(ङ) और (च) टनभार का अर्जन एक वाणिज्यिक निर्णय है जोकि परिसम्पत्तियों की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर नौवहन कम्पनी के प्रबंधन द्वारा लिया जाता है।

गुजरात में तट की सफाई

2580. श्री जयश्रीबेन पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात सरकार को तट की सफाई हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मुक्ता-पन्ना बेसिन में अपनी सुविधाएं प्रचालित कर रही और तेल रिसाव हेतु उत्तरदायी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) गुजरात सरकार के अनुसार, जुलाई-अगस्त, 2009 के दौरान दक्षिण गुजरात की तट रेखा पर तार बाल्स देखे गए थे। मुक्ता-पन्ना क्षेत्र में कच्चे तेल की पाईपालइन से तेल रिसाव होने की सूचना थी जिसके फलस्वरूप तार बाल्स बन रहे थे।

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा तट पर हुए तेल रिसाव की सफाई हेतु वर्ष 2009 के दौरान 38,11,968/- रुपये खर्च किए जाने की सूचना है। गुजरात सरकार ने सफाई अभियानों पर, खर्च किए गए धन की प्रतिपूर्ति हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध किया है।

महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन्स के अनुसार, वर्ष 2009 में मुक्ता-पन्ना बेसिन से 3.8 बैरेल तेल के रिसाव की एकमात्र सूचना मिली थी जिसका कारण प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया था। इस घटना में फैले तेल की मात्रा अत्यल्प थी और इसके लिए कोई प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित नहीं थी।

आयोडीनयुक्त नमक इकाइयां

2581. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयोडीनयुक्त नमक निर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में औद्योगिक नमक निर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) देश में आयोडीनयुक्त नमक विनिर्माता इकाइयों का विवरण विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में सितम्बर, 2012 तक आंध्र प्रदेश सहित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार इसके उत्पादन के साथ संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के लिए आपूर्ति के आधार पर आयोडीनयुक्त नमक का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार उपभोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) नमक विनिर्माता इकाइयां अपनी नमक की क्यारियों में साधारण नमक का उत्पादन कर रहे हैं तथा यह साधारण नमक आयोडीनयुक्त है और खाद्य नमक के रूप में बेचा जाता है तथा शेष नमक गैर-खाद्य/औद्योगिक कार्यों के लिए बेचा जाता है। औद्योगिक नमक के उत्पादन और उपभोग के संबंध में अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता है। आपूर्ति के आधार पर पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में सितम्बर, 2012 तक औद्योगिक नमक का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में आयोडीन युक्त नमक विनिर्माण इकाइयां तथा आयोडीन युक्त नमक की राज्य-वार उत्पादन

(उत्पादन आंकड़े 000' टन)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (सितंबर, 2012 तक)	
		इकाई	उत्पादन	इकाई	उत्पादन	इकाई	उत्पादन	इकाई	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	38	12.83	39	3.40	38	0.06	38	0.3
2.	असम	5	8.16	5	11.90	5	6.70	5	0.00
3.	गुजरात	338	3714.75	325	3553.50	342	3963.12	349	2055.1
4.	हिमाचल प्रदेश	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	जम्मू और कश्मीर	10	8.11	11	9.10	11	6.13	12	1.2
6.	कर्नाटक	5	7.58	5	8.50	5	7.38	5	3.7
7.	ओडिशा	8	15.42	8	10.80	8	6.68	8	3.2
8.	राजस्थान	288	1236.72	292	1147.00	304	1141.35	297	538.5
9.	तमिलनाडु	80	781.82	82	1423.30	79	1045.70	77	550.2
10.	त्रिपुरा	4	7.83	4	7.30	4	8.50	4	2.5
11.	पश्चिम बंगाल	39	29.98	39	44.70	39	14.87	41	12.6
12.	मेघालय	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00
13.	नागालैंड	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
14.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
15.	पुदुचेरी	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00
17.	महाराष्ट्र	13	0.00	13	0.00	—	0.00	—	0.00
	कुल	836	5823.20	831	6219.50	843	6200.49	844	3167.3

विवरण-II

आयोडीन युक्त नमक की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार खपत (आपूर्ति के आधार पर)

(आंकड़े 000' टन)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	169.1	197.60	332.13	161.8
2.	अरुणाचल प्रदेश*	0.0	0.00	0.00	0.00
3.	असम	232.1	236.10	250.97	152.2

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	594.6	576.70	645.91	278.1
5.	छत्तीसगढ़	217.0	195.10	206.87	136.1
6.	दिल्ली	285.2	298.80	307.30	142.9
7.	गोवा	1.0	17.10	1.18	2.2
8.	गुजरात	325.6	317.40	326.57	137.3
9.	हरियाणा	39.0	34.40	25.53	35.0
10.	हिमाचल प्रदेश	1.0	23.10	21.59	6.9
11.	जम्मू और कश्मीर	36.3	42.40	38.97	22.7
12.	झारखंड	112.6	131.90	122.25	73.4
13.	कर्नाटक	142.0	180.40	232.65	110.5
14.	केरल	142.9	346.40	104.90	77.7
15.	मध्य प्रदेश	251.1	228.0	218.83	101.4
16.	महाराष्ट्र	356.0	382.20	380.99	181.1
17.	मणिपुर	5.2	20.90	7.67	7.9
18.	मिजोरम	5.2	0.00	2.56	0.00
19.	मेघालय*	0.0	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	2.6	0.00	0.00	2.6
21.	ओडिशा	148.8	148.20	190.20	85.3
22.	पंजाब	125.5	151.90	139.66	58.3
23.	राजस्थान	225.4	214.80	212.25	115.6
24.	सिक्किम	5.1	2.60	5.21	2.6
25.	तमिलनाडु	481.5	827.70	576.92	319.4
26.	त्रिपुरा	15.5	18.10	15.48	8.9

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तर प्रदेश	862.3	831.90	906.59	422.0
28.	उत्तरांचल	19.5	15.70	19.17	14.9
29.	पश्चिम बंगाल	681.2	575.60	672.43	321.8
30.	अंडमान और निकोबार* द्वीपसमूह	0.0	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.1	1.0	1.17	1.3
32.	दादरा और नगर हवेली	0.2	0.20	0.28	0.1
33.	दमन और दीव*	0.0	0.00	0.05	0.00
34.	लक्षद्वीप*	0.0	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	4.1	2.80	3.51	2.8
	कुल	5487.7	6019.0	5969.79	2982.8

*ये राज्य अपने नजदीकी राज्यों से आयोडीन युक्त नमक की खरीद करते हैं।

विवरण-III

गैर-खाद्य/औद्योगिक उपयोग के लिए नमक की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार खपत (आपूर्ति के आधार पर)

(आंकड़े 000' टन)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	536.9	535.3	569.6	326.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.00	0.0
3.	असम	37.1	21.8	29.5	2.3
4.	बिहार	27.9	29.2	35.8	10.5
5.	छत्तीसगढ़	8.6	0.0	0.0	0.3
6.	दिल्ली	141.7	90.3	61.3	23.0

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	2.3	2.1	2.3	0.4
8.	गुजरात	6336.8	7034.9	7599.9	3669.9
9.	हरियाणा	138.3	62.1	56.0	42.3
10.	हिमाचल प्रदेश	10.3	0.0	15.0	28.2
11.	जम्मू और कश्मीर	1.1	1.0	0.0	0.0
12.	झारखंड	137.1	136.7	123.2	89.7
13.	कर्नाटक	96.7	121.9	116.3	78.8
14.	केरल	211.0	290.7	51.3	45.1
15.	मध्य प्रदेश	435.6	347.9	433.7	242.9
16.	महाराष्ट्र	183.1	220.3	206.2	137.5
17.	मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0
18.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0
19.	मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0
20.	नागालैंड	0.0	0.0	0.0	0.0
21.	ओडिशा	79.0	81.3	109.1	63.8
22.	पंजाब	283.8	293.5	247.6	97.3
23.	राजस्थान	354.9	279.9	333.3	184.3
24.	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0
25.	तमिलनाडु	506.4	738.5	792.2	343.1
26.	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0
27.	उत्तर प्रदेश	366.6	223.0	228.0	129.2
28.	उत्तराखंड	0.1	0.2	3.0	1.6
29.	पश्चिम बंगाल	28.0	118.2	142.0	89.5

1	2	3	4	5	6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0
31.	चंडीगढ़	0.5	1.2	0.9	0.5
32.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	1.5	0.2
33.	दमन और दीव	0.0	0.0	0.1	0.1
34.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
35.	पुदुचेरी	134.7	128.6	131.1	75.9
	कुल	10058.5	10758.6	11288.9	5682.6

[हिन्दी]

छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव

2582. **श्री गणेश सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की स्वीकृति और इसे जारी करने हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्रीय सहायता को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) निधियों को जारी करने में विलंब हेतु क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) मंत्रालय की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत संस्वीकृति और केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए राज्य सरकारों से 96 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) और (घ) केंद्रीय सहायता को जारी करने का प्रस्ताव पास करना एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रस्तावों के पूरा होने, संबंधित योजनाओं के मानदंडों से उनकी समनुरूपता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है। निधियों को जारी करने में विलम्ब राज्य सरकारों द्वारा कमियों को दुरुस्त करने और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाने वाले समय के कारण होता है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

2583. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित देश में नि:शक्त व्यक्तियों विशेषकर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों हेतु आधुनिकतम प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान आवंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु तैयार की गई भावी कार्य-योजना क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की गई हैं:—

1. मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष, 'नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। इनमें से एक श्रेणी 'नि:शक्त व्यक्तियों के जीवन को सुधारने के उद्देश्य से सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास' के लिए है।

2. मंत्रालय ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अपने वेबसाइट को सुगम्य बना दिया है और 20.09 लाख रुपये की लागत पर जनवरी, 2010 में इस सुगम्य वेबसाइट को प्रारंभ किया गया। अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों से भी अपनी स्वयं की वेबसाइटों तथा अपने सहयोगी संगठनों की वेबसाइटों को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार सुगम्य बनाने के लिए अनुरोध किया था।

राज्य सरकारों से भी नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए अनुरोध किया गया है और ऐसा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी किया गया है। इस प्रयोजनार्थ तीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अब, तक 31.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त कर दी गई है। तथापि, इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार ने, 2010 में, भी राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी-यथा सर्वोत्तम सुगम्यता विशेषता वाली वेबसाइटों के लिए, प्रारंभ की है। इस श्रेणी के अंतर्गत एक पुरस्कार प्रत्येक (i) सरकारी संगठनों, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र/स्वायत्त/स्थानीय निकायों, आदि गैर-सरकारी संगठनों की वेबसाइटों के लिए दिया जाता है।

3. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (एनआईवीएच) देहरादून द्वारा स्थापित एक ऑन लाइन ब्रेल पुस्तकालय 04 जनवरी, 2016 को आरंभ किया गया है। इस पुस्तकालय में तेलगू भाषा सहित पुस्तकें हैं, जिन्हें आंध्र प्रदेश सहित किसी भी स्थान से अल्प समय में डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक इस परियोजना पर 47.50 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

एनआईवीएच द्वारा ब्रेल पुस्तकों की एक ऑन लाइन सूची भी अपलोड कर दी गई है, जिससे ब्रेल पुस्तकालयों और ब्रेल प्रेसों में जाए बिना किसी वांछित ब्रेल पुस्तक की अवस्थिति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिबाधितार्थ व्यक्ति समर्थ होते हैं। अब तक इस परियोजना पर 17.00 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है। एनआईवीएच ने दृष्टिबाधितार्थ व्यक्तियों के लिए ऑन लाइन सेवा निर्देशिका भी आरंभ की है। इस डाइरेक्टरी में आंध्र प्रदेश में उपलब्ध सेवाएं भी शामिल कर ली गई हैं।

4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद ने मानसिक मंदबुद्धि व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कतिपय प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण माड्यूल तैयार किए हैं। इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफी (ईईजी) और इलेक्ट्रोमायोग्राफी जैसी प्रौद्योगिकीय पद्धतियों का उपयोग विकलांगता के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ईईजी बॉयो-फीडबैक मंदबुद्धि बच्चों के दिमाग में विद्युतीय स्पंदन के उत्प्रेरण के लिए उपयोग किया जाता है तथा स्पीच थेरेपी के लिए साफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं।

5. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता ने पादविहीन व्यक्तियों के लिए मायो-इलेक्ट्रिक हैन्ड, मल्टी-यूज व्हीलचेयर, लो-कॉस्ट पेड्रियाटिक बिलो-नी प्रोस्थेटिक और कार्यात्मक इलेक्ट्रिक उत्तेजक यंत्र के प्रोटो-टाइप विकसित किए हैं।

6. इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम भी सापेक्ष रूप से निम्न लागत पर प्रौद्योगिकी यंत्र और उपकरण विकसित करने का कार्य करता है।

7. भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) 'नव शिखर' नामक एक टीवी चैनल का संचालन कर रही है, जिसके माध्यम से अध्यापकों/विशेष शिक्षकों, व्यावसायिकों, विकलांग बच्चों के माता-पिता और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए विकलांगता से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस समय इस चैनल के लिए 472 डाइरेक्ट रिसेप्शन सेंटर हैं, जिनमें से 32 आंध्र प्रदेश में हैं।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-18 का उन्नयन

2584. श्री लक्ष्मण टुडु : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-18 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-15) फुलादी चौक बालासोर से राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के झारपलखरिया तक चार लेन का बनाने/उन्नयन संबंधी बनाओ, चलाओं और अंतरण बीओटी) विधि प्रस्ताव को सरकारी-निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीवीएसी) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन/उन्नयन कार्य को कब तक प्रारंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जी, नहीं। परियोजना अव्यवहार्य पाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परियोजना के पुनर्निर्माण पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

वीटीएमएस

2585. श्री रामसिंह राठवा : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी पत्तनों में जलयान ट्रैफिक निगरानी प्रणाली (वीटीएमएस) को प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) वीटीएमएस इन्नौर पत्तन लिमिटेड (ईपीएल), वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) और विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) को छोड़कर सभी महापत्तनों पर स्थापित कर दिया गया है। ईपीएल ने वीटीएमएस की स्थापना के लिए निविदा दस्तावेज़ तैयार करने के एिल एक परामर्शी नियुक्त किया है। वीओसीपीटी ने 08.12.2011 को वीटीएमएस की स्थापना और उसे चालू करने के लिए कार्य आदेश पहले ही जारी कर दिया है। वीपीटी के प्रवेश जलमार्ग में जलयानों का केवल एकतरफा संचालन होता है और प्रवेश जलमार्ग की लंबाई केवल 1.2 किमी. है। अत:, वीटीएमएस जरूरी नहीं है तथा सुरक्षित नौचालन में सहायता के लिए मौजूदा ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर आधारित राडार पर्याप्त है।

(ग) सरकार ईपीएल और वीओसीपीटी पर वीटीएमएस की स्थापना पर नज़दीकी से नज़र रख रही है।

सेल द्वारा वापस खरीद

2588. श्री पी. कुमार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड (सेल) ने अपने शेयरों को वापस खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल के अंशधारकों ने शेयरों की वापस खरीद हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हर्बल उत्पादों का प्रसंस्करण

2587. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झारखंड सरकार से राज्य में हर्बल और सुंगधयुक्त पौधों के प्रसंस्करण और आसवन हेतु बागान और संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्। मंत्रालय को झारखंड राज्य सरकार से राज्य में हर्बल और और सुगंधयुक्त पौधों के प्रसंस्करण और आसवन हेतु बागान और संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन का बनाना

2588. श्री हरिभाऊ जावले : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेने में परिवर्तित करने का कार्य कब तक प्रारंभ और पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) सरकार ने 15,587.01 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से रारा-6 के 1774.555 किमी. लंबे खंडों को 4 लेन का बनाने के लिए 15 पैकेज शुरू किए हैं। वर्तमान स्थिति और रारा-6 (खंड-वार) को 4 लेन का बनाने को पूरा करने के लिए वास्तविक/संभावित समय सहित उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन का बनाने का ब्यौरा (खंड-वार)

क्र. सं.	रारा-6 के खंड	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	कुल लंबाई (किमी.)	पूरी की लंबाई (किमी.)	प्रारंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि (वास्तविक/ संभावित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	वैनगंगा पुल से महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा तक तक को लेन का बनाना (किमी. 405.00 से किमी. 485.00)	424.00	80.000	72.000	मार्च, 2008	सितंबर, 2010
2.	नागपुर में वैनगंगा पुल को 4 लेन का बनाना (किमी. 498.00 से किमी. 544.200)	484.19	45.430	—	अप्रैल, 2012	अक्तूबर, 2014
3.	नागपुर - कोंधली को 4 लेन का बनाना (किमी. 9.200 से किमी. 50.00)	226.00	40.800	39.840	जून, 2006	अगस्त, 2011
4.	कोंधली - तालेगांव को 4 लेन का बनाना (किमी. 50.00 से किमी. 100.00)	212.00	50.000	50.000	सितंबर, 2006	जुलाई, 2008
5.	तालेगांव - अमरावती को 4 लेन का बनाना (किमी. 100.00 से किमी. 166.725)	567.00	66.730	43.000	सितंबर, 2010	फरवरी, 2013
6.	अमरावती - जलगांव बाइपास को 4 लेन बनाना (किमी. 166.725 किमी. 441.00)	3023.07	275.230	निर्धारित तारीख अभी निश्चित की जानी है।		
7.	जलगांव बाइपास से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खंड (किमी. 441 से किमी. 649.00) को 4 लेन का बनाना	2335.11	208.000	निर्धारित तारीख अभी निश्चित की जानी है।		
8.	रायपुर - औरंग को 4 लेन का बनाना (किमी. 238.535 से किमी. 282.00)	190.00	43.465	43.065	अप्रैल, 2006	दिसंबर, 2012

1	2	3	4	5	6	7
9.	दुर्ग बाइपास के छोर से छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा खंड को 4 लेन का बनाना (किमी. 322.400 से किमी. 405.00)	464.00	82.600	82.000	जुलाई, 2008	दिसंबर, 2012
10.	दुर्ग बाइपास को 4 लेन का बनाना (किमी. 308.60 से किमी. 323.600)	123.00	18.000	18.000 (2 लेन)	अप्रैल, 2011	सितंबर, 2013
11.	औरंग से छत्तीसगढ़/ओडिशा सीमा को 4 लेन का बनाना	1232.00	150.400	निर्धारित तारीख अभी निश्चित की जानी है।		
12.	संबलपुर से ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा को 4 लेन का बनाना (88 किमी.)	909.00	88.000	18.000	नवंबर, 2011	मई, 2014
13.	बहरागोरा से संबलपुर को 4 लेन का बनाना (366 किमी.)	2948.64	366.000	निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और निविदाओं की देय तारीख 04.01.2013 है।		
14.	महुलिया से बहरागोरा और बहरागोरा से	940.00	127.000	रियात करार पर हस्ताक्षर 29.02.2012 को किए गए। वित्तीय व्यवस्था को अभी प्राप्त किया जाना है।		
15.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा - सूरत - हजीरा पत्तन को 4 लेन का बनाना	1509.00	132.900	73.240	मार्च, 2010	मार्च, 2013
	जोड़	15587.01	1774.555	439.145		

राडार प्रणाली

2589. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में राडार प्रणाली अप्रचलित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुरानी और अप्रचलित राडार प्रणाली को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) राडारों को शामिल करना एक सतत् प्रक्रिया है। पुराने चले आ रहे ऐसी सभी राडार जो अपनी लाभप्रद उपयोगिता अवधि पूरी कर रहे हैं तथा जिसका कार्य-निष्पादन अपक्षीण हो गया है, को चरणबद्ध तरीके से माउंटेन राडार, निम्न स्तर परिवहनीय राडार तथा निम्न स्तर हल्के राडार शामिल हैं।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन सुभेद्यता सूचकांक

2590. **श्री महाबली सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मेपल क्राफ्ट जलवायु परिवर्तन सुभेद्यता सूचकांक (सीसीवीआई) की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जिन कुछ मुख्य शहरों को शीर्ष 20 में सूचीबद्ध किया गया है, वे निकट भविष्य में सूखा, चक्रवात, जल संकट इत्यादि खतरों से प्रभावित होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की जा रही कार्य-योजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) एक निजी पहल के अंतर्गत तैयार किए गए मेपल क्राफ्ट जलवायु परिवर्तन सुभेद्यता सूचकांक (सीसीवीआई) के अनुसार, बदलते तापमानों और मौसम प्रणालियों के अत्यधिक खतरे का सामना कर रहे सात देशों में कोलकाता सातवें स्थान पर है। मुंबई और दिल्ली उन 19 अत्यधिक जोखिम वाले शहरों में क्रमश: 8वें और 20वें स्थान पर है जहां देश के जल संसाधनों पर दबाव होने से सूखा और जल संकट के खतरे में वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) भारत सरकार, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभावों से अवगत है। सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित की है जिसमें जल, सतत कृषि और सतत पर्यावास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य जल को संरक्षित करना, इसका अपव्यय न्यूनतम रखना तथा इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य खाद्यान्न के सतत उत्पादन हेतु जल संसाधनों को सुरक्षित करना है। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में, अन्य बातों के साथ-साथ तटीय क्षेत्र के प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। एनएपीसीसी में प्रतिकूल जलवायु संबंधी घटनाओं के समय आपदा प्रबंधन संबंधी कार्रवाई और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु की जाने वाली पहलें शामिल हैं।

वर्ष 2011 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसका लक्ष्य मछुआरा समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करना, तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी का परिरक्षण और आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जलवायु परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन, ज्वार-भाटा और लहरों जैसे अन्य पैरामीटर्स के कारण समुद्र तल के ऊंचे हो जाने को ध्यान में रखते हुए देश के तटीय क्षेत्रों पर जोखिम रेखा के मानचित्रण हेतु विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना पर एक परियोजना शुरू की है।

[अनुवाद]

हर्बल औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान

2591. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा शरीर विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान (डीआईपीएएस) और नाभिकीय चिकित्सा और अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान (आईएनएमएएस) दो दशकों से भी अधिक समय से हर्बल दवाइयों पर कुछ अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इन अनुसंधानों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) हर्बल दवाइयों पर अनुसंधान करने के क्या कारण हैं जबकि आपका मंत्रालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) को मान्यता नहीं देता है; और

(घ) सरकार द्वारा सैनिकों हेतु आयुष चिकित्सा उपचार को सम्मिलित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की दोनों प्रयोगशालाएं नामत: रक्षा शरीर विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान (डीआईपीएएस) और नाभिकीय चिकित्सा और अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान (आईएनएमएएस) उच्च तुंगता और शीत रेगिस्तानी पर्यावरण में तैनात सैन्य-टुकड़ियों हेतु हर्बल आधारित पद्धतियों के विकास हेतु कठोर जलवायु और उच्च तुंगता वाले पर्यावरण में उगने वाली जड़ी-बूटियों के अनुसंधान और विकास में संलग्न हैं। इन प्रयोगशालाओं ने शीतदंश का मुकाबला करने हेतु कुछ सहौदध, एलोवीरा क्रीम, अतयधिक प्रतिकूल पर्यावरण में कार्य-शक्ति वर्धक औषधियां, विकिरण से बचने के लिए हर्बल आधारित संहारक उपाय, उत्तर-पूर्वी पर्यावरण में मच्छरों के विरुद्ध नुस्खे और ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु ल्यूकोस्किन विकसित किए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान पर अनुमानत: 5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) और (घ) ये प्रयोगशालाएं मुख्यत: सैन्य शरीर विज्ञान और विकिरण जीव विज्ञान पर केन्द्रित हैं जिसमें विभिन्न पर्यावरणों के अंतर्गत मानव कार्य-शक्ति संवर्धन तथा विकिरण विभिन्न दृष्टिकोण के जरिए सैन्य कार्मिकों का स्वास्थ्य संवर्धन भी शामिल है। इन अनुसंधान और विकास प्रयासों में प्रतिकूल पर्यावरण में सैनिकों के स्वास्थ्य और कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु हर्बल औषधि और योगा पर अनुसंधान भी शामिल हैं क्योंकि ये पद्धतियां सुरक्षित हैं। ये प्रयोगशालाएं सशस्त्र सेनाओं के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार योगा पैकेजों के विकास में भी संलग्न है।

[हिन्दी]

चिकित्सोपयोगी पौधों का संरक्षण

2592. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में दुर्लभ चिकित्सोपयोगी पौधों के विकास और संरक्षण हेतु कोई विशेष कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त पौधों के विलुप्त होने/तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने चिकित्सोपयोगी पौधों (दुर्लभ पौधों सहित) के विकास और संरक्षण हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सरकार ने औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आयुष विभाग के दिनांक 24 नवंबर, 2000 को अधिसूचित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सोपयोगी पादप बोर्ड गठित किया है। बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में चिकित्सोपयोगी पादप क्षेत्र के विकास हेतु मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यू.टी.) के साथ समन्वय शामिल है। राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर, राज्यों द्वारा राज्य चिकित्सोपयोगी पादप बोर्ड (एसएमपीबी) भी गठित किए गए हैं।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्तूबर, 2002 से फाउंडेशन फॉर री-वाइटेलाइजेशन ऑफ लोक हेल्थ ट्रेडीशंस, बेंगलुरु में चिकित्सोपयोगी पौधों और पारंपरिक ज्ञान संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। अब तक मंत्रालय ने चिकित्सोपयोगी पादपों के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित जानकारी के सृजन एवं प्रसारण के लिए इस केंद्र को लगभग 8.0 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

(iii) वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)—भारत सरकार (जीओआई)—संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) परियोजना जिसका शीर्षक तीन भारतीय राज्यों में चिकित्सोपयोगी पादप विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को मुख्य धारा से जोड़ना है, को संचालित करना, जिसे अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) सामान्यत: पादप विविधता को संरक्षित करने और विशेष रूप से दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए, वास स्थलों में सुधार करना मुख्य उपाय है। इस प्रयोजनार्थ, सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें 102 राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्यजीव अभयारण्य, 47 संरक्षण रिजर्व और 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत इन क्षेत्रों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भूदृश्य संरक्षण हेतु 18 जैवमंडल रिजर्व भी स्थापित किए हैं।

(v) एफआरएलएचटी की तकनीकी सहायता से देश में 12 राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य चिकित्सोपयोगी पादपों के संरक्षण पर केंद्रित 108 चिकित्सोपयोगी पादप संरक्षण क्षेत्रों (एमपीसीए) के नेटवर्क की स्थापना। छत्तीसगढ़ के 7 एपीसीए सहित एमपीसीए की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(vi) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा हावड़ा स्थित अपने आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वानस्पतिक उद्यान, बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, नोएडा और इसके क्षेत्रीय केंद्रों से संबद्ध वानस्पतिक उद्यानों में दुर्लभ चिकित्सोपयोगी पादपों सहित विभिन्न संकटापन्न पादपों को, उनके बाहय-स्थाने संरक्षण हेतु, कृषि के तहत लाया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय की सहायता से विश्वविद्यालयों/संस्थानों से संबद्ध विभिन्न वानस्पतिक उद्यानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मंत्रालय की सहायता से विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से संबद्ध विभिन्न वानस्पतिक उद्यानों ने विविध संकटापन्न पादपों को सफलतापूर्वक संरक्षित किया है/उनकी संख्या में वृद्धि की है।

(ग) चिकित्सोपयोगी पादपों की तस्करी की रोकथाम और उनकी सुरक्षा भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इन अधिनियमों के अंतग्रत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन के माध्यम से की जाती है। चिकित्सोपयोगी पादपों सहित वन्यजीवों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

विवरण

भारत में औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों (एमपीसीए) के नेटवर्क की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	एमपीसीए का नाम	जिला
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	बीआरटी हिल्स	चामराजनगर
2.		तालकावेरी	कोडागु
3.	कर्नाटक	सावनदुर्गा	रामानगरा
4.		सुबरामन्या	दक्षिण कन्नड़
5.		चरमाडी	दक्षिण कन्नड़
6.		देवरायनदुर्गा	टुमकूर
7.		कुदेरमुख	चिकमंगलूर
8.		केम्मनगुंडी	चिकमंगलूर
9.		अगुम्बे	शिमोगा
10.		डिवीमेन	उत्तर कन्नड़
11.		संदूर	बेल्लारी
12.		करपाकापल्ली	बिदर
13.		कोल्लूर	उदुपी
14.	केरल	अगस्तीरमाला	थिरुवनन्थपुरम
15.		त्रिवेणी	पथनमथिटा
16.		इरावीकुलम	इड्डुकी
17.		पीछी	त्रिस्सूर
18.		अथिरापल्ली	त्रिस्सूर
19.		साईलेंट वैली	पलाकाडू
20.		वायनाड	वायनाड
21.		कुलामावू	इड्डुकी

1	2	3	4
22.		अनापाडी	पलाकाडू
23.	तमिलनाडु	पेटचीपरई	नगरकोविल
24.		मुंडनथुरुई	तिरुनेलवेली
25.		कुतरालम	तिरुनेलवेली
26.		थानीपरई	तिरुनेलवेली
27.		अलेगरकोविल	मदुरै
28.		कोडईकनाल	मदुरै
29.		कोडीकरई	नगापटनम
30.		टॉपस्लिप	कोयम्बटूर
31.		कोलीहिल्स	नमाकल
32.		कुरम्बारम	कांचीपुरम
33.		थेनमलई	थिरुवन्नमलई
34.		नम्बीकोविल	थिरुनेलवेली
35.	महाराष्ट्र	अम्बा	रायगढ़
36.		अम्बोली	सिन्धुदुर्ग
37.		गडमोली	गढचिरोली
38.		गुल्लारघाट	अमरावती
39.		होन्या कोली	पुणे
40.		लेगापानी	नन्दुरबर
41.		नागजीरा	गोंडिया
42.		नवाजा	सतारा
43.		पदानादेवी	जलगांव
44.		सावार्णा	नासिक
45.		एसजीएनपी, बोरीवली	थाने

1	2	3	4
46.		उकलापानी	नंदूरबार
47.		येडशी रामलिंग	उस्मानाबाद
48.	आंध्र प्रदेश	मल्लूर	वारांगल
49.		सुकुमामिडी	खम्माम
50.		तलकोना	त्रिरुपति
51.		मारेडुमिली	पूर्वी गोदावरी
52.		लंकापकालू	विशाखापटनम
53.		कोरिंगा	पूर्वी गोदावरी
54.		पेड्डाचेरुवू	कुरुनूल
55.		के. कुन्तलपल्ली	अनन्तपुर
56.	उड़ीसा	कपिलाश	धेनकनाल
57.		तामना	खुर्दा
58.		गुरुडोन्गार	नुआपाडा
59.		सतकोसिया	मयूरभंज
60.		प्रधानपट	देवगढ
61.	मध्य प्रदेश	भुन्दाकोना	अनूपपुर
62.		लातरी बिथली	उत्तरी बालाघाट
63.		पार्चा	सेहोर
64.		कपूरनाला	छिंदवाड़ा
65.		हिनोटा	पन्ना
66.		कुपी जटाशंकर	छत्तरपुर
67.		भागपुरा	खंडवा
68.		छापरीसोटिया	मांडला
69.		नावली और सवाद	मंदसौर

1	2	3	4
70.		नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
71.		नारायणपुर	सागर
72.		श्यामागिरि	पन्ना
73.		पनारपानी	होशंगाबाद
74.	राजस्थान	रामकुंडा	उदयपुर
75.		बाडा भाकर	जोधपुर
76.		भंवरकोट	बंसवारा
77.		गजरूप सागर	जैसलमेर
78.		बडकोचारा	अजमेर
79.		सीतामाता	चित्तौड़गढ़
80.		कुंबलगढ	राजसमंद
81.	पश्चिम बंगाल	गढपंचकोट	पुरुलिया
82.		धोत्रे	दार्जिलिंग
83.		टोंगलू	दार्जिलिंग
84.		सुरसुती	जलपाईगुड़ी
85.		नॉर्थ सेवोक	जलपाईगुड़ी
86.		एनआरवीके	जलपाईगुड़ी
87.		बोनी कैम्प	साऊथ 24 परगना
88.	उत्तराखंड	कन्डारा	उत्तरकाशी
89.		खलिया	पिथौरागढ़
90.		झूनी	बागेश्वर
91.		गंगी	टिहरी-गढ़वाल
92.		बस्तिया	चम्पावत
93.		मोहन	अल्मोड़ा

1	2	3	4
94.		मंडल	चमोली
95.	छत्तीसगढ़	अमादोब	मारवाही
96.		जब्बारा	धमतारी
97.		तिरिया	बस्तर
98.		भटवा	साऊथ कोन्डागांव
99.		घाटपेन्डारी	नॉर्थ सरगुजा
100.		पटिया	जाशपुर
101.		बंधातौला	राजनंदगांव
102.	अरुणाचल प्रदेश	लुमला-लुमला	तवांग
103.		सेलारी-बोमडिला	वेस्ट कामेंग
104.		मायोडिया	दिबांग वैली
105.		परसुरामखुंड	लोहित
106.		वांग (लोंगीडिंग)	टिराप
107.		हेक-तारी (हपोली)	लोवर सुबानसिश्री
108.		डाक्पे (डपोरिजो)	अप्पर सुबानसिश्री

[अनुवाद]

सी.एस.डी. की स्थापना

2593. श्री आधि शंकर :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीन स्टोर्स डिपोर्टमेंट (सीएसडी) डिपुओं तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन राज्यों/जिलों में और अधिक सीएसडी स्टोर स्थापित करने का है जहां सशस्त्र बल कार्मिकों की संख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल में सीएसडी डिपुओं का कार्यकरण समीक्षा के अध्यधीन था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन डिपुओं में भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आए/सूचना प्राप्त हुई है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) कैंटीन भंडार विभाग

(सीएसडी) डिपुओं का उनकी अवस्थिति सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सीएसडी के नए डिपुओं को खोलने के लिए प्रस्ताव विभिन्न स्रोतों से नियमित रूप से प्राप्त होते हैं और उनकी उपयुक्तता, आवश्यकता, आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य प्रशासनिक पहलुओं की सुनिश्चितता के बाद उन पर औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीएसडी की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 2008-09 में की गई थी। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने जांच और रिपोर्ट के लिए विषय को चुना। लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां इस मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2012 में पीएसी को प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

चालू वर्ष में सीएसडी के दो अफसरों को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिश्वतखोरी के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, मामले में जांच अभी भी चल रही है।

(च) इन दो अधिकारियों में से एक को निलम्बित कर दिया गया है और दूसरे का सेना से संबंधित होने के कारण सेना नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई हेतु सेना को प्रत्यार्पित किया जा चुका है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में सीएसडी डिपुओं की उनकी अवस्थिति सहित सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	डिपुओं की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	असम	03	मसीमपुर, मिसमारी, नारंगी
2.	आंध्र प्रदेश	02	सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01	पोर्ट ब्लेयर
4.	दिल्ली	01	दिल्ली छावनी
5.	गुजरात	01	अहमदाबाद
6.	हरियाणा	02	अम्बला, हिसार
7.	झारखंड	01	रामगढ़
8.	जम्मू और कश्मीर	04	श्रीनगर, लेह, उधमपुर, बी.डी. बारी
9.	कर्नाटक	01	बंगलूरु
10.	केरल	01	कोच्चि
11.	मध्य प्रदेश	01	जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	03	मुम्बई (एक एरिया डिपो + एक बेस डिपो), खडकी

1	2	3	4
13.	नागालैंड	01	दिमापुर
14.	पंजाब	03	पठानकोट, भटिंडा, जालंधर
15.	राजस्थान	02	जयपुर, बीकानेर
16.	तमिलनाडु	01	चुन्नई
17.	उत्तर प्रदेश	04	लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली
18.	उत्तराखंड	01	देहरादून
19.	पश्चिम बंगाल	02	कोलकाता, बागडोगरा
	कुल	35	

सड़क सुरक्षा फोरम की चिन्ताएं

2594. श्री अब्दुल रहमान :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सड़क सुरक्षा फोरम से देश के प्रस्तावित छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर रारा-16 पर उच्च टोल कर से बचने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सड़क सुरक्षा फोरम ने राजमार्ग को छह लेन वाले राजमार्ग में बदलने हेतु/राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रतिवेदन केवल 12000 वाहनों की ही सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सड़क सुरक्षा फोरम की चिंताओं को दूर करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर यात्रियों की सड़क सुरक्षा में अभिवृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/प्रस्तावित हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, हां। यातायात अध्ययन, मुआवजा पथकर, सार्वजनिक सुनवाई संबंधी मुद्दों के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाए जाने के बारे में सड़क सुरक्षा मंच से अनके अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों के लिए आयुक्त उत्तर भी पहले ही दिए जा चुके हैं। दिनांक 4.12.2012 को प्राप्त कर ऐसे ही अभ्यावेदन पर मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। सड़क सुरक्षा मंच ने कुछ अध्ययन का उल्लेख किया है जिनमें यह अनुमान लगाया गया है कि 50,000 वाहन प्रतिदिन रारा-16 पर चल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा मंच को यह सूचित किया था कि उनकी साध्यता रिपोर्ट के अनुसार औसत दैनिक यातायात 12,000 वाहन प्रतिदिन (38,498 पीसीयू प्रतिदिन) है न कि 50,000 वाहन प्रतिदिन।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में साध्यता पर आधारित उपर्युक्त स्थानों पर सभी सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत परियोजनाएं

2595. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नदी परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या एवं ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में आवंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दमन (संघ राज्य क्षेत्र) की दमन गंगा नदी के लिए ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अभिज्ञात नदी क्षेत्रों में विभिन्न प्रदूषण उपशमन योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एक समग्र नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी का प्रभावी-प्रदूषण उपशमन और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अधिकार प्राप्त योजना, वित्तीय, मॉनीटरिंग और समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया। एनजीआरबीए के अंतर्गत अब तक लगभग 2600 सौ करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं की लागत, एनआरसीपी के अंतर्गत जारी की गई, निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नदियों के संरक्षण हेतु प्रदूषण उपशमन स्कीमों को समय-समय पर मंजूरी दी जाती है। दमन में दमन गंगा नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए इस मंत्रालय में विचारार्थ कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	मंजूर की गई नई परियोजनाओं की लागत	पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में जारी निधियां (जारी + नई परियोजनाएं)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	36.89
2.	बिहार	441.85	35.37
3.	दिल्ली	20.32	184.67
4.	हरियाणा	229.70	57.10
5.	झारखंड	—	—
6.	गुजरात	262.13	42.10
7.	गोवा	—	—
8.	कर्नाटक	—	0.96
9.	केरल	—	—
10.	महाराष्ट्र	74.29	24.27
11.	मध्य प्रदेश	6.20	0.90
12.	नागालैंड	—	—
13.	ओडिशा	—	5.00
14.	पंजाब	515.52	138.64
15.	राजस्थान	149.59	40.00
16.	सिक्किम	151.69	72.09
17.	तमिलनाडु	2.54	3.10
18.	उत्तर प्रदेश	1385.95	445.46
19.	उत्तराखंड	135.93	49.82
20.	पश्चिम बंगाल	690.10	251.21
	कुल	4065.81	1387.68

[हिन्दी]

तकनीकी कर्मचारियों की कमी

2596. श्री प्रतापराव गणतराव जाधव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत परिवहन महानिदेशालय में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) : (क) और (ख) जी हां.। नौवहन महानिदेशालय के 3 तकनीकी स्कंधों अर्थात् नॉटिकल, इंजीनियरिंग और नौसैनिक आर्किटेक्चर में विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियां हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
इंजीनियारिंग स्कंध		
1.	प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग)	2
2.	उप मुख्य सर्वेक्षक	5
3.	इंजीनियरिंग और पोत सर्वेक्षक	8
	कुल	15
	नॉटिकल स्कंध	
1.	नॉटिकल सलाहकार	1
2.	वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षक	1
3.	रेडियो सर्वेक्षक	1
4.	नॉटिकल सर्वेक्षक	10
	कुल	13
	नौसैनिक आर्किटेक्चर स्कंध	
1.	पोत सर्वेक्षक	6
	कुल	6

(ग) और (घ) सरकार ने रिक्तियों को विज्ञापित कर और जहां आवश्यक है संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श लेकर पदों को भरे जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

छावनियों में मरम्मत कार्य संबंधी नीति

2597. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छावनी क्षेत्रों में आवासों की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्यों पर नीति लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) छावनी क्षेत्रों में आवासों का निर्माण, पुनर्निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, बदलाव और मरम्मत कार्यों का अधिनियमन पहले ही छावनी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है, इस अधिनियम के तहत भवन संबंधी उप-नियम बनाए जाते हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर भूमि नीति जारी की जाती है।

ग्रामीण सार्वजनिक परिवहन

2598. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित/आवंटित धनराशि का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटक जहाज शुरू करना

2599. श्री के.पी. धनपालन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटक जहाज शुरू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पत्तनों के नाम क्या हैं जहां यह सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में पत्तन-सह-पोत परिवहन यार्ड शुरू करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) सरकार ने चेन्नै, कोचीन, नव मंगलूर, मुरगांव, तूतीकोरिन और मुम्बई पत्तनों को क्रूज पर्यटन के विकास के लिए अभिज्ञात किया है। मुम्बई, चेन्नै, नव मंगलूर, कोचीन और तूतीकोरिन में क्रूज टर्मिनल विकसित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक-एक नया महापत्तन स्थापित किए जाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

काली नदी की सफाई

2600. श्री कादिर राणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की काली नदी प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नदी की सफाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ, मोदी नगर, मोदीपुरम, हापुड़, बुलंदशहर, खतौली, दौराला, गुलावटी और कन्नौज जैसे विभिन्न शहरों से औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के निस्सारण के कारण काली नदी की जल गुणवत्ता में ह्रास हुआ है।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत मेरठ शहर के लिए एक सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है जिसमें 145 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता के मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कन्नौज शहर में सृजित होने वाले मलजल के शोधन हेतु कुल 13 एमएलडी की शोधन क्षमता वाली दो सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

[अनुवाद]

चीन से आयात

2601. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यवसायी चीन से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के सस्ते तैयार माल का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उद्धरण हैं जिनमें आयात शुल्क की अपवंचन हेतु आयातित माल के बीजक मूल्य काफी कम रखे गए हैं जबकि इन सामानों को भारत में बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विगत वर्षों में सस्ते उत्पादों जैसे खिलौनों, दूध, चॉकलेट के घटिया दर्जे के उत्पाद सीमाशुल्क प्राधिकारियों के सामने आए हैं तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। इस प्रकार के आयातों का विगत तीन वर्षों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	वस्तुओं का ब्यौरा	मूल्य (लाख)
2008-09	खिलौने तथा चॉकलेट	240.54
2009-10	खिलौने	472.665
2010-11	खिलौने	120.965

(ग) और (घ) भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशों तथा सुरक्षा मानदंडों के अधीन हैं। ये विनियम आईटीसी (एचएस) आयात-निर्यात मदों का वर्गीकरण में अधिसूचित किए गए हैं। यदि किसी भी स्रोत से आयातित वस्तुएं इन विनियमों का उल्लंघन करती हैं तथा मानव, पशु अथवा वनस्पति जागत अथवा स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करती है। कुछ विशिष्ट मामलों जिनमें सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा घटिया दर्जे तथा खतरनाक वस्तुओं का आयात ढूंढ निकाला गया है, उस मामले में उन्हें यह अधिकार है कि इन वस्तुओं को ज़ब्त कर लें तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों तथा उसके साथ पठित अन्य संबद्ध अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू करें।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय संतुलन पर नियंत्रण

2602. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनियंत्रित औद्योगिकीकरण से देश में पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो देश में इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी हां, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और बड़े उद्योगों एवं औद्योगिक समूहों द्वारा गैसों के निस्सारण तथा तरल पदार्थों के बहि:स्त्रावों के परिणामस्वरूप देश में पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के सहयोग से केन्द्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश के 88 मुख्य औद्योगिक समूहों में औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण भार के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2009 में व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) पर आधारित सर्वेक्षण किया था। इनमें से 70 से अधिक सीईपीआई स्कोर वाले 43 औद्योगिक समूहों की पहचान अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) के रूप में की गई है। अत्यधिक प्रदूषित समूहों/क्षेत्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 13.1.2010 को इन 43 अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों में विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने पर अधिस्थगन लगाया है। इन प्रदूषित समूहों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा बनाई गई योजनाओं की समीक्षा की है। कार्य योजनाओं और कार्यान्वयन उपाय शुरू करने के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 26 औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों से अधिस्थगन हटा लिया गया है।

विवरण

सीईपीआई मानदंड के आधार पर अभिज्ञात अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों (सीईपीआई स्कोर > 70) का राज्य-वार विवरण

राज्य	समूहों की संख्या	औद्योगिक समूह/क्षेत्र	सीईपीआई
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2	विशाखापटनम	70.82
		पट्टाचेरू-बोलाराम	70.07
छत्तीसगढ़	1	कोरबा	83.00
दिल्ली	1	नजफगढ़ ड्रेन बेसिन	79.54

1	2	3	4
गुजरात	6	अंकलेश्वर	88.50
		वापी	88.09
		अहमदाबाद	75.28
		वत्वा	74.77
		भावनगर	70.99
		जूनागढ़	70.82
हरियाणा	2	फरीदाबाद	77.07
		पानीपत	71.91
झारखंड	1	धनबाद	78.63
कर्नाटक	2	मंगलौर	73.68
		भद्रावती	72.33
केरल	1	ग्रेटर कोचीन	75.08
मध्य प्रदेश	1	इंदौर	71.26
महाराष्ट्र	5	चंद्रपुर	83.88
		डाम्बीवलि	78.41
		औरगांबाद	77.44
		नवी मुबंई	73.77
		तारापुर	72.01
ओड़िशा	3	अंगुल तलचर	82.09
		इब वैली	74.00
		झारसुगुडा	73.34
पंजाब	2	लुधियाना	81.66
		मंडी गोबिंदगढ़	75.08

1	2	3	4
राजस्थान	3	भिवाड़ी	82.91
		जोधपुर	75.19
		पाली	73.73
तमिलनाडु	4	वैल्लोर	81.79
		कड्डालोर	77.45
		मनाली	76.32
		कोयम्बटूर	72.38
उत्तर प्रदेश	6	गाजियाबाद	87.37
		सिंगरौली	81.73
		नोएडा	78.90
		कानपुर	78.09
		आगरा	76.48
		वाराणसी-मिर्जापुर	73.79
पश्चिम बंगाल	3	हल्दिया	75.43
		हावड़ा	74.84
		आसनसोल	70.20

[अनुवाद]

गोदावरी नदी में प्रदूषण के कारण रोग

2603. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या पर्यावरण **और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी में प्रदूषण के कारण नासिक का भूजल प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण रोगों के फैलने का क्या खतरा है;

(ग) गोदावरी नदी की सफाई के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के साथ समन्वय करके पथार्दी नासिक में भूजल गुणवत्ता की मॉनीटरी करता है। भूजल गुणवत्ता के परिणाम यह दर्शाते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमान्ड (बीओडी) का मान जलगुणवत्ता

मानदंडों से अधिक है और ऐसा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान के कारण हुआ है।

सीपीसीबी द्वारा भारत के महानगरों किए गए भूजल गुणवत्ता संबंधी विशेष अध्ययन से यह पता चला है कि नासिक शहर के भूजल नमूनों में कुल कठोरता, कैल्शियम और नाइट्रेट सांद्रता, पेयजल के लिए निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक है। भूजल में कोई फेकल संदूषण तो नहीं देखा गया परंतु कुछ स्थानों पर बैक्टीरियल संदूषण देखा गया है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी द्वारा जल संदूषण के कारण बीमारियां फैलने के किसी खतरे की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) नदियों का संरक्षण केंद्र और राज्य सरकारों का एक जारी एवं सम्मिलित प्रयास है। यह मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत नदियों के प्रदूषण उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में गोदावरी नदी के लिए 118.97 करोड़ रुपए की प्रदूषण उपशमन स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 112.82 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है और 185.46 एमएलडी की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष न्यास

2604. श्री एम.बी. राजेश : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष न्यास की प्रचालन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए हैं;

(ग) क्या मूल्य स्थिरीकरण कोष न्यास के प्रचालन की अवधि संभवत: 28.02.2013 को समाप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तथ्य क्या है और इस कोष के अधिकार क्षेत्र में शामिल फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कोष के प्रचालन के अवधि बढ़ाने और इसमें और अधिक फाइलों को शामिल करने के लिए इसे पुनर्गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने किसान नामांकित और लाभान्वित हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों यथा डॉ. प्रणब सेन समिति, रंगाचारी कार्यबल और उच्चाधिकार प्राप्त उप-समिति द्वारा कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) स्कीम की समीक्षा की गई है। इन समितियों, विशेष रूप से उच्चाधिकार प्राप्त उप-समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एक संशोधित कीमत स्थिरीकरण निधि (एमपीएसएफ) स्कीम तैयार किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) मौजूदा कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम अप्रैल, 2003 से दस वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए प्रचालनरत है, जिसमें बागान फसल-चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू को कवर किया गया है।

(ङ) वर्तमान में प्रचालनरत पीएसएफ स्कीम (2003) के प्रचालन की अवधि को 31 मार्च, 2013 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक संशोधित स्कीम तैयार किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) दिनांक 30.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार अब तक 46,243 उपजकर्त्ताओं को नामांकित किया गया है और वे प्रचालनरत पीएसएफ स्कीम (2003) से लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 का पुनः आरेखन

2605. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गुंटूर-विजयवाड़ा सेक्शन के अंतर्गत आने वाले गुंटूर, आंध्र प्रदेश में काजा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-5 के पश्चिमी छोर पर 78 मीटर चौड़ी भूमि का अधिग्रहण करके पुन: आरेखन हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, माननीय संसद सदस्य की ओर से गुंटूर, आंध्र प्रदेश में काजा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के पश्चिमी छोर पर 78 मीटर चौड़ी भूमि का अधिग्रहण करके पुनः आरेखण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) अधिग्रहीत भूमि का मुख्य भाग दोनों ओर से कब्जे में ले लिया गया है और रियायतग्राही द्वारा निर्माण शुरू किया गया है। आगे काजागांव में रारा-5 पर 420.500 किमी. और 422.500 किमी. के बीच पुनः आरेखण तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

निःशक्तों को शिक्षा

2606. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान दृष्टिविहीन, बधिर और मूक व्यक्तियों सहित निःशक्तों व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने कोई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से ऐसे व्यक्तियों के कल्याण हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 में सभी विकलांग छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्षों को पूरा करने के पश्चात एक समावेशी और समर्थ परिवेश में माध्यमिक शिक्षा के लिए योग्य बनाने के लिए माध्यमिक स्तर पर विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा की एक समावेशी योजना आरंभ की गई। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विद्यालय शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकते हैं। चिकित्सा और शैक्षणिक मूल्यांकन, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन, भोजन और ठहरने की व्यवस्था, लड़कियों के लिए वृत्तिका, सहायक सेवाएं, सहायक उपकरण आदि मुख्य स्वीकार्य घटक हैं। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति पर व्यय और बाधामुक्त परिवेश आदि भी इस योजना के तहत स्वीकार्य है।

(ग) इस मंत्रालय के अधीन सात राष्ट्रीय संस्थान और आठ संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (सीआरसी) हैं जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की विकलांगता के लिए कवर करते हैं। ये संस्थान विकलांगता के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने और अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए कार्यरत हैं।

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसीज) विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना के तहत जागरूकता सृजन सहित व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। देश में अब तक 220 डीडीआरसीज स्थापित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसीज और डीडीआरसीज की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरसीज) के तहत संगठन जो (I) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत है, या (II) सार्वजनिक न्याय, या (III) कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अधीन एक चैरिटेबल कंपनी और कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए पहले ही पंजीकृत कंपनी हैं, अपनी परियोजना आधारित गतिविधियों के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों पर अनुदान की पात्र हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसीज की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राष्ट्रीय संस्थान	स्थापना वर्ष	क्षेत्रीय केंद्र/क्षेत्रीय पीठ, यदि कोई हो	राष्ट्रीय संस्थान के अधीन संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, यदि कोई हो
1.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच), देहारदून	1979	एक क्षेत्रीय केंद्र (चेन्नै): दो क्षेत्रीय पीठ (कोलकाता एवं सिकंदराबाद)	एक (सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश)
2.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (एवाईजेएन आईएचएच), मुंबई	1983	चार क्षेत्रीय केंद्र (कोलकाता, सिकंदराबाद, नई दिल्ली एवं भुवनेश्वर)	दो (भोपाल एवं अहमदाबाद)
3.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता	1978	दो क्षेत्रीय केंद्र (देहरादून एवं आइजोल)	एक (पटना)
4.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान (निरतार), कटक	1975	कोई नहीं	एक (गुवाहाटी)
5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगजन संस्थान (पीडीयूआईपीएच), दिल्ली	1960	एक क्षेत्रीय केंद्र (सिकंदराबाद)	दो (लखनऊ एवं श्रीनगर)
6.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एनआई एमएच), सिकंदराबाद	1984	तीन क्षेत्रीय केंद्र (दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता)	कोई नहीं
7.	बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नै	2005	कोई नहीं	एक (कोझीकोड)

विवरण-II

डीडीआरसी की राज्य-वार संख्या की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीडीआरसी की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	9
5.	बिहार	21
6.	छत्तीसगढ़	6
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दिल्ली	1
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	11
11.	हरियाणा	5
12.	हिमाचल प्रदेश	3
13.	जम्मू और कश्मीर	5
14.	झारखंड	6
15.	कर्नाटक	8
16.	केरल	3
17.	मध्य प्रदेश	23
18.	महाराष्ट्र	9
19.	मणिपुर	3
20.	मेघालय	3
21.	मिजोरम	3
22.	नागालैंड	1
23.	ओडिशा	8
24.	पंजाब	7
25.	पुदुचेरी	2
26.	राजस्थान	11
27.	सिक्किम	1
28.	तमिलनाडु	7
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	24
31.	उत्तराखंड	5
32.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	220

[अनुवाद]

रोजगार एजेंसियां

2607. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने के कार्य में लगे पंजीकृत/अपंजीकृत रोजगार एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये रोजगार एजेंसियां नियोक्ताओं से सीधे घरेलू नौकरों की मजदूरी ले रही हैं और घरेलू नौकरों को केवल नाममात्र धनराशि दे रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को घरेलू नौकरों को मजदूरी का भुगतान

नहीं करने के संबंध में इन एजेंसियों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी रोजगार एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार ने इन रोजगार एजेंसियों द्वारा घरेलू नौकरों का शोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (च) घरेलू कार्य राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है। घरेलू नौकर उपलब्ध कराने के कार्य में लगी पंजीकृत और अपंजीकृत एजेंसियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। घरेलू नौकरों सहित लोगों की रक्षा करने हेतु कार्रवाई करने और रोजगार एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच पड़ताल करने तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का मूल रूप से उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार ने घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया है कि घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली रोजगार एजेंसियों के पंजीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। केन्द्रीय सरकार, घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर भी विचार कर रही है।

नागोया प्रोटोकॉल

2608. **श्री सी.आर. पाटिल :**
श्री प्रदीप माझी :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश द्वारा अभिगम और लाभ-भागीदारी पर नागोया प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक इस प्रोटोकॉल में संशोधन किया है;

(घ) क्या देश हमारे-जेनेरिक संसाधनों और सहयोजित परम्परागत ज्ञान के दुर्विनियोजन का बायो-पायरेसी का शिकार बना है;

(ङ) यदि हां, तो देश नागोया प्रोटोकॉल में संशोधन के बाद इस प्रकार की हानि को किस हद तक रोक पाएगा;

(च) क्या उपाध्यक्ष, योजना आयोग और विदेश मंत्रालय तथा अभिगम व लाभ भागीदारी पर नागोया प्रोटोकॉल पर कार्यरत मंत्रालय के दृष्टिकोणों के मध्य विवाद चल रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) अभिगम और लाभ भागीदारी (एबीएस) संबंधी नागोया प्रोटोकॉल छह वर्ष की गहन बातचीत के बाद अक्तूबर, 2010 में नागोया, जापान में आयोजित जैव-विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) के तत्वाधान में अंगीकृत की गई एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जैव-विविधता और उससे जुड़े परंपरागत ज्ञान से समृद्ध होने और तेजी से उन्नत होते जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग वाले एक बहुविध देश के रूप में भारत में एबीएस वार्ताओं में प्रभावी योगदान दिया है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों तक उपयुक्त पहुंच और संगत प्रौद्योगिकियों के समुचित हस्तांतरण को शामिल करते हुए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और समान संवितरण है। नागोया प्रोटोकॉल में इस बात के लिए एक पारदर्शी विधिक ढांचे की व्यवस्था की गई है कि अनुसंधानकर्त्ता और कंपनियां किस प्रकार से आनुवंशिक संसाधनों तक अपनी पहुंच बना सकती हैं और ऐसी सामग्री या ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को किस प्रकार से बांटा जाएगा। भारत ने 11.5.2011 को नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 9.10.2012 को इसका अनुसमर्थन किया है। इस प्रोटोकॉल पर 92 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और अभी तक 9 देशों ने इस प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया है। ये देश सैशल्स, रवांडा, गेबॉन, जोर्डन, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मेक्सिको, भारत, फिजी और इथोपिया हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के बावजूद देश के आनुवंशिक संसाधनों और उससे जुड़े परंपरागत ज्ञान के दुरुपयोग के कई दृष्टांत सामने आये हैं। एक बार नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हो जाए तो इसमें उल्लिखित प्रयोक्ता देश के

उपायों में सभी पक्षकारों को प्रावधान करने के लिए बाध्य किया जाएगा कि आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्त्ता अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उन पक्षकारों के घरेलू विनियामक ढांचे का सम्माने करेंगे जहां से आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच बनाई गई है और इस प्रकार दुर्विनियोजन की समस्या का समाधान किया जाएगा।

(च) और (छ) जी, नहीं। नागोया प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन का अनुमोदन देने संबंधी मंत्रिमंडल टिप्पण का प्रारूप विदेश मंत्रालय (एमईए) और योजना आयोग सहित समस्त संबंधित मंत्रालयों और विभागों को परिचालित किया गया था। विदेश मंत्रालय और योजना आयोग दोनों प्रस्ताव पर सहमत थे।

निगरानी प्रक्रिया को मजबूत बनाना

2609. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री आधि शंकर :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंजूरी दिये जाने के बावजूद खनन कार्य शुरू करने में असफल रहने वाले खनन कम्पनियों के साथ-साथ कोयला क्षेत्र की कम्पनियों का पता लगाने के लिए देश में निगरानी प्रक्रिया को मजूबत बनाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के पास लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार, कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ईआईए अधिसूचना, 2006 अधिसूचित की है जो पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां गठित की गई हैं।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर, परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली विभिन्न शर्तों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बंगलौर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ और शिलांग स्थित छह क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित शर्तों के कार्यान्वियन की मानीटरिंग की जाती है।

कोयला खनन क्षेत्र और गैर-कोयला खनन क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कोयला खान	गैर-कोयला खान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	8
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
4.	असम	–	
5.	बिहार	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–
7.	छत्तीसगढ़	13	5
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–
9.	दमन और दीव	–	–
10.	दिल्ली	–	–
11.	गोवा	–	1
12.	गुजरात	–	4

1	2	3	4
13.	हरियाणा .	–	1
14.	हिमाचल प्रदेश	–	6
15.	जम्मू और कश्मीर	–	–
16.	झारखंड	20	17
17.	कर्नाटक	–	4
18.	केरल	–	–
19.	मध्य प्रदेश	4	10
20.	महाराष्ट्र	5	9
21.	मणिपुर	–	–
22.	मेघालय	–	1
23.	मिजोरम	–	–
24.	नागालैंड	–	–
25.	लक्षद्वीप	–	–
26.	पुदुचेरी	–	–
27.	ओडिशा	11	27
28.	पंजाब	–	–
29.	राजस्थान	3	35
30.	सिक्किम	–	–
31.	तमिलनाडु	–	2
32.	त्रिपुरा	–	–
33.	उत्तराखंड	–	7
34.	उत्तर प्रदेश	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	–	–
	कुल	56	137

विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान

2610. **श्री शिवकुमार उदासी :**
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के अधीन पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाओं के तहत अनुदान राशि जारी करने हेतु कर्नाटक के कुल कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत संस्वीकृत अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवेदनों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है;

(घ) लंबित आवेदनों को मंजूरी दिये जाने में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास लंबित मामलों की निगरानी करने के लिए कोई उचित निगरानी तंत्र है; और

(च) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ योजनाओं के तहत सहायता-अनुदान जारी करने के लिए मंत्रालय में 64 आवेदन लंबित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जारी कुल अनुदान इस प्रकार हैं:–

योजना का नाम	जारी धनराशि (लाख रुपए)		
	2009-10	2010-11	2011-12
अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	150.60	359.99	251.30
सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	6.00	21.00	31.00
दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना	857.00	1057.00	1146.00
अ.पि. वर्गों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00

(ग) से (च) प्रस्तावों को पास करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह प्रस्तावों की पूर्णता, इस योजना के मानकों के अनुपालन तथा सामान्य वित्तीय नियमों तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है। विलम्ब, विसंगतियों को ठीक करने तथा प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने में समय लगने के कारण होता है। लंबित मामलों की विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा की जाती है तथा राज्य सरकारों से उनके प्रस्तावों की विसंगतियों को ठीक करने का अनुरोध किया जाता है।

बासमती चावल में आर्सेनिक तत्व

2611. श्री प्रदीप माझी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल में भारतीय बासमती चावल में आर्सेनिक तत्व पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में विनियामक द्वारा कोई सलाह जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे नमूनों के आर्सेनिक तत्वों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) उक्त सलाह जारी होने के बाद बासमती चावल का निर्यात किए हद तक प्रभावित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस चालित वाहन

2612. श्री एम. आनंदन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में देश में उन नगरों के नाम क्या हैं जहां प्राकृतिक गैस चालित वाहन हैं; और

(ख) क्या सरकार ने नगरों/शहरों को प्रदूषण से बचाने के लिए देश के सभी छोटे नगरों/शहरों विशेषकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में प्राकृतिक गैस चालित वाहन रखने के लिए कोई कदम उठाये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) यह मंत्रालय इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से वार्षिक आधार पर श्रेणी-वार पंजीकृत मोटर वाहनों संबंधी सूचना एकत्रित और समेकित करता है। प्राकृतिक गैस चालित वाहन के संबंध में अलग से कोई सूचना एकत्रित नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

गंगा नदी तटों का सौन्दर्यीकरण

2613. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गंगा नदी के तटों का सौंदर्यीकरण करने के लिए कोइ योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे सरकार और जनता को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ढांचों के अनुसार, राज्य गंगा नदी के किनारे एकीकृत विकास क्षेत्र के लिए नदी तटाग्र प्रबंधन परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।

(ख) राज्य इन परियोजनाओं को गंगा नदी के किनारे के घाटों के लंबे क्षेत्र पर 70% केंद्रीय हिस्सेदारी से शुरू कर सकते हैं। इनमें शहरी नियोजन, वास्तुकला, संस्कृति एवं धरोहर सहित क्षेत्र विकास के सभी पहलुओं तथा पर्यावरणीय सुधार और स्नान एवं धार्मिक संस्कारों के लिए घाटों के विकास सहित धार्मिक प्रथाओं आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण और जल गुणवत्ता की बहाली हेतु एनजीआरबीए ढांचे के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से 8 वर्ष से अधिक की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली एक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, नदी तटाग्रों के प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जिनमें राज्यों से आने वाला 30% हिस्सा शामिल है।

(घ) क्षेत्र विकास योजनाओं वाली नदी तटाग्र प्रबंधन स्कीमों से ठोस अपशिष्ट ढेरों सहित स्थल स्रोत प्रदूषण का उपशमन करने और गंगा नदी के घाटों के किनारे के स्थानों का सुधार करने में सहायता मिलेगी। इन स्कीमों के अंतर्गत, सार्वजनिक शौचालयों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाओं की व्यवस्था करके और स्नान करने तथा धार्मिक संस्कारों के लिए घाटों के विकास की व्यवस्था करके, स्थानीय निवासियों और नदी का उपयोग करने वालों के लाभ हेतु मनोरंजन की सुविधाएं जुटाकर और स्थानीय आर्थिक विकास के द्वारा घाटों के विशेष क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

उभय लिंगी व्यक्ति

2614. श्री प्रबोध पांडा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उभय लिंगी समुदाय सरकारी नौकरी सहित सार्वजनिक योजनाओं का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन लोगों को सामाजिक-राजनीतिक मुख्य धारा में लाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ङ) भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है तथा धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद-भाव का निषेध करता है।

तद्नुसार, सभी नागरिक, उभय लिंगी व्यक्तियों सहित, संविधान द्वारा उन्हें गारंटीकृत अधिकारों का उपयोग करने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

समुद्री खाद्य उत्पाद

2615. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री एस. अलागिरी :

श्री ए. साई प्रताप :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से उत्पादित और निर्यातित कुल समुद्री खाद्य पदार्थों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जापान सहित अन्य देशों को समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के संबंध में देश के निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समुद्री पदार्थों के निर्यातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने विशेष रूप से जापान सरकार के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग की साख आवश्यकताओं संबंधी विशेष कार्य बल ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अभी तक इनमें से किसी सिफारिश का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) यह मंत्रालय समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन ब्यौरों का संग्रहण नहीं करता है। भारत में मछली के उत्पादन आंकड़ों को संग्रहण कृषि मंत्रालय करता है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में कुल मत्स्य उत्पादन 78.51 लाख टन रहा। कृषि मंत्रालय का यह नवीनतम आंकड़ा है। समुद्र से 29.89 लाख टन और अंतर्देशीय उत्पादन 48.62 लाख टन रहा है।

वर्ष	भारत से समुद्री खाद्य का कुल निर्यात		
	मात्रा (टन)	मूल्य	
		(करोड़ रु. में)	मिलियन अमरीकी डॉलर
2009-10	678436	10048.52	2132.84
2010-11	813091	12901.47	2856.92
2011-12	862021	16597.23	3508.45
2012-13 (अप्रैल-सितंबर)*	351257	8050.21	1493.59

(*) अनंतिम

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अप्रैल से सितंबर, 2012 के लिए समुद्री उत्पादों के देश-वार निर्यात सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। देश के समुद्री खाद्य निर्यातक जापान द्वारा एथेक्साइक्विन के लिए 0.01 पीपीएम के डिफाल्ट मानकों को अपनाने के कारण इस समय जापान को श्रिम्प के निर्यात करने के बारे में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। एथोक्साइक्विन एक कीटनाशक है जिसका उपयोग फलों को संरक्षित करने में किया जाता है। यह बासीपन रोकने के लिए मत्स्य खाद्य में उपयोग होने वाला एक एन्टिआक्सिडेंट भी है। मत्स्य खाद्य जलीय भोजन का प्रमुख सघंटक है। मत्स्य खाद्य में इस एन्टिआक्सिडेंट के लिए नियत अंतर्राष्ट्रीय एमआरएल 150 पीपीएम है और भारत

में मत्स्य खाद्य विनिर्माता इस मापदंड को अपना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन नियमावली के अनुसार मत्स्य खाद्य के परिवहन के लिए एथोक्साइक्विन मिलाना आवश्यक आवश्यकता है। मामले को सुलझाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) मामले के निराकण करने के उद्देश्य से अध्यक्ष एमपीईडीए और निदेशक ईआईसी को शामिल करते हुए एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने, जापान के स्वास्थ्य, कल्याण और श्रम मंत्री (जेएमएचएलडब्ल्यू) और वरिष्ठ स्वास्थ्य प्राधिकारी अधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए जापान का दौरा किया।

(ii) माननीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री ने जापान के अपने समकक्षी मंत्री को मामले के शीघ्र निराकरण के लिए उनकी सहायता लेने के बारे में लिखा।

(iii) तदुपरांत, सचिव (वाणिज्य), भारत सरकार जिन्होंने टोकियों में आयोजित भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार समीक्षा बैठक के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया, ने भी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया और समस्या के समाधान के लिए तुरंत अंतरिम उपाय करने का अनुरोध किया। यह मामला अब जापान के खाद्य सुरक्षा आयोग के विचाराधीन है और आशा है कि जल्दी ही इस विषय में निर्णय ले लिया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एमपीईडीए और भारतीय दूतावास, जापान द्वारा समस्या के शीघ्र समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) से (च) समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण अपेक्षाओं पर विशेष कार्यबल द्वारा ऐसी कोई सिफारिश इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं है।

विवरण

समुद्री उत्पादों का बाजार-वार निर्यात

(क्यू; मात्रा मी. टन में वी; मूल्य करोड़ रू. $ + अम.डॉ. मिलियन)

बाजार		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-सिंतबर)•
1	2	3	4	5	6
जापान	मात्रा:	62690	7071	85800	36289
	मूल्य:	1289.58	1683.39	2140.67	1002.41
	$:	278.56	373.00	456.35	186.55
यूएसए	मात्रा:	33444	50095	68354	46015
	मूल्य:	1012.51	1990.26	2977.53	1973.07
	$:	213.52	438.49	637.53	364.35
यूरोपीयन संघ	मात्रा:	164800	170963	154221	71174
	मूल्य:	3013.33	3459.40	3810.44	1940.83
	$:	637.40	765.15	805.38	360.01

1	2	3	4	5	6
चीन	मात्रा:	144290	159147	84515	21516
	मूल्य:	1790.89	1977.81	1259.23	435.70
	$:	379.70	440.10	263.30	81.00
दक्षिण पूर्व एशिया	मात्रा:	149353	233964	343962	107813
	मूल्य:	1479.55	2114.48	41.9327	1456.00
	$:	314.85	469.38	880.09	270.50
मध्य पूर्व	मात्रा:	34924	43950	38155	19328
	मूल्य:	553.59	669.90	894.38	503.39
	$:	117.06	148.21	186.85	93.70
अन्य	मात्रा:	88937	84257	87014	49121
	मूल्य:	909.07	1006.23	1321.72	738.81
	$:	191.76	222.60	278.94	137.49
कुल	मात्रा:	678436	813091	862021	351257
	मूल्य:	10048.52	12901.47	16597.23	8050.21
	$:	2132.84	2856.92	3508.45	1493.59

*अनंतिम

[अनुवाद]

अजा/अजजा के छात्रों को वृत्तिका

2616. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली वृत्तिका की दर क्या है;

(ख) क्या वृत्तिका में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) कक्षा IX और X में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अधीन, वर्ष में 10 महीनों की अवधि के लिए, दिवा छात्रों को 150 रुपए प्रतिमाह और होस्टल वासियों के लिए 350 रुपए प्रतिमाह और पुस्तक एवं तदर्थ अनुदान दिवा छात्रों के लिए 750 रुपए प्रति वर्ष और होस्टल वासियों के लिए 1000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यताप्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे नि:शक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता भी स्वीकार्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन, राष्ट्रीय सहायता में अनुरक्षण भत्ता, दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक शुल्क, अध्ययन द्वौरा प्रभार, शोध

टंकण/मुद्रण प्रभार, पत्राचार पाठ्यक्रम में पढ़ रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता, अनिवार्य गैर-प्रत्यर्पणीय शुल्क की प्रतिपूर्ति और निःशक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता शामिल है। होस्टलवासी छात्रों के लिए अनुरक्षण भत्ता 380 रुपए प्रतिमाह से 1200 रुपए प्रतिमाह के बीच और दिवा छात्रों के लिए 230 रुपए प्रतिमाह से 550 रुपए प्रतिमाह के बीच पाठ्यक्रम के स्तर पर निर्भर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

2617. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :**
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान का विचार दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए सीमा, सहयोग और मानकों की परस्पर मान्यता एवं व्यापारिक मुद्दों के समाधान संबंधी तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने पर सहमत हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के व्यापारियों में मल्टी-एंट्री वीजा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या सरकार का विचार व्यापार हेतु फिरोजपुर-हुसैनीवाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा खोलने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस्लामाबाद में दिनांक 20-21 सितंबर, 2012 के दौरान वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग पर आयोजित भारत-पाकिस्तान वार्ताओं के सातवें दौर के दौरान भारत और पाकिस्तान के व्यापार समूह के बीच विश्वास बढ़ाने हेतु सीमा सहयोग करार, परस्पर मान्यता करार और व्यापार शिकायतों के समाधान संबंधी तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन समझौतों के कार्यान्वयन के माध्यम से दोनों देश गैर-टैरिफ बाधाओं संबंधी मुद्दों का क्रमबद्ध तरीके से समाधान करेंगे।

द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सुधार लाने की दिशा में दोनों पक्षों ने अच्छी प्रगति दिखाई है। भारत के साथ व्यापार योग्य मदों में वृद्धि करते हुए पाकिस्तान सकारात्मक सूची तंत्र को नकारात्मक सूची तंत्र की ओर बढ़ा है। भारत ने पाकिस्तान से आवक/जावक निवेशों पर लगायी गई पाबंदियों को हटा दिया है। भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के तहत गैर-अल्प विकसित देशों (एनएलडीसी) की संवेदनशील सूची को 30% तक कम कर दिया है ताकि हटाई गयी मदों को साफ्टा अधिमानी दरों पर आयात किया जा सके। साफ्टा प्रक्रिया के अंतर्गत अधिमानी व्यापार व्यवस्था हेतु विस्तृत रूपरेखा के लिए दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है।

(ग) सितंबर, 2011 में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री के भारत दौरे के दौरान जारी किये गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों मंत्रियों ने तीन वर्ष के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने हेतु अर्थात् 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष (2010-11) से बढ़ाकर व्यापार को 6 बिलियन डॉलर करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

(घ) और (ङ) सितंबर, 2012 में भारत के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच उदारीकृत वीजा रूपरेखाओं पर हस्ताक्षर किये गये। इससे द्विपक्षीय व्यापार में बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने हेतु दोनों पक्षों के व्यापार समूहों द्वारा काफी समय से लंबित मांग की पूर्ति होती है। इस समझौते के कार्यान्वयन हेतु पाकिस्तान सरकार से औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है। भारत की ओर से अनुमोदन का संकेत मिला है।

(च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों का निर्यात

2618. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई फर्मों को उर्वरकों के निर्यात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश से कितनी मात्रा में उर्वरकों का निर्यात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों के निर्यात से कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या देश के किसानों को उर्वरकों की समस्या का सामना करने के बावजूद उर्वरकों का निर्यात चोरी छिपे किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां। सरकार ने केवल नेपाल एवं श्रीलंका को उर्वरकों का निर्यात करने के लिए कुछ फर्मों को अनुमति दी है।

(ख) और (ग) रासायनिक उर्वरकों के निर्यात के सम्पूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

विवरण		2009-10	2010-11	2011-12
रासायनिक उर्वरक	मात्रा मी. टन	2,36,124	1,51,524	1,27,710
	मूल्य लाख रु.	50,682.7	22,271.1	37,461.5

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

(घ) और (ङ) नेपाल, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों को भारत से यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के कथित अपवर्तन एवं तस्करी की कुछ सूचनाएं है। लेकिन इन सूचनाओं की किसी राज्य सरकार द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। सरकार उर्वरक विभाग के जरिए उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति की निगरानी कर रही है। तथापि, किसी कमी को पूरा करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(i) राज्य सरकारों को समय-समय पर सख्त निगरानी रखने की सलाह दी गई है ताकि भू-मार्ग तथा समुद्री मार्ग के जरिए पड़ोसी देशों को उर्वरकों की कोई अपवर्तन और तस्करी न हो।

(ii) केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (एसएसबी) और भारती तट रक्षक (आईसीजी) जैसी सीमा चौकबी बलों को सीमा पर सख्त चौकसी बनाए रखने के लिए सचेत किया है, ताकि उर्वरकों की तस्करी न हो सके। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को उपाय करने के लिए अनुरोध करते हुए विभिन्न संबंधित एजेंसियों के जागरुक बनाने के लिए लिखा है ताकि पड़ोसी देशों को उर्वरकों का अपवर्तन और तस्करी, यदि कोई हो, नहीं हो सके।

(iii) संबंधित राज्य सरकारों को सभी निरोधात्मक/दंडात्मक कदम उठाने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि संबंधी उपयोग के अलावा सब्सिडी युक्त उर्वरकों का अपवर्तन न हो सके, के लिए तैयार रहने हेतु सचेत करने को कहा गया है।

नदियों का प्रदूषण

2619. श्री पी.टी. थॉमस :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नदियों में बढ़ते प्रदूषण का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास सार्वजनिक भागीदारी से नदियों की सफाई की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नदियों की सफाई के लिए विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) आंशिक रूप से शोधित और अशोधित नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के बहिस्राव के कारण नदियों के प्रदूषण भार में वृद्धि हो रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के साथ घुलनशील ऑक्सीजन, बायो-केमिकल ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कॉलीफार्म इत्यादि के संबंध में नदियों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरी कर रहा है। बीओडी स्तरों के आधार पर, देश में विभिन्न नदियों के 150 प्रदूषित बहाव स्थल अभिज्ञात किए गए हैं। मंत्रालय केन्द्र और राज्य सरकार के बीच लागत विभाजन आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत नदियों में प्रदूषण का उपशमन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति कर रहा है।

एनआरसीपी में इस समय 20 राज्यों में फैले 191 शहरों की 41 नदियां शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अशोधित सीवेज का अंतरावरोधन और अपवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृहों की स्थापना और नदी तटाग्रों का विकास शामिल है।

(ग) और (घ) नदियों के संरक्षण की जरूरत के संबंध में सामान्य जन और पणधारियों के बीच जागरुकता सृजित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी और जागरुकता (पीपी एंड ए), एनआरसीपी के तहत एक घटक है।

(ङ) और (च) नदियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा समय-समय द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता प्राप्त की जाती है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) ने यमुना कार्य योजना एवं गंगा कार्य योजना (केवल वाराणसी हेतु) के कार्यान्वयन के लिए ऋण सहायता प्रदान की है।

विश्व बैंक ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु ऋण सहायता प्रदान की है।

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों हेतु नकद रहित उपचार

2620. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों के नकद रहित उपचार के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा योजना की निधि का स्रोत क्या है; और

(ग) उक्त योजना को पूरे देश में कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों के नकद रहित उपचार पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जानी प्रस्तावित है। ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

एनएमडीसी में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना

2621. श्री मधुसूदन यादव :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), बस्तर के प्रबंधन बोर्ड में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है एवं इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ राज्य के हित में रायपुर में एनएमडीसी का एक पंजीकृत कार्यालय खोलने का है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ सरकार को एनएमडीसी द्वारा क्षेत्र के खनिज संसाधनों का दोहन कर अर्जित लाभ से केन्द्र सरकार से रायल्टी का समुचित हिस्सा मिलता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्थानीय विकास और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के साथ खनिज संपदा के संतुलित दोहन को ध्यान में रखकर उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) एनएमडीसी के निदेशक बोर्ड में बस्तर प्रभाग से चयनित 3 जन प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए और छत्तीसगढ़ में स्थानीय विकास पर इसके निवल लाभ का 10% प्रतिशत खर्च करने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पास किए गए एक संकल्प के संबंध में इस्पात मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को भारत सरकार के नीतिपरक दिशा-निर्देशों से और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सुझावों को स्वीकृत करने में इस्पात मंत्रालय की असमर्थता से अवगत करा दिया गया था।

(ग) एनएमडीसी एक मल्टी-यूनिट, मल्टी-प्रोडक्ट और मल्टी-लोकेशन संगठन है। इसकी उत्पादन इकाईयां/प्रचालन इकाईयां केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, जगदलपुर में नागरनार और बस्तर क्षेत्र में बछेली और किरणदुल में पहले से ही एनएमडीसी के कार्यालय हैं। वर्तमान समय में रायपुर में एनएमडीसी का पंजीकृत कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को दी गई रॉयल्टी का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	एनएमडीसी द्वारा भुगतान की गई कुल रॉयल्टी राशि	छत्तीसगढ़ राज्य में एनएमडीसी द्वारा भुगतान की गई कुल रॉयल्टी राशि	छत्तीसगढ़ राज्य में एनएमडीसी द्वारा भुगतान की गई कुल रॉयल्टी का प्रतिशत
2009-10	311.53	261.17	84:
2010-11	841.01	751.58	89:
2011-12	942.59	858.07	91:

(ङ) और (च) जी, नहीं। उपर्युक्त (क) से (ग) पर दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

छावनी बोर्ड

2622. श्री समीर भुजबल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत छावनी बोर्डों को स्वायत्त निकायों का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों के नाम क्या हैं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या नासिक छावनी बोर्ड को विभिन्न केन्द्रीय कल्याण योजनाओं जैसे जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम और शिक्षा संबंधी योजनाओं आदि का लाभ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) एक छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन एक निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) है जिसके पास सतत उत्तराधिकार है। देशभर में स्थित 62 छावनी बोर्डों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। अधिनियम के खण्ड 10(2) के अनुसार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संविधन के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) के अधीन प्रत्येक छावनी बोर्ड को नगर पालिका माना गया है:

(i) अनुदान प्राप्त करना और आंबटन करना; या

(ii) सामाजिक क्षेत्र जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, सफाई, शहरी नवीकरण और शिक्षा संबंधी केंन्द्रीय सरकार की स्कीमों को लागू करना।

(ग) और (घ) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनेवल मिशन (जेएनएनयेआरएम) इंदिरा आवास योजना तथा नेशनल सलम डेवलपमेंट प्रोगाम जैसी केन्द्रीय कल्याणकारी स्कीम नासिक देवलाली छावनी बोर्ड सहित किसी भी छावनी को विस्तारित नहीं की गई है। तथापि, महाराष्ट्र सराकर ने देवलाली छावनी बोर्ड को केन्द्रीय कल्याणकारी स्कीमों सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आंशिक रूप से सहायता और लाभ विस्तारित किए गए है, जिनमें शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शामिल है।

विवरण

62 छावनी बोर्डों की सूची (कमानवार)

क्र संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम
1	2	3	4
	केन्द्रीय कमान		**दक्षिणी कमान**
1.	आगरा	1.	अहमदाबाद
2.	इलाहाबाद	2.	अहमदनगर
3.	अल्मोड़ा	3.	अजमेर
4.	बरेली	4.	औरंगाबाद
5.	चकराता	5.	बबीना
6.	क्लेमेंट टाउन	6.	बेलगांव
7.	दानापुर	7.	कणनूर
8.	देहरादून	8.	देहुरोड
9.	फैजाबाद	9.	देवलाली
10.	फतेहगढ़	10.	झांसी
11.	जबलपुर	11.	काम्पटी

1	2	3	4
12.	कानपुर	12	खडकी
13.	लंडौर	13	मोरार
14.	लैंसडान	14	नसीराबाद
15.	लखनऊ	15	पुणे
16.	मथुरा	16	सागर
17.	मेरठ	17	सिकंदराबाद
18.	महू	18	सेंट थामस माउंट कम पल्लावरम
19.	नैनीताल	19	वेलिंग्टन
20.	पचमढ़ी		**पश्चिमी कमान**
21.	रामगढ़	1	अंबाला
22.	रानीखेत	2	अमृतसर
23.	रुड़की	3	बकलोह
24.	शाहजहांपुर	4	डगशाई
25.	वाराणसी	5	डलहौजी
	पूर्वी कमान	6	दिल्ली
1.	बैरकपुर	7	फिरोजपुर
2.	शिलांग	8	जालंधर
3.	जलापहाड़	9	जम्मू
4.	लेबोंग	10	जतोघ
		11	कसौली
	उत्तरी कमान	12	खास्योल
1.	बदामीबाग	13	सुबाथु

वन भूमि का हक

2623 **श्री मकनसिंह सोलंकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन भूमि के हक के बंटवारे के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमावर्ती राज्यों के किसानों को मालिकाना हक दिए गए हैं/दिए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए, 2006) पीढ़ियों से वनों में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के पास निहित वन अधिकारों और वन भूमि से जुड़े उनके व्यवसायों को मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिनके अधिकारों को अभी तक अभिलेखित नहीं किया जा सका। अधिनियम के तहत अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए अन्य परंपरागत वन निवासियों और वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों द्वारा दर्ज किए गए दावों पर ग्राम सभा, उप-प्रमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति नामक तीन स्तरों पर न्याय निर्णय लिया जाता है। जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के अभिलेख को अनुमोदित करने के लिए अंतिम प्राधिकरण है तथा इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दावे का अनुमोदन होने पर, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के आधार पर अधिनियम के तहत अधिकार-पत्र संबंधित दावेदार और ग्राम सभा को जारी किया जाता हैं। अधिनियम की धारा 3(1) (ए) के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों के संबंध में क्षेत्र वास्तविक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तक प्रतिबंधित किया जाएगा और किसी भी मामले में चार हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 में अन्य सीमावर्ती राज्यों के किसानों को अधिकार-पत्र का वितरण परिकल्पित नहीं है।

(ङ) उक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पार्क/पक्षी अभयारण्य

2624. **श्री जफर अली नकवी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय पार्कों और पक्षी अभयारण्यों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त पार्कों/अभयारण्यों में बाघों, शेरों और हिरनों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क के रखरखाव और विकास के लिए विशेष पैकेज देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) देश में संबंधित राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य अधिसूचित किए जाते हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में देश में 102 राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभयारण्यों सहित 516 वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किए गए हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, बाघों की अनुमानित संख्या वर्ष 2006 में 1411 से बढ़कर वर्ष 2010 में 1706 हो गई है। बाघों की संख्या वर्ष 2005 में 359 से बढ़कर वर्ष 2010 में 411 हो गई है। हिरणों से संबंधित सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है चूंकि देश में हिरणों की संख्या की राष्ट्रवार कोई गणना नहीं की गई है। इन प्रजातियों की अभयारण्य-वार संख्या का मिलान मंत्रालय में नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अन्य बातों के साथ-साथ बाघ संरक्षण में तेजी लाने के लिए दुधवा बाघ रिजर्व सहित, देश में नामोद्दिष्ट बाघ रिजर्वों को निधियन सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	राष्ट्रीय पार्कों की संख्या	वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	6	21
अरुणाचल प्रदेश	2	11
असम	5	18
बिहार	1	12
छत्तीसगढ़	3	11
गोवा	1	6
गुजरात	4	23
हरियाणा	2	8
हिमाचल प्रदेश	5	32
जम्मू और कश्मीर	4	15
झारखंड	1	11
कर्नाटक	5	22
केरल	6	17
मध्य प्रदेश	9	25
महाराष्ट्र	6	35
मणिपुर	1	1
मेघालय	2	3
मिजोरम	2	8
नागालैंड	1	3
ओडिशा	2	18
पंजाब	0	12
राजस्थान	5	25
सिक्किम	1	7
तमिलनाडु	5	21
त्रिपुरा	2	4
उत्तर प्रदेश	1	23
उत्तराखंड	6	6
पश्चिम बंगाल	5	15
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	96
चंडीगढ़	0	2
दादरा और नगर हवेली	0	1
दमन और दीव	0	1
दिल्ली	0	1
लक्षद्वीप	0	1
पुदुचेरी	0	1
कुल	102	516

राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं की निधियों में कमी

2625. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

श्री महाबली सिंह :
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं हेतु निर्धारित निधियों का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं हेतु निधियों के आबंटन को कम करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान इस मंत्रालय को प्रदान की गई सकल बजट सहायता के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 79,391.18 करोड़ रु था और किया गया कुल परिव्यय 74,607.36 करोड़ रु (अर्थात् कुल परिव्यय का लगभग 94%) था।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारण है;- कुछ ठेकदारों का अल्प निष्पादन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण/वन/वन्य जीव स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब रेल मंत्रालय से रेल उपरि/निचले पुलों के लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं भूमि अधिग्रहण/सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, निविदादाताओं से अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण परियोजनाएं सौंपने में विलंब आदि।

(ग) और (घ) मई, 2012 में योजना आयोग को प्रस्तुत केन्द्रीय सड़क क्षेत्र संबंधी कार्यशील समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2,64,080 करोड़ रु की अनुमानित निधि आवश्यकता के मुकाबले, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान समग्र संसाधनों के अभावों के कारण केन्द्रीय सड़क क्षेत्र के लिए सकल बजट योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय को कुल 1,44,769 करोड़ रु का कुल परिव्यय प्रदान किया गया है।

बीड़ी कामगार

2626. **श्री विश्व मोहन कुमार :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सहित देश में बीड़ी बनाने के उद्योग में लगे पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या उन्हें लागू कल्याण योजनाओं से वंचित किया जाता है और वे कतिपय समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पेशे से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी आजीविका खो चुके बीड़ी कामगारों की संख्या के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में ऐसे कार्यस्थलों पर व्यावसायिक संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) अभी तक ऐसे किसी मामले के बारें में सूचित नहीं किया गया है।

(घ) देश के नौ श्रम कल्याण संबंधी क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक शिकायत अधिकारी नामोद्दिष्ट किए गए हैं और उनकी शिकायतों का, यदि कोई हो तो उनके द्वारा निराकरण किया जाता है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(छ) सरकार ने बीड़ी कामगार को स्वास्थ्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न

चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए हैं जो विवरण-II के रूप में संलग्न हैं। कार्य स्थलों पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण के बारे में बीड़ी कामगारों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से आवश्यक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

विवरण-I

30.07.2011 की स्थिति के अनुसार पुरुष और महिला बीड़ी कामगारों का अनुमानित ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य	अनुमानित बीड़ी कामगार		
		पुरुष	महिला	कुल
अजमेर	राजस्थान	4000	46000	50000
	गुजरात	28000	22000	50000
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	121500	328500	450000
बंगलौर	कर्नाटक	36078	209613	245691
	केरल	23420	70522	93942
भुवनेश्वर	ओडिशा	44897	179589	224486
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	45800	4122000	458000
	तमिलनाडु	70000	630000	700000
जबलपुर	मध्य प्रदेश	600000	900000	1500000
	छत्तीसगढ़	10000	15000	25000
कर्मा	बिहार	96205	164795	261000
	झारंखड	55010	58990	114000
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	690984	1283225	1974239
	असम	2704	5021	7725
	त्रिपुरा	5581	10365	15946
नागपुर	महाराष्ट्र	51200	204800	256000
कुल		1885379	4540650	6426029

विवरण-II

देश में कामगारों के लिए चिकित्सा देख-रेख केन्द्र की राज्य-वार स्थिति निम्नवत है:

क्रम संख्या	क्षेत्र	राज्य	चिकित्सा देख-रेख केन्द्र की संख्या
1	अजमेर	गुजरात	7
		राजस्थान	16
2.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	24
3.	बंगलौर	कर्नाटक	26
		केरल	8
4.	भुवनेश्वर	ओडिशा	19
5.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	25
		तमिलनाडु	22
6.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	29
		छत्तीसगढ़	2
7.	कर्मा	बिहार	16
		झारखण्ड	5
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	19
		असम	1
		त्रिपुरा	1
9.	नागपुर	महाराष्ट्र	18
	कुल		238

भर्ती केन्द्र

2627. श्री कपिल मुनि करवारिया :

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :

श्री कीर्ति आजाद :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की भर्ती में रिक्तियों का बंटवारा राज्य-वार होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नीति का पालन न करते हुए सभी को समान अवसर देने का है;

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में भर्ती केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान और चालू वित्त वर्ष में सशस्त्र बलों के तीन स्कंधों में की गई भर्ती की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भर्ती ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से भी की जाती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में सभी जिलों के लिए सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) सेना में अन्य रैंकों की रिक्तियां राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच उनकी भर्ती योग्य पुरूष आबादी के आधार पर बांटी जाती है, जो सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से युवाओं का समान अवसर उपलब्ध कराती है। अफसरों की भर्ती अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में स्थापित किए गए सेना, नौसेना और वायुसेना के भर्ती केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) सशस्त्र सेनाओं में पिछले एक वर्ष और चालू वित्त वर्ष में अन्य रैंकों के रूप में भर्ती किए गए उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित सारे देश से की जाती है, जो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(छ) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कुछ जिलों में अन्य रैंकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी गई है।

विवरण-I

भर्ती मुख्यालय जोन/सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) का ब्यौरा

क्रम सं.	जोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
1	2	3
भर्ती मुख्यालय जोन, अम्बाला		हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, और पलवल के जिलों को छोड़कर) हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़
हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिलों को छोड़कर)		
1.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) अम्बाला	अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, यमुनानगर, पंचकुला एवं कैथल के जिले
2.	सेना भर्ती कार्यालय, रोहतक	रोहतक, सोनीपत, झज्जर एवं पानीपत के जिले
3.	सेना भर्ती कार्यालय, हिसार	हिसार, सिरसा, जीन्द एवं फतेहाबाद के जिले
4.	सेना भर्ती कार्यालय, चरखी दादरी	महिंद्रगढ़, भिवानी एवं रेवाड़ी के जिले

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
5.	सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर	चम्बा और कांगड़ा के जिले
6.	सेना भर्ती कार्यालय, हमीरपुर	हमीरपुर, उना और बिलासपुर के जिले
7.	सेना भर्ती कार्यालय, शिमला	शिमला, सोनल, सिरमौर एवं किन्नौर के जिले
8.	सेना भर्ती कार्यालय, मंडी	मंडी, कुल्लु और लाहौल स्पीति सब डिवीजन के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, बेंगलूर		कर्नाटक, केरल एवं माही एवं लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश
कर्नाटक		
9.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) बेंगलूर	बेंगलूर शहरी, बेंगलूर ग्रामीण, कोलार, चामराजनगर, मैसूर, चित्रदुर्ग, मांडया, टुमकूर, रामनगर और चिकाबल्लापुर के जिले
10.	सेना भर्ती कार्यालय, बेलगाम	बेलगाम, बीजापुर, बीदर, धारवाड़, गुलबर्ग, राइचूर, बेल्लारी, बागलकोट, हवेरी, कोप्पल, गदग और यादगीर के जिले
11.	सेना भर्ती कार्यालय, मंगलौर	चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, हसन, कोडागु, शिमोगा, उडुपी, चित्रदुर्ग एवं दावनगेरे के जिले
12.	सेना भर्ती कार्यालय, त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम, कोल्लेम, अलप्पी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इदुक्की एवं पत्तनमथिता के जिले
13.	सेना भर्ती कार्यालय, कालीकट	कालीकट, कासरगोड, पालघाट, मालपुरम, वायनाद, कनौर, त्रिचुर के जिले एवं माही एवं लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश
भर्ती मुख्यालय जोन, चेन्नई		तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश
तमिलनाडु		
14.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) चेन्नई	चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, वेल्लोर, कोडड्डालोर, विलूप्पुरम और तिरूवन्नामलाई के जिले
		पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश. पुदुचेरी के जिले अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अंडमान एवं निकोबार के जिले
15.	सेना भर्ती कार्यालय, तिरूचिरापल्ली	तिरूचिरापल्ली, करूर, पेराम्बलूर, अरियालूर, तंजावूर, रामानाथपुरम, तिरूनेवल्ली, पुडुकोट्टाई, सिवगंगा, विरुधनगर, थुथकुडी (तूतीकोरीन) कन्याकुमारी, नागापट्टनम, एवं तिरूवरूर के जिले

1	2	3
		पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश, कराइकल के जिले
16.	सेना भर्ती कार्यालय, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, सेलम, नामाक्काल, द नीलगिरीज, मदुरै, थेनी, धर्मपुरी, इरोड, डिंडीगुल, कृष्णागिरि और तिरूप्पेर के जिले
आंध्र प्रदेश		
17.	सेना भर्ती कार्यालय, सिकंदराबाद	अदीलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल, खम्मम और रंगा रेड्डी के जिले
18.	सेना भर्ती कार्यालय, गुंटूर	गुंटूर, कुड्डापाह, कुरनाड, नेल्लोर, प्रकाशम, अनन्तपुरम और चित्तूर के जिले
19.	सेना भर्ती कार्यालय, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी, विजैनगरम और कृष्णा (विजयवाड़ा)
		पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश. यानम के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, दानापुर बिहार		बिहार एवं झारखण्ड
20.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) दानापुर	पटना, भोजपुर, वैशाली, सारन (छपरा), बक्सर, सिवान एवं गोपालगंज के जिले
21.	सेना भर्ती कार्यालय, मुज्जफरपुर	मुज्जफरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्व एवं पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और शिवहर के जिले
22.	सेना भर्ती कार्यालय, गया	गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर (भबुआ), जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल एवं जमुई के जिले
23.	सेना भर्ती कार्यालय, कटिहार	कटिहार, सहरसा (कोसी), भागलपुर, मुंगेर मधेपुरा पूर्णिया, बांका, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय के जिले
झारखण्ड		
24.	सेना भर्ती कार्यालय, रांची	रांची, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरीडीह, गुमला, लोहारदरगा, चतरा, बोकारो, कोडर्मा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सराइकेला, सिमडेगा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकूर, जामतारा, पलामू, गढवाह, लातेहर और खूंटी के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, जबलपुर		मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

1	2	3
मध्य प्रदेश		
25.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जबलपुर	जबलपुर, शाहडोल, मांडला, बालाघाट, रीवा, सतना, नरसिंहपुर, सेओनी, सिद्धी, कटनी, डिंडोरी, उमारिया, अन्नुपुर, पन्ना, दामोह और सिंगरौली
26.	सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और अशोक नगर के जिले
27.	सेना भर्ती कर्यालय, मउ	इंदौर, देवास, झबुआ, मंदसौर, रतलाम, धर, उज्जैन, नीमच, बुरहानपुर, बडवानी, अलीराजपुर, खारगांव और खंडवा के जिले,
28.	सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल	भोपाल, सिहोर, रायसेन, सागर, हरदा, छिंदावाड़ा, बेतूल, होशंगाबाद, विदिशा, राजगढ़ और शाजापुर के जिले
छत्तीसगढ़		
29.	सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर	रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, राजनंदगांव, कोरबा, धामत्री, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, महासमंद, जांगीर, चम्पा, जसपुर, दांतेवाड़ा, कंकेर, कवरधा, कोरिया चम्पा, बीजापुर, और नारायणपुर के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, जयपुर		राजस्थान
30	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जयपुर	जयपुर, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा के जिले
31.	सेना भर्ती कार्यालय, अलवर	अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, करौली, टोंक एवं सवाइमाधोपुर के जिले
32.	सेना भर्ती कार्यालय, झुंझुनू	झुंझुनू, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, और श्रीगंगानगर के जिले
33.	सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, और उदयपुर के जिले
34.	सेना भर्ती कार्यालय, कोटा	कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारों, राजसमंद और झालावाड़ के जिले
	भर्ती मुख्यालय जोन, जालंधर पंजाब	पंजाब, जम्मू और कश्मीर
35.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जालधंर	जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, और नवांशहर के जिले
36.	सेना भर्ती कार्यालय, अमृतसर	अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन के जिले

1	2	3
37.	सेना भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर	फिरोजपुर, फरीदकोट, भटिंडा और मुक्तसर के जिले
38.	सेना भर्ती कार्यालय, पटियाला	पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़, साहिब और मानसा के जिले
39.	सेना भर्ती कार्यालय, लुधियाना	लुधियाना, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और मोगा के जिले
जम्मू और कश्मीर		
40.	सेना भर्ती कार्यालय, जम्मू	जम्मू, कठुआ, पुंछ, उधमपुर, डोडा, राजौरी, साम्बा, रामबन, रीयसी और किश्तवाड़ा के जिले
41.	सेना भर्ती कार्यालय, श्रीनगर	श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह, सोपियां, गंडेरबाल, बांदीपुरा और पदम के जिले
	भर्ती मुख्यालय जोन, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं ओडिशा
	पश्चिम बंगाल	
42.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) कोलकाता	24 परगना (दक्षिण), कोलकाता, मिदनापुर (पूर्व एवं पश्चिम दोनों) और हावड़ा के जिले
43.	सेना भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी	कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, मालदा, दार्जिलिंग के जिले एवं सिक्किम राज्य
44.	सेना भर्ती कार्यालय, बैरकपुर	24 परगना (उत्तर), हुगली, बांकुरा और पुरूलिया के जिले
45.	सेना भर्ती कार्यालय, बरहामपुर	मुर्शिदाबाद, बर्दवान, नाडिया और बीरभूम के जिले
ओडिशा		
46.	सेना भर्ती कार्यालय, कटक	कटक, पुरी, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जगतसिंपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्द और नयागढ़ के जिले
47.	सेना भर्ती कार्यालय, सम्बलपुर	सम्बलपुर, क्योंझर, सुंदरगढ़, बाड़गढ़, अंगुल, देवगढ़, झरसूगुरा, सोनापुर, बोलनगीर और धेनकनाल के जिले
48.	सेना भर्ती कार्यालय, गोपालपुर छावनी	कालाहांडी, कोरापुट, बुद्ध, गजपति, मलकानगिरी, नवापाड़ा, नवरंगपुर, कंधमाल (बुलबानी), रायगढ़ और गंजम के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, लखनऊ		उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश		
49.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) लखनऊ	लखनऊ, गोंडा, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, औरैया और कन्नौज के जिले

1	2	3
50.	सेना भर्ती कार्यालय, मेरठ	मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद और रामपुर के जिले
51.	सेना भर्ती कार्यालय, बरेली	बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, खीरी फरुखाबाद, बहरौच, श्रावस्ती और बलरामपुर के जिले
52.	सेना भर्ती कार्यालय, आगरा	आगरा, मथुरा, इटावा, झांसी, जालौन, फिरोजाबाद, ललितपुर, मेनपुरी, महामाया नगर, ऐटा और अलीगढ़ के जिले
53.	सेना भर्ती कार्यालय, वाराणसी	मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, मउ, चंदौली, देवरिया और सोनभद्र के जिले
54.	सेना भर्ती कार्यालय, अमेठी	रायबरेली के 2 जिले, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुलतानपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज
उत्तराखण्ड		
55.	सेना भर्ती कार्यालय, लेंसडाउन	टिहरी गढ़वाल, उत्तराकाशी, रुद्र प्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के जिले
56.	सेना भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के जिले
57.	सेना भर्ती कार्यालय, पिथोरागढ़	पिथोरागढ़ और चंपावत के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, पुणे		महाराष्ट्र, गुजरात और दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली एवं गोवा के संघ शासित प्रदेश
महाराष्ट्र		
58.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) पुणे	पुणे, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर के जिले
59.	सेना भर्ती कार्यालय, मुम्बई	मुम्बई, ठाणे, नासिक, मुम्बई, उपनगर और रायगढ़ के जिले
60.	सेना भर्ती कार्यालय, नागपुर	नागपुर, वर्धा, भण्डारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंडिया और वाशिम के जिले
61.	सेना भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर	सतारा, कोल्हापुर, सांगली, रत्नागिरि, सिंधदुर्ग, शोलापुर के जिले और गोवा राज्य

1	2	3
62.	सेना भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद	औरंगाबाद, परभणी, नांदेड़, जालना, बुलदाना, हिंगोली, नदूंबार, धूले और जलगांव के जिले
गुजरात		
63.	सेना भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद	बड़ौदा, अहमदाबाद, खेड़ा, सूरत, वलसाद, भरूच, मेहसाना, साबरकांठा, आनन्द, दाहोद, नर्मदा, नवासारी, पाटन, पंचमहल, डांग बनासकांठा, गांधीनगर और तापी के जिले दमन (संघ शासित) और दादरा एवं नगर हवेली (संघ शासित)
64.	सेना भर्ती कार्यालय, जामनगर	राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, भुज, सुरेंद्रनगर और पोरबंदर के जिले दीव (संघ शासित प्रदेश)
भर्ती मुख्यालय जोन, शिलांग		असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा
65.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) शिलॉंग	**मेघालय** पूर्व खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, री भोई, पूर्व गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स और पश्चिम गारो हिल्स के जिले **असम** मोरीगांव, नागांव और सोनितपुर के जिले
66.	सेना भर्ती कार्यालय, जोरहाट	**अरुणाचल प्रदेश** पश्चिम और पूर्व सियांग, दिबांग वैली, लोहित, तिराप, चागलैंड, लोअर सुंबसिरी, अपर सुंबसिरी, तवांग, पूर्व कामेंग, पश्चिम कामेंग, अपर सियांग, कुरूग कामांग, पपमपारे, अंजन हवाई और लोअर दिबांग वैली के जिले **असम** जोरहाट, तिनसुकिया, सिबसागर, धेमाजी, उत्तर लखीमपुर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और करबी अंगलोग
67.	सेना भर्ती कार्यालय, नारंगी	**असम** बारपेटा, ग्वालपाड़ा, दरांग, कामरूप, नलबाड़ी, कोकराझाड़, धुब्री और बोंगईगांव, बक्सा, उदलगुड़ी और चिराग के जिले

1	2	3
68.	सेना भर्ती कार्यालय, रंगापहाड़	**नागालैंड** कोहिमा, फेक, मोन, जुउहेबोटो, वोखा, मोकोकचुंग, टयुनसेंग, दीमापुर, पेर्न, केफेरे और लोंगलेंग के जिले **मणिपुर** उखरूल, बिश्नुपुर थोउबल, चुराचांदपुर, तमेंगलोंग, सेनापति, चंदेल, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम
69.	सेना भर्ती कार्यालय, सिल्चर	**असम** काचर, पश्चिम काचर हिल्स, करीमगंज और हैलाकांडी के जिले **त्रिपुरा** पश्चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा एवं धलाई
70.	सेना भर्ती कार्यालय, ऐजोवल	**मिजोरम** ऐजवाल, लंगलेई, मामित, छिमटुईपुई, लांगतलाई, चम्पई, सेराछिप और कोलासिब के जिले
जीआरडी, कुनराघाट (गोरखपुर)		नेपाल
71.	जीआरडी, कुनराघाट	नेपाल के महाकाली, सेती, भेरी, राप्ती, करनाली, धौलागिरी, लुम्बिानी, गंडकी, नारायणी, और बाकमती के अंचल
72.	जीआरडी, घूम*	पूर्वी नेपाल से एनएनजी, जनकपुर, सागरमाथा, कोशी, मेची के अंचल सहित एवं दार्जिलिंग जिले से आईएनजी (कलिम्पोंग सब डिवीजन को छोड़कर)
आईआरओ, दिल्ली छावनी		दिल्ली और हरियाणा राज्य के गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिले
73.	आईआरओ, दिल्ली छावनी	**दिल्ली** दिल्ली राज्य **हरियाणा** गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिले

नौसेना के लिए भर्ती केन्द्रों का विवरण

क्रम सं.	केन्द्र	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	2	3
1.	पोर्ट ब्लेअर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2.	विशाखापट्नम	आंध्र प्रदेश
3.	गुवाहाटी	असम और त्रिपुरा
4.	तेजपुर	अरुणाचल प्रदेश

1	2	3
5.	रांची	बिहार और झारखण्ड
6.	जालंधर	चंडीगढ़
7.	नई दिल्ली	दिल्ली
8.	वास्को	गोवा
9.	जामनगर	गुजरात, दमन और दियू
10.	अम्बाला	हरियाणा
11.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
12.	जम्मू /लेह	जम्मू और कश्मीर
13.	रांची	झारखंड
14.	कारवाड़	कर्नाटक
15.	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप
16.	होशंगाबाद/भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
17.	मुम्बई, हामाला और लोनावाला	महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली
18.	गुवाहाटी	मणिपुर
19.	शिलांग	मेघालय
20.	आइजोल	मिजोरम
21.	कोहिमा	नागालैंड
22.	चिल्का	ओडिशा
23.	जालंधर	पंजाब और चडीगढ़
24.	जोधपुर	राजस्थान
25.	गंगटोक	सिक्किम
26.	चेन्नई/अर्ककोणम/ तिरुनवेली	तमिलनाडु और पुदुचेरी
27.	गुवाहाटी	त्रिपुरा
28.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
29.	देहरादून, पौड़ी/अल्मोड़ा	उत्तराखंड
30.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

सेना, नौसेना और वायुसेना में अन्य रैंकों में भर्ती का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम. संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या					
		सेना•		नौसेना		वायु सेना	
		2011-12	2012-13	2011	2012••	2011	2012 (30.9.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	लागू नहीं	5	4	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	2890	लागू नहीं	191	184	396	358
3.	अरूणाचल प्रदेश	190	लागू नहीं	0	1	4	06
4.	असम	1019	लागू नहीं	44	41	80	16
5.	बिहार	4540	लागू नहीं	470	158	635	703
6.	चंडीगढ़	1	लागू नहीं	0	1	1	1
7.	छत्तीसगढ़	622	लागू नहीं	10	6	64	91
8.	दादरा और नगर हवेली	0	लागू नहीं	0	0	0	1
9.	दमन एवं दीव	0	लागू नहीं	0	0	0	0
10.	दिल्ली	865	लागू नहीं	10	18	50	45
11.	गोवा	47	लागू नहीं	6	7	0	0
12.	गुजरात	2205	लागू नहीं	35	23	116	92
13.	हरियाणा	2452	लागू नहीं	443	167	928	1258
14.	हिमाचल प्रदेश	1687	लागू नहीं	102	89	311	220
15.	जम्मू और कश्मीर	2085	लागू नहीं	60	40	336	230
16.	झारखंड	1140	लागू नहीं	119	39	38	237
17.	कर्नाटक	1632	लागू नहीं	80	46	92	205
18.	केरल	2077	लागू नहीं	164	71	276	480
19.	लक्षद्वीप	39	लागू नहीं	10	0	2	0
20.	मध्य प्रदेश	2761	लागू नहीं	261	187	377	551
21.	महाराष्ट्र	5312	लागू नहीं	150	116	135	192
22.	मणिपुर	587	लागू नहीं	47	22	104	119
23.	मेघालय	91	लागू नहीं	13	6	3	4
24.	मिजोरम	94	लागू नहीं	17	6	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	नागालैंड	134	लागू नहीं	17	3	2	1
26.	ओड़िशा	945	लागू नहीं	289	100	410	321
27.	पुदुचेरी	0	लागू नहीं	0	0	0	2
28.	पंजाब	3751	लागू नहीं	110	71	63	48
29.	राजस्थान	3602	लागू नहीं	708	357	1057	978
30.	सिक्किम	108	लागू नहीं	26	0	1	0
31.	तमिलनाडु	2377	लागू नहीं	73	36	33	47
32.	त्रिपुरा	104	लागू नहीं	2	0	1	1
33.	उत्तर प्रदेश	7600	लागू नहीं	823	411	1649	2000
34.	उतराखंड	2585	लागू नहीं	85	66	868	222
35.	पश्चिम बंगाल	3535	लागू नहीं	121	42	220	325
	कुल	57077	--	4497	2318	8252	8799

•आंकड़े वित्त वर्षवार संकलित हैं।

••नाविकों के संबंध में वर्ष 2012 के लिए संकलित आंकड़ों में केवल प्रथम छमाही के आंकड़े शामिल हैं।

वायुसेना के वायुसैनिक चयन केन्द्रों की सूची और उनका क्षेत्राधिकार

क्रम संख्या	स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	अंबाला	जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और हरियाणा (रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और फरीदाबाद जिले को छोड़कर)।
2.	नई दिल्ली	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, हरियाणा के रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, तथा फरीदाबाद जिले, उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, और मथुरा जिले और उत्तराखंड।
3.	कानपुर	उत्तर प्रदेश (बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, और मथुरा, ललितपुर और झांसी जिलों को छोड़कर)।

1	2	3
4.	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
5.	जोधपुर	राजस्थान।
6.	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली।
7.	बेंगलूरु	कर्नाटक।
8.	ताम्बरम	तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।
9.	भुवनेश्वर	ओडिशा।
10.	भिटा	बिहार और झारखंड।
11.	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
12.	बेगमपेट	आंध्र प्रदेश और यानम।
13.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय तथा माहे।
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जिले।

[अनुवाद]

गैंडों के अवैध शिकार पर रोक

2628. **श्री एस. सेम्मलई :**
श्री ताराचन्द्र भगोरा :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री रमेन डेका :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम और ओडिशा में एक सींघ वाले गैंडों और जंगली हाथियों के अवैध शिकार के बढ़ते मामले को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अवैध रूप से शिकार किए गए गैंडों और हाथियों के कितने मामले हैं;

(ग) क्या अवैध रूप से शिकार किए गए जानवरों के शवों को वन पदाधिकारियों द्वारा दफना दिया जाता है या उनका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम और ओडिशा सहित देश में अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) असम और ओडिशा में एक सींग वाले गैंडों और जंगली हाथियों के अवैध शिकार की घटनाएं समय-समय पर मंत्रालय के संज्ञान में आती रहती हैं। असम और ओडिशा राज्य सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान असम और ओडिशा में एक सींग वाले गैंडों और जंगली हाथियों के अवैध शिकार के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

राज्य का नाम	वर्ष	अवैध शिकार किए गए गैंडों की संख्या	अवैध शिकार किए गए हाथियों की संख्या
असम	2009	14	4 (2009-10)
	2010	8	2 (2010-11)
	2011	7	0 (2011-12)
	2012 (22.11.2012 तक)	13	*
ओडिशा	2009-10	—	5
	2010-11	—	18
	2011-12	—	8
	2012 (20.11.2012 तक)	—	5

*वर्ष 2012 के लिए हाथियों की अवैध शिकार के कारण हुई मृत्यु के ब्यौरों का मिलान अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अवैध शिकार किए गए जानवरों के शवों का निपटान वन कर्मचारियों द्वारा मृत शरीर को दबा कर या जला कर किया जाता है। इससे संबंधित ब्यौरों का मिलान मंत्रालय में नहीं किया जाता।

(ङ) असम और ओडिशा सहित देश में वन्य जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध वन्य जानवरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है तथा इसे और अधिक सख्त बनाया गया है। अपराधों में दी जाने वाली सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध (अपराधों) हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iii) वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत देश भर के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करके संरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सृजन किया गया है।

(iv) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(v) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं।

(vi) राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और उनके आस-पास क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़

बनाने और गश्त में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(vii) वन्यजीवों और उसके उत्पादों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कानून को सख्ती से लागू करने के लिए वन्यजीव नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(viii) प्रभावी संचार प्रणाली के माध्यम से कड़ी सतर्कता रखी जाती है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों के निकट की परियोजनाओं को मंजूरी

2629. श्री यशवंत लागुरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की रिजर्वों और अभयारण्यों के निकट जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, सिंचाई सुविधाएं और विद्यालय आदि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त क्षेत्रों में प्रतिबंध के कारण विलंब को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा किस हद तक सफलता प्राप्त हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) वर्ष 2010 से 2012 में सड़कों, सिंचाई और स्कूलों सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं हेतु वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु प्राप्त प्रस्तावों और उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केंद्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग संबंधी प्रस्तावों की जांच उक्त अधिनियम के उपबंधों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। तथापि, जन उपयोग अवसंरचना की कुछ श्रेणियों, जिनमें छोटे आकार की वन भूमि कुछ छूटें प्रदान की हैं तथा कई अन्य मामलों में अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की है। ये निम्नवत हैं:

1. सरकार ने स्कूलों, डिस्पेंसरियों, सिंचाई के लिए लघु नहरों, ग्रामीण सड़कों और भूमिगत पेय जल पाईप आपूर्ति पाईपलाइन डालने सहित विशिष्ट कार्यकलापों के लिए प्रत्येक मामलें में 1 हेक्टेयर तक की भूमि के वनेतर उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुछ शर्तों के अध्यधीन सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है।

2. उक्त सामान्य अनुमोदन में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के मामलों में 2 हेक्टेयर तक की तथा इसके अतिरिक्त योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा अभिजात 60 वामपंथ प्रभावित जिलों के संबंध में 5 हेक्टेयर तक की छूट प्रदान की गई है।

3. सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट स्कूलों, डिस्पेंसरियों, सिंचाई के लिए लघु नहरों और टैंकों, सड़कों और सामुदायिक केंद्रों जैसे कुछ कार्य-कलापों के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की है। इस संबंध में इन सुविधाओं के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु निर्णय, जिला स्तर पर ही लिया जा सकता है।

4. खनन के अतिरिक्त और सामान्य अनुमोदन के अंतर्गत न आने वाले, गैर-वानिकी प्रयोजनार्थ 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के वनेतर उपयोग संबंधी सभी प्रस्तावों पर निर्णय मंत्रालय के क्षेत्रीय स्तर पर लिया जाता है और ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ पर्यावरण एवं वन मंत्री को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

5. मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन लिए बिना 1980 से पहले वन भूमि पर बनी कच्ची सड़कों को सुधार कर पक्की सड़कें बनाने के लिए शर्तों के अध्यधीन अनुमति भी दे दी है।

विवरण

पेयजल, डिस्पेंसरियों/अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों, ग्राम विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के लिए अपेक्षित वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केंद्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/संघ शासित प्रदेश से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/वापस की गई/वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2009						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1				1
2.	आंध्र प्रदेश	8	1	2	4	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	37		1		38
4.	असम	1				1
5.	बिहार	23	1	1	1	26
6.	छत्तीसगढ़	1				1
7.	दादरा और नगर हवेली	2				2
8.	गोवा	1				1
9.	गुजरात	65		9	11	85
10.	हरियाणा	49		14	9	72
11.	हिमाचल प्रदेश	29		21		50
12.	झारखंड	7	1			8
13.	कर्नाटक	11		2	1	14
14.	केरल	2				2
15.	मध्य प्रदेश	22		3	1	26

1	2	3	4	5	6	7
16.	महाराष्ट्र	25		1	1	27
17.	मणिपुर					
18.	मेघालय					
19.	मिजोरम			1		1
20.	ओडिशा					
21.	पंजाब	25	1	1	2	29
22.	राजस्थान	19	1		2	22
23.	सिक्किम	3				3
24.	तमिलनाडु	7		1	5	13
25.	उत्तर प्रदेश	35		1	6	42
26.	उत्तराखंड	256		6	43	305
27.	पश्चिम बंगाल	1				1
	कुल	630	5	64	86	785

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/ संघ शासित प्रदेश से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/ वापस की गई/ वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2010						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					
2.	आंध्र प्रदेश	8		4		12
3.	अरुणाचल प्रदेश	10		3		13
4.	असम					

1	2	3	4	5	6	7
5.	बिहार	9	1			10
6.	छत्तीसगढ़	2				2
7.	चंडीगढ़			1		1
8.	दिल्ली	1				1
9.	दादरा और नगर हवेली					
10.	गोवा	1		2		3
11.	गुजरात	46		8		54
12.	हरियाणा	56	2	20		78
13.	हिमाचल प्रदेश	74	2	31	1	108
14.	झारखंड	3	1	1	1	6
15.	कर्नाटक	7			1	8
16.	केरल	1				1
17.	मध्य प्रदेश	5		2	1	8
18.	महाराष्ट्र	11		2		13
19.	मणिपुर	1		3		4
20.	मेघालय	1				1
21.	मिजोरम	1		1		2
22.	ओडिशा	1				1
23.	पंजाब	48	1	3		52
24.	राजस्थान	14		2	3	19
25.	सिक्किम	8				8
26.	तमिलनाडु	6			1	7
27.	त्रिपुरा	1		3		4

1	2	3	4	5	6	7
28.	उत्तर प्रदेश	91	5	3	3	104
29.	उत्तराखंड	124		3	63	257
30.	पश्चिम बंगाल	7			2	9
	कुल	604	12	92	76	784

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/ संघ शासित प्रदेश से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/ वापस की गई/ वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2011						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1				1
2.	आंध्र प्रदेश	13	1	5	4	23
3.	अरुणाचल प्रदेश			3		12
4.	असम					
5.	बिहार	18	7	4	3	30
6.	छत्तीसगढ़		1	1	1	3
7.	चंडीगढ़			1		1
8.	दिल्ली	1				1
9.	दादरा और नगर हवेली					
10.	गोवा					
11.	गुजरात	28	3	23		54
12.	हरियाणा	28		11		39
13.	हिमाचल प्रदेश	30	2	42	1	75

1	2	3	4	5	6	7
14.	झारखंड		1		1	2
15.	कर्नाटक	9		1		10
16.	केरल	2	1			3
17.	मध्य प्रदेश	16		8		24
18.	महाराष्ट्र	15	1	6	2	24
19.	मणिपुर		1			1
20.	मेघालय					
21.	मिजोरम					1
22.	ओडिशा	3				3
23.	पंजाब	25	3	23		51
24.	राजस्थान	7		2	1	10
25.	सिक्किम	5				5
26.	तमिलनाडु	4		1		5
27.	त्रिपुरा					
28.	उत्तर प्रदेश	54	3	6	3	66
29.	उत्तराखंड	66		8	89	163
30.	पश्चिम बंगाल	2				2
	कुल	337	24	145	103	609

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/ संघ शासित प्रदेश से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/ वापस की गई/ वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2012						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1			2

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	4	1	4		9
3.	अरुणाचल		1	4		5
4.	असम					
5.	बिहार	3	2	3		8
6.	छत्तीसगढ़	1				
7.	चंडीगढ़					
8.	दिल्ली					
9.	दादरा और नगर हवेली			2		2
10.	गोवा					
11.	गुजरात	7	11	3		21
12.	हरियाणा	8	3	1		12
13.	हिमाचल प्रदेश	4	12	18		34
14.	झारखंड	1		1		2
15.	कर्नाटक	6	1	2		9
16.	केरल			2		2
17.	मध्य प्रदेश	1	9	6		16
18.	महाराष्ट्र	1	4	2		7
19.	मणिपुर					
20.	मेघालय					
21.	मिजोरम					
22.	ओडिशा					
23.	पंजाब	1	1	5		7
24.	राजस्थान	1	3	1		5

1	2	3	4	5	6	7
25.	सिक्किम					
26.	तमिलनाडु	2	2			4
27.	त्रिपुरा					
28.	उत्तर प्रदेश	5	14	5		24
29.	उत्तराखंड	2	1	4	4	11
30.	पश्चिम बंगाल	1				1
	कुल	49	66	63	4	182

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों संबंधी रिपोर्ट

2630. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछड़े वर्ग के आयोग की सिफारिशों के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचारण कार्य पूरा कर **लिया** है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख क्या है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से रिपोर्ट के क्रियान्वयन में विलंब करने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (च) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

सड़कों को चार लेन का बनाना

2631. **श्री नामा नागेश्वर राव :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में खम्माम- तालदा-देवापल्ली (172.300 किमी.) और गुन्डूगोलानू-देवापल्ली कव्वूर रोड को चार लेन का बनाने में व्यवहार्यता निधियन (वीजीएफ) के सिद्धांततः अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए के अहमदाबाद-बामनबोर खंड को छह लेन का बनाना

2632. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :**

श्रीमती दर्शना जरदोश :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए अहमदाबाद-बामनबोर खंड को छह लेन का बनाने हेतु किसी प्रस्ताव को स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक प्रारंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य कोटा प्रणाली

2633. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के समान ही पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में अनिवार्य कोटा प्रणाली प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विद्यमान क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में अनिवार्य कोटा प्रणाली प्रारंभ करने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (घ) सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर अत्यंत संवेदनशील है। निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई पर उद्योग के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2006 में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समन्वय समिति समय-समय पर शीर्षस्थ चैम्बरों के साथ बैठकें आयोजित करती रही है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ (फिक्की), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सहयोगी चैम्बर (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (पीआईआई) तथा पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर (पीएचडीसीसीआई) ने अपने सदस्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर अपनी संबंधित आचरण-संहिताएं विकसित की हैं। ये आचरण-संहिताएं अन्य बातों के साथ-साथ समग्र नीतियों एवं गैर-भेदभाव हेतु प्रावधान करती हैं। उद्योग के साथ संवाद जारी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण संबंधी शिकायतें

2634. डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों विशेषकर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संरक्षण, जिस हेतु भूमि अधिग्रहीत की गई है, संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां।

(ख) अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई को सीमित करते हुए संरेखण में परिवर्तन सुझाने वाली शिकायतें तमिलनाडु राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ग) मामले के गुण-दोष के आधार पर शिकायतकर्त्ताओं की शिकायतों का निपटान किया जाता है।

धुबरी फुलबारी पुल

2635. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी-फुलबारी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण पुल के शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/या की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षाकार्मिकों का बीमा कवर

2636. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रक्षाकार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदत्त बीमा कवर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके परिवार को भी बीमा कवर प्रदान करने का है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) रक्षा सैन्य कार्मिकों की वास्तविक सरकारी ड्यूटियों के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सरकार अनुग्रह राशि का भुगतान करती है। मौजूदा आदेशों में ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान दुर्घटना की वजह से मृत्यु के मामले में तथा आतंकवादियों द्वारा हिंसा के कृत्यों की वजह से ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान होने वाली मृत्यु के मामलों में 10,00 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान है। युद्ध में शत्रु की कार्रवाई अथवा सीमा पर झड़पों अथवा उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई के मामलें मृत्यु तथा विनिर्दिष्ट उच्च तुंगता, अगम्य सीमा चौकियों, आदि पर प्राकृतिक आपदा, अत्यंत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों की वजह से मृत्यु के मामले में 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकार्य है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा युद्ध जैसी तैनातियां, जिन्हें विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो, में मृत्यु होने के मामले में 20 लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकार्य है। इसके अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों को क्रमश: सेना सामूहिक बीमा निधि, नौसेना सामूहिक बीमा निधि, वायुसेना सामूहिक बीमा निधि, जो सोसाइटी अधिनियम XXI 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां हैं, के अंतर्गत बीमा कवर भी मुहैया कराया जाता है। रक्षा सैन्य कार्मिकों को सेवा के दौरान अनिवार्य सामूहिक बीमा एवं बचत योजना में एक विनिर्दिष्ट आयु तक विस्तारित बीमा योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद बीमा कवर भी मुहैया कराया जा रहा है। ये बीमा कवरेज सरकार द्वारा मृत्यु अथवा निशक्तता पेंशन की स्थिति में दिए गए अनुग्रह राशि के भुगतान के अतिरिक्त है।

(ख) जी, नहीं।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स

2637. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी श्रेणियों के मोटरयानों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने के संबंध में कोई योजना अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के कार्यान्वियन की समय-सीमा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1980 के नियम 50 में सभी श्रेणियों के नए तथा प्रयोगरत मोटरयानों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों को लगाया जाना अनिवार्य है। केंद्रीय सरकार ने उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों के मानक एवं विनिर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्रीय सरकार ने उन परीक्षण एजेंसियों को भी अधिसूचित किया है जो निर्धारित विनिर्देशों पर आधारित प्लेटों पर परीक्षण करेंगे और विक्रेताओं को टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेंगी तथा केंद्रीय सरकार ने कार्यान्वयन की तारीख अधिसूचित कर दी है। केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है।

प्रारंभ में, यह योजना नए वाहनों के लिए दिनांक 28.9. 2001 से प्रभावी हुई थी और उसके पश्चात इसे पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। तथापि, कार्यान्वियन की तारीख को समय-समय पर विभिन्न कारणों से आगे बढ़ाया गया। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वियन की तारीख अंतिम बार बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2006 नए पंजीकृत वाहनों के लिए और

तत्पश्चात पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए और तत्पश्चात पहले से पंजीकृत दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। बाद में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को यह योजना नए पंजीकृत वाहनों के लिए 30 अप्रैल, 2012 और प्रयोगरत वाहनों के लिए 15 जून, 2012 तक लागू करने के लिए निदेश दिया। वर्तमान में, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों को लगाए जाने का कार्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

नैतिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल करना

2638. श्री एम.आई. शानवास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विद्यालय के बच्चों को वृद्धों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में नैतिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल करने का सुझाव देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि शिक्षण पाठ्यक्रम के सभी स्तरों पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी संबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री पर जोर दिया जाए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालीय बैठक, जो 7 फरवरी, 2008 को हुई थी, में एक कार्य-योजना में वृद्धजनों के प्रति दुराग्रहों को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परंपरागत मूल्यों के समावेश को चिन्हित किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की पाठ्य-पुस्तकों में कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों में स्कूली शिक्षा के विषय क्षेत्रों में तथा विभिन्न स्तरों पर इस नैतिक आचरण से संबंधित थीम एवं उदाहरणों को निर्धारित किया गया है। एनसीईआरटी ने मूल्यों की प्राथमिकताओं को चिन्हित करने एवं तद्नुसार कार्य तैयार करने के लिए मार्गदर्शन हेतु, "स्कूलों में शिक्षा मूल्य-एक ढांचा" शीर्षक से एक मूल्य शिक्षा ढांचा भी तैयार किया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबएसई) ने अपने संबद्ध सभी स्कूलों के विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों को शामिल किया है। बच्चों में मूल्यों के विकास हेतु, इसने कक्षा 6 से 8 के लिए स्रोत पुस्तकें, कक्षा 9 एवं 10 के लिए जीवन कौशल पर अध्यापक नियम-पुस्तकें एवं पर्यावरण शिक्षा एवं किशोर शिक्षा की पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जो बच्चों में मूल्यों के प्रोत्साहन में सहायक हैं।

विश्व समुद्री विश्वविद्यालय की शाखा खोलना

2639. श्री मानिक टैगोर :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या सरकार के पास भारत में "विश्व समुद्री विश्वविद्यालय की शाखा" खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार गुजरात में दो समुद्री विश्वविद्यालयों को स्थापित करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

(आईएमयू) का एक परिसर, कांडला, गुजरात में पहले से ही कार्य कर रहा है।

निःशक्त व्यक्तियों की आजीविका के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

2640. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री वरुण गांधी :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय/राज्य समन्वय समितियों के कार्य को सूत्रबद्ध किया है तथा उन समितियों ने निःशक्त व्यक्तियों संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय/राज्यनीति का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो निःशक्त व्यक्तियों की आजीविका के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उठे मुद्दों एवं चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) इन समितियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के वचन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) ऐसे वर्ग में जागरुकता लाने के लिए तथा उन्हें बेहतर आजीविका उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय समन्वय समिति तथा राज्य समन्वय समिति के कार्य, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की क्रमशः धारा 8 और धारा 18 में समाविष्ट हैं। सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय विकलांगजन नीति तैयार और पारित की थी।

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आजीविका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन, मुख्य आयुक्त निःशक्त व्यक्ति कार्यालय, लॉयनार्ड केसायर डिसेबिलीटी, एक्सेंचर और फिक्की-आदित्य बिरला सीएसआर सेंटर फॉर एक्सलेंस द्वारा दिनांक 25.5.2012 को संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई थी:-

- यूएनएनसीआरपीडी के विशेष संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों की आजीविकाओं को उन्नत करने में हितधारकों के साविधिक दायित्व।
- विकलांग व्यक्तियों के नियोजन को बढ़ावा देने में कारपॅरेट एजेंसियों की सक्रिय कार्रवाई।
- विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास और आजीविकाओं को उन्नत करने में केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका।
- विकलांग व्यक्तियों की नियोज्यता को बढ़ाने में सिविल सोसाइटी संगठनों की महत्वपूर्ण पहलें।

(ग) मंत्रालय को इन समितियों द्वारा प्राप्त शिकायतों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सरकार कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी विकलांग व्यक्तियों के बीच जागरुकता सृजित करती है। बेहतर आजीविका अर्जित करने में समर्थ बनाने हेतु विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, निःशक्तता कार्य विभाग द्वारा कार्यान्वित दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र इकाई, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), स्व-रोजगार उद्यमों के लिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र भी विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग

2641. श्री एम.के. राघवन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केरल सहित राष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति क्या है;

(ख) देश में केरल के उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ने सहित अंतर्देशीय जल परिवहन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) विशेषकर केरल के उत्तर एवं दक्षिण के बीच परियोजना

के पूरे उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने में लगातार देरी के क्या कारण हैं;

(घ) देश में अंतर्संपर्कता एवं जुड़े अवसंरचना विकास को पूरा करने के लिए प्रस्तावित/निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस प्रस्ताव को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से लागू किया जाएगा तथा यदि हां, तो निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) देश में पांच राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) हैं। ये राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नानुसार हैं:—

(i) 1986 में घोषित गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि.मी.) — एनडब्ल्यू-1

(ii) 1988 में घोषित ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 कि.मी.)-एनडब्ल्यू-2

(iii) 1993 में घोषित उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों (205 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर (कोट्टापुरम- कोल्लम)-एनडब्ल्यू-3

(iv) 2008 में घोषित गोदावरी और कृष्णा नदियों (1078 कि.मी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुदुचेरी नहरें-एनडब्ल्यू-4

(v) 2008 में घोषित ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों (588 कि.मी.) के साथ एकीकृत पूर्वी तट नहर-एनडब्ल्यू-5

एनडब्ल्यू-3 केरल में है और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से विभिन्न स्थानों अर्थात् कोट्टापुरम, अलुवा, अंबालामुगल, कोच्चि, वॉयकोम, चेरतला, अलापुझा, त्रिक्कुनापुझा, कायलकुलाम और कोल्लम को जोड़ता है।

अपेक्षित अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना प्रदान कर नौवहन और नौचालन हेतु आईडब्ल्यूएआई द्वारा पांच एनडब्ल्यू में से, एनडब्ल्यू-1, 2 और 3 को विकसित किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यों के वर्ष के अधिकतर हिस्से में लक्षित गहराई और चौड़ाई सहित एक नौचालनात्मक जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालन हेतु साधन-सुविधाएं, जलयानों की बर्थिंग और लदाई/उतराई के लिए चुने हुए स्थलों पर स्थायी/प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुने हुए स्थलों में अंतर-मॉडल संपर्क प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

एनडब्ल्यू-4 और 5 के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) के साथ सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। तद्नुसार, पीपीपी परियोजनाएं तैयार करने और संसाधित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अध्ययन करने और उसे अद्यतन करने के लिए मार्च, 2012 में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक कारोबार सलाहाकर नियुक्त कर दिया गया है। चरण-I के अंतर्गत, विकास के लिए अभिज्ञात किए गए खंडों में राष्ट्रीय जलमार्ग-4 में गोदावरी नदी (157 कि.मी.) के भ्रदाचलम-राजमुन्द्री जलखंड, काकीनाडा नहर (50 कि.मी.), इलुरू नहर (88 किमी.) और राष्ट्रीय जलमार्ग-5 में तलचर-धम्रा, मंगलगढ़ी-पारादीप और चरबतिया-धम्रा जलखंड (371 कि.मी.) का नदीय हिस्सा शामिल है।

(ग) केरल में, केन्द्र सरकार, नौवहन और नौचालन के लिए एनडब्ल्यू-3 के विकास के लिए उत्तरदायी है, जिसमें कोट्टापुरम और कोल्लम के बीच बैकवाटर्स प्रणाली शामिल है। इस परियोजना में केरल में किन्हीं नदियों का अंतर-संपर्क शामिल नहीं है।

(घ) नौवहन और नौचालन के लिए अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों के अंतरसंपर्क का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगार

2642. श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दशा संगठित क्षेत्र के कामगारों की तुलना में ज्यादा दयनीय है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण एवं उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त उद्देश्य के लिए राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2009-2010 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल नियोजन 46.5 करोड़ था। इसमें से लगभग 2.8 करोड़ (6:) संगठित क्षेत्र में तथा शेष 43.7 करोड़ (94: असंगठित क्षेत्र में था। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में राज्य-वार नियोजन संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, अंसगठित क्षेत्र में कामगारों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) से (घ) अंसगठित क्षेत्र के कामगार रोजगार के अत्यधिक मौसमियता के चक्रों, औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की कमी तथा सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के न होने से ग्रसित होते हैं। असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने "असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008" अधिनियमित किया है। यह अधिनियम जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए निर्धारित अन्य कोई लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करने के लिए केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था करता है। सरकार ने इन सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों के प्रसंग में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) को फैमिली फ्लोटर आधार पर 30,000/-रु. प्रतिवर्ष का स्मार्ट कार्ड आधारित प्रसूति लाभ सहित कैशलेश स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। यह योजना 01.04.2008 से संचालन में आई। इस योजना को वर्तमान में 26 राज्यों/संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार 3.31 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया अथवा एक कमाने वाले सदस्य को बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 02.10.2007 को आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) प्रारंभ की गई थी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया अथवा परिवार का एक कमाने वाला सदस्य स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/-रुपए, दुर्घटना से मृत्यु पर 75,000/-रुपए, पूर्ण स्थाई अपंगता के लिए 75,000/-रुपए तथा आंशिक स्थाई अंपगता के लिए 37,500/- रुपए के लाभ प्राप्त करने का पात्र है। 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार 1.77 करोड़ से अधिक व्यक्ति एएबीवाई के अंतर्गत कवर हैं।

सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) कार्यान्वित कर रही है, जिसका पात्रता मानदंड संशोधित करके विस्तार किया गया है। 60 वर्ष की आयु से ऊपर के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभों के पात्र हैं। 80 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि को 200/- रुपए से बढ़ाकर 500/-रुपए प्रतिमाह किया गया है। 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार 2.27 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राज्य-वार तथा वर्ष-वार केंद्रीय निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान एएबीवाई प्रीमियम निधि के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के पास रखी गई थी। 2008-2009 के दौरान एएबीवाई योजना के अंतर्गत लक्षित कवरेज को प्राप्त करने के लिए एएबीवाई निधि प्रारंभ करने के लिए 1000 करोड़ रुपयें की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई थी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), आईजीएनओएपीएस जिसका एक घटक है, के लिए सामूहिक निधियां जारी की जाती हैं तथा आईजीएनओएपीएस के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है।

विवरण-I

संगठित क्षेत्र में राज्य-वार नियोजन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नियोजन (लाख में) (31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.38
आंध्र प्रदेश	21.82
असम	11.14
बिहार	4.23
चंडीगढ़	1.00
छत्तीसगढ़	3.29
दमन और दीव	0.15
दिल्ली	8.61
गोवा	1.40
गुजरात	19.82
हरियाणा	6.67
हिमाचल प्रदेश	3.88
जम्मू और कश्मीर	2.10
झारखंड	16.08
कर्नाटक	22.85
केरल	11.11
मध्य प्रदेश	9.94
महाराष्ट्र	42.55
मणिपुर	0.79
मेघालय	0.43
मिजोरम	0.42
नागालैंड	0.79
ओडिशा	7.27
पुदुचेरी	0.69
पंजाब	8.26
राजस्थान	12.69
तमिलनाडु	23.65
त्रिपुरा	1.41
उत्तर प्रदेश	21.53
उत्तराखंड	2.88
पश्चिम बंगाल	19.27
कुल	287.08

विवरण-II

30.11.2012 तक आरएसबीवाई के अंतर्गत जारी प्रीमियम (करोड़ रूपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केंद्रीय हिस्से की जारी राशि					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गुजरात	22.56	8.77	34.31	112.02	23.93	201.59

1	2	3	4	5	6	7	8
2	पंजाब	1.60	5.94	5.88	4.87	3.87	22.16
3	तमिलनाडु	1.61	2.69	0.00	0.00	0.00	4.30
4	हिमाचल प्रदेश	1.75	1.64	6.81	5.58	2.82	18.60
5	हरियाणा	13.43	27.10	18.10	27.30	12.15	98.08
6	बिहार	4.75	31.98	55.86	150.19	142.58	385.36
7	केरल	13.71	18.34	52.69	65.93	26.32	176.99
8	पश्चिम बंगाल	2.52	20.08	50.63	164.28	116.90	354.41
9	महाराष्ट्र	0.89	37.19	33.93	59.69	34.98	166.68
10	उत्तराखंड	0.00	2.43	3.67	6.92	8.45	21.47
11	उत्तर प्रदेश	29.73	69.10	162.34	191.70	10.65	463.52
12	झारखंड	5.24	8.91	11.49	23.66	46.51	95.81
13	चंडीगढ़	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.40
14	दिल्ली	2.15	1.47	7.46	3.90	3.86	18.84
15	छत्तीसगढ़	0.00	16.06	22.52	69.28	36.16	144.02
16	असम	0.00	0.76	7.43	12.82	3.13	24.14
17	नागालैंड	0.00	2.40	2.30	3.86	1.49	10.05
18	त्रिपुरा	0.00	6.68	6.80	6.36	11.34	31.18
19	मेघालय	0.00	0.77	1.24	4.43	2.27	8.71
20	गोवा	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
21	कर्नाटक	0.00	0.00	4.92	0.96	28.03	33.91
22	ओडिशा	0.00	0.00	20.44	3.64	34.49	58.57
23	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	3.52	1.09	4.61
24	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8
25	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	2.06	1.64	3.70
26	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29
	कुल	99.94	262.51	509.17	922.97	553.92	2348.51

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रस्ताव

2643. डॉ. रत्ना डे :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्रीमती मौसम नूर :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री नरहरि महतो :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निवेश के लिए राज्य विशिष्ट नीति/स्कीम प्रारंभ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(ग) विभिन्न लंबित औद्योगिक विकास परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा स्थापित उद्योगों की राज्य-वार विशेषकर पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों सहित संख्या क्या है तथा एनआरआई से अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष पैकेज का अनुरोध किया है। तथापि सरकार केवल पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को उनकी विपरीत भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी क्षेत्र और अन्य विशिष्टताओं के कारण विशेष प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध करा रही है।

(ग) औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर योजनाओं के प्रावधानों और बजटीय परिव्यय के अनुसार समय पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का वर्ष-वार वित्तीय ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से निवेश प्राप्त करने सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं। इस नीति में ऐसी परियोजनाओं पर लागू शर्तों के बिना टाउनशिप, आवास, तैयार अवसंरचना और निर्माण विकास परियोजनाओं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिपोर्ट, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहरी तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना शामिल है किन्तु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के क्षेत्र में एनआरआई निवेश के लिए विशेष व्यवस्था की अनुमति है। इस नीति में अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं, घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों; गैर-अनुसूचित वायु-परिवहन सेवाओं; गैर-अनुसूचित एयर लाइनों; चार्टर्ड एयरलाइनों

और कार्गो एयरलाइनों में भी एनआरआई निवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एनआरआई निवेश की अनुमति है।

(ङ) **बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दामोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना** जिले योजना आयोग की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत आते हैं।

विवरण

अनुमोदित एफडीआई का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा अप्रैल, 2009 से मई, 2012 के दौरान

देश : एनआरआई (व्यक्तिगत निवेशक के रूप में)

(राशि मिलियन)

क्र. सं.	राज्य	2009-10 अप्रैल-मार्च वित्त	2010-11 अप्रैल-मार्च वित्त	2011-12 अप्रैल-मार्च वित्त	2012-13 अप्रैल-मई वित्त	कुल वित्त
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	0	1
2.	गुजरात	1	0	0	1	
3.	कर्नाटक	0	2	0	0	2
4.	महाराष्ट्र	2	1	2	0	5
5.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0	2
6.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	1
7.	दिल्ली	1	0	0	0	1
8.	राज्य चिहिनत नहीं हैं	0	1	5	1	7
	कुल योग	7	5	7	1	20

[हिन्दी]

वनों का विनाश

2644. श्री कामेश्वर बैठा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान हिमालयी क्षेत्र में बड़े वन क्षेत्र का विनाश हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी की सहायता से भारत का वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में वन क्षेत्रों की अधिकतम हानि हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 में दिए गए भू-आकृति-विज्ञान जोनों के अनुसार हिमालयी

क्षेत्र को मुख्यत: पश्चिमी और पूर्वी हिमालयों में बांटा जा सकता है।

पश्चिमी हिमालय : इसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिले, जम्मू और कश्मीर (सभी जिले), उत्तराखंड (13 जिलों में से 11 जिले), पंजाब (17 में से 3 जिले), शामिल हैं।

पूर्वी हिमालय : अरुणाचल प्रदेश (12 में से 10 जिले), सिक्किम (सभी 4 जिले) और पश्चिम बंगाल (17 में से 1 जिला)।

इन हिमालयी राज्यों में से केवल अरुणाचल प्रदेश में गत आकलन अर्थात् भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2009 की तुलना में वन आवरण में 74 वर्ग किमी (भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार) की गिरावट दर्ज की गई है।

(ग) वनावरण में गिरावट दर्शाने वाले राज्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देश में वनावरण विस्तार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई है:-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों की बहाली के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के विकेन्द्रत कार्यतंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2002 में स्कीम की शुरूआत से लेकर 31.03.2012 त क 18.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने के लिए देश के 28 राज्यों में 800 एफडीए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ii) मंत्रालय वनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम (आईएफएमएस) के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी करता है जिसमें अवसंरचना, अग्नि सुरक्षा, वन सीमाओं का सीमांकन, फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए सुविधाओं का निर्माण और संसूचना शामिल है। इसने भी वन आवरण को बढ़ाने में योगदान दिया है।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत, 5 मिलियन हेक्टेयर वन/वनेतर भूमि वृक्षावरण बढ़ाने और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य से 'हरित भारत' के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया गया है।

(iv) 13वें वित्त आयोग के अवार्ड के अंतर्गत, राज्यों को राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में उनके वनावरण के आधार पर 5000 करोड़ रु "वन अनुदान" के रूप में आवंटित किए गए हैं। इसे प्रत्येक राज्य में सघनता द्वारा मापित वनों की गुणवत्ता के आधार पर और बढ़ाया गया है।

(v) हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान में विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत भी वनीकरण कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

विवरण

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार वनावरण में गिरावट दर्शाने वाले राज्य

क्र. सं.	राज्य	वर्ग किमी में क्षेत्र	गिरावट के कारण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	-281	नए पुनरुद्धार/पौधारोपण, कुछ अतिक्रमित क्षेत्रों में वन स्वीकृति प्रदान करने के बाद अल्प क्रमावर्तन वाली फसलों की पैदावार जैसे प्रबंधन हस्तक्षेप।

1	2	3	4
2.	मणिपुर	-190	झूम खेती चक्र (शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल) और जैवीय दबाव के कम होने के कारण राज्य मे वनावरण में गिरावट हुई।
3.	नागालैंड	-146	झूम खेती चक्र और जैवीय दबाव के कम होने के कारण राज्य में वनावरण में गिरावट हुई।
4.	अरुणाचल प्रदेश	-74	राज्य में वनावरण में परिवर्तन झूम खेती और जैवीय दबाव के कारण हुआ।
5.	मिजोरम	-66	झूम खेती चक्र (शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल) और जैवीय दबाव के कम होने के कारण राज्य में वनावरण में गिरावट हुई।
6.	मेघालय	-46	झूम खेती चक्र (शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल) और जैवीय दबाव के कम होने के कारण राज्स में वनावरण में गिरावट हुई।
7.	केरल	-24	यूक्लिप्टस, टीक, एकेशिया मेंगिनयम, रबड़ और उद्यान में छाया वाले वृक्षों की चक्रीय कटाई के कारण राज्य में वनावरण में गिरावट हुई।
8.	असम	-19	वनावरण में गिरावट मुख्यत: अवैध कटाई, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण और झूम खेती पद्धतियों के कारण हुई है।
9.	त्रिपुरा	-8	राज्य में वनावरण में गिरावट रबड़ पौधारोपण के लिए सफाई और झूम खेती पद्धतियों के कारण हुई है।
10.	महाराष्ट्र	-4	
11	छत्तीसगढ़	-4	बांधों के अपवाह में वन क्षेत्रों का जल मग्न होना।
12.	उत्तर प्रदेश	-3	
13.	गुजरात	-1	वन क्षेत्र के बाहर स्थित वृक्षों की व्यक्तिगत रूप से कटाई के कारण राज्य में वनावरण में कमी आई है।
	कुल	-866.000	

पत्तनों के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) अधिसूचना

2645. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
श्री सी. आर. पाटिल :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित कुछ राज्य सरकारों ने पत्तनों एवं बंदरगाहों के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड) अधिसूचना, 2011 के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विनिर्माण कार्यों में लगी निजी कंपनियां

2646. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण (बीओटी) करो पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव एवं विकास कार्यों को संभाल रही निजी कंपनियों/डेवलेपरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कंपनियों/डेवलेपरों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन शिकायतों की प्रकृति क्या है एवं उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन कंपनियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए नियुक्त प्राइवेट कंपनियों/डेवलपरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) अधिक पथकर वसूलने, पथकर प्रचालकों के दुर्व्यवहार, और सड़क खंडों के घटिया अनुरक्षण आदि के लिए डेवलपरों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिन पर शिकायत के स्वरूप के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास तथा निष्पादन पर निगरानी रखे जाने के लिए डेवलपरों द्वारा स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाती है। मुख्यालय में आवधिक समीक्षा सहित कार्य की प्रगति पर स्वतंत्र परामर्शदाता परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए नियुक्त प्राइवेट कंपनियों/डेवलपरों का राज्यवार ब्यौरा

(30.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	प्राइवेट कंपनियों/डेवलपर्स की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	1
4.	बिहार	16
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	12
8.	हरियाणा	10
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	4
11.	झारखंड	5

1	2	3
12.	कर्नाटक	23
13.	केरल	7
14.	मध्य प्रदेश	25
15.	महाराष्ट्र	19
16.	मेघालय	3
17.	ओडिशा	8
18.	पंजाब	9
19.	राजस्थान	21
20.	तमिलनाडु	28
21.	उत्तर प्रदेश	21
22.	उत्तराखंड	3
23	पश्चिम बंगाल	10

प्रवासी पक्षी

2647. श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री मंगनी लाल मंडल :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गिद्ध सहित पक्षियों की कुछ संकटापन्न प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो संकटापन्न घोषित पक्षियों की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान संख्या कितनी है तथा उनके संरक्षण के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार ने उनके संरक्षण के लिए प्रजाति-वार कोई धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन प्रवासी पक्षियों द्वारा प्रजाति-वार देश के किन स्थानों में सामान्यत: विचरण किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) आईसीयूएन रेड लिस्ट वर्जन 2010.1, के अनुसार भारत में वैश्विक रूप से संकटापन्न पक्षियों की लगभग 87 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं, जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं। वैश्विक रूप से संकटापन्न पक्षी प्रजातियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध किए गए हैं। उनकी विद्यमान संख्या से संबंधित ब्यौरों का संकलन इस मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

सरकार ने पक्षियों की संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षार्थ निम्नालिखित कदम उठाए हैं :-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) के तहत सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर पक्षियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सीएसएस-आईडब्ल्यूएच के "अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों के लिए बहाली कार्यक्रम" घटक के अंतर्गत, फ्लोरिकेंस, एडिब्ल नेस्ट स्विफ्टलेंट, निकोबार मेगापोड, गिधों और जेडॉन कर्सर सहित बस्टर्ड को प्राथमिकता आधार पर सहायता देने हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(ii) यह मंत्रालय पक्षियों की संकटापंनन प्रजातियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लक्ष्य वाली अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है।

(iii) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने दो उप-समितियां गठित की हैं जिनमें भारत में संकटापन्न स्थलीय और जलीय प्रजातियों की बहाली हेतु संरक्षण विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन समितियों ने पहले ही "संकटापन्न प्रजाति बहाली योजना" हेतु दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं तथा प्राथमिकता आधार पर विचार करने हेतु कुछ संकटापन्न पक्षी प्रजातियों का चयन किया है जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जेडॉन कर्सर और निकोबार मेगापोड शामिल हैं।

(iv) मंत्रालय ने बंबई प्राकृतिक विज्ञान समिति और भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा अन्य विशेषज्ञों और पणधारियों से परामर्श करके 'बस्टर्ड बहाली कार्यक्रम हेतु राज्य कार्य योजना बनाने संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है।

(v) पशु-चिकित्सा प्रयोजनों के लिए डाइक्लोफिनाक, जिसे देश में गिद्धों की सख्या में गिरावट का कारण माना गया था, के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशिष्ट पक्षी प्रजाजियों के संरक्षण के लिए जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

वर्ष	राज्य/संघशासित प्रदेश	प्रजाति	धनराशि (लाख रु. में)
2009-10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एडिब्ल नेस्ट स्विफ्टलेटस	30.99
2010-11	पंजाब	गिद्ध	2.40
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एडिब्ल नेस्ट स्विफ्टलेटस	24.672
2011-12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एडिब्ल नेस्ट स्विफ्टलेटस	18.61
	हरियाणा	गिद्ध	5.60
2012-13 (30.11.2012 तक)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एडिब्ल नेस्ट स्विफ्टलेटस	17.54

संघ सरकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों-'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत देशज ओर प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षियों सहित वन्यजीवों और देश में उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए राज्य/संघशासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन स्कीमों के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

प्रवासी पक्षी देश के अधिकतर भागों में विचरण करते हैं और वे कुछेक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं। तथापि, देश में प्रवासी पक्षियों द्वारा विचरण किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है, जिनमें कुछ नमभूमियां और वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र भी शामिल हैं। प्रवासी पक्षियों द्वारा विचरण किए जाने वाले स्थलों का प्रजाति-वार संकलन मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

भारत में संकटाग्रस्त पक्षियों की सूची (आईयूसीएन 2010)

क्र. सं.	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	कुल	संकट 2010 (आईयूसीएन)
1	2	3	4	5
1.	व्हाईट-रम्पड वल्चर	जिप्स बेगालेनसिस	एक्सीपीट्रीडेई	सीआर

1	2	3	4	5
2.	भारतीय वल्चर	जिप्स इंडीक्स	एक्सीपीट्रीडेई	सीआर
3.	स्लेंडर-बिल्ड वल्चर	जिप्स टेन्यूइरोसट्रिस	एक्सीपीट्रीडेई	सीआर
4.	रेड-हेडेड वल्चर	सरकोजिप्स कैल्चस	एक्सीपीट्रीडेई	सीआर
5.	पिंक-हेडेड डक	रोडोनेसा कैरयोफैलेसीआ	एनाटीडेई	सीआर
6.	व्हाईट-बेलीड हेरोन	अरडेआ इनासिगनिस	अरेडेई	सीआर
7.	सोशियेबल लैपविंग	वैनेलैस ग्रिगेरीयस	कैराड्रीडेई	सीआर
8.	क्रिसमस फ्रिगेटवर्ड	फ्रेगेटा एन्ड्रयूसी	फ्रेगेटीडेई	सीआर
9.	जार्डन कर्सर	रिनोपटिलस बिटोरक्वेटस	ग्लेरिओलिडे	सीआर
10.	साइबेरियन क्रेन	होबेरोपसिस बेंगालेनसिस	ग्रयुईडे	सीआर
11	बेंगरल फ्लोरीकेन	ग्रस ल्यूकोगेरानस	ओटीडीडेई	सीआर
12.	हिमालयन क्वेल	ऑफराईसिआ सुपरसिलीओसा	फासऐनीडेई	सीआर
13.	स्पून-बिल्ड सैण्डपाईपर	यूरीनोरेक्स पिगमीस	स्कोलोपासीडे	सीआर
14.	फोरेस्ट ओवलेट	हेटरोग्लोक्स बिल्वटी	स्ट्रिगेडई	सीआर
15.	इजिप्शियन वल्चर	निओफोन परक्नोपेटरस	एक्सीपीट्रीडेई	ईएन
16.	रेड-ब्रेस्टेड गूस	ब्रान्टा रयूफीकोलीस	एनाटीर्डेई	ईएन
17.	व्हाईट-विंग्ड डक	केरिआना स्कूटूलाटा	एनाटीडेई	ईएन
18.	बेंअरस पोचार्ड	अईथेआ बेयरी	एनाटीडेई	ईएन
19.	व्हाईट-विंग्ड डक	आक्सीयूरा ल्यूसोसेफल	एनाटीडेई	ईएन
20.	**नकोडम** हार्नबिल	ऐसरोस नरकोनडामी	ब्यूसरोटीडेई	ईएन
21	ओर एन्टल स्टोर्क	सिसोनिया बॉयसिआना	सिसोनीडेई	ईएन
22.	ग्रेटर एड्ज्यूटेन्ट	लेपटोपटिलोस डयुबिउस	सिसोनीडेई	ईएन
23.	मास्कड फिनफूट	हेलीओपेस परसोनटस	हेलीओनीडई	ईएन
24.	व्हाईट बेलिड ब्ल्यू रोबिन	मिओमीला एल्बीवेन्ट्रिस	म्यूसीकेपीडी	ईएन
25.	नीलगिरि ब्ल्यू रोबिन (व्हाईट-बेलीड शोर्टविंग)	मिओमीला मेजर (ब्रेजीपटेराक्स मेजर)	म्यूसीकेपीडे	ईएन

1	2	3	4	5
26.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	अरडेईओटिस नाईजेरीसेप्स	ओटीडीडेई	ईएन
27.	लेसर फ्लोरीकैन	सिफाओटीडेस इंडीक्स	ओटीडीडेई	ईएन
28.	ग्रीन पीफाउल	पीओ म्यूटीक्स	फासीआनीडेई	ईएन
29.	बाराउस पेट्रेल	टेरोड्रोमा बरोई	प्रोसलरीडेई	ईएन
30.	स्पाटेड ग्रीनशैंक	ट्रिंगाग्यूटीफर	स्कोलोपेसीडेई	ईएन
31.	ब्लैक-चिन्ड लार्फिंगथ्रश	स्ट्रोफोसिसला कैचीननेंस	टिमालीडेई	ईएन
32.	पलास फिश-ईगल	हेलीआटस ल्यूकोरफस	टिमालीडेई	ईएन
33.	निकोबार स्परोहॉक	एक्सीपीटर बटलेरी	एक्सीपीट्रीडेई	वीयू
34.	इंडियन स्पाटेड ईगल	एक्वीला हस्टाटा	एक्सीपीट्रीडेई	वीयू
35.	ग्रेटर स्पाटेड ईगल	एक्वीला क्लांगा	एक्सीपीट्रीडेई	वीयू
36.	ईस्टर्न इम्पीरिअल ईगल	एक्वीलाहेलीआका	एक्सीपीट्रीडेई	वीयू
37.	लेसर व्हाईट फान्टेड गूस	ऐन्सेर ऐरीथोपस	एनाटीडेई	वीयू
38.	बैकाल टील	एनास फारमोसा	एनाटीडेई	वीयू
39.	मार्बल्ड टील	मारमारोनेटा एन्गास्टीरोस्ट्रिस	एनीटीडई	वीयू
40.	डार्क-रम्प्ड स्विफ्ट	ऐपस एक्यूटीकोंडा	एपोडीडेई	वीयू
41.	रयूफोस नेक्ड होनबिल	ऐसरोस निपाललेनसिस	ब्यूसेरोटीडेई	वीयू
42.	लेसर एडजूटेंट	लेप्टोप्टिलोस जावानिकस	सिकानीडे	वीयू
43.	ग्रे-क्राउनड प्रिनिया	प्रीनिया सिनेरियोकेपिला	सिस्टीकालीडे	वीयू
44.	पेल-बेकड पीजन	कोलम्बा एवरस्मन्नी	कोलांबिडे	वीयू
45.	नीलगिरि वुड पीजन	कोलम्बा परिसिया	कोलांबिडे	वीयू
46.	पेल-केपड पीजन	कोलम्बा पनिसिया	कोलांबिडे	वीयू
47.	येलो-ब्रेस्टिड बंटिंग	एमब्रजिया ओरियोला	एस्ट्रिडिडे	वीयू
48.	ग्रीन अवदावत	अम्डवा फोरमोसा	एस्ट्रिडिडे	वीयू

1	2	3	4	5
49.	जाया स्पेरो	पड्डा ओरजिवोरा	एमबेरिजिडे	वीयू
50.	सेकर फेलकोन	फल्कों चेररग	फालकानिडे	वीयू
51.	लेसर केसट्रेल	फल्को नाउमनी	फालकानिडे	वीयू
52.	सारस क्रेन	ग्रस एंटीगोने	ग्रेईडे	वीयू
53.	हुडेड क्रेन	ग्रस मोनाचा	ग्रेईडै	वीयू
54.	ब्लेक नेक्ड क्रेन	ग्रस निगरीकोलिस	ग्रईडे	वीयू
55.	इंडियन स्कीमर	रिनचोप्स एल्वीकोलिस	लारीडे	वीयू
56.	निकोबार मेगापोड	मेगापोडियस निकोबेरियनसिस	मेगापीडीडे	वीयू
57.	व्हाईट-ब्राउड बुशकेट	सैक्सीकोला मेक्रोरिनचस	मस्कीकेपीडे	वीयू
58.	व्हाईट थ्रोटिड बुशकेट	सैक्सीकोला इनसिगनिस	मस्कीकेपीडे	वीयू
59.	निकोबार (ब्राउन-चेस्टिड) जंगल फ्लाईकेचर	रहिनोमियस (ब्रुननेयटस) निकोबेरिकस	मस्कीकेपीडे	वीयू
60.	कश्मीर फ्लाईकेचर	फेसिडुला सबरूबा	मस्कीकेपीडे	वीयू
61.	हाउबारा बस्टर्ड	क्लेमिडोटिस अनडुलाटा	ओटिडीडे	वीयू
62.	व्हाईट नेप्ड टिट	पारस नचलिस	पेरिडे	वीयू
63.	डेलमिशन पेलिकन	प्लेक्नस क्रिसपस	पेलेकेनिडे	वीयू
64.	स्वाम्प फ्रेकोलिन	फ्रैकोलिनस गुलेरिस	फेसिऐनीडे	वीयू
65.	मणिपुर बुश-क्वेल	पेरडिकुला मनिपुरेंसिस	फेसिऐनीडे	वीयू
66.	चेस्टनट ब्रेस्टिड पैट्रिज	अरब्रोरोफिला मंडेलि	फेसिऐनीडे	वीयू
67.	वेस्टर्न ट्रैगोपन	ट्रेगोपन मेलानोसेफलस	फेसिऐनीडे	वीयू
68.	ब्लाइथस ट्रैगोपन	द्रगोपन ब्लिथी	फेसिऐनीडे	वीयू
69.	स्कालटरस मोनल	लोफोफोरस स्कलेट्री	फेसिऐनीडे	वीयू
70.	चीयर फीजैंट	केटरिस वालिची	फेसिऐनीडे	वीयू

1	2	3	4	5
71.	ग्रेट स्लेटे वुडपेकर	मुलेरिपिक्स फुलवरेलेनटस	पिसीडे	वीयू
72.	येलो वीवर	प्लोसिस मेगारिहनचस	पलोसिडे	वीयू
73.	येलो थ्रोटिड बुलबुल	पिक्नोनोटस एक्नथोलेमस	पीक्नोनोटिडे	वीयू
74.	वुड स्नाईप	गेलिनेगो नेमोरिकोला	स्कोलोपेसिडे	वीयू
75.	ग्रेट नाट	केलिड्रिस टेपुरोस्ट्रिस	स्कोलोपेसिडे	वीयू
76.	ब्यूटीफूल नटहैच	सिता फोरमोसा	सिटीडे	वीयू
77.	बिसल्ड ग्रासबर्ड	चेटीरंसिस स्ट्रियाटा	सिल्वीडे	वीयू
78.	ब्राड टेल्ड ग्रासबर्ड	स्कोएनीकोला प्लेटियूरस	सिल्वीडे	वीयू
79.	मार्श बेब्लर	पेलोरनियम प्लस्टर	टिमालीडे	वीयू
80.	रस्टी-थ्रोटिड रेन बेबलर	स्पेलियोरनिस बडेगुलेरिस	टिमालीडे	वीयू
81.	टानी ब्रेस्टिड रै बेबलर	स्पेलियोरनिस लोगिकाउडेटस	टिमालीडे	वीयू
82.	स्नोई-थ्रोटिड बेबलर	स्टेक्रिस ओगली	टिमालीडे	वीयू
83.	जेरडोंन्स बेबलर	क्रिसोमा अलट्रोस्ट्रे	टिमालीडे	वीयू
84.	सलेंडर बिल्ड बेब्लर	टरडोडडस लोंगिरोस्ट्रिस	टिमालीडे	वीयू
85.	बुगुन लियोसिचला	लियोसिचला बुगुनेरम	टिमालीडे	वीयू
86.	ब्लेक ब्रेस्टिड पेरटबिल	पेराडोथ्सोरनिस फ्लेविरोस्ट्रिस	टिमालीडे	वीय
87	ग्रे-साइडिड थ्रश	टरडस फिया	टूरडिडे	वीयू

विवरण-II

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे :

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	85.91	87.872	127.06	109.50

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	102.02	64.341	71.50	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	193.14	213.197	168.11	00
4.	असम	114.79	186.63	234.17	146.00
5.	बिहार	42.29	19.889	00	64.685
6.	छत्तीसगढ़	851.15	281.966	241.783	348.63
7.	चंडीगढ़	00	12.29	19.98	00
8.	दादरा और नगर हवेली	14.88	00	00	00
9.	गोवा	71.03	32.879	21.458	148.12
10.	गुजरात	426.10	1106.749	1126.589	517.926
11.	हरियाणा	17.22	15.114	28.70	37.60
12.	हिमाचल प्रदेश	265.92	253.80	242.1104	318.9688
13.	जम्मू और कश्मीर	375.397	537.336	445.085	426.077
14.	झारखंड	80.267	63.64	64.2615	81.6195
15.	कर्नाटक	566.71	412.252	335.851	309.5835
16.	केरल	432.48	366.786	941.79	330.36
17.	मध्य प्रदेश	541.98	635.366	506.164	467.707
18.	महाराष्ट्र	273.679	343.32	322.391	353.601
19.	मणिपुर	118.31	88.316	86.65	22.41
20.	मेघालय	59.75	58.03	43.80	00
21.	मिजोरम	186.85	707.763	153.445	00
22.	नागालैंड	34.115	33.595	30.333	25.855
23.	ओडिशा	390.95	315.331	331.2651	368.2084
24.	पंजाब	36.26	25.12	00	00

1	2	3	4	5	6
25.	राजस्थान	496.746	348.068	291.387	413.00
26.	सिक्किम	240.93	183.78	131.793	177.579
27.	तमिलनाडु	518.67	334.449	256.027	237.66
28.	त्रिपुरा	13.00	2.84	00	00
29.	उत्तर प्रदेश	274.45	296.179	204.371	263.78
30.	उत्तराखंड	145.08	134.90	201.144	00
31.	पश्चिम बंगाल	381.318	276.385	246.425	164.135
32.	दमन और दीव	6.05	00	00	00
	कुल	7357.442	7438.183	6873.643	5333.005

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान "हाथी परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	17.85	15.00	00	11.28
अरुणाचल प्रदेश	60.00	10.00	55.00	
असम	160.26	139.55	200.00	250.00
बिहार	00	00	00	
छत्तीसगढ़	111.22	75.00	145.57	48.00
हरियाणा	00	100.00	00	
झारखंड	80.00	80.00	105.87	59.512
कर्नाटक	247.16	300.76	261.83	192.00
केरल	286.70	265.39	282.55	236.00
महाराष्ट्र	49.18	29.00	20.29	16.00

1	2	3	4	5
मणिपुर	00	00	00	
मेघालय	80.483	103.838	128.52	
मिजोरम	00	00	00	
नागालैंड	50.00	41.30	25.00	15.00
ओडिशा	100.00	113.50	214.60	168.00
तमिलनाडु	358.58	226.879	228.49	200.00
त्रिपुरा	14.80	0	6.00	5.77
उत्तर प्रदेश	38.45	80.15	49.30	7.27
उत्तराखंड	221.55	206.82	141.99	125.98
पश्चिम बंगाल	207.06	410.406	224.50	66.455
कुल	2083.293	2197.593	2089.51	1401.267

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान "बाघ परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10 जारी की गई	2010-11 जारी की गई	2011-12 जारी की गई	2012-13 जारी की गई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	138.2540	155.6450	154.406	404.8904
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.7100	226.7020	236.7857	420.0872
3.	असम	194.2900	1509.4720	947.5088	123.608
4.	बिहार	8.8560	158.3550	172.193	247.792
5.	छत्तीसगढ़	1383.5020	1813.7250	702.726	425.5284
6.	झारखंड	117.1386	130.6160	156.3465	82.6878
7.	कर्नाटक	657.0620	1660.0500	1830.65	708.4337

1	2	3	4	5	6
8.	केरल	311.4200	323.4600	429.77	411.868
9	मध्य प्रदेश	2,582.4762	3962.730	5352.71	5357.245
10.	महाराष्ट्र	373.5170	2789.0600	3622.342	513.914
11.	मिजोरम	2171.0000	187.6900	225.288	192.9848
12.	ओडिशा	221.7400	815.2900	555.0761	142.956
13.	राजस्थान	10694.1700	2368.925	67.21	2943.543
14.	तमिलनाडु	258.3540	520.7860	605.964	323.4878
15.	उत्तरांचल	246.2050	339.9450	399.76	89.435
16.	उत्तर प्रदेश	431.5170	407.4600	446.1258	234.508
17.	पश्चिम बंगाल	298.7850	502.4800	157.66	404.916
	कुल	20,152.997	17,872.391	16,062.522	13,027.91

विवरण-III

संरक्षित क्षेत्र और नमभूमि संरक्षण कार्यकम के अंतर्गत पहचानी गई नमभूमि संबंधी विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.सं.	नमभूमि का नाम	जैसी पहचान की गई है
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.	कोल्लेरु	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
2.	असम	2.	दीपार बील	नमभूमि
		3.	उरपद बील	नमभूमि
3.	बिहार	4.	काबर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		5.	बरिल्ला	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		6.	कुशेश्वर स्थान	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
4.	गुजरात	7.	नलसरोवर	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		8.	ग्रेट रन्न ऑफ कच्छ	नमभूमि और राष्ट्रीय उद्यान

1	2	3	4	5
		9.	थोल बर्ड सेंचुरी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		10.	खिजादिया बर्ड सेंचुरी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		11.	लिटिल रन्न ऑफ कच्छ	नमभूमि और राष्ट्रीय अभयारण्य
		12.	पारीज	नमभूमि
		13.	वाधवना	नमभूमि
		14.	नानीकाकराड	नमभूमि
5.	हरियाणा	15.	सुल्तानपुर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		16.	भिंडवास	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
6.	हिमाचल प्रदेश	17.	रेनुका	नमभूमि
		18.	पांग डेम	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		19.	चंद्रतल	नमभूमि
		20.	रेवालसर	नमभूमि
		21.	खज्जीयार	नमभूमि
7.	जम्मू और कश्मीर	22.	वुल्लर	नमभूमि
		23.	सो मोरारी	नमभूमि
		24.	तिसगुल सो एंड चिसुल मारशेज	नमभूमि
		25.	होकरसर	नमभूमि
		26.	मंसर-सुरीनसर	नमभूमि
		27.	रंजीतसागर	नमभूमि
		28.	पांगोंग सर	नमभूमि
8.	झारखंड	29.	उधवा	नमभूमि
		30.	तिलइयाडैम	नमभूमि
9.	कर्नाटक	31.	मग्धी	नमभूमि

1	2	3	4	5
		32.	गुदावी बर्ड सेंचुरी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		33.	बोनल	नमभूमि
		34.	हीदकल एंड घाटप्रभा	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		35.	हिग्गेरी	नमभूमि
		36.	रंगनथीट्टू	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		37.	के.जी. कोप्पा वेटलेंड	नमभूमि
10.	केरल	38.	अष्टामुदी	नमभूमि
		39.	सस्थामकोट्टा	नमभूमि
		40.	कोट्टूली	नमभूमि
		41.	कडुलांदी	नमभूमि
		42.	वेम्बनद कोल	नमभूमि
11.	मध्य प्रदेश	43.	बरना	नमभूमि
		44.	यशवंत सागर	नमभूमि
		45.	वेटलेंड ऑफ केन रीवर	नमभूमि
		46.	नेशनल चम्बल सेंचुरी	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		47.	घाटीगांव	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		48.	रतापानी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		49.	देनवा तवा वैटलैंड	नमभूमि औरबाघ रिजवर्व
		50.	कान्हा टाइगर रिजर्व	नमभूमि और बाघ रिजर्व
		51.	पेंच टाइगर रिजर्व	नमभूमि और बाघ रिजर्व
		52.	सख्यासागर	नमभूमि
		53.	दीहेला	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		54.	गोविंदासागर	नमभूमि

1	2	3	4	5
12.	महाराष्ट्र	55.	उज्जनी	नमभूमि
		56.	जयाकावड़ी	नमभूमि
		57.	नलगंगा वैटलैंड	नमभूमि
		58.	लोकतक	नमभूमि
13.	मणिपुर	59.	तामदिल	नमभूमि
14.	मिजोरम	60.	पलक	नमभूमि
15.	ओडिशा	61.	चिल्का	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		62.	कुआंरिया वैटलैंड	नमभूमि
		63.	कंजिया वैटलैंड	नमभूमि और राष्ट्रीय उद्यान
		64.	दाहा वैटलैंड	नमभूमि
16.	पंजाब	65.	हरिके	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		66.	रोपड़	नमभूमि
		67.	कांजली	नमभूमि
17.	राजस्थान	68.	सांभर	नमभूमि
18.	सिक्किम	69.	खेचुपेड़ी होली लेक	नमभूमि
		70.	तामजे वैटलैंड	नमभूमि
		71.	तेम्बो वैटलैंड काम्पलेक्स	नमभूमि
		72.	फेनडेंग वैटलैंड काम्पलेक्स	नमभूमि
		73.	गुरूदोकमर वैटलैंड	नमभूमि
		74.	सोमगो वैटलैंड	नमभूमि
19.	तमिलनाडु	75.	प्वाइंट कैलीमर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		76.	कलीवेली	नमभूमि
		77.	पल्लाइकरनी	नमभूमि

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	78.	रुद्रसागर	नमभूमि
21.	उत्तर प्रदेश	79.	नवाबगंज	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		80.	सांदी	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		81.	लख बाहोशी	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		82.	समसपुर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		83.	अल्वरा वैटलैंड	नमभूमि
		84.	सेमारई लेक-नगारिया लेक काम्प्लेक्स	नमभूमि
		85.	कीथम लेक	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		86.	शेखा वैटलैंड	नमभूमि
		87.	समन बर्ड सेंचुरी एंड सरसाई नवार कोंम्पलेक्स	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
22.	उत्तरांचल	88.	बन गंगा झिलमिल ताल	नमभूमि
23.	पश्चिम बंगाल	89.	ईस्ट कलकता वैटलैंड	नमभूमि
		90.	सुंदरबंस	नमभूमि और जैव मंडल रिजर्व
		91.	अहीरोन बील	नमभूमि
		92.	रसिक बील	नमभूमि
		93.	संतरागाची	नमभूमि
24.	संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़)	94.	सुखना	नमभूमि

मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संकलित पक्षी अभयारण्यों की सूची

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

क्र. सं.	नाम	जिला	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
1.	बत्तीमालवे	निकोबार	2.23

1	2	3	4
2.	महात्मा गांधी मरीन एनपी	अंडमान	281.5
3.	मेगापोडे	निकोबार	0.12
4.	नारकोंडुम	निकोबार	6.812
5.	नार्थ रीफ	निकोबार	3.484
6.	माउंट हरीत एनपी	अंडमान	46.62
7.	रानी झांसी एनपी	अंडमान	256.14
8.	सैडल पीक एनपी	अंडमान	32.54
9.	लैंडफाल आइसलैंड डब्ल्यू एल एस	अंडमान	29.48
10.	इंटरव्यु आइसलैंड डब्ल्यू एल एस	अंडमान	133.87
11.	साउथ सेंटीनेल सेंचुरी	अंडमान	48.61
12.	तिलांगचौंग डब्ल्यू एल एस	अंडमान	16.83
आंध्र प्रदेश			
1.	कोरिंगा	ईस्ट गोदावरी	235.7
2.	कोल्लेरु	वेस्ट गोदावरी	673.00
3.	मंजीरा	मेडक	20.00
4.	नेल्लापट्टू	नेल्लौर	4.59
5.	पुलीकैट	नेल्लौर	600.00
6.	रोल्लापाडु	कुरनूल/प्रकाशम	614.19
7.	श्री लंकामल्लेश्वरा	कुददपाह	464.42
8.	तेलीनीलापुरम	श्रीकाकुलम	4.6
अरुणाचल प्रदेश			
1.	इगल्स नेस्ट	वेस्ट कमांग	217.00
2.	सीसा आर्चिड सेंचुरी	वेस्ट कमांग	100.00

1	2	3	4
3.	काने डब्ल्यू एल एस	वेस्ट सियांग	55.00
असम			
1.	बरोडेबुम बीलमुख	लक्ष्मीपुर/दीमाजी	11.248
2.	दीपर बील	कामरुप	4.14
3.	पानीदीहिंग	शिवसागर	33.93
4.	भेरजन-बोरजन-पोदुमोनी डब्ल्यू एल एस	तिनसुकिया	7.74
5.	चक्रशिला-डब्ल्यू एल एस	धुबरी और कोकराझार	53.00
बिहार			
1.	बरेला झील पक्षी अभयारण्य		1.95
2.	कन्वर झील	बेगुसराय	63.11
3.	नागी बांध	मुंगेर	1.91
4.	नकटी बांध	मुंगेर	3.32
5.	उदयपुर	चम्पारन	8.87
6.	विक्रमशिला	भागलपुर	0.5
चंडीगढ़			
1.	चंडीगढ़ सिटी बर्ड	चंडीगढ़	0.029
गोवा			
1.	चोराओ (डॉ सलिम अली)	गोवा	1.78
गुजरात			
1.	गागा (जीआईबी)	जामनगर	3.33
2.	खिजाड़िया	जामनगर	6.05
3.	कच्छ बस्टर्ड	कच्छ	2.03
4.	मरीन एनपी	जामनगर	162.89

1	2	3	4
5.	मेरीन डब्ल्यूएलएस	जामनगर	457.93
6.	नलसरोवर	अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर	120.82
7.	रतनमहल	पंच-महल	55.65
8.	थोल	मेहसाना	6.99
9.	वेलवादर ब्लैक बक अभ्यारण्य	भावनगर	34.08
10.	लाला बस्टर्ड डब्ल्यूएलएस	कच्छ	500.00
हरियाणा			
1.	भिंडवास	रोहतक	4.12
2.	सुल्तानपुर	गुड़गांव	1.43
हिमाचल			
1.	बांदली	मंडी	41.32
2.	पोंग डेम लेक	कांगड़ा	307.29
3.	रेणुका	सिरमौर	4.02
4.	चुरधार डब्ल्यूएलएस	सिरमौर	56.15
5.	गोबिंद सागर	बिलासपुर	223.34
जम्मू और कश्मीर			
1.	बलतल (थाजवास)	श्रीनगर	203.00
2.	होकरसर	अनंतनाग	10.00
3.	ओवरा-अरु	अनंतनाग	32.00
4.	सुरीनगर मानसर	जम्मू	39.13
झारखंड			
1.	उधवा	साहबगंज	5.65
कर्नाटक			
1.	अडीचुनचुनागिरी	मंडी	0.84

1	2	3	4
2.	अरबिथिट्टू	मैसूर	13.5
3.	अतीवेरी	उत्तर कनाडा और धारवाड	2.226
4.	घटाप्रभा	बेलगम	29.78
5.	गुदावी	शिमोगा	0.73
6.	रनेबेनूर	धारवाड	119
7.	रंगानथिटू	मैसूर	0.67
8.	तालकवेरी	कोडगू	105.59
केरल			
1.	थटक्कड	इदुकी	25.16
2.	चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य	त्रिशुर	90.00
3.	चुलननूर मोर अभयारण्य		
मध्य प्रदेश			
1.	गांधी सागर	मंदसौर	368.62
2.	घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	ग्वालियर	512.33
3.	करेरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	शिवपुरी	202.21
4.	केन घड़ियाल	पन्ना छतरपुर	45.2
महाराष्ट्र			
1.	ग्रेट इंडियन बस्टार्ड (ननग)	सोलापुर/अहमदनगर	8496.44
2.	करनाला	राजगढ़	4.48
3.	कोयना	सतारा	423.55
4.	नईगांव मयूर डब्ल्यूएलएस		29.89
मणिपुर			
1.	कीबुल लम्जो	इम्फाल/बिशनपुर	40

1	2	3	4
ओडिशा			
1.	चिल्का (नालबन)	पुरी	15.53
2.	भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य	केन्द्रपाड़ा	672.00
3.	भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क	केन्द्रपाड़ा	145.00
4.	गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी	केन्द्रपाड़ा	1,435.00
पंजाब			
1.	हरिके झील	फिरोजपुर	86
राजस्थान			
1.	डेजर्ट नेशनल पार्क	जैसलमेर	3162
2.	केवलादेव राष्ट्रीय पार्क	भरतपुर	28.73
3.	जवाहर सागर	कोटा	153.41
तमिलनाडु			
1.	चितरांगुडी	रामानथपुरम	0.47
2.	गल्फ आफ मन्नार मेरीन	तूतीकोरिन एंड रामनाथपुर	6.23
3.	कांजीरंकुलम	चेंगई अन्ना	1.04
4.	करीकिली	चेंगलपट्टू	0.61
5.	कूनठंकुलम/कंदनकुलम पक्षी	तिरूनेलवेली	1.29
6.	मेलासनूवंनूर- किलासेल्वनूर पक्षी	रामनाथपुरम	5.93
7.	प्वाइंट केलीमर	नागापट्टीनम	17.26
8.	पुलीकट पक्षी	तिरूवेल्लौर	153.67
9.	उदयमारथंडपुरम पक्षी बी326	तिरूवरूर	0.45
10.	वदूवर	तिरूवरूर	1.28
11.	वेदनथंगल पक्षी	चेंगलपट्टू	0.3

1	2	3	4
12.	वेल्लोद पक्षी डब्ल्यूएलएस	इरोड	0.77
13.	वेतंगुडी	शिवगंगा	0.38
उत्तर प्रदेश			
1.	बखीरा	बस्ती	29
2.	लाख बहोसी	फर्रुखाबाद	80
3.	नवाबगंज	उन्नाव	2
4.	ओखला	गाजियाबाद	4
5.	पार्वतीअरगा	गोंडा	10.84
6.	पटना	एटा	1.09
7.	समन	मैनपुरी	5
8.	समसपुर	राय बरेली	8
9.	सांडी	गारदीउ	3
10.	सुराहतल	बलिया	0.32
11.	सूरसरोवर	आगरा	4.03
12.	विजय सागर	हमीरपुर	2.62
पश्चिम बंगाल			
1.	हैलीडे	24-परगना	5.95
2.	लोथियान आइसलैंड	24-परगना	38
3.	नरेन्द्रपुर	24-परगना	0.1
4.	रायगंज	वेस्ट दीनापुर	1.3
5.	सजनाखली	24-परगना	362.4
		कुल	23720.699

[अनुवाद]

हस्तशिल्प क्षेत्र

2648. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री निशिकांत दुबे :
श्रीमती कैसर जहां :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या शिल्पकारों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापार कल्याण योजना सरकार ने लागू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने शिल्पकार लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या शिल्पकारों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए दावों के निपटान संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण समिति बनायी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वस्त्र उद्योगों में हाथ से बुने वस्त्रों का विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार अंश कितना है तथा उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं, महोदया। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में हस्तशिल्प उत्पादों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार से है:—

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपए)
1.	2009-10	14531.54
2.	2010-11	17556.60
3.	2011-12	21625.41
4.	2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	13561.76

(ग) और (घ) जी, हां। महोदया, हस्तशिप कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम के अंतर्गत, सरकार कारीगर परिवारों को स्वास्थ्य और बीमा कवर मुहैया कराने के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वाथ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) क्रियान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम से लाभान्वित कारीगरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां, महोदया। सभी राज्यों में शिकायत निवारण समितियां गठित कर दी गई है जिसकी अध्यक्षता बीमा कम्पनियों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसका विधिवत प्रतिनिधित्व विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अधिकारी और बीमा कम्पनियों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

(छ) हस्तशिल्प क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र होने के कारण हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा वस्त्र उत्पादन के साथ-साथ पावरलूम और मिल क्षेत्र का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

(मिलियन वर्ग मीटर)

वर्ष	हथकरघा	पावनलूम	मिल क्षेत्र	कुल	हथकरघा उत्पादन (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
2009-10	6806	36997	2016	45819	14.85

1	2	3	4	5	6
2010-11	6907	38015	2205	47127	14.66
2011-12 (अनंतिम)	6900	37387	2313	46600	14.81

हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्लान स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है:—

(i) एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम।

(ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम।

(iii) विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम।

(iv) मिल गेट प्राइज़ स्कीम।

(v) बहुविध हथकरघा विकास स्कीम।

सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:—

(i) हथकरघा क्षेत्र की रोधित क्रेडिट लाइंस को निर्बाध करने के लिए सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए ऋण माफ करने हेतु एक वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है। इसमें 31 मार्च, 2010 को पात्र हथकरघा सहकारी समितियों और वैयक्तिक बुनकरों के विलंबित ऋणों और ब्याज की एक बारगी छूट भी शामिल है।

(ii) हथकरघा बुनकरों को इमदादी ऋण तक सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने बुनकर क्रेडिट कार्ड अनुमोदित किए हैं और 4200/- रुपये प्रति बुनकर की दर से मार्जिन मनी सहायता, ब्याज में 3% की छूट और ऐसे ऋणों को सीजीटीएमएसई द्वारा क्रेडिट गारंटी मुहैया करा रही है।

(iii) पावरलूम एवं मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से हथकरघा बुनकरों को सस्ते तागे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों को सूती एवं रेशमी तागा 10% की छूट पर मुहैया करा रही है।

विवरण

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कारीगर

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 अक्तूबर 2012 तक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	56200		48588	2188
अरुणाचल प्रदेश	4330	25	3613	1414
असम	135670	7110	158560	29659
बिहार	14800		2579	456
छत्तीसगढ़	6800		5690	150
दिल्ली	4854	2418	4352	1814

1	2	3	4	5
गुजरात	22683		10181	540
गोवा	1050		1451	197
हरियाणा	10100	2550	10057	4842
हिमाचल प्रदेश	3087	941	3487	2100
जम्मू और कश्मीर	44162	3589	31986	11501
झारखंड	11700	1842	10016	5610
कर्नाटक	13300		11686	2734
केरल	22500		31904	2044
मध्य प्रदेश	18198		8351	1363
महाराष्ट्र	8948		7317	395
मणिपुर	22922	1025	10448	1922
मेघालय	4746	251	4253	1333
मिजोरम	1115	0	300	401
नागालैंड	4850	150	6181	5061
ओडिशा	35002		21593	1592
पंजाब	18000	2810	18235	6587
राजस्थान	30207		7699	1758
सिक्किम	1066	0	1197	197
तमिलनाडु/अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह/पुदुचेरी	29400		28989	907
त्रिपुरा	21500	4633	48314	10005
उत्तर प्रदेश	175855		126087	34385
उत्तराखंड	17600	4358	15061	11000
पश्चिम बंगाल	61869	4337	92819	31684
कुल	802514	36039	730994	173838

[हिन्दी]

जलदस्युता

2649. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्रीमती अन्नू टंडन :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई क्षेत्र में बड़े समुद्रों एवं मध्य समुद्रों में डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सोमालियाई जल दस्युओं के कब्जों में नाविकों ने अपनी रिहाई के लिए सरकार की मदद के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है तथा भारत एवं उसके सहयोगी देशों के सुरक्षा के कितने पोत हैं;

(ङ) क्या भारत-अफ्रीका मंच का शिखर सम्मेलन 2011 में अफ्रीका देशों के साथ भारत की घोषणा के बाद इस संबंध में कोई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोमालियाई समुद्री दस्युओं की कैद में बंद नाविकों से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, बंधकों के पारिवारिक सदस्यों से उनकी रिहाई के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) विभिन्न कदम उठाए गए हैं, नामत: व्यापक जल दस्युता विरोधी उपास करना, अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा नौसैनिक मार्ग रक्षण प्रदान करना, भारतीय ईईजैड में भारतीय नौसेना द्वारा संवर्धित चौकसी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इस मुद्दे पर बैठकों में भारत की सक्रिय भागीदारी और भारतीय ध्वज वाहक व्यापारिक जहाजों में सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती की अनुमति हेतु दिशानिर्देश जारी करना। सरकार ने अक्तूबर 2008 से जलदस्युता गश्त हेतु अदन की खाड़ी में एक भारतीय नौसैनिक युद्धपोत की तैनाती भी की है तथा 2254 से अधिक व्यापारिक जहाजों को मार्ग रक्षण प्रदान किया गया है।

(ङ) और (च) भारत-अफ्रीका मंच ने जल दस्युता से नौ परिवहन को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी प्रयासों में भारत की सहायता का स्वागत किया है तथा जल दस्युता की बुराई को समाप्त करने के हेतु, सभी देशों से सहयोग करने का आहवान किया है। सभी संबंधित देश जल दस्युता को समाप्त करने के प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं।

श्रीलंकाई सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण

2650. श्री पी. लिंगम :
श्री प्रबोध पांडा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के सैन्य कर्मियों को भारत में भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे के संबंध में देश में विरोध किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन विरोधों के मद्देनजर सरकार इन प्रशिक्षणों को जारी न रखने पर विचार कर रही है; और

(च) यद्रि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) भारत और श्रीलंका सहित विभिन्न पड़ोसी देशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बीच प्रशिक्षण आदान-प्रदान आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर, देश के विभिन्न राज्यों में, जहां रक्षा शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अवस्थित हैं, श्रीलंका सहित दूसरे देशों के सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी विधाओं में अल्पावधिक और दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) से (च) सरकार राष्ट्रीय हित में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक नीति का अनुसरण कर रही है।

[अनुवाद]

ठेका/नैमित्तिक मजदूर

2651. श्री एल. राजगोपाल :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य निजी/सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न संगठन मजदूरों को नियमित आधार पर रोजगार देने के बजाय ठेका मजदूरों को काम दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र उद्यमों, संस्थानों तथा सरकारी अनुदानित निकायों में नियमित या ठेके आधार पर लगे मजदूरों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में ऐसे मजदूरों/कामगारों को अनुदान, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) कोई भी प्रतिष्ठान अपनी आवश्यकता तथा कार्य की प्रकृति के अनुसार ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा निषिद्ध नहीं किए गए किसी जॉब अथवा प्रक्रिया में कामगारों को ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कर सकता है। इस संबंध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) ठेका कामगारों के सामाजिक सुरक्षा पहलू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं बशर्ते कि प्रतिष्ठान जिनमें ठेका कामगार कार्यरत हैं, उक्त अधिनियमों के अंतर्गत शामिल हों।

सड़क निर्माण परियोजनाएं

2652. श्री प्रेमदास राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एवं म्यांमार को जोड़ने वाली सीमा सड़क संगठन की कई परियोजनाओं पर काम जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के प्रति जारी राशि तथा उनके निर्माण की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके निर्माण में कोई देरी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली केवल एक सड़क संबंधी कार्य/परियोजना (नामतः तामू-कियांग-कलेवा और कियांग-कलेस्यो सड़क पर परत चढ़ाने) सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित की जा रही है।

(ख) यह कार्य तामू-कियांग-कलेवा और कियांग-कलेम्यो सड़क की कुल 159.38 कि.मी. लम्बाई और पुनः परत चढ़ाने से संबंधित है।

(ग) इस सड़क के निर्माण के लिए 1998 में 121.35 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए थे तथा तत्पश्चात् अनुरक्षण और पुनः परत चढ़ाने संबंधी कार्य हेतु 62.05 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं। सड़क का निर्माण कार्य 2001 में पूरा हुआ था। सड़क की कुल 159.38 कि.मी. की लम्बाई में से 131.85 कि.मी. की लम्बाई तक पुनः परत चढ़ाने का कार्य पूरा हो चुका है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ठेकेदार एवं कामगार

2653. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए ठेकेदारों एवं कामगारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अर्हता दशाओं में कोई छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) सरकार ने गैर प्रतिक्रिया निविदाओं के मामले में ठेकेदारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पात्रता शर्तों जैसे अर्हता मानदंड, उपस्कर क्षमता और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गैर-यांत्रिकी कार्य के लिए उप-ठेकेदारी में छूट देने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

बोइंग से खरीद

2654. श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना अमेरिका की बोइंग कंपनी से **चिनूक** सी.एच.-47 एफ भारी वाहक हेलीकॉप्टरों तथा ए.एच.-64डी. **ब्लॉक**-iii अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हेलीकॉप्टरों की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या विदेश से उपस्कर की खरीद के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा यथानिर्धारित निविदा की समुचित प्रक्रिया का पालन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) जी, हां। 15 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों और 22 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए दो अलग-अलग प्रस्तावों में चिनूक सी.एच.-47 एफ(I) तथा 'अपाचे' एएच-64डी हेलीकॉप्टर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का मैसर्स बोइंग, एल-I विक्रेता के रूप में सामने आया है। 15 हैवी लिफ्ट हैलीकॉप्टरों तथा 22 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता हेतु स्वीकार्यता लागत क्रमशः 2468.41 करोड़ तथा 3094.98 करोड़ रुपये है। तथापि संविदा का मूल्य एल-I विक्रेता के साथ संविदा वार्ता के निष्कर्ष पर आधारित होगा।

(घ) और (ङ) सभी पूंजीगत अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और लोक दायित्व के उच्च मानदंडों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करती हैं।

[हिन्दी]

बाघ अभयारण्यों के समीप रिसोर्ट्स का बनाया जाना

2655. श्री तूफानी सरोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी है तथा ये अभयारण्य किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) बाघ अभयारण्यों से कितनी दूरी पर रिसोर्ट्स बनाने की अनुमति दी जाती है;

(ग) कॉर्बेट, राजाजी एवं अन्य अभयारण्यों के समीपवर्ती क्षेत्रों तथा नदी के पास चल रहे क्षेत्रों में दर्जनों रिसोर्ट्स चलाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या अविधिवत बने रिसोर्ट्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) देश के भीतर 17 राज्यों में 41 बाघ रिजर्व स्थित हैं। बाघ रिजर्वों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) बाघ रिजर्व के कोर/अत्यधिक संवेदनशील बाघ पर्यावास के अंदर रिजॉर्टस के निर्माण की अनुमति नहीं है। तथापि, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ण (1) (ग) के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी 'बाघ संरक्षण और पर्यटन हेतु व्यापक दिशा निर्देश' के अनुसार, कोर/अत्यधिक संवेदनशील बाघ पर्यावास के भीतर सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति/मंजूरी से रिजॉर्टस के निर्माण की अनुमति है। राज्य सरकारों द्वारा अवैध निर्माण, यदि कोई हो तो, के विरुद्ध कार्रवाई करना अनिवार्य है।

विवरण

भारत में बाघ रिजर्वो की सूची

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य
1	2	3
1.	बांदीपुर	कर्नाटक
2.	कार्बेट	उत्तराखंड
3	कान्हा	मध्य प्रदेश
4.	मानस	असम
5.	मेलघाट	महाराष्ट्र
6.	पलामू	झारखंड
7.	रणथम्भौर	राजस्थान
8.	सिम्लीपाल	ओडिशा
9.	सुंदरवन	पश्चिम बंगाल
10.	पेरियार	केरल
11.	सरिस्का	राजस्थान
12.	बक्सा	पश्चिम बंगाल
13.	इंदरावती	छत्तीसगढ़
14.	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश
15.	नामदफा	अरुणाचल प्रदेश
16.	दुधवा	उत्तर प्रदेश
17.	कलाकद-मुंदंथुरई	तमिलनाडु
18.	वाल्मीकि	बिहार
19.	पेंच	मध्य प्रदेश
20.	ताडोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
21.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश
23.	दम्पा	मिजोरम
24.	भद्रा	कर्नाटक
25.	पेच	महाराष्ट्र
26.	पक्के	अरुणाचल प्रदेश
27.	नामेरी	असम
28.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
29.	अन्नामलई	तमिलनाडु
30.	उदन्ती-सितानदी	छत्तीसगढ़
31.	सतकोसिया	ओडिशा
32.	काजीरंगा	असम
33.	अचानकमार	छत्तीसगढ़
34.	डंडेली-अंशी	कर्नाटक
35.	संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश
36.	मुदुमलई	तमिलनाडु
37.	नागरहोल	कर्नाटक
38.	परबीकुलम	केरल
39.	सह्यद्री	महाराष्ट्र
40.	बिलिगिरी रणगांथा टेम्पल	कर्नाटक
41.	केवल	आंध्र प्रदेश

[अनुवाद]

औद्योगिक कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा

2656. **श्री रमा देवी :**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

श्री जोसेफ टोप्पो :

श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ईंट उद्योग और चाय बागानों में काम करने वाले कामगारों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे सभी कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) उत्पादन तथा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना मुहैया कराने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) औद्योगिक प्रतिष्ठान, ईंट उद्योग तथा चाय बागानों में कार्य कर रहे कामगारों से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) औद्योगिक प्रतिष्ठान, ईंट उद्योग तथा चाय बागान, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची-i में शामिल किए गए हैं और इसलिए ये इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। भविष्य निधि, पेंशन तथा जमा सहबद्ध बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार उन सभी कामगारों तक किया गया है जो शामिल किए गए प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं तथा सदस्यों के रूप में नामांकित हैं।

यद्यपि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू है, इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्रियान्वयन वाले क्षेत्र में अवस्थित ईंट उद्योगों पर पहले ही विस्तारित कर दिया गया है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के लाभों का विस्तार चाय बागानों के बागान कामगारों तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 प्रत्येक कारखाने, खान, तेल, क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कम्पनी, दुकान अथवा अन्य प्रतिष्ठान जहां दास अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हों, के सभी कर्मचारियों पर लागू है और यह केन्द्र तथा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं है जो किसी अन्य अधिनियम अथवा उपदान संदाय के लिए बनाए गए अन्य किसी नियम द्वारा शासित होते हैं।

ठेके के कामगारों की छंटनी

2657. **शेख सैदुल हक : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सहित विभिन्न इस्पात संयंत्रों में काफी संख्या में ठेके के कामगारों की छंटनी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ठेके के एवं अनुभवी कुशल कामगारों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति अपनायी जा रही है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सहित सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अस्थाई, आंतरायिक/मौसमी प्रकृति के कार्यों को करने के लिए और परियोजनाओं और मौजूदा विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यों को करने के लिए भी कार्य ठेके संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार निविदा प्रणाली के जरिए ठेकेदारों को दिए जाते हैं। ठेकेदार आवश्यकतानुसार ठेकागत श्रमिकों की नियुक्ति करते हैं और ठेकेदार और ठेकागत कामगारों के बीच शर्तों और अनुदेशों का निर्धारण ठेका/नियुक्ति की वास्तविक अवधि के लिए किया जाता है। प्रमुख नियोक्ता के रूप में सेल के संयंत्र सभी सांविधिक प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने कार्यदक्ष और अनुभवी ठेकागत कामगारों को एक चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, ठेकागत श्रम से संबंधित सभी मुद्दों का निपटान ठेकागत श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस

अधिनियम के अंतर्गत ठेकागत श्रमिकों को नियमित करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

काम कर रहे विदेशी नागरिक

2658. **श्री अनंत कुमार :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कुशल एवं अकुशल श्रम करने वाले विदेशी नागरिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में उन्हें किन कारणों से रोजगार की अनुमति दी गयी; और

(ग) भारत में उनके प्रवास के दौरान उनके द्वारा कुल कितने श्रम दिवस सृजित किए गए और इन विदेशी नागरिकों को पारिश्रमिक के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रोजगार प्रयोजनों के लिए देश में कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रम के प्रवेश का विनियमन करने के लिए 8 सितम्बर, 2009 और 22 दिसंबर, 2009 को दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों पर विचार किया गया और गृह मंत्रालय ने देश में कुशल कार्मिकों/कामगारों के प्रवेश का विनियमन करने के लिए रोजगार वीजा के मुद्दे पर अपने मैनुअल में दिशानिर्देशों का प्रयोजन उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश में कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे विदेशी नागरिकों की संख्या, उनके द्वारा सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या या उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक का रखरखाव नहीं करता।

जैव-विविधता का प्रबंधन

2659. **श्री तकाम संजय :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस राज्य एवं क्षेत्र में जैव विविधता मानचित्रण संबंधी सूचना क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में जैव विविधता के संबंध में अनुसंधान करने हेतु कोई धनराशि मुहैया करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जैव विविधता मुद्दे के प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जैवविविधता मानचित्रण सहित जैवविविधता के संरक्षण हेतु अनेक उपाए किए हैं। अन्य बातों के साथ, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा क्रमशः पूर्वोत्तर राज्यों के पौधों एवं जीव विविधता का प्रलेखन।
- 1000 प्रजातियों से अधिक की संख्या की स्थिति उपलब्ध कराने सहित जैव संसाधनों का व्यापक अध्ययन करने के क्रम में जैव प्रौद्योगिक विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत के भागों में सैटेलाइट रिमोट सेन्सिग का उपयोग करते हुए भू-परिदृश्य स्तर पर जैव विविधता लक्षण-वर्णन।
- राज्य जैवविविधता बोर्डों और राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा लोगों के जैवविविधता रजिस्टरों के रूप में जैव-संसाधनों तथा संबद्ध पारम्परिक ज्ञान का प्रलेखन।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से जैव संसाधनों के विकास एवं सतत उपयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2001 में इम्फाल, मणिपुर में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान की स्थापना करना।
- क्षेत्र में क्रियान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से समन्वयन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी

विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रबंधन सेल की स्थापना करना।

– आंध्र प्रदेश और इस क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों के वन्य खाद्य, सुगंधित एवं औषधीय पौधों का अनुसंधान, विकास, प्रलेखन, संरक्षण।

– अरुणाचल प्रदेश में संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु स्थानित एवं दुर्लभ औषधीय पौधों की विविधता टेक्सोनॉमी और संख्या स्थिति संबंधी अध्ययन।

– अरुणाचल प्रदेश में एग्रो-हॉर्टीकल्चर और औषधियों के लिए विकासात्मक योजना तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

– भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और फीटो केमिकल एंड मोलेक्यूलर तकनीक का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में औषधीय तथा सुगंधित पौधों का योजना प्रबंधन एवं विश्लेषण।

– रिमोट सेसिंग एंड जीआईएस तकनीक का प्रयोग करते हुए सतत विकास हेतु अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित कृषि क्षेत्रों की मानचित्रण तथा निगरानी अरुणाचल प्रदेश सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्टेट रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेंटर।

– नागालैंड के स्थानिक और विलुप्त प्राय प्रजातियों को जीआईएस जैवविविधता एंड वेजीटेशन मेपिंग एसेसमेंट।

– नॉर्थ इस्टर्न रिजन कम्युनिटी रिसॉर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (एनईआरसीओआरएमपी) जैवविविधता संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी घटक सहित नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट (आईएफएडी) की एक संयुक्त परियोजना है जो तीन पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर और मेघालय में कार्य कर रही है।

– बसिस्था बाहिनी वाटर शेड, गुवाहाटी, असम का जैवविविधता संरक्षण।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसंधान करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों (2009-10, 2009-11 एवं 2011-12) और वर्तमान वर्ष के लिए पर्यावरण संबंधी अनुसंधान करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2009-10 में जारी की गई धनराशि	2010-11 में जारी की गई धनराशि	2011-12 में जारी की गई धनराशि	2012-13 में जारी की गई धनराशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	6,28,400/-	23,61,800/-	18,92,200/-	3,32,512/-
2.	असम	13,91,146/-	10,99,460/-	5,71,868/-	3,08,690/-
3.	मणिपुर	3,85,560/-	7,51,400/-	16,37,700/-	—
4.	मेघालय	-	20,02,800/-	24,07,280/-	9,31,200/-
5.	मिजोरम	4,98,753/-	6,93,872/-	3,25,298/-	2,32,650/-
6-	नागालैंड	3,05,000/-	6,61,540/-	3,19,000/-	5,60,000/-
7.	त्रिपुरा	4,35,000/-	-	-	22,117/-

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए गए पूर्वोत्तर राज्यों में जैवविविधता से संबंधित चालू अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

परियोजना का नाम	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	अनुमोदित लागत	वर्ष 2009-10 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गई राशि
अरुणाचल प्रदेश और इस क्षेत्र के पड़ोसी राज्य के वन्य खाद्य, सुगंधित और औषधीय पौधों का अनुसंधान, विकास, प्रलेखन, संरक्षण	वानिकी विभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) निरजुली, अरुणाचल प्रदेश	24.12	—	10.00 पहली किस्त	—
अरुणाचल प्रदेश में संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु स्थानिक एवं दुर्लभ औषधीय पौधों की विविधता, टेक्सोनॉमी व संख्या स्थिति संबंधी अध्ययन	वानिकी विभाग, एनईआरआईएसटी निरजुली, अरुणाचल प्रदेश (एनईआरआईएसटी)	26.5	—	10.00 पहली किस्त	10.00 पहली किस्त
अरुणाचल प्रदेश में जीआईएस और फीटो केमिकल एंड मोलेक्यूर तकनीक का प्रयोग करते हुए औषधीय और पौधों का योजना प्रबंधन और विश्लेषण	वानिकी विभाग, एनईआरआईएसटी निरजुली, अरुणाचल प्रदेश	212	—	—	37.97 पहली किस्त
अरुणाचल प्रदेश में जीआईएस और फीटो केमिकल एंड मोलेक्यूर तकनीक का प्रयोग करते हुए औषधीय और पौधों का योजना प्रबंधन और विश्लेषण	वन एवं पर्यावरण विभाग, नागालैंड सरकार	345.59	94.41 पहली किस्त	100.00 पहली किस्त	100.00 पहली किस्त
बसिस्था, बहिनी वाटरशेड, गुवाहाटी, असम का जैवविविधता संरक्षण	मृदा संरक्षण विभाग, असम सरकार	496.76	40.00	100.00	—

(घ) सरकार ने जैवविविधता के प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:–

— जैवविविधता अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, स्थानीय निकायों को जैवविविधताओं के संरक्षण, सतत प्रयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके क्षेत्रों के भीतर जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) गठित करना अपेक्षित है। पूर्वोत्तर राज्यों में गठित बीएमसी की संख्या इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश में 20, असम में 31 मणिपुर में 40, मिजोरम में 234, त्रिपुरा में 68, नागालैंड में 10 और सिक्किम में 4 हैं।

— जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2009 में मेघालय में नार्थ इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग में रुरल बायो-रिसॉर्स कम्पलैक्स (आरबीसी) स्थापित किया है जिसे एनईएचयू और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), बड़ापानी द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर पूर्व में आरबीसी के उद्देश्यों में से एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंगीकरण हेतु किसानों की दक्षता को उन्नयन करना है। अब तक किसानों के लिए हल्दी एवं आर्चिड की कृषि, चावल जर्म प्लाज्म संरक्षण, हल्दी तथा अदरक के एग्रो-प्रोसेसिंग संबंधी प्रशिक्षण और अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

— एनईसी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत, परियोजना ग्रामों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूहों और स्वयं सेवा समूहों की स्थापना की गई है। समूह/समुदाय इस परियोजना क्षेत्र में परियोजना के लाभार्थी के साथ-साथ समर्थन एवं विकासात्मक निकाय भी है। अतः, जैवविविधता संरक्षण/पर्यावरणीय सुरक्षा गतिविधियों के अंतर्गत पहलों को परियोजना-दल द्वारा सुकर बनाया जाता है और इस परियोजना के समुदायों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रबंधन किया जाता है।

कुक्कुट उत्पादों का निर्यात

2660. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
प्रो. सौगत राय :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कतिपय भागों में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से भारत से होने वाले कुक्कुट उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत से होने वाले कुक्कुट उत्पादों के आयात पर रोक लगायी है;

(ग) इन कुक्कुट उत्पादों के निर्यात में गिरावट के परिणामस्वरूप हुई राजस्व हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन देशों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है जिन्होंने कुक्कुट उत्पादों के आयात पर रोक लगायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में तथा कुक्कुट और डेयरी उत्पादों के निर्यात हेतु सहायता मुहैया कराने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी हां। व्यापार एवं भारतीय दूतावासों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, इराक, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों ने बर्ड फ्लू के कारण भारत से कुक्कुट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है।

(ग) प्रतिबंध के दौरान इन देशों कुक्कुट उत्पादों के आयात न होने के कारण हुई हानि के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया निर्यात निम्नानुसार है:—

मूल्यः करोड़ रुपए
मात्राः मि.टन

वस्तु	2009-10		2010-2011		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुक्कुट उत्पाद	10,16,783.10	372.12	5,16,753.83	314.27	6,24,165.64	457.81

स्रोतः एपीडा

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार ने प्रतिबंध हटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के अनुरोध के साथ विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ मामले को उठाया है।

(च) सीपीडीओ, हेस्सरी हटटा, बंगलौर में हाल ही में बर्ड-फ्ल्यू होने की सूचना थी। कार्य योजना के अनुसार तुरंत नियंत्रण एवं निरोध कार्य किये गए थे और रोग नियंत्रित किया गया था। राज्य में कार्योत्तर निगरानी योजना (पीओएसपी) कार्य प्रगति पर है, जो कार्य योजना के अनुसार तीन महीने के लिए जारी रहेगी। इसके अलावा राज्य को बर्ड-फ्ल्यू की रोकथाम के लिए कुक्कुट शालाओं में लगातार निगरानी और सख्त चौकसी बनाए रखने के लिए सचेत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

एचडीसी में काम रुकना

2661. श्री बिभू प्रसाद तराई : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) में गतिरोध की वजह से डॉक परिसर में लदाई और उतराई का कार्य पूर्णतः रुक गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी के उच्च अधिकारियों का अपहरण किया गया , उन्हें पीटा गया और उन्हें धमकी दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस गतिरोध को दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) : (क) और (ख) जी, नहीं। हल्दिया गोदी परिसर में 14 घाटों में से, 12 घाटों में सामान्य कामकाज चल रहा है। घाट 2 और 8 में इन घाटों में कार्गो संभलाई करने वाले ठेकेदार, हल्दिया बल्क टर्मिनल (एच बी टी) द्वारा 275 कामगारों की छंटनी करने और बाद में इस ठेकेदार द्वारा एकपक्षीय रूप से ठेका समाप्त करने के कारण हुई कामगारों की हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित हुआ है।

(ग) से (ङ) पत्तन क्षेत्र से 7 कि.मी. दूर हल्दिया टाऊनशिप की सीमा के बाहर तथाकथित धमका कर ले जाने/अपहरण किए जाने की सूचना मिली है। इस संबंध में हल्दिया पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति दिनांक 28.12.2012 को कोलकाता पत्तन न्यास को मिली थी, जिसे उसी दिन पुलिस अधीक्षक, पूरबा के दिनीपुर, को भेज दिया गया था।

कोलकाता पत्तन ने घाट 2 और 8 से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कानूनी कार्रवाई सहित सभी प्रयास किए थे। फिर भी, ठेकेदार द्वारा ठेके को एकतरफा समाप्त करने के बाद पत्तन ने इन दोनों घाटों में कार्गो संभालने के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया आरंभ की है।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र हेतु कल्याण निधियां

2662. श्री दारा सिंह चौहान : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु किसी संविधि या अन्य के अंतर्गत कोई कल्याण निधियां बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी निधियों की स्थापना की तिथि से इनके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जी हां। बीड़ी/सिने/लौह अयस्क खानों/मैंगनीज अयस्क खानों/क्रोम अयस्क खानों/चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खानों/अभ्रक खानों में नियोजित कामगारों के लिए पांच कल्याण निधियों की स्थापना की गई है।

(ख) निम्नलिखित कल्याण निधियों की स्थापना संसद के निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत की गई है;

(1) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972;

(2) चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976

(3) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976;

(4) बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976; और

(5) बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; और

(ग) श्रमिक कल्याण की विभिन्न कल्याण निधियों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में बजट के उपयोग संबंधी उपलब्ध आंकड़ों का क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(हजार रुपए)

वित्त वर्ष 2007-08

*निधि का नाम	मुख्यालय	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलुरु	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बीड़ी	800746	52560	72458	307695	95684	520713	104357	57712	203142	115251	2330318
एलएसडीएम	558	34368	4581	3422	6722	6383	17407	3376	2109	2362	81288
आईओएमसी	241	0	0	13051	24109	1535	14840	9544	0	7267	70587
एमआईसीए	0	2595	0	0	0	2924	0	6577	0	0	12096
सिने	0	102	0	2373	260	2876	0	0	1515	2465	9591
कुल	801545	89625	77039	326541	126775	534431	136604	77209	206766	127345	2503880
वित्त वर्ष 2008-09											
बीड़ी	649972	56695	71173	408908	96946	397372	125417	70732	299188	105232	2281635
एलएसडीएम	885	40415	5769	4486	9865	9980	19970	4193	3370	2375	101308
आईओएमसी	282	0	0	12080	51890	1555	20761	14457	0	8338	109363
एमआईसीए	0	3001	0	0	0	5780	0	9867	0	0	18648
सिने	264	105	0	1976	222	3946	0	0	2956	3007	12476
कुल	651403	100216	76942	427450	158923	418633	166148	99249	305514	118952	2523430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वित्त वर्ष 2009-10											
बीड़ी	596844	64190	79440	460301	95695	496318	120414	91941	486686	119027	2610856
एलएसडीएम	988	46357	7649	5671	11876	13749	28622	4919	3613	2767	126211
आईओएमसी	761	0	0	14989	63570	2365	24455	18110	0	9485	133735
एमआईसीए	0	3510	0	0	0	4846	0	11760	0	0	20116
सिने	132	104	0	3068	359	4889	0	0	3732	5922	18206
कुल	598725	114161	87089	484029	171500	522167	173491	126730	494031	137201	2909124
वित्त वर्ष 2010-11											
बीड़ी	470992	65507	91854	408601	88288	460559	127836	85097	412645	112214	2323593
एलएसडीएम	1125	43128	6461	5683	10089	14964	26700	3609	3695	3004	118458
आईओएमसी	631	0	0	13847	60096	2618	18121	14497	0	7793	117603
एमआईसीए	0	3628	0	0	0	5217	0	10444	0	0	19289
सिने	164	94	0	2308	393	5833	0	0	3388	6042	18222
कुल	472912	112357	98315	430439	158866	489191	172657	113647	419728	129053	2597165
वित्त वर्ष 2011-12											
बीड़ी	491515	69441	95219	337428	83940	390040	123191	89287	315491	101169	2096721
एलएसडीएम	957	35614	7297	6292	11889	11809	28348	4438	3416	2541	112601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आईओएमसी	539	0	0	17247	59464	2734	18957	16876	0	8022	123839
एमआईसीए	0	3700	0	0	0	4406	0	11076	0	0	19182
सिने	0	103	0	1423	464	4539	0	0	3621	4250	14400
कुल	493011	108858	102516	362390	155757	413528	170496	121677	322528	115982	2366743

बीड़ी	बीड़ी कामगार कल्याण निधि
एलएसडीएम	चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि
आईओएमसी	लौह, मैंगनीज एवं क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि
एमआईसीए	अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि
सिने	सिने कामगार कल्याण निधि

मोनो-ऑक्साइड गैस का स्तर

2663. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर (असम) सहित देश के विभिन्न भागों में मोनो-ऑक्साइड गैस का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में कचरा जलाने वाले लोगों को दंड देने का प्रावधान करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विधेयक को संसद में कब तक पुर:स्थापित किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत 14 स्टेशनों पर कार्बन मोनो-ऑक्साईड (सीओ) की मानीटरिंग कर रहा है। वर्ष 2009-2010 के दौरान सीओ (8 घंटे के आधार पर) के औसत वार्षिक डाटा से पता चला कि दिल्ली और चेन्नै के कुछ भागों को छोड़कर संकेन्द्रण विनिर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर था। तथापि, 2011 के दौरान यह सीमा के भीतर रहा। वर्तमान में, सिलचर (असम) मं मोनो-ऑक्साइड गैस की कोई मानीटरिंग नहीं की जा रही है। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के अंतर्गत कचरा जलाने पर प्रतिबंध है।

[हिन्दी]

विनिर्माण क्षेत्र

2664. श्री दिनेश चंद्र यादव :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिर्माण क्षेत्र उद्योग के उन भारतीय उत्पादों के नाम क्या हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल रहे हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (ग) इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, पैट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद), रसायन तथा संबंधित उत्पाद, वस्त्र, दवाइयां तथा भेषज, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, सूती यार्न तथा फेब्रिक्स विनिर्माण क्षेत्र के ऐसे भारतीय उत्पाद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल हैं।

(घ) सरकार ने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए औद्योगिक वातावरण में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे टैक्सटाइल पार्क, लेदर क्लस्टर, पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) का कार्यान्वयन; निर्यात अवसंरचना और संबंद्ध क्रियाकलाप विकास के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी), ई ट्रेड परियोजना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बी.सी. रोड से सुर्थकाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाना

2665. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बी.सी. रोड से सुर्थकाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा तय की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हसन-बी.सी. रोड सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) रारा-17 (नया रारा-66) पर 17.02 किमी. में से 16.87 किमी. और रारा-13 (नया रारा-169) पर 3.20 किमी. में से 2.86 किमी. के चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। विभिन्न कारणों से परियोजना में विलंब हुआ है। रारा-17 (नया रारा-66) पर नंटूर के समीप छोटे से 53 मी. के खंड/कोट्टारा फ्लाईओवर के ऊपर सर्विस मार्ग बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध 8 रिट याचिकाएं, रारा-48 (नया रारा-73) पर 75 मी. खंड के भूमि अधिग्रहण के संबंध में 7 रिट याचिकाओं और रारा-13 (नया रारा-169) पर 3.20 किमी. के खंड हेतु भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध 12 न्यायिक मामलों का माननीय सर्वाच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निपटान कर दिया गया है। मेंगलौर भूमि अधिग्रहण में देरी और सिटी कार्पोरेशन की ओर से जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करने तथा राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, कर्नाटक (एन.आई.टी.के) सुर्थकाल टोल प्लाजा के निर्माण में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण भी विलंब हुआ। ब्रह्माराकोटलू मंदिर के समीप 600 मी. के खंड में मंदिर स्थानांतरित किए जाने के संबंध में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कोई कार्य नहीं करने दिया गया। दो छोटे पुलों के लिए दोनों और सड़क निर्माण का कार्य और एक पथकर प्लाजा के निर्माण का कार्य भी रोक दिया गया था। इस मामले को कर्नाटक राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था और अब यह निर्णय लिया गया है कि लगभग 200 मी. की लंबाई के खंड को 2-लेन का ही रहने दिया जाए। नंटूर जंक्शन पर छः परिवारों को नई जगह आवंटित करने और उनके पुनर्वास के कार्य में भी काफी समय लगा। आगे, हाल ही में न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के उपरांत ढांचों का विध्वंस करके मरोली फ्लाईओवर का कार्य आरंभ किया गया है। लगभग 3 वर्ष की देरी 33 किलोवाट के 2.20 किमी. लंबाई के भूमिगत केबल को स्थानांतरित करने के कारण भी हुई। शेष बचे कार्य को पूरा करने की लक्षित तारीख 31 दिसंबर, 2012 है।

(घ) और (ङ) परामर्शदाता ने हसन- बी.सी. मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग उन्नयन करने के लिए अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। उन्नयन कार्य पूरा होने की अनुमानित तिथि जून, 2016 है।

[हिन्दी]

स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा

2666. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री मधु गौड़ यास्खी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को दाखिला देने संबंधी मानदंड का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्मी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब परिवारों के 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला देने की नीति पर आपत्तियां उठायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) सेना कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में सभी सैनिक विद्यालयों को संचालन स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इन विद्यालयों में माता-पिता की स्थिति के आधार पर सेना कार्मिकों के बच्चों में अंतर नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे से सैनिक विद्यालयों को छूट देने का एक मामला सेना मुख्यालय से प्राप्त हो गया है और यह सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

निःशक्तता जागरूकता कार्यक्रम

2667. **श्री वरुण गांधी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निःशक्तजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु देश के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े

क्षेत्रों में नि:शक्तता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-सी विभिन्न योजनाएं शुरू की गयी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन जागरूकता कार्यक्रमों हेतु कितनी निधियां जारी की गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) सम्पूर्ण मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए, तथा इसके साथ-साथ नि:शक्तजनों सहित लक्ष्य समूहों के अधिकारों के बारे में सूचना प्रसारण के लिए, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना के अधीन जागरूकता सृजन सहित व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। देश में अब तक 220 डीडीआरसी स्थापित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय संस्थानों एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास देश में विकलांगता जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राष्ट्रीय न्यास "बढ़ते कदम कार्यक्रम" भी संचालित करता है जिसके उद्देश्य (i) विकलांगता के बारे में समझ पैदा करना (ii) नि:शक्तजनों के लिए योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और (iii) नि:शक्तजनों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अधीन अधिकारों एवं प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जागरूकता सृजन संबंधी गतिविधियों पर अब तक 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग

2668. श्री वैजयंत पांडा :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री के.पी. धनपालन :
श्री सोमेन मित्रा :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के कार्यान्वयन सहित अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के विकास तथा विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जलमार्गों के विकास हेतु किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया है अथवा कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो पूरी की गयी और कार्यान्वयनाधीन योजनाओं अथवा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कोचीन शहर के बीच एक जल परिवहन मार्ग शुरू करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसी परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गयी है; और

(ङ) देश में अंतर्देशीय जल परिवहन के और विकास हेतु किन-किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) केवल उन्हीं जलमार्गों का विकास और विनियमन केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अन्य जलमार्गों के विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। जिल जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वे निम्नलिखित हैं:

(i) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 किमी) रा.ज.-1 के रूप में।

(ii) असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 किमी) रा.ज.-2 के रूप में।

(iii) केरल राज्य में पश्चिम तट नहर (कोट्टापुर-कोल्लम) के साथ उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरें - (205 किमी) रा.ज.-3 के रूप में।

(iv) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में काकीनाडा-पुदुचेरी नहरों के साथ गोदावरी और कृष्णा नदियां (1078 किमी) रा.ज.-4 के रूप में।

(v) पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में पूर्वी तट नहर के साथ ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियां (588 किमी) रा.ज.-5 के रूप में।

जहां तक रा.ज. 5 का संबंध है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। योजना आयोग की सलाह के अनुसार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के साथ सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी के अंतर्गत उनके वाणिज्यिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य खंड विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में, आर्थिक कार्य विभाग/एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा डी.पी.आर की समीक्षा तथा जलमार्ग के नदी वाले भाग के विकास के लिए पीपीपी परियोजनाएं तैयार करने और संसाधित करने के लिए एक परामर्शक नियुक्त किया गया है।

रा.ज.-1, इलाहाबाद से बलिया तक (482 किमी) उत्तर प्रदेश में है और बलिया से साहेबगंज तक (488 किमी) बिहार में है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के इन खंडों में, आई.डब्ल्यू.ए.आई द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना, अर्थात् नौचालनात्मक जलमार्गों, नौचालन हेतु सहायता उपकरणों और कई स्थानों पर प्लवमान टर्मिनलों, का विकास और रखरखाव किया जा रहा है। पटना में स्थायी आर.सी.सी टर्मिनल का निर्माण भी किया गया है। भागलपुर और पटना में डिफरैन्शियल ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम स्टेशनों की स्थापना की गई है। जलमार्गों का विकास एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इन अं.ज.प. अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने/इनका रखरखाव करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

(ग) और (घ) पथलम और कोच्चि पत्तन के बीच उद्योगमंडल नहर का खंड (23 किमी) पहले से ही विकसित कर लिया गया है और इसका रखरखाव जल परिवहन के लिए रा.ज.-3 के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। पथलम सेतु से नदुम्बास्सेरी हवाई अड्डे तक का अपस्ट्री खंड रा.ज.-3 का हिस्सा नहीं है।

(ङ) असम में बराक नदी के लखीपुर-भांगा खंड (121 किमी) को छठे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम

2669. श्री के. डी. देशमुख :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्रीमती प्रिया दत्त :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रक्रियाओं सहित उन व्यवसायों का ब्यौरा क्या है जिन्हें देश में बाल श्रम हेतु खतरनाक व्यवसाय के रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली स्थित उद्योगों सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसे व्यवसायों में काफी बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे खतरनाक व्यवसायों में लगाए गए बाल मजदूरों और उनमें से जान गंवाने वाले बाल मजदूरों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बाल मजदूरों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और देश में बाल मजदूरों के उन्मूलन हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। जिन व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रम प्रतिषिद्ध है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 1.26 करोड़ थी जिसमें से 12 जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करते पाए गए थे। तथापि, वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 90.75 लाख थी। वर्ष 2209-10 के राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों की संख्या 49.84 लाख आंकी गई है जो घटित प्रवृत्ति दर्शाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत वर्षों के दौरान जोखिमकारी व्यवसाय में किसी बाल श्रमिक के मारे जाने की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, चलाए गए अभियोजनों और सिद्धिदोषों का ब्यौरा निम्नवत है;

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	अभियोजनों की संख्या	सिद्धिदोषों की संख्या
2009	317083	11418	1312
2010	239612	8998	1308
2011	84935	4590	774
2012**	25158	774	167

**अनेक राज्यों से सूचना अभी प्राप्त की जानी है।

(ङ) बाल श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नालिखित तीन प्रमुख घटकों के साथ एक बहुआयमी दृष्टिकोण अपनाती है;

- विधिक कार्रवाई योजना;
- बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना; और
- बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्रवाई।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। यह अधिनियम जहां बच्चों का कार्य करना प्रतिषिद्ध नही है। वहां उनकी कार्य दशाएं विनियमित करता है। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में बच्चों को नियोजित करता है। जिसमें बाल श्रम के अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, वह कम से कम 3 माह से अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास अथवा 10,000/-रुपये से 20,000/-रुपये तक के जुर्माने के दंड का भागी होगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसरण में वर्ष 1998 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम प्रारम्भ की गयी थी। इस स्कीम का उद्देश्य सर्व प्रथम जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एक अनुक्रमिक दृष्टिकोण अंगीकार करना है। यह योजना 266 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है। जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किए जाने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, छात्रवृति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि प्रदान की जाती है। जहां राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्य नहीं कर रही है वहां बाल श्रमिकों हेतु विशेष स्कूल चलाने के लिए सीधे ही अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय केन्द्र तथा जिला स्तर पर इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रमिकों की बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने और बाल श्रम संबंधी कानूनों के प्रवर्तन हेतु अभियान चलाता है।

विवरण

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची

भाग-क

व्यवसाय (गैर-औद्योगिक कार्यकलाप)

निम्नलिखित से संबधित कोई व्यवसाय :

(1) रेल द्वारा यत्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई

ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना है;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानों में पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य;

(7) बूचड़खाना अथवा वधशाला;

(8) ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(9) ढलाई कारखाना;

(10) विषैले अथवा ज्वलनशील पदार्थों अथवा विस्फोटकों की उठाई-धराई;

(11) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;

(12) खान (जलगत एवं भूमिगत) एवं कोयला खदान;

(13) प्लास्टिक इकाइयों एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(14) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(15) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, चाय की दुकानें, रिसॉर्ट, स्पा अथवा अन्य मनोरंजन केन्द्र; और

(16) गोताखोरी

(17) हाथियों की देखभाल।

(18) सर्कस में कार्य।

भाग-ख

प्रक्रियाएं (औद्योगिक कार्यकलाप)

(1) बीड़ी बनाना।

(2) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससें जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।

(3) सीमेंट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक।

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।

(5) दियासलाई (माचिस) विस्फोटक पदार्थों का निर्माण।

(6) अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (विखंडन) करना।

(7) चमड़ा बनाना।

(8) साबुन बनाना।

(9) चर्म/चमड़े का शोधन/रंगना।

(10) ऊन की सफाई।

(11) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना शामिल है।

(12) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैंकिंग सहित)।

(13) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य।

(14) सीसा, मैंगनीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैनजीन, कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं।

(15) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित "खतरनाक कार्य" और धारा 2 (सीबी) में उल्लेखित "जोखिम पूर्ण प्रक्रियाएं"।

(16) कारखाना अधिनियम, 1948 की (1948 का 63) की धारा 2 (क) (iv) में यथापरिभाषित मुद्रण।

(17) काजू और काजू के छिल्के उतारने की प्रक्रिया।

(18) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में टांका लगाने (सोल्डिंग) की प्रक्रिया।

(19) अगरबती का निर्माण।

(20) आटोमोबाइल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयां (लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग)।

(21) ईंटों या खपरैलों का

(22) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौज़री का सामान बनाना।

(23) डिटरजैंट का निर्माण।

(24) फैब्रिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान-फेरस)।

(25) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना।

(26) क्रोमाइट और मैगनीज अयस्कों की उठाई धराई।

(27) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण।

(28) चूना भट्टी और चूना निर्माण।

(29) ताला बनाना।

(30) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है। जैसी सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, भण्डार टाइप सैटिंग, कारों के पुर्जे जोड़ना, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना।

(31) सीमेंट पाइप तथा सीमेंट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना।

(32) कांच का निर्माण जिसमें चूड़ियां बल्ब, ट्यूबों का निर्माण भी शामिल है।

(33) रंजक (डाई) और रंजक द्रव्यों का निर्माण।

(34) कीटनाशकों का निर्माण और उनकी उठाई धराई।

(35) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका शामिल है।

(36) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण।

(37) खेल कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है।

(38) फाइबर ग्लास और प्लास्टिक तथा सांचा ढलाई व प्रसंस्करण।

(39) तेल की पिराई और परिष्करण।

(40) कागज बनाना।

(41) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग।

(42) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है।

(43) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहां फसलें तैयार करने मे ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

(44) आरा मिल-सभी प्रक्रियाएं।

(45) रेशम उद्योग।

(46) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसस्कंरण प्रक्रियाएं।

(47) पत्थर तोड़ना और पीसना।

(48) तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी धराई शामिल है।

(49) टायर निर्माण, मरम्मत, री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण।

(50) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना।

(51) जरी का काम (सभी प्रक्रियाएं)।

(52) इलैक्ट्रोप्लेटिंग।

(53) ग्रेफाइट का चूर्ण करना और आनुषंगिक प्रक्रिया।

(54) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना।

(55) हीरों की कटाई और पालिश।

(56) खानों से स्लेट का निस्तारण।

(57) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना।

(58) अत्यधिक गर्मी और सर्दी के सम्पर्क में आने से संबंधित प्रक्रियाएं (उदाहरणार्थ, भट्टी के पास काम करना।)।

(59) मशीनीकृत मछली पालन।

(60) खाद्य प्रसंस्करण।

(61) पेय पदार्थ उद्योग।

(62) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई।

(63) लकड़ी की यांत्रिक कटाई।

(64) भंडारागार कार्यकलाप।

(65) मुक्त सिलिका जैसे स्लेट, पैंसिल उद्योग, पत्थर की कटाई, स्लेट पत्थर खनन, पत्थर खदानें और गोमेद उद्योग के सम्पर्क वाली प्रक्रियाएं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टोरसा नदी पर पुल

2670. श्री मनोहर तिरकी :

श्री नृपेन्द्रनाथ राय :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टोरसा नदी पर पुल निर्माण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के पूरे होने में कोई विलंब है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2671. श्री रुद्रमाधव राय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलाचंल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमाल लेखापरीक्षक कंपनी के लिए कब से कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा कितनी फीस ली जाती है; और

(घ) आंतरिक लेखापरीक्षकों को नियमित अंतराल पर नहीं बदलने के क्या कारण हैं ताकि संगठन के कार्यकरण में और अधिक पारदर्शिता लायी जा सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वर्तमान में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) परियोजना के चरण में है। इस्पात विनिर्माण सुविधाओं की कमीशनिंग के बाद कंपनी अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी नियमावली तैयार करेगी जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा/सीए फर्मों के माध्यम से लेखा परीक्षा संबंधी दायरे एवं दिशा-निर्देशों को कवर किया जाएगा। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य/कार्यकलाप सनदी लेखाकारों की एक फर्म को आउटसोर्स किये गये हैं और नियुक्ति पर विचार किये जाने से पूर्व मौजूदा लेखा परीक्षक के निष्पादन की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

(ग) मौजूदा आंतरिक लेखा-परीक्षक वर्ष 2003 से एनआईएनएल के लिए कार्य कर रहे हैं। लेखा - परीक्षकों द्वारा प्रभारित कर रहित मासिक शुल्क 40,000 रुपए है।

(घ) मौजूदा आंतरिक लेखा परीक्षक वर्ष 2005-06 से एनआईएनएल में इस्पात विनिर्माण सुविधाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध रहे हैं। उन्हें एनआईएनएल की लेखांकन नीतियों, रिकॉर्ड के अनुरक्षण, प्रचालन एवं परियोजना लेखांकन की अच्छी जानकारी है। लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखा-परीक्षकों का मौजूदा कार्यकाल दिनांक 31.12.2012 तक के लिए वैध है। एनआईएनएल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली से यह अनुरोध किया है कि वे आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सौंपे

जाने के लिए भुवनेश्वर/कटक से प्रचालन कर रहे सनदी लेखाकारों की प्रतिष्ठित फर्मों की एक सूची उपलब्ध करायें।

[हिन्दी]

पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध

2672. श्री मंगनीलाल मंडल :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इनका प्रयोग जारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस प्रकार की निगरानी की जाती है;

(ङ) क्या सरकार के पास प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध के संबंध में पूरे देश में एक समान कानून लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (छ) देश में प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओइएफ) के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों ने अपने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर पांबदी/प्रतिबंध लगाए हैं। एमओईएफ ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इन नियमों ने विनिर्दिष्ट किया है कि प्लास्टिक थैलियों की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन्स होनी चाहिए, खाद्य पदार्थों को पुनर्चक्रित प्लास्टिकों अथवा कम्पोस्टेबल प्लास्टिकों में पैक नहीं किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को कोई कैरी बैग नि:शुल्क उपलब्ध नहीं होगा। इन नियमों के अंतर्गत, नगर पालिका प्राधिकारी, प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पृथक्करण, वहन, प्रोसेसिंग और निपटान सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना, परिचालन एवं समन्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियां, पंजीकरण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण से संबधित इन नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है। एमओईएफ ने इन नियमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित 7।क्षेत्रों, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पत्र लिखे हैं। एमआईएफ विभिन्न पणधारियों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित नगरीय ठोस अपशिष्ट से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु विभिन्न अभिकरणों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

चीन के नकली इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का प्रयोग

2673. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत को बेचे गए मिलिटरी जेट विमानों में चीन में निर्मित कुछ नकली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भारतीय वायुसेना हेतु सी-130 जे ट्रांसपोर्ट विमान और नौसेना हेतु पी 8ए पोसेडन निगरानी विमान खरीदा था जिनमें नकली पार्टो का प्रयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय वायुसेना/नौसेना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विमानों हेतु नकली पार्टों की आपूर्ति के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) हालांकि अमेरिका में निर्मित सैनिक विमानों में चीनी नकली इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जो के संभावित इस्तेमाल के संबंध में सरकार कुछ मीडिया रिपोर्टों से अवगत है, अभी तक किसी भी पी 81 विमान की

भारत को सुपुर्दगी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, सी-130 जे 30 परिवहन विमानों सहित अमेरिकी रक्षा उपकरण के परिचालन के विगत चार वर्षों के दौरान कोई भी दोषपूर्ण अतिरिक्त कलपुर्जा और उपस्कर भारतीय वायु सेना के देखने में नहीं आया है।

(घ) पी-81 के विक्रेता मैसर्स बोइंग से इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत को आपूर्ति किए जाने वाले विमानों में किसी भी नकली कलपुर्जे की संस्थापना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिप्राप्त विमानों के संबंध में अमेरिकी सरकार से आपूर्तिकर्ताओं की सूची प्राप्त की है और इनमें से कोई भी आपूर्तिकर्ता चीनी निर्माता नहीं पाया गया है।

निशक्तता संबंधी जनगणना

2674. **श्री खगेन दास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में निशक्त लोगों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 2011 की जनगणना में राज्यवार विभिन्न श्रेणियों की पहचान की है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में निशक्त लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित नियोजित/स्वनियोजित निशक्तजनों की राज्यवार संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (ग) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या जिसमें शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल हैं, 2.19 करोड़ है। जनगणना 2011 के विकलांगता संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में सरकारी संस्थापनों में चिह्नित पदों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के नियोजन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 1.4.2008 को या इसके पश्चात, निजी क्षेत्र में नियुक्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित विकलांग कर्मचारियों जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपए तक है के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है।

राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) स्वनियोजन के लिए आय सृजक कार्यकलाप स्थापित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों सहित ग्रामीण परिवारों के वयस्क को लिए रोजगार की गारंटी देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), कुल लाभार्थियों का 3 प्रतिशत का प्रावधान भिन्न रूप से सक्षम श्रेणी के लिए किया गया है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) जो राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम की योजनाओं में से एक है, में 18-59 वर्ष की आयु समूह के बीच अत्यधिक अथवा बहुविकलांगता वाले बीपीएल व्यक्तियों के लिए 200/- रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन का प्रावधान है।

दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) जनगणना 2001 के अनुसार, 34 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति नियोजित हैं। तथापि, गत 10 वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से राज्यवार आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

सी.आर.जेड. विनियमों में छूट देना

2675. **श्री चार्ल्स डिएस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान कोचीन स्थित मरीन ड्राइव में बनाए गए अप्राधिकृत भवनों को तटीय विनियम जोन संबंधी नियमों से छूट देने संबंधी आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) भारत सरकार द्वारा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना से छूट देने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

भौगोलिक संकेत

2676. **श्री जोस के. मणि** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पूर्व चेन्नई ट्रेड मार्क और पेटेंट कार्यालय में बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत के प्रमाणन हेतु आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विश्व में प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन के 200 से अधिक मामले लड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने फिलीपीन्स और केन्या की सरकार के साथ हाल ही में इस प्रकार के मुद्दे उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) खाद्य एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा चेन्नई के (ज्योग्राफिक्ल इंडिकेशन) जी आई रजिस्ट्री के साथ बासमती चावल के लिए जी.आई पंजीकरण हेतु 26 नवम्बर, 2008 को आवेदन फाइल किया गया है। सरकार ने एपीडा को एपीडा (संशोधन) अधिनियम, 2009 जो 13 अक्तूबर, 2008 से लागू है, के अंतर्गत बासमती चावल से संबंधित पंजीकरण और उसमें निहित बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण का दायित्व सौंपा है।

(ग) जी हां। बासमती चावल में निहित बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण उपाय के तौर पर एपीडा द्वारा यू.के. में निगरानी एजेंसी नियुक्त किया गया है ताकि वे विविध देशों में ट्रेमार्क रजिस्टरों पर निगरानी रख सकें और उल्लंघन संबंधी मामलों की पहचान कर सकें।

(घ) और (ङ) फिलिपीन्स में बासमती चावल की खेती हेतु फिलिपीन्स सरकार के कार्यक्रमों के रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को वाणिज्य विभाग द्वारा उनके कृषि विभाग के साथ मनीला स्थित भारतीय दूतावास द्वारा उठाया गया है। फिलिपीन्स सरकार ने बासमती चावल को भारत का जी.आई बनाने के फैसले का सम्मान करते हुए सकारात्मक उत्तर दिया है। केन्या से ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 पर चार लेन वाले सेतुओं का निर्माण

2677. **श्री अशोक अर्गल** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 जर्जरावस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नदियों पर विद्यमान दो लेन वाले सेतुओं के स्थान पर चार लेन वाले सेतुओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय सीमा रखी गई है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के इटावा को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला चंबल नदी स्थित सेतु दो महीनों से बंद है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) चंबल नदी पर पुल का डैक स्लैब कुछ हिस्से में क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी मरम्मत कर दी गई।

कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति हेतु मानदंड

2678. **श्री हर्षवर्धन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में यह नीति है कि उसकी किसी कमान का कंमाडर-इन-चीफ बनने वाले अधिकारी को उस क्षेत्र विशेष का अनुभव होना चाहिए;

(ख) क्या उच्च स्तर पर इस नीति के पालन में विफलता से इसे जारी रखना संभव नहीं हो सका है;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति की विफलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में असंगति

2679. **श्री एंटो एंटोनी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 2011 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) और परिवहन अनुसंधान स्कंध (टीआरडब्ल्यू) द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों के बीच असंगति पाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सड़क दुर्घटना से हुई मौतों के आंकड़ों में विद्यमान त्रुटियों को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जी हां। परिवहन अनुसंधान विंग द्वारा प्रकाशित "भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2011" के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की कुल संख्या 1,42,485 थी जबकि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित "भारत में दुर्घटना मृत्यु एवं आत्म हत्या, 2011" की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 1,36,834 थी।

वर्ष 2011 के लिए एनसीआरबी और परिवहन अनुसंधान विंग द्वारा दिए गए सड़क दुर्घटना मृत्यु के आंकड़ों में विसंगतियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण दिए गए हैं:—

(i) परिवहन अनुसंधान विंग को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों द्वारा भेजे गए सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के कुल आंकड़ों में, रेल-मार्ग दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या भी शामिल है।

(ii) कुछ सड़क दुर्घटनाओं में बुरी तरह से घायल व्यक्तियों की संख्या को शामिल करना, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया।

(iii) आंकड़े एकत्रित करने के विभिन्न साधन और विधियां।

पूर्वी हिमालय-क्षेत्र में वाहनगमन-योग्य सड़कें न होना

2680. **श्री आनन्दराव अडसुल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी हिमालय-क्षेत्र की दुर्गम ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में वाहनगमन-योग्य समुचित सड़क बनाने में सेना को मुश्किल पेश आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तवांग तक और उसके बाद के क्षेत्र की सड़क बमुश्किल वाहनगमन-योग्य है;

(ग) क्या सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ) सड़क निर्माण के पत्थरों, श्रमिकों और पत्थर कूटने वाली मशीनों की कमी से जूझ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यकताओं को पूरा करने और सीमावर्ती

सड़क-निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सरकार ने उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रों को शामिल करते हुए सड़क आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। इन सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं की आवाजाही को सुगम बनाना तथा उनकी संक्रियात्मक आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।

(ख) सीमा सड़क संगठन तवांग तक सड़क को दो लेन करने के लिए परियोजना को निष्पादित कर रहा है तथा तवांग से आगे की सड़क मोटरगाड़ी चलाने योग्य है।

(ग) और (घ) कुछ क्षेत्रों में सामग्री, श्रमिकों तथा उपस्करों की उपलब्धता के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। इसके निवारण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

(ii) उपस्कर की अधिप्राप्ति।

(iii) कार्यों को आउटसोर्स करना।

(iv) अधिक निर्माण इकाइयों का गठन करना।

वस्त्र क्षेत्र का विकास

2681. श्री पी. करुणाकरन :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
डॉ. अजय कुमार :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र के विकास में मंदी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्यात तथा घरेलू वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा वस्त्र क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग की चुनौतियों को समझने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या झारखंड सहित देश में वस्त्र केन्द्रों को विकसित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने एवं इसके उद्धार के लिए क्या व्यापक सुधार किए हैं/क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सस्ती दर पर इस्तेमाल हुए वस्त्रों और सूती वस्त्रों के आयात के कारण घरेलू वस्त्र उद्योग और बुनकरों को भारी घाटा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां। मई 2012 तक सामान्य रूप से वस्त्र उद्योग में और विशेष रूप से कपास उद्योग में नकारात्मक नकदी प्रवाह, निम्न लाभ मार्जिन इक्विटी अनुपात की तुलना में विषम ऋण और नियोजित पूंजी की तुलना में निम्न लाभ महसूस किया गया है। 2012-13 में अप्रैल-अक्तूबर की अवधि में वस्त्र उद्योग के स्पन यार्न में 9.3 प्रतिशत वृद्धि, फैब्रिक्स में 6.4 प्रतिशत वृद्धि, मानव निर्मित फाइबर में 3.2 प्रतिशत वृद्धि तथा मानव निर्मित फिलामेंट यार्न में 1.4 प्रतिशत वृद्धि दिखाई दी। अप्रैल-सितम्बर, 2012 की अवधि में वस्त्र निर्यातों में डालर के रूप में (-) 5.94 प्रतिशत वृद्धि दिखाई दे रही है जबकि रुपए के रूप में 13.58 प्रतिशत वृद्धि दिखाई देती है।

(ख) सरकार ने मई, 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद वस्त्र उद्योग में दबाव का आकलन किया है।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा कैपीटल मार्केट्स लि. द्वारा किए गए अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वस्त्र उद्योग को सकल आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर 35000 करोड़ रुपए तक ऋण के पुनर्गठन की आवश्यकता है। सरकार देश में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अधीन विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित कर रही है।

(घ) सरकार ने इस आकलन रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि ऋण पुनर्गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन मामला-दर-मामला आधार पर आरंभ किया जाए।

(ङ) जी, नहीं। सरकार को पुराने वस्त्रों के आयात के कारण बुनकरों को हुई हानियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण-कोटे में वृद्धि

2682. श्री अशोक कुमार रावत :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुल जनसंख्या में अ.जा./अ.ज.जा. के अनुपात के संबंध में सरकार के पास कोई यथार्थपरक जानकारी है;

(ख) क्या अ.जा./अ.ज.जा. सूची में प्रतिवर्ष जातियों/उप-जातियों के लगातार शामिल होते जाने के मद्देनजर, इन श्रेणियों के लिए आरक्षण कोटे में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को आरक्षण-कोटा बढ़ाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) जनगणना, 2001 के अनुसार देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 16.2% तथा 8.2% है।

(ख) से (ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि यद्यपि अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या का निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण भाग है फिर भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है तथा निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सही ढंग तथा यथोचित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण 50: से अधिक न हो सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 81 का विकास

2683. श्री सुल्तान अहमद :
श्रीमती मौसम नूर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 81 पर स्तरोन्नयन तथा विकास-कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन कार्यों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए कौन सा प्राधिकारी जिम्मेदार है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वहां की राज्य सरकार को कोई धनराशि उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्तमान गमनपथ बदलने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में रारा-81 की लंबाई 50 किमी. और समस्त मार्ग के विकास एवं अनुरक्षण का दायित्व राज्यीय लोक निर्माण विभाग का है। मंत्रालय ने रारा-81 की समस्त लंबाई के अनुरक्षण हेतु आवधिक नवीनीकरण के अंतर्गत 506.67 लाख रुपए और 608.71 लाख रुपए के दो कार्यों की मंजूरी दी है जिन्हें अगस्त/अक्तूबर, 2012 के दौरान सौंप दिया गया है। कार्यों का मई, 2013 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

(ङ) और (च) जी नहीं।

निःशक्तजन को ऋण

2684. श्रीमती मौसम नूर :
श्री रामसिंह कस्वां :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एन. एच.एफ.डी.सी.) द्वारा निःशक्जन को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया था;

(ख) स्वीकृत ऋण का भुगतान किस समय-सीमा में किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ऋण योजना के तहत महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने मंजूर हुए और कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(घ) उक्तावधि के दौरान अन्य राज्यों से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों का वर्ष-वार, योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर कोई विशेष बल देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, हां।

(ख) योजना-वार भुगतान की अधिकतम अवधि इस प्रकार है: (i) स्व-रोजगार योजना-10 वर्ष, (ii) माइक्रो ऋण योजना - 3 वर्ष और (iii) शिक्षा ऋण योजना - 7 वर्ष। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत भुगतान, पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी प्राप्त करने के 6 माह बाद, जो भी पहले हो, आरंभ होता है।

(ग) और (घ) एनएचएफडीसी ने 5.00 लाख रुपए तक की लागत वाले ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत करने का प्राधिकार अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को दे रखा है। केवल 5.00 लाख रुपए से अधिक परियोजना लागत वाले ऋण प्रस्ताव, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी को अग्रेषित किए जाते हैं। अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एनएचएफडीसी के साथ सहयोगात्मक अनुबंध करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाली राज्य वित्तीय संस्थाओं के मामले में स्वीकृत प्राधिकार 25 लाख रुपए तक है।

महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों से संबंधित ब्यौरे सहित, विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त, अनुमोदित आवेदनों एवं संवितरित राशि का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों में एनएचएफडीसी द्वारा स्वरोजगार/उच्चतर शिक्षा योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) XIIवीं योजना में अधिक बल देने हेतु, योजना आयोग द्वारा गठित विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ, एनएचएफडीसी द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए आर्थिक सहायता के अंतिम भाग के अनुदान, कौशल विकास के लिए अनुदान, ब्याज-मुक्त शिक्षा-ऋण और एनएचएफडीसी योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते समय ऋण गारंटी योजना के कार्यान्वयन में एकबारगी गारंटी फीस एवं वार्षिक सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए सिफारिशें की है।

विवरण-I

विगत 3 वित्तीय वर्षों (2009-2012) के दौरान एनएचएफडीसी द्वारा प्राप्त राज्य-वार ऋण आवेदन (5.00 लाख रुपए से अधिक)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	असम	1
3.	छत्तीसगढ़	83
4.	दिल्ली	1

1	2	3
5.	हरियाणा	28
6.	हिमाचल प्रदेश	25
7.	जम्मू और कश्मीर	6
8.	झारखंड	9
9.	कर्नाटक	3
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	13
12.	महाराष्ट्र	458
13.	पुदुचेरी	3
14.	राजस्थान	33
15.	सिक्किम	4
16.	त्रिपुरा	2
17.	उत्तर प्रदेश	2
18.	उत्तराखंड	4
19.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	704

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी राशि (उच्चतर शिक्षा सहित)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	कुल (2009-12)
		संवितरण	संवितरण	संवितरण	संवितरण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	138.08	0.00	0.00	138.08
2.	असम	0.00	90.78	0.00	90.78
3.	बिहार	5.00	0.00	0.00	5.00
4.	चंडीगढ़	3.18	11.41	1.85	16.44
5.	छत्तीसगढ़	146.19	232.65	284.84	663.68
6.	दिल्ली	28.74	40.38	10.00	79.12
7.	गोवा	0.00	10.00	10.00	20.00
8.	गुजरात	578.65	29.75	169.50	777.90
9.	हरियाणा	600.79	192.81	926.50	1720.10

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	134.30	232.77	220.39	587.46
11.	जम्मू और कश्मीर	42.31	98.74	156.25	297.30
12.	झारखंड	22.48	96.57	0.00	119.05
13.	कर्नाटक	50.00	100.00	70.00	220.00
14.	केरल	260.99	0.00	218.00	478.99
15.	लक्षद्वीप	3.80	18.55	10.00	32.35
16.	मध्य प्रदेश	0.00	86.22	1.53	ए 87.75
17.	महाराष्ट्र	379.15	409.36	241.73	1030.24
18.	मेघालय	0.00	10.00	52.50	62.50
19.	मिजोरम	0.00	50.00	0.00	50.00
20.	ओडिशा	5.00	176.45	36.35	217.80
21.	पुदुचेरी	104.88	39.23	283.43	427.54
22.	पंजाब	52.79	72.67	150.00	275.46
23.	राजस्थान	142.10	201.20	134.66	477.96
24.	सिक्किम	0.00	6.30	5.00	11.30
25.	तमिलनाडु	370.07	796.14	879.15	2045.36
26.	उत्तर प्रदेश	3.11	0.00	464.50	467.61
27.	उत्तराखंड	1.92	34.79	727.00	763.71
28.	पश्चिम बंगाल	6.06	147.03	31.85	184.94
	कुल	3079.59	3183.80	5085.03	11348.42

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय

2685. श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब को रोकने के लिहाज से देशभर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अब तक स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर में उक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिदेशित परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए और परियोजनाओं के निर्माण पूर्व कार्यों में तीव्रता लाने हेतु राज्य सरकारों के साथ बेहतर एवं नजदीकी संपर्क सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता के आधार पर 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह सभी क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति	अधिकार क्षेत्र (राज्य)
1	2	3
1.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश
2.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा
3.	जयपुर	राजस्थान
4.	गांधीनगर	गुजरात
5.	नागपुर	महाराष्ट्र
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
7.	दिल्ली	दिल्ली
8.	देहरादून	उत्तराखंड
9.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
10.	पटना	बिहार
11.	बंगलौर	कर्नाटक और गोवा
12.	चेन्नई	तमिलनाडु और केरल
13.	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
14.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
15.	भुवनेश्वर	ओडिशा
16.	रांची	झारखंड
17.	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर राज्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सब-वे

2686. प्रो. सौगत राय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सघन आबादी वाली बस्तियों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सब-वे बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति सहित उस पर सब-वे निर्माण के निजी-निवेश वाले कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन या स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) पर सघन आबादी वाले शहरों से गुजरने वाले उपमार्गों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य के रूप में किया जा रहा है जोकि तकनीकी व्यवहार्यता पर आधारित है जिसमें स्थान की स्थितियां और

भूमि की उपलब्धता शामिल हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सुचारू रहे।

(ग) से (ङ) भूमिका व्यावसायिक शोषण करके स्टैंड एलोन सबवे निर्मित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

टोल प्लाजा

2687. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री सुदर्शन भगत :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पथकर-वसूली केंद्रों (टोल प्लाज़ा) का राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन टोल प्लाजाओं का ब्यौरा क्या है जहां पथकर-वसूली की जा रही है और तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संग्रहीत पथकर का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार कुल कितने पथकर-वसूली वाले सड़क मार्ग हैं;

(घ) क्या सरकार को पथकर वाले सड़क मार्गों की निर्माणकारी कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार का देशभर में पथकर-संग्रहण के लिए समान पथकर-नीति बनाने का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ग) पथकर प्लाजाओं और सड़कों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) संगृहीत किए जा रहे प्रयोक्ता शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-ii-iii में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली में पथकर संग्रहण एजेंसियों द्वारा उल्लघंनों पर कार्रवाई के लिए प्रावधान है और इसकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजना निदेशकों, स्वतंत्र इंजीनियरों और आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है।

(च) समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली पूरे देश में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के लिए एक समान लागू होती है।

विवरण-I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

30.11.2012 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में शुल्क संग्रहण के अंतर्गत राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार खंड

क्र.सं.	खंड	पथकर योग्य पहुंच के किमी	रारा	किमी लंबाई	प्लाजा अवस्थान
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
1.	इच्छापुरम-पुइनटोला	किमी 477.054- किमी 432.000	5	45.054	किमी 473.632 बेल्लूपदा

1	2	3	4	5	6
2.	इच्छापुरम-नंदीगांम	किमी 226.15- किमी 160.00 (नया चैनेज किमी 477.054-543.204)	5	66.150	किमी 172.800 (नया 530.404) लक्ष्मीपुरम
3.	नंदीगांम -श्रीकाकुलम	किमी 160.00-किमी 97.00 (नया चैनेज किमी 543.204-किमी 606.204)	5	63.000	किमी 589.554 मदापम गांव जिला श्रीकाकुलम
4.	श्रीकाकुलम-चंपावती	किमी 97.00 -किमी 49.00 (किमी 606.704 से नया चैनेज-किमी 654.204)	5	48.000	किमी 616.704 चिलकापलेम
5.	चंपावती/कोप्परला-विशाखापत्तनम	किमी 49.00 -किमी 2.837 (नया चैनेज किमी 700.544-किमी 654.204)	5	46.340	किमी 656.704 नाथवलसा, जिला विजयनगर
6.	विशाखापट्नम-अंकापल्ली	किमी 2.837 -किमी 0.00 और किमी 395.870- किमी 358.00 (नया चैनेज किमी 700.544-किमी 741.255)	5	40.707	किमी 728.055 अगनमपुडी
7.	अंकापल्ली-तुनी	किमी 358.00-किमी 272.00 (नया चैनेज किमी 830.525-किमी 741.255)	5	89.270	किमी 795.498 वीमापडु, जिला विशाखापट्नम
8.	तुनी-राजामुंद्री (बोम्मरू)	किमी 272.000-किमी 187.600 (नया चैनेज किमी 914.883-किमी 830.525	5	84.400	किमी 865.553 निकट कृष्णावरम
9.	बोम्मरू -गुंडुगोलनू	किमी 187.6- किमी 81.6 (नया चैनेज किमी 914.883-किमी 1022.494)	5	107.611	किमी 964.350, टनुकु
10.	गुंडुगोलनू-विजयवाड़ा-एलुरू बाइपास सहित	किमी 81.16 -किमी 42.5 (नया चैनेज किमी 1022.494 -किमी 1061.5940)	5	39.100	किमी 1050.794 (कलपारू ग्राम)
11.	गुंडुगोलनू-विजयवाड़ा-एलरू बाईपास सहित	किमी 42.50 - किमी 3.4 (नया चैनेज किमी 1061.594 -किमी 1100.694)	5	39.100	किमी 1075.244 (पट्टीपडु)

1	2	3	4	5	6
12.	अडलूर येल्लारेडी-गुंडला पोचमपल्ली	किमी 368.255 -किमी 471.331	7	103.076	किमी 443.713 मनोहराबाद
13.	महाराष्ट्र/एपी-सीमा-इस्लाम नगर	किमी 230.000 - किमी 175.000	7	54.600	किमी 180.300 आदिलाबाद जिले में पिप्पलवाड़ा गांव के पास
14.	इस्लाम नगर -कटडल	किमी 230.00 - किमी 278.00	7	53.010	किमी 245.400 रोलमंबा/पिप्पलवाड़ा गांव आदिलाबाद जिले में
15.	कटडल -अरमूर	किमी 278.00 - किमी 308.00	7	30.900	किमी 281.320, गमजाल
16.	कोथाकोटा बाइपास-कुरनूल	किमी 135.469- किमी 211.00	7	74.622	किमी 200.95 (पुल्लूर)
17.	कुरनूल - करीदीकोंडा	किमी 211.00- किमी 295.00	7	84.000	किमी 250.700, अमाकाथाडु, जिला कुरनूल
18.	करीदीकोंडा -मरूर	किमी 295.00- किमी	7	79.000	किमी 310.200, कासेपल्ली, जिला अंनतपुर
19.	मरूर -एपी/ कर्नाटक सीमा	किमी 374.000 - किमी 462.164	7	88.164	किमी 376.075 मरूर जिला अनंतपुर
बीओटी परियोजनाएं					
20.	टाडा-नेल्लोर	किमी 52.8-किमी 163.6	5	110.517	किमी 86.00 सल्लूरपेट, किमी 124.40 बुढानम और किमी 155.30 वेंकटचलम
21.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट	किमी 354.775-किमी 434.150	5	83.000	किमी 416.8 काजा
22.	चिलमालूरीपेट-ओंगोले	किमी 358.00-किमी 291.00 (नया चैनेजा किमी 1250.691-किमी 1182.802)	5	70.945	किमी 1200.00 गांव बोलापल्ली, जिला प्रकासम
23.	ओंगोले-कवाली	किमी 291.00-222.00 किमी (नया चैनेज किमी 1322.750-किमी 1250.691)	5	69.000	किमी 1264.00 गांव टांगटुर जिला प्रकासम
24.	कवाली-नेल्लोर	किमी 222.000-किमी 178.200 (नया चैनेज किमी 1383.713-किमी 1366.547)	5	43.800	किमी 1326.000 सुनामबत्ती गांव
25.	थोंडापल्ली-जेडचेरला	किमी 22.30-किमी 80.50	7	58.006	किमी 54.00

1	2	3	4	5	6
26.	जेडचेरला-कोटाकट्टा	किमी 80.05-किमी 135.469	7	55.740	किमी 114.087
27.	नंदीगाम-विजयवाड़ा	किमी 217.00-किमी265.00	9	48.00	किमी 226.40 किसारा
एसपीवी परियोजनाएं					
28.	विशाखापट्टनम पत्तन संपर्क परियोजनाएं	किमी 0.000-किमी 10.336	एसआर	12.000	किमी 9.158 (पंचवटी कॉलोनी) और किमी 2.262 (नौसना के गोस्थानी गेट)
बिहार					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
29.	औरंगाबाद-बाराचेट्टी	संशोधन किमी 240.00-किमी 180.00	2	60.000	किमी 200.100 गांव साव काला
30.	फोरबिसगंज -पूर्णिया	किमी 230.790-किमी 310.000	57	79.21	किमी 267.000 अररिया जिले में हरियाबाड़ा
31.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा	किमी 0.000-किमी 69.500	57	69.50	किमी 26.200 मुजफ्फरपुर में मैथी
बीओटी परियोजनाएं					
32.	बारून-औरंगाबाद (वाराणसी-औरंगाबाद खंड)	किमी 140.00- किमी 240.00, संशोधन किमी 317.00 किमी-319.00 वीआरएम बाइपास किमी 319.00 से शुरू होकर और किमी 21 और किमी 21.00- किमी 180.00 पर मिलने वाला (नया चैनेज किमी 786.00- किमी 978.00)	2	94.800	किमी 200.100 गांव साव काला संशोधन किमी 907.10
33.	मोहनिया-बारून (वाराणसी-औरंगाबाद खंड)	किमी 65.00- किमी 140.00 संशोधन किमी 317.00-किमी 319.00 वीआरएम बाइपास किमी 319.00 से शुरू होकर और किमी 21 और किमी 21.00-किमी 180.00 पर मिलने वाला (नया चैनेज किमी 786.00-किमी 978.00	2	42.600	किमी 111.00 सासाराम संशोधन किमी 860

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़					
बीओटी परियोजनाएं					
34.	दुर्ग बाइपास	राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 के किमी 308.6 से शुरू होकर और किमी 323.6 पर पुन: मिलने वाला	6	18.00	किमी 312.500
गुजरात					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
35.	रतनपुर - हिम्मतनगर	किमी 388.180- किमी 443.00	8	54.820	किमी 416.00 वनटाडा जिला साबरकांठा
36.	हिम्मतनगर-चिलोदा	किमी 443.00- किमी 495.00	8	52.00	किमी 472.035 काठपुरा
37.	गारामोर-समखियाली	किमी 254.000- किमी 306.000 (नया चैनेज किमी 254.537- किमी 307.034)	8ए	71.937	किमी 286.655 सूरजबाड़ी
38.	गारामोर-बामनबोर	किमी 182.60- किमी 254.00	8ए	71.937	किमी 213.100 बघासिया
39.	पालनपुर/खेमाना-आबूरोड	किमी 340.00 किमी 295.00	14	45.000	किमी 338.23 खेमाना
बीओटी परियोजनाएं					
40.	वडोदरा- सूरत खंड 4 लेन पर नर्मदा पुल और इसके पहुंचमार्ग	किमी 192.00- 198.00 किमी	8	6.000	किमी 193.500
41.	गोंडल-राजकोट	किमी 117.00- 185.00 किमी	8ड	67.127	किमी 120.50 पिथाडिया और किमी 156.80 भरूडी
42.	वडोदरा-भरूच	किमी 108.7- किमी 192	8	83.300	किमह 157.20 भरथना
43.	भरूच-सूरत	किमी 198.00- किमी 263.00	8	65.000	किमी 245.750 चोरियासी
44.	चलथान (सूरत)-वागधारा	किमी 263.4- किमी 318.6	8	55.200	किमी 297.360 बोरिएक
45.	वागलधारा-कजली	किमी 318.60- किमी 381.60	8	63.000	किमी 356.200 भागवडा
46.	समखियाली-गांधीधाम	किमी 306- किमी362.16	8ए	56.160	किमी 309 समखियाली

1	2	3	4	5	6
एसपीवी परियोजनाएं					
47.	ए.वी. एक्सप्रेसवे चरण-I	किमी 0.00- किमी 43.4 और किमी43.40- किमी 93.302	एनई-I	43.40	किमी 2.616 और एक तरफ प्लाजा
48.	ए.वी. एक्सप्रेसवे चरण-II किमी 93.302	किमी 43.40-	एनई-I	49.90	किमी 86.1किमी 43.855 (नाडियाड) और किमी. 58.616 (आनंद) पर दो तरफा प्लाजा
49.	अहमदाबाद-वडोदरा	किमी 104.00- किमी	8	97.6	किमी 91.000 (वसाड)
ओएमटी परियोजनाएं					
50.	पोरबंदर-भिलाडी	किमी 2.00- किमी 52.50	8ब	50.540	किमी 11.00 वनाना टाउन
51.	भिलाडी-जेतपुर	किमी 52.50- किमी 117.60	8ब	65.100	किमी 82.00 दुमियानी
52.	पालनपुर-राधनपुर	किमी 340.00- किमी 405.00	14	65.000	किमी 403.00 भिलाडी
53.	पालनपुर-राधनपुर	किमी 405.00- किमी 458 और किमी 138.80-किमी 149.00	14 और 15	63.200	किमी 439.00 बेलगाम
54.	राधनपुर-अंदसर	किमी 149.00- किमी 217.00	15	68.000	किमी 160.0 वरही
55.	अदेसर-समखियली	किमी 217.00- किमी 281.30	15	64.300	किमी226 माखेल
हरियाणा					
बीओटी योजनाएं					
56.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	किमी 86.00- किमी 96.00	1	10.000	किमी 96.000
57.	पानीपत अंबाला	किमी 96- किमी 206	1	110.000	किमी 146.40 (पूर्व में किमी 132 करनाल)
58.	बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	किमी 16.100- किमी 20.500	2	4.400	किमी 18.700/किमी 20.200
59.	दिल्ली-आगरा	किमी 20.500- किमी 110.250	2	89.750	किमी 74.000 श्रीनगर
60.	दिल्ली-गुड़गांव	किमी 14.30- किमी 42.00	8	27.70	किमी 24.0, किमी 42.00 एवं किमी 19.10 पर साइड प्लाजा

1	2	3	4	5	6
61.	जीरकपुर-परवानू	किमी 39.960- किमी 67.550	22 (नया रारा-5)	27.590	किमी 51.400 ग्राम सूरजपुर चंडी मंदिर
झारखंड					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
62.	बाराचेट्टी-गोरहर	किमी 240.00-किमी 320.00	2	80.000	किमी 279.425 रसैया धमना, जिला हजारीबाग
63.	गोरहर-बरवा अड्डा	किमी 320.00- किमी 398.75	2	78.750	किमी 391.600 राजगंज
कर्नाटक					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
64.	महाराष्ट्र बॉर्डर-बेलगाम	किमी 592.24- किमी 537	4	55.240	किमी 591.24 कोगनोली
65.	हट्टरगी-हीरेवागेवाडी	किमी 537.000- किमी 515.000	4	22.00	किमी 537.77 हट्टारगी
66.	गब्बूर-देवगिरी	किमी 404.00-किमी 340.00	4	64.00	किमी 352.550 बंकापुर
67.	डोड्डासिद्दनहल्ली-हदादी	किमी 189.000- किमी 260.000	4	71.00	किमी 237.650 हेब्बालू, जिला देवनागरी
68.	हदादी-देवगिरी	किमी 260.000-किमी 340.000	4	80.00	किमी 288.200 चालागेरी, जिला हावेरी
69.	एपी/कर्नाटक सीमा-देवनहल्ली	किमी 462.164- किमी 533.619	7	71.45	किमी 464.774 निकट बागपल्ली
बीओटी परियोजनाएं					
70.	नीलमंगला-तुमकुर	किमी 29.5 -किमी 62.0	4	32.5	किमी 30.0 नीलमंगला और किमी 61.0 तुमकुर
71.	बेलगाम-धारवाड़	किमी 433.000- किमी 515.000	4	79.36	किमी 483.600 हीरेवागेवाड़ी
72.	डोड्डासिद्दनहल्ली-तावरकेरे	किमी 189.00-किमी 132.00	4	57.00	किमी 172.767 गैलालू
73.	तावरकेरे-अंतरासनहल्ली	किमी 132.00- किमी 75.00	4	19.565	किमी 104.530 करजीवनहल्ली
74.	बंगलौर-नीलमंगला	किमी 10.00- किमी 29.50	4	19.565	किमी 14.875 और किमी 26.075 नीलमंगला और बंगलौर (4 साइड प्लाजा-16.600,17.100,23.150 और 23.800)

1	2	3	4	5	6
75.	देवनहल्ली-बंगलौर	किमी 534.720- किमी 556.840	7	22.120	किमी 538.000 पर
76.	सिल्क बोर्ड जंक्शन-होसुर	किमी 8.765-किमी 18.750-किमी 33.130	7	14.365	किमी 32.700(4 साइड प्लाजा)
77.	जंक्शन-देवीहल्ली नीलमंगला	28.200 किमी-किमी 110.000	48	82.262	किमी 32.750 और किमी 100.300,
78.	बीजापुर-हुंगुंड	किमी 202.000-किमी 102.000 (नया चैनेज किमी 323.021-किमी 225.800)	13 (नया रारा-50)	92.220	किमी 103.888 कसाब जिला बीजापुर और किमी 165.650 नागरहल्ला जिला बागलकोट
केरल					
एसपीवी परियोजनाएं					
79.	ईडापल्ली-वाइटिल्ला-अरूर	किमी 358.7503-किमी 42.000	47	16.450	किमी 356.500 एर्नाकुलम जिला में कुंबलम के निकट
बीओटी परियोजनाए					
80.	त्रिशूर-अंगमाली-ईडापल्ली	किमी 270.000- किमी 316.700-किमी 342.000	47	64.940	किमी 278.000 (पलियक्करा)
महाराष्ट्र					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
81.	अमरावती बाइपास	किमी 149.747- किमी 166.0	6	17.500	किमी 1.3 और किमी 16.550
82.	देवधारी-केलापुर	किमी 123.000-किमी 153.000	7	30	किमी 150.00 यवतमाल जिले में केलापुर के निकट
बीओटी परियोजनाएं					
83.	म.प्र./महाराष्ट्र सीमा-धुले	किमी 168.500- किमी 265.000	3	68.300	किमी 203.400 (शिरपुर) और किमी 236.600 (सोनगीर)
84.	पिंपलगांव-धुले	किमी 380.00- किमी 265.00	3	118.158	किमी 356.715 चांदवल और किमी 268.632 धुले
85.	वडापे-गोंडे	किमी 440.00- किमी 539.500	3	94.770	किमी 455.485 घोटी (बदरूख) और किमी 532.690 अर्जुनाली

1	2	3	4	5	6
86.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	किमी 380.00-किमी 440.00	3	45.445	किमी 390.450 बसवंत गांव के निकट
87.	सतारा-कागल	किमी 592.240- किमी 725.00	4	132.76	किमी 634.5 और किमी 694.150 (टासवाडे और किनी)
88.	मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (4 लेन)	किमी 0.00-किमी 90.00	4	90.000	
89.	धारवाड़-हुबली (2 लेन)	किमी 433.00-किमी 404.00	4	29.000	किमी 432.800 और किमी 404.00
90.	पश्चिमी डायवर्जन, कटराज पुनर्सरेखण और कटराज-सरोले	किमी 2.80- किमी 30.0 और किमी 834.50- किमी 781.00	4	80.70	किमी 819.240 (खेदशिवपुर गांव जिला पुणे)
91.	खंडाला-सतारा	किमी 772.00-किमी 725.00	4	56.000	किमी 748.600 अनेवाड़ी गांव
92.	नागपुर -कोंधली	किमी 9.200- किमी 50.000	6	39.841	किमी 20.612
93.	कोंधली-तालेगांव	किमी 50.00- किमी 100.00	6	49.522	किमी 76.00 (करंजा)
94.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वैनगंगा पुल	किमी 405.00-किमी 485.00	6	72.056	किमी 449.260
95.	म. प्र./महाराष्ट्र सीमा-नागपुर और नागपुर बाइपास और पहले से ही चार लेन का प्रचालन और रखरखाव (नागपुर-हैदराबाद)	किमी 652.000 से किमी 729.000 और किमी 14,585 से किमी 36.600	7	56.613	किमी 703.700 और किमी 19.660 टेकादी और डंगरगांव गांव के पास नागपुर जिले में
96.	कजली- मनोर	किमी 381.6-किमी 439.0	8	57.400	किमी 420.34 चरोती
97.	मनोर- बसीन क्रीक दहिसर	किमी 439.00- किमी 502.00	8	63.000	किमी 474.1 शिरशाद
98.	पुणे- खेड	किमी 12.190-किमी 42.00	50	30.000	

1	2	3	4	5	6
एसपीवी परियोजनाएं					
99.	ज़वाहर लाल नेहरू पत्तन संपर्क परियोजना (चरण-१) (एसपीवी आधार पर)	किमी 5.000 से किमी.26.987 (ए1-ई खंड) और किमी. 0.00 से किमी.4.400 (डी-जी खंड) और किमी 106.000 से किमी. 109.500 तक	4बी और 4	30.000	किमी 13.050 (चिर्ले) और किमी 23.250 (करंजाडे) पर दूसरा
100.	जवाहर नेहरू पत्तन (चरण-॥) (एसपीवी आधार पर)	राज्जीय राजमार्ग के किमी 6.400- किमी 14.550 और आमरा मार्ग के किमी 0.000- के किमी 6.202 पनवेल क्रीक पर नए छह लेन पुल के निर्माण सहित	एसएच-54	14.350	किमी 9.100 (दास्तां)
पुलों					
101.	वगाधी नाला पुल	-	7	-	किमी 58.800
मध्य प्रदेश					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
102.	आगरा-धौलपुर	किमी 8.00-किमी 51	3	43.000	किमी 34 बराठा
103.	मुरैना-ग्वालियर	किमी 61.00- किमी 103.00	3	42.000	किमी 85.870 ग्राम चौंधा, जिला मुरैना
104.	लखनादोन-महागांव	किमी 567.550- किमी 624.480	7	56.93	किमी 584.500. सिवनी जिले में ग्राम अलोनिया के पास
105.	झांसी-लखनादोन	किमी 262.739- किमी 309.000	26	46.261	किमी 294.500 सागर जिले में ग्राम तीतरपानी
बीओटी परियोजनाएं					
106.	गुना बाइपास	किमी 319.700-किमी 332.100	3	14.000	किमी 331.000
107.	इंदौर-खालघाट	किमी 12.60-किमी 84.70	3	77.550	किमी 82.800
108.	खालघाट-म.प्र./ महाराष्ट्र सीमा	किमी 84.700- किमी 167.500	3	82.800	किमी 141.85
109.	इंदौर-देवास	किमी 577.550- किमी 610.00 और किमी 0.000- किमी 12.600	3	45.050	किमी 591.00 इंदौर बाइपास पर रारा-3 जंक्शन के फ्लाईओवर के ठीक बाद

1	2	3	4	5	6
ओएमटी परियोजनाएं					
110.	राज./म.प्र. सीमा-अमोला गांव (शिवपुरी बाइपास)	रारा-76 के किमी 579.00 से किमी 610.00 तक रारा--76 के किमी 610.00 पर शिवपुरी बाइपास से शुरू होकर और रारा-25 के किमी 15.00 और रारा-25 के किमी 15.00-किमी 30.00पर मिलने वाला किमी 22.00 के शिवपुरी बाइपास सहित	76 और 25	53.273	किमी 589.370 रामनगर
111.	झांसी बाइपास-अमोला	किमी 30.000- किमी 90.000	25	75.300	किमी 84.650 रकसा
ओडिशा					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
112.	भद्रक-चेतिया	किमी 53.124-किमी 123.124 (नया चैनेज किमी 227.00-किमी 157.00)	5	61.124	किमी 98.000 (नया किमी 191.698) पानीकोइली
113.	सुनाखला-भुवनेश्वर	किमी 337.01- किमी 402.01 (नया चैनेज किमी 362.000-किमी 297.000)	5	76.665	किमी 397.310 गंगापदा खुर्दा के पास (नया किमी 301.700.)
114.	भद्रक-बालासोर	किमी 136.500- किमी 199.141 (नया चैनेज किमी 143.635-किमी 80.994)	5	62.641	किमी 182.175 (नया किमी 97.960) शेरगढ़
एसपीवी परियोजनाएं					
115.	चांदीखोल-पारादीप	किमी 0.000- किमी 76.588	5ए	76.588	किमी 4श्रीरामपुर
116.	भुवनेश्वर-चेतिया	किमी 402.010- किमी 53.124 (नया चैनेज 297.00-227.00)	5	67.000	किमी 35.000 (नया किमी 245.50) मंगुली कटक के पास
पंजाब					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
117.	अमृतसर-वाघा सीमा	किमी 456.100- किमी 492.030	1	35.930	किमी 479.868 (छिद्दन)

1	2	3	4	5	6
बीओटी परियोजनाएं					
118.	जालंधर-अमृतसर	किमी 407.100- किमी 456.100	1	49.000	किमी 410.140 और किमी 446.960
119.	अंबाला-खन्ना	किमी 206-किमी 272	1	66.000	किमी 213.3000 शंबू
120.	खन्ना-जालंधर	किमी 272-किमी 372	1	115.100	किमी 328.05 लाडोवाल (पूर्व में किमी 296 पर दोराहा)
121.	अम्बाला-जीरकपुर	रारा-22 के किमी 5.7735- किमी 39.960 और रारा-21 के किमी 0.00- किमी 0.871	22 और 21	35.096	किमी 23.100 दपार
122.	किरतपुर-कुराली	किमी 28.600- किमी 73.200	21(नया रारा 205)	42.900	किमी 35.000
राजस्थान					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
123.	उदयपुर-खेरवाड़ा	किमी 278.00-किमी 348.00	8	70.000	किमी.311.100 पाडुना गांव
124.	खेरवाड़ा-रतनपुर	किमी 348.00-किमी 388.180	8	40.180	किमी 348.450 (खांडी ओबरी उपला फल्ला ग्राम)
125.	आबू रोड-पालनपुर/ खेमाना	किमी 264.00- किमी 295.00	14	31.000	किमी 270.25 उंडवरिया जिला सिरोही
126.	किशनगढ़-गांव कावलियास	किमी 0.00-किमी 35.00 एवं किमी 15.00-किमी 81.00	79 और 79ए	101.000	किमी 80.800 कावलियास
127.	भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़	किमी 81.00-किमी 163.900	79	82.900	किमी 163.650 जोजरो का खेड़ा
128.	रिठोला-उदयपुर गांव	किमी 213-किमी 113.830	76	99.170	किमी 166.00 नारायनपुरा
129.	चित्तौड़गढ़-बाइपास	रारा-79 के किमी 159.0 (नया चैनेज 163.9 किमी) और रारा-76 के किमी 213.0 पर विलय	79 और 76	29.600	किमी 28.500 रिठोला
बीओटी परियोजनाएं					
130.	जयपुर-किशनगढ़	किमी 273.50- किमी 363.885	8	90.385	किमी 286.450 जयपुर और किमी 360.20 किशनगढ़

1	2	3	4	5	6
131.	गुड़गांव-कोटपुतली	किमी 42.0-किमी 162.5	8	119.800	किमी 115 शाहजहांपुर
132.	कोटपुतली-चंदवाजी	किमी 162.5-किमी 220	8	57.500	किमी 211 मनोहरपुर
133.	जयपुर बाइपास चरण-I और II	चरण-I रारा-11 के किमी 246 पर शुरू होकर और रारा-8 के किमी 273.5 पर शामिल होने वाला लंबाई 13.7 किमी और चरण-II रारा-8 के किमी 220 से शुरू होकर और रारा-11 के किमी 246.00 पर मिलने वाला लंबाई 34.70 किमी	8 और 11	48.400	किमी 13.20 जयपुर बाइपास चरण-II पर हमरा से
134.	आगरा-भरतपुर	किमी 17.757- किमी 63.000	11	44.50	किमी 30.300 कोरई
135.	भरतपुर-महुआ	किमी 63.000- किमी 120.000	11	57.000	किमी 64.570 और किमी 98.500
136.	जयपुर-महुआ	किमी 119.567- किमी 174.296	11	109.088	किमी 156.60 और किमी 204.70
ओएमटी परियोजनाएं					
137.	गदावली नदी-राज./म.प्र. सीमा	किमी 509.00- किमी 580.00 (नया चैनेज किमी 491.722- किमी 559.214)	76	67.492	किमी 525.735 मुंडियार
138.	स्वरूपगंज-पिंडवाड़ा और पिड़वाड़ा-उदयपुर	रारा-14 के किमी 264.000- किमी 248.700 और रारा-76 के किमी 0.000- किमी 57.000	14 और 76	72.300	किमी 11.200 मालेरा/पिंडवाड़ा
139.	पिंडवाड़ा-उदयपुर	किमी 57.00- किमी 104.724	76	47.724	किमी 64.200 जसवंतगढ़/गोगुंडा
140.	चितौड़गढ़-बिछौर	किमी 213.00- किमी 269.00 (नया चैनेज किमी 199.929- किमी 252.929)	76	53.00	किमी 273.629, बस्सी गांव
141.	बिछौर-बिजोलिया	किमी 269.00-325.000 (नया चैनेज किमी 252.929- किमी 306.929)	76	54.00	किमी 294.469, आरोली गांव

1	2	3	4	5	6
142.	बिजोलिया-कोटा	किमी 325.00- किमी 381.0 (किमी 306.929 चैनेज- किमी 360.429)	76	53.50	किमी 340.979, धनेश्वर गांव
143.	कोटा बाइपास-देरूमाता मंदिर	किमी 406.00- किमी 449.150 (नया चैनेज किमी 388.263- किमी 430.943)	76	42.68	किमी 427.000 सिमलिया/बारन
144.	देरूमाता मंदिर-गदावली नदी	किमी 449.150- किमी 509.00 (नया चैनेज किमी 430.943- किमी 491.722)	76	61.379	किमी 479 फतेहपुर
पुल					
145.	आरओबी-किशनगढ़	किमी 367.320- किमी 368.483	8		किमी 368.02
तमिलनाडु					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
146.	वालापेट-कांचीपुरम	किमी 107.200- किमी 60.100	4	47.115	किमी 104.99 चेन्नासमुद्रम
147.	कांचीपुरम-चेन्नई	किमी 60.10- किमी 13.80	4	46.300	किमी 37.80 श्रीपेरुमबुदुर
148.	मदुरै-विरुद्धनगर	किमी 1.500- किमी 52.300 (पुराना चैनेज किमी 1.500- किमी 45.483)	7	50.80	किमी 18.652 निकट कप्पालूर जिला मदुरै
149.	विरुद्धनगर-कोविलपट्टी	किमी 52.300- किमी 99.780	7	47.48	74.930 किमी निकट इत्वूरवत्वूम जिला विरुद्धनगर
150.	कोविलपट्टी-मुंद्रादायप्पू	किमी 109.683- किमी 173.183 (नया चैनेज किमी 116.500- किमी 180.000)	7	63.5	किमी 125.350 निकट सलाईपुधुर जिला तूतीकोरिन
151.	मुंद्रादायप्पू-अजूंग्रामम	173.183- किमी- 231.600 किमी (नया चैनेज 180.000 किमी- 234.975 किमी)	7	54.975	किमी 185.387 निकट नांगुनेरी जिला तिरूनेलवेली
152.	चेन्नई बाइपास	किमी 0.00 से किमी 19.17 चरण-ट (रारा-45 के किमी 28.00 से शुरू होकर रारा-4 के किमी 13.80 पर शामिल होने वाला)	45और 4	19.170	किमी 16.50, वनग्राम

1	2	3	4	5	6
153.	ताम्बरम-टिंडीवनम	किमी 28.00- किमी 74.50	45	46.500	किमी 52.820 (पन्नूर)
154.	ताम्बरम-टिंडीवनम	किमी 74.50- किमी 121.00	45	46.500	किमी 103.500 (आथुर)
155.	त्रिची-तोवरनकुरिची	किमी 0.00- किमी 60.950	45बी	60.633	किमी 21.020 (निकट बोथाकुडी गांव)
156.	तोवरनकुरिची-मुदैरे	किमी 124.840 से किमी 60.950	45बी	63.890	किमी 113.630 (निकट चित्तमपट्टी गांव)
बीओटी परियोजनाएं					
157.	चेन्नई-टांडा	किमी 11.00-किमी 54.40	5	43.400	किमी 27.00/किमी 21.625
158.	होसुर-कृष्णागिरि	किमी 33.130- किमी 93.000	7	59.870	किमी 88.300 कृष्णागिरि
159.	कृष्णागिरि-अम्बुर	किमी 89.00- किमी 93.000 और किमी 0.00-किमी 72.950	7 और 46	73.000	किमी 46.850 पेड्डाकल्लूपल्ली (वनियांबदी)
160.	कृष्णगिरि-थोपुरघाट	किमी 94.000- किमी 180.000	7	86.000	किमी 154.440, पलयम ग्राम, धर्मपुरी जिला
161.	ओमालूर-नमक्कल	किमी 180.000- किमी 248.625	7	68.625	किमी 191.800
162.	नामक्कल-करूर	किमह 248.625- किमी 373.275	7	41.370	किमी 259.500
163.	करूर बाइपास-डिंडीगुल बाइपास	किमी 292.600- किमी 373.275	7	77.725	किमी 332.000
164.	डिंडीगुल बाइपास-समयानेल्लौर	किमी 373.725- किमी 426.600 (परियोजना चैनेज किमी 368.147- किमी 421.196)	7	53.049	किमी 398.500
165.	त्रिची-डिंडीगुल	किमी 333.000- किमी 421.273	45	88.278	किमी 382.850 निकट पोन्नमबालापट्टी
166.	टिंडीवनम-उलूंडुरपेट	किमी 121.00- किमी 192.25	45	72.90	किमी 148.900
167.	उलूंडुरपेट-पडलूर	किमी 192.25- किमी 285.00	45	93.894	किमी 192.750 और किमी 244.00
168.	पडलूर-त्रिची	किमी 285.00- किमी 325.00	45	38.427	किमी 304.510
169.	मदुरै-तूतीकोरिन	किमी 138.800- किमी 264.500	45बी	127.400	किमी 143.580 निकट इलियारपाथी गांव जिला मदुरै और किमी 254.940 निकट पुदुरपांडिपुरम गांव जिला तूतीकोरिन
170.	अम्बूर-वालाझपेट	किमी 72.950- किमी 148.300	46	75.350	किमी 98.520 पल्लीकोंडा जिला वेल्लोर

1	2	3	4	5	6
171.	सलेम-कुमारपलयम	किमी 00.000- किमी 53.525	47	53.525	किमी 27.697 वैंगुथम गांव
172.	कुमारपलयम-चेंगापल्ली	किमी 53.00- किमी 100 (नया चैनेज किमी 53.525- किमी 102.035)	47	48.510	किमी 88.287
173.	पांडिचेरी-टिंडीवनम	किमी 0.000- किमी 37.920	66	38.608	किमी 6.572 मोरतंडी
174.	तंजावुर-त्रिची	किमी 80.000- किमी 128.480	67	48.480	किमी 120.900
175.	सलेम-उलूंडुरपेट	किमी 0.000- किमी 134.000 (डिजाइन चैनेज किमी 0.313- किमी. 136.670)	68 (नया रारा-79)	90.904	किमी 73.760 नाथकरई और किमी 105.000 वीराचोलापुरम पश्चिम
उत्तर प्रदेश					
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं					
176.	टूंडला-माखनपुर	किमी 219.00- किमी 250.500	2	31.500	किमी 225.00, टूंडला
177.	इटावा और इटावा बाइपास-शिकोहाबाद	किमी 250.50- किमी321.10	2	72.940	किमी 285.0 सेमरा, अतिकाबाद
178.	इटावा-सिकन्दरा	किमी 321.10- किमी 393.00	2	72.825	किमी 351.50 अंनतराम
179.	सिकन्दरा-भौंती	किमी 393.0- किमी 470.00	2	61.000	किमी 393.00 सिकन्दरा से किमी 2.80
180.	भौंती-फतेहपुर	नया चैनेज किमी 457.377-किमी 508.877	2	51.500	किमी 506.262, पुरवामीर
181.	फतेहपुर-खोखराज	किमी 100.00- किमी 158.00	2	58.000	किमी 120.50 कटोघन
182.	इलाहाबाद-हंडिया-वाराणसी	किमी 245.00- 317.00 किमी	2	72.000	किमी 279.12, लालानगर
183.	इलाहाबाद बाइपास	किमी158.00- किमी 242.708	2	84.708	किमी 161.850 सिहोरी उपरहार, किमी 185.544 आदमपुर, किमी196.605 राजापुर मकसूदन, किमी 216.815 भोतपुर और किमी 239.950 सजौला
184.	गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बाइपास	किमी 27.643- किमी 48.638 और किमी 11.250 का बाइपास	24	32.245	किमी 29.30 डासना

1	2	3	4	5	6
185.	ब्रिजघाट-मुरादाबाद	किमी 93.00- किमी 149.25	24	56.25	किमी 121.975 जोया
186.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	किमी 58.000 से किमी 93.000	24	35.000	किमी 88.500 ब्रिजघाट, जिला गाजियाबाद
187.	लखनऊ-कानपुर	किमी 11.00- किमी 59.00	25	48.00	किमी 39.00 नवाबगंज
188.	झांसी-पूच	किमी 90.000- किमी 165.000 (सिवाय क़िमी 97.150- किमी 98.000 के)	25	64.150	झांसी जिले में किमी 140.400 ग्रांम सेमारी
189.	झांसी-ललितपुर	किमी 49.700- किमी 99.005	26	49.305	किमी 85.280 ग्राम वीगाखेत ललितपुर जिले में
190.	नैनी में केबल आधारित पुल और इसका पहुंच मार्ग	किमी 0.00- किमी 5.410	27	5.410	किमी 1.600
191.	गोरखपुर बाइपास	0.000 किमी- 32.270 किमी (मौजूदा चैनेज 251.700 किमी-279.800 किमी)	28	32.27	किमी 3.500 गोरखपुर जिले में, गांव तेंदुला
192.	रानीमऊ-फैजाबाद	किमी 70.000 से किमी 135.000	28	65.00	किमी 107.000 रोनाही, जिला फैजाबाद
193.	अयोध्या-बस्ती	किमी 135.000 से किमी 190.000	28	55.00	किमी 163.000 चौकड़ी, जिला बस्ती
194.	बस्ती-गोरखपुर	किमी 190.000 से किमी 252.860	28	62.86	किमी 198.000 मांडव नगर
बीओटी परियोजनाएं					
195.	वाराणसी-मोहनिया (वाराणसी-औरंगाबाद खंड)	किमी 317.0- किमी 46.00 संशोधित किमी 317.00- किमी 319.00 पर शुरू होने वाला वीआरएम बाइपास और किमी 21 पर विलय और किमी 21.00- किमी 180.00 (नया चैनेज किमी 786.00- किमी 978.00)	2	55.000	वीआरएम बायपास का किमी 12.00 संशोधित किमी 800.00
196.	दिल्ली-आगरा	किमी 110.250- किमी 199	2	89.750	किमी 164.000 महुवन
197.	मुरादाबाद बाइपास	24 राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी 148.43 प्रारंभ होते हुए और किमी 166.65 पर पुनः मिलते हुए	24	18.22	किमी 156 टीपी-1 और किमी 158 टीपी-2

1	2	3	4	5	6
198.	लखनऊ-सीतापुर	किमी 488.270- किमी 423.200	24	75.931	बड़ाबाड़ी के निकट किमी 468.000 और करौंदीनिकट के निकट किमी 420.000
199.	मेरठ-मुजफ्फरनगर	किमी 52.250- किमी 131.000 (डिजाइन 52.250 चै.- 130.560)	58	78.310	किमी 76.000 ग्राम सिवाया जिला
	पुलों				
200.	सीतापुर	-	24	-	-
201.	शाहजहांपुर	-	24	-	-
202.	बेसो	-	29	-	-
	पश्चिम बंगाल				
	सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं				
203.	अड्डा-पानागढ़बरवा	किमह 398.75- किमी 515.236	2	116.486	किमी 454.8 गरूई
204.	बुदबुद-पलसित	किमी 525.853- किमी 587.853	2	62.000	किमी 585.692 पलसिमजिला बर्दवान
205.	पलसित-धनकुनी	किमी 587.853- किमी 651.602	2	63.749	किमी 646.005 धनकुनी
206.	पूर्णिया-डलखोला	किमी 447.000- किमी 498.970	31	51.97	किमी 451.00 सूरजपुर
207.	सोनापुर-गोशपुकुर	किमी 551.000- किमी 522.700	31	28.30	किमी 451.00 दार्जिलिंग जिले में पश्चिम मेदाती
208.	खड़गपुर-डान्टन	किमी 69.450- किमी 119.737	60	50.287	किमी 103.490 रामपुरा
209.	डान्टन-बालासोर	किमी 69.450- किमी 0.00	60	69.450	किमी 35.400 ग्राम संतोषपुर/लक्ष्मणनाथ
	बीओटी परियोजनाएं				
210.	दूसरा विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग	किमी 666.165- किमी 672.197	2	6.00	किमी 666.644, राजचन्द्रपुर
211.	धनकुनी-कोलाघाट	किमी 18.50- किमी 72.00	6	53.500	किमी 35.250 जलधुलगोरी
212.	कोलाघाट-खड़गपुर	किमी 74.10- किमी 129.61	6	55.510	किमी 112.695 देबरा/बारामूला
	कुल लंबाई (किमी)			12272.792	

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 13 तक बीओटी प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	प्लाजा के नाम	किमी में लंबाई	2009-2010	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
एसपीवी								
1.	एसआर	कॉन्वेंट जंक्शन से लायप्पा मंदिर (वीपीसीपी)		12.000	498.90	540.12	672.23	
बीओटी								
2.	5	टाडा-नेल्लोर	नेल्लोर बुढानम, और सल्लूरपेट	111	7232.15	8519.79	10412.65	9238.64
3.	9	नंदीगाम-विजयवाड़ा	किसारा	48.000	2520.18	3101.09	3626.17	3028.24
4.	5	थोडापल्ली-जेडचेरला	एपी3	58.006	4196.94	5130.31	5887.51	5117.09
5.	5	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा	काजा	83.000	5999.47	7675.47	8625.04	7298.32
6.	7	जेडचेरला-कोटाकट्टा	एपी4	55.740	3136.21	3754.57	4371.72	3748.73
7.	5	ओंगोले-चिलकालूरीपेट	बोलापल्ली	70.945			1820.88	4246.80
8.	5	कवाली-ओंगोले	तांगटूर	69.000			2833.04	7222.30
9.	5	कवाली-नेल्लोर	सुनमबत्ती	43.800			1673.44	4210.90
		कुल आंध्र प्रदेश			23583.85	28721.35	39922.68	44111.02
बिहार								
बीओटी								
1.	2	मोहनिया-बारून	मोहनिया	42.600			2212.70	3735.80
2.	2	बारून-औरगांबाद	सासाराम	94.800			4467.11	7811.76
		कुल बिहार			0.00	0.00	6679.81	11547.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात								
एसपीवी								
1.	एनई-I	ए.वी.एक्सप्रेसवे प्रथम चरण	अहमदाबाद और एयूएडीए रिंग रोड	43.400	2664.92	7585.05	13727.65	
2.	एनई-I	ए. वी.एक्सप्रेसवे द्वितीय चरण	नाडियाड आंनद, और वडोदरा	49.902	3462.73			
3.	8	अहमदाबाद वडोदरा	वसाड	88.850	3086.01	3845.75	4606.28	
4.	8	वत्रक पुल	42 किमी	8.750	164.74	146.10		
बीओटी								
6.	8ए	समखियाली-गांधीधाम	समखियाली	56.160		2635.91	6281.08	
7.	8	जेतपुर-गोंडल-राजकोट	राजकोट	67.127	3111.43	3338.06	3823.69	3754.02
8.	8	चलथान-वागलधारा	बोरिएक	55.200	8126.65	8836.60	10020.44	8784.78
9.	8	वागलधारा-कजली	भागवडा	63.000	8182.33	9050.81	10020.44	8784.78
10.	8	भरूच-सूरत	चोरियासी	65.000	6623.04	13000.10	14284.58	12020.00
11.	8	वडोदरा भरूच	भरथना	83.300	13363.36	18963.00	21112.00	17760.00
		कुल गुजरात			48785.21	67401.37	83876.17	51103.57
हरियाणा								
बीओटी								
1.	1	पानीपत ऊंचा	सोनीपत	10.000	3544.22	3739.25	5188.97	3463.00
2.	1	पानीपत अंबाला	करनाल	रुरुरुरुरु	10195.48	13412.93	8901.16	7585.45
3.	2	बदरपुर ऊंचा राजमार्ग	बदरपुर	4.400		1112.84	3259.61	2873.21
4.	2	बदरपुर-कोसी	किमी 72 श्रीनगर					
5.	22	जीरकपुर-परवानू	चंडी मंदिर					2117.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	8	दिल्ली-गुड़गांव	गुड़गांव	27.700	15393.63	19351.17	21252.59	17902.75
		कुल हरियाणा			29133.33	37616.18	38602.233	33942.22
कर्नाटक								
बीओटी								
1.	7	सिल्क बोर्ड जंक्शन-होसूर	32.700 (4 साइड प्लाजा)	24.365		5846.98	7306.41	5939.87
2.	4	बंगलौर-नीलमंगला	बंगलोर-नीलमंगला	19.565		1021.71	3716.68	3390.98
3.	48	जंक्शन-देवीहल्ली नीलमंगला	किमी 32.750 और 100.300 किमी	82.262				
4.	13 (नया रारा-50)	बीजापुर-हुंगुंड	नागरहल्ला जिला बागलकोट	97.220				
5.	4	तुमकुर-नीलमंगला	चित्रगदुर्गा	32.500	3845.21	4432.20	5232.43	4714.97
6.	4	तावरेकेरे-डोड्डासिद्दनहल्ली	करजीवनहल्ली	57.000		5910.24	6236.67	
7.	4	अतरासनहल्ली-तावरकेरे	गैलालू	60.000	6617.10	7069.30		
8.	4	हीरेवागेवाडी-धारवाड़	हीरेवगावदी	79.360			2583.33	4861.77
9.	7	देवनहल्ली-बंगलौर	किमी 538.000 पर	22.120				194.91
		कुल कर्नाटक			3845.21	11300.89	31366.19	32408.46
महाराष्ट्र								
एसपीवी								
1.	4 और 4बी	जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट-II		30.000	4293.80	4817.42	6074.06	
2.	4 और 4बी	जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट-II					649.29	
बीओटी								
1.	4	सतारा-कागल	टासवाडे और किनी	######	6711.57	7803.12	7577.45	6364.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	8	मनोर-दहिसर	खानवाड़े	63.000	8630.12	9442.27	10020.44	8784.78
3.	6	नागपुर-कोंधली	किमी 20.612	39.841			1417.66	2324.70
4.	6	कोंधली-तलेगांव	अमरावती	49.522	2532.85	3117.90	3017.75	2453.65
5.	6	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वैनगंगा पुल	वैनगंगा पुल	72.056		1817.09	4452.00	3687.37
6.	3	म. प्र./महाराष्ट्र सीमा-धुले	किमी 203.400 (शिरपुर) किमी 236.600 (सोनगीर)	68.300			1183.00	6578.10
7.	3	पिंपलगांव-धुले	नासिक	99.000	2641.22	11936.83	14228.00	13506.20
8.	3	वडापे-गोंडे	(बी) घोटी, अर्जुनाली	94.770		5120.64	9853.00	10628.21
9.	7	म. प्र./महाराष्ट्र सीमा-नागपुर और नागपुर बाइपास और संचालन और पहले से ही चार लेन का रखरखाव (नागपुर-हैदराबाद)	नागपुर जिला में टेकादी और डंगरगांव गांव के पास 703.700 और 19.660					
10.	3	पिपंलगांव-नासिक-गोंडे	गांव बसवंत के पास					
11.	4	सतारा-खंडाला	अनेवाड़ी	56.000		2206.54	5754.28	5710.00
12.	4	पश्चिमी डायवर्जन	खेदशिवपुरम	80.70		3774.26	8967.77	8950.00
13.	8	कजली-मनोर	चरोती	57.400	8438.05	9144.76	10020.44	8784.78
		कुल महाराष्ट्र			33247.61	59180.83	83215.14	77772.48

मध्य प्रदेश

बीओटी

1.	3	गुना बाइपास	गुना	14.000	1068.84	1357.74	1447.84	1377.68
2.	3	खालघाट-म. प्र./महाराष्ट्र सीमा	किमी 141.85	82.800			7720.32	7257.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	3	इंदौर खालघाट	किमी 82.800	77.550	3583.31	6717.29	8562.36	7929.51
4.	3	इंदौर-देवास	बाइपास इंदौर	45.050			1883.79	3158.20
		कुल मध्य प्रदेश			4652.15	8075.03	19614.32	19722.88
ओडिशा								
एसपीवी								
1.	5ए	चांदीखोल-पारादीप	4 किमी श्रीरामपुर		809.12	1746.89	1831.00	
बीओटी								
2.	5	भुवनेश्वर कटक जगतपुर	गोपालपुर/मंगुली	70.000			2087.72	
		कुल ओडिशा			809.12	1746.89	3918.72	0.00
पंजाब								
बीओटी								
1.	1	खन्ना- जालंधर	लाडोवाल		7041.51	8234.35	8901.16	7585.45
2.	1	अंबाला- खन्ना	शंबू	66.000	3429.70	4092.68	8901.16	7585.45
3.	1	जालंधर - अमृतसर	अमृतसर टोलवे	49.000		2053.47	2623.38	2388.99
4.	1	अम्बाला - जीरकपुर	दपार	33.011	1871.73	2157.60	2461.61	2226.77
5.	21	कुराली - कीरतपुर	सोलखियां	42.900			1615.04	1971.41
		कुल पंजाब			12342.94	16538.10	24502.34	21761.07
राजस्थान								
बीओटी								
1.	8	कोटपुतली - जयपुर बाइपास	मनोहरपुर	57.500	9137.35	10541.33	11498.45	10053.35
2.	8	गुड़गांव - कोटपुतली	शाहजहांपुर		16104.39	19943.92	22258.49	19307.05
3.	8	जयपुर बाइपास चरण-I और द्वितीय	दौलतपुरा	48.400	5831.32	6646.60	7618.61	6784.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	8	जयपुर - किशनगढ़	किमी 286.450 जयपुर और किमी 360.20 किशनगढ़	90.385	17080.17	18863.36	22402.75	19546.83
5.	8	जयपुर महुआ	किमी 156.60 और 204.70 किमी	54.720	4114.21	5897.36	4736.49	6705.89
6.	11	आगरा - भरतपुर	किमी 30.300 कोरई	44.500	938.83	1337.28	1594.08	1709.93
7.	11	भरतपुर - महुआ	किमी 64.570 और किमी 98.500	57.000	2371.42	3082.93	3484.96	3493.16
		कुल राजस्थान			55577.29	66312.78	73593.83	67601.00
तमिलनाडु								
बीओटी								
1.	7	कृष्णागिरि - थोपुरघाट	किमी 154.440, पलयम ग्राम, धर्मपुरी जिला	69.400	6679.31	9158.75	11122.07	9865.13
2.	7	ओमालूर - नम्मकल	किमी 191.800	49.425	1908.54	4240.46	5360.78	4919.61
3.	45	टिंडीवनम - उलंडुरपेट	किमी 148.900	72.900	3718.49	6341.76	7231.17	6586.13
4.	7	डिंडीगुल बाइपास - समयानेल्लौर	किमी 398.500	53.049	1450.86	3543.18	4204.28	4086.29
5.	45	उलूंडुरपेट - पडलूर	किमी 192.750 और किमी 244.00	93.894	3232.55	6681.22	8026.36	6948.27
6.	45	त्रिची - डिंडीगुल	पोन्नमबालापट्टी	88.278			557.22	2302.79
7.	66	पांडिचेरी टिंडीवनम	मोरतंडी	38.608			341.09	908.60
8.	45	पडलूर - त्रिची	किमी 304.510	38.427		2060.66	3065.30	2742.21
9.	67	तंजावुर - त्रिची	किमी 120.900	48.480			2072.53	1832.23
10.	45बी	मुदरै तूतीकोरिन	किमी 143.583	###			4060.45	4698.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	47	सलेम कुमारपलयम (टीएन 06)	53.525 किमी. 00.00 किमी	53.525		1991.94	3078.75	2937.93
12.	47	बाइपास चेंगापल्लीकुमारपलयम	चेंगापल्ली	48.510	1772.71	3341.28	3691.97	3280.03
13.	7	नमक्कल - करूर	करूर	41.370	894.63	1780.12	2296.81	2113.89
14.	7	डिंडीगुल बाइपास - करूर बाइपास	करूर	77.725	961.69	2621.12	3023.92	3251.13
15.	5	चेन्नई टाडा	टाडा	43.400	3302.12	3971.22	4904.07	4426.70
16.	7	होसुर - कृष्णागिरि	कृष्णागिरि	55.000			6549.63	7756.70
17.	46	कृष्णागिरि - अम्बुर	अम्बुर	73.380			3583.53	3893.83
18.	46	अम्बुर - वालाझपेट	पल्लीकोंडा	78.201			4912.98	5422.69
19.	68 (नई 79 एनएच)	सलेम - उलूंडुरपेट	किमी 73.760 नाथकरई और किमी 105.000 वीरचोलापुरम पश्चिम	64.940				
		कुल तमिलनाडु			23920.90	45731.70	78082.92	77972.47

उत्तर प्रदेश

एसपीवी

1.	24	मुरादाबाद बाइपास	टीपी-I और टीपी-II	18.220	1083.09	716.60		

बीओटी

2.	2	वाराणसी - मोनिया	वीआरएम बाइपास	55.000			3526.68	5439.23
3.	58	मेरठ - मुजफ्फरनगर	किमी 76.000 ग्राम सिवाया जिला	57.000			5945.72	6194.32
4.	2	कोसी - आगरा	किमी 164.55 महुवन					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	24	मुरादाबाद बाइपास	किमी 156 टीपी-८ और किमी टीपी-2 158					
6.	24	लखनऊ - सीतापुर	किमी 420 और किमी 468	50.000				2690.00
		कुल उत्तर प्रदेश			1083.09	716.60	9472.40	14323.55
पश्चिम बंगाल								
बीओटी								
1.	8	विवेकानंद पुल	विवेकानंद पुल	6.000	5468.64	6502.71	7512.22	6676.17
2.	6	धनकुनी-कोलाघाट (प्राप्त नहीं)	जलदुलागोरी					8027.52
3.	6	कोलाघाट-खड्गपुर (प्राप्त नहीं)	देबरा					5007.11
		कुल पश्चिम बंगाल			5468.64	6502.71	7512.22	19710.80
केरल								
एसपीवी								
1.	47	ईडापल्ली-वाइटिल्ला-अरूर	कुबंलम	16.450			630.02	
बीओटी								
1	47	त्रिशूर-अंगमाली-ईडापल्ली	किमी 278.000 (पलियक्करा)	6.000			826.64	7897.80
		कुल केरल			0.00	0.00	1456.65	7897.80
छत्तीसगढ़								
बीओटी								
1.	6	दुर्ग बाइपास	दुर्ग बाइपास	18.000	2512.30	2666.49	3301.29	3113.70
		कुल छत्तीसगढ़			2512.30	2666.49	3301.29	3113.70
		कुल जोड़			244962.03	352510.91	505117.02	482988.57

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 12 तक बीओटी प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क सग्रंहण का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	प्लाजा का नाम	2009-2010	2010-11	2011-12	लाख रू. में 2012-13 (अक्टूबर तक)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
लोक वित्त पोषित								
1.	5	अंकापल्ली-विशाखापट्नम	अगनमपुडी	915.47	972.22	1125.18	661.77	
2.	5	नदीगाम-इच्छापुरम	मदापम	1722.97	1800.28	2003.64	1039.07	
3.	5	इच्छापुरम-पुड्नटोला	बेल्लूपदा				210.75	
4.	5	इच्छापुरम-श्रीकाकुलम	लक्ष्मीपुरम	1415.02	1483.66	1612.09	888.37	
5.	5	चिलाकालूरीपेट-विजयवाड़ा	काजा	291.59	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
6.	5	विजयवाड़ा गुंडुगोलन (31/8 किमी)	पट्टीपडु	1453.18	1662.70	1745.35	1041.16	
7.	5	विजयवाड़ा गुंडुगोलन (53/3 किमी)	कलपारू	1488.16	1723.67	1819.03	1076.32	
8.	5	राजमुंदरी-तुनी	कृष्णावरम	3116.74	3315.26	3567.41	2172.38	
9.	5	तुनी-अंकापल्ली	वीमापडु	3606.68	3838.40	4102.69	2737.68	
10.	5	विशाखापतनम-चंपावती	नाथवलसा	1295.02	1464.64	1419.85	1065.30	
11.	5	बोम्मुर-गुंडूगोलनू	टनुकु	3281.19	3705.04	3900.47	2522.56	
12.	5	कवाली-नेल्लोर	सुनतबत्ती	2273.94	2415.85	2092.15		बीओटी को हस्तांतरित
13.	5	कवाली-ओंगोले	तांगटूर	3371.65	3493.57	2492.78		बीओटी को हस्तांतरित
14.	5	ओंगोले-चिलकालूरीपेट	बोलापल्ली	2100.88	2412.33	1532.86		बीओटी को हस्तांतरित
15.	5	श्रीकाकुलम-चिलकापलेम	चिलकपलेम	1659.45	1807.77	1864.70	1159.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.		महाराष्ट्र/एपी सीमा-इस्लाम नगर	पिपलवाड़ा				870.21	
17.	7	इस्लाम नगर-कटडल	रालमामदा		1416.60	2770.90	1772.22	
18.	7	कडटल-अरमूर	गमजाल	856.46	1648.32	1777.88	1130.73	
19.	7	कोथाकोटा-कुरनूल बाइपास	किमी 200.95 (एपी5)	1158.31	4612.84	5012.73	2779.04	
20.	7	कुरनूल-करीदीकोंडा	अमाकाथाडू		361.79	3074.56	2245.74	
21.	7	करीदीकोंडा-मरूर	कासेपल्ली		350.37	3086.80	2347.15	
22.	7	मरूर-एपी/कर्नाटक सीमा	मरूर		836.71	2133.38	1514.85	
23.	7	अडलूर येल्लारेड्डी गुंडला पोचमपल्ली	मनोहराबाद	2362.76	2862.90	3290.41	1990.91	
		कुल आंध्र प्रदेश		32369.48	42184.90	50424.84	29225.29	
बिहार								
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बारून-बाराचट्टी	साव-काला	3416.78	3635.84	2664.23	15543.23	
2.	2	मोनिया-बारून	सासाराम	2509.05	2727.95	1331.73		बीओटी को हस्तांतरित
3.	57	मुजफ्फरपुर-दरभगा	मैथी			481.57	768.30	
4.	57	फोरबिसगंज-पूर्णिया	हरियाबाड़ा			269.06	212.21	
सेतु								
5.	57	गोसाघाट पुल	पुल	83.27	50.39			बंद
		कुल बिहार		6009.10	6414.18	4746.58	2523.74	
गुजरात								
लोक वित पोषित								
1.	8	रतनपुर-हिम्मतनगर	वनटाडा	886.00	1008.88	1277.16	906.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	8	हिम्मतनगर- चिलोदा	काठपुर	1407.80	1501.43	1652.06	1014.24	
3.	8ए	समखियाली - गांधीधाम	समखियाली	2491.27	1034.56			बंद
4.	8ड	पोरबंदर - भिलाडी	वनाना	248.38	77.75			ओएमटी को हस्तांतरित
5.	15	राधनपुर - अदेसर	वरही	1314.22	89.24			ओएमटी को हस्तांतरित
6.	14	राधनपुर - पालनपुर	भिलाडी	1437.31	96.95			ओएमटी को हस्तांतरित
7.	8बी	भिलाडी - जेतपुर	दुमियानी	427.89	126.51			ओएमटी को हस्तांतरित
8.	15	अदेसर - समखियाली	किमी 226 पर माखेल	1073.81	104.44			ओएमटी को हस्तांतरित
9.	8ए	बामनबोर - गारामोर	बघासिया	332.04	723.48	1029.29	968.73	
10.	14	पालनपुर/खेमाना -आबूरोड	खेमाना	1366.86	1778.14	1910.48	1166.81	
11.	8ए	गारामोर - समखियाली	सूरजबाड़ी			1870.98	2626.67	
ओएमटी								
11.	14 और 15	पालनपुर समखियाली (ईडब्लू)	वरही माखेल भिलाडी बेलगाम		5958.33	7095.83	4531.33	
12.	8ड	पोरबंदर भिलाडी, भिलाडी - जेतपुर	वनाना दुमियानी		337.50	483.75	305.25	
		कुल गुजरात		10985.59	12837.20	15319.56	11519.20	
हरियाणा								
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बदरपुर - कोसी	श्रीनगर	2131.66	2305.74	2658.40	1510.49	
2.	1	पानीपत - अंबाला	करनाल	561.44	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
		कुल हरियाणा		2693.10	2305.74	2658.40	1510.49	
झारखंड								
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बाराचट्टी - गोरहर	रसोया धमना	2656.01	2790.08	2788.19	1957.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	2	बरवा अड्डा - पानागढ़	गरूई	2048.11	2033.36	1823.50	1014.42	
3.	2	गोरहर - बरवा अड्डा	बसईजाम		636.30	1602.55	2072.89	
		कुल झारखंड		4704.12	5459.75	6214.24	5044.82	
कर्नाटक								
लोक वित्त पोषित								
1.	4	बेलगाम - महाराष्ट्र सीमा	कोगनोली	1760.87	2030.17	2125.54	1273.17	
2.	4	हीरेवागेवाडी - हट्टारगी	हटटारगी	1994.35	2168.23	1057.82	501.69	
3.	4	हीरेवागेवाडी - धारवाड़	हीरेवगावदी	1516.13	1646.81	162.84		बीओटी को हस्तांतरित
4.	4	अंतरासनहल्ली - तावरकेरे	करजीवनहल्ली	3741.16	4222.32	859.59		बीओटी को हस्तांतरित
5.	4	गब्बूर - देवगिरी	बंकापुर	1960.38	1884.36	2211.67	1508.34	
6.	4	डोड्डासिद्दनहल्ली	हेब्बालू				153.46	
7.	4	हदादी - देवगिरी	चालागेरी				38.47	
8.	4	तावरेकरे - डोड्डासिद्देनहल्ली	गैलालू	3487.80	3824.06	796.09		बीओटी को हस्तांतरित
9.	7	एपी/कर्नाटक सीमा-देवनहल्ली	किमी 464.774 बागेपल्ली	451.60	2202.90	2501.30	1456.45	
		कुल कर्नाटक		14912.29	17978.85	9714.85	4931.58	
महाराष्ट्र								
लोक वित्त पोषित								
1.	4	सतारा - खंडाला	अनेवाड़ी	2002.53	952.07			बीओटी को हस्तांतरित
2.	4	पश्चिमी डायवर्जन	खेदशिवपुरम	4049.20	2009.18			बीओटी को हस्तांतरित
3.		देवधारी - केलापुर	केलापुर				371.84	
4.	6	अमरावती बाइपास	अमरावती बाइपास	508.32	540.87	636.22	593.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सेतु								
5.	7	खूनी पुल	पुल	114.66	127.14	154.55	39.25	
6.	7	वगाधा नाला पुल	पुल	192.39	197.43	218.19	107.04	
		कुल महाराष्ट्र		6867.10	3826.69	1008.96	1111.36	
मध्य प्रदेश								
लोक वित्त पोषित								
1.	3	आगरा -धौलपुर	बरीठा	582.14	641.93	772.05	502.03	
2.	3	आगरा - ग्वालियर	चौंधा	729.99	775.94	905.19	589.98	
3.	25	झांसी बाइपास -अमोला	किमी 80.000 रकसा	389.73	658.54	307.67		ओएमटी को हस्तांतरित
4.	76 और 25	राज./म. प्र. सीमा अमोला गांव	रामनगर	79.20	99.42	27.09		ओएमटी को हस्तांतरित
5.	26	झांसी - लखनादोन	तीतरपानी			55.90	414.48	
6.	7	लखनादोन - महागांव	अलोनिया			576.62	984.64	
ओएमटी								
7.	76	गदावली नदी -राज./म.प्र. सीमा	मुंडियार			798.58	798.58	
	76 और 25	राज./म. प्र. सीमा - अमोला गांव	रामनगर					
	25	अमोला-झांसी बाइपास	किमी 80.000 रकसा					
		कुल मध्य प्रदेश		1781.06	2175.84	3443.11	3289.72	
ओडिशा								
लोक वित्त पोषित								
1.	5	भुवनेश्वर कटक जगतपुर	गोपालपुर/मंगली	2104.96	2978.44	2566.07		बीओटी को हस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	5	चेतिया - भद्रक	पानीकोइली	1945.70	2776.03	2550.07	1527.34	
3.	5	सुनाखला - भुवनेश्वर	गंगापदा	1568.53	1811.99	1518.11	1045.10	
4.	5	भद्रक- बालासोर	शेरगढ़			411.39	1346.28	
		कुल ओडिशा		5519.19	7566.45	7045.64	3918.71	
पंजाब								
लोक वित्त पोषित								
1.	1	खन्ना - जालंधर	दोराहा	542.41	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
2.	1	अंबाला- खन्ना	शंबू	238.18	0.00			बीओटी को हस्तांतरित
3.	1	अमृतसर - वाघा (किमी 456.100 किमी 492.030)	छिद्दन		181.18	294.83	82.53	
		कुल पंजाब		780.59	181.18	294.83	82.53	
राजस्थान								
लोक वित्त पोषित								
1.	8	कोटपुतली - जयपुर बाइपास	मनोहरपुर	30.83	0.00	0		बीओटी को हस्तांतरित
2.	8	गुड़गांव -कोटपुतली	शाहजहांपुर	41.97	0.00	0		बीओटी को हस्तांतरित
3.	8	जयपुर बाइपास चरण i और ii	दौलतपुर	13.96	0.00	0		बीओटी को हस्तांतरित
4.	79 और 79ए	किशनगढ़ - भीलवाड़ा	कावलियास	4614.17	4921.27	6210.63	4091.55	
5.	79	भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़	जोजरों का खेड़ा	3894.15	4099.86	5178.14	3338.56	
6.	76	रिठोला - उदयपुर	नारायनपुरा	1691.67	1969.08	2691.56	1769.04	
7.	8	उदयपुर खेरवाड़ा	पाडुना	2790.28	3009.28	3588.38	2348.89	
8.	8	खेरवाड़ा - रतनपुर	खाड़ी ओबरी	1673.10	1728.51	1919.49	1185.26	
9.	76	चित्तौड़गढ़ - बिछूर	बस्सी	644.41	738.26	306.27		ओएमटी को हस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	76	बिछूर - बिजोलिया	आरोली	588.26	640.13	221.16		ओएमटी को हस्तांतरित
11.	76	बिजोलिया - खारीपुर	धनेश्वर	624.98	704.02	263.63		ओएमटी को हस्तांतरित
12.	76	पिंडवाड़ा - जसवंतगढ़	मालेरा	174.27	241.29	82.79		ओएमटी को हस्तांतरित
13.	76	जसवंतगढ़ - देबरी	जसवंतगढ़	64.30	390.03	152.94		ओएमटी को हस्तांतरित
14.	76	गदावली नदी-राज/ म. प्र. सीमा	मुंडियार	80.67	124.96	59.99		ओएमटी को हस्तांतरित
15.	76	कोटा बाइपास देरूमाता मंदिर	सिमलिया	190.83	505.99	284.97		ओएमटी को हस्तांतरित
16.	76	देरूमाता मंदिर-गदावली नदी	फतेहपुर	95.89	364.89	167.22		ओएमटी को हस्तांतरित
17.	14	आबू रोड-पिंडवाड़ा	उंडवरिया	1518.92	2056.14	1869.12	783.34	
18.	79 और 76	चितौड़गढ़ बाइपास	रिठोला	484.41	2636.58	3242.05	2196.52	
सेतु								
19.	8	आरओबी किशनगढ़	पुल	422.01	409.95	446.20	189.02	
ओएमटी								
20.	76	चितौड़गढ़ - बिछूर	बस्सी			1482.00	1296.75	
	76	बिछूर - बिजोलिया	आरोली					
	76	बिजोलिया - खारीपुर	धनेश्वर					
21.	76	कोटा बाइपास देरूमाता मंदिर	सिमलिया			536.25	577.50	
	76	देरूमाता मंदिर -गदावली नदी	फतेहपुर					
22.	76	पिंडवाड़ा - जसवंतगढ़	मालेरा			283.50	330.75	
	76	जसवंतगढ़ - देबरी	जसवंतगढ़					
		कुल राजस्थान		19639.08	24540.26	28986.29	18107.18	
तमिलनाडु								
लोक वित्त पोषित								
1.	4	कांचीपुरम - वालाझपेट	चेन्नासमुद्रम	2440.32	2551.53	2961.00	1633.65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	7	होसुर - कृष्णागिरि	कृष्णागिरि	3550.17	3919.61	685.51		बीओटी को हस्तांतरित
3.	46	कृष्णागिरि - अम्बुर	अम्बुर	2024.24	2474.47	417.04		बीओटी को हस्तांतरित
4.	46	अम्बुर - वालाझपेट	पल्लीकोंडा	2990.25	3610.28	599.05		बीओटी को हस्तांतरित
5.	4	कांचीपुरम चेन्नई	श्रीपेरूमबुदुर	2653.85	3374.06	3510.00	2549.83	
6.	45	ताम्बरम - टिंडीवनम	परिनूर	2316.74	2159.35	3060.00	1639.82	
7.	45	ताम्बरम - टिंडीवनम	आथुर	2071.12	2255.86	3330.37	1582.32	
8.	45	चेन्नई बाइपास	चेन्नई बाइपास	1467.79	1900.18	2250.00	1800.57	
9.	45बी	तोवरनकुरिची बाइपास मदुरै अंत	चित्तमपट्टी गांव	26.91	1900.40	2375.41	2094.72	
10.	45बी	त्रिची - तोवरनकुरिची	किमी 21.020 (बोथाकुडी गांव)		1538.36	1652.95	1795.68	
11.	7	मदुरै - कन्याकुमारी	एत्तूरूवत्तम			820.78	1250.74	
12.		मदुरै - विरुद्धनगर	कप्पालूर				501.21	
13.	7	कोविलपट्टी - कायथर	सलाईपुधुर			1081.32	1094.74	
14.	7	तिरूनेलवेली - पन्नेनगुडी	नांगुनेरी			2408.27	1212.45	
		कुल तमिलनाडु		19541.40	25684.10	25151.71	17155.73	

उत्तर प्रदेश

लोक वित्त पोषित

1.	2	कोसी- आगरा	महुवन	2118.13	2347.61	2750.07	1562.57	
2.	2	रामपुर थारिवन - कोखराज	कटोघन	1454.09	1583.32	1804.31	1177.58	
3.	2	इलाहाबाद बाइपास	इलाहाबाद बाइपास				1377.09	
4.	2	सिकंदरा- भौंती	सिकंदरा	1007.84	1082.13	1275.07	1004.88	
5.	2	हंडिया - राजातालाब	लालानगर	1873.58	1985.02	2144.02	1436.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	2	वाराणसी - मोनिया	बाइपास वीआरएम	2857.63	3079.71	1331.32		बीओटी को हस्तांतरित
7.	2	इटावा - सिकंदरा	अनंतराम	2106.21	2248.24	2763.37	1684.63	
8.	24	गाजियाबाद हापुड़ और हापुड़ बाइपास	डासना	976.35	1109.63	1262.64	634.98	
9.	2	शिकोहाबाद - इटावा	सेमरा अतिकाबाद	1958.50	2181.29	2490.85	1655.08	
10.	25	लखनऊ - कानपुर	नवाबगंज	1834.27	2147.06	2995.79	2833.49	
11.	28	रानीमऊ - फैजाबाद	रोनाही				247.86	
12.	28	अयोध्या - बस्ती	चुकादी				202.98	
13.	28	बस्ती - गोरखपुर	मांडव नगर				9.05	
14.	2	भौंती - फतेहपुर	पुरवामीर	1835.33	2154.63	2692.63	2050.32	
15.	2	टूंडला - माखनपुर	टूंडला	1219.75	1487.11	1768.55	1527.19	
16.		हापुड़ - गढ़मुक्तेश्वर	पुलघाट				12.36	
17.	24	गढ़मुक्तेश्वर - मुरादाबाद	जोया		1613.85	3629.76	2295.52	
18.	26	झांसी - ललितपुर	वीगाखेत			12.22	378.71	
19.	25	झांसी - पूंछ	सेमारी			155.18	2104.60	
सेतु								
20.	2	शास्त्री पुल	पुल	242.36	63.41			
21.	27	नैनी में केबल आधारित पुल (5.4 किमी)	पुल	765.76	750.96	782.34	459.36	
22.	24	काली नदी पुल	पुल	267.20	258.93	217.75	130.22	
23.	24	सीतापुर	पुल		80.06	168.12	103.04	
24.	24	शाहजहांपुर	पुल		93.14	175.63	107.57	
25.	29	बेसो पुल	पुल		48.23	85.12	55.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	28	घाघराघाट पुल	पुल	142.02	142.02	142.02	83.02	
		कुल उत्तर प्रदेश		20659.01	24456.35	28646.75	23133.84	
पश्चिम बंगाल								
लोक वित्त पोषित								
1.	2	बुदबुद - पलसित	पलसित	3521.75	3936.11	4227.86	2228.87	
2.	2	पलसित - धनकुनी	धनकुनी	3267.51	3732.26	4132.98	2218.36	
3.	60	डांटन - खंडगपुर	रामपुरा	908.70	979.40	1003.74	531.87	
4.	6	कोलाघाट खड़गपुर	देबरा/बारामूला	2475.11	2766.81	1750.49		बीओटी को हस्तांतरित
5.	6	धनकुनी - कोलाघाट	जलधुलगोरी	3644.48	4063.14	2357.54		बीओटी को हस्तांतरित
6.	60	डान्टन - बालासोर	संतोषपुरा/ लक्ष्मणनाथ	1015.14	1172.87	1083.66	658.49	
7.	31	पूर्णिया - किशनगंज	सूरजपुर		58.43	0.00	979.21	
8.	31	सोनापुर - गोशपुकुर	पश्चिम मदाती				783.50	
		कुल पश्चिम बंगाल		14832.69	16709.01	14556.28	7400.32	
			कुल जोड़	161293.81	192320.49	198212.04	128954.50	

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग की ऐजेंसियों द्वारा स्थायी पुलों/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सगृहीत पथकर से संबंधित ब्यौरा

क्र.	राज्य	स्टेशन	पुल/सेतु	2009-10	2010-2011	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर-।	शक्ति नाला	171.14	209.37	245.97
2.		रासपुर-॥	शिवनाथ नदी	169.19	309.39	283.08
3.		जगदलपुर	इंद्रावती	73.64	103.51	89.19
		उप-जोड़		413.97	622.27	618.24

1	2	3	4	5	6	7
4.	उत्तराखंड	हल्दवानी	कोशी सेतु	80.75	75.85	98.4
5.		उत्तरकाशी/भाखड़ी	यमुनोत्री/धरसू	6.35	0	3.54
6.		रुड़की	सांग सेतु	70.87	91.42	99.7
7.		रुड़की	रवासन सेतु	140.04	163.53	136.42
8.		रुड़की	घदेरा सेतु	0	0	0
		उप-जोड़		298.01	330.8	338.06
9.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	साई पुल	106.55	106.55	106.55
10.		लखनऊ	सरायन सेतु	137.11	80.05	0
11.		गोरखपुर	अमी सेतु	61.49	36.67	0
12.		मिर्जापुर	खजुरीपुल	48.63	74.31	79.8
13.		गाजीपुर	बेसो पुल	98.17	26.77	33.8
14.		गाजीपुर	माहीघाट/जय प्रभा	13.01	14.76	32.13
15.		लखनऊ/बरेली	गर्रा सेतु	159.66	79.83	0
16.		सुल्तानपुर	पिपरी सेतु	148.66	132.96	145.05
17.		मिर्जापुर	रिहंद पुल	29.25	31.44	0
18.		मिर्जापुर	कन्हार पुल	13.41	14.42	15.5
19.		गाजीपुर	वीर अब्दुल हमीद	16.84	19.14	22.27
20.		इलाहाबाद	सी. एस. आजाद सेतु	113.16	114.17	114.21
21.		इलाहाबाद	टोन्स सेतु	26.55	26.55	31.5
22.		झांसी	केन सेतु	22.87	75.03	112.22
23.		गाजियाबाद/मेरठ	यमुना नदी सेतु	128.8	134.47	203.82
24.		धामपुर	बैराज सेतु	66	127.48	142.28

1	2	3	4	5	6	7
		बान्दा	बांदा घाट सेतु	0	16.25	48.76
		उप-जोड़		1190.16	1110.85	1087.89
25.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	हिरन पुल	201.64	0	0
26.		जबलपुर	तिलवारघाट	167.46	12.16	0.1
27.		ओबैदुल्ला गंज	पार्वती पुल	147.51	0	62.66
28.		शिवपुरी	डिग्री नाला पुल	617.6	0	0
29.		इंदौर	क्षिप्रा पुल	1208.85	452.6	0
		उप-जोड़		2342.06	464.76	62.76
30.	महाराष्ट्र	नागपुर	वगाधी/अमरावती	0	0	0
31.		सोलापुर	वाडकबलपुल	79.67	206.81	167.18
32.		शेतफाल	लंबोती पुल	268.26	338.42	347.72
33.		नागपुर	खुनी पुल	0	0	0
34.		उस्मानाबाद	येनुगुर पुल	192.51	284.68	313.4
35.		पेन रायगढ़	सावित्री पुल	355.09	338.81	71.55
		उप-जोड़		895.53	1168.72	899.85
36.	केरल	अलुवा तिरूवनंतपुरम/	रारा-47 अक्कूलम	136.58	156.25	172.62
37.		अरूर-पलरीवत्तोम	कुंदनूरपुल	136.24	130.55	111.24
38.		कोट्टापुरम	वारापुझरारा-.527	141.64	131.87	131.58
39.		कलीकट	कोझीकोड आरापुझा	201.92	214.04	208.71
40.		कोडुन्गल्लुर	कोट्टापुरम 353/केएल/17	20.79	12.44	34.3
41.		कोडुन्गल्लुर	पुदुपोन्नल	0	0	0
42.		कोडुन्गल्लुर	चेतूवाई (360 जॉब)	11.81	7.31	22.56

1	2	3	4	5	6	7
43.		ईडापल्ली	कोच्ची पानगड बाइपास	270.54	236.04	66.36
			अलुवा			9.69
			अरूर			37.86
		उप-जोड़		919.52	888.5	794.92
44.	कर्नाटक	कारवार	शारावती पुल	130.46	151.21	140.22
45.		चित्रदुर्गा होसपेट	हगारी पुल	108.29	121.49	155.36
46.		मंगलोर	नेत्रवाती	120.39	135.06	189.04
47.		बैंगलोर	वीरवैष्णवी	118.59	108.15	
		उप-जोड़		477.73	515.91	484.62
48.	गुजरात	राजकोट	ऊतावली पुल	0	0	0
49.		अहमदाबाद	साबरमती पुल/एलआर	274.87	218.3	243.86
		उप-जोड़		274.87	218.3	243.86
50.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	रूद्रम गांव रोड	0	0	0
51.		हैदराबाद	मुनियारू पुल	0	0	0
52.		परकिट	निजामाबाद-जगदलपुर	326.38	206.98	94.39
		उप-जोड़		326.38	206.98	94.39
53.	मणिपुर	इम्फाल	सेनापति पुल	0	4	4.05
54.		इम्फाल	लियोंग पुल	0	0	0
		उप-जोड़		0	4	4.05
55.	असम	जाखलबंधा	कलियाभो मोड़ रोड	32.74	98.25	205.29
56.		गोकलगंज अभयाप	गंगाधारा पुल	160.51	72.91	171.62
		उप-जोड़		193.25	171.16	376.91

1	2	3	4	5	6	7
57.	बिहार	गुलजार बाग	एमजी सेतु पुल	828.4	538.49	800
58.		बिहारशरीफ	रंजोली/घूलिया नाला	0	0	0
59.		दरंभगा (घोसा घाट)	झंझारपुर पुल	0	0	0
60.		पूर्णिया	कारी कोसी सेतु	148.03	62.29	86.92
		उप-जोड़		976.43	600.78	886.92
61.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	एनाई इंदिरा गांधी पुल	18.45	10.73	45.07
62.		नमक्कल	उच्च स्तर पुल किमी 271	0	0	0
63.		थूथूकुडी	राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ए के किमी 38/6 पर पुल	0.19	0.1	27.5
		उप-जोड़		18.64	10.83	72.57
64.	पंजाब	मोहाली रूपनगर	सिरसा नदी पुल	203.82	53.99	0
		उप-जोड़		203.82	53.99	0
65.	राजस्थान	जयपुर दौसा	बाणगंगा पुल	15.14	23.08	44.78
66.		जयपुर	बनाम/टोंक पुल	365.98	393.53	449.65
67.		झालावाड़	चंद्रभागा	103	104.97	168.15
68.		रींगस	आरओबी रींगस	138.51	129.18	124.89
		उप-जोड़		622.63	650.76	787.47
69.	ओडिशा	बांकी	ब्राह्मणीपुल	43.72	56.59	43.06
70.		जशीपुर	बंधन पुल	75.51	73.93	69.63
71.		अंगुल	लिंगरा नाला पुल	100.7	119.11	138.91
		उप - जोड़		219.93	249.63	251.6
	हिमाचल प्रदेश	पडोह	जिया पुल		45.37	17.51
	कुल जोड़			9373.93	7313.61	7021.62

विवरण-III

पथकराधान के विरुद्ध स्थानीय लोगों/निवासियों से प्राप्त शिकायतों की श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है :

1. कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार-पुष्टि के पश्चात् संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई/डयूटी से हटाया गया। कर्मचारियों को अच्छे व्यवहार के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए गए।

2. सड़क की खराब स्थिति :- सड़क के तुरंत अनुरक्षण के लिए कार्रवाई की गई।

3. उच्च पथकर दर - यह नीति के अनुसार है।

4. स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए अतिरिक्त छूट - जिले के भीतर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को शुल्क नियम में सशोंधन करके छूट पहले ही प्रदान कर दी गई है।

5. स्थानीय लोंगों को छूट- नीति के अनुसार नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

6. प्लाजा पर पथकर संग्रहण में विलंब - एजेंसियों को दक्ष स्टाफ रखने के लिए कहा गया ताकि कोई असामान्य विलंब न हो।

7. पथकर प्लाजा की अवस्थिति।

स्थानीय जनता/निवासियों द्वारा पथकर प्लाजाओं पर पंजीकृत शिकायतों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	शिकायतों (उक्त प्रकृति की) की सं.
1	2	3
1.	तमिलनाडु	129
2.	गुजरात	1
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	राजस्थान	64
5.	कर्नाटक	386
6.	बिहार	14
7.	पश्चिम बंगाल	41
8.	ओडिशा	2
9.	झारखंड	17
10.	आंध्र प्रदेश	260
11.	उ. प्र. और उत्तराखंड	17
12.	पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर	0
13.	दिल्ली	33
14.	महाराष्ट्र	1
15.	केरल	16

राष्ट्रीय जलमार्ग

2688. श्री जगदानंद सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन से पटना को माल-असबाब का परिवहन केवल गंगा नदी के माध्यम से ही होता है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान परिवहित माल-असबाब का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हल्दिया से बक्सर (बिहार) के बीच विभिन्न स्थानों पर टर्मिनल न होने की वजह से परिवहित माल की मात्रा में कमी हो रही है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्थानों पर टर्मिनल बनाकर परिवहित माल की मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-इलाहाबाद जलखंड (1620 कि.मी.) को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) के रूप में घोषित किया गया है। अपेक्षित अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना प्रदान कर नौवहन और नौचालन हेतु एनडब्ल्यू-1 को विकसित किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यों में वर्ष के अधिकतर हिस्से में लक्षित गहराई और चौड़ाई सहित एक नौचालनात्मक जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालन हेतु साधन-सुविधाएं, जलयानों की बर्थिंग और लदाई/उतराई के लिए चुने हुए स्थलों पर स्थायी/प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुने हुए स्थलों में अंतर-मॉडल संपर्कता प्रदान किया जाना शामिल है।

(ग) और (घ) एनडब्ल्यू-1 में खाद्य तेल, सीमेंट, चावल, लकड़ी के लट्ठे, फ्लाई एश, दालें , लौहे का चूरा, स्टोन चिप्स, बड़े आकार का कार्गो (ओडीसी) आदि जैसे विभिन्न सामानों का परिवहन किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनडब्ल्यू-1 में ढोया गया कार्गो निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा/लाख टन में
2009-10	18.11
2010-11	18.71
2011-12	33.10

(ङ) और (च) जी, नहीं। असल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनडब्ल्यू-1 में आईडब्ल्यूटी माध्यम द्वारा कार्गो के परिवहन में वृद्धि हुई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में सामानों के परिवहन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हल्दिया, कोलकात्ता (बीआईएसएन, बोटनिक गार्डन) शांतिपुर, कतवा, फरक्का, राजमहल, साहिबगंज, बट्टेश्वरस्थान, भागलपुर, मुंगेर, सेमरिया, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद में टर्मिनल सुविधाएं स्थापित की हैं। कोलकाता में गार्डन रीच क्षेत्र में एक आरसीसी जेट्टी निर्माणधीन है। एनडब्ल्यू-1 में सैंड हैड्स (बंगाल की खाड़ी) और हल्दिया-फरक्का क्षेत्र के माध्यम से फरक्का में एनटीपीसी के थर्मल पावर संयंत्र के कोयले स्टाक यार्ड के बीच 7 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से 3 मिलियन टन आयातित कोयले का परिवहन करने का भी एक प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सेना को लगातार आक्रमण करने वाले हेलीकॉप्टर की आपूर्ति

2689. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री के. सुगुमार :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना को उसका अपना लगातार आक्रमण कर सकने वाला हेलीकॉप्टर (हैवी डयूटी अटैक हेलीकॉप्टर) लेने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम का क्या प्रयोजन है;

(ग) क्या सेना की प्रचालनगत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने हेतु कार्य की प्राथमिकता तय करने के लिए कोई समीक्षा की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) फील्ड में संक्रियात्मक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सेना के पास आक्रामक हेलीकॉप्टरों को भविष्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करना एक गतिशील और सतत् प्रक्रिया है।

वन्य प्राणियों की मौतों पर अंकुश

2690. श्री धनंजय सिंह :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रेल और सड़क दुर्घटनाओं में तथा बिजली का करंट लगने से राज्य-वार कुल कितने वन्य प्राणियों की मौत हुई

(ख) क्या सरकार देश में नए राजमार्गों के निर्माण, रेल लाइन बिछाने या विद्युत संयंत्र-स्थापन जैसी बृहत् अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रभाव से महत्वपूर्ण वन्य प्राणी-गमनपथों को संरक्षित रखने के लिहाज से कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) देश में रेल, सड़क और ट्रेन दुर्घटनाओं एवं बिजली के करंट लगने के कारण मृत वन्य प्राणियों की संख्या का मंत्रालय में मिलान नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) जी, हां। सरकार ने देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों वाले संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का सृजन किया है। इनमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों, समुदाय रिजर्वों और बाघ रिजर्वों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं। बाघ रिजर्वों में अत्यधिक संवेदनशील बाघ पर्यावास अथवा कोर क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र सहित बफर अथवा बाह्य क्षेत्र शामिल हैं जो बाघ प्रजातियों हेतु पर्याप्त परिक्षेपण सहित अत्यधिक संवेदनशील बाघ पर्यावास की अक्षतता सुनिश्चित करने के लिए अभिज्ञात एवं स्थापित किए गए और जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की आजीविका, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को उचित मान्यता देने के साथ वन्यजीव और मानव गतिविधि के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास वाले क्षेत्रों को भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारि-संवेदनशील जोनों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। ऐसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में, वर्तमान में, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2004 की रिट याचिका (सिविल) सं.460 में जारी दिनांक 04.12.2006 के आदेश के अनुसार पारि-संवेदनशील जोन के रूप में माना जाता है। पारि-संवेदी जोनों अथवा इससे होकर गुजरने वाले क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाले बृहत अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बगैर संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के वनेत्तर उपयोग की अनुमति नहीं है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (अथवा इसकी स्थायी समिति) किसी संदर्भित परियोजना को यह सुनिश्चित करने के बाद कि इस परियोजना का वन्यजीवों के संरक्षण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है तथा संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी ऐसी परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की शर्तों, जैसा वह आवश्यक समझे, कि अध्यधीन स्वीकृत करता है।

पत्तन-परियोजनाओं में निवेश

2691. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार भारत की पत्तन-परियोजनाओं में निवेश की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यमान नीति के अनुसार, पत्तन क्षेत्रक में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) श्रीलंका सरकार ने भारत में पत्तन परियोजनाओं में निवेश करने में रूचि का संकेत देते हुए भारत सरकार से संपर्क नहीं किया है।

(ग) पत्तनों और बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(घ) सरकार वर्ष 1996 से पत्तन विकास में मुख्य रूप से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राजस्व हिस्सेदारी पद्धति के साथ गैर सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करती आ रही है ताकि भारतीय पत्तनों में क्षमता का आवर्द्धन और उन्नयन हो सके।

[हिन्दी]

शुष्क पत्तन

2692. **श्री जगदीश ठाकोर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में शुष्क पत्तन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन स्थानों को चिन्हित किया गया है; और

(ग) इन पत्तनों का स्थापन कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सरकार देशभर से कार्गो के निर्यात एवं आयात को सुगम बनाने के लिए तथा तटीय पत्तनों पर सुविधाओं पर दबाव कम करने के लिए भी देश में शुष्क पत्तनों की स्थापना करने को प्रोत्साहित करती है। इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन जैसे शुष्क पत्तनों की स्थापना संबंधी कार्यों के एकल खिड़की निस्तारक के रूप में वाणिज्य विभाग में वर्ष 1992 से एक अन्तर्मंत्रालयीन समिति कार्यरत है। आईएमसी के अनुमोदन और आशय पत्र के जारी होने तथा इन आइसीडीएस/सीएफएसए पर अपेक्षित अवसंरचना सुविधाएं विकसित हो जाने के बाद उन्हें शुष्क पत्तन के रूप में प्रचालनात्मक बनाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत "सीमाशुल्क क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) और (ग) आईएससी ने आज की तारीख तक कुल 263 परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इस समय 184 परियोजनाएं कार्य कर रही हैं और बाकी कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 27.11.2012 की स्थिति के अनुसार आईएमसी द्वारा अनुमोदित आईसीडीएस/ सीएफएसएस, जो कार्यान्वयनाधीन अथवा कार्यरत है; की सूची

क्र. सं.	राज्य	कुल अनुमोदित परियोजनाएं	कुल प्रचालनात्मक परियोजनाएं	सभी अनुमोदित परियोजनाओं की अवस्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15	8	विशाखापट्नम-6, हैदराबाद-3, ओंगोल, प्रादसम-1, नागीरेडीपल्ली गांव, जिला-महबूब नगर-1, सूरेदीपालम-1,बेगमपेट-1
2.	चंडीगढ़	1	1	देरा बेसाई -1
3.	छत्तीसगढ़	1	1	रायपुर-1
4.	गोवा	1	1	वेरना-1
5.	गुजरात	34	25	मुंद्रा-11, कांडला-4, सूरत-2, पीपवावपोर्ट, जिला अमरेली-6, बरोच जिला-1, वापी-1, गांधीधाम-1, धराब-1, मीथारोहर गांव, जिला मेहसाना-1, अहमदाबाद-1 खोदीयार-1, लकोदरा-1, वडोदरा-2

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	14	6	फरीदाबाद-1, रेवाडी-3, कुंडली-1, घड़ी हरसारू-1, गुडगांव-1, पटली-1, गांव पियाला/असाओती-1, बल्लभगढ़-1, राय-1, पानीपत-1, पलवल-1, सोनीपत-1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	0	बद्डी-1
8.	झारखंड	1	1	जमशेदपुर-1
9.	जम्मू और कश्मीर	2	1	जम्मू-1, रंगग्रेथ-1
10.	कर्नाटक	10	5	मंगलौर-2, कंवर-2, व्हाइट फील्ड-2, बैंगलूर-3, हसन-1
11.	केरल	13	7	कोचीन-10, कोट्टयम-1, कन्नौर-1, अरूर-1
12.	महाराष्ट्र	49	33	डी नोड-11, नासिक-2, नागपुर-4, नवी मुंबई-10, औरंगाबाद-1, जलगांव-1, वालुज-1, डीगही-पुणे-1, मिराज-1, कलमबोली-1, भुसावल-1, पनवेल-5, घासाकोशी-1, तेलगांव-1, धीगोडे-3, सोमथाने-1, रायगढ़-4
13.	मध्य प्रदेश	7	5	इंदौर-3, ग्वालियर-1 मंडीदीप-1, रतलाम-2
14.	ओडिशा	2	1	बल्लासोर-1, कालींगनगर-1,
15.	पुदुचेरी	2	2	पुडुचेरी-2
16.	पंजाब	7	6	अमृतसर-2, भटिंडा-1, लुधियाना-2, अमलोह रोड़-1, सहेनवाल-1
17.	राजस्थान	10	8	जोधपुर-3, उदयपुर-1, भीलवाड़ा-1, भीवाड़ी-1, जयपुर-1, रावथारोड़ (कोटा)-1, बीकानेर-1, हिंडौन-1
18.	तमिलनाडु	64	50	टूटीकोरीन-16, मध्यवराम-3, तिरूतूतीर-3, कोयम्बटूर-2, चेन्नई-20, सेलम-1, मदुरई-1, अरक्कोणम-1, करूर-1, मनाली-4, इदयानसबदु ओनेरी तालुक-1, इरूगर-1, श्रीपेरूमबदूर-1, गाउडंरपलयम-1, वीचुर गांव-1, पुजाल-1, पोनेरी-1, कट्टुपलाई पोर्ट-2, अटाटथागंल-1, अम्बूर-1, अनुपम पट्टू गांव-1

1	2	3	4	5
19.	यूपी	17	15	कानपुर-2, वाराणसी-1, आगरा-1, सहारनपुर-1, दादर-6, ग्रेटर नोएडा-1, मिरजापुर-1, पनकी-1
20.	पश्चिम बंगाल	12	8	हल्दिया-5, कलकत्ता-2, दुर्गापुर-1, खीद्दरपोर-3, दीघासीपुर-1
	कुल	263	184	

[अनुवाद]

निर्यात का संवर्धन

2693. **श्री प्रहलाद जोशी :**
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात-संवर्धन में राज्यों की सहायता के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में निर्यात-संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों को क्षेत्रक-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि उद्दिष्ट की गई;

(घ) क्या जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है वहां से कुल निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्यों की निर्यात-संवर्धन में सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और देश के निर्यात लक्ष्य की उपलब्धि के लिए तंत्रगत बाधाएं हटाने के क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी हां। स्कीम का नाम निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता स्कीम (असाइड) है। निर्यातों से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को शुरू करने हेतु अनुमोदित मानदंडों के आधार पर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को निधि आवंटित की जाती हैं। स्कीम का विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://www.commercw.gov.in में शीर्ष-नेशनल ट्रेड उपशीर्ष- "संशोधित असाइड दिशा-निर्देश 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के रूप में व्यापार संवर्धन सहायता" के तहत उपलब्ध है।

(ग) असाइड स्कीम के तहत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को निधि का राज्यवार आवंटन किया जाता है न कि क्षेत्र-वार। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को प्रदत्त कुल सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। स्कीम के कार्यचालन के संबंध में आईएल एंड एफएस द्वारा दिए गए एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि असाइड स्कीम के तहत सरकार द्वारा राज्यों को किए जाने वाले आवंटन में वृद्धि और राज्यों के निर्यातों में में परिणामी वृद्धि के बीच गहरा संबंध है। ऐसे राज्यों से निर्यातों में वृद्धि हुई है जिन्हें असाइड के तहत सहायता प्राप्त हुई है जैसा कि अनुबंध में देखा जा सकता है।

(च) असाइड के कार्य ढांचे के अंतर्गत प्रोत्साहन स्कीम चलाई जा रही है। इसके अलावा निर्यात संवर्धन पर दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए नियमित संवाद हेतु संयुक्त सचिव स्तर पर नोडल अधिकारियों का आवंटन किया गया है। निर्यात अवसंरचना संबंधी अवरोधों के संबंध में अनेक अध्ययन शुरू किए गए थे और उन्हें राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था। इन अध्ययनों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ समाधानकारी तथ्य हैं तथा

इनमें संभार तंत्रीय अवरोधों को दूर करने पर बल दिया गया है। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति केन्द्रीय एजेंसियों की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वर्ष में 2-3 बार बैठक करती है। अपर सचिव स्कीम की प्रगति की नियमित निगरानी करते हैं। असाइड के प्रभारी संयुक्त सचिव साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान असाइड स्कीम के राज्य संघटक के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रदत्त वर्ष-वार सहायता

(मूल्य करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (तारीख के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
राज्य घटक					
1.	आंध्र प्रदेश	20.41	31.21475	40.82	36.44
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.57	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5.22	5.22	6.66	0.00
6.	दादरा और नगरा हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	दमन और दीव	2.42	2.42	0.00	0.00
8.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	गोवा	5.41	5.41	7.13	3.06
10.	गुजरात	59.57	59.57	55.28	64.00
11.	हरियाणा	14.68	34.68	20.85	21.10
12.	हिमाचल प्रदेश	5.70	5.70	5.10	5.27
13.	जम्मू और कश्मीर	5.51	5.51	0.00	0.00
14.	झारखंड	5.22	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	कर्नाटक	39.54	70.34475	52.39	45.77
16.	केरल	9.26	9.26	18.52	16.62
17.	लक्षद्वीप	0.00	1.0173	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	14.06	14.06	22.16	19.40
19.	महाराष्ट्र	81.22	81.22	68.00	64.00
20.	ओडिशा	9.14	14.14	17.90	18.00
21.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	12.73	12.73	16.26	14.28
23.	राजस्थान	12.85	29.3907	24.42	21.58
24.	तमिलनाडु	49.10	49.10	67.27	29.885
25.	उत्तर प्रदेश	20.99	20.99	34.13	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	5.51	6.02	2.54
27.	पश्चिम बंगाल	19.09	29.89475	35.91	15.765
	कुल	392.69	487.38225	498.82	377.71

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.38	0.00	0.00
2.	असम	13.83	13.83	27.66	29.41
3.	मणिपुर	2.27	2.27	4.54	4.56
4.	मिजोरम	3.56	3.56	3.50	4.30
5.	मेघालय	9.17	9.17	9.44	11.61
6.	नागालैंड	2.20	2.20	3.63	1.815
7.	सिक्किम	2.20	2.20	2.69	2.70
8.	त्रिपुरा	8.01	8.01	10.04	10.25
	कुल	41.24	42.62	61.50	64.645

1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय घटक के अधीन					
1.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	136.07	132.98	116.62	82.30
	महा योग	570.00	662.98	676.94	524.655

वर्ष 2012-13 के लिए कुल आवंटन 800 करोड़ है।

असम में पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना

2694. श्री रमेन डेका : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चालू पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने की क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ग) क्या सरायघाट में ब्रहमपुत्र नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस पुल के निर्माण की क्या समय-सीमा रखी गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) असम राज्य में 670 किमी. लंबाई वाली पूर्व-पश्चिम कोरिडोर परियोजनाओं की वास्तविक औसतन प्रगति 60.36% है। नवंबर, 2012 तक 4-लेन का कुल 420.50 किमी. कार्य पूरा होने की अनुमानित तारीख मार्च, 2014 है।

(ग) से (ङ) सरायघाट में ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल निर्माण की वास्तविक कार्य प्रगति 58.33% है। वेल की फाउंडेशन तथा कुल 11 पायरों में से 3 पायरों के निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। आगे कुल 1493 मी. में से 250 मी. लंबाई के सुपर स्ट्रक्चर और पुल के दोनों सिरों के वायाडक्ट्स का कार्य भी पूरा हो चुका है। सरायघाट में ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख मार्च, 2012 है।

[हिन्दी]

सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

2695. डॉ भोला सिंह : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोतों पर गैस और पेट्रोलियम वाले साजो-सामान की सार-संभाल में सुरक्षा-मानकों का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारोपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हाल ही में एल पी जी महर्षि कृष्णात्रेया नामक एक भारतीय पताका वाले जलयान में उसके कम्प्रैसर कक्ष में मशीनों के साथ काम करते हुए एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। कांडला तथा जामनगर के समुद्री वाणिज्यिक विभागों के अधिकारियों और नौवहन उद्योग तथा इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के विशेषज्ञों से युक्त एक दल द्वारा एक प्राथमिक जांच का आदेश दिया गया है।

(ङ) गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का संवहन करने वाले पोतों के डिजाइन और सुरक्षा के मानकों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन समझौते के तहत पारित संहिताओं के अनुसार बनाए जाने की आवश्यकता है। तेल तथा गैस उद्योग मानकों का विनियमन पुनरीक्षण निरीक्षणों तथा उद्योगों में विहित बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के माध्यम से करता है। निवारक उपाय नौवहन कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अनुसार विकसित की गई सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार ने निम्नलिखित निवारक उपाय भी निर्धारित किए हैं।

(i) इस प्रकार के पोतों पर काम करने वाले सभी कार्मिकों के लिए विशेष पोत प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसे विशिष्ट प्रशिक्षण और/अथवा अनुभव के आधार पर दिया जाता है।

(ii) गैस टैंकरों और रसायन टैंकरों को योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है जो तभी दिया जाता है जब जलयान को एक सुरक्षित तरीके से निर्मित किया गया हो और उसका रखरखाव किया गया हो, इस प्रकार के व्यापार के योग्य और इंटरनेशनल डेन्जरस कैमिकल्स इन बल्क कोड तथा इंटरनैशनल लीक्वीफाइड गैसिज इन बल्क कोड जैसे आई एम ओ द्वारा विहित मानकों का अनुपालन करते हों।

(iii) समुद्री वाणिज्यिक विभाग के सर्वेक्षकों द्वारा प्रचालनात्मक पक्षों को शामिल करते हुए पताका राष्ट्र/पत्तन राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षण किए जाते हैं।

(iv) सुरक्षित प्रचालन पद्धतियों को अपनाकर आई एस एम संहिता के अंतर्गत पोतों पर भली-भांति स्थापित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाना।

(v) पोतों पर गैस रिसाव का पता लगाने वाले चिह्नित उपस्करों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(vi) पातों पर आपातकाल बचाव श्वसन यंत्र सहित व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपस्करों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(vii) प्रमुख पोत प्रचालनों का जोखिम मूल्यांकन करने की प्रक्रियाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि पोत कार्मिकों द्वारा इस प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय प्रारंभ किए जा सकें।

दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे

2696. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्री भरत राम मेघवाल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे पर विकास-कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत/उद्दिष्ट की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसमार्ग साध्यता-पूर्व अध्ययन के स्तर पर है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि संस्वीकृत/आवंटित की जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार को आवंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वयं को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण भी करता है। भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं करती है।

विवरण

राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटित धनराशि

वर्ष	अनुरक्षण और मरम्मत (करोड़ रु.)	रारा (मूल) (करोड़ रु.)	पीबीएफएफ (करोड़ रु.)
2009-10	76.75	184.00	3.77
2010-11	127.39	176.25	2.36
2011-12	108.40	120.00	9.63
2012-13	119.78	196.79	13.69

[अनुवाद]

पर्यावरण मंत्रियों की बैठक

2697. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश में 'आसियान' देशों और भारत के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिभागी देशों के नेतागण किन-किन मुद्दों पर सहयोग के लिए सहमत हुए; और

(घ) उक्त बैठक के उद्देश्यों के कहां तक पूरे होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 7 सितंबर, 2012 को असियान-भारत पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी सुश्री जयंती नटराजन, पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार और श्री पेहिन ओरंग काया इंदेरा पाहलावन दातो सेरी सेतिया अवंग हाजी सुयोई बिन हाजी ओसमान, विकास मंत्री, ब्रुनेई दरुस्सलाम तथा आसियान पर्यावरण मंत्रियों के अध्यक्ष की सह-अध्यक्षता में की गई थी और इसमें कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया म्यामांर, फिलीपिन्स, सिंगापुर, थाईलैंड एवं आसियान सचिवालय के वरिष्ठ प्रतिनिधिों ने भाग लिया था। इस बैठक से पूर्व 6 सितम्बर, 2012 को आसियान और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों की ओर से जैवविविधता कन्वेंशन एवं (सीबीडी) संबंधी पक्षकारों के 11वें सम्मेलन (सीओपी-II) जिसकी मेजबानी भारत ने 1 से 19 अक्तूबर, 2012 तक हैदराबाद में की थी, के परिप्रेक्ष्य में जैवविविधता निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस बैठक ने 'जैवविविधता पर नई दिल्ली आसियान-भारत मंत्रालयीय विवरण' सर्वसम्मति से अपनाया जिससे दोनों पक्ष सभी पणधारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, विकास प्रक्रियाओं में जैवविविधता मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के प्रति प्रयास, जैवविविधता संरक्षण हेतु संसाधन आबंटन तथा उन्हें जुटाने के संबंध में प्राथमिकता बढ़ाना और समुद्री व इससे संबंधित पारिप्रणालियों में संरक्षण तथा संसाधन सवंर्धन में उत्तम कार्य-पद्धतियों की शेयरिंग के लिए नेटवर्कों के सृजन पर सहमत हुए।

दोनों पक्ष प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एक

साथ कार्य करने और तटीय व समुद्री जैवविविधता के संरक्षण प्रबंधन बढ़ाने तथा सतत उपयोग के लिए भी सहमत हुए। दोनों पक्ष समुचित आसियान पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में साझा हित के मुद्दों पर विचार विनिमय करने हेतु बैठक पर भी सहमत हुए।

इस बैठक ने वार्ताओं के सफल सेट को सुनिश्चित करने में भारत के प्रति आसियान सदस्य राष्ट्रों के समर्थन की पुष्टि भी हुई जो सीओपी-II बैठक के दौरान एक उपलब्धि थी।

संयंत्रों का आधुनिकीकरण

2698. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा किए जा रहे आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विस्तार योजनाओं को पूरा करने में लगने वाले संयंत्र-वार संभावित समय सहित कार्यान्वियन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस विस्तार कार्य में हुए/संभावित कुल व्यय के संयंत्र-वार ब्यौरे सहित वे कौन से स्रोत हैं जिनसे इस प्रयोजनार्थ निधियां जुटाई जाने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादित कुल इस्पात का ब्यौरा और इस विस्तार कार्य के पूरा होने के बाद इस्पात के कुल उत्पादन में संयंत्र-वार कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर प्रतिशत व्यय सहित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तावित भविष्य की योजनाएं क्या हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने अपनी क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता को क्रमश: 12.84 मिलियन टन वार्षिक (एमटीपीए) से 21.40 एमटीपीए और 3.0 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण एवं विस्तार (भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आईएसपी, बर्नपुर और सेल के सेलम संयंत्र पर विशेष इस्पात संयंत्र और आरआईएनएल के विज़ाग स्टील प्लांट में) का कार्य शुरू किया है।

सेल के सेलम स्टील प्लांट का विस्तार सितम्बर, 2010 में पूरा हो चुका है और सुविधाएं नियमित प्रचालन के अधीन हैं। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट पर सिंटर प्लांट का प्रचालन हो चुका है, नई कोक ओवन बैटरी (सीओबी) हीटिंग के अधीन है और ब्लास्ट फर्नेस पूरा होने के अंतिम चरण में है। सेल के इस्को स्टील प्लांट में नई कोक ओवन बैटरी (सीओबी) हीटिंग के अधीन है और कच्ची सामग्री हैंडलिंग प्रणाली (आरएमएचएस), सिंटर प्लांट, वायर रॉड मिल, ऑक्सीजन प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस आदि जैसी सुविधाएं तैयार हैं तथा इनकी कमीशनिंग अन्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं के पूरे होने पर निर्भर करती है। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में एक ब्लास्ट फर्नेस का उन्नयन और दो कोक ओवन बैटरियों का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है और नई कोल्ड रोलिंग मिल पूरे होने के अंति चरण में है। सेल के भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट में कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन है।

आरआईएनएल के विस्तार की योजना दो चरणों में पूरी की जानी है। एक नई ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप और वायर रॉड मिल की स्थापना चरण-I विस्तार के अधीन स्थापित की जा रही है जबकि एक स्पेशल बार मिल और स्ट्रक्चरल मिल की स्थापना चरण-II के विस्तार में की जा रही है। चरण-I के अधीन सभी पैकेजों का क्रियान्वयन पूरा हो चुका है और इकाइयां कमीशनिंग के विभिन्न चरणों के पर हैं। चरण-II के विस्तार के तहत स्पेशल बार मिल और स्ट्रक्चरल मिल के लिए लगभग सभी आपूर्त्तियां पूरी हो चुकी हैं। प्रमुख सिविल एवं स्ट्रक्चरल कार्य पूरे हो चुके हैं। उपस्कर उत्थापन का कार्य प्रगति पर है। अनेक संबंधित इकाइयों नामत: जल प्रणाली, विद्युत प्रणाली आदि की आवश्यकताओं के अनुरूप कमीशनिंग की जा रही है।

(ग) सेल और आरआईएनएल की आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना पर होने वाले खर्च का संयंत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संयंत्र	परिकल्पित निवेश	अक्टूबर, 2012 तक सकल वास्तविक व्यय, करोड़ रुपए में	क्रूड स्टील उत्पादन/लिक्विड स्टील (एमटीपीए)	
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)	(सेनेवट का निवेल), करोड़ रुपए		वर्तमान	विस्तार के बाद क्षमता
भिलाई स्टील प्लांट	17,266	6,833	3.93	7.0
राउरकेला स्टील प्लांट	11,812	8,029	1.90	4.2
दुर्गापुर स्टील प्लांट	2,875	1,186	1.80	2.2
बोकारो स्टील प्लांट	6,325	3,083	4.36	4.61
इस्को स्टील प्लांट	16,408	13,892	0.50	2.50
सेलम स्टील प्लांट	1,902	2,227	-	0.18
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखापट्टनम स्टील प्लांट (आरआईएनएल/वीएसपी)	12,291	9,838.39	3.00	6.3

ऋण-इक्विटी अनुपात को 1:1 बनाए रखते हुए सेल के आधुनिकीकरण एवं विस्तार का वित्त-पोषण ऋण एवं इक्विटी (आंतरिक संसाधनों सहित) के संयोजन से किया जाएगा और आरआईएनएल की विस्तार योजना का वित्त-पोषण आंतरिक आय के जरिए किया जा रहा है।

(घ) सेल और आरआईएनएल में पिछले पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कुल इस्पात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

इकाई : 1000 टन

प्लांट	मद	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
भिलाई स्टील प्लांट	क्रूड स्टील	5109	5329	4901
दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)	क्रूड स्टील	1966	1961	1914
बोकारो स्टील प्लांट	क्रूड स्टील	3596	3592	3647
इस्को स्टील प्लांट	क्रूड स्टील	400	411	329
अलॉय स्टील प्लांट (एएसपी)	क्रूड स्टील	205	200	200

1	2	3	4	5
सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी)	क्रूड स्टील	—	—	96
विश्वैश्वरैया आयरन स्टील प्लांट (वीआईएसपी)	क्रूड स्टील	103	108	91
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)	क्रूड स्टील	13506	13761	13350
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	लिक्विड स्टील	3399	3424	3310
	विक्रय स्टील	3167	3077	2990

(ङ) लोक उद्यक विभाग (डीपीई) ने सितम्बर, 2011 में समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के तहत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा-निर्देशों के अनुसार सेल ने वर्ष 2012-13 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार उत्कृष्ट रेटिंग के लिए आरएंडडी व्यय पीएटी (कर पश्चात लाभ) का 1.2 प्रतिशत होना चाहिए। सेल में वर्ष 2009-10 में आरएंडडी व्यय पीएटी का 1.5 प्रतिशत, वर्ष 2010-11 में 2.69 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 3.79 प्रतिशत था।

आरआईएनएल ने 11.0 एमटीपीए लिक्विड स्टील क्षमता के अतिरिक्त विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। आरआईएनएल/वीएसपी ने आगामी 10 वर्षों के भीतर विभिन्न चरणों में अपनी क्षमता का विस्तार 20.0 एमटीपीए के स्तर तक करने के लिए एक दीर्घकालिक निर्देशात्मक योजना तैयार की है। पिछले तीन वर्षों में कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वास्तविक आरएंडडी व्यय वर्ष 2009-10 में 0.12 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 0.12 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 0.14 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 (अक्टूबर, 2012 तक) में 0.09 प्रतिशत था। आने वाले वर्षों में कारोबार के प्रतिशत के रूप में अपेक्षित आरएंडडी व्यय वर्ष 2012-13 में 0.09 प्रतिशत और वर्ष 2013-14 में 0.25 प्रतिशत होगा।

[हिन्दी]

गृह आधारित बीड़ी कामगार

2699. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में असंगठित कामगार बीड़ी, धूपबत्ती, अगरबत्ती, पापड़ इत्यादि बनाने जैसे गृह आधारित व्यवसाय में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे कामगारों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि इस निधि का उपयोग ऐसे कामगारों के कल्याण के लिए किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जी, हां। देश में बड़ी संख्या में असंगठित कामगार बीड़ी, धूपबत्ती, अगरबत्ती, पापड़ इत्यादि बनाने जैसे गृह आधारित व्यवसाय में लगे हुए हैं।

(ख) बीड़ी कामगारों के सिवाय धूपबत्ती, अगरबत्ती और पापड़ इत्यादि में लगे कामगारों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती। देश में बीड़ी कामगारों की संख्या को समाविष्ट करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) यह मंत्रालय केवल बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) देशभर में बीड़ी कामगारों के लाभार्थ कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा सलंग्न विवरण-II आवास योजना और आर्थिक सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया हैं।

(ङ) श्रम कल्याण निधि संगठन 9 क्षेत्रों में सभी राज्यों को कवर करते हुए कल्याण और उपकर आयुक्तों के कार्यालय की सहायता से कल्याण निधियों का उपयोग करते हुए कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

(च) वर्ष 2011-12 के संबंध में वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

31.07.2011 की स्थिति के अनुसार अनुमानित एवं निर्धारित पुरुष एवं महिला बीड़ी कामगारों का विवरण

क्षेत्र	राज्य	अनुमानित बीड़ी कामगार			जुलाई, 2011 तक जारी पहचान पत्र		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अजमेर	राजस्थान	4000	46000	50000	3603	36713	40316
	गुजरात	28000	22000	50000	25589	20680	46269
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	121500	328500	450000	93311	330480	423791
बंगलुरू	कर्नाटक	36078	209613	245691	25003	206940	231943
	केरल	23420	70522	93942	15092	45442	60534
भुवनेश्वर	ओडिशा	44897	179589	224486	45782	183127	228909
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	45800	412200	458000	34177	320252	354429
	तमिलनाडु	70000	630000	700000	62140	565111	627251
जबलपुर	मध्य प्रदेश	600000	900000	1500000	408504	612755	1021259
	छत्तीसगढ़	10000	15000	25000	9439	14159	23598
करमा	बिहार	96205	164795	261000	103455	152421	255876
	झारखंड	55010	58990	114000	45678	61251	106929
कोलकत्ता	पश्चिम बंगाल	690984	1283255	1974239	504038	936070	1440108
	असम	2704	5021	7725	2543	4722	7265
	त्रिपुरा	5581	10365	15946	4333	8047	12380
नागपुर	महाराष्ट्र	51200	204800	256000	49470	197879	247349
कुल		1885379	4540650	6426029	1432157	3696049	5128206

विवरण II

बीड़ी कामगारों तथा आश्रितों के लिए एक दृष्टि में कल्याण योजना

स्वास्थ्य योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता बीड़ी कामगारों के लिए 10,000/–रू.	लाभ प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम सीमा	निर्वहन भत्ता	यात्रा व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	हृदय रोग	1. कामगारों के लिए तीन वर्ष की लगातार सेवा। 2. अविवाहित बच्चे 21 वर्ष तक। 3. अभिभावक पूर्णत :आश्रित	यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य न हो तो 1.30 लाख तक	1. 750/–रू.–1आश्रित 2. 1000/–रू.–1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारों के लिए)	यदि संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है तो रोगी तथा अटेडेंट के लिए वास्वविक द्वितीय श्रेणी रेल भाड़ा	1. कल्याण आयक्त की पूर्व अनुमति 2. स्वास्थ्य अन्य खर्चों के अंतर्गत व्यय 3. 30,000/– से ऊपर के दावों के लिए मंत्रालय की स्वीकृति
2.	गुर्दा रोग	...वही...	यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य न हो तो 2 लाख रू. तक	...वही...	...वही...	...वही...
3.	छोटे रोग:– (केवल कामगार) 1. हर्निया 2.अल्सर 3.अपेन्डेकटॉमी 4. प्रोस्टेट 5. स्त्री रोग	...वही... (आश्रित पात्र नहीं हैं)	यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य न हो तो 30,000/–रू. तक	लागू नहीं	लागू नहीं	...वही...
4.	कैंसर	6 माह की लगातार सेवा	कोई सीमा नहीं	1. 600/–रु –1 आश्रित, 2. 750/– रु. – 1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारों के लिए)	...वही...	वही...
5.	क्षय रोग	6 माह की लगातार सेवा	अस्पतालो में बिस्तर आरक्षित कराने के लिए	.1 250/–रु –1 आश्रित, 2. 200/–रु.–1 से अधिक	...वही....	...वही...

1	2	3	4	5	6	7
			प्रति रोगी 20000/– रु	आश्रित (केवल कामगारों के लिए), 3. 500/–रु –1 आश्रित, 4. 400/–रु –1 से अधिक आश्रित (केवल बीड़ी कामगारों के लिए) 9 माह तक		
6.	क्षय रोग का घर पर इलाज	6 माह की लगातार सेवा	दवाइयों के लिए 50/–रु. प्रति माह	1. 600/–/.– 1आश्रित, 2. 750/–रु. –1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारो के लिए).		
7.	प्रसूति लाभ	6 माह की लगातार सेवा	प्रथम 2 प्रसवों पर 1000/–रु. की दर से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	परिवार कल्याण प्रोत्साहन	6 माह की लगातार सेवा	500/–रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	मानसिक रोग	6 माह की निरंतर सेवा	1. 180/– प्रति भर्ती रोगी, 2. 900/–रुपये अलग से बिस्तर के लिए	1. 600 रुपयें–1 आश्रित, 2 .750 रुपयें–अधिक आश्रित, 3. 25 रुपयें–भोजन प्रभारों के लिए (केवल कामगारों हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	कुष्ठ रोग	6 माह की निरंतर सेवा	1. 30/– भर्ती रोगी के लिए, 2. 06/–रुपये वाह्य रोगी के लिए	1. 200 रुपयें–1 आश्रित, 2. 300 रुपयें–अधिक आश्रित (कामगारों हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह	6 माह की निरंतर सेवा	5000/–रुपये दो पुत्रियों तक सीमित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	अंत्येष्टि संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति	6 माह की निरंतर सेवा	1500/–रूपये	–वहीं–	–वहीं–	–वहीं–
13.	चश्में	सेवा की कोई सीमा नहीं	2. 300/– रुपये नए चश्मों हेतु, 3. 20/–रुपये लेंस बदलने हेतु	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	लाभ	अभ्युक्ति
		6500/–रुपये प्रति माह बीड़ी कामगार के लिए		
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी कामगारों हेतु समूह बीमा योजना	पहचान पत्र धारक तथा 18 से 60 वर्ष तक की आयु के कामगार	1. 10,000/–रुपये स्वाभाविक मृत्यु पर, 2. 25,000/–रुपये दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अशक्ता (10,000/–रुपयें सिने कामगारों हेतु दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अशक्ता पर), 3. 12500/– रुपयें आंशिक अशक्ता के मामले में।	1. 18/– रुपये प्रति कामगार प्रति वर्ष बीड़ी कामगार कल्याण निधि तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि से।, 2. 30/– रुपये प्रति कामगार प्रति वर्ष सिने कामगार कल्याण निधि से।

शैक्षिक योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	लाभ			अभ्युक्तियां
		विधार्थियों के माता–पिता में से कोई एक कम से कम छः माह के लिए बीड़ी कामगार होना चाहिए और विधार्थियों के माता–पिता दोनों की कुल आय सभी भत्तों सहित 10,000/– रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो				
1.	वर्दी/स्लेटो/किताबों आदि की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	श्रेणी I से IV तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों को	प्रति विद्यार्थी 250/–रुपये की दर से			
2.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता		श्रेणी	छात्राएं	छात्र	
			श्रेणी V से VIII तक	940	500	
			श्रेणी IX	1140	700	
			श्रेणी X	1840	1400	
			श्रेणी XI से XII तक	2400	2000	
			गैर व्यावासायिक डिग्री पाठ्यक्रम;	3000	3000	

1	2	3	4	5
		गैर व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; दो–तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बीसीए, बीबीए और पीजीडीसीए★		
		व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात् बी.ई./बी. टेक/ एमबीबीएस/बीएएमएस/ बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) और एमसीए/एमबीए★	8000	8000

मनोरंजन योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	लाभ	अभ्युक्ति
1.	बीड़ी कामगारो के मनोरंजन के लिए बीड़ी सहकारी समितियों को टीवी सैटस की आपूर्ति।	बीड़ी विनिर्माण में लगी और विद्यमान टीवी केन्द्रों की रिसेप्शन रेंज में अवस्थित क्षेत्रों में स्थित सहकारी समितियों को प्रदान किए जाते हैं।	सभी कलपूर्जो सहित टीवी सैट की लागत 10,000/– रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथापि , यदि प्रबंधन श्वेत श्याम टीवी सैट प्रदान करने का इच्छुक हो, सैट की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 4.000/– रुपये के अध्यधीन निधि संगठन द्वारा की जाएगी।	असंगठित क्षेत्र में बीड़ी कामगारों के कल्याणार्थ सामाजिक/वित्तीय सहायता का उपाय विस्तारित करना।
2.	बीड़ी कामगारों (घरखाता बीड़ी कामगारों सहित) के लिए खेल–कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करना।	बीड़ी कामगारों की कुल सघनता 10,000/– अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।	40,000/– रुपये भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्रावधान की सीमाओं के अध्यधीन और कल्याण निधि में से चुकाई जाएगी।	उनके थके मांदे शरीर को तरोताजा करना। यह उन्हें अच्छे मानवीय संबंध के विकास हेतु अत्यावश्यक मानसिक और शारीरिक संतुष्टि की भावना देगा!
3.	पुरी में होलीडे होम की योजना	संबंधित कल्याण निधि संगठनों द्वारा कवर किए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय के बीड़ी कामगार, बीड़ी कामगार के पहचान पत्रों में सूचीबद्ध सुविधाएं पाने के पात्र है और निधि द्वारा बिना किसी वित्तीय सुविधाओं के होलीडे होम में ठहरने के पात्र हैं।	प्रति व्यक्ति 50/–रुपये होलीडे होम आगंतुकों के लिए (रिक्शा व्यय सहित) पर्यटन खर्चे हेतु वित्तीय सहायता	पुरी जो भगवान जगन्नाथ का वास है और चारों धामों में से एक है, की पवित्र धरती पर कामगारों/अंगुतकों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करना।

विवरण-III

आवास योजना

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता 6500/– रुपये की बीड़ी कामगार के लिए	लाभ	अभ्युक्ति
1.	संशोधित एकीकृत आवास योजना 2007	व्यक्तिगत कामगार, राज्य सरकार तथा समूह आवास समितियां	1. आर्थिक सहायता 40000/– रुपये की दर पर 2. जिसे कामगार को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है वह संबंधित क्षेत्र के किसी अनुसूचित बैंक अथवा डाक घर में सावधि जमा के रूप में कामगार अंशदान के 5000/– रुपये जमा कराएगा। सावधि जमा प्रमाण पत्र/पास बुक कल्याण आयुक्त के पास जमा कराई जाएगी।	
2.	वर्कशेड/गोदाम	बीड़ी कामगारों की ऐसी सहकारी समितियां, जिनके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 75 कामगार हो	1.50 लाख की आर्थिक सहायता अथवा वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो।	1. अनुमानित 750 वर्ग फीट वर्कशेडों हेतु, 2. अनुमानित 600 वर्ग फीट गोदामों हेतु

वर्ष 2011-12 के लिए जारी आवास संबंधी आर्थिक सहायता की उपलब्धि

क्षेत्र	राज्य	मकान	आर्थिक सहायता (लाख रुपये में)
अजमेर	राजस्थान	49	9.80
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1097	219.40
बंगलुरू	केरल	627	125.40
भुवनेश्वर	आडिशा	10651	2130.20
	मध्य प्रदेश सरकार	961	192.20
जबलपुर	मध्य प्रदेश	2315	463.00
	छत्तीसगढ़	2050	410.00
कर्मा	झारखंड	473	94.60
	बिहार सरकार	501	100.20
	बिहार	3225	645.00
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2479	495.80
नागपुर	महाराष्ट्र	777	153.06
	कुल	**25205**	**5038.66**

विवरण IV

वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियां

बीड़ी कामगार कल्याण निधि माह : मार्च, 2012 2011-12 (अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपयें में)

योजनाओं	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलूरू		बीबीएसआर		हैदराबाद		जबलपुर		कर्मा		कोलकात्ता		नागपुर		कुल	
का नाम	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह बीमा योजना																				
जीआईएस के अंतर्गत शमिल कामगार	40000		368355				115540		90000				4380		429444	7730	15000		1062719	7730
जी.बी.नि. को भेजे गए मामले	88	925	210				173	1835			593	6457			494	4940	85		1643	14157
निपटाए गए मामले व दी गई राशि	39	390	1090				187	2050			0						63	630	398	4160
अस्वीकृत मामले																			0	0
जी.बी.नि. के पास शेष	49	170		3350			35	410									22		106	3930
जी.बी.नि. को दिए गए प्रीमियम	40000	820						2640		1850							150000	300	55000	5610
स्वास्थ्य																			0	0
औष./. अस्प में इलाज किए गए रोगी	356221		343273		641363	6413	294699		861188	7167	338737		327211	16573	420719	5996	248821	2859	3832232	39008
अस्प. में औसत बिस्तर अधिभोगिता			163		394				158				20610		58				21383	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
टी.बी. रोगियों का घर पर इलाज					0	0	17	76	7	117	120	511		46	807	3821	2	13	953	4584
कैंसर का उपचार	5	96	10	335	86	2009	5	110			18	544			29	363	4	171	157	3628
मानसिक रोगों का इलाज																			0	0
चश्में खरीदना	137	47	382	114	28	27	8	2	51	15	273	81	6	2	40	11	190	56	1115	355
कुष्ठ रोग का उपचार																			0	0
मातृत्व लाभ	326	326	219	219	2091	2091	692	692	577	606	414	435	0	0	1457	1457	476	476	6252	6302
परिवार कल्याण आपरेशन	25	13			179	90	36	18	20	10	55	29			82	41	111	56	508	257
हृदय रोग का इलाज					78	6859	2	142			13	508			3	39	5	536	101	8084
गुर्दा रोग का उपचार	1	200			57	934	2	211	1	200	1	200					1	39	63	1784
कृत्रिम अंगों का प्रावधान							15	57											15	57
दवाइयों की खरीद		3000		11413				7154		8866						5996			0	36429
एंबुलेंस वाहन खरीदना																			0	0
मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता	193	290	204	306	14	22	280	420	5	8	830	1245	6	9	778	1167	143	215	2453	3682
मामूली रोग का इलाज	3	10	3	51	9	33	17	77							9	38	2	8	43	217
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह खर्च	56	280	256	1280	6	30	10	50	15	75	202	929			32	160	74	370	651	3174
स्त्री रोग को उपचार											1	2							1	2
ओपेंडिक्टोमी का इलाज																			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
शिक्षा छात्रवृत्ति दिया जाना	19720	24200	7318	14782	131543	179999	20327	250001	234510	89815	17678	22582	15015	5778	178885	207433	34944	43999	659940	613589
पुस्तकों/ वेदों की आपूर्ति	4630	1168	186	46	47821	12000	10952	2713			5031	1258	4893	147	8626	2157	6432	1608	88573	21067
कामगारों को प्रशिक्षण	127	266					210	168	73		80	16							490	450
मनोरंजन																			0	0
सामा. खेलकूद क्रियाकलाप	4	160									4	138					1	40	9	338
टी.वी. सैट																			0	0
फिल्में दिखाया जाना																			0	0
भ्रमण–सह–अध्ययन टूर								0											0	0
डिश/टी.वी. ऐन्टिना आपूर्ति																			0	0
बहु–उद्देशीय संस्थानों की स्थापना																			0	0
कल्याण केंद्रों की स्थापना																			0	0
होलीडेहोम जाने वाले कामगार						1463	610								404	121			1867	731

[अनुवाद]

टोल नीति

2700. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजाओं की स्थापना करने का मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या ओडिशा में टोल गेट शहरों के 60 किमी की दूरी और 10 किमी परिधि में स्थित है, जो कि नीति विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी सड़क डेवलपर अथवा सरकार द्वारा सुचारू परिचालन और राजमार्ग की सड़कों का निरन्तर रखरखाव करने के लिए ब्याज सहित पूंजी निवेश की वसूली करने के उपरांत भी टोल कर एकत्र करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सरकार ने दिनांक 5/12/2008 तक, एवं उसके उपरांत शुरू की गई परियोजनाओं के लिए समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 (दर एवं संग्रहण निर्धारण) को दिनांक 5/12/2008 को अधिसूचित किया है। 5/12/2008 से पहले पूरे किए गए खंडों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्थायी पुल/अस्थायी पुल मार्गों के प्रयोग किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण); राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल- सरकारी वित्त पोषित परियोजना); और इन नियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख के बाद पूर्ण हुई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 के अनुसार शुल्क वसूल किया गया है। उपर्युक्त नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के भाग-7 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जाता है। जिन मामलों में राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी विशेष खंड को राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार को सौंपा जाता है, वहां वे केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का पालन करते हैं।

समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और संग्रहण निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 8 के अनुसार दो टोल प्लाजाओं के बीच की दूरी निर्धारित की गई है। आगे किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुल्क प्लाजाओं के स्थान का निर्धारण किसी विशेष प्लाजा की स्थापना के समय लागू शुल्क नियमों के प्रावधानों के मापदंडों, सरकार को मिलने वाले इष्टतम राजस्व संग्रहण, सड़क प्रोक्ताओं और स्थानीय निवासियों को कम से कम होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड पर शुल्क प्लाजा के स्थान निर्धारण में भूमि की उपलब्धता, राजमार्ग भूमिति और राजमार्ग से पथान्तरण आदि भी निर्णायक घटक होते हैं।

(ख) और (ग) ओडिशा राज्य के भीतर शुल्क प्लाजाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रारंभ में इन मार्गों में सुधार/चौड़ीकरण का कार्य 5.12.2008 (अर्थात् शुल्क नियम, 2008 के प्रकाशन से पूर्व) से पहले आरंभ किया गया था और पथकर प्लाजाओं की स्थापना पूर्व शुल्क नियमों के अनुसार की गई थी, बाद में जब इन पांच मार्गों को 6-लेन की परियोजना में शामिल किया गया तो नए स्थान के लिए फिर से भूमि अधिग्रहण करने तथा टोल प्लाजाओं को जोड़ने आदि पर होने वाली लागत वृद्धि से बचने के लि पहले से स्थापित टोल प्लाजाओं को बने रहने दिया गया है क्योंकि लोग उनके अभ्यस्त हो गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल-सरकारी वित्तपोषित परियोजना) नियम 1997 के अनुसार प्रयोक्त शुल्क का संग्रहण निरंतर किया जाना है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर एवं संग्रहण निर्धारण), द्वितीय संशोधन नियम, 2008 के अनुसार पूंजी लागत वसूली अथवा रियायत अवधि पूरा हो जाने के उपरांत शुल्क दर 40 प्रतिशत कम कर दी जाएगी।

विवरण

ओडिशा राज्य में रारा-5, रारा-60 और रारा-5क सहित पथकर प्लाजाओं के स्थान का विवरण नीचे दिया गया है जिसमें दो प्लाजाओं के बीच की दूरी और निकटवर्ती शहरी सीमाओं से दूरी को दर्शाया गया है:—

क्र. सं.	प्लाजा का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	रारा सं.	चेनेज	पिछले प्लाजा से दूरी	निकटवर्ती शहरी सीमाओं से दूरी
1.	गंगापाड़ा	सुनाखला - भुवनेश्वर	5	301.700 किमी.		10 किमी. से कम
2.	मंगुली	भुवनेश्वर - चांदीखोले	5	245.500 किमी.	56.2	10 किमी. से कम
3.	पानीकोइली	चांदीखोले - भदरक	5	191.698 किमी.	53.8	10 किमी. से कम
4.	सेरगढ़	भदरक - बलासोर	5	97.960 किमी.	93.7	10 किमी. से अधिक
5.	लक्ष्मनंथा	बलासोर - दंतन	60	52.00	51.49	10 किमी. से अधिक
6.	श्रीरामपुर	चांदीखोले-पारादीप	5क	3.780 किमी.	रारा-5 क पर मात्र एक टोल प्लाजा	10 कमी. से अधिक

एनएमडीपी

2701. **श्री निशिकांत दुबे : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में तटीय जहाजरानी परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) के अंतर्गत विकसित किए गए और आधुनिकीकृत पत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आबंटित, जारी की गई और व्यय की गई निधियों का वर्ष-वार, पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) सभी महापत्तनों ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) के अंतर्गत क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण की परियोजनाएं आरंभ की थी, जिसे 2005-2012 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया। विकसित सुविधाएं तटीय पोत परिवहन यातायात के साथ-साथ निर्यात-आयात व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

(ख) वर्ष, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए पत्तन-वार परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। परियोजनाओं के लिए निवेश, या तो पत्तन के आंतरिक संसाधनों से अथवा सरकारी निजी भागीदारी से किया जाता है।

(ग) जब राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम दिनांक 31.03.2012 को समाप्त हुआ तक 66 पत्तन विकास परियोजनाएं चल रहीं थी। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उनकी मॉनीटरिंग की जाती है।

विवरण

पत्तन	2009-10		2010-11		2011-12	
	परियोजना की सं.	निवेश (करोड़ रुपए में)	परियोजना की सं.	निवेश (करोड़ रुपए में)	परियोजना की सं.	निवेश (करोड़ रुपए में)
कोलकाता/हल्दिया	1	17.71	शून्य	शून्य	4	351.90
पारादीप	2	458.39	1	17.60	1	25.56
विज़ाग	1	11.48	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
इन्नौर	शून्य	शून्य	2	879.13	शून्य	शून्य
चैन्नै	1	492.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वीओसी पत्तन	शून्य	शून्य	1	25.00	शून्य	शून्य
कोचीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नव मंगलूर	1	50.00	शून्य	शून्य	3	320
मुरगांव	शून्य	शून्य	1	140.00	1	16.00
मुंबई	2	142.65	1	15.40	शून्य	शून्य
जेएनपीटी	शून्य	शून्य	4	225.00	1	357.00
कांडला	1	50.00	शून्य	शून्य	2	61.79
कुल	9	1222.23	10	1302.13	12	1132.25

कामगारों के लिए ईएसआईसी और पीएफ स्लिप

2702. **श्री अजय कुमार :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निरक्षक फैक्ट्री कामगारों के वेतन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और भविष्य निधि (पीएफ) की कटौती करने के बावजूद झारखंड राज्य सहित देश में उन्हें ईएसआईसी और पीएफ स्लिप मुहैया नहीं कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं; और

ऐसे कामगारों को ईएसआईसी और पीएफ स्लिप मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों का ब्यौरा ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) बीमित व्यक्तियों (आईपी) को कोई स्लिप जारी नहीं करता है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आईटी रोल आउट परियोजना के अंतर्गत, दो बायोमीट्रिक पहचान पत्र, एक बीमित व्यक्तियों (आईपी) के उपयोग के लिए और दूसरा परिवार के लिए, जारी किए जाते हैं। बीमित व्यक्तियों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और सितम्बर, 2012 तक झारखंड राज्य सहित पूरे देश में दो बायोमीट्रिक पहचान पत्रों के लगभग 97.85 लाख सेट जारी किए जा चुके हैं।

वर्ष 2010-11 तक झारखंड राज्य सहित कुल 16.62 करोड़ भविष्य निधि (पीएफ) स्लिपें अद्यतन की जा चुकी हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने भविष्य निधि खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in के माध्यम से 'अपनी भविष्य निधि शेष राशि को जानने' के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य को ई-पासबुक की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह कर्मचारी के भविष्य निधि खाते का ऑनलाइन वर्जन है। लेन-देन को रिकार्ड किया जाता है और सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत कराके आसानी से इसका पता लगा सकता है।

लाभार्थियों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय स्तर पर नियोजकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की द्विमासिक सुविधा-समागम बैठक आयोजित कर रहा है, www.esic.in वेबसाइट के पोर्टल पर बीमित व्यक्यिों (आईपी) और झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा के कार्यालयों में उनकी पहुंच कैसे हो, के संबंध में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाली प्रचार-पुस्तिका प्रदर्शित की गई है। जुलाई-अगस्त, 2011 माह में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष भर चलने वाले हीरक जयंती वर्ष समारोह के भाग के रूप में झारखंड राज्य सहित पूरे देश में अनेक स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उपलब्ध लाभ तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियोजकों के दायित्व विज्ञापित किए गए थे।

कनाडा के साथ व्यापार

2703. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत और कनाडा के बीच हुए कुल व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत अभी भी कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए बातचीत करने की प्रक्रिया में है जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार मुद्दों का समाधान किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो दो राष्ट्रों के बीच विचार-विमर्श किए गए विवादास्पद मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उनका समाधान करने में कितना समय लगने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत और कनाडा के बीच कुल व्यापार (निर्यात एवं आयात) निम्नानुसार है:—

(मिलियन अम.डा.)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार (निर्यात+आयात)
2009-2010	1122.77	2097.35	3220.12
2010-2011	1348.82	2029.98	3378.80
2011-2012	2053.54	2897.82	4951.36
2012-2013 (अप्रैल से अक्तूबर 2012)	1130.01	1512.27	2642.28

(स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस, कोलकाता)

(ख) जी, हां। अभी तक कनाडा के साथ व्यापार आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) हेतु वार्ताओं के छह दौर आयोजित किए गए हैं।

(ग) दोनों देशों के बीच कोई विवादास्पद मुद्दे नहीं हैं।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के विकल्प

2704. डॉ. संजय जायसवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-2010 के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद करने के लिए आदेश देने से पहले वीवीआईपी को लाने-ले-जाने हेतु हेलीकॉप्टरों के विकल्पों का मूल्यांकन किया था;

(ख) क्या विकल्पों का समुचित आर्थिक मूल्यांकन इस कार्य का हिस्सा था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। मूल्यांकन बहु-विक्रेता बोली के आधार पर किया गया था।

(ग) अपेक्षित मूल्यांकन निर्धारित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किये गये हैं।

[हिन्दी]

एनएच-1 पर ऊपरिपुल

2705. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर बहलगढ़ चौक (सोनीपत) पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपरिपुल का निर्माण कब तक आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रारा-1 का दिल्ली-पानीपत खंड शामिल करने के लिए पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग पुनर्गठित किए जाने की सभांवना की तलाश कर रहा है जिसमें पारस्परिक प्राथमिकता तथा इसकी तकनीकी साध्यता के अध्यधीन बहालगढ़ चौक पर उपरिपुल के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में संशोधन

2706. श्री संजय निरुपम : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सरकार प्रयोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ता में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) (i) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और (ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत अनुरक्षण भत्ता दिनांक 01.07.2010 से संशोधित किया गया है। वर्तमान में, योजनाओं के तहत अनुरक्षण भत्ते को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

श्रवण बाधाग्रसित व्यक्तियों के लिए संकेत भाषा

2707. श्री पी.आर. नटराजन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्रवण बाधाग्रसित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार संकेत भाषा उप-शीर्षों को अनिवार्य बनाने और संकेत भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का रेलवे स्टेशन और विमानपत्तनों आदि पर श्रवण बाधाग्रसित व्यक्तियों के लिए दृश्य घोषणाएं स्थापित करने का कोई विचार है;

(घ) क्या सरकार का सार्वजनिक भवनों में दृश्य आपात अलार्म स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य संकेत भाषा भाषान्तरकारों को तैनात करने का कोई प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में श्रवणबाधित व्यक्तियों की कुल संख्या 12,61,722 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता दर्शाने वाले नियत संकेतों के अतिरिक्त कोच संकेत बोर्ड, ट्रेन संकेत बोर्ड और ट्रेन संचालन प्रदर्शक बोर्ड की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

पूर्वोत्तर राज्यों में बेरोजगारी

2708. **श्री जोसेफ टोप्पो** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों विशेषरूप से पूर्वोत्तर (एन.ई.) राज्यों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं विशेष रूप से पूर्वोत्तर में बेरोजगार युवाओं को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किसी शिक्षित बेरोजगार को किस आयु में ऋण दिया जा सकता है;

(घ) क्या सरकार का विचार बेरोजगार व्यक्तियों के पक्ष में ऐसे ऋणों का ब्याज कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं सहित शिक्षित रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, कि राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) भारत सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से देश में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों के युवा शामिल हैं, को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं के तहत ऋण लेने के लिए न्यूनतम पात्र आयु 18 वर्ष है।

(घ) और (ङ) श्रम और रोजगार मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

31.12.2009 की स्थिति के अनुसार युवाओं सहित शिक्षित रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षित
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1450.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.5
3.	असम	1493.5
4.	बिहार	694.1
5.	छत्तीसगढ़	1143.5
6.	दिल्ली	449.4
7.	गोवा	101.7
8.	गुजरात	832.7
9.	हरियाणा	772.9

1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	708.7
11.	जम्मू और कश्मीर	77.0
12.	झारखंड	461.9
13.	कर्नाटक	381.5
14.	केरल	3740.6
15.	मध्य प्रदेश	1555.8
16.	महाराष्ट्र	2230.0
17.	मणिपुर	423.8
18.	मेघालय	23.3
19.	मिजोरम	31.9
20.	नागालैंड	31.4
21.	ओडिशा	749.3
22.	पंजाब	242.2
23.	राजस्थान	691.5
24.	सिक्किम*	
25.	तमिलनाडु	3453.3
26.	त्रिपुरा	202.4
27.	उत्तराखंड	429.8
28.	उत्तर प्रदेश	1858.1
29.	पश्चिम बंगाल	4649.0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.3
31.	चंडीगढ़	23.6
32.	दादरा और नगर हवेली	6.1
33.	दमन और दीव	5.2
34.	लक्षद्वीप	11.9
35.	पुदुचेरी	207.9
	योग	29174.8

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

श्रम कार्यबल के लिए समान वेतन

2709. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाएं सरकारी समान वेतन का अधिकार के साथ सरकारी कामगारों के रूप में मान्यता के बिना ही विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन महिला कार्यबल को चिन्हित करने और उन्हें सरकारी समान वेतन मुहैया कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और ऐसे कर्मचारियों को उक्त समान वेतन कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (घ) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना जैसी अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जहां कुछ महिलाएं अवैतनिक कामगारों/स्वयंसेवकों के रूप में अथवा अंशकालिक हैसियत से नियोजित है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) में स्थानीय समुदाय से "*अवैतनिक कामगारों*" के रूप में *आंगनवाड़ी कामगारों* और सहायकों की परिकल्पना है जो बालक देख-रेख और विकास के क्षेत्र में अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आती हैं। अवैतनिक कामगार होने के कारण उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार मासिक मानदेय

का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, प्रत्यायित सामाजिक स्वासयि कार्यकर्ताओं (आशाओं) की सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के रूप में परिकल्पना की गई है जिनका चयन समुदाय द्वारा किया जाता है और वे सामुदायिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों के लिए कार्यनिष्पादन पर आधारित मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। उन्हें सरकार द्वारा नियोजित नहीं किया जाता। मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत रसोईया-सह-सहायक के रूप में नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों में महिलाओं को वरीयता दिए जाने का प्रावधान है। उन्हें अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है और मासिक मानदेय दिया जाता है।

बाल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के अंतर्गत, परियोजना सोसाइटी द्वारा महिलाओं सहित स्वयंसेवक नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें मासिक आधार पर मानदेय दिया जाता है। उनकी भूमिका/कार्य के स्वरूप में मद्देनजर, इन कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता और वस्तुतः उन्हें सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय पारिश्रमिक प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ के साथ व्यापार

2710. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापक आधार व्यापार और निवेश करार (बीटीआईए)/मुक्त व्यापार करार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) आयात और निर्यात शुल्कों पर टैरिफ कम करने सहित दो समूहों के बीच वार्ता किए जा रहे विवादास्पद मुद्दों और उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल के समय में यूरोपीय कमिश्नर के साथ कराधान और प्रशुल्क संघ, लेखा परीक्षा और धोखाधड़ी रोधी के संबंध में कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो बैठक के दौरान उठाए गए और विचार किए गए मुद्दों सहित तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर यूरोपीय कमिश्नर की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) उक्त करार से लघु और मध्यम व्यापार उपक्रमों और निर्यातकों से होने वाले संभावित आर्थिक लाभों सहित भारत और यूरोपीय संघ देशों के बीच किए गए कुल व्यापार का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) भारत सरकार यूरोपीय संघ (ई यू) के साथ द्विपक्षीय व्यापक आधार वाले व्यापार एवं निवेश करार (बी टी आई ए) पर वार्ता कर रही है और हेलसिंकी में अक्तूबर, 2006 में 7वें भारत-ई यू शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय व्यापार समूह की सिफारिशों के आधार पर 28-29 जून, 2007 को ब्रुसेल्स में वार्ताओं की शुरूआत की गई थी। वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता, उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, व्यापार उपचार, सरकारी क्रय, सीमा शुल्क सहयोग एवं व्यापार सुगमीकरण, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार आदि सहित कई ट्रैकों पर वार्ताएं जारी हैं। अब तक वार्ताओं के पंद्रह दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

(ख) जैसाकि जारी वार्ताओं की पूर्व एवं स्थापित प्रथा के अनुरूप है, वार्ताओं की संवेदनशीलता के कारण विवादास्पद मुद्दों और उनके समाधान हेतु किए जा रहे प्रयासों सहित वार्ताओं का ब्यौरा देना असामयिक होगा। करार को अंतिम रूप देने से पूर्व किसी सूचना को उजागर करने से वार्ताओं के क्रम में भारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) और (घ) भारत-यूरोपीय संघ के बीच बी टी आई ए की जारी वार्ताओं सहित विभिन्न मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री और कराधान एवं सीमाशुल्क संघ, लेखापरीक्षा एवं धोखाधड़ी-रोधी यूरोपीय आयुक्त

के बीच एक द्विपक्षीय बैठक दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 को आयोजित की गई थी।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल व्यापार का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस बी टी आई ए का परिणाम वस्तु एवं सेवा में संवर्धित द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश प्रवाह के रूप में होगा जिससे लघु एवं मंझोले व्यावसायिक उद्यम तथा निर्यातक भी लाभान्वित होंगे।

मिलियन अम. डा.

	2009-10	2010-11	2011-12
निर्यात	36028.05	46077.64	52570.34
आयात	38433.12	44539.93	57294.62
योग	74461.17	90617.57	109864.96

(स्रोतः डी जी सी आई एंड एस)।

कृषि निर्यात जोन

2711. **डॉ. संजय सिंह :**

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेषरूप से महाराष्ट्र में स्थापित कृषि निर्यात जोनों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में नए कृषि निर्यात जोन स्थापित करने का हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा कृषि निर्यात जोनों के कार्यकरण में कोई कमी देखी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित कृषि निर्यात जोनों का राज्य-वार ब्यौर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। दिसम्बर, 2004 में कृषि निर्यात जोनों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु मौजूदा कृषि निर्यात जोनों का समग्र मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2005 में संचालन समूह के सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि जब तक ठोस विवशकारी कारण न हो, नई कृषि निर्यात जोनों की अधिसूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त समग्र मूल्यांकन के कुछ मुख्य निष्कर्ष में शामिल हैं : (i) सरकारी प्राधिकरण और उनके एजेंसियों के स्वामित्व में कमी (ii) राज्य सरकार के क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों सहित हितबद्ध पक्षकारों के बीच संकल्पनात्मक ढांचा एवं स्कीम के बारे में जानकारी की कमी (iii) ए ई जेड के संकन्पनात्मक डिजाइन के परियोजना उन्मुखीकरण में कमी (iv) ए ई जेड में समन्वय/ निगरानी प्रणाली में कमी (v) केंद्र एवं राज्य सरकार से पर्याप्त राशि का निवेश न होना (vi) ए ई जेड का अविवेकपूर्ण प्रसार आदि।

(घ) उपचारी कार्य योजना का लक्ष्य है-संस्थागत/प्रशासनिक प्रक्रिया बनाना ताकि ए ई जेड के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समन्वय की जा सकें और कुछ ए ई जेडों को छांटकर पुनरुद्धार हेतु उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके तथा उन्हें आदर्श ए ई जेड बनाया जा सके।

इस प्रकार, वाणिज्य विभाग द्वारा चार ए ई जेडों का चयन किया गया यथा (सिक्किम में फूल, आंध्र प्रदेश में आम, पश्चिम बंगाल में अनन्नास और असम में अदरक) ताकि इन राज्यों में निर्यात बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकसित की जा सके। इस विभाग द्वारा उपर्युक्त 4 ए ई जेड में 16 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए एसाइड योजना के तहत 48.85 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गयी है।

विवरण

कृषि निर्यात जोन

क्र. सं.	राज्य	ए ई जेड परियोजना	राज्य एवं जिला
1	2	3	4
01	असम (1)	ताजे एवं प्रसंस्कृत अदरक	असम (कामरूप, नलबाड़ी, बरपेटा, दारंग, नैगांव, मोरीगांव, कार्बी एंगलोंग तथा उत्तरी कछार जिला)
02	आंध्र प्रदेश (5)	आम का गूदा तथा ताजी सब्जियां	आंध्र प्रदेश (चित्तूर जिला)
		आम तथा अंगूर	आंध्र प्रदेश (रंगारेड्डी जिला, मेडक तथा महबूब नगर जिले के कुछ हिस्से)
		आम	आंध्र प्रदेश (कृष्णा जिला)
		खीरा	आंध्र प्रदेश (महबूब नगर जिला, रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल, मेडक, अनंथपुर तथा नलगोंडा)
		मिर्च	गुंटूर
03	बिहार (1)	लिची, सब्जियों तथा शहद	बिहार (मुज्जफरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, बेगुसराय, खगड़िया सीतामढ़ी, सारण तथा गोपालगंज)
04	गुजरात (3)	आम तथा सब्जियां	गुजरात (अहमदाबाद जिला, खाडिया, आंनद, वड़ोदरा, सूरत, नवसारी, वल्साद, भरोंच तथा नर्मदा)
		मूल्यवर्धित प्याज	गुजरात (भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, जामनगर जिले)
		तिल	अमेरली, भावनगर, सुरेंद्र नगर, राजकोट, जामनगर
05	हिमाचल प्रदेश (1)	सेब	हिमाचल प्रदेश, (शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चंबा तथा किन्नौर)
06	कर्नाटक (4)	खीरा	कर्नाटक (तुमकुर, बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रदुर्गा, धारवाड़ तथा बगलकोट)
		रोज प्याज	कर्नाटक (बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, कोलार)
		फूल	कर्नाटक (बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, कोलार, तुमकुर, कोडागू तथा बेलगाम)

1	2	3	4
		वनीला	कर्नाटक (जिला दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडूपी, शिमोगा, कोडागू, चिकमंगलोर)
07	जम्मू और कश्मीर (2)	सेब	जम्मू एवं कश्मीर (जिला श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बढ़गांव तथा पुलवामा)
		अखरोट	जम्मू एवं कश्मीर-बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगांव, कुपवाड़ा तथा श्रीनगर) (जम्मू क्षेत्र -डोडा, पुंछ, उधमपुर राजौरी तथा कठुआ)
08	झारखंड (1)	सब्जियां	झारखंड (रांची, हजारीबाग तथा लोहरदग्गा)
09	केरल (2)	बागवानी उत्पाद	केरल (जिला त्रिशूर, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलप्पबुबा, पत्तनम तिट्टा, तिरूवनंतपुरम, इडुक्की एवं पालकाड)
		औषधीय पौधे	वायनाड, मल्लपुरम, पालकाड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, पतनमतिट्टा, तिरूवंतनपुरम
10	मध्य प्रदेश (5)	आलू, प्याज, लहसून	मध्य प्रदेश (मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धर, शाहजाजपुर, रतलाम, नीमच तथा मंदसौर)
		बीज मसाल	मध्य प्रदेश (जिला गुना, मंदसौर उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाहजाजपुर तथा नीमच)
		गेहूं (दुराम)	मध्य प्रदेश (तीन अलग तथा निकटस्थ जोन) उज्जैन जोन में शामिल हैं- नीमच, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन इंदौर जोन में शामिल हैं- इंदौर, धार, शाहजाजपुर एवं देवास, भोपाल डिवीजन में शामिल हैं- सिहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हर्दा, नरसिंघपुर तथा भोपाल
		मसूर एवं चना	शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंघपुरा, छिंदवाड़ा
		संतरे	छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बेतुल
11	महाराष्ट्र (8)	अंगूर तथा ग्रेपवाइन	महाराष्ट्र (नासिक, सांगली, पुणे, सतारा, अहमदाबाद तथा शोलापुर)
		आम (अल्फांसो)	महाराष्ट्र (रत्नागिरी जिला, सिंघदुर्ग, रायगढ़ तथा थाणे)
		केसर आम	महाराष्ट्र (औरगांबाद जिला, बीड, जालना, अहमदनगर तथा लातूर)
		फूल	महाराष्ट्र (पुणे, नासिक, कोल्हापुर तथा सांगली)

1	2	3	4
		प्याज	महाराष्ट्र (नासिक जिला, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगांव तथा शोलापुर)
		अनार	महाराष्ट्र (शोलापुर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, लातूर ओस्मानाबाद)
		केला	जलगांव, धूले, नंदुरबार, बुल्ढ़ाना, वर्धा परभनी, हिंडोली, नांदेड
		संतरे	नागपुर तथा अमरावती
12	ओडिशा (1)	अदरक एवं हल्दी	ओडिशा (कंधमाल जिला)
13	पंजाब (3)	सब्जियां	पंजाब (फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड़ तथा लुधियाना)
		आलू	पंजाब (सिधपुरा, जिराकपुर, रामपुरा फुल, मुक्तसर, लुधियाना, जालंधर)
		बासमती चावल	पंजाब (गुरूदासपुर जिला, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर तथा नवांशहर)
14	राजस्थान(2)	धनिया	कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ तथा चितौड़
		जीरा	नागौर, बारमेर, जालौर, पाली तथा जोधपुर
15	सिक्किम (2)	फूल (आर्किड) तथा चेरी पेपर	सिक्किम (पूर्वी सिक्किम)
		अदरक	सिक्किम (उत्तर, दक्षिण, दक्षिण तथा पश्चिम सिक्किम)
16	त्रिपुरा (1)	जैविक अन्नानास	त्रिपुरा, (कुमारघाट, मनु, मेलाघर, माताबरी तथा ककराबेन ब्लॉक)
17	तमिलनाडु (4)	फूल	तमिलनाडु (धर्मपुरी)
		फूल	तमिलनाडु ('नीलगिरि जिला)
		आम	तमिलनाडु (मदुरै जिला, थेनी, डिंडीगुल, विरुद्धनगर तथा तिरूनेवेल्ली)
		काजू	कड्डालोर, तंजावूर, पुडुकोट्टाई तथा शिवगंगा
18	उत्तर प्रदेश (4)	आलू	उत्तर प्रदेश (आगरा, हाथरस, फरूर्खाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत तथा अलीगढ़)
		आम तथा सब्जियां	उत्तर प्रदेश (लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर तथा बारांबाकी)

1	2	3	4
		आम	उत्तर प्रदेश (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत तथा बुलंदशहर)
		बासमती चावल	उत्तर प्रदेश (बरेली जिला, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जे बी फुलेनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलदंशहर, गाजियाबाद)
19	उत्तरांचल (4)	लिची	उत्तरांचल (उधम सिहं नगर, देहरादून तथा नैनीताल)
		फूल	उत्तरांचल (देहरादून तथा पंतनगर)
		बासमती चावल	उत्तरांचल (उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून तथा नैनीताल जिला)
		औषधीय एवं ऐरोमेटिक प्लांट	उत्तरांचल (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून तथा नैनीताल जिला)
20	पश्चिम बंगाल (6)	लिची	पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद, माल्दा, 24 परगना (उ) तथा 24 परगना (द) जिला)
		आलू	पश्चिम बंगाल (हुगली, बर्दवान, मिदनापुर, (पश्चिम), उदय नारायणपुर तथा हावड़ा जिला)
		सब्जियां	पश्चिम बंगाल (माल्दा एवं मुर्शिदाबाद)
		दार्जिलिंग चाय	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)
		आम	पश्चिम बंगाल (माल्दा एवं मुर्शिदाबाद)
		अनानास	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग, उत्तर दीनाजपुर, कूच, बिहार तथा जलपाइगुड़ी)

[अनुवाद]

तेल और गैस पाइपलाइनों के लिए मंजूरी मानदंड

2712. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में फैली तेल और गैस पाइपलाइनों को हरित मंजूरी देने और विनियमन करने के लिए मानदंड/नियम निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि पाइपलाइनों से तेल और गैस रिसाव होता है और विभिन्न तेल कंपनियां खतरनाक अपशिष्ट को विधिवत अधिदिष्ट शोधन सुविधा के माध्यम से निस्तारित करने के स्थान पर उन्हें पिट में निकालती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार तेल और गैस पाइप लाइनों के विनियमन और हरित मंजूरी देने के लिए नियमों की समीक्षा और संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना के अनुसार, एलएनजी टर्मिनल सहित राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/प्रवाल भित्तियों/पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस पाइपलाइनों (कच्चे और परिष्कृत/पेट्रोकैमिकल उत्पादों) के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) पाइपलाइन में तेल रिसाव की एक घटना तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में दिनांक 2 नवंबर, 2012 को हुई है। तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अनुबंधन के अध्यधीन प्रदान की जाती है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पाइपलाइन की स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली; खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 का अनुपालन; तेल रिसाव के मामले में संदूषित मृदा का मृदा जैव-उपचार और जोखिम उपशमन हेतु उपाय तथा ऑनसाइट एवं ऑफसाइट आपदा प्रबंधन योजना बनाना शामिल हैं।

(ङ) और (च) उपरोक्त भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

होटलों पर ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. की बकाया राशि

2713. श्री नारायण सिंह अमलाबे :
श्री महाबल मिश्रा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की बंद कपड़ा मिलों सहित दिल्ली के पांच सितारा होटलों पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन चूककर्त्ताओं के विरुद्ध वर्ष-वार कितने मामले दर्ज और अभियोजन किए गए; और

(ग) इन होटलों और कपड़ा मिलों में कार्यरत प्रभावित कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) दिल्ली में किसी भी पांच सितारा होटल पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है। तथापि, दिल्ली में पांच सितारा होटल पर कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया राशि (रुपये लाख में)
1.	2009-10	13.87
2.	2010-11	13.87
3.	2011-12	13.87
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	13.99

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया राशि (रुपये लाख में)
1.	2009-10	1737.85
2.	2010-11	562.49
3.	2011-12	42.32
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	27.12

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संबंध में बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	राशि	अभ्युक्ति
1.	2009-10	437.14	1. छह इकाइयां बंद हैं तथा सरकारी परिसमापक के पास दावे प्रस्तुत किए गए हैं।
2.	2010-11	450.74	2. दो इकाइयां बीआईएफआर के अंतर्गत हैं राज्य कपड़ा निगम इकाइयां हैं।
3.	2011-12	462.50	3. दो इकाइयां बंद हैं जो बीआईएफआर के अंतर्गत नहीं हैं।
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	470.67	4. चार इकाइयां बंद हैं तथा एनटीपीसी सीपीएसयू के अंतर्गत हैं।
			5. तीन इकाइयां हैं जिनके लिए पुर्नवास योजना बीआईएफआर द्वारा संस्वीकृत की गई हैं।
			6 दो इकाइयां बद है तथा बीआईएफआर के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कोई योजना संस्वीकृत नहीं हैं।

(ख) जहां तक बंद कपड़ा मिलों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 30.11.2012 तक के दौरान मिलों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि देय राशियों की चूक हेतु कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन शुरू किए गए हैं।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देय राशियों का संबंध है, ईएसआईसी द्वारा दिल्ली में पांच सितारा होटलों के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है, और न ही अभियोजन शुरू किया गया है। तथापि, बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध पांच मामले पंजीकृत किए गए थे जिनमें से तीन मामले निर्णीत हो चुके हैं।

(ग) प्रतिष्ठानों के विरुद्ध देय राशियों की शीघ्र वसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8-ख से 8-छ के अतंर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें चल और अचल संपत्ति की कुर्की, नियोक्ताओं की गिरफ्तारी आदि शामिल है। बंद चूककर्त्ता कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की विशेष रिजर्व निधि में से /किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारी प्रदत्त अथवा संदेय अंशदान पर आधारित लाभों के हकदार हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगारी

2714. श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री संजय निरुपम :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में शिक्षित और अशिक्षित दोनों बेरोजगार युवाओं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में एस.सी/एस.टी और ओबीसी श्रेणियों सहित ऐसे बेरोजगार युवकों हेतु आरक्षण प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में बेरोजगारी कम करने के लिए कारखानों में शिफ्टों की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि शिक्षित बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण पाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(छ) क्या बहुत से खाली हो रहे पद भरे नहीं जा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो देश में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं या रोजगार नीति का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.न.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित शिक्षित तथा अशिक्षित - दोनों प्रकार के रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उद्योग एवं अन्य संघों के साथ बातचीत आरंभ करने तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे की जांच करने के लिए सितम्बर, 2004 में एक मंत्री समूह का गठन किया गया। इस समूह ने पांच बार बैठक की तथा शीर्ष उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। अक्तूबर, 2006 में, निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई पर उद्योग के साथ विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति ने शीर्ष उद्योग मंडलों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। 11.07.2008 को हुई समन्वय समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सितम्बर, 2008 में अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने हेतु उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के मुद्दे का अध्ययन करेगा। अधिकारियों के इस समूह तथा शीर्ष उद्योग संघों की बैठकें सितम्बर, 2008 एवं फरवरी, 2009 में आयोजित की गई थीं। यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों के रोजगार में बढ़ोतरी करने एवं औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में राज्यों के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास कारखाना अधिनियम, 1948 के क्षेत्राधिकार के तहत कारखानों में पालियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करने का कोई विशिष्ट माला श्रम और रोजगार मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार नियमित केन्द्रीय या सरकारी सिविलियन कर्मचारियों के रिक्त पदों की अनुमानित संख्या 5,33,936 है।

(ज) भारत सरकार अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है।

विवरण

31.12.2009 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों सहित शिक्षित एवं अशिक्षित रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षित	अशिक्षित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1450.3	551.4

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.5	18.5
3.	असम	1493.5	222.9
4.	बिहार	694.1	129.2
5.	छत्तीसगढ़	1143.5	215.7
6.	दिल्ली	449.4	11.4
7.	गोवा	101.7	1.1
8.	गुजरात	832.7	72.8
9.	हरियाणा	772.9	186.0
10.	हिमाचल प्रदेश	708.7	93.4
11.	जम्मू और कश्मीर	77.0	244.6
12.	झारखंड	461.9	162.9
13.	कर्नाटक	381.5	201.7
14.	केरल	3740.6	616.3
15.	मध्य प्रदेश	1555.8	380.5
16.	महाराष्ट्र	2230.0	778.3
17.	मणिपुर	423.8	244.7
18.	मेघालय	23.3	11.3
19.	मिजोरम	31.9	20.2
20.	नागालैंड	31.4	22.3
21.	ओडिशा	749.3	99.3
22.	पंजाब	242.2	146.6
23.	राजस्थान	691.5	125.9
24.	सिक्किम*	0.0	0.0
25.	तमिलनाडु	3453.3	2116.8
26.	त्रिपुरा	202.4	281.6
27.	उत्तराखंड	429.8	57.6
28.	उत्तर प्रदेश	1858.1	277.6
29.	पश्चिम बंगाल	4649.0	1639.9
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.3	17.0
31.	चंडीगढ़	23.6	16.5
32.	दादरा और नगर हवेली	6.1	2.1
33.	दमन और दीव	5.2	7.9
34.	लक्षद्वीप	11.9	2.7
35.	पुदुचेरी	207.9	0.2
	योग	29174.8	8977.4

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

सैनिकों को सुविधाएं

2715. श्री हरीश चौधरी :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के जवानों को नियमानुसार सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई निगरानी तंत्र है और इस संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) समय पर ये सुविधाएं मुहैया नहीं कराने के दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है साथ ही दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) सेना में सभी सैनिक अपनी पात्रतानुसार सुविधाएं प्राप्त कर रहे है। सैनिकों को ये सुविधाएं उनके संबंधित कमानों द्वारा दी जाती हैं तथा इनकी मानीटरी कमान-श्रृंखला और मुख्यालयों द्वारा की जाती है। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाने के लिए उनकी जांच की जाती है जिसमें संबंधित कमानों द्वारा गलती करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल होती है।

[अनुवाद]

गाली की भाषा और जाति सूचक टिप्पणियां

2716. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त अधिनियम के अंतर्गत दर्ज जाली मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपशब्द और जाति सूचक टिप्पणियों से संबंधित खंडों का अजा/अजजा के व्यक्तियों के द्वारा गैर-अजा/अजजा व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक दुरूपयोग किया जा रहा है।

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कानून के दुरूपयोग को देखते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) इस संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) एनसीआरबी के आंकड़े अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत झूठे मामलों से विशेष रूप से संबद्ध नहीं है तथा यह शीर्षक "तथ्य अथवा कानून आदि के तहत झूठे/गलत पाए गए मामले" के तहत दिए गए हैं। तदनुसार, कैलेंडर वर्ष 2011 के लिए राज्य/संघ राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत झूठे मामलों की घटनाओं का कुछ एजेंसियों ने उल्लेख किया है। विशिष्ट झूठे मामले से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियां आईपीसी की संगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती हैं।

(ङ) और (च) इस संबंध में, इस अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्यांचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन दर्ज किए गए मामले

पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5293	5074	4808

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	54	34
3.	असम	9	10	2
4.	बिहार	3903	3587	3720
5.	छत्तीसगढ़	1017	847	589
6.	गोवा	3	1	5
7.	गुजरात	1375	1163	1214
8.	हरियाणा	303	380	408
9.	हिमाचल प्रदेश	88	102	95
10.	झारखंड	813	811	945
11.	कर्नाटक	2436	2766	2754
12.	केरल	569	671	991
13.	मध्य प्रदेश	4175	4756	4529
14.	महाराष्ट्र	1296	1399	1454
15.	मणिपुर	0	0	1
16.	मेघालय	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0
19.	ओडिशा	2261	2263	1939
20.	पंजाब	108	115	90
21.	राजस्थान	6168	6298	6440
22.	सिक्किम	30	4	17
23.	तमिलनाडु	1332	1661	1402
24.	त्रिपुरा	34	46	52

1	2	3	4	5
25.	उत्तर प्रदेश	7465	6272	7737
26.	उत्तराखंड	58	35	32
27.	पश्चिम बंगाल	37	110	100
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	7
29.	चंडीगढ़	0	0	2
30.	दादरा और नगर हवेली	17	2	3
31.	दमन और दीव	2	0	0
32.	दिल्ली	31	16	28
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	पुदुचेरी	3	5	3
	कुल	38849	38449	39401

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

नोट:– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता

विवरण-II

वर्ष 2011 के दौरान ऐसे मामले जिनमें आरोप झूठे पाए गए/तथ्य या कानून की चूक आदि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1833
2.	असम	11
3.	बिहार	357
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	गुजरात	20
6.	हरियाणा	100
7.	हिमाचल प्रदेश	33
8.	झारखंड	81
9.	कर्नाटक	467
10.	केरल	210
11.	मध्य प्रदेश	62
12.	महाराष्ट्र	153
13.	ओडिशा	213

1	2	3
14.	पंजाब	22
15.	राजस्थान	3774
16.	तमिलनाडु	322
17.	उत्तर प्रदेश	1047
18.	उत्तराखंड	8
19.	पश्चिम बंगाल	4
20.	पुदुचेरी	3
	कुल	8722

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

नोटः—

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता

(ii) अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हुआ।

(iii) गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस तरह के कोई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए।

रक्षा प्रतिष्ठान

2717. **श्री नारनभाई कछाड़िया :**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और बिहार में आपके मंत्रालय और इसके संगठनों के कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो उसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) गुजरात के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक बिहार के सूचना का संबंध है, वह एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) गुजरात में मंत्रालय और इसके संगठनों के कार्यालयों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	संगठन	यूनिटों/कार्यालयों की संख्या
1.	सशस्त्र सेनाएं	151
2.	अन्य रक्षा स्थापनाएं	69

(ख) गुजरात में 24807 एकड़ रक्षा भूमि अवस्थित है।

(ग) और (घ) ध्रंगध्रा नगर निगम ने 4.48 एकड़ माप की एमईएस कालोनी (बैरक नं. 32) नामक पूर्व-राज्य सेना सम्पदा के मालिकाना हक का दावा करते हुए ध्रंगध में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में सिविल मुकदमा सं.33/89 (पूर्व 88/85) दायर किया है। यह मामला न्यायाधीन है।

चावल का निर्यात

2718. **श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला :**
श्री मानिक टैगोर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थान को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देती है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को दिए जा रहे प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद के अनुसार भारत थाईलैंड को पीछे छोड़कर जिसने वर्ष 2011-12 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान 65 लाख मी.टन चावल का निर्यात किया है, उसी अवधि के दौरान 96 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात कर चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। सरकार ने गैर-बासमती चावल के अबाधित निर्यात को जारी रखने का निर्णय लिया है। एपीडा, जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, बासमती चावल सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेता है। इसके अलावा, निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार अवसंरचनात्मक विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन तथा संवर्धन, पैकेजिंग, प्रचार सूचना प्रसार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने रबी फसल मौसम 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है जिसमें तीन प्रमुख संघटकों में से एक के रूप में एन.एफ.एस.एम चावल शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य चावल के उत्पादन को बढ़ाना तथा चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में संलग्न उपजकर्ताओं के आत्म विश्वास को बहाल करने के लिए फार्म स्तर पर अर्थव्यवस्था का संवर्धन करना है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम) तथा वृहद कृषि प्रबंधन (एम.एम. ए) के तहत विभिन्न कृषि तथा बागवानी साधनों एवं उपकरणों की खरीद हेतु उपजकर्ताओं को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार ने कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए उपजकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु चावल सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत में भी वृद्धि की है।

औद्योगिक विकास संबंधी अध्ययन

2719. श्री हरिन पाठक :
श्रीमती रमा देवी :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री के. सुगुमार :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वृद्धि पर मूल्य वृद्धि और अधिक ब्याज दर के प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पाद बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों/संगठनों तथा पणधारकों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या निर्माण क्षेत्र में मंदी है और यह देश में मूल उद्योगों की अक्षमता तथा मूल्य वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) औद्योगिक वृद्धि पर मूल्य वृद्धि और अधिक ब्याज दर के प्रभाव के संबंध में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, मूल्य वृद्धि और अधिक ब्याज दर औद्योगिक वृद्धि पर बोझ डालते हैं। जहां मूल्य वृद्धि विनिर्माण लागत को बढ़ाती है तथा घरेलू मांग में भी कमी करती है, वहीं अधिक ब्याज दर उद्योग के लिए पूंजी लागत को बढ़ाती है।

सरकार ने देश में औद्योगिक वातावरण और विनिर्माण में सुधार

के लिए विश्वास बहाली के उपाय शुरू कर दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) की घोषणा है, जिसका उद्देश्य लगभग एक दशक के भीतर जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन रोज़गार के अवसरों का सृजन करना है। इस नीति में औद्योगिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए उपाय का भी प्रावधान है जिनमें राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) की स्थापना, व्यवसाय विनियम के सरलीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना; दक्षता विकास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में निवेश शामिल है।

रेलवे के दिल्ली-मुंबई डेडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर के दोनों और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और अत्याधुनिक अवसंरचना युक्त मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने के लिए दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना लागू की जा रही है।

अन्य उपायों में विभिन्न प्रेस नोटों को एक दस्तावेज में समेकित करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संवर्धन सहित औद्योगिक निवेश का संवर्धन तथा सरलीकरण; एफडीआई नीति का धीरे-धीरे उदारीकरण तथा युक्तिकरण; औद्योगिक परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उद्योग संघों और हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) सतत एवं व्यापक आर्थिक वृद्धि के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग की वृद्धि एवं विकास को सुकर बनाने के लिए उद्योग एवं सरकार के बीच नियमित बातचीत के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए माननीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक सरकार-उद्योग संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) का गठन किया गया है।

जेटीएफ की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणात्मक स्वीकृतियां, परियोजाओं का तेजी से कार्यान्वयन, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के भाग के रूप में दस राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोनों (एनएमआईजेडएस) की पहचान, विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति का धीरे-धीरे उदारीकरण एवं उसे तर्कसंगत बनाना आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान करने जैसे उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं।

(ङ) और (च) आठ मुख्य उद्योगों यथा कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात तथा विद्युत की वृद्धि का समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 37.9 प्रतिशत का योगदान है, जिससे विनिर्माण उद्योग की वृद्धि पर इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी प्रकार मूल्यों में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि तथा घरेलू मांग में कमी के रूप में औद्योगिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तथापि, मुख्य उद्योगों की वृद्धि तथा मूल्य वृद्धि और विनिर्माण उद्योग की वृद्धि अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता के बीच आपसी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।

विनिर्माण तथा मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), विनिर्माण क्षेत्र तथा मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर

अवधि	विनिर्माण*	समग्र आईआईपी*	आठ कोर उद्योगों की वृद्धि**
1	2	3	4
2009-10	4.8	5.3	6.6
2010-11	9.0	8.2	6.6
2011-12	3.0	2.9	4.4

1	2	3	4
2012-13			
अप्रैल	-1.8	-1.3	3.1
मई	2.6	2.5	4.0
जून	-3.2	-2.0	3.8
जुलाई	-04	-02	1.2
अगस्त	2.4	2.3	2.4
सितंबर	-1.5	-0.4	5.0
अक्तूबर	-	-	6.5

स्रोत: *केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

**आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी।

उपर्युक्त (क) और (ख) भागों में दर्शाए गए अनुसार देश में औद्योगिक वातावरण तथा विनिर्माण में सुधार के लिए शुरू किए गए उपायों के अलावा, जहां तक मुख्य उद्योगों का संबंध है, सरकार तेल और गैस के उत्पादन में तेजी लाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन तथा ऐसी संबद्ध गतिविधियों के लिए जो पूंजी गहन हैं तथा जिनमें महंगी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है, विदेशी कंपनियों समेत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है।

धात्विक खनिजों (लौह अयस्क, मैगनीज, क्रोमाइट) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) विधेयक, 2011 के रूप में विधायी सुधारों; पर्यावरण एवं वन मंजूरी के लंबित मामलों की तिमाही समीक्षा आदि द्वारा निवेश के लिए आकर्षक वातावरण तैयार किया है।

[हिन्दी]

गौमांस के निर्यात पर प्रतिबंध

2720. **श्री वीरेन्द्र कश्यप :**
श्रीमती रमा देवी :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रसंस्कृत मांस की मात्रा, निर्यात किए गए गौमांस और इससे अर्जित आय का मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गौमांस के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को उठाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने देश से गौमांस के निर्यात पर लगे ऐसे प्रतिबंध को हटाने के निर्णय के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत गौमांस (गाय, भैंस और बछड़े का मांस) का निर्यात प्रतिबंधित है और इनके निर्यात की अनुमति नहीं है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यातित प्रसंस्कृत मांस की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

उत्पाद	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अप्रैल-जुलाई)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रसंस्कृत मांस	716.19	2.02	1305.96	4.28	1703.12	6.26	849.33	2.68

स्रोत: डी जी सी आई एस।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। गौमांस के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

निर्माण क्षेत्र में लगे कामगारों के लिए बोनस

2721. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रम कानून में संशोधन करने के लिए महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ताकि निर्माण क्षेत्र में कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को त्यौहार का बोनस सुनिश्चित हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) श्रमिक संघों से पात्रता सीमा समाप्त करने तथा अधिनियम के दायरे के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को कवर करने हेतु बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के संबंध में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार से श्रम कानूनों को संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो सन्निर्माण कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों को त्यौहार का बोनस सुनिश्चित करें।

चूंकि बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा 01 अप्रेल, 2006 से संगणना सीमा 2500/- रुपए से बढ़ा कर 3500/- रुपए प्रति माह और पात्रता सीमा 3500/- रुपए से बढ़ा कर 10000/- रुपए कर दी गई है, सरकार इस समय आगे कोई और संशोधन करने पर विचार नहीं कर रही है।

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्

2722. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
प्रो. सौगत राय :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य वर्धित निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई स्कीम तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुसार गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण, रत्न और आभूषण के निर्यात/आयात में कमी रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात/आयात किए गए रतन व आभूषण के मूल्य और इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हीरे पर दो प्रतिशत आयात शुल्क लगाना रत्न व आभूषण के निर्यात/आयात में कमी का एक बड़ा कारण है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रत्न व आभूषण के निर्यात/आयात को बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एम.डी.) और बाजार पहुंच पहल (एम.ए.आई) स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने रत्न एवं आभूषण के निर्यात संवर्धन के लिए विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी) 2009-14 में अनेक उपायों की घोषणा की है जैसे प्रमाणन/ग्रेडिंग तथा विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पुनर्निर्यात हेतु परेषण आधार पर हीरों के आयात की अनुमति देना, विदेशी प्रदर्शनियों में सहभागिता और निर्यात संवर्धन दौरों के मामले में व्यक्तिगत रूप से रत्न एवं आभूषण उत्पाद ले जाने की सीमा में वृद्धि करना आदि।

(ख) और (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी.जे.ई.पी.सी) से प्राप्त सूचना के अनुसार 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निर्यात/आयात में कोई गिरावट नहीं आई थी। तथापि चालू वर्ष अर्थात 2012-13 में कुछ गिरावट देखी गई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण तराशे एवं पालिश किए गए हीरों एवं रंगीन रत्नों पर 2% शुल्क का अधिरोपण है।

(मिलियन अम.डा. में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-अक्तूबर से निर्यात संबंधी तुलना	
				2012-13	2011-12
निर्यात	29442	43048	43211	22500.47	25919.63
आयात	28845	42454	42721	21703.70	25599.03

स्रोत: जी.जे.ई.पी.सी द्वारा संग्रहीत सीमाशुल्क डाटा

(घ) जी.जे.ई.पी.सी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष में पांच प्रमुख देशों को निर्यातित/आयातित रत्न एवं आभूषण के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

निर्यात

मिलियन अम.डा. में

देश	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-अक्तूबर 2012
1	2	3	4	5
यू.ए.ई	12921.73	22082.27	18932.14	11107.95
हांगकांग	6696.47	9287.54	10807.77	5273.45
यू.एस.ए	4230.80	4946.08	4896.86	2416.55

1	2	3	4	5
बेल्जियम	1632.68	2071.28	2746.45	1101.10
इजराइल	841.81	1149.50	1466.13	645.18

आयात

मिलियन अम.डा. में

देश	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-अक्तूबर 2012
यू.ए.ई	9227.04	16468.16	11428.08	7,278.99
बेल्जियम - ई.सी	5906.53	7795.57	9088.22	4,832.72
हांगकांग	4322.61	7132.91	8353.83	1,951.27
स्विट्जरलैंड	259.46	2776.05	5537.74	3,416.64
यूनाइटेड किंगडम - ई.सी.	1147.73	1254.14	1538.26	772.25

(ङ) 2% आयात शुल्क के अधिरोपण से तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात/आयात प्रभावित हुआ है। तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों के संबंध में बेईमान व्यापारियों द्वारा अपनाई गई राउंड ट्रिपिंग/सर्कुलर ट्रेडिंग की पद्धति पर रोक लगाने के लिए जी.जे.ई.पी.सी के अनुरोध पर सरकार द्वारा जनवरी 2012 में यह शुल्क अधिरोपित किया गया था।

(च) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्यात/आयात में गिरावट का ब्यौरा दिया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित हैं।

तट रक्षा का उन्नयन

2723. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री सुवेन्दु अधिकारी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा चुनौती से निपटने के लिए भारतीय भूमि, वायु और समुद्री स्थानों को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा पर्याप्त उपाए किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तटीय सुरक्षा के उन्नयन के लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे उन्नयन के लिए कितना खर्च संभावित है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) जी, हां। आवश्यकता के आधार पर परिसम्पत्तियों और उपस्कर सहित तटरक्षक यूनिटों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए प्रमुख निमार्ण कार्य और भूमि अधिग्रहण सहित पूंजी शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आवंटन क्रमशः 921.33 करोड़ रुपए और 1200.19 करोड़ रुपए था और इसी अवधि में व्यय 907.00 करोड़ रुपए और 1200.83 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

आईटीआई

2724. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :
श्री एन. चेलुवराया स्वामी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) खोलने के लिए गुजरात सहित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्थान-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कई आईटीआई सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आज तक की तिथि के अनुसार देश में ऐसे संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) ऐसे संस्थानों से पास करने वाले लोगों की वार्षिक संख्या कितनी है; और

(च) आईटीआई से पास करने वाले ऐसे लोगों को नौकरी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) "व्यावसायिक प्रशिक्षण" संविधान की समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार नीति निर्माण, प्रशिक्षण मानकों एवं मानदण्डों के निर्धारण, परीक्षा के आयोजन, प्रमाणीकरण आदि के लिए उत्तरदायी है जबकि नए आईटीआइज को खोलने सहित प्रशिक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, नए सरकारी एवं निजी आईटीआइज की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने गुजरात सहित देश में 12वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी से 1500 नए आईटीआइज की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(ग) देश में सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं।

(घ) 25.09.2012 की स्थिति के अनुसार देश में 10341 सरकारी/निजी आईटीआइज कार्य कर रहे थे जिनमें 2271 क्षेत्र में हैं और 8070 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और सरकारी आईटीआइज की सीट क्षमता 4,86,386 और निजी आईटीआई की सीट क्षमता 9,67,406 है।

(ङ) भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के लिए विद्यमान अवसंरचना, संसाधन उपलब्धता, प्रभावी उपयोग, औद्योगिक संयोजन इत्यादि पर "सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन" पर वर्ष 2011 में एक अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि पास होने वाले विद्यार्थियों की दर लगभग 70 प्रतिशत है। ये विद्यार्थी वेतन रोजगार या स्वरोजगार की खोज में श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। आधुनिकीकृत/उन्नत आईटीआई स्नातकों की नियोजन दर 81 से 99 प्रतिशत की सीमा में थी जबकि अन्यों के लिए यह 41 से 60 प्रतिशत में थी।

(च) निकटवर्ती औद्योगिक समूह तथा/अथवा उन व्यवसायों की अवसंरचना का आधुनिकीकरण जिनकी मांग है, के अनुसार बहु-कौशल पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के मद्देनजर घरेलू संसाधनों के माध्यम से 100 आईटीआइज तथा विश्व बैंक की सहायता के माध्यम से 400 आईटीआइज के उन्नयन के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन का कार्य आरंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत हाथ में लिए गए प्रत्येक आईटीआई के लिए उन्नयन की प्रक्रिया के नेतृत्व हेतु एक उद्योग भागीदारी को सहयोजित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग भागीदारी की अध्यक्षता में एक संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया जाता है। आईएमसी को आईटीआई के मामलों के प्रबंधन हेतु वित्तीय तथा शैक्षिक स्वायत्तता दी गई है। आईएमसी को आईटीआई के 20% तक प्रवेश निर्धारित करने की अनुमति है। आईटीआइज में प्रशिक्षण, परामर्श-सह-नियोजन-सेल (टीसीपीसीज) स्थापित किए गए हैं, जो आईटीआई स्नातकों के नियोजन में सहायता करते हैं। रोजगार प्रदान करने के लिए टीसीपीसीज द्वारा कैंपस भर्तियां भी आयोजित की जा रही हैं।

रेल समपारों पर रेल उपरिपुल और रेल अधोगामी पुल

2725. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रेल समपार और रेल उपरि पुलों (आरओबी) की जिला-वार सख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में राजगढ़-पिलानी तथा राजगढ़-झुनझुन, राज्यीय राजमार्गों पर सादुलपुर रेलवे स्टेशन के

पश्चिम में और पूर्व में स्थित रेलवे समपार सी-142 सहित इन रेलवे समपारों पर रेल उपरि पुलों/रेल अमोगामी पुलों/अडंर पासों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए संभावित निर्गमित/आवंटित निधि की धनराशि कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में राज्य/ लोक निर्माण विभागों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित जिला-वार रेल लेवल क्रासिंग/रेल उपरि पुलों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरि पुलों/रेल अधोगामी पुलों/अंडरपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, वहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी सतत् कार्यों के लिए रेल उपरि पुलों/रेल अधोगामी पुलों का निर्माण रियायत/संविदा करार का अंतर्निर्मित (इनबिल्ट) भाग होता है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी लेवल क्रासिंग सतत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान रेल उपरि पुलों/ रेल अधोगामी पुलों में परिवर्तित की जानी प्रस्तावित है। जहां तक रेलवे क्रांसिग सी-142 का संबंध है, यह राज्यीय राजमार्ग पर स्थित है और यह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अधीन आता है क्योंकि यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

विवरण-I

रेल समपारों पर रेल उपरिपुल और रेल अधोगामी पुल

राज्य	जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रांसिंग की संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी की संख्या
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	सागर	4	शून्य
	छत्तरपुर	1	शून्य
	हर्दा	1	शून्य
	सिधी	2	शून्य
	सिंगरौली	1	शून्य
	भोपाल	1	शून्य
	जबलपुर	1	शून्य
	कटनी	4	1
	अनूपपुर	3	शून्य
राजस्थान	जोधपुर	2	1

1	2	3	4
	पाली	1	शून्य
	बाड़मेर	2	शून्य
	जैसलमेर	4	शून्य
	अजमेर	2	शून्य
	चुरू	7	1
	बीकानेर	6	2
	श्रीगंगानगर	2	शून्य
	दौसा	शून्य	1
	नागौर	6	शून्य
	सवाईमाधोपुर	1	शून्य
	धौलपुर	2	शून्य
	राजसमंद	1	1

विवरण-II

रेल समपारों पर रेल उपरिपुल और रेल अधोगामी पुल

राज्य	जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रांसिंग की संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी की संख्या
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	1	2
	धौलपुर	शून्य	1
	इंदौर	शून्य	1
	जबलपुर	3	शून्य
	कटनी	1	शून्य
	सतना	1	शून्य

1	2	3	4
	नरसिंहपुर	शून्य	1
	सागर	शून्य	1
	शिवपुरी	1	1
	गुना	शून्य	1
	शाजपुर	2	शून्य
	बेतुल	4	शून्य
	छिंदवाड़ा	7	शून्य
	रायपुर	2	शून्य
	दुर्ग	शून्य	1
	धमतरी	1	शून्य
राजस्थान	अजमेर	5	5
	टोंक	1	1
	जयपुर	1	1
	सीकर	1	1
	पाली	2	2
	उदयपुर	3	3

[अनुवाद]

उद्योगों के लिए प्रदूषण मानदंड

2726. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री रामकिशुन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) .क्या सरकार ने देश में निर्माण क्षेत्र के लिए मानक प्रदूषण मानदंड निर्धारित किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन उद्योगों के राज्य-वार नाम क्या हैं जो विभिन्न राज्यों में प्रदूषण फैला रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में औद्योगिक प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (च) सरकार ने अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात विनिर्माण क्षेत्रों के लिए मानदंड अधिसूचित किए हैं। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सत्रह श्रेणियों को अभिज्ञात किया गया है और ऐसी इकाइयों की राज्य-वार संख्या और उनकी प्रदूषण-नियंत्रण-अनुपालन स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2012 तक) के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत 918 निरीक्षण किए हैं और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दोषी उद्योगों को 129 निदेश जारी किए हैं। सीपीसीबी ने दोषी इकाइयों के मामले में जल और वायु अधिनियमों के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को 152 निदेश जारी किए हैं। उद्योगों को सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों और एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों में बंद करने के आदेश, बैंक गारंटी मांगना और अनुपालन हेतु समयबद्ध कार्य-योजनाएं विनिर्दिष्ट करना शामिल है।

विवरण

अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों की राज्य-वार स्थिति

(दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक)

क्र.सं.	राज्य	अनुपालन करने वाले	अनुपालन न करने वाले	बंद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	357	78	31	466
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	2
3.	असम	20	4	0	24
4.	बिहार	19	2	2	23
5.	छत्तीसगढ़	71	6	1	78
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	दमन और दीव	2	0	1	3
8.	दिल्ली	2	0	0	2
9.	गोवा	14	0	1	15
10.	गुजरात	302	7	8	317
11.	हरियाणा	112	20	13	145

1	2	3	4	5	6
12.	हिमाचल प्रदेश	16	2	3	21
13.	झारखंड	19	7	3	29
14.	जम्मू और कश्मीर	7	0	3	10
15.	कर्नाटक	123	22	16	161
16.	केरल	23	13	15	51
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	65	16	2	83
19.	महाराष्ट्र	325	206	59	590
20.	मेघालय	13	1	0	14
21.	मिज़ोरम	1	0	0	1
22.	नागालैंड	0	0	0	0
23.	ओडिशा	37	17	11	65
24.	पुदुचेरी	5	2	0	7
25.	पंजाब	50	18	18	86
26.	राजस्थान	90	32	31	153
27.	सिक्किम	0	1	0	1
28.	तमिलनाडु	210	10	11	231
29.	त्रिपुरा	11	2	2	15
30.	उत्तर प्रदेश	278	45	78	401
31.	उत्तराखंड	27	19	3	49
32.	पश्चिम बंगाल	48	66	15	129
	कुल	2249	596	327	3172

[हिन्दी]

हथकरघा/विद्युतकरघा उत्पादन

2727. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :**
श्री मनोहर तिरकी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री बदरूद्दीन अजमल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हथकरघा, विद्युतकरघा, हौजरी, वस्त्र और मिल क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्त्रों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता सहित इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी ब्रांडों के प्रति झुकाव, उच्च सूत/धागा मूल्यों और उपयुक्त निर्यात नीति की कमी के कारण विद्युतकरघा/हथकरघा बुनकरों और उद्यमियों की दशा बदतर होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार इसमें लगे कामगारों सहित बंद/रुग्ण विद्युतकरघा और सूत कताई वाले मिलों की रक्षा का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ङ) देश भर में कार्यरत विद्युतकरघा और बुनाई मशीनों तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युतकरघा उद्योगों/बुनकरों को सरकार द्वारा प्रदत्त स्कीम/पैकेज यदि कोई हो, और आवंटित/उपयोग की गई निधि का स्कीमवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का हाल के दिनों में मूल्य वृद्धि के मद्देनजर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सूत धागा को लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) हथकरघा, विद्युतकरघा, होजियरी तथा मिल क्षेत्र द्वारा पिछले तीन वर्षों में (वर्ष 2011-12 को छोड़कर) तैयार वस्त्र मदों के उत्पादन में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है। वर्ष 2011-12 में वस्त्र उद्योग में मुख्यता वैश्विक आर्थिक मंदी और आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कपास बाजार में मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण गिरावट आई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर के दौरान यार्न और फैब्रिक दोनों के उत्पादन में वृद्धि के कारण 2012-13 में इस स्थिति में सुधार आया है।

सरकार ने घाटा उठा रही वस्त्र इकाइयों की सहायता करने के लिए मई, 2012 में 35,000 करोड़ रुपये के एक ऋण पुनर्गठन पैकेज का अनुमोदन किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अंतर्गत बैंक द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर प्रशासित किया जाएगा। वस्त्र उद्योग के सबसे कमजोर संघटक हथकरघा क्षेत्र के लिए नंवबर, 2011 में 3,884 करोड़ रुपये की ऋण माफी और पुनर्गठन पैकेज की घोषणा की गई। वस्त्रों मदों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

(घ) देश में इस समय 568 वस्त्र मिलें बंद पड़ी हैं जिनमें आंध्र प्रदेश में 34 मिलें, गुजरात में 44 मिलें, हरियाणा में 41 मिलें, कर्नाटक में 31 मिलें, महाराष्ट्र में 65 मिलें, उत्तर प्रदेश में 49 मिलें और तमिलनाडु में 177 मिलें शामिल हैं। सरकार वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना प्रशासित नहीं करती है। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र और कामगारों के विकास के लिए 12वीं योजना में 25,931 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 11वीं योजना में यह परिव्यय 14,000 करोड़ रुपये था। वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) के अंतर्गत 2010-11 में 2854 कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए 12.28 करोड़ रुपये की राशि और 2011-12 में 470 कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए 4.70 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

(ङ) देश में कार्य कर रही विद्युतकरघा इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सरकार विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं यथा नं. (i) विद्युतकरघा कामगारों हेतु समूह बीमा योजना (ii) समूह वर्कशेड योजना (iii) एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (iv) विद्युतकरघा क्षेत्र विपणन

विकास कार्यक्रम (v) विद्युतकरघा कलस्टर विकास (vi) विकास एवं कौशल उन्नयन (एचआरडी) क्रियान्वित कर रही है।

विद्युतकरघा इकाईयों/बुनकरों हेतु कोई राज्य-वार निधि का आबंटन नहीं किया गया है। समूह विकास योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है। समूह वर्कशेड योजना, 20% मार्जिन मनी सब्सिडी (एनएमएस) टीयूएफएस एवं विद्युतकरघा इकाईयों/बुनकरों हेतु समूह बीमा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान योजना-वार एवं वर्ष-वार निधि आवंटन एवं उपयोग का विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-III और iv में दिया गया है।

(च) सरकार का कपास एवं यार्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वस्त्र मदों का उत्पादन

मदें	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12 (अन.)	(अप्रैल-अक्तू.) (अ) 2012-13 (अन.)	2011-12	% परिवर्तन
कच्ची कपास (कपास वर्ष)	मिलियन किग्रा.	5185	5765	6001•	-	-	-
मानव-निर्मित फाइबर	मिलियन किग्रा.	1268	1285	1234	739	716	3.2
स्पन यार्न	मिलियन किग्रा.	4193	4713	4372	2764	2529	9.3
मानव निर्मित फिलामेंट यार्न	मिलियन किग्रा.	1523	1550	1463	850	838	1.4
फैब्रिक्स सभी क्षेत्र (खादी, ऊन एवं रेशम सहित)	मिलियन वर्ग मीटर	60333	62559	60394	37044	34822	6.4

वस्त्रों का क्षेत्र-वार उत्पादन

(मिली. वर्ग मीटर)

मद	2009-10 (अन.)	2010-11 (अन.)	2011-12	(अप्रैल-अक्तू.) (अ) 2012-13	2011-12
मिल क्षेत्र	2016	2205	2313	1574	1323
हथकरघा	6806	6907	6900	4037	4016
विद्युतकरघा	36997	38015	37387	22727	21672
हौजरी	13702	14634	12946	8212	7317
खादी ऊन और रेशम	812	798	848	494	494
कुल	60333	62559	60394	37044	34822

विवरण-II

31/03/2012 की स्थिति के अनुसार विद्युतकरघा की राज्य/क्षेत्र वार संस्थापना की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पूर्व के वस्त्र (नियंत्रण) आदेश ए. 1986 के अंतर्गत पंजीकृत इकाई/करघे		वस्त्र (डीएण्डआर) के आदेश 1992 तथा वस्त्र (डीएण्डआर) आदेश, 1993 एवं टी (डीएण्डआर) आदेश 2001 के अंतर्गत शामिल इकाईयों/करघे: पिछले महीने तक		माह के दौरान शामिल		इकाईयां/करघों की अद्यतन स्थिति		माह के अंत में कामगारों कि संख्या
		इकाईयों की संख्या	करघों की सं.	इकाईयों की सं	करघे की सं	इकाईयों की सं	करघों की सं	इकाईयों की सं (3ए+4ए +5ए)	करघों की सं (3बी+4बी +5बी)	
(1)	(2)	(3ए)	(3बी)	(4ए)	(4बी)	(5ए)	(5बी)	(6ए)	(6बी)	(7)
1.	राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	5656	37696	4478	7706	0	0	10134	45402	113505
2.	असम	261	2726	0	0	0	0	261	2726	6815
3.	बिहार	1439	2850	4	44	0	0	1443	2894	7235
4.	गोवा	18	122	0	0	0	0	18	122	305
5.	गुजरात	28167	257658	4080	65726	0	0	32247	323384	808460
6.	हरियाणा	2647	9844	12	89	0	0	2659	9933	24833
7.	हिमाचल प्रदेश	159	1302	23	159	0	0	182	1461	3653
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	56	65	0	0	56	65	163
9.	कर्नाटक	21146	61967	3440	19923	0	0	24586	81890	204725
10.	केरल	434	1971	239	833	0	0	673	2804	7010
11.	मध्य प्रदेश	15106	32981	30884	84808	197	428	46187	118217	295543
12.	महाराष्ट्र	146749	472509	140358	702189	176	2396	287283	1177094	2942735
13.	ओडिशा	754	3151	38	170	0	0	792	3321	8303

(1)	(2)	(3ए)	(3बी)	(4ए)	(4बी)	(5ए)	(5बी)	(6ए)	(6बी)	(7)
14.	पंजाब	3412	21618	249	2002	0	0	3661	23620	59050
15.	राजस्थान	3624	27793	412	6478	0	0	4036	34271	85678
16.	तमिलनाडु	56365	227135	22689	168795	26	349	79080	396279	990698
17.	उत्तर प्रदेश	25028	65366	107	627	0	0	25135	65993	164983
18.	पश्चिम बंगाल	806	4180	211	1785	0	0	1017	5965	14913
19.	दिल्ली	124	1102	0	0	0	0	124	1102	2755
20.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	**संघ शासित प्रदेश**									
21.	चंडीगढ़	11	42	0	0	0	0	11	42	105
22.	दादरा और नगर हवेली	17	444	21	518	0	0	38	962	2405
23.	पांडिचेरी	117	830	0	0	0	0	117	830	2075
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह									
	दमन और दीव लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	312040	1233287	207301	1061917	399	3173	519740	2298377	5745942.5

विवरण-III

समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार व्यय इस प्रकार है

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10 जारी राशि	2010-11 जारी राशि	2011-12 जारी राशि	2012-13 (नवंबर, 12 तक) जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	119.44	17.57	22.46	-

1	2	3	4	5	6
2.	तमिलनाडु	25.24	35.75	-	-
3.	गुजरात	91.01	90.80	91.54	168.19
4.	राजस्थान	7.25	14.34	-	-
5.	हरियाणा	14.51	9.67	-	-
6.	पश्चिम बंगाल	-	-	52.74	11.72
7.	उत्तर प्रदेश	-	6.45	59.70	-
8.	मध्य प्रदेश	18.78	-	6.64	-
9.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	3.91

20% एमएमएस-टीयूएफएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार व्यय इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10 जारी राशि	2010-11 जारी राशि	2011-12 जारी राशि	2012-13 (नवंबर, 12 तक) जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	94.36	197.66	254.69	311.81
2.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
3.	दमन और दीव	-	-	-	44.18
4.	गुजरात	240.63	313.34	825.22	1,625.55
5.	झारखंड	8.48	20.16	64.82	-
6.	हरियाणा	11.38	1.87	6.74	-
7.	कर्नाटक	80.92	-	21.50	-
8.	केरल	-	-	-	-
9.	मध्य प्रदेश	20.95	13.92	44.45	61.16
10.	महाराष्ट्र	2,093.54	1,034.83	819.58	1,362.57
11.	पंजाब	215.09	74.56	84.33	16.41

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	42.97	7.23	3.10	10.29
13.	तमिलनाडु	213.54	86.46	285.65	106.87
14.	उत्तर प्रदेश	34.73	21.74	15.44	–
15.	उत्तराखंड	–	–	6.60	–
	कुल	3,056.60	1,771.76	2,432.14	3,538.84

विवरण-IV

समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रति कामगार 150/- रु. की दर से प्रीमियम हेतु भारत सरकार का हिस्सा और पिछले 3 वर्षों के दौरान शामिल किए गए कामगारों की राज्य वार संख्या:

(कामगारों को शामिल करने के लिए प्रीमियम हेतु 150/रु. प्रशासनिक और प्रचार-प्रभार के रूप में 5/रु. प्रति कामगार रु. की दर से शामिल करने के वर्ष में अथवा अगले वर्ष में जैसी भी निधि की उपलब्धता हो भारत सरकार का हिस्सा जारी किया गया है)

क्र. सं.	राज्य	2009-10 (कामगारों की सं.)	2009-10 प्रति कामगार 150/-रु. की दर से भारत सरकार का हिस्सा	2010-11 (कामगारों की सं.)	2010-11 प्रति कामगार 150/-रु. की दर से भारत सरकार का हिस्सा	2011-12 (कामगारों की सं.)	2011-12 प्रति कामगार 150/-रु. की दर से भारत सरकार का हिस्सा	2012-13 (कामगारों की सं.) अक्तु; 2012 तक	2013-13 प्रति कामगार 150/-रु. की दर से भारत सरकार का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गुजरात	21567	3235050	23333	3499950	24645	3696750	9239	1385850
2.	पंजाब	4069	610350	4263	639450	4392	658800	1876	281400
3.	हिमाचल प्रदेश	42	6300	48	7200		0	0	0
4.	आंध्र प्रदेश	11687	1753050	12038	1805700	12776	1916400	5305	795750
5.	तमिलनाडु	31109	4666350	32618	4892700	32482	4872300	19881	2982150
6.	केरल	1642	246300	1672	250800	1551	232650	775	116250
7.	उत्तर प्रदेश	4121	618150	6062	909300	4478	671700	1570	235500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	उत्तरांचल	--		-			0	0	0
9.	पश्चिम बंगाल	1225	183750	1357	203550	1162	174300	535	80250
10.	बिहार	1882	282300	2050	307500	2064	309600	908	136200
11.	ओडिशा	327	49050	414	62100	470	70500	251	37650
12.	असम	174	26100	201	30150	159	23850	39	5850
13.	महाराष्ट्र	29326	4398900	30026	4503900	27841	4176150	11125	1668750
14.	मध्य प्रदेश	0	0	5376	806400	5823	873450	3031	454650
15.	राजस्थान	3594	539100	3933	589950	4109	616350	2353	352950
16.	हरियाणा	2044	366600	2117	317550	2200	330000	1697	254550
17.	कर्नाटक	24816	3722400	28634	4295100	32044	4806600	19381	2907150
18.	छत्तीसगढ़	0	0	82	12300	0	0	0	0
	कुल	137625	20643750	154224	23133600	156196	23429400	77966	11694900

[अनुवाद]

औद्योगिक बहिस्राव द्वारा नदी प्रदूषण

2728. श्री पुलीन बिहारी बासके :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कतिपय नदियां निकट स्थित उद्योगों और बहिस्राव के कारण प्रदूषित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने औद्योगिक प्रदूषक तत्वों को नदियों में बहाय जाने को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्कीमों और नियामक ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सफाई पर कितनी राशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) नदियों में प्रदूषण भार, आंशिक रूप से शोधित और अशोधित नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट को प्रवाहित करने के कारण बढ़ रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के साथ डिस्सोल्वड ऑक्सीजन, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फेकल कोलीफार्म आदि की दृष्टि से नदियों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। बीओडी स्तरों के आधार पर, देश में विभिन्न नदियों के 150 प्रदूषित क्षेत्र अभिज्ञात किये गये हैं, जिनके ब्यौरे आंध्र प्रदेश सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहिस्राव प्रवाह मानकों के अनुपालन हेतु उद्योगों को मॉनीटर करते हैं तथा अनुपालन न होने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। मंत्रालय ने साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के संस्थापन हेतु समूहों, औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में स्थित लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

यह मंत्रालय, मलजल का अवरोधन और विपथन, मलजल शोधन संयंत्रों के निर्माण, कम लागत की स्वच्छता स्कीमों, साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के संस्थापन आदि जैसे कार्यों सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के माध्यम से नदियों में प्रदूषण के उपशमन हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 1387.68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

प्रदूषित नदी क्षेत्रों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	नदी का नाम	प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, मूसी, मानेर, नक्कावागू, पेन्नार, और तुंगभद्रा	9
2.	असम	भरालू, बुरहाईडिहिंग, दीपार बिल और कलौंग	4
3.	चंडीगढ़	अटवा चो, पटियाला की राव और सुखना चो	3
4.	दिल्ली	यमुना	1
5.	गुजरात	अंबिका, अनस, अमलाखादी, भोगावो, बालेश्वर, खादी, धादर, दमन गंगा, खारी, कावेरी, किम, कोलक, मिंधहोला, माही, पानम, शेडी, साबरमती और तापी	19
6.	हरियाणा	घग्गर, गुड़गांव कनाल, मरकंडा, पश्चिमी यमुना नहर और यमुना	5
7.	हिमाचल प्रदेश	ब्यास, मरकंडा और सुखना	3
8.	मध्य प्रदेश	बेतवा, चंबल, क्षिप्रा, खान, कालीसोट, मंदाकिनी, टोन्स और नर्मदा	9
9.	महाराष्ट्र	भीमा, गोदावरी, मूला और मूथा, पवाना, पंचगंगा, पातालगंगा, इंद्रायनी, कोयना, कुंडालिका, कालू, कान्हन, कोलार, मिथी, तापी, गिर्ना, नीरा, वेनगंगा, वर्धा, कृष्णा, पूर्णा, नीरा, चन्द्रभागा, वेन्ना नदी, उल्हास, रंगावलि और भत्सा	28
10.	पंजाब	सतलुज और घग्गर	2
11.	तमिलनाडु	अड्यार, कूवम, कावेरी, नोय्यल, वेगई, तंबीरापर्णी, भवानी और पलार	9

1	2	3	4
12.	उत्तर प्रदेश	यमुना, हिंडन, पश्चिमी काली (अर्द्ध आवृत्त), काली नदी पूर्वी, बागद, गंगा, गोमती, रामगंगा, सरयू और रिहंद	12
13.	कर्नाटक	भ्रदा, तुंग, तुंगभद्रा, लक्ष्मणतीर्थ, काली, कृष्णा, हुंडरी, कुंडु, अर्कावटी और मलप्रभा	11
14.	मणिपुर	नंबुल	1
15.	राजस्थान	बांदी, बेरच, जोजरी, चंबल और खेत्री	5
16.	उत्तराखंड	कोसी, ढेला एवं किच्छा और बाहल्ला	3
17.	झारखंड	सुबर्णरिखा और शंख	2
18.	केरल	करमाना, पुझक्कल और कदमब्यार	3
19.	त्रिपुरा	अगरतला नहर और हाऊरा	2
20.	बिहार	सिकराना	1
21.	छत्तीसगढ़	अर्पा, सियोनाथ और महानदी	3
22.	मेघालय	खरखाला और उमट्रियू	2
23.	ओडिशा	कठजोडी, ब्राहमणी, महानदी और कुआखाई	4
24.	पुदुचेरी	अरासलार	1
25.	पश्चिम बंगाल	दामोदर, गंगा और बराकर	3
26.	नागालैंड	धनसिरी	1
27.	सिक्किम	डिकचू, तीस्ता, मने खोला और रानीछू	4
	कुल		150

बंदरगाहों में कबाड़

2729. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री नरहरि महतो :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में कबाड़ पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बंदरगाह-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या ये कबाड़ पोत पर सामान लादने और उतारने में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) देश में निम्नलिखित महापत्तनों में कबाड़ की निम्नलिखित मात्राएं पड़ी हैं:

क्र.सं.	पत्तन	विवरण	मात्रा	टिप्पणी
1.	चेन्नई पत्तन	कबाड़	15,628 टन	सीमाशुल्क विभाग द्वारा सामग्रियों को पहले ही वहां से हटा दिया गया है और सीमाशुल्क के सुरक्षित क्षेत्र में रख दिया गया है।
2.	कोचीन पत्तन	श्रेडिड कबाड़	25,600 टन	कबाड़ को प्रेषिती के सुपुर्द किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लापता भारतीय सैनिक

2730. श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के भारत-पाक युद्ध का कोई भारतीय सैनिक अब भी लापता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई भारतीय सैनिक अरब देशों की जेलों में दु:ख के दिन काट रहा है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी जेलों में भारतीय सैनिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सैनिकों को वापस लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) 1965 और 1971 के युद्धों में लापता चौवन (54) रक्षा कार्मिकों (सीमा सुरक्षा बल के एक जवान सहित) पाकिस्तान की कैद में होने का विश्वास है।

सरकार लगातार इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठा रही है। तथापि, पाकिस्तान ऐसे किसी कार्मिक के अपनी कैद में होने को स्वीकार नहीं करता है। लापता रक्षा कार्मिकों के 14 सगे संबंधियों के एक शिष्टमंडल ने 1 जून, 2007-14 जून, 2007 के दौरान पाकिस्तान की 10 जेलों का दौरा भी किया। तथापि, शिष्टमंडल निष्कर्षत: किसी लापता रक्षा कार्मिक की वास्तविक मौजूदगी की निर्णायक रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

कुछ मीडिया रिपोर्टों, जिनमें 1971 के युद्ध के कुछ भारतीय बंदियों की ओमान की जेल में होने की बात कही गई थी, के बाद मस्कट (ओमान) में भारतीय दूतावास ने ओमान के विदेशी कार्यालय के साथ औपचारिक रूप से मामला उठाया जिसमें ओमान की जेलों में भारतीय युद्धबंदियों, यदि कोई हो, के बारे में वास्तविक स्थिति की जानकारी और उन तक कांसुलर पहुंच और उनकी रिहाई का अनुरोध किया गया था। तथापि, ओमानी पक्ष से कोई आधिकारिक/औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में निवेश

2731. श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
प्रो. सौगत राय :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस्पात क्षेत्र में बृहत् निवेश का प्रबंधन के लिए पूर्णत: लैस हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) किन-किन देशों ने इस्पात क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात क्षेत्र विशेषकर प्रस्तावित बड़ी इस्पात परियोजनाओं की जरूरत पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने एवं उनके द्वारा उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में इन संयंत्रों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है एवं इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या सरकार का इस्पात क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति लाने का प्रस्ताव हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार औद्योगिक निष्पादन संबंधी अपने मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय करके स्टील उद्योग के विकास को प्रोत्साहित/प्रेरित करती है। जहां तक इस्पात निवेश परियोजनाओं की स्थापना का संबंध है, परियोजना के आकार और प्रकार के निर्णय व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा प्रौद्योगिकी-आर्थिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। वर्तमान में कई बड़ी इस्पात निवेश परियोजनाएं ग्रीन फील्ड (नई परियोजनाएं) और ब्राउन फील्ड (विद्यमान संयंत्रों का क्षमता विस्तार) दोनों क्षेत्रों में प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। मंत्रालय में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भारत में वर्ष 2017-18 तक का स्टील उत्पादन क्षमता का संभावित परिदृश्य संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार किसी भी बाहरी देश में स्टील क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में स्वयं रुचि नहीं दिखाई है, तथापि कुछ विदेशी कंपनियों यथा आर्सिलर मित्तल ने इस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दर्शाई है। देश में प्रमुख स्टील परियोजनाओं के क्रियान्वयन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय करने के लिए (इस्पात मंत्रालय में) सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने अपनी स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए अपने स्वयं के विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। सरकार समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करके और नियमित अंतरालों में कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित करके इन कंपनियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है।

(ङ) और (च) जी, हां। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 को तैयार करने के बाद स्टील क्षेत्र की गति में पर्याप्त बदलाव आया है। इसलिए एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। विषय के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए नई नीति दस्तावेजों के प्रारूप का अध्ययन विश्लेषण और इसे तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठित किए गए। टास्क फोर्सो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् उचित समय पर इस मामले पर एक अंतिम विचार किया जाएगा।

विवरण

प्रमुख स्टील उत्पादक जो पहले से क्षमता विस्तार और नई क्षमताएं जोड़ने की प्रक्रिया में है

(क्रूड स्टील क्षमता मिलियन टन में)

क्र. सं.	निवेशक	मौजूदा * क्षमता	2017-18 तक ब्राउनफील्ड प्रस्तावित विस्तार क्षमता
1	2	3	4
1.	सेल	12.84	21.40
2.	आरआईएनएल	3.00	7.00
3.	टाटा स्टील लिमिटेड	6.8	9.70
4.	एस्सार स्टील लिमिटेड	10.00	10.00
5.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	11.00	12.00
6.	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	3.50	4.25

1	2	3	4
7.	जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील लिमिटेड	3.30	4.50
8.	भूषण स्टील लिमिटेड	3.26	5.20
9.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	0.30	1.50
10.	वीसा स्टील लिमिटेड	0.50	2.50

(*मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं के अनुसार)

डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कार्यदशा

2732. श्री प्रदीप कुमार सिंह :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के दर्जनों शीर्ष वैज्ञानिक विस्तारित कार्यकाल में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या डीआरडीओ के समक्ष अपनी परियोजनाओं के लिए मानव संगठन विशेषकर वैज्ञानिकों की कमी की समस्या आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अधिकारियों अथवा विशेषज्ञों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें बनाए रखने की नीति का समर्थन करती है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें बनाए रखने के क्या कारण है तथा नए वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने एवं डीआरडीओ की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) इस समय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में 11 प्रतिशत वैज्ञानिक विस्तारित कार्यकाल में काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में जनशक्ति की भारी कमी नहीं है। तथापि, चालू तथा भावी परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी जनशक्ति को बढ़ाने हेतु एक मामला सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को सेवा में विस्तारण दिया जा सकता है। यह विस्तारण संबंधित क्षेत्रों में उनके ज्ञान तथा योग्यता को देखते हुए दिया जाता है। इसलिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, चल रहे अनुसंधान कार्यों में इन वैज्ञानिकों के बहुमूल्य अनुभव तथा ज्ञान को इस्तेमाल कर रहा है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन प्रशिक्षण को उचित महत्व देता रहा हैं। इस संगठन के समर्पित प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे बंगलुरु में लक्षित प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर में प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, जोधपुर में प्रशिक्षण संस्थान, पुणें में सैन्य प्रशिक्षण संस्थान। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण नीति है जिसके द्वारा भारत और विदशों से विख्यात शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालय/अन्य संगठनों के जरिए तकनीकी तथा तकनीकी प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/प्रायोजित किए जाते हैं।

नि:शक्त बच्चों को शिक्षा

2733. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नि:शक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो देशभर में शिक्षा पा रहे नि:शक्त बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है; और

(ग) नि:शक्त बच्चों को शिक्षा का और अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) 2009 में एसआरआई-आईएमआरबी द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, यह अनुमान है कि 81 लाख बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं हैं। यह 6-13 आयु समूह में कुल बाल जनसंख्या का 4.28 प्रतिशत है। 2009 का एसआरआई-आईएमआरबी सर्वेक्षण का अनुमान है कि 28.97 लाख नि:शक्त बच्चे हैं जो कुल बाल जनसंख्या का

1.52 प्रतिशत है। नि:शक्त बच्चों में से, 34.12 प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नहीं होने का अनुमान है।

(ग) नि:शक्त बच्चों को शिक्षा के और अधिक अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नि:शक्त बच्चों के लिए शिक्षा के और अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाने वाला विवरण

बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम (आरटीई), 2009 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हो गया है। आरटीई अधिनियम में जैसा कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में उल्लेख है, नि:शक्त बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हेतु प्रावधान है। तथा राष्ट्रीय आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मंदबुद्धि तथा बहुविकलांगता के व्यक्तियों के कल्याणार्थ न्यास अधिनियम, 1999 नामत: (i) दृष्टिविहनिता, (ii) निम्न दृष्टि, (iii) कुष्ठ रोग उपचारित, (iv) श्रवण बाधित, (v) चलन विकलांगता, (vi) मानसिक मंदता, (vii) मानसिक रोग, (viii) आटिज्म और (ix) प्रमस्तिष्क अन्तत: तथा अनन्त 6-14 वर्ष की आयु समूह में वाक्य बाधित शिक्षण विकलांगताएं इत्यादि शामिल है। प्रारंभिक स्तर पर किसी पड़ोसी विद्यालय में प्रवेश का प्रावधान है। चूंकि भारत सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के मानकों के साथ सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ा है। एसएसए यह सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को विकलांगता के प्रकार, श्रेणी और मात्रा पर ध्यान न देते हुए, सार्थक और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए, एसएसए ने शून्य निरसन नीति अपनाई है। इस अभिप्राय से कि विशेष आवश्यकताओं वाला कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए और एक ऐसे वातावरण में पढ़ाया जाना चाहिए जो उसकी शिक्षा आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है।

एसएसए में विकलांग बच्चों को शामिल करने हेतु विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रति वर्ष प्रति बच्चा 3000 रुपये तक प्रति बच्चे का प्रावधान है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला योजना, संसाधन अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनन्य रूप से उद्दिष्ट 1000 रूपये सहित प्रति बच्चा 3000 रुपये के मानक के भीतर तैयार की गई है। समावेशी शिक्षा के लिए एसएसए के अन्तर्गत हस्तक्षेपों में पहचान, कार्यात्मक ओर औपचारिक मूल्यंकन, उपयुक्त शैक्षिक स्थापन, व्यक्तिकृत शैक्षिक योजना की तैयारी, सहायक यंत्रों और उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन समर्थन, वास्तु-शिल्पीय बाधाओं को हटाना, अनुसंधान, मानीटरिंग और मूल्याकंन तथा विशेष जरूरतमंद बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

माध्यमिक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना (आईडीएसएस) को 2009-10 में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की पूर्ववर्ती योजना (आईईडीसी) को प्रतिस्थापित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसमें कक्षा IX-XII में पढ़ने वाले नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य सभी नि:शक्त विद्यार्थियों को, प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्ष पूर्ण करने के पश्चात एक समावेशी तथा समर्थकारी वातावरण में माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX–XII) के अगले चार वर्षों में पढ़ाई के लिए समर्थ बनाना है। इस योजना में प्रारंभिक विद्यालयों से उत्तीर्ण और सरकारी निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत, नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और आटिज्म प्रमस्तिष्क अंगघात मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता व्यक्तियों के कल्यार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत एक या अधिक विकलागंताओं वाले सभी बच्चे शामिल है।

योजना के घटकों में शमिल है (i) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन, (ii) विद्यार्थी विशिष्ट सुविधाओं की व्यवस्था, (iii) शिक्षण सामग्री का विकास, (iv) विशेष शिक्षकों जैसी समर्थन सेवाएं, (v) संसाधन कक्षों का निर्माण और सज्जा करना, (vi) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण हेतु सामान्य विद्यालय, (vii) विद्यालयों को बाधामुक्त बनाना। प्रत्येक राज्य में माडल समावेशी विद्यालयों की स्थापना भी परिकल्पित है। विकलांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया

जाता है। तथा इस योजना के अंतर्गत उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए सहायता के प्रयास किए जाते हैं तथा उनकी क्षमता विकसित करने के लिए सूचना और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। विकलांग बालिकाओं के लिए 200/-रुपये मासिक वृत्तिका का प्रावधान है।

इस योजना में शामिल सभी मदों के लिए केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत आधार पर है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के स्कूल शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी हैं। वे इस योजना के कार्यान्वयन में विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकते है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिसे नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु न्यास निधि से वित्त पोषित किया जाता है, विकलांग विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा करने में तथा रोजगार प्राप्त करने/स्वनियोजित होने में सक्षम हो सके। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पूरे देश में विकलांग विद्यार्थियों के लिए 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं। केवल भारतीय नागारिक ही छात्रवृतियों हेतु पात्र हैं।

[अनुवाद]

बीजों का आयात

2734. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने विदेशों से बीज आयात करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बीजों की किस्मों के आयात पर खर्च किए गए राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन संबंधी समिति

2735. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष रोजगार के एक करोड़ अवसर सृजित करने संबंधी सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए विचार किए जाने वाले प्रस्तावित ऐसे सुझावों/सिफारिशों की सख्या कितनी है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (घ) जैसा कि योजना आयोग द्वारा सूचित किया गया है, योजना आयोग ने डॉ. एस. पी. गुप्ता, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक "प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार अवसरों के लक्ष्य संबंधी विशेष समूह" का गठन किया था, जिसने मई, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को 10वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। 10वीं पचंवर्षीय योजना में पांच वर्षों की अवधि (2002-2007) के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसर, अर्थात प्रतिवर्ष औसतन 10 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने के लिए एक कार्य नहीं तैयार किया गया था। इसमें से विकास प्रक्रिया से आने थे तथा शेष 20 मिलियन कृषि, लघु एवं मध्यम उद्योग, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि जैसे श्रम सघन क्षेत्रों में कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से "कार्यक्रम द्वारा सृजित" किए जाने थे। तदनुसार 10 वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान ऐसे क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं नियत की गईं।

राष्ट्रीय राजमार्ग- 15 की मरम्मत

2736. श्री देवजी एम. पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सीमा से गान्धव तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.

15 पर मरम्मत का कार्य रुका हुआ है जबकि वार्षिक योजना 2011-12 के तहत इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपऐ की राशि संस्वीकृत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जी, नहीं! राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। गुजरात सीमा से राजस्थान में गान्धव तक रारा-15 की 38 किमी लंबाई में से, 28 किमी लंबाई में अनुरक्षण/मरम्मत पहले ही पूरी कर ली गई है।

[अनुवाद]

प्रदूषित औद्योगिक समूह

2737. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकार द्वारा पहचान **किए** गए प्रदूषित औद्योगिक समूहों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में पर्यावरण गुणवत्ता के पुन:स्थापन के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास जारी निर्देश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(च) यदि हां, तो इस निर्देश के उल्लंघन का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के सहयोग से देश के 88 प्रदूषित औद्योगिक समूहों में औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण भार का आकलन करने के लिए वर्ष 2009 में व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषक सूचकांक (सीईपीआई) मापदंड पर आधारित एक सर्वेक्षण किया था। इनमें से, 43 औद्योगिक समूहों को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) के रूप में अभिज्ञात किया गया है। अत्यधिक प्रदूषित समूहों/क्षेत्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण के रूप में है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इन 43 अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों में विकास परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान करने पर दिनांक 13.01.2010 को एक स्थगन-आदेश जारी किया है। इन प्रदूषित समूहों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) को कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया था। एसपीसीबी द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की सीपीसीबी द्वारा समीक्षा की गई है। कार्य योजनाओं और कार्यान्वियन उपाय शुरू किये जाने के आधार पर मंत्रालय द्वारा 26 औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों से स्थगन आदेश हटा लिया गया है।

(ङ) से (छ) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के कड़े कार्यान्वियन के लिए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित एसपीसीबी को कार्य योजनाओं के कार्यान्वियन की समीक्षा और सत्यापन करने हेतु स्थानीय समितियां गठित करने और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को द्विमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तदनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने 35 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों, नामशः नवी मुंबई, चन्द्रपुर, डोम्बीवली, औरंगाबाद, तारापुर, पानीपत, फरीदाबाद, हल्दिया, असनसोल, हावड़ा, ग्रेटर कोची, विशाखापट्टनम, पटनचेरु-बोल्लारम, धनबाद, लुधियाना, मंडी - गोविन्दगढ़, आईबी घाटी, झरसुगड़ा, अंगुल तलचेर, मंगलौर, भद्रावती, वापी, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, वातवा, भावनगर, जूनागढ़, इन्दौर, कोरबा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, वाराणसी-मिर्जापुर और सिंगरौली में कार्य योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु स्थानीय समितियां गठित कर ली हैं। इन स्थानीय समितियों में विभिन्न पणधारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और सरकारी विभागों को शामिल किया गया है। जिन औद्योगिक समूहों में स्थानीय समितियां गठित नहीं की गई हैं, वहां पर एसपीसीबी कार्य योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति की मॉनीटरिंग स्वयं कर रहे हैं।

इसके अलावा, सभी 43 सीपीए की कार्य योजनाओं के कार्यान्वियन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके बनायी गयी संचालन समिति की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं। समीक्षा बैठकों के दौरान, संबंधित पणधारियों, अर्थात उद्योगों, एसपीसीबी/पीसीसी और अन्य स्थानीय निकायों को कार्य योजनाओं में विनिर्दिष्ट कार्रवाई बिन्दुओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के निदेश दिए जाते हैं।

विवरण

सीईपीआई मानदंड के आधार पर अभिज्ञात अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों (सीईपीआई स्कोर 70) का राज्य-वार विवरण

राज्य	समूहों की संख्या	औद्योगिक समूह/क्षेत्र	सीईपीआई
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2	विशाखापट्टनम	70.82
		पटनचेरु - बोल्लारम	70.07
छत्तीसगढ़	1	कोरबा	83.00
दिल्ली	1	नजफगढ़ ड्रेन बेसिन	79.54
गुजरात	6	अंकलेश्वर	88.50
		वापी	88.09
		अहमदाबाद	75.28
		वातवा	74.77
		भावनगर	70.99
		जूनागढ़	70.82
हरियाणा	2	फरीदाबाद	77.07
		पानीपत	71.91
झारखंड	1	धनबाद	78.63
कर्नाटक	2	मंगलौर	73.68
		भ्रदावती	72.33
केरल	1	कोचीन	75.08
मध्य प्रदेश	1	इंदौर	71.26
महाराष्ट्र	5	चन्द्रपुर	83.88
		डोम्बीवली	78.41

1	2	3	4
		औरंगाबाद	77.44
		नवी मुंबई	73.77
		तारापुर	72.01
ओडिशा	3	अंगुल तलचर	82.09
		आईबी घाटी	74.00
		झरसुगड़ा	73.34
पंजाब	2	लुधियाना	81.66
		मंडी गोविन्दगढ़	75.08
राजस्थान	3	भिवाड़ी	82.91
		जोधपुर	75.19
		पाली	73.73
तमिलनाडु	4	वेलोर	81.79
		कड्डालोर	77.45
		मनाली	76.32
		कोयम्बटूर	72.38
उत्तर प्रदेश	6	गाजियाबाद	87.37
		सिंगरौली	81.73
		नोएडा	78.90
		कानपुर	78.09
		आगरा	76.48
		वारणसी-मिर्जापुर	73.79
पश्चिम बंगाल	3	हल्दिया	75.43
		हावड़ा	74.84
		आसनसोल	70.20

कार्यस्थलों में सिलिकोसिस से मौत

2738. श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारखानों, खनन क्षेत्र, स्लेट पैंसिल कटिंग, क्वाट्र्ज ग्राइंडिंग उद्योगों इत्यादि में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमिक सिलिकोसिस और अन्य व्यवसाय संबंधी रोगों के कारण मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न व्यवसाय संबंधी रोगों के कारण मरे ऐसे श्रमिकों के परिवारों को प्रदान की गई क्षतिपूर्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु निर्मित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सूचित व्यावसायिक रोगों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कोयला खानों और गैर-कोयला खानों में सूचित किए गए व्यावयायिक रोगों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं। खनन तथा विनिर्माण क्षेत्रों में व्यवसायजनित रोगों के कारण श्रमिकों की मृत्यु का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) व्यवसाय से संबंधित विभिन्न रोगों के कारण मरे ऐसे कामगारों के परिवारों को प्रदान की गई क्षतिपूर्तियों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत किया जाता है।

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को विनियमित करने के लिए मूल विधान है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र इस अधिनियम के अंतर्गत अपने नियम बनाते हैं और अपने-अपने राज्य कारखाना निदेशालयों/निरीक्षणालयों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों को प्रवर्तित करते हैं। कानून कार्यस्थल पर जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और रोकथाम करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं जिससे औद्योगिक चोटों और रोगों को कम किया जा सके।

खान अधिनियम, 1952 और कोयला खान विनियम, 1957, धातुमय खान विनियम, 1961 तथा तेल खान विनियम, 1984 में खानों में सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपबंधों का प्रावधान है। उक्त अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत प्रावधान किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मानकों को क्रियान्वित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सूचित किए गए व्यवसाय संबंधी रोगों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	व्यवसाय जनित रोग	2009	2010	2011	कुल
1	2	3	4	5	6
दिल्ली	व्यवसाय जनित त्वचा शोथ	शून्य	2	शून्य	2
गुजरात	बायसियोनोसिस	शून्य	16	6	22
	कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	शून्य	15	5	20
	सिलिकोसिस	शून्य	14	2	16

1	2	3	4	5	6
	बहरापन	शून्य	12	7	19
	नासापट में छिद्र होना	शून्य	2	शून्य	2
	न्यूमोकोनियोसिस	शून्य	1	शून्य	1
	एस्बेस्टोसिस	शून्य	21	शून्य	21
केरल	सीसा विषाक्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	शून्य	शून्य	5	5
	व्यवसायजन्य अथवा सम्पर्क से त्वचा शोथ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नासापट में छिद्र होना	5	शून्य	शून्य	5
पश्चिम बंगाल	बायसियोनोसिस	5	5	शून्य	10
	सिलिकोसिस	23	5	34	62
	कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	शून्य	शून्य	297	297
	कुल	33	93	356	482

स्रोतः डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्राचार के माध्यम से संकलित किए गए आंकड़े।

विवरण-II

वर्ष 2001-2011 के दौरान खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत डीजीएमएस को कोयला खानों से सूचित किए गए व्यवसाय जनित रोगों के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या

वर्ष	राज्य	कोयला कामगार न्यूमोकोनियोसिस	फेफड़ा का कर्कट रोग	पेट का कर्कट रोग
1	2	3	4	5
2001	आंध्र प्रदेश	0	0	1

1	2	3	4	5
2002	झारखंड	1	0	0
	ओडिशा	1	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2003	झारखंड	2	0	0
	ओडिशा	1	0	0
	मध्य प्रदेश	1	0	0
2004	झारखंड	29	0	0
	ओडिशा	1	0	0
2005	झारखंड	8	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2006	झारखंड	3	0	0
	आंध्र प्रदेश	1	0	0
2007	झारखंड	5	0	0
	मध्य प्रदेश	1	0	0
	आंध्र प्रदेश	1	1	2
2008	आंध्र प्रदेश	1	0	1
2009	आंध्र प्रदेश	0	2	1
2010	ओडिशा	1	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	0	1	0
	झारखंड	1	0	0
	ओडिशा	4	0	0

विवरण-III

वर्ष 2001-2011 के दौरान खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत डीजीएमएस को गैर-कोयला से सूचित किए गए व्यवसाय जनित रोगों के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या

वर्ष	राज्य	सिलिकोसिस				कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि
		जस्ता की खान	सोने की खान	लौह अयस्क खान	यूरेनियम की खान	मैंगनीज की खान
2001	कर्नाटक	0	0	1	0	0
2002	झारखंड	0	0	0	4	0
	राजस्थान	1	0	0	0	0
2003	झारखंड	0	0	0	5	0
2004	झारखंड	0	0	0	9	0
2005	राजस्थान	30	0	0	0	0
	कर्नाटक	0	3	0	0	0
2006	-	0	0	0	0	0
2007	-	0	0	0	0	0
2008	कर्नाटक	0	3	0	0	0
2009	-	0	0	0	0	0
2010	-	0	0	0	0	0
2011	ओडिशा	0	0	1	0	0

रक्षा कैंटीनों का लाभ

2739. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संपूर्ण देश की सभी रक्षा कैंटीनों का कुल कारोबार कितना है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष इस लाभ के संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कैंटीन का लाभ रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) पिछले तीन वर्षों में

कैंटीन भंडार विभाग (सी.एस.डी) के कारोबार के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
कुल कारोबार	8689.80	9752.33	9756.19*

*गैर-लेखा परीक्षित आंकड़े

(ख) सी.एस.डी. द्वारा पिछले तीन वर्षों में सृजित लाभ के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
निवल लाभ	226.53	267.84	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

(करोड़ रुपए)

लाभार्थियों के नाम	2009-10*	2010-11**	2011-12
1	2	3	4
भारत की समेकित निधि	113.26	133.92	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
आई.डी. मुख्यालय	3.50	3.95	
सी.एस.डी.	1.04	1.18	
रक्षा मंत्रालय	0.68	0.78	
डी.जी.सी.डी.	0.56	0.64	
बी.ओ.सी.सी.एस.	0.02	0.02	
सेना	91.35	108.24	
वायुसेना	10.72	12.74	
नौसेना	5.36	6.37	

*अभी वितरित किया जाना है।

**वितरित।

(घ) जी, नहीं। सरकार की नीति के अनुसार लाभ का 50 प्रतिशत भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र

2740. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र ने कुल कितना कारोबार और लाभ अर्जित किया है;

(ख) क्या भिलाई इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता विस्तार योजना का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र अपर्याप्त सुरक्षा के कारण आने वाले दिनों में अपनी खान परियोजनाओं को बंद किए जाने के संकट का सामना कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो भिलाई संयंत्र और इसकी खान परियोजनाओं की सुरक्षा में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष (अप्रैल-सितंबर 2012) के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए कुल कारोबार तथा अर्जित लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-सितंबर 2012)
कारोबार	15874	17236	17910	8413
कर पूर्व लाभ	4270	3491	2715	1133

(ख) और (ग) पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विशेष इस्पात संयंत्र में चल रही आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजनाओं के तहत 17266 करोड़ रुपए के संकेतात्मक निवेश के साथ अपनी स्थापित 3.93 मिलियन टन वार्षिक (एमटीपीए) क्रूड इस्पात की क्षमता को 7.00 एमटीपीए करने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) का विस्तार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वर्तमान कैप्टिव लौह अयस्क खानें संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति कर रही हैं और आने वाले 5 वर्षों तक संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता इन खानों के पास है। इस अवधि के बाद लौह-अयस्क की आपूर्ति बस्तर क्षेत्र क्षेत्र में स्थित रावघाट खानों से की जानी है। इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपर्याप्त सुरक्षा कवर के कारण रावघाट खनन परियोजना और रेल लाईन परियोजना की प्रगति प्रभावित है।

परियोजना हेतु सुरक्षा की आवश्यकताओं की समीक्षा के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 2.7.2012 को गृह मंत्रालय (एमएचए) में एक बैठक आयोजित की गई थी और यह सहमति बनी कि राज्य और केन्द्रीय अद्धसैनिक बलों द्वारा रावघाट रेल लाईन तथा खनन परियोजनाओं को सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए। राज्य सरकार ने 3(तीन) राज्य सशस्त्र बल कंपनियों उदिष्ट की हैं और एमएचए ने इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 4(चार) बटालियन प्रदान करने का आश्वासन दिया है और एक बीएसएफ बटालियन तैनाती के लिए पहले ही भिलाई पहुंच चुकी है।

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

2741. श्रीमती श्रुति चौधरी :

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय चाय की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान मांग का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कितनी चाय का निर्यात किया गया और इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में चाय की मांग को पूरा करने के लिए 35 मिलियन किलोग्राम अतिरिक्त चाय की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) भविष्य में विशेषकर चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चाय की मांग को पूरा करने के लिए चाय बागान और इसके प्रसंस्करण को किस प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां। पाकिस्तान को किए जाने वाले चाय का निर्यात वर्ष 2001-02 में 2.61 मिलियन किग्रा. से दस गुना बढ़कर वर्ष 2011-12 में 26.08 मिलियन किग्रा. हो गया है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान को निर्यातित चाय तथा प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:—

मात्रा मिलियन किग्रा. में तथा मूल्य करोड़ रुपए में

वर्ष	पाकिस्तान को निर्यात		कुल भारतीय चाय निर्यात		कुल चाय निर्यात की तुलना में पाकिस्तान को निर्यात का हिस्सा
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1	2	3	4	5	6
2009-10	8.31	78.89	213.43	3038.69	3.89%

1	2	3	4	5	6
2010-11	22.08	132.63	213.79	2995.79	10.33 %
2011-12 (अ)	26.08	176.81	209.04	3212.89	12.48%
चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात					
2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) (अ)	9.19	77.37	81.85	1507.52	11.23

(अ) : अनंतिम तथा परिवर्तन के अध्यधीन

(ग) और (घ) चाय उद्योग और मै. औ.आर.जी (इंडिया) प्रा. लि. के माध्यम से चाय बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2011 तथा 2012 के लिए अनुमानित घरेलू मांग क्रमशः 856 तथा 875 मिलियन किग्रा. है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 19 मिलियन किग्रा. अतिरिक्त चाय की मात्रा अपेक्षित है। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य का नाम	अनुमानित खपत (मिलियन किग्रा. में)	
	2011	2012
1	2	3
दिल्ली	16.54	16.91
उत्तर प्रदेश	115.91	118.48
उत्तराखंड	6.52	6.66
राजस्थान	57.18	58.45
उत्तर पश्चिम	58.89	60.2
गुजरात	44.44	45.43
मध्य प्रदेश	63.81	65.23
छत्तीसगढ़	18.83	19.25
महाराष्ट्र	91.11	93.13
गोवा	1.11	1.13
आंध्र प्रदेश	62.75	64.14
कर्नाटक	37.38	38.21
केरल	19.96	20.4
तमिलनाडु	44.98	45.98
पुदुचेरी	0.69	0.71
पश्चिम बंगाल	70.76	72.33
ओडिशा	23.9	24.43
बिहार	64.99	66.43
झारखंड	19.01	19.43
पूर्वोत्तर	37.24	38.07
कुल	856.00	875.00

(ङ) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय बागान एवं प्रसंस्करण उद्योगों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों में चाय की पुरानी झाड़ियों के उन्मूलन तथा पुनर्रोपण/पुनर्नवीकरण हेतु सब्सिडी, सूखे से निपटने के लिए सिंचाई सुविधाओं का सृजन, परंपरागत तथा हरी चाय के उत्पादन हेतु नकद प्रोत्साहन, चाय फैक्टरियों को आई. एस.ओ 22000 प्रमाणन, नव रोपण तथा पत्ती संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

हेतु लघु उपजकर्ताओं को विशेष सहायता, परिवहन वाहनों की खरीद, फील्ड निविष्टियों, उपकरणों इत्यादि की खरीद हेतु आवर्ती निधि शामिल हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चाय बोर्ड का कुल परिव्यय 1425.00 करोड़ रुपए है।

प्रदूषण कम करने के लिए भारी वाहनों पर कर

2742. **श्री जयंत चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020 तक प्रदूषण सघनता उत्सर्जन सघनता को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी मालवाहक वाहनों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए कंजेशन मूल्य नीति आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन सघनता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक 20-25% तक कम करने के घरेलू लक्ष्य की घोषणा की है। इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जून, 2008 को प्रारंभ की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में उत्सर्जन में कमी सहित जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु भारत की रणनीति अभिकल्पित की गई है। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली के अनुरक्षण, हरित भारत, दीर्घकालित कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन शामिल हैं।

इन मिशनों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, ईंधनों के समुचित मिश्रण तथा नाभिकीय, जलीय ओर नवीकरणीय स्रोतों, ऊर्जा मूल्य-निर्धारण, प्रदूषण उपशमन, वनीकरण और व्यापक परिवहन सहित प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन करके सतत विकास की भारत की नीतियों में सहायता करना है।

(ग) और (घ) भारी माल वाहनों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए कंजेशन मूल्य-निर्धारण नीति आरंभ करने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सी.एस.डी. में रोजगार

2743. **श्री एस.आर. जेयदुरई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सी.एस.डी.)/यूनिट संचालित कैंटीन में असैनिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कैंटीन में कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनके वेतनमान/दैनिक मजदूरी कितनी है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों के वेतनमान/दैनिक मजदूरी में लंबे समय से संशोधन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) यूनिटों द्वारा संचालित विभिन्न कैंटीनों (यू.आर.सी.) में लगभग 5400 सिविलियन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन यू.आर.सी. कर्मचारियों के वेतन और लाभ सेना मुख्यालय द्वारा जारी यू.आर.सी के सिविलियन कर्मचारियों के सेवाओं के निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार शासित होते हैं।

(ग) यू.आर.सी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के मूल वेतन को 1.2.2009 से 50% तक बढ़ाया गया है और 1.12.2009 से और 15% बढ़ाया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पोत कक्ष के लिए भूमि का आवंटन

2744. **श्री नित्यानंद प्रधान : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन प्राधिकरण की अर्जीपल्ली और सोनापुर में समुद्री पुलिस की नौकाओं के पोत कक्ष के लिए एक एकड़ भूमि के आवंटन संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और सामरिक कारणों से उपर्युक्त परियोजना को किस समय-सीमा में पूरा किया जाएगा?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा

2745. **श्री एस.एस. रामासुब्बू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रक्षा परियोजनाएं अनेक समय-सीमाओं को पार कर चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तन के निर्माण हेतु स्वीकृति

2746. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अन्दरोध द्वीप में विमान-पत्तन के निर्माण के लिए स्वीकृति देने के उद्देश्य से अन्दरोध द्वीप में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के अध्ययन हेतु प्रस्ताव मंत्रालय के पास कब से लंबित है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) अन्दरोध द्वीप में विमानपत्तन के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश

2747. **श्री महेश्वर हजारी :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 से लेकर आज की तिथि तक देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) वर्तमान में उपर्युक्त क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है;

(ग) क्या सरकार उक्त सीमा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश नीति को और उदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त कदम से रक्षा क्षेत्र में अपेक्षित गोपनीयता खतरे में पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी. आई. पी. पी.) द्वारा जैसा कि

सूचित किया गया है, जनवरी, 2001 से सितम्बर 2012 तक रक्षा उद्योग में 19.89 करोड़ रुपए (4.12 मिलियन अमेरिकी डालर) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया है।

(ख) विशिष्ट शर्तों के तहत रक्षा क्षेत्र में सरकार के अनुमोदन के तहत 26% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (ग) और (घ) भागों के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विकलांग व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस

2748. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री रामकिशुन :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में मोटरवाहन नियम, 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय (ii) में विस्तृत विवरण दिया गया है। राज्य सभा द्वारा पास किए गए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2012 अभी लोक सभा में लंबित है जिसमें, उक्त अधिनियम की धारा (3क) को जोड़ा जाना है ताकि 'विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहन' की परिभाषा निश्चित की जा सके। बिल में अधिनियम की धारा 10 की मौजूदा उप धारा (2) को विद्यार्थी लाइसेंस अथवा विकलांग व्यक्तियों के वाहन चलाने के लिए धारक को पात्रता देने के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में अभिव्यक्त करने हेतु प्रतिस्थापित किया जाना है।

[अनुवाद]

वायु गुणवत्ता सूचकांक

2749. श्री रवनीत सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों की संख्या और नाम क्या हैं जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 और 301 से ऊपर दर्ज किया गया है;

(ख) इतनी अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर (1999-2001) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के संबंध में परियोजना प्रायोजित की थी। आईआईटी, कानपुर ने परियोजना पूर्ण कर ली थी और परिणामों को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तथापि, सीपीसीबी ने एक्यूआई को आंकड़े के वैधीकरण और सूचकांक को विकसित करने के लिए शामिल किए गये मानदंडों के आलोक में स्वीकार नहीं स्वीकार नहीं किया है। सरकार द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

i. प्रदूषण के उपशमन हेतु एक समग्र नीति बनायी गयी है जिसमें प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण, दोनों पहलुओं पर बल दिया गया है;

ii. शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं;

iii. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ऑन-रोड वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए मास उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं जो राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किये गये हैं।

iv. दिनांक 1.2.2000 से संपूर्ण देश में शीशा-रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2010 में नए चौपहिया वाहनों के लिए 13 बड़े शहरों में भारत चरण-iv उत्सर्जन मानदंड लागू किए गए हैं। सम्पूर्ण देश में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से दुपहिया, तिपहिया वाहनों और डीज़ल चालित कृषि ट्रैक्टरों के लिए भारत चरण-III मानदंड लागू किए गए हैं।

v. सीएनजी वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली और मुंबई में अनेक रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से ऑटोमोबाइल्स हेतु संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति की जाती है।

vi. प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किए गए हैं।

कीटनाशक

2750. श्री नवीन जिन्दल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात किए गए कीटनाशकों का मूल्य और मात्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चीन से कीटनाशकों और डाई के उत्पादन में प्रयोग होने वाले रसायन के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की रिपोर्टें हैं कि कुछ व्यक्ति और कंपनियां चीन से भारी मात्रा में इन सामग्रियों का गैर-कानूनी रूप से आयात कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) संगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। देश-वार आयात एवं निर्यात संबंधी आंकड़े वेबसाइट http://docnic/eidb पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	विवरण		2009-10	2010-11	2011-12	*अप्रैल 12-सितम्बर 12
1	उत्पादन	मात्रा मी.टन में	82,000	85,000	1,01,000	
2	खपत	मात्रा मी.टन में	41821.4	55539.65	50583.47	
3	आयात	मात्रा मी.टन में	37,135	53,996	58,647	42,409
		मूल्य लाख रुपए में	2,22,596.5	2,87,170.2	3,40,093.2	2,78,416.5
4	निर्यात	मात्रा मी.टन में	1,74,869	1,77,789	2,07,948	98,294
		मूल्य लाख रुपए में	5,25,435.4	5,18,431.5	6,88,890.5	4,25,660.3

(आंकड़े अनन्तिम और परिवर्तन के अध्यधीन है)

(क्र.सं. 1 - रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

(क्र.सं. 2 - कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

(क्र.सं. 3 एवं 4 - डी.जी.सी.आई एंड एस विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने चीन जन.गण. से विभिन्न रसायनों अर्थात सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट, टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोजाइलेट, सल्फर ब्लैक, 1-फिनाइल-3-मिथाइल 5 - पायराजोलोन, पेरानाइट्रोएनिलिन तथा पोटाशियम कार्बोनेट जिनका उपयोग कीटनाशकों एवं रंजकों के उत्पादन में किया जाता है, के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। ऐसा संबंधित घरेलू उद्योगों को क्षति पहुंचाने वाली पाटनरोधी जांचों के संबंध में पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी.जी.ए.डी) द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड की तस्करी-रोधी इकाई अपने क्षेत्रीय संगठनों से सूचना एकत्र कर रही है।

रक्षा विमानों का दुर्घनाग्रस्त होना

2751. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आज की तिथि तक मिग 21 सहित दुर्घटनाग्रस्त हुए रक्षा विमानों की संख्या का श्रेणी-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितने जानमाल की क्षति हुई है तथा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में 5.12.2012 तक दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रत्येक दुर्घटना/घटना की जांच जांच अदालत/जांच बोर्ड द्वारा की जाती है और जांच अदालत/जांच बोर्ड की सभी पूरी की गई जांचों की सिफारिशें लागू की गई हैं।

(घ) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में कुल 66 रक्षा कार्मिक और 06 सिविलियन अपनी जान गंवा चुके हैं। जान और माल की क्षति के लिए मौजूदा सरकारी आदेशों/हिदायतों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने विमान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विमानन सुरक्षा संगठन को सशक्त बनाने, दुर्घटना/घटना संबंधी सूचना देने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने, विमान बेड़ों के कमजोर बिन्दुओं की पहचान करने के लिए उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा गुणवत्ता जांच करने जैसे विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए हैं। उड़ान सुरक्षा निदेशालय में एक पक्षिविज्ञान प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो फ्लाइंग बेसों पर पक्षी सर्वेक्षण करता है और पक्षी निवारण मोडयूलों के सुझाव देता है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ विमानन सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सभी फ्लाइंग बेसों के दौरे शुरू किए गए हैं ताकि ऑपरेटिंग यूनिटों को दुर्घटनाओं के कारणों से अवगत कराकर उनसे सावधान किया जा सके तथा विमानन सुरक्षा बढ़ाने के लिए राय प्राप्त की जा सके। विमान बेड़ों और प्रचालनात्मक परिवेश से विशेष रूप से जुड़े जोखिम भरे/खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सेनाओं द्वारा दुर्घटना निवारण कार्यक्रमों पर और अधिक बल दिया गया है ताकि सुरक्षित परिपाटियां/प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जा सकें।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों का ब्यौरा

क्र. सं.	वित्त वर्ष	विमान की श्रेणी	दुर्घटना का स्थान
1	2	3	4
1.	2009-10	एसयू 30 एमके।	पुणे
2.	2009-10	एमआई 8	येलहांका
3.	2009-10	मिग 27 यूपीजी	जोधपुर
4.	2009-10	मिग 21 बायसन	जोधपुर
5.	2009-10	एएन 32	जोरहाट
6.	2009-10	मिग 21 एफएल	छबुआ
7.	2009-10	एचपीटी 32	डुंडिगल
8.	2009-10	मिग 21 एम	भटिंडा
9.	2009-10	मिग 27 एमएल	हाशिमारा

1	2	3	4
10.	2009-10	एमआई 17 IV	जम्मू
11.	2009-10	एसयू 30 एमके।	जोधपुर
12.	2009-10	मिग 27 एमएल	हाशिमारा
13.	2009-10	मिग 27 एमएल	हाशिमारा
14.	2009-10	मिग 21 एफएल	बागडोगरा
15.	2009-10	सी हैरियर	गोवा
16.	2009-10	किरन	हैदराबाद
17.	2010-11	चेतक	हाकिमपेट
18.	2010-11	मिग 21 एम	गुवाहाटी
19.	2010-11	मिग 27 एमएल	हाशिमारा
20.	2010-11	एमआई 8	जामनगर
21.	2010-11	चेतक	कलाईकुंडा
22.	2010-11	चेतक	ग्वालियर
23.	2010-11	मिग 27	कलाईकुंडा
24.	2010-11	मिग 27 यूपीजी	जोधपुर
25.	2010-11	एमआई 17	गुवाहाटी
26.	2010-11	एमआई 26	जम्मू
27.	2010-11	मिग 21 बायसन	ग्वालियर
28.	2010-11	मिग 21 एम	बाड़मेर
29.	2010-11	चीता	खलसी
30.	2010-11	चीता	नॉर्थ सिक्किम
31.	2010-11	चीता	ज़ाखमा
32.	2010-11	चीता	नासिक
33.	2010-11	चेतक	विशाखापट्टनम

1	2	3	4
34.	2011-12	हॉक एमके 132	बीदर
35.	2011-12	मिग 21 एम	नाल
36.	2011-12	जगुआर	गोरखपुर
37.	2011-12	किरन एमके।	हाकिमपेट
38.	2011-12	मिग 21 बायसन	अम्बाला
39.	2011-12	मिग 21 एम	बाड़मेर
40.	2011-12	एएलएच	सरसवा
41.	2011-12	मिग 29	आदमपुर
42.	2011-12	मिग 21 बायसन	सिरसा
43.	2011-12	एसयू 30 एमके।	पुणे
44.	2011-12	किरन एम के ।।	ताम्बरम
45.	2011-12	मिराज 2000	ग्वालियर
46.	2011-12	मिराज 2000	ग्वालियर
47.	2011-12	ध्रुव	युमेश्मडोंग
48.	2011-12	चेतक	दमन
49.	2012-13	एमआई - 17	जामनगर
50.	2012-13	एमआई - 17	जामनगर
51.	2012-13	मिग 21 बायसन	नालिया
52.	2012-13	जगुआर	हाशिमारा
53.	2012-13	चीता	भीम पोस्ट
54.	2012-13	चेतक	गोवा

कावेरी इंजन विकास परियोजना

2752. श्री उदय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी इंजन विकास परियोजना में आरम्भ से अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तिथि तक परियोजना की लागत और समय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) क्या मंत्रालय विदेशी विक्रेता के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकास करने और सह उत्पादन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त करार को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) कावेरी इंजन विकास परियोजना द्वारा की गई प्रगति इस प्रकार है:

(i) अब तक कावेरी इंजन के 9 प्रोटोटाइप तथा काबिनी (मुख्य) इंजन के 4 प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं।

(ii) 2200 घंटों का परीक्षण (भूतल तथा अत्यधिक ऊंचाई की दशाओं में) किया गया है।

(iii) निम्नलिखित दो प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गई हैं:—

- सरकारी तुंगता परीक्षण (ओ.ए.टी) सफलतापूर्वक पूरा किया गया; और
- उड़ान परीक्षण बेड में कावेरी इंजन की प्रथम उड़ान ब्लॉक का प्रदर्शन।

(iv) ग्रोमोव उड़ान अनुसंधान संस्थान, रुस में आई.एल-76 विमान पर कावेरी इंजन लगाया गया तथा 12 किमी. की अधिकतम ऊंचाई तक तथा 0.7 मैक नं. की अधिकतम फारवर्ड गति के साथ उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। 57 घंटों की अवधि के लिए सताईस उड़ाने पूरी की गई हैं।

(v) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता प्रदर्शित की है। देश के एयरोस्पेस समुदाय में यह एक महान उपलब्धि है जब स्वदेश में पहली बार विकसित युद्धक विमान इंजन का उड़ान परीक्षण किया गया। इस परियोजना के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों को प्राप्त अकथित ज्ञान को भी भावी एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कावेरी स्पिन-ऑफ इंजन का भारतीय मानवरहित आक्रामक वायुयान के लिए प्रणोदक प्रणाली में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ख) इस परियोजना को 382.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च 1989 में स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा इसको पूरा करने की संभावित तारीख दिसंबर 1996 थी। पूरा करने की संभावित तारीख बढ़ाकर दिसंबर 2009 कर दी गई थी तथा लागत संशोधित की गई थी और उसे बढ़ाकर 2839 करोड़ रुपए कर दी गई थी। अब तक, इस परियोजना में 1996 करोड़ रुपए उपयोग में लाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक स्कूल

2753. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मौजूद सैनिक स्कूलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा है;

(ख) बारहवीं योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले सैनिक स्कूलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) देश में इन सैनिक स्कूलों के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) इस समय देश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चौबीस सैनिक स्कूल हैं। उनकी राज्य-वार अवस्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सैनिक स्कूल एक राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त होने पर स्थापित किए जाते हैं, जिसे भूमि के साथ-साथ मूलभूत अवसंरचना, उपकरण तथा सुविधाओं के लिए निधि के साथ-साथ **राज्य के कैडेटों**

के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने के लिए सहमत होना होता है। राज्य सरकार को इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

जहां तक नए सैनिक स्कूल खोले जाने का संबंध है, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से क्रमशः संबलपुर, सागर और चित्तूर जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए प्रस्ताव मिले हैं। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण करने के बाद इन राज्यों में नए सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए "सिद्धान्तत" अनुमोदन दे दिया गया है। राज्य सरकारों से भूमि का हस्तांतरण, मूलभूत अवसंरचना का निर्माण करने और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) सैनिक स्कूल सोसाइटी शैक्षिक परिणामों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए) प्रवेश के साथ-साथ अवसंरचना सुविधाओं के संबंध में सैनिक स्कूलों की कार्यप्रणाली तथा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है। शैक्षिक तथा एन.डी.ए परिणामों के संबंध में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति है। इस प्रकार की पुनरीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार में निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

(i) अध्यापकों तथा प्रशासनिक स्टाफ को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा कैडटों को प्रतियोगिता उन्मुखी प्रशिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम सेनाओं तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जैसी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं/निकायों के विशेषज्ञों की सहायता से चलाया जा रहा है।

(ii) व्यावसायिक संसाधन कार्मिकों की सेवाओं का प्रयोग करके कैडटों को सेवा चयन बोर्ड उन्मुखी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(iii) सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थानों तथा एनयूईपीए के सहयोग से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित सशक्तीकरण कार्यक्रमों में भेजा जा रहा है।

(iv) रक्षा मंत्रालय प्रशिक्षण अवसंरचना तथा कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक सैनिक स्कूल को वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान देता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	सैनिक स्कूलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	सैनिक स्कूल कोरुकोंडा
2.	असम	सैनिक स्कूल गोलपाड़ा
3.	बिहार	1. सैनिक स्कूल गोपालगंज
		2. सैनिक स्कूल नालंदा
4.	छत्तीसगढ़	सैनिक स्कूल अंबिकापुर
5.	गुजरात	सैनिक स्कूल बालाचढ़ी
6.	हरियाणा	1. सैनिक स्कूल कुंजपुरा
		2. सैनिक स्कूल रिवाड़ी
7.	हिमाचल प्रदेश	सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा
8.	जम्मू और कश्मीर	सैनिक स्कूल नगरोटा
9.	झारखंड	सैनिक स्कूल तिलैया
10.	कर्नाटक	1. सैनिक स्कूल बीजापुर
		2. सैनिक स्कूल कोडागु
11.	केरल	सैनिक स्कूल कज़ाकूटम
12.	मध्य प्रदेश	सैनिक स्कूल रीवा
13.	महाराष्ट्र	सैनिक स्कूल सतारा
14.	मणिपुर	सैनिक स्कूल इम्फाल
15.	नागालैंड	सैनिक स्कूल पुंगलवा
16.	ओडिशा	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर
17.	पंजाब	सैनिक स्कूल कपूरथला
18.	राजस्थान	सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़
19.	तमिलनाडु	सैनिक स्कूल अमरावती नगर
20.	उत्तराखंड	सैनिक स्कूल घोड़ाखाल
21.	पश्चिम बंगाल	सैनिक स्कूल पुरुलिया

अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती शुल्क से छूट देना

2754. **श्री शेर सिंह घुबाया :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अंतर्गत भर्तियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परियोजनाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अ.जा./अ.ज.जा. की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं में शुल्क के भुगतान पर छूट देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी. बलराम नायक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा विश्वविद्यालय

2755. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पर काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में हरियाणा के गुड़गांव जिले में बिनोला में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (इंदू) की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान कर दी है। हरियाणा सरकार ने इंदू के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ले-आउट योजना तथा अधिनियम और संविधियां तैयार करने के लिए इंडिया लिमिटेड के शैक्षणिक परामर्शदाता को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

सड़क परियोजनाएं सौंपना

2756. **श्री सी. शिवासामी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2012-13 के लिए संपूर्ण सरकार द्वारा वित्तपोषित राजमार्ग परियोजनाओं के लक्ष्य को 3000 किमी से बढ़ाकर 4000 किमी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) मंत्रालय ने इंजीनियरी अभिप्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) विधि से कतिपय सड़क विकास परियोजनाओं जो निर्माण प्रचालन हस्तांतरण (पथकर/वार्षिकी) आधार पर व्यवहार्य नहीं है, को सौ प्रतिशत सरकारी वित्त पोषण से शुरू करने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 3750 किमी की कुल लंबाई के 32 सड़क खंडों का अभिनिर्धारण ईपीसी आधार पर कार्यान्वित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। ईपीसी आधार पर अभी तक कोई कार्य नहीं सौंपा गया है।

धनराशि जारी न करना

2757. **श्री आर. ध्रुवनारायण :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी न करने के कारण अनेक सड़क परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के विकास और अनुरक्षण कार्यों तथा इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में मंत्रालय द्वारा निधियां जारी की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में जाने की अनुमति

2758. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) की प्रयोगशालाओं में विश्वविद्यालयों के छात्रों को जाने की अनुमति दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ऐसी प्रयोगशालाओं जो सामरिक अनुसंधान तथा विकास में शामिल नहीं है, में इंजीनियरी विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए प्रयोगशाला की अनुसंधान सुविधाओं तक जाने की इजाजत दी जाती है। उन्हें शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सिफारिश किए अनुसार अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित प्रयोगशालाओं के सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए उन्हें गैर-सामरिक तथा गेर-संवेदनशील प्रकृति की विभिन्न सुविधाओं का भी लाभ उठाने दिया जाता है।

[हिन्दी]

हथियार और गोलाबारूद की कमी

2759. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सेनाध्यक्ष ने सरकार को सावधान किया था कि सेना के पास केवल चार दिनों का ही गोलाबारूद है;

(ख) क्या लगभग 95 प्रतिशत वायु रक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हथियार और गोलाबारूद की खरीद के लिए रूस की रक्षा निर्यात कंपनी रोसबोरों के साथ करोड़ों रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत की आयुध निर्माणियां पर्याप्त गोलाबारुद का विनिर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) हथियार और गोला-बारूद जिसमें वायु रक्षा प्रणाली के लिए अपेक्षित हथियार और गोला-बारूद भी शामिल है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तथापि, गोला-बारूद की कुछ श्रेणियों में कुछ कमियां अवश्य हैं, जिसके लिए अधिप्राप्तियां नियमित रूप से की जाती हैं ताकि सेना को तैयारी की स्थिति में रखा जा सके। इसके अलावा सेना का आधुनिकीकरण, जिसमें पुराने उपस्करों का प्रतिस्थापन शामिल है, एक सतत प्रक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है कि सेनाएं आधुनिक हथियार प्रणलियों से सुसज्जित रहे।

(घ) जी, हां। सरकार ने आवश्यक गोला-बारूद की अधिप्राप्ति के लिए समय-समय पर मैसर्स रोसोबोरोन-एक्सपोर्ट के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) और (च) भारतीय सेना के लिए विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आयुध निर्माणी बोर्ड सहित आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों को नियमित रूप से अधिप्राप्ति संविदाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल ऊपरी पुल और रेल अधेगामी पुल

2760. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री पी.के. बिजू :
डॉ. संजय सिंह :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरी पुलों और रेल अधोगामी पुलों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की राज्य-वार/राष्ट्रीय राजमार्ग/स्थान-वार संख्या कितनी है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विलंबित रेल उपरी पुलों/रेल अधोगामी पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरि पुलों और रेल अधोगामी पुलों के निर्माण जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा विलंब के कारण और की गई कार्रवाई से संबंधित ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य	रारा सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति	विलंब अथवा नहीं	विलंब का कारण	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	214	किमी 19/8	पूर्ण	विलंबित	रेलवे द्वारा रेल खंड को पूरा करने के कारण विलंब	
असम	52बी	किमी 6/000	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि 08.09.2013
	52	उत्तरी लखीमपुर बाईपास के किमी 0/770	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि 14.10.2015.
	52	उत्तरी लखीमपुर बाईपास के किमी 6/196	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि 14.10.2015.
	52बी (विस्तार)	किमी 10/320	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि 04.02.2014
	154	किमी 0/628	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि 30.10.2013.
	154	किमी 50/881	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि 30.10.2013.
छत्तीसगढ़	200	किमी 114/200	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	8ई और 8बी	रारा 8बी किमी 0/0 से 2/0 और रारा 8ई (विस्तार) किमी 369/0	कार्य प्रगति पर	विलंबित	रेलवे द्वारा जीएडी के देरी से अनुमोदन के के कारण कार्य में विलंब हुआ है।	अनुनय के पश्चात अब जीएडी अनुमोदित कर दी गई है और संशोधित प्राक्कलन तैयार किए जा रहे है। कार्य संभवतः अप्रैल, 2013 (अप्रैल, 2012 की बजाय) में पूरा हो जाने की संभावना है।
झारखंड	31	किमी 9	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	33	किमी 130-131	पूरा होने के स्तर पर	विलंबित	रक्षा भूमि के स्थानांतरण में विलंब के कारण	माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है।
	100	किमी 56/460	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	23 (आर-जी)	किमी 15	प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्नाटक	234	किमी 423.190	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	234	किमी 430.380	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	234	किमी 432.60	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	234	किमी 434.54	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	234	किमी 459.790	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
केरल	17 (नया रारा 66)	किमी 437/375	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	17 (नया रारा 66)	किमी 90/695	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	222	किमी 589/750	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ओडिशा	23	किमी 5/287	कार्य प्रगति पर	विलंबित	जन उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण में विलंब और स्थानीय भू स्वामियों द्वारा अवरोध के कारण	जन सुविधाओं के स्थानांतरण की समस्या का समाधान कर कर लिया गया है। जिला प्रशासन से कार्यस्थल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया गया है
पंजाब	64	सेनगम	हाल ही में संस्वीकृत/ कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
राजस्थान	8	किमी 139 से किमी 140	पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	91	किमी 428	ठेकेदार द्वारा कार्य रोका गया	विलंबित	वन स्वीकृति में 15 महीने का समय	निविदा करार के अनुसार कार्रवाई की जा रही है
	96	किमी 93	भूमि अधिग्रहण संस्वीकृत	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तराखंड	72(07)	किमी 175	कार्य प्रगति पर	विलंबित	रेल खंड के निर्माण में वृद्धि और माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के अनुसार देहरादून के में खनन प्रतिबंध के कारण	संशोधित प्राक्कलन अप्रैल, 2012 में संस्वीकृत। कार्य दिसंबर, 2012 में पूरा किया जाना है।
पश्चिम बंगाल	60	किमी 228	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण-II

राज्य	रारा संख्या	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति	विलंब अथवा नहीं	विलंब का कारण	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा
असम	6(53)	किमी 17/170	कार्य प्रगति पर	विलंबित	मौजूदा रेल मार्ग की सुरक्षा के कारण रेलवे प्राधिकरण द्वारा रेल उपरि पुल के स्वीकृत जीएडी की पुर्न जांच के कारण मूल निविदा करार कार्यान्वित नहीं हो सकी। रेलवे ने नींव की श्रेणी और स्थान अवस्थिति में परिवर्तन कर दिया है।	रेलवे प्राधिकरण द्वारा ताजा जीएडी को मंजूरी दे दी गई है और निविदा कार्य अगस्त, 2011 में पूरा हो गया है। निविदा करार के अनुसार आरओबी पूरा करने की अवधि 2 वर्ष है।
	6(53)	किमी 21/480	कार्य प्रगति पर	विलंबित	मौजूदा रेल मार्ग की सुरक्षा के कारण रेलवे प्राधिकरण द्वारा रेल उपरि पुल के स्वीकृत जीएडी की पुर्न जांच के कारण मूल निविदा करार कार्यान्वित नहीं हो सकी। रेलवे ने नींव की श्रेणी और स्थान अवस्थिति में परिवर्त कर दिया है।	रेलवे प्राधिकरण द्वारा ताजा जीएडी को मंजूरी दे दी गई है और निविदा कार्य अगस्त, 2011 में पूरा हो गया है। निविदा करार के अनुसार आरओबी पूरा करने की अवधि 2 वर्ष है।

विवरण-III

राज्य	क्र.सं.	रारा सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति	विलंब अथवा नहीं	विलंब का कारण	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	1	रारा-44	हैदराबाद-बंगलौर खंड किमी 261.480 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	2	रारा-44	हैदराबाद-बंगलौर खंड किमी 300.600 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	3	रारा-44	हैदराबाद-बंगलौर खंड किमी 351.256 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	4	रारा-44	हैदराबाद-बंगलौर खंड किमी 397.020 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	5	रारा-44	हैदराबाद-बंगलौर खंड किमी 421.200 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	6	रारा-16	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड के किमी 3/400 पर आरओबी	जीएडी अनुमोदन प्रगति में है	हां	रेलवे द्वारा आवर्ती अनुमोदन में विलंब के कारण	रेलवे को सौंपे गए जीएडी में आवश्कताओं और कमियों पर विचार विमर्श करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों साथ आवधिक बैठकें की जा रही हैं। दिसंबर,

1	2	3	4	5	6	7	8
							2012 तक रेलवे द्वारा एक बार जीएडी अनुमोदित कर दिए जाने के बाद 2 आरओबी को पूरा करने की निर्धारित तारीख सितंबर, 2013 है।
2009-10	7	रारा-16	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड के किमी 7/100 पर आरओबी	जीएडी अनुमोदन प्रगति में है	हां	रेलवे द्वारा आवर्ती अनुमोदन में विलंब के कारण	रेलवे को सौंपे गए जीएडी में आवश्कताओं और कमियों पर विचार-विमर्श करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जा रही हैं। दिसंबर, 2012 तक रेलवे द्वारा एक बार जीएडी अनुमोदित कर दिए जाने के बाद 2 आरओबी को पूरा करने की निर्धारित तारीख सितंबर, 2013 है।
2009-10	8	रारा-7	किमी. 508/014 से 508/184	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	9	रारा-7	किमी.517/725 से 517/887	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	10	रारा-7	किमी.524/200 से 524/326	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	11	रारा-4	किमी 260 (पैकेज-4)	पूर्ण	हां	सीआरएस स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब	रेल प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	12	रारा-4	किमी 311 (पैकेज-5)	पूर्ण	हा	सीआरएस स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब	रेल प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।
2009-10	13	रारा-4	किमी 328 (पैकेज-5)	पूर्ण	हां	सीआरएस स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब	रेल प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।
2009-10	14	रारा-34	किमी 450.990	कार्य रोक दिया गया है	विलंबित	दिनांक 16.12.2009 को समापन नोटिस जारी करके ठेकेदार ने कार्यस्थल छोड़ दिया है और उसके बाद से कार्य रोक दिया गया है।	ढालखोला बाइपास (जिसका किमी 450.990 पर आरओबी एक भाग है) का ठेका प्रतिबंध प्रक्रियाधीन है। नये ठेकेदार द्वारा संसाधन एकत्रित करने के पश्चात कार्य शुरू हो जाएगा।
2009-10	15	रारा-1	किमी. 408+465	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	16	रारा-1	किमी. 415+250	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	17	रारा-1	किमी. 451+275	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	18	रारा-1	किमी. 455+690	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	19	रारा-3	इंदौर-खालघाट खंड (किमी. 12.600 से किमी. 84.700)	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2009-10	20	रारा-33	रारा चैनेज: 80.880 (रेलवे चैनेज: 88-14/15)	कार्य प्रगति पर	नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	21	रारा-33	रारा चैनेज: 90.432 (रेलवे चैनेज: 403-8/9)	कार्य प्रगति पर	नहीं	—	—
2009-10	22	रारा-2	इसरी (357+286)	पूर्ण	नहीं	—	—
2009-10	23	रारा-5 (सुनाखाला-इच्छापुर खंड)	किमी. 297+154	पूर्ण	नहीं	—	—
2009-10	24	रारा-6	बादनेर किमी. 162/907	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	कार्य प्रगति पर	रियायतग्राही मैसर्स आईआरबी तालेगांव अमरावती
2009-10	25	रारा-3	पदाली	पूर्ण, 9/7/2010 से यातायात खोला गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	26	रारा-3	घोती	पूर्ण और मई, 2010 से यातायात खोला गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	27	रारा-3	बोरटेम्भे	पूर्ण और 12/10/2010 से यातायात खोला गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	28	रारा-3	उम्बेरमाली	पूर्ण और 31/5/2011 से यातायात खोला गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	29	रारा-3	खार्दी	पूर्ण और 15/09/2011 से यातायात खोला गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	30	रारा-3	आसनगांव	पूर्ण और 28/12/2011 से यातायात खोला गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2009-10	31	रारा-7	रारा-7 के नागपुर-हैदराबाद खंड पर बोरखेड़ी (किमी. 37.417) पर आरओबी (वर्धा-नागपुर रेल खंड का रेलवे चैनेज 798/11-12 खंड)	आरओबी खंड को छोड़कर कार्य पूर्ण	विलंबित	यह आरओबी किमी 36.600 से किमी. 64.000 खंड का भाग है। यह सबस्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। 4 गर्डर (4/4) ढले हुए और शुरू करने के लिए तैयार, रेलवे से सीआरएस स्वीकृति की प्रतीक्षा है।	मामले को रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर पर उठाया जा रहा है
2009-10	32	रारा-28	किमी. 244+200.00	पूर्ण	विलंबित	रेलवे अनुमति	लागू नहीं
2009-10	33	रारा-28	किमी 200+836.00	पूर्ण	विलंबित	रेलवे अनुमति	लागू नहीं
उप जोड़	33						
2010-11	1	रारा-44	नागपुर-हैदराबाद खंड के किमी. 310.750 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	2	रारा-44	नागपुर-हैदराबाद खंड के किमी. 336.023 पर आरओबी	पूर्ण	9 महीने की देरी	रेलवे प्राधिकारियों से डिजाइन और ड्राइंग हेतु रियायतग्राहियों द्वारा मंजूरी प्राप्त करने में विलंब	मामले को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ नियमित रूप से और लगातार बैठकें करके देखा जा रहा है और इसके पूरा होने का आश्वासन मिला है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	3	रारा-163	हैदराबाद-यादगिरी खंड के किमी. 24.320 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	4	रारा-163	हैदराबाद-यादगिरी खंड के किमी. 41.843 पर आरओबी	पूर्ण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	5	रारा-163	हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के किमी. 77.834 पर आरओबी	दक्षिण केन्द्रीय रेलवे द्वारा कार्य किए जाने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।	हां	दक्षिण केन्द्रीय रेलवे सिकंदराबाद द्वारा जीएडी की मंजूरी में 4 वर्ष का विलंब है।	जमा शर्तों पर दक्षिण केन्द्रीय रेलवे द्वारा कार्य किए जाने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
2010-11	6	रारा-65	हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के कमी. 204.161 पर आरओबी	आरई-वाल सुरक्षा कार्यों सहित बॉक्स पुशिंग कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पैदलपथ स्लैब और नालों का कार्य प्रगति पर है।	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	7	रारा-77	किमी. 0.45	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	8	रारा-77	किमी. 6.157	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	9	रारा-77	किमी. 15.350 (बाईपास)	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	10	रारा-19	किमी. 142.361	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	11	रारा-19	किमी. 149.371	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	12	रारा-19	किमी. 156.3	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	13	रारा-19	किमी. 175.517	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	14	रारा-19	किमी. 207.249	प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	15	रारा-19	किमी. 188.237	प्रगति में	नहीं	हां	दिनांक 16.11.2012 को कुछ संशोधनों के बाद नया जीएडी पुनः प्रस्तुत कर दिया गया।
2010-11	16	रारा-57ए	किमी. 8.2093	अभी शुरू होना है।	हां	रियायतग्राही द्वारा डिजाइन देरी से दिए जाने के कारण विलंब	दिनांक 14.11.2012 को रेलवे को डिजाइन सौंपा गया।
2010-11	17	रारा-17	यक्कुर में 4/972 किमी	उपढांचे के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और कुल 30 पाइलों में से 13 पाइल।	विलंब नहीं	लागू नहीं	कार्य प्रगति में है
2010-11	18	रारा-59	किमी. 41+245	सुपर स्ट्रक्चर प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	19	रारा-59	किमी. 92+077	सुपर स्ट्रक्चर प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	20	रारा-59	किमी. 137+083	सुपर स्ट्रक्चर प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	21	रारा-59	किमी. 144+827	सुपर स्ट्रक्चर प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	22	रारा-59	किमी. 167+324	नींव कार्य प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	23	रारा-59	किमी. 171+300	सुपर स्ट्रक्चर प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	24	रारा-8ए	(i) गांधीधाम टाउन के उत्तरी प्रवेश पर एलसी सं.1ए एसपीएल के स्थान पर आरओबी का निर्माण (रेल किमी 1/12-13 मध्य जीआईएम-एआई स्टेशन ऑन जीआईएम-बीवीजे सेक्शन (ii) आदिपुर-अंजर ऑन जीआईएम-बीवीजे सेक्शन के मध्य 12/16-17 किमी पर एलसी सं.8ब/20 के स्थान पर आरओवी का निर्माण	कार्य प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	25	रारा-8ए (ई)	(ii) आदिपुर-अंजर ऑन जीआईएम-बीवीजे सेक्शन के मध्य 12/16-17 किमी पर एलसी सं.8ब/20 के स्थान पर आरओवी का निर्माण	कार्य प्रगति में	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	26	रारा-6	किमी. 4.066	प्रगति में	हां (40% पूर्ण)	रियायतग्राही (मैसर्स सोमा) की आंतरिक वित्तीय समस्याओं के कारण की धीमी प्रगति के कारण	रियायतग्राही के साथ इस मामले में आवश्यक अनुनय की जा रही है।
2010-11	27	रारा-6	किमी. 19.597	प्रगति में (70% पूर्ण)	हां	प्रारंभ में पश्चिम रेलवे से इन आरओबीज के लिए जीएडी की मंजूरी में विलंब हुआ	रेलवे के साथ इस मामले में आवश्यक अनुनय की जा रही है।
2010-11	28	रारा-6	किमी. 40.822	प्रगति में (50% पूर्ण)	हां	रियायतग्राही (मैसर्स सोमा) की आंतरिक वित्तीय समस्याओं के कारण की धीमी प्रगति के कारण	रियायतग्राही के साथ इस मामले में आवश्यक अनुनय की जा रही है।
2010-11	29	रारा-6	किमी. 96.373	प्रगति में (70% पूर्ण)	हां	प्रारंभ में पश्चिम रेलवे से इन आरओबीज के लिए जीएडी की मंजूरी में विलंब हुआ	रेलवे के साथ इस मामले में आवश्यक अनुनय की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	30	रारा-6	किमी. 116.714	प्रगति में (10% पूर्ण)	हां	हजीरा क्षेत्र में भूमिगत जनोपयोगी सुविधाओं और पाइप लाइनों को लगाने के कारण फाउंडेशन निर्माण कार्य में विलंब हुआ है।	इस मामले में आवश्यक अनुनय की जा रही है।
2010-11	31	रारा-6	किमी. 119.252	प्रगति में (10% पूर्ण)	हां	हजीरा क्षेत्र में भूमिगत जनोपयोगी सुविधाओं और पाइप लाइनों को लगाने के कारण फाउंडेशन निर्माण कार्य में विलंब हुआ है।	इस मामले में आवश्यक अनुनय की जा रही है।
2010-11	32	रारा-8	1. किमी 306.670 पर एलसी सं.17 पर आरओबी	आरओबी का कार्य 2010 में आरंभ हुआ था और 2011 में पूरा हो गया	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	33	रारा-8	2 किमी. 353.080 पर एलसी सं.87 पर आरओबी	आरओबी का कार्य 2010 में आरंभ हुआ था और 2011 में पूरा हो गया	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	34	रारा-31सी	चैनेज 79+830 (बीआरपीएल गेट) पर आरओबी	2%	विलंबित	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	रेलवे प्राधिकारियों द्वारा जनवरी, 2011 में टीएडी/जीएडी/सीआरएस की मंजूरी दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	35	रारा-31सी	चैनेज 88+123 (एसके-48) पर आरओबी	2%	विलंबित	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	जनवरी, 2011 में टीएडी/जीएडी/सीआरएस की मंजूरी दी गई
2010-11	36	रारा-31	किमी. 1029	10%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2010-11	37	रारा-31	किमी. 1075	3%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2010-11	38	रारा-31	किमी. 1084	4%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2010-11	39	रारा-31	किमी. 1114	प्रारंभ नहीं किया गया	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2010-11	40	रारा-37	किमी. 0.708	पूर्ण	परियोजना की ईओटी के अदर पूर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	41	रारा-54ई	किमी. 299+229	11.00%	विलंबित	कार्य की व्याप्ति में परिवर्तन के कारण विलंब	आरओबी का कार्य शीर्घ पूरा करने के लिए ठेकेदारों पर दबाव डाला गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	42	रारा-54ई	किमी. 169+617	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण पैकेज को नियत समय से पहले समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य 2011 में आबंटित कर दिया गया है	विलंबित	कार्य की व्याप्ति में परिवर्तन के कारण विलंब	शेष कार्य आबंटित कर दिया गया है
2010-11	43	रारा-54ई	किमी. 179+283	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण पैकेज को नियत समय से पहले समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य 2011 में आबंटित कर दिया गया है	विलंबित	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति में	शेष कार्य आबंटित कर दिया गया है
2010-11	44	रारा-54ई	किमी. 185+730	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण पैकेज को नियत समय से पहले समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य 2011 में आबंटित कर दिया गया है	विलंबित	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति में	शेष कार्य आबंटित कर दिया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	45	रारा-54ई	किमी. 189+302	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण पैकेज को नियत समय से पहले समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य 2011 में आबंटित कर दिया गया है	विलंबित	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति में	शेष कार्य आबंटित कर दिया गया है
2010-11	46	रारा-54ई	किमी. 150+526	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण पैकेज को नियत समय से पहले समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य 2011 में आबंटित कर दिया गया है	विलंबित	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति में	शेष कार्य आबंटित कर दिया गया है
2010-11	47	रारा-54ई	किमी.150+592	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण पैकेज को नियत समय से पहले समाप्त कर दिया गया। शेष कार्य 2011 में आबंटित कर दिया गया है	विलंबित	कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति में	शेष कार्य आबंटित कर दिया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	48	रारा-41	किमी 2.076	रारा-41 पर मेचेड़ा में आरओबी का कार्य वर्ष 2010 में शुरू किया गया	विलंबित	दक्षिण पूर्वी रेलवे से पावर ब्लॉक की आवश्यकता	सरकार ने सीआरएसव स्वीकृति करने के मुद्दे प्राप्त करने और रारा-41 पर मेचेड़ा में आरओबी के लिए पावर ब्लाक के मुद्दे पर बड़ी प्रबलता से कार्रवाई की है और आशा है कि यह मार्च, 2013 तक पूरी हो जाएगी।
2010-11	49	रारा-1A	किमी. 29+756	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2010-11	50	रारा-1A	किमी. 83+100	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2010-11	51	रारा-1A	किमी. 111+444	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2010-11	52	रारा-2A	रोपड़	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2010-11	53	रारा-22	41 किमी जीरकपुर	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—
2010-11	54	रारा-33	रारा चैनेज: 225.150 (रेलवे चैनेज: 380.487)	खंड की नियत तारीख को अभी तक अंतिम रूप में दिया गया है और इसीलिए आरओबी का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	55	रारा-33	रारा चैनेज: 10.775 (रेलवे चैनेज: 400.18)	खंड की नियत तारीख को अभी तक अंतिम रूप में दिया गया है और इसीलिए आरओबी का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	56	रारा-33	रारा चैनेज: 11.762 (रेलवे चैनेज: 405.35)	खंड की नियत तारीख को अभी तक अंतिम रूप में दिया गया है और इसीलिए आरओबी का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	57	रारा-7	नागपुर-हैदराबाद खंड [वर्धा-बल्लार्शा खंड पर रेलवे चैनेज 792/2-3] पर हिंगाघाट (किमी. 76.3.80) पर आरओबी	कार्य प्रगति पर [26.89%]	विलंबित	कार्य प्रभावित हुआ— (i) मुख्यत: लेवल क्रासिंग गेट को स्थानांतरित न किए जाने के कारण जिसके लिए निधियां केन्द्रीय रेलवे के पास जमा कर दी गई हैं और निविदा प्रक्रिया रेलवे में चल रही है।	मामले को निपटाने के लिए रेलवे के साथ निरंतर बातचीत की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
						(ii) पीएसई गर्डर को कंपोजिट स्टील गर्डर की अधिसंरचना में परिवर्तित किए जाने के लिए रेलवे के आग्रह के कारण। रेलवे ने हाल ही में (अर्थात नव., 12) क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र को मूल रूप से अनुमोदित पीएससी गर्डर अधिसंरचना अपनाने के लिए सूचित किया।	
2010-11	58	रारा-3	पदाली	पूर्ण, यातायात के लिए 9/7/2010 को खोला गया	विलंब नहीं	-	-
2010-11	59	रारा-3	घोती	पूर्ण, यातायात के लिए मई, 2010 के मध्य में खोला गया	विलंब नहीं	-	-
2010-11	60	रारा-3	बोरटेम्भे	पूर्ण, यातायात के लिए 12/10/2010 को खोला गया	विलंब नहीं	-	-
2010-11	61	रारा-3	उम्बेरमाली	पूर्ण, यातायात के लिए 31/5/2011 को खोला गया	विलंब नहीं	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	62	रारा-3	खार्दी	पूर्ण, यातायात के लिए 15/09/2011 को खोला गया	विलंब नहीं	-	-
2010-11	63	रारा-3	आसनगांव	पूर्ण, यातायात के लिए 28/12/2011 को खोला गया	विलंब नहीं	-	-
2010-11	64	रारा-24	किमी 289+620	जीएडी अनुमोदित टेस्ट पाइल कर दिया गया है। संरचनागत डिजाइन अनुमोदन रेलवे से प्राप्त होना है।	विलंबित	रेलवे की नई नीति जिसमें लिमिट स्टेट मैथड आधार पर पुनः डिजाइन करने के लिए कहा गया है, से संरचनागत डिजाइन अनुमोदन में विलंब हो रहा है।	मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।
2010-11	65	रारा-24	किमी. 331+300	जीएडी अनुमोदन प्राप्त होना है।	विलंबित	जीएडी रेलवे के पास लंबित है	मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।
2010-11	66	रारा-24	किमी. 399+300	जीएडी अनुमोदित टेस्ट पाइल कर दिया गया है। संरचनागत डिजाइन अनुमोदन रेलवे से प्राप्त होना है।	विलंबित	रेलवे की नई नीति जिसमें लिमिट स्टेट मैथड आधार पर पुनः डिजाइन करने के लिए कहा गया है, से संरचनागत डिजाइन अनुमोदन में विलंब हो रहा है।	मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	67	रारा-24	किमी. 409+000	जीएडी अनुमोदित टेस्ट पाइल कर दिया गया है। संरचनागत डिजाइन अनुमोदन रेलवे से प्राप्त होना है।	विलंबित	रेलवे की नई नीति जिसमें लिमिट स्टेट मैथड आधार पर पुनः डिजाइन करने के लिए कहा गया है, से संरचनागत डिजाइन अनुमोदन में विलंब हो रहा है।	मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।
उप जोड़	67						
2011-12	1	रारा-16	चिल्कालूरीपेट-नेल्लौर खंड के किमी 287/21 पर आरओबी	जीएडी अनुमोदन प्रगति पर है	हाँ	आरओबी का निर्माण कार्य रेलवे से जीएडी के लंबित अनुमोदन के कारण विलंब हुआ है।	आरओबी को छोड़कर निर्धारित अनुसूची के अनुसार के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है तथापि मामले पर रेलवे के साथ मिलकर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
2011-12	2	रारा-16	चिल्कालूरीपेट-नेल्लौर खंड के किमी 292/30 पर आरओबी	जीएडी अनुमोदन प्रगति पर है	हाँ	आरओबी का निर्माण कार्य रेलवे से जीएडी के लंबित अनुमोदन के कारण विलंब हुआ है।	आरओबी को छोड़कर निर्धारित अनुसूची के अनुसार के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है तथापि मामले पर रेलवे के साथ मिलकर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
2011-12	3	रारा-16	चिल्कालूरीपेट-नेल्लौर खंड के किमी 202/16-18 पर आरओबी	जीएडी अनुमोदन प्रगति पर है	हाँ	आरओबी का निर्माण कार्य रेलवे से जीएडी के लंबित अनुमोदन के कारण विलंब हुआ है।	आरओबी को छोड़कर निर्धारित अनुसूची के अनुसार के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है तथापि मामले पर रेलवे के साथ मिलकर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	4	रारा-2	किमी. 788.65	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	5	रारा-2	किमी. 809.05	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	6	रारा-2	किमी. 940.8	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	7	रारा-30	किमी. 182.57	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	8	रारा-30	किमी. 207.62	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	9	रारा-85	किमी. 14.217	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	10	रारा-85	किमी. 27.501	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	11	रारा-85	किमी. 58.421	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	12	रारा-85	किमी. 91.604	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	13	रारा-77	किमी. 6.004	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	14	रारा-77	किमी. 46.25	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	15	रारा-77	किमी. 52.75	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	16	रारा-28ए	किमी. 18.172	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	17	रारा-28ए	किमी. 53.632	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	18	1ए (रारा-44)	किमी. 190.96	परियोजना निर्माणाधीन है। भौतिक प्रगति 96% है।	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	19	रारा-48	किमी. 79/690	पूर्ण	विलंब नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	20	रारा-4	किमी. 264/175	पूर्ण	विलंब नहीं	–	–
2011-12	21	रारा-13	किमी. 286+317 (आरओबी)	26.05.12 को पूर्ण	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	22	रारा-13	किमी. 296+163 (आरयूबी के स्थान पर सुरंग)	प्रगति पर (65% पूर्ण)	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	23	रारा-13	किमी. 296+118 (आरयूबी के स्थान पर सुरंग)	प्रगति पर (90% पूर्ण)	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	24	रारा-31	चैनेज 79+830 पर आरओबी-I (बीआरपीएल गेट)	6.45%	विलंबित	सार्वजनिक सुविधाएं स्थानांतरित किए जाने के कारण	भूमि अधिग्रहण का पूर्णकर लिया गया है।
2011-12	25	रारा-31	चैनेज 88+123 पर आरओबी-II (एसके-48)	5.50%	विलंबित	सार्वजनिक सुविधाएं स्थानांतरित किए जाने के कारण	भूमि अधिग्रहण का पूर्णकर लिया गया है।
2011-12	26	रारा-31	किमी. 1029	45%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2011-12	27	रारा-31	किमी. 1075	15%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	28	रारा-31	किमी. 1084	28%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी.
2011-12	29	रारा-31	किमी.1114	5%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2011-12	30	रारा-37	किमी. 14.092	पूर्ण	परियोजना की ईओटी के अंदर पूर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	31	रारा-54ई	किमी. 58.72	55%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	32	रारा-54ई	किमी. 122.75	27%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	33	रारा-34	किमी. 192.891	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	34	रारा-34	किमी. 199.159	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	35	रारा-34	किमी. 229.734	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	36	रारा-34	किमी. 285.391	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	37	रारा-34	किमी. 330.843	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	38	रारा-34	किमी. 405.802	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	39	रारा-67	तिरुचिरापल्ली और कुमारामंगलग स्टेशनों के बीच किमी 125/605 पर आरओबी का निर्माण	संशोधित जीएडी 26.11.2012 को अनुमोदित किया गया। कार्य अभी शुरू किया जाना है।	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	40	रारा-210	कुमारामंगलम और कीरानूर स्टेशनों के बीच किमी. 22/020 पर आरओबी का निर्माण	उप संरचना डिजाइन 31.08.2012 को अनुमोदित किया गया। उप संरचना का कार्य प्रगति पर है।	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	41	रारा-7	कन्याकुमारी और सुचिन्द्रम स्टेशनों के बीच किमी 233/890 पर आरओबी का निर्माण	पूर्ण	हां	लाईन ब्लॉक के लिए दक्षिणी रेलवे से स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के कारण।	दक्षिणी रेलवे के साथ मिलकर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	42	रारा-68	किमी 68/073	पूर्ण	विलंबित	दक्षिणी रेलवे से अनुमोदन और सीआरएस से स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के कारण।	दक्षिणी रेलवे और सीआरएस सीआरएस के साथ मिलकर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
2011-12	43	रारा-45बी	174+645 किमी पर आरओबी का निर्माण	पूर्ण	विलंबित	रेलवे से स्वीकृति प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण में विलंब	निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करके सभी अड़चनें दूर की गईं।
2011-12	44	रारा-45बी	262+185 किमी पर आरओबी का निर्माण	पूर्ण	विलंबित	रेलवे से स्वीकृति प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण में विलंब	निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करके सभी अड़चनें दूर की गईं।
2011-12	45	रारा-1ए	रारा-1ए किमी. 115+910	आरओबी पूर्ण	विलंब नहीं	–	–
2011-12	46	रारा-1ए	रारा-1ए किमी. 106+130	आरओबी पूर्ण	विलंब नहीं	–	–
2011-12	47	रारा-71ए	रारा किमी सं. 11.63 (रेलवे किमी-6.954)	छेद करने के लिए पाइल कैप तैयार है	विलंब नहीं	–	–
2011-12	48	रारा-71ए	रारा किमी सं. 22.745 (रेलवे किमी-15.830)	पाइल का कार्य प्रगति पर है।	विलंब नहीं	–	–
2011-12	49	रारा-71ए	रारा किमी सं. 79.875 (रेलवे किमी-81.200)	पाइलिंग कार्य प्रगति पर है।	विलंब नहीं	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	50	रारा-71	किमी 386.988 पर आरओबी (रेलवे किमी-48.820)	स्टील गर्डर लांच कर दिया गया है।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	51	रारा-71	किमी 434.857 पर आरओबी (रेलवे किमी-4.252)	स्टील गर्डर लांच कर दिया गया है।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	52	रारा-71	किमी 436.643 पर आरओबी (रेलवे किमी 78/7-8)	स्टील गर्डर लांच कर दिया गया है।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	53	रारा-26बी	किमी. 49.659	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	54	रारा-26बी	किमी. 54.003	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	55	रारा-26बी	किमी. 6.405	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	56	रारा-26बी	किमी. 22.609	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	57	रारा-26बी	किमी. 39.164	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	—	—
2011-12	58	रारा-69ए	किमी. 140.121	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	59	रारा-69ए	किमी. 158.355	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	–	–
2011-12	60	रारा-69ए	किमी. 2.426	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	–	–
2011-12	61	रारा-203 (भुवनेश्वर - पुरी खंड)	किमी. 48.465	पाइल ड्राइविंग का कार्य प्रगति पर है। रियायतग्राही को रेलवे की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है।	हां	रेलवे प्राधिकारियों के त्रिपक्षीय करार को वावस लिए जाने के आग्रह के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले करार/समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप नहीं दिया गया। रेलवे की मांग अभी प्राप्त होनी है।	डीएंड जी तथा अनुरक्षण प्रभारों के लिए अपनी मांग देने और त्रिपक्षीय करार के बजाय द्विपक्षीय करार के लिए सहमति देने हेतु रेलवे प्राधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। इस संदर्भ में परिणाम अभी प्राप्त होना है।
2011-12	62	रारा-215 (0/0 से 163/0) का पानीकोयली-क्योंझर-रिमूली खंड	किमी. 9.18	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	–	नियत तारीख घोषित नहीं की गई तथापि कार्यों को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा
2011-12	63	रारा-215 (0/0 से 163/0) का पानीकोयली-क्योंझर-रिमूली खंड	किमी. 115.717	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	–	नियत तारीख घोषित नहीं की गई तथापि कार्यों को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	64	रारा-215 (किमी 163/0 से किमी 269/0) का रिमूली-रोक्सी-राजामुंडा खंड	किमी. 234.77	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है और कार्यों को निर्धारित अवधि अर्थात 27.11.2011 के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
2011-12	65	रारा-215 (किमी 163/0 से किमी 269/0) का रिमूली-रोक्सी-राजामुंडा खंड	किमी. 246.258	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है और कार्यों को निर्धारित अवधि अर्थात 27.11.2011 के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
2011-12	66	रारा-215 (किमी 163/0 से किमी 269/0) का रिमूली-रोक्सी-राजामुंडा खंड	किमी. 8/520	1.11.2011 को एसइआर को प्रस्तुत कर दिया गया है। अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नही की गई है।
2011-12	67	रारा-6 (किमी 0/0 से किमी 88/0) का संबलपुर-बारगढ़-लहुराचेट्टी खंड	किमी 11.60	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।	कोई विलंब नहीं	—	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है और कार्यों को निर्धारित अवधि अर्थात 14/11/2011 के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
2011-12	68	रारा-6 (किमी 0/0 से किमी 88/0) का संबलपुर-बारगढ़-लहुराचेट्टी खंड	किमी 44.46	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।	कोई विलंब नहीं	—	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है और कार्यों को निर्धारित अवधि अर्थात 14/11/2011 के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	69	रारा-6 (किमी 0/0 से किमी 88/0) का संबलपुर-बारगढ़-लहुराचेट्टी खंड	किमी 46.60	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।	कोई विलंब नहीं	—	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है और कार्यों को निर्धारित अवधि अर्थात 14/11/2011 के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
2011-12	70	रारा-5 का बालेश्वर-बरीपाडा-झारपोखरिया (रारा-6 के साथ रारा-5 का जंक्शन) खंड (किमी 0.00 से (किमी 80.600)	किमी. 8/520	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नही की गई है।
2011-12	71	रारा-5 का बालेश्वर-बरीपाडा-झारपोखरिया (रारा-6 के साथ रारा-5 का जंक्शन) खंड (किमी 0.00 से (किमी 80.600)	किमी. 28/554	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नही की गई है।
2011-12	72	रारा-5 का बालेश्वर-बरीपाडा-झारपोखरिया (रारा-6 के साथ रारा-5 का जंक्शन) खंड (किमी 0.00 से (किमी 80.600)	किमी. 34/218	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नही की गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	73	रारा-5 का बालेश्वर-बरीपाडा-झारपोखरिया (रारा-6 के साथ रारा-5 का जंक्शन) खंड (किमी 0.00 से (किमी 80.600)	किमी. 47/313	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।
2011-12	74	रारा-5 का बालेश्वर-बरीपाडा-झारपोखरिया (रारा-6 के साथ रारा-5 का जंक्शन) खंड (किमी 0.00 से (किमी 80.600)	किमी. 61/985	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नही की गई है।
2011-12	75	रारा-7	रारा-7 (रेलवे चैनेज 181/14-15) के नागपुर-हैदराबाद खंड पर किमी. 173.450 पर पिंपलकुट्टी के निकट आरओबी	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
2011-12	76	रारा-3	उम्बेरमाली	पूर्ण और यातायात के लिए 31/5/2011 से खोला गया	विलंब नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	77	रारा-3	खर्दी	पूर्ण और यातायात के लिए 15/9/2011 से .खोला गया	विलंब नहीं	—	—
2011-12	78	रारा-3	आसनगांव	पूर्ण और यातायात के लिए 28/12/2011 से खोला गया	विलंब नहीं	—	—
2011-12	79	रारा-69	चैनज 204.800 पर चिनचोंडा (एम.पी.)	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
2011-12	80	रारा-69	चैनज 5.200 पर मनकापुर (एम.एस.)	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
2011-12	81	रारा-69	चैनज 7.485 पर गोधानी (एम.एस.)	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
2011-12	82	रारा-69	चैनज 29.540 पर महागेनको प्रा. साइडिंग	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
2011-12	83	रारा-69	चैनज 33.350 पर शिवनेर बाईपास	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	84	रारा-69	चैनज 38.367 पर शिवनेर बाईपास	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
2011-12	85	रारा-28	किमी. 25+868	पूर्ण	विलंबित	रेलवे अनुमति	लागू नहीं
2011-12	86	रारा-3 के साथ रारा-2 को जोड़ने वाली	फरहा और रुनाकाटा स्टेशन के बीच (चैनज 0.340)	पाइलिंग कार्य पूर्ण	विलंब नहीं आगरा बाईपास परियोजना के भाग के तौर पर जुलाई, 2014 तक पूरा किया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	87	रारा-3 के साथ रारा-2 को जोड़ने वाली आगरा बाईपास परियोजना	अचनेरा और रेभा स्टेशन के बीच (चैनज 8.990)	पाइलिंग और पाइलिंग कैंप का कार्य पूर्ण	विलंब नहीं आगरा बाईपास परियोजना के भाग के तौर पर जुलाई, 2014 तक पूरा किया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	88	रारा-3 के के साथ रारा-2 को जोड़ने वाली आगरा बाईपास परियोजना	किरावली और मोढाकुर स्टेशन के बीच (चैनज 13.775)	पाइलिंग कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं आगरा बाईपास परियोजना के भाग के तौर पर जुलाई, 2014 तक पूरा किया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	89	रारा-3 के के साथ रारा-2 को जोड़ने वाली आगरा बाईपास परियोजना	भंदई के निकट (चैनेज 31.048)	जीएडी का संशोधन किया जा रहा है।	विलंब नहीं आगरा बाईपास परियोजना के भाग के तौर पर जुलाई, 2014 तक पूरा किया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं
2011-12	90	रारा-2	किमी. 788.650	जीएडी अनुमोदित कर दी गई है और डिजाइन को अनुमोदन देने की प्रक्रिया चल रही है।	कोई विलंब नहीं	लागू नहीं	परियोजना प्रगति पर है।
2011-12	91	रारा-2	किमी. 809.050	जीएडी अनुमोदित कर दी गई है और डिजाइन को अनुमोदन देने की प्रक्रिया चल रही है।	कोई विलंब नहीं	लागू नहीं	परियोजना प्रगति पर है।
2011-12	92	रारा-2	किमी. 940.800	जीएडी अनुमोदित कर दी गई है और डिजाइन को अनुमोदन देने की प्रक्रिया चल रही है।	कोई विलंब नहीं	लागू नहीं	परियोजना प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	93	रारा-28	किमी. 20.0	पूर्ण	विलंबित	सीआरएस से अनुमोदन में विलंब और विलंबित यातायात सह पावर ब्लॉक।	शीघ्र अनुमोदन के लिए सीआरएस और रेलवे प्राधिकारियों से बात करके उन्हें समझाया गया।
2011-12	94	रारा-28	किमी. 83.0	पूर्ण	विलंबित	सीआरएस से अनुमोदन में विलंब और विलंबित यातायात सह पावर ब्लॉक।	शीघ्र अनुमोदन के लिए सीआरएस और रेलवे प्राधिकारियों से बात करके उन्हें समझाया गया।
2011-12	95	रारा-25	किमी. 59.0	पूर्ण	विलंबित	सीआरएस से अनुमोदन में विलंब और विलंबित यातायात सह पावर ब्लॉक।	शीघ्र अनुमोदन के लिए सीआरएस और रेलवे प्राधिकारियों से बात करके उन्हें समझाया गया।
2011-12	96	रारा-56 ए और बी	किमी. 3.0	पूर्ण	विलंबित	सीआरएस से अनुमोदन में विलंब और विलंबित यातायात सह पावर ब्लॉक।	शीघ्र अनुमोदन के लिए सीआरएस और रेलवे प्राधिकारियों से बात करके उन्हें समझाया गया।
उप जोड़	96						
2012-13	1	रारा-40	कडप्पा-करनूल खंड के किमी 290.783 पर आरओबी	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	2	रारा-40	कडप्पा-करनूल खंड के किमी 290.986 पर आरओबी	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	3	रारा-40	कडप्पा-करनूल खंड के किमी 355.839 पर आरओबी	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	4	रारा-28ए	किमी. 37.085	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	5	रारा-28ए	किमी. 66.454	प्रगति पर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	6	रारा-48	किमी. 100/100	अनुमोदन के लिए जीएडी मुख्यालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आरओबी का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाता है।	विलंब नहीं	—	—
2012-13	7	रारा-48	किमी. 115/000	अनुमोदन के लिए जीएडी मुख्यालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आरओबी का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाता है।	विलंब नहीं	—	—
2012-13	8	रारा-7	किमी. 550/750	प्रगति पर	विलंब नहीं	—	एसडब्ल्यूआर द्वारा जीएडी, संरचनागत डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदित कर दी गई हैं
2012-13	9	रारा-207	किमी. 83/816	अनुमोदन के लिए जीएडी एसडब्ल्यूआर को अभी प्रस्तुत की जानी है।	मैसर्स ट्रांसस्टोरी-ओजेएससी कंसोरशियम के साथ रियायत	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	10	रारा-207	किमी. 101/793	एसडब्ल्यूआर द्वारा जीएडी अनुमोदित कर दी गई है।	करार पर हस्ताक्षर दिनांक 31.8.2012 को कर दिए गए हैं।	—	—
2012-13	11	रारा-207	किमी. 131/860	अनुमोदन के लिए जीएडी एसडब्ल्यूआर को अभी प्रस्तुत की जानी है।		—	—
2012-13	12	रारा-8डी	किमी. 2+800	सभी चारों आरओबी पश्चिमी रेलवे, मुंबई द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	13	रारा-8डी	किमी. 23+996	सभी चारों आरओबी पश्चिमी रेलवे, मुंबई द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	14	रारा-8डी	किमी. 112+938	सभी चारों आरओबी पश्चिमी रेलवे, मुंबई द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	15	रारा-8डी	किमी. 118+374	सभी चारों आरओबी पश्चिमी रेलवे, मुंबई द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	16	रारा-31सी	चैनज 79+830 पर आरओबी-I (बीआरपीएल गेट)	13.37%	विलंबित	(i) सार्वजनिक सुविधाएं स्थानांतरित किए जाने के कारण कुछ खंड प्रभावित हुए हैं।	सार्वजनिक सुविधाएं स्थानांतरित किए जाने के कार्य प्रगति पर हैं और इन्हें ठेकेदार द्वारा 3 माह के अंदर पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
2012-13	17	रारा-31सी	चैनज 89+123 पर आरओबी-II (एसके-48)	7.72%	विलंबित	(i) आरओबी की आरई वाल के लिए ग्रांउड सुधार कार्य प्रगति पर है।	ठेकेदार को कार्य तीव्र करने के लिए निदेश दे दिया गया है।
2012-13	18	रारा-31	किमी. 1029	67%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2012-13	19	रारा-31	किमी. 1075	50%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2012-13	20	रारा-31	किमी. 1084	65%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी
2012-13	21	रारा-31	किमी. 1114	40%	विलंबित	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग के कारण विलंब	परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित निगरानी

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	22	रारा-37	किमी. 240.11	पूर्ण	परियोजना की ईओटी के अंदर पूर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	23	रारा-34	किमी. 76.0	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	24	रारा-34	किमी. 90.650	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	25	रारा-34	किमी. 95.360	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	26	रारा-34	किमी. 111.400	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	27	रारा-34	किमी. 112.270 (आरेयूबी)	निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	28	रारा-34	किमी. 133.450	कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	29	रारा-34	किमी. 185.990	कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	30	रारा-6	किमी. 143.367	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	31	रारा-6	किमी. 137.147	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	32	रारा-6	किमी. 143.969 (आरयूबी)	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	33	रारा-33	किमी. 301.655	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	34	रारा-15	किमी. 14+409	प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	35	रारा-15	किमी. 42+467	प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	36	रारा-15	किमी. 51+533	प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	37	रारा-15	किमी. 70+178	प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	38	रारा-15	किमी. 78+492	प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	39	रारा-95	किमी. 156+953	आरओबी प्रगति पर	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	40	रारा-1ए	रारा-1ए का किमी. 9+513	आरयूबी अभी निर्मित किया जाना है	विलंबित	भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	41	रारा-26	किमी. 322.369 का एडीबी-II/सी-8	उप संरचना का कार्य पूर्ण	विलंब	केन्द्रीय रेलवे सुरक्षा प्रकोष्ठ की अनुमति में विलंब हुआ और 3 माह पश्चात सीआरएस प्रकोष्ठ ने सैंट्रल स्पैन के गर्डर को कंपोजिट स्टील गर्डर में परिवर्तित करके लांच करने की रणनीति में परिवर्तन किया।	कंपोजिट स्टील गर्डर के लिए रेलवे पुल अभियंता के सुझाव के अनुसार हम एक प्रस्ताव संस्वीकृति और अनुमोदन हेतु तैयार कर रहे हैं और आशा है कि यह जून, 2013 तक पूरा हो जाएगा।
2012-13	42	रारा-26	किमी. 187 से किमी. 211 का एडीबी-II/सी-5	पूर्ण	विलंब	आरओबी के लिए टीएडी के अनुमोदन में विलंब, कार्य की व्याप्ति में वृद्धि, ठेकेदार का अल्प निष्पादन	स्वीकृति, टीएडी अनुमोदन, सीआरएस संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई
2012-13	43	रारा-3	किमी. 109.9	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	44	रारा-3	किमी. 121.04	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	45	रारा-3	किमी. 256.78	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	46	रारा-69	किमी. 66+400	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	47	रारा-69	किमी. 88+100	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	48	रारा-69	किमी. 64+200	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	49	रारा-69	किमी. 56+500	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	50	रारा-7	किमी. 302.56	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	51	रारा-7	किमी. 365.75	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	52	रारा-7	किमी. 462.8	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	53	रारा-7	किमी. 486+880	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	54	रारा-7	किमी. 493+869	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	55	रारा-200	किमी. 107.865	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।	विलंब नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	56	रारा-5 (सुनाखाला-इच्छापुर खंड)	किमी. 61/985	01/11/2011 को एसईआर को प्रस्तुत। अनुमोदन प्राप्त होना है।	कोई विलंब नहीं	—	इस परियोजना के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।
2012-13	57	रारा-42 (अंगुल-संबलपुर खंड)	किमी. 147/300	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है जिसके कारण नियत तारीख प्राप्त नहीं की जा सकी।	कोई विलंब नहीं	—	—
2012-13	58	रारा-6 बहरागोरा-संबलपुर खंड	किमी. 350/240	परियोजना के लिए निविदाएं अभी आमंत्रित की जानी है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	59	रारा-6 बहरागोरा-संबलपुर खंड	किमी. 561/723	परियोजना के लिए निविदाएं अभी आमंत्रित की जानी है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	60	रारा-6 बहरागोरा-संबलपुर खंड	किमी. 566/240	परियोजना के लिए निविदाएं अभी आमंत्रित की जानी हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	61	रारा-23 बीरमित्रपुर-बरकोटे खंड	किमी. 266/500	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है जिसके कारण नियत तारीख प्राप्त नहीं की जा सकी।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	62	रारा-23 बीरमित्रपुर-बरकोटे खंड	किमी. 261/281	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है जिसके कारण नियत तारीख प्राप्त नहीं की जा सकी।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	63	रारा-23 बीरमित्रपुर-बरकोटे खंड	किमी. 236/718	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है जिसके कारण नियत तारीख प्राप्त नहीं की जा सकी।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2012-13	64	रारा-6	मुर्तिजापुर किमी. 206/483	—	विलंब नहीं	अनुमोदन के लिए जीएडी रेलवे प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए गए है।	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।
2012-13	65	रारा-6	अकोला किमी. किमी. 243/606	—	विलंब नहीं	अनुमोदन के लिए जीएडी रेलवे प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए गए है।	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	66	रारा-6	खामगांव किमी. 302/117	—	विलंब नहीं	जीएडी अनुमोदित	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।
2012-13	67	रारा-6	मल्कापुर किमी. 345/398	—	विलंब नहीं	जीएडी अनुमोदित	रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई है।
2012-13	68	रारा-9	किमी. 187/929 (रेलवे (किमी. 398/5-6) पर मोदनिंब	प्रगति पर	विलंब नहीं	ऐसा कोई मामला नहीं है	लागू नहीं
2012-13	69	रारा-9	किमी. 220/560 (रेलवे किमी. 423/3-4) पर मोहोल	प्रगति पर	विलंब नहीं	ऐसा कोई मामला नहीं है	लागू नहीं
2012-13	70	रारा-9	किमी.79.780 पर मलाड	कार्य प्रगति पर	विलंब नहीं	—	—
उप जोड़	70						

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मानवाधिकार दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, आज मानवाधिकार दिवस है। 64 वर्ष पूर्व, आज ही के दिन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया जिसके माध्यम से ऐसे व्यापक मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई जिसके हकदार विश्व में सर्वत्र सभी पुरुष एवं स्त्रियां हैं।

मानवाधिकार हममें से प्रत्येक व्यक्ति के अहरणीय अधिकार हैं और हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक बंधन में बांधते हैं।

आज इस अवसर पर, हम मानवाधिकारों में अपनी आस्था की पुन: पुष्टि करते हैं और सामाजिक प्रगति व सभी के लिए जीवन के बेहतर मानदंडों को प्रोत्साहित करने के लिए कृत-संकल्प होते हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदया, मैं श्री आनंद शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7728/15/12]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7729/15/12]

(3) (एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7730/15/12]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन फंड ट्रस्ट) मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन फंड ट्रस्ट) मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7731/15/12]

(2) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7732/15/12]

(3) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7733/15/12]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7734/15/12]

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7735/15/12]

(तीन) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7736/15/12]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गइ। *देखिए* संख्या एल.टी. 7737/15/12]

(6) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7738/15/12]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : महोदया, मैं श्रीमती जयंती नटराजन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7739/15/12]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 1150(अ) जो 22 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1295(अ) जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7740/15/12]

(4) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7741/15/12]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोल्लम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोल्लम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7742/15/12]

(2) (एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7743/15/12]

(3) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7744/15/12]

(4) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7745/15/12]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7746/15/12]

(ख) (एक) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7747/15/12]

(ग) (एक) शेफेक्सिल (शेलैक एंड फौरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शेफेक्सिल (शेलैक एंड फौरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7748/15/12]

(घ) (एक) केपेक्सिल (तत्कालीन केमिकल्स एंड एलॉयड प्रोक्ट्स प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केपेक्सिल (तत्कालीन केमिकल्स एंड एलॉयड प्रोक्ट्स प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7749/15/12]

(6) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7750/15/12]

(7) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7751/15/12]

(8) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7752/15/12]

(9) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडा उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1952(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) (संशोधन) नियम, 2012 जो 6 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 2046(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7753/15/12]

(10) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (4) के अंतर्गत चाय बोर्ड (फैक्टरी परामर्श अधिकारी की भर्ती और सेवा शर्तें) उप-विधि, 2012 जो 2 नवंबर, 2912 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23(1)/स्था./2011 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7754/15/12]

(11) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7755/15/12]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ एस. जगतरक्षकन) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7756/15/12]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2) के अंतर्गत न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2425(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रख गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7757/15/12]

(3) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2296(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7758/15/12]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अधीन, में निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक)(क) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7759/15/12]

(दो) (क) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार समीक्षा।

(दो) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7760/15/12]

अपराह्न 12.02½ बजे

कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : अध्यक्ष महोदया, श्री आनंद शर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं:—

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है कि:—

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.04 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों की दयनीय स्थिति के कारण हुई भुखमरी और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : अध्यक्ष महोदया, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे निम्नलिखित पर अपनी वक्तव्य दें:

"तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों की दयनीय स्थिति के कारण हुई भुखमरी और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

अध्यक्ष महोदया : बालू जी, क्या आपको वक्तव्य प्राप्त हो गया?

श्री टी.आर. बालू : जी हां, महोदया।

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महन्त): महोदया, तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों की दशा के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता से मैं भी अवगत हूं। भारत सरकार को तमिलनाडु सहित नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल और मिलिंग खोपरा की बहुत अधिक गिरती हुई कीमतों की जानकारी है। इस वर्ष नारियल और नारियल उत्पादों, विशेष रूप से नारियल तेल के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मण्डियों में भी असाधारण गिरावट देखी गई है।

नारियल और इसके उत्पादों के मूल्य नारियल तेल के मूल्यों से जुड़े हैं, जो पामोलीन जैसे आयातित तेलों सहित प्रतिस्पर्धी वानस्पतिक तेलों के मूल्यों से प्रभावित होते हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7761/15/12

भारत सरकार वर्ष 1986 से मिलिंग और खाद्य बॉल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण कर रही है ताकि नारियल किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। इस वर्ष, मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी 5100 रु. प्रति क्विंटल, बॉल खोपरा के लिए 5350 रु. प्रति क्विंटल और पानी वाले छिलका रहित पके नारियल के लिए 1400 रु. प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है, जो इन वस्तुओं के लिए पिछले वर्ष निर्धारित एमएसपी की तुलना में 12-17% की वृद्धि है।

जब कभी भी मिलिंग और खाद्य खोपरा के बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरते हैं तो राज्य नामित एजेंसियों के जरिए नैफेड द्वारा मूल्य समर्थन कार्य आरम्भ किए जाते हैं। तमिलनाडु में मैसर्स तनफेड खोपरा की खरीद के लिए राज्य द्वारा नामित एजेंसी है। इस राज्य में 17 अधिप्राप्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

दिनांक 03.12.2012 तक नैफेड द्वारा खोपरा की कुल खरीद 27.950 एमटी रही है। तमिलनाडु के 17 जिलों में कुल 16,800 किसान लाभान्वित हुए हैं।

तमिलनाडु सरकार ने पीएसएस के तहत किसानों से सीधे मिलिंग खोपरा की खरीद के लिए प्राथमिक सोसायटियां चुनने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मॉनीटरिंग समिति बनाई है।

मूल्य समर्थन स्कीम के अलावा, भारत सरकार नारियल के समेकित विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। नारियल पौद की संकर किस्मों सहित गुणवत्ता रोपण सामग्रियों के उत्पादन और वितरण पर जोर दिया गया है। नारियल की वैज्ञानिक खेती के तहत और अधिक क्षेत्र लाने तथा इकाई जोतों की उत्पादकता तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए नारियल आधारित कृषि पद्धतियों के संवर्धन की तमिलनाडु सरकार की पहल इसका समर्थन करती है।

सरकार 2001-02 से 'नारियल प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओसी)' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। जिसका अधिक जोर मूल्यवर्धन द्वारा "उत्पाद विविधीकरण और उपोत्पाद उपयोग" पर है। तमिलनाडु में टीएमओसी के कार्यान्वयन से खोपरा-नारियल तेल उन्मुखी बाजार को डी-लिंक करने में मदद मिली है। राज्य में उत्पादित किए जाने वाले अधिकतर नारियल का उपयोग अब कच्चे नारियल के रूप में सूखा नारियल पाउडर, स्प्रे शुष्कित नारियल दूध पाउडर, पैक किया हुआ और सुरक्षित कच्चे नारियल पानी आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तमिलनाडु ब्राउन नारियल रेशा का देश में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी बन गया है और कॉयर पिथ ब्रिकेट का एक प्रमुख निर्यातक है।

भारत सरकार तमिलनाडु सहित देश के सभी नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करने के लिए कटिबद्ध है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदया मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान तमिलनाडु राज्य में विशेषत: तंजावुर, तिरुवरुर, डिंडीगुल, थेनी, थिरुलवेली, कोयमबटूर, तिरुपुर, कन्याकुमारी, कृष्णागिरी, सलेम, मदुरई, ईरोड, पुदुकोट्टाई और नागापट्टिनम में नारियल उगाने वालों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय छ: माह पूर्व मेरे कुछ मित्र, विशेषत: पूर्व मंत्री श्री कन्नपन, श्री पेरियासामी, श्री अलगू तिरुनावुकारासू, श्रीयोगांलूर एन पलानीसामी और श्री कम्बम रामाकृष्णा, एम.एल.ए और अन्य स्टेक होल्डर मुझसे मिले और तमिलनाडु के नारियल उगाने वालों के समक्ष आने वाली समस्याओं को व्यक्त किया जिनके कारण आत्महत्या की घटनाएं भी हो रही हैं।

बाद में 11 जुलाई 2012 को मैं माननीय कृषि मंत्री जी श्री शरद पवार से मिला और तमिलनाडु के नारियल उगाने वालो के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को उनके सामने स्पष्ट किया। इस मामले पर यूपीए की बैठक में भी चर्चा हुई जिसमें सोनिया जी, माननीय प्रधानमंत्री और श्री शरद पवार जी उपस्थिति थे। अंतत: माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार, तमिलनाडु आए और उन्होंने इसके हित धारकों सहित, संसद सदस्यों, विधायकों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों और 23 से अधिक नारियल उगाने वाले संघों के पदाधिकारियों से मुलाकात की।

बैठक में तमिलनाडु राज्य के अनेक महत्वपूर्ण नारियल कृषक उपस्थित थे और नारियल उगाने वालों तथा माननीय मंत्री जी के मध्य साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। वास्तव में, मैं इस अवसर पर अपने मित्र श्री शरद पवार का शुक्रिया अदा करता हूं।

[श्री टी.आर. बालू]

महोदया तमिलनाडु राज्य में नारियल कृषि योग्य कुल उंपलब्ध भूमि 3.9 लाख हैक्टेयर है और जहां तक इस उत्पादकता का संबंध है तमिलनाडु का स्थान पहला है। इस राज्य में, नारियल की उत्पादकता प्रति हैक्टेयर लगभग 14000 गोले प्रतिवर्ष है और इस राज्य का प्रथम स्थान है। तमिलनाडु राज्य इस राष्ट्र का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है।

इस व्यवसाय में 10 लाख से अधिक किसान तथा लगभग 1 करोड़ मजदूर लगे हुए हैं। दो अनुसंधान केन्द्र : एक मेरे जिले तंजावुर के वीपान्कुलम में और दूसरा कोयम्बटूर जिले में अलियार नगर में है, नारियल की 53 विदेशी तथा 43 स्वदेशी किस्मों की देखरेख करते हैं; परंतु न तो इस देश के अनुसंधान केन्द्र और न ही वैज्ञानिक माइक्रोबियल रोग का निदान कर सके और न ही कोई दवा खोज सके

पांच छः वर्षों से अधिक से, एक विशेष 'माइक्रोबियल' बीमारी तमिलनाडु में फैली हुई है। इसलिए उपज कम हो गई है। नारियल की उपज ठीक नहीं है इसके बावजूद जहां तक उत्पादकता का सवाल है तमिलनाडु का पहला स्थान है।

महोदया स्पष्ट कहूं तो मैं एक उपमहानिदेशक, हार्टिकल्चर आई.स.एआर, श्री एच.पी. सिंह का नाम ले सकता हूं जो 21वें आल इंडिया को आर्डिनेटिड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पाल्मस (ए.आई.सी.आर.पी.वी) में शामिल हुए थे, ने कहा है कि यह रोग कभी समाप्त नहीं होगा। मैं दिनांक 12.7.2012 के टाइम्स ऑफ इंडिया से उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा

"हमने पीलापन नोट किया है जो कि तमिलनाडु में नारियल और पाल्म के पेड़ो का एक गंभीर रोग है। जीवाणु संक्रमण के लिए हमारे पास कोई पूरा इलाज नहीं है। यह वैश्विक है और कैन्सर के समान है"

वह हार्टिकल्चर के प्रभारी ने कहा है। किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वे नहीं जानते कि इस व्यवसाय को किस प्रकार चलाएं वैज्ञानिकों ने या भारत सरकार ने अभी तक उपचार करने वाली दवाओं की पहचान नहीं की है। इस रोग की कोई दवा नहीं है। पानी नही है क्योंकि बरसात नहीं हुई। भूमिगत जल को भी नही निकाला जा सकता क्योंकि बिजली नहीं होती, विद्युत उपलब्ध ही नहीं है। किसानों को 17 घंटे से अधिक बिजली कटौती की जाती है। किसान पानी की कमी तथा कीटनाशकों और उर्वरकों के उच्च मूल्यों के कारण अनेक कठिनाइयां झेलते हैं। तमिलनाडु पानी की कमी वाला राज्य है। अधिकार की बात करें तो हमें मुल्लापेरियार बांध तथा कृष्ण राजा सागर दोनों ही बांधों से पानी मिलना चाहिए। हमें पानी नहीं मिलता जिसका कारण तो उन राज्यों के मेरे मित्र ही बेहतर बता सकते हैं। न पानी है, न बरसात, न बिजली और न कीटनाशक। कीटनाशकों और उर्वरकों के दाम रॉकेट की गति से बढ़ रहे हैं। हमें न तो प्रकृति से और न ही भारत सरकार से उपयुक्त सहायता मिल पा रही है।

मैं इस प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याओं की ओर भी इंगित करना चाहूंगा। भारत सरकार की नीति से किसानों को सहायता नहीं मिल पा रही है। पहले तो सरकार ने कच्चा पाम तेल शून्य प्रतिशत शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी है। उस पर वे राजसहायता भी दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कच्चे पाम तेल पर राजसहायता देने के स्थान पर यह राजसहायता नारियल तेल पर दी जा सकती है। यह राज्य सरकार की सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से वितरित की जा सकती है। अभी भारत सरकार, कच्चे पाम तेल पर जो राजसहायता दे रही है वही राजसहायता उसे नारियल तेल पर पीडीएस के माध्यम से देनी चाहिए।

पाम तेल के आयात में क्या हो रहा है? नवम्बर 2011 से मई 2012 तक आयातित पाम तेल की मात्रा 10,84033 टन थी जबकि इसी अवधि में नवम्बर 2010 से मई 2011 तक यह मात्रा केवल 5,51,327 टन थी। उपभोक्ता 97% अधिक कैसे उपभोग कर सकते है? इतना ही नहीं, एक समय विशेष पर पिछले वर्ष से 82% से अधिक पाम गिरी तेल का उपयोग किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में किस तरह पाम गिरी तेल के प्रयोग में 82 प्रतिशत की वृद्धि हो गई और किस तरह भारतीय पिछले वर्ष की तुलना में 97% अधिक पाम तेल का उपभोग कर सकते हैं? मेरा विचार है कि भारत सरकार आगे आए और देखे कि कच्चे तेल, पाम तेल और पाम गिरी तेल के आयात में क्या हो रहा है।

महोदया, दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने नारियल तेल केक (खली) की फिलीपीन्स तथा श्रीलंका से आयात की अनुमति दी है यहां क्या हो रहा है? उक्त खली, तेल निष्कर्षित केक नहीं है। वे पशुओं को खिलाने के लिए खली आयात कर रहे

हैं। इस खली में से तेल पूरी तरह निकाला नही गया होता है वे सीधे खली (तेल केक) यहां लाते है। वे नारियल तेल निकालते है और भारतीयों को इस सस्ते दाम पर बेचते है। हमारे लोग उनके साथ प्रतिस्पर्धा नही कर सकते। यहीं कारण है कि नारियल उत्पाद तथा नारियल बाजार में उपयुक्त मूल्य पर नहीं बेचे जा सके।

महोदया, तीसरी बात यह कि नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपए प्रति किग्रा. तय किया गया है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बिलकुल पर्याप्त नहीं है समय की कमी के कारण मैं हर बात विस्तार से समझा नहीं सकता। 51 रुपए का यह न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही कम है। जब मैं माननीय मंत्री जी से मिला तब वह केवल कोस रहे थे "मैं नहीं जानता कि इस मामले से कैसे निपटा जाए', यही उन्होंने बताया। परंतु नारियल कृषकों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शीघ्रता से हल किया जाना होगा। जब तक कि भारत सरकार इसे बढ़ा कर 75 रुपए प्रतिकिलो नहीं करती किसानों के पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नही होगा।

जो खोपरा उत्पादन कर रहे हैं, उनके पास अवसंरचना है परंतु साथ ही, जिन लोगों के पास अवसंरचना नहीं है वे बुरी तरह असफल हो रहे हैं। भारत सरकार ने केवल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बताया है। छिले हुए नारियल या नारियल के लिए नहीं। साधारण किसान जिसके पास एक या दो एकड़ भूमि है, कहां जाए? उसके पास निवेश का अवसर ही कहां है? वह पहले से ही नुकसान उठा चुका है। भारत सरकार इस दिशा में सही तरीके से सोचे। नारियल विकास बोर्ड है परंतु वे कुछ नहीं कर रहे। वे अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे सके। नारियल कृषकों की समस्या लगातार बनी हुई है। उनसे तो अस्पृश्यों की तरह व्यवहार किया जाता है। अतः भारत सरकार पहले करे तथा देखे कि इस समस्या को पूर्णतया सुलझाया जाए।

महोदया उस दिन माननीय कृषि मंत्री मुझे बता रहे थे;

"मेरे पास नारियल भंडारण करने का या नेफेड के माध्यम से इसे बाजार से खरीदने का अवसर कहां है?" वह धान खरीद रहे है, वह गेहूं खरीद रहे हैं वह हर चीज़ का भंडारण कर रहे है पर वह नारियल नहीं खरीद सके। यहां क्या हो रहा है? वह कह रहे हैं कि जगह नहीं है।

हमें स्थान या किसी अन्य चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हमें समस्याओं का उचित हल चाहिए अन्य या नारियल उगाने वालो को कृषि का अपना व्यवसाय ही बदलना पड़ेगा। फिर वे श्रीलंका और फिलिपिंस से ही आयात करेंगे। अतः इस मामले का उपयुक्त हल होना चाहिए। उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा: "हम खरीद केन्द्र खेलेंगे और उन्हें 17 से बढ़ाकर 34 करेंगे। अभी तक उन्होंने यह काम नहीं किया है उन्होंने कहा है कि वह फील्ड अधिकारियों की संख्या यथासंभव बढ़ाएंगे। शायद उन्होंने माननीय वित्त मंत्री को इस संबंध में लिखा भी होगा मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है उन्होंने यह भी कहा है कि वह आदेश देंगे कि 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए।

अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 51 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 75 रुपए किया जाना चाहिए। यह अभी नहीं हुआ है। मंत्री जी ने इसका वायदा नही किया है। सभी 400 लोग जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया उन्होंने मंत्री जी से पुरजोर अपील की और मैं भी अपने मित्र माननीय मंत्रीजी से केवल अनुरोध कर सकता हूं कि ऐसा जल्द से जल्द होना चाहिए। अन्यथा भारत सरकार तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं की जिम्मेदार होगी।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : महोदया मैं श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्ष मामले से स्वयं को संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री जोस के. मणि (कोयट्टम) : महोदया मैं भी श्री टी. आर. बालू द्वारा उठाये गये इस मामले से स्वयं को संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : महोदया मैं भी इस मामले पर श्री टी.आर. बालू से स्वयं को संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जी हां, ठीक है

सर्वश्री कमल किशोर "कमांडो", के.पी. धनपालन, एम.के. राघवन, आर. ध्रुवनारायण, पूनम प्रभाकर, शिवराम गौड़, एस. एस. रामासुब्बू और पी.एल पुनिया भी इस मामले से संबद्ध हो रहे हैं।

अब माननीय मंत्री जी।

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्त: माननीय अध्यक्ष महोदया, बालू साहब ने जो नारियल उत्पादकों की चिन्ता व्यक्त की है, हम सब उस चिन्ता से परिचित हैं। माननीय बालू जी और उनके साथियों ने अनेक बार हमारे कृषि मंत्री जी एवं अन्य मंत्रियों को इस बारे में अवगत कराया है। मैं ऐसा समझता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य, जो कोकोनट स्टेट से आता है, जहां कोकोनट ज्यादा पैदा हो रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि हमारे देश के 18 राज्यों में कोकोनट का उत्पादन होता है। उसमें से अगर 90 प्रतिशत कोकोनट की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि से आता है। यहां की चिन्ताओं के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आपके सामने बातें कही हैं, यह बात सही है कि 26.10.2012 को हमारे कृषि मंत्री जी चेन्नई गए थे। उसमें हमारे बालू साहब भी थे और नैफेड तथा कोकोनट बोर्ड के कुछ सदस्य भी थे। वहां अनेक स्थानों से फार्मर्स आए थे। कोयम्बटूर, तिरुपुर, थंजावुर तैनी, कन्याकुमारी, वेल्लूर, दिंदिगुल, शिवगंगा आदि से जैसा कि इन्होंने बताया। इस तरह से जो अनेक प्रभावित फार्मर्स हैं, वे सब लोग वहां उनसे मिले थे। उनके सामने बैठक हुई थी और कुछ बातों पर विचार हुआ था। वहां कुछ मुद्दे तय किए गए थे कि हमें भविष्य में क्या करना है। सबसे पहला विचार यह आया था कि और अधिक खोपरा खरीद केन्द्र खोले जाएं। इसकी बात वहां के लोगों ने की थी कि ज्यादा प्रक्योरमेंट सेंटर्स की बात हो। प्रोक्टयोरमेंट सेंटर खोलने की टैनफेड और नैफेड को जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे बताया गया है कि अब तक तीन और प्रोक्योरमेंट सेंटर नैफेड के द्वारा स्वीकृत हो गए हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूं - एक तो अंलगुडी, पुदुकोट्टई जिले में है, दूसरा थिरुपुवानम्, शिवगंगा जिले में है और तीसरा वझापाड़ी, सलेम जिले में है। इन तीनों की बात हो गई थी, अन्य और स्थानों पर खोलने पर भी विचार चल रहा है। यह बात भी हुई थी कि जिस प्रकार पर नैफेड खरीदती है, उसका जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाए। मुझे यह बताया गया है और यह सत्य भी है कि अब तक कोशिश यह की जा रही है कि उन किसानों को 24 घंटे के अंदर उनका दाम मिल रहा है। मैं बालू जी से कहूंगा कि वे इसका परीक्षण कर लें। अगर इस दिशा में कुछ तकलीफ हो रही हो तो फिर से कृषि विभाग द्वारा आदेश दे दिए जाएंगे। कोकोनट प्रोसेसिंग के लिए और टैंडर कोकोनट वाटर परचेजिंग की बात वहां आई थी। वहां यह तय हुआ था कि आने वाले समय में और यूनिट्स यहां खोले जाएंगे। बालू साहब को यह मालूम ही होगा कि आज की तारीख में वहां इस तरह के 55 सेंटर्स काम कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में इसको बढ़ाने की बात चल रही है। यह चर्चा दो महीने पहले की है और इस प्रक्रिया में दो-चार एवं छः महीने का समय लगता है, यह प्रक्रिया जारी है। इनकी चिन्ता पर भी बात हुई थी। कोकोनट ऑयल को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इन्होंने वितरण करने की बात कही है। ये बात तमिलनाडु सरकार के माध्यम से संभव होगी कि किस तरह से हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहां कोकोनट ऑयल दे सकते हैं। इस बारे में भी केन्द्र सरकार ने अपने हिसाब से वहां निर्देश दे दिए हैं और तमिलनाडु सरकार के साथ बात चल रही है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने सब्सिडी बढ़ाने की बात कही थी। अभी तक कृषि विभाग ने 25 परसेंट की सब्सिडी निर्धारित की है, मगर सब्सिडी को और बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि हमें वित्त विभाग की भी अनुमति चाहिए और प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी चर्चा करनी पड़ेगी। वह चर्चा भी अभी जारी है, जिसके बारे में निकट भविष्य में हम आपको बताएंगे। 12वीं योजना में इस तरह की बात चल रही थी और शायद हम इसमें सफलता पा सकेंगे।

कोकोनट सोसाइटीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि बेहतर ढंग से उसका वितरण हो सके और कम से कम एक हजार टेंडर कोकोनट आउटलेट हर एक पर्यटन स्थल पर खोले जाएं, ताकि किसानों को उसका उचित दाम मिल सके। ऐसी चर्चा वहां की गयी थी और इस दिशा में भी कार्रवाई जारी है। लगभग इन सभी बातों पर वहां जिक्र हुआ था, जिसमें बालू साहब उपस्थित थे। उन सभी बातों पर जहां-जहां निर्देश दिए जा सकते थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उपयुक्त मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए क्योंकि राज्यमंत्री इस मामले पर उत्तर नहीं दे सकते। वह केवल अपने वरिष्ठ मंत्री द्वारा उन्हें लिखित में दिया गया उत्तर पढ़ रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या, नारियल उगाने वालों से छिला हुआ नारियल खरीदा जाएगा या नहीं...*(व्यवधान)* अन्यथा, किसी

बात को कोई अर्थ नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर संबंधित केन्द्रीय मंत्री को ही उत्तर देना चाहिए। राज्य मंत्री की निर्णय लेने में कोई मर्जी नहीं चलती। वह मामले पर निर्णय नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदया : उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री टी.आर. बालू : इससे नारियल उगाने वालों के प्रति भारत सरकार की लापरवाहीपूर्ण प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। यह उचित नहीं है महोदया मैं सहमत नहीं हूं। यह मामला पुन: उठाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. चरणदास महंत : अध्यक्ष महोदया, मैं इनकी पूरी बातों का जवाब दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : मैं उनको नहीं सुनूंगा, हम वाकआउट कर **रहे हैं** महोदया।

अपराह्न 12.27 बजे

इस समय श्री टी.आर.बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

डॉ. चरण दास महन्त : यह क्या है, महोदया? यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं इनकी पूरी बातों का जवाब दे रहा हूं। इस तरह से गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप अपना जवाब पूरा करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदया : मैं जानती हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्त: महोदया, बालू जी ने एमएसपी की बात कही कि इसमें पिछले वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में 3,660 रुपए मिलिंग खोपरा का एमएसपी निर्धारित हुआ था, जो वर्ष 2012 में बढ़कर 5,100 रुपए हो गया है। इसमें लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष महोदया, बॉल खोपरा की वर्ष 2008 में 3,910 रुपए एमएसपी थी, इसमें 36.90 यानी लगभग 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पानी वाले छिलका रहित पके नारियल का दाम 988 रुपए था, यह बढ़कर 1,400 रुपए हो गया है, इसमें लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि है। उनका कहना है कि कोकोनट की एमएसपी में वृद्धि नहीं हुई है, यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर संबोधित करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप अध्यक्ष पीठ को संबंधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड) : केरल में बिना छिलका उतारे नारियल की खरीद नैफेड (एन.ए.एफ.इ.डी) द्वारा की जाती है जबकि तमिलनाडु में ऐसे नारियल की खरीद नहीं की जाती है। सरकार को किसानों से बिना छिलका उतारे नारियल की खरीद करने की व्यवस्था करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: उनको जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री को अपना जवाब देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्त: आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, हम सभी सदस्यों को ज्ञात ही है कि एमएसपी एक कमीशन निर्धारित करती है जो कृषि विभाग के माध्यम से कैबिनेट तक जाता है और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही एमएसपी आती है। जहां तक कोकोनट के एमएसपी की बात है, यह लगभग जनवरी में डिसाइड की जाती है। अभी तो, दिसम्बर शुरू हुआ है और जनवरी आने वाला है। सरकार सोच रही है कि आने वाले समय में किसानों की आवश्यकतानुसार एमएसपी का निर्धारण किया जाएगा। हम को विश्वास है कि किसानों की चिंता हमें ज्यादा है बनिस्पत उनके मैं ऐसा कह सकता हूं।

जहां तक उन्होंने पामोलिन आयल की बात कही है जो हमारी कठिनाई है, आप सब जानते हैं कि लगभग 40 प्रतिशत एडीबल ऑइल आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और इसके लिए क्रूड ऑइल भी कर रहे हैं, रिफाइन ऑइल भी कर रहे हैं। देश में कोशिश यह की जा रही है कि हमारे यहां किसी तरह से तिलहन का क्षेत्र बढ़े। हम खुद अपने देश में तिलहन पैदा कर सकें, ऑइल पैदा कर सकें ताकि हमें इस तरह की इम्पोर्ट करने की जरूरत न पड़े। हम समय-समय पर यह परेशानियां भी झेलते हैं और अपने क्षेत्र के किसानों को, देश के किसानों को इस दिशा में हम बढ़ा रहे हैं। बाहर से पामोलिन ऑइल आ जाता है और यहां के लोगों का कोकोनट ऑइल पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं जा रहा है, यह भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में आप सब जानते होंगे, मुझे कुछ कहना नहीं है। कुछ साल पूर्व कोकोनट ऑइल को केरल से बाहर भेजने की बात हुई है और अभी अन्य पोर्ट से भी भेजने की बात चल रही है, इसमें कैबिनेट और कृषि विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है कि कहां-कहां से हमें एक्सपोर्ट का आर्डर देना है। जब इस तरह से निर्णय हो जाएंगे तो कहां हमें इस ऑइल को एक्सपोर्ट करना है उसकी भी बात पूरी हो जाएगी।

उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि नारियल के जो पेड़ हैं, आजकल उनके रूट पर बिल्ट नाम की एक बीमारी हो रही है। इस बीमारी की जानकारी आईसीएआर को हो चुकी है। इसमें परीक्षण चल रहा है। यह गंभीर बीमारी है। जिस तरह से आज कल मनुष्य में कैंसर हो जाता है, उसके इलाज की कोशिश हो रही है, उसी तरह इस गंभीर बीमारी की भी इलाज की बातें चल रही हैं।

मैं सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि देश में नारियल की तीन तरह की वेरायटिज पाई जाती हैं। एक टॉल वेरायटी जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल की होती है। दूसरी, ड्वार्फ वेरायटी जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। इसकी हाइब्रिड वेरायटी भी नई आ गई है जो लगभग 30 साल तक फल देती है। किसी भी नारियल के पेड़ से छ: साल बाद ही हम उसका फल पा लेते हैं बाकी कोई 5 साल में फल देता है तो कोई 6 साल में फल देता है। इस तरह की जो कठिनाइयां हैं उन पर भी विचार चल रहा है कि फ्रूटिंग कैसे हो, फाउलिंग कैसे हो, उनके क्रास पॉलिनेशन का जो प्रॉब्लम हाइब्रिड में आता है उसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं?

मैं जहां तक समझता हूं सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से हमारे यहां के जो किसान हैं चाहे वे नारियल के किसान हों, धान के किसान हों या अन्य फल-फूल के किसान हों, उन्हें कोई कठिनाई न हो। उनकी कठिनाइयों का सतत नियंत्रण किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्णय भी किया जा रहा है।

यह मेरा निवेदन है। जिस तरह से बालू जी ने अपना रोष यहां प्रकट किया है, मैं नहीं समझता हूं कि सरकार जो कर रही है, वह रोष प्रकट करने लायक है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और जो भी समस्याएं हैं, आदरणीय पवार जी आप से अनुमति ले कर गए हैं, जब भी वह आएं, गंभीरतापूर्वक उनके साथ बैठ जाएं। पवार साहब उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी लोग बात करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी लोग बात करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की किसानों की समस्या है उसको पूरी तरह से हल किया जायेगा।

अपराह्न 12.34 बजे

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2012*

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सचिन पायलट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.35 बजे

(दो) राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या II - श्री सुशील कुमार शिंदे

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल (उपलब्धियां और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम 'शून्यकाल' की चर्चा करेंगे। श्री रवनीत सिंह बिट्टू।

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब) : महोदया, मैं यहीं से बोलना चाहता हूं। *[हिन्दी]* ...*(व्यवधान)* मैं मैडम से परमिशन मांग रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपको अपनी सीट पर वापस जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह: मैडम, मैं आपका ध्यान पंजाब की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों पंजाब की पुलिस, पंजाब के पुलिस स्टेशन का जो सियासीकरण हुआ ...*(व्यवधान)* सारे पुलिस स्टेशन एमएलए को दिए जा चुके हैं। ...*(व्यवधान)* सबसे पहले पंजाब के जलंधर शहर में गोली चली। उसके बाद श्रुति कांड हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया फोटो मत दिखाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रवनीत सिंह: जिस पुलिस ने पंजाब से टेरेरिज़्म को भगाया, वे पुलिस वाले भी पंजाब में अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* पुलिस का एक इंस्पैक्टर अपनी लड़की को सरेआम बाजार में बचाने के लिए गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ रवनीत सिंह जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)***

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 10.12.2012 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रवनीत सिंह: जो रिवेन्यू मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके यूथ्स के लीडर* के लोगों ने सरेआम इंस्पैक्टर को गोली मार दी। ...*(व्यवधान)* उन्होंने सरेआम बाजार में गोली मार दी। आज पंजाब की एमपी श्रीमती हरसिमरत कौर अपने आपको नन्ही शाह की बात बताती है, लड़कियों को बचाने की बात करती है, उन्हीं बहनों को आज सरेआम बाजारों में मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा गलत बात कोई और नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बैठ जाइए। आप सभी...(व्यवधान)* आपने पूरे पंजाब को नष्ट कर दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री रवनीत सिंह : *हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। वे अपने घरों से बाहर सुरक्षित नहीं जा सकती हैं, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है और उनका पीछा किया जाता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रवनीत सिंह: आज पुलिस स्टेशन को* का अड्डा बना दिया गया है। वहां कानून की कोई बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* सारे पुलिस ऑफिसर्स के लीडर के दबाव में नशा बेचा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। नाम मत लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रवनीत सिंह: आज वहां कोई भी लड़की बाहर नहीं निकल सकती। इन्होंने पंजाब के ऐसे हालात बन दिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे मांग करता हूं कि पंजाब में पुलिस रिफॉर्म की बात की जाए, पंजाब को बचाया जाए। केन्द्र सरकार वहां इंटरफियर करे, नहीं तो पंजाब में गवर्नर रूल लगाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। आप अपना सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री रेवती रमण सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ रेवती रमण सिंह जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह: अध्यक्ष महोदया जी, पहले इन लोगों को चुप करवाइए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सब चुप हो गए हैं। अब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह: हम ऐसे कैसे बोलें। आप पहले हाउस को आर्डर में कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए, वे बैठ जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

***मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के** इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.40 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

देश में और अधिक संख्या में धान प्रापण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद)**:** माननीय अध्यक्षा जी, आज मैं सदन में जो समस्या उठाने जा रहा हूं ...*(व्यवधान)* यह अत्यंत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* यह मामला लगभग 35 करोड़ आबादी से जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)* मान्यवर, ऐसे तो नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हो गया। आप सब अब इस विषय पर आ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बाजवा जी, आपस में क्या हो रहा है? आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हम दूसरे विषय पर आ गये हैं, इसलिए आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह: माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने सदन में उठाने का मौका दिया। लेकिन मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप सदन में खाद्य मंत्री को बुला लें, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी ने कुछ दिन पहले धान खरीद के बारे में एक सवाल उठाया था। उस समय खाद्य मंत्री ने कहा था कि हम एक टीम को यहां से भेज रहे हैं। हमारा कहना है कि टीम को भेजने से मामले का हल नहीं निकलेगा। उसका हल मंत्रालय से निकलेगा। भारत सरकार एमएसपी यानी समर्थन मूल्य घोषित करती है। समर्थन मूल्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं है, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा है। लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार यह घोषित करती है कि किसानों की कुछ मदद की जाये, जिससे उनकी उपज बिचौलिये न खरीद पायें। लेकिन समस्या क्या है और उसका निदान क्या है? खाली उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा धान, चावल पैदा करता है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि सबको जोड़ लिया जाये, तो लगभग 40 करोड़ आबादी इससे प्रभावित हो रही है। हमें मालूम नहीं लेकिन दूसरे प्रदेशों की भी आबादी इससे प्रभावित हो रही होगी। यह समस्या क्या है? माननीय मंत्री जी ने उस दिन मुलायम सिंह के जवाब में एक ऐसा मजाक किया कि हम यहां से एक टीम भेज रहे हैं। टीम क्या करेगी? उस समस्या का निदान यहां मंत्रालय से होना है। यह समस्या एफसीआई से संबंधित है। एफसीआई किसानों का खुले रूप से शोषण कर रही है। भारत सरकार ने एक हाईब्रिड वैरायटी निकाली जिसमें पानी कम लगता है और उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन उसमें टूटन ज्यादा होती है। इन्होंने कहा कि हाईब्रिड में रिकवरी 67 फीसदी आनी चाहिए जबकि हाईब्रिड में रिकवरी 62 से 64 फीसदी तक होती है। इससे ज्यादा उससे रिकवरी नहीं हो सकती। वह धान, चावल यह नहीं खरीदेंगे।

दूसरा, एफसीआई ने यह किया कि अगर चावल में 4 प्रतिशत से ज्यादा टूटन होगी तो वह चावल हम नहीं खरीदेंगे।

मान्यवर, मैं समस्या बता रहा हूं। जब तक मंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे तब तक यह निरर्थक हो जायेगा। आज ही धान मंडियों में आया है, लेकिन उसकी खरीद कहीं नहीं हो रही। मैं बाकी दूसरे प्रदेशों की बात नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार ...*(व्यवधान)* एफसीआई उसे खरीदे, न खरीदे, लेकिन उसमें जो रोड़ा अटकाने काम कर रही है, वह बहुत गंभीर है। उसी के साथ-साथ अगर चावल की टूटन 4 प्रतिशत हुई, तो यह नहीं खरीदेंगे, जबकि हाईब्रिड की टूटन 3 प्रतिशत हो, तो उन्हें खरीदना चाहिए। हमारा कहना है कि वह यह प्रचलन बंद कर दे। आज हम किसानों की वजह से पूरी दुनिया से आयात नहीं कर रहे। हम अमेरिका से गेहूं नहीं मंगा रहे, आस्ट्रेलिया से गेहूं नहीं मंगा रहे, लेकिन हमारे किसानों को तो सही रेट मिले, लेकिन वे रेट्स भी देने को तैयार नहीं हैं। खाली घोषणा करने से कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, उसी के साथ एक समस्या परिवहन व्यय की है। इन्होंने परिवहन व्यय दस रुपये रखा है लेकिन आज महंगाई और डीजल के रेट में वृद्धि की वजह से व्यय ज्यादा आता है। मिलर उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। जब इनके गोदामों में माल

[श्री रेवती रमण सिंह]

जाता है, तो कई दिन तक लाइन लगानी पड़ती है। तीन-चार दिन में वह माल उतर पाता है। इस तरह कौन दस रुपये में ढुलाई करेगा? यह एक गंभीर समस्या है।

मान्यवर, इनके पास स्टॉक नहीं है। टेक्नीकल स्टॉफ भी नहीं है और न ही खरीद करने वाला स्टॉफ है। जितने क्रय केंद्र खुलने चाहिए, उतने क्रय केंद्र भी नहीं खोले जा सकते हैं। ये सब बहुत गंभीर समस्याएं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपनी बात कह दें, माननीय सदस्य अपनी बात कह दें, तो उसका क्या मतलब होगा अगर इसका निदान न हो। इसका एक ही चारा है, अभी इस सदन का सत्र एक हफ्ते है, अगर आपकी अनुज्ञा हो, तो जो समस्या है, वह मैं आपको लिखकर भी भेज सकता हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार से यह कहें कि इसका निदान तत्काल करवाएं। अगर धान नहीं खरीदा जाएगा, तो बिचौलिए औने-पौने दाम पर खरीद लेंगे और किसान को घाटा होगा, क्योंकि आज केमिकल खाद का दाम इतना बढ़ गया है कि किसान को पड़ता नहीं होता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस गंभीर समस्या पर आपका हस्तक्षेप बहुत जरूरी है और थॉमस जी को बुलवाकर इस पर जवाब दिलवा दीजिए। मंत्री जी अभी आए थे, लेकिन फिर वापस चले गए। इस पर आप सरकार को कुछ निर्देश दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री गणेश सिंह, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री पी.के. बिजू स्वयं को श्री रेवती रमण सिंह जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी)**:** सरकार की तरफ से इस पर जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: शून्यकाल में निर्देश देने का सवाल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। *

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत ही गंभीर मामला है। किसानों व धान उत्पादकों की दुर्दशा को लेकर हम सभी चिंतित हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। मेरा सरकार से आग्रह है कि वे कृपया कर तत्काल कदम उठाए।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब हैं—श्री एम. आनंदन।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैंने भी सूचना दी है...*(व्यवधान)*

श्री एम. आनंदन (विलुपुरम) : महोदया, तमिलनाडु में विक्करावंदी मेरे संसदीय क्षेत्र विलुपुरम में है। विक्करावंदी एक विशेष दर्जे की पंचायत है। यह विलुपुरम जिले में विशेष दर्जे की तीन पंचायतों में से एक है। अकेले विक्करावंदी की कुल आबादी 15,000 है। इसके इर्द-गिर्द 59 गांव हैं जो अपने हर काम के लिए पूरी तरह से विक्करावंदी पर निर्भर हैं। वहां 21 आधुनिक चावल मिलें, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई, सरकारी कार्यालय आदि है। विक्करावंदी एक उभरता हुआ औद्योगिक शहर है। यह चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट बसा हुआ है।

अभी वहां केवल एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक है जो इस शहर के लोगों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही, इस शहर और इसके इर्द-गिर्द के गांवों के किसान. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, आपने मुझसे अनुरोध किया है कि आप तमिल में बोलेंगे। इसलिए, मैंने एक भाषान्तरकार **की**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था की है। अब आपने अंग्रेजी में बोलना पसंद किया है। यह आपकी पसंद है, पर आपको तमिल में बोलते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता है।

श्री एम. आनंदन : जी हां, महोदया मैं तमिल में बोल रहा हूं।

*विक्करावंदी मेरे संसदीय क्षेत्र में है। यह हमारे संसदीय क्षेत्र की तीन विशेष दर्जे की पंचायतों में से एक है। वहां कई इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज हैं। विक्करावंदी में कई लघु उद्योग, लॉरी निर्माण कंपनियां, लौट अयस्क उद्योग, आधुनिक चावल मिलें और औद्योगिक घराने स्थित हैं। यह एक उभरता हुआ औद्योगिक शहर है। विक्करावंदी में 15,000 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। यह 59 गांवों से घिरा हुआ है। ग्रामीणों को अपनी आजीविका व जरूरत की अन्य चीजों के लिए विक्करावंदी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में वहां केवल एक बैंक है— इंडियन बैंक। यह लोगों की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीयकृत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा विक्करावंदी में खोले जाने की आवश्यकता है। यदि इस तरह की शाखा खोली जाती है तो इससे न केवल विक्करावंदी के लोगों को बल्कि इर्द-गिर्द के ग्रामीणों को भी फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों को, स्वसहायता समूहों को सहायता मुहैया कराने व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। विक्करावंदी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोले जाने से वहां के और इर्द-गिर्द के गांवों के लोगों की आजीविका का उत्थान होगा। पूर्व में रोटरी क्लब ने इस मामले में कुछ पहल की है।

मेरा अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे पर विचार किया जाए। महोदया मैं अपने संसदीय क्षेत्र में उलुन्धुरपेट तालुक के इलेवनसुर कोट्टाई तथा विलुपुरम के अतियुर थ्राइस में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं, खोलने के लिए वित्त मंत्री को पहले ही एक पत्र भेज चुका था। मैं अनुरोध करता हूं कि उन अनुरोधों पर भी विचार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री यशवंत सिन्हा श्री

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैंने सिर्फ इसी मुद्दे पर सूचना दी है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदया, आपने आज के दिन, जिसे हम विश्व भर में मानव अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

तिब्बत 60 वर्षों से अब तक चीनी शासन के अधीन रहा है। इन 60 वर्षों में चीनियों द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार का घोर उल्लघंन हुआ है।

महोदया, आप यह जानकर स्तब्ध रह जाएंगी कि अब तक 81 तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया हैं। इनमें पुरूष और महिला दोनों ही शामिल हैं। सबसे बुरी स्थिति यह है कि इस बारे में चीन प्रतिक्रिया और अत्यधिक कष्टकर रही है। इस वर्ष जनवरी से 66 तिब्बतियों ने तिब्बत में आत्मदाह किया है— आत्मदाह जो अपने प्राण-त्यागकर, स्वयं को जलाकर या अपने आपकों आग के हवाले कर खुद को दंडित करने का सबसे कठोर कदम हैं।

महोदया, यूएन मानवाधिकार उच्चायुक सुश्री नवी पिल्लै जो एक महिला हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ने 24 अक्टूबर, 2012 को यूएन जनरल असेम्बली को संबोधित करते हुए कहा था, ''वे अभिव्यक्ति, परस्पर मेल-मिलाप और धर्म की स्वतंत्रता के अपने मौलिक मानव अधिकारों का प्रयोग करने की मांग करने वाले तिब्बतियों के खिलाफ हिंसा के निरंतर आरोपों से व्यथित हैं।'' उन्होंने तिब्बतियों के बंधक बनाए जाने और उन्हें गुम किए जाने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अतिशय बल प्रयोग व तिब्बतियों के सांस्कृतिक अधिकारों में कटौती की रिपोर्टों का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, ''मैं तिब्बतियों की घोर हताशा व निराशा को जानती हूं जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह के कठोर कदम उठाए हैं, किन्तु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अन्य उपाय भी हैं। सरकार को भी इसे जानने व तिब्बतियों को बिना किसी भय या प्रतिकार के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करने की जरूरत है।''

महोदया, तिब्बती लोगों की चिन्ताएं क्या हैं? मैं बहुत ही संक्षेप में उनमें से कुछ का उल्लेख कर रही हूं। उनकी पहली चिन्ता है तिब्बतियों के खिलाफ सैन्य बल का अतिशय प्रयोग, दूसरी है धार्मिक प्रतिबंध और सांस्कृतिक दमन, विशेषकर चीनी सरकार का देशभक्ति शिक्षा अभियान, तीसरी है पार्टी नीति से अपनी अहसमति व्यक्त करने वाले तिब्बतियों की निरंतर गुमशुदगी और उन्हें बंधक बनाया जाना; चौथी है मीडिया और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के तिब्बत

[श्री यशवंत सिन्हा]

में प्रवेश पर प्रतिबंध; पांचवीं है तिब्बती खानाबदोशों की उनकी पैतृक जमीन से जबरन बेदखली; और छठी है तिब्बती पठार की नाजुक पारितंत्र की अवनति। यही सब चिन्ताएं हैं और महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का आह्वाहन करता हूं कि वह मौजूदा समय की तिब्बतियों के निरंतर दमन की इस त्रासदी पर गहरी चिन्ता व्यक्त करें और बीजिंग से तिब्बत पर शासन कर रहे। मैं चीनी नेतृत्व से भी यह आह्वान करता हूं कि वह तिब्बती लोगों की मनोव्यथा की सुने और यह सुनिश्चित करे कि तिब्बतियों व तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र को वे अधिकार दिए जाएं जो यूएन कॉन्वेंशन और साथ ही चीनी संविधान के तहत उन्हें विश्व में दिये गये हैं। महोदया यह एक अपील है मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से कर रहा हूं और इस संसद से मेरा आह्वान है कि वे तिब्बतियों के लिए आवाज उठाएं।

अध्यक्ष महोदया : श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री वीरेन्द्र कुमार को श्री यशवंत सिन्हा द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य जी, क्या आप अपने आपको इससे संबद्ध करना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : श्री यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा है मैं स्वयं को उससे संबद्ध नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : विषय-वस्तु क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : विषय है मानव अधिकार उल्लंघन। महोदया, आज अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। महोदया, हो सके तो आप को याद हो कि पिछले सत्र में मैंने अपने देश में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा शुरू की थी। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जम्मू और कश्मीर से आई हैं और वे जंतर-मंतर पर धरना दे रही हैं। पिछले कई वर्षों से जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है? मुस्लिम युवा सुरक्षाबलों द्वारा उठा लिए जा रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल में बंद किया जा रहा है। उन्हें वर्षों जेल में गुजरना पड़ता- पांच या छह वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में और उन्हें जेल में रखने के बाद फिर से उन्हें कई मामलों में आरोपी बनाया जाता है। यहां तक कि ऐसे मामले होते हैं जहां मां को भी नहीं बताया जाता कि उनके बच्चे कहां हैं। पत्नियों को भी नहीं बताया जाता कि उनके पति कहां हैं। यह और कुछ नहीं, बल्कि मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है जिसे सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू और कश्मीर में अंजाम दिया जा रहा है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को वापस लेने की मांग हो रही है। एएफएसपीए को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर व साथ ही मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस लेने का निर्णय नहीं किया है।

महोदया, मैं महाराष्ट्र में हाल ही में हुए घोर मानवाधिकार उल्लंघन की घटना का हवाला देना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के 35 युवक मुंबई गए थे। उन्हें किसी कंपनी की ओर से वहां मुंबई में किसी निर्माण कंपनी में काम करने के लिए ले जाया गया था। जब वे वहां गए तो दो दिनों के अंदर उन्हें बांग्लादेशी होने का अरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

आप पटल पर विषय के साथ संबद्ध होने के लिए अपने नाम की चिट भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : वे सभी मेरे संसदीय क्षेत्र से हैं। वे अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनमें से कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। उन्हें दो महीने से ज्यादा जेल में रखा गया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपका विषय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये, अब आपका वर्सन रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री राजय्या सिरिसिल्ला ही बोलेंगे। कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू और श्री नामा नागेश्वर राव को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) : महोदया, बोलने के लिए मुझे यह अवसर-प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद!

अपराह्न 01.00 बजे

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अनाथों के मामले में बोलने के लिए दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वे अनाथ बच्चों की दुर्दशा के बारे में बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : जैसाकि यह पुनीत सदन जानता है, अनाथों की जीवन दशा बहुत ही दयनीय है। जैसा कि हम जानते हैं, अनाथों की दो श्रेणी हैं। एक श्रेणी उन लोगों की है जो अपने मां-बाप को नहीं जानते हैं। यह 'नो पेटेन्ट' की श्रेणी में आता है। दूसरी श्रेणी है परित्यक्त परिवारों की जिनकी सीमाओं में वे गरीबी व सभी कारणों से बंधे होते हैं। यह 'सोशल ऑफेन्स' की श्रेणी में आता है। पहली श्रेणी असली अनाथ की है। यदि आप इस देश में अनाथों के आंकड़ों को देखते हैं, तो हम यह जानकर स्तब्ध रह जाते हैं कि हमारी आबादी की लगभग चार फीसदी आबादी अनाथ की श्रेणी में है। यह आंकड़ा यूनिसेफ (यूएनआईसीईएफ) और एसओ एस के सर्वे के मुताबिक है। यह आंकड़ा दिल्ली की आबादी से कहीं अधिक है। हम यह जानकर हतप्रभ हैं। हाल ही के सरकारी सर्वेक्षण में यह आंकड़ा लगभग चार से छह फीसदी है। लगभग 20 मिलियन आबादी अनाथ की श्रेणी में है। अबोध और अनभिज्ञ बच्चे दुःखी मन से हमारे मुल्क की ओर देख रहे हैं, हमारी सरकार व हमारे समाज की ओर देख रहे हैं। उनकी जाति क्या है? उनका धर्म क्या है? उनकी राष्ट्रीयता क्या है? उनके मां-बाप कौन है? उनकी जन्मतिथि क्या है? उनकी पहचान क्या है? हमारी आजादी के इतने वर्षों बाद इस मुल्क के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए इस विशेष वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें एकसमान अधिकार व एक जैसी पहचान देने के लिए इस तरह का विधान लाना देश और राज्य की महती आवश्यकता है। यह हर लिहाज से हमारी जरूरत है। बिना पहचान के उनके लिए स्कूल में भी जगह नहीं है, रेलगाड़ी में उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए, एक संस्थागत सुरक्षा के रूप में विधान लाना निहायत जरूरी है। इसके लिए हमें इस विषय पर सोचना ही होगा, चाहे हम इसे जाने या न जाने, हम इसे स्वीकार करे या न करें।

यह समाज एक सुदृढ़ जाति आधारित और वर्गीकृत समाज है। प्रत्येक जाति अभेद्द लोहे की दीवार की भांति है। यदि उन्हें शिक्षा दी जाएगी तो उन्हें किस जाति में शामिल किया जाना चाहिए। इसका स्पष्ट किये जाने की जरूरत है। इस सम्मानित सभा को इस पर विचार करना होगा। एक अलग श्रेणी अर्थात् 'नो कास्ट केटेगॅरि' सृजित करनी होगी। उनकी आबादी का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उनकी आबादी के अनुसार उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और समान अवसर दिया जाना चाहिए, जैसाकि भारतीय संविधान में 'नो कास्ट कैटेगॅरि' के तहत यह सुनिश्चित किया गया है और इसकी गारंटी दी गई है। उन्हें एक कार्ड जारी करने की जरूरत है। हम आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र और इसी प्रकार के कई अन्य कार्ड जारी कर रहे हैं। पर, इन लोगों के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं है। इस बात की जरूरत है कि इन बच्चों को 'जरूरतमंद बच्चों' के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाए। ये कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। उन्हें 'नीदडी चिल्ड्रेन कार्ड' नाम से एक कार्ड दिया जाना चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े। उन्हें समाज में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजय्या सिरिसिल्ला]

उचित पहचान मिले। बिना किसी दोष के, बिना किसी पहचान पत्र के समाज में उनकी उपेक्षा हो रही है। इसलिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से कोई विधान होना चाहिए। सरकार ने आईसीडीएस के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। साथ ही, यह जरूरत समुचित तरीके से पूरी नहीं की जा रही है। अतः मैं इस सम्मानित सभा से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इन बच्चों की गरिमा व पहचान को बनाए रखने के लिए एक योजना बनाने और इसके लिए एक समुचित विधान लाने पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री कमल किशोर **'कमांडो'** को इस विषय पर श्री राजय्या सिरिसिल्ला के साथ **संबद्ध** करने की अनुमति दी जाती है।

अपराह्न 1.05 **बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 **बजे**

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के **अधीन** मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन **मामलों** को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 **मिनट** के अंदर सभा पटल पर पर्ची रखे दें। केवल वही मामले **सभा** पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय के **भीतर** सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

---

*सभा पटल पर **रखे माने गए।**

(एक) हरियाणा में भिवानी और लोहारु के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु निधियां जारी किये जाने तथा राज्य के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में रेल सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : मैं सभा का ध्यान हरियाणा में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाने हेतु आकर्षित करना चाहूंगी:—

(क) वर्ष 2007 में भिवानी-लोहारु (हरियाणा) रेलवे लाइन हेतु सर्वेक्षण तीन बार किया गया था। इसके सर्वेक्षण को भी रेलवे बजट 2010-11 में स्वीकृति दे दी गई थी। अब इस लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों के निर्माण के लिए निधियां संस्वीकृत की जाएं। इस रेलवे लाइन से हरियाणा और राजस्थान के मध्य दूरी कम हो जाएगी।

(ख) निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से किसी एक का मार्ग बढ़ा कर भिवानी जंक्शन (हरियाणा) तक किया जाए ताकि भिवानी जिसे "मिनी काशी" भी कहा जाता है, के आम आदमियों के लिए रेल सुविधा उपलब्ध हो:—

(एक) हरिद्वार-दिल्ली सवारी गाड़ी सं. 331/332

(दो) ऋषिकेश-दिल्ली रेलगाड़ी सं. 371/372

(तीन) मसूरी एक्सप्रैस (14041/14042) जो दिल्ली से आनी बजाती **है।**

(ग) निम्नलिखित रेलगाड़ियों को कानिना खास, जिला महेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज प्रदान किया जाए ताकि इस शहरी नगर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की बड़ी संख्या द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(एक) दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर 12457-58 (अप-डाउन)

(दो) दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर 22471-72 (अप-डाउन)

(तीन) दिल्ली सराय रोहिल्ला से सादुलपुर 14705-06 (अप-डाउन)

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों के लोगों के हित में उपर्युक्त कार्यों को आरंभ किया जाए।

(दो) उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान के मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच और अधिक डिब्बों वाली यात्री गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद): उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर खंड के मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के 15 किलोमीटर के शहर को जोड़ने के लिए पहले मीटर गेज रेल लाइन थी। उसको अब ब्राडगेज में परिवर्तित कर दिया गया है। मीटर गेज के समय इस रूट पर कई डिब्बों की सवारी गाड़ी चलती थी लेकिन अब इस लाइन पर रेल बसें चला दी गई हैं जिससे सवारियों को भारी परेशानी होती है। कई बार धक्का-मुक्की के चलते महिलाओं और बच्चों को भारी असुविधा होती है। कई फौजदारी मुकदमें इन समस्याओं के चलते हो चुके हैं।

अत: सरकार से मेरी मांग है कि इस रूट पर अधिक डिब्बों वाली रेल या डीएमयू चलवाने की कृपा करें।

(तीन) तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : विश्वभर में मच्छरों की लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं। वे अनेक रोग फैलाते हैं जिनसे लाखों लोग हर वर्ष प्रभावित होते हैं। मच्छर एक मौन मारक है और मच्छर के काटने से होने वाले कुछ रोग घातक होते हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया येलोफीवर, एनसेफलाइटिस और विशेष रूप से डेंगू से पिछले कुछ वर्षों से भारत में बड़ी संख्या में मौतें होती रही हैं।

उष्णकटिबंधीय तथा उप-उष्णकटिबंधीय देशों में जन स्वास्थ्य की चिंता का मुख्य विषय बनता जा रहा है। यह इतना अधिक है कि विश्व की जनसंख्या के 40% से अधिक (लगभग 2.5 बिलियन) अधिकांशत: बच्चों को डेंगू से खतरा है। विश्वस्वास्थ्य संगठन का कहना है कि विश्वभर में 50-100 मिलियन संक्रमण प्रतिवर्ष होते हैं और भारत के इनपर लगभग 29.3 मिलियन डालर खर्च हो जाते हैं। तथापि, उनमें से अधिकांश के तो लक्षण भी प्रकट नहीं होते आयु सहित अनेक कारकों के आधार पर डेंगू अत्यधिक तीव्र रूप ले सकता है। डेंगू रक्त स्त्राव बुखार के मामले में मृत्यु दर बहुत अधिक है।

भारत में डेंगू के संक्रमण/मृत्यु दर के मामले पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो निम्नवत है:—

वर्ष 2009 में, यह 15535/96 था; वर्ष 2010 में 28292/10; वर्ष 2011 में 19000/180 था। इस वर्ष 5 नवम्बर तक, तमिलनाडु में सर्वाधिक मामले हुए हैं। नेशनल वैक्टर बोर्न डीज़ीज कन्ट्रोल प्रोविजनल डाटा के अनुसार, यह संख्या लगभग 8500 है। पश्चिम बंगाल 5700 मामलों से दूसरे स्थान पर है। 2007 तथा 2011 में भी तमिलनाडु में सर्वाधिक मामले थे। वर्ष 2012 में यहां डेंगू से से सर्वाधिक मौतें (54) दर्ज की गई। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है। यहां 11 नवम्बर 2012 तक 4 मौतों सहित 1427 मामलों की सूचना मिली है।

यह एक गंभीर मामला है और इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए। उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि डेंगू संक्रमित राज्यों विशेषत: तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में इस रोग के नियंत्रण तथा आम आदमी के जीवन की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सकीय तथा अन्य वित्तीय सहायता दी जाए।

(चार) नागपुर में एक नया कैंसर अस्पताल खोले जाने तथा वहां के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल को अतिरिक्त उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं एक चौकाने वाला सांख्यिकीय आंकड़ा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार नागपुर शहर की जनसंख्या में कैंसर की घटनाएं महाराष्ट्र राज्य में मुंबई, पुणे और औरंगाबाद की तुलना में बहुत अधिक हो रही हैं। वास्तव में, नागपुर में महिलाओं ब्रेस्ट कैंसर के तथा ईसोफेगस कैंसर के मामलों की संख्या का स्थान भारत में तीसरा दर्ज हुआ है और मुख कैंसर के मामलों में दूसरा है।

[श्री विलास मुत्तेमवार]

भौगोलिक रूप से मध्य में होने के कारण तथा अच्छे रेल संपर्क के कारण, सारे विदर्भ तथा आसपास के तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लोग, निदान और उपचार के लिए नागपुर आते हैं। इनमें से अधिकांश लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित होते हैं जो निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते।

नागपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल जिसमें रेडिएशन थेरेपी सुविधा सिंगल कोबाल्ट यूनिट और ब्रेकीथेरेपी के साथ प्रतिवर्ष 2000 नए कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है। सिंगल कोबाल्ट यूनिट मशीन का उपयोग इष्टतम क्षमता तक किया जा रहा है क्योंकि प्रतिदिन 80 मरीजों को रेडियोथेरी उपचार दिया जाता है, मरीजों की लंबी प्रतीक्षा सूची होती है जिन्हें कैन्सर के उपचार के लिए तीन माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो कैन्सर के उपचार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने अतिरिक्त उपकरण खरीदने के लिए 55 करोड़ रुपए की संस्वीकृति देने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार एक अन्य अस्पताल है राष्ट्रसंत टुकदोजी क्षेत्रीय कैन्सर अस्पताल जो कि कैन्सर रोगियों के उपचार हेतु कैन्सर रिलीफ सोसाइटी नागपुर द्वारा चलाया जा रहा है। उपलब्ध सुविधाओं के बावजूद दोनों अस्पताल कैन्सर रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे।

उपरोक्त के मद्देनजर, नागपुर में एक नया विश्वस्तरीय विशिष्ट रूप से कैन्सर अस्पताल स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कैन्सर रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या का उपचार किया जा सके। इसी दौरान मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, नागपुर को बड़ी संख्या में कैन्सर रोगियों के उपचार के लिए अतिरिक्त उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाए।

(पांच) पश्चिमी दिल्ली में तीन राजमार्गों को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेस हाइवे जिससे इस क्षेत्र के काफी लोगों के विस्थापन का खतरा है, मार्ग का बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली)**:** मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली में डी.डी.ए. द्वारा तीन नेशनल हाइवे को जोड़ने वाला 100 मीटर चौड़ा और करीब 35 कि.मी. लंबा एक्सप्रेस-वे बनाने की एक योजना है, इसकी स्वीकृति डी.डी.ए. ने जनवरी, 2004 में यहां पर खाली पड़ी भूमि बताकर माननीय उप-राज्यपाल से ली है, परंतु पिछले 15-16 साल में इस क्षेत्र में घनी आबादी बस चुकी है, यदि इस जगह पर यह एक्सप्रेस-वे बनता है तो नजफगढ़ के लगभग 30000 परिवार बेघर होते हैं। यहां पर अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत लगभग 11 रेगुलराइज्ड कॉलोनियां हैं जिनमें द्वारका विहार, रोशन गार्डन, संगम विहार, अमर विहार, इंदिरा पार्क, लक्ष्मी विहार इत्यादि कॉलोनियां हैं जिनमें हजारों परिवार हैं, मई, 2006 में मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई उपायुक्त की रिपोर्ट पर अमल किया जाए तो इन बसे हजारों परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, यह रिपोर्ट जनहित में काफी महत्वपूर्ण है। परंतु डी.डी.ए. इस डी.सी. रिपोर्ट पर अमल करता नहीं दिखाई दे रहा है। उसने आज तक अपनी योजना में कोई फेरबदल नहीं किया है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में यथाशीघ्र हस्तक्षेप करके व एक्सप्रेस-वे का पुन: सर्वे करके इसका निर्माण उस जगह पर किया जाए जहां पर वर्तमान में खाली भूमि पड़ी है जिससे नजफगढ़ के हजारों परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके।

(छह) आंध्र प्रदेश में जगतियाल और कोडाड के बीच दो लेन वाली सड़क को चार लेन वाली सड़क बनाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश में जगतियाल से कोडाड के मध्य सड़क सम्पर्क सुधारने 283 किमी की 4 लेन सड़क बिछाकर बंदर पोर्ट और तेलगांना जिलों के मध्य सड़क सम्पर्क को बढ़ाने की अत्याधिक आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि करीमनगर जिला उत्तरी तेलगांना में है और आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद, निज़ायाबाद, वारंगल, और खमाम जिलों के मध्य में है। उपलब्ध संसाधनों, जन शक्ति तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की देखते हुए, यहां औद्योगिकरण की बहुत संभावना है। और औद्योगिक कोरिडो या 'सेज' बनाने का संभावना है परन्तु पत्तन से बेहतर सम्पर्क की कमी के कारण, चीज़े मूर्त रूप नहीं ले पा रहीं। करीमनगर का निकटत्तम पत्तन बंदर पत्तन है। वर्तमान में उपलब्ध सड़क निज़ामाबाद से जगदलपुर राजमार्ग से जगतियाल

होकर गुजरती है। मार्ग में यह जगतियाल, कदीमनगर, वांरगल, खम्माम और कोडाड से गुजरता है फिर यह विजयवाड़ा हो कर बंदर पोर्ट से जुड़ता है। जगतियाल से कोडाड की सड़क 2 लेन है और शेष 4 लेन है अर्थात कुल 452 किमी. लम्बाई में से 283 किमी. दोहरी लेन है और पत्तन से बेहतर सम्पर्क हेतु इसे 4 लेन की सड़क में बदलने की आवश्यकता है। यह 283 किमी. लम्बाई की सड़क 4 समेकित कार्य योजना (आई.ए.पी.) नक्सल प्रभावित जिलों से गुजरती है। यह पिछड़े हुए संपूर्ण तेलंगाना क्षेत्र को पत्तन से बेहतर रूप से जोड़ने वाली सड़क होगी यह महबूबनगर को छोड़कर तेलंगाना के 8 जिलों अर्थात अदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, नालगोंडा, रंगादेड्डी और हैदराबाद में कम लागत की परियोजना तथा अनेक फायदों सहित बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगा। अत: मैं माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जगियाताल से कडाड तक 2 लेन सड़क को डिवाइडर वाली 4 लेन सड़क में बदलने के प्रस्ताव पर शीर्ष वरीयता आधार पर विचार करें ताकि युवाओं को बेहतर रोज़गार अवसर प्राप्त हों तथा तेलंगाना क्षेत्र में औद्योगिक वृद्धि में सुधार हो।

(सात) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरि माझी (गया): मैं केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गया बिहार की ओर दिलाना चाहता हूं। गया जिले के 225 ग्रामों का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम्य योजना के लिए चयन हुआ है। जिससे लोगों में भारी प्रसन्नता है। इस योजना से क्षेत्र के गांवों का विकास तेजी से हो सकेगा। लेकिन विकास की इन योजनाओं में अनियमितता हो रही है क्योंकि स्थानीय प्रशासन अपनी मर्जी से कार्य कोलकाता की बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे रही है। इस प्रकार से दूसरे राज्यों से आने वाली कंपनी से कार्य में अनियमितता होने की संभावना है। मेरा माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आदर्श योजना के लिए इन गांवों के विकास के कार्य स्थानीय एजेंसियों को दिया जाए और कार्य की निगरानी ठीक से किया जाए। सरकार के लक्ष्यपूर्ति और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाहरी कंपनियों के कार्यों से दिक्कत होने की संभावना है। इसलिए कार्यों के लिए स्थानीय स्तर के कार्यरत एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाए।

(आठ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 की पुनरीक्षा करने तथा उसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : जम्मू और कश्मीर के संविधान में उल्लिखित है कि यह भारत का अभिन्न अंग है हालांकि धारा 370 का प्रयोग कर राज्य को उसके निहित हितों से निरंतर वंचित किया जा रहा है। यह धारा एक अतिरिक्त विधायी तंत्र है जिसे गलत तरीके से अपनाया गया है और समय के साथ-साथ यह गैर-जरूरी हो गयी है। इस धारा ने राज्य को अनु.जा/अनु.जन. /अ.पि.व/महिलाओं की प्रतिष्ठा और सशक्तिकरण से संबंधित कार्यों से भागने की अनुमति दी है। राज्य ने जम्मू और कश्मीर में रह रहे कई नागारिकों को रिफ्युजी का स्टेटस प्रदान किया हुआ है। ऐसा करने से राज्य इन व्यक्तियों के कल्याण करने के दायित्व से पल्ला झाड़ती है। एक बराबरी का समाज स्थापित न करने की राज्य की स्पष्ट मंशा का जीता-जागता उदाहरण उसका अपना नागरिकता का कानून है जो कि भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना है। इस कानून के अनुसार, यदि कोई महिला किसी भी भारतीय जो जम्मू और कश्मीर का नागरिक नहीं हैं, से विवाह कर लेती है तो वह राज्य में संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती, जबकि एक पुरूष भारत के या विश्व के किसी भी भाग से विवाह कर सकता है और उसे अपने पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति न केवल मूल मानव अधिकारों का हनन है बल्कि यू.एन. सम्मेलन में भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित महिलाओं के खिलाफ हो रह हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने की मुहिम की भी अनदेखी है।

धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत से अलग रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अलगाववादियों की भावनाओं के भी हवा दी है इसलिए, यह धारा मोटे तौर पर राज्य और भारत को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है।

(नौ) रसायन मुक्त जैविक कृषि किए जाने तथा उसके इस्तेमाल की आवश्यकता

श्री शिवराम गौडा (कोप्पल) : जैविक नियंत्रण अन्य जीवित जीव-जंतुओं के प्रयोग द्वारा नाशक जीवों खत्म करने का एक

[श्री शिवराम गौडा]

तरीका है। इसमें कीड़े, माइट्स, वीड्स और पौधों के रोग शामिल हैं। जैविक नियंत्रण के रूप में एग्रोनोमिक पेस्ट्स के माइक्रोबियल पेथोजेन्स का इस्तेमाल करना 19वीं सदी से चला आ रहा है।

अध्ययनों के अनुसार, रासायनिक कीटनाशक मनुष्यों के लिए हानिकारक और विषैला होता है जबकि माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनस आदि हानिकारक और विषैले नहीं होते। लेकिन, इन्हें भारत में रासायनिक कीटनाशक के समूह के अंतर्गत रखा गया है। यह गलत समूह में रखा गया है इसलिए इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृषि संबंधी विश्वविद्यालयों, राज्य जैविक नियंत्रण प्रयोगशालाओं और आईसीएआर संस्थानों ने प्रकृति से कृषक अनुकूल माइक्रोबियल बायो एजेंटों की पहचान की है जैसे कि जड़ के नियंत्रण से और फोलियर पौधे के रोग से ट्राइकोडर्मा बार्जियनम और सूडोमोनस फ्लोरोसेंट्स, फसल नाशी जैसे सफेद ग्रब्स और कट वॉर्म्स के जैविक नियंत्रण के लिए बियुवेरिया बास्सियाना और मेटार्हिज़ियम एनिसोप्लिए, कपास बोलवॉर्म्स के नियंत्रण के लिए बासिलस थिरियंजिनियसिस और एनपीवी तथा पौध पैरासिटिक नेमाटोड्स के नियंत्रण के लिए पैसिलोमाइसेस लिलेसिनस।

यहां तक कि ये माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स मनुष्यों और पौधों के लिए भी सुरक्षित हैं, भारत में रासायनिक कीटनाशकों के रूप में इनकी गलत ग्रुपिंग की गई है। इससे उन लोगों को बहुत असुविधा हो रही है जो उत्पादन या निर्माण करना चाहते हैं। एक व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि इन माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स को रासायनिक कीटनाशकों की श्रेणी में न रखा जाए तो बेरोज़गार ग्रामीण युवा बड़ा उत्पादन हाथ में ले सकता है और उसे किसानों को बहुत ही सस्ती दर पर बेच सकता है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुधारात्मक उपायों द्वारा को सभी संभव प्रयास करे जिससे कि हमारे भारतीय किसान स्वत: रसायन मुक्त जैव कृषि का उत्पादन और प्रयोग कर सकें।

(दस) मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिये विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिला का भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पानी की उपलब्धता कम हो रही है। अधिकांश क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है जहां गरीबों की संख्या सर्वाधिक है। उनको पानी का प्रबंध करने में अत्यधिक धन खर्च करने पर भी शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा जल संरक्षण से संबंधी स्कीमों को लागू नहीं किया जा रहा है। अत्याधिक प्रदूषित जल पीने से असाध्य बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर रोग, खून संक्रमण रोग फैल रहे हैं।

अत: सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा (म.प्र.) में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध करावें। प्रदूषण रुकवाने एवं जल संरक्षण स्कीम को प्रोत्साहन देने हेतु उचित एवं त्वरित कदम उठायें।

(ग्यारह) देश में बैंक कर्मियों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आज देश में बैंक कर्मचारियों का अधिकतर भविष्य/आकर्षक वेतनमान के लिए सरकारी बैंकों की नौकरी छोड़कर प्राइवेट बैंकों में जा रहे हैं जबकि उस पर सरकार का काफी पैसा ट्रेनिंग पर खर्च होता है, इसको बैंक प्रबंधन को समझना चाहिए। अभी भी बैंकों में काफी अल्प वेतनमान है। इसलिए बढ़ती महंगाई और पारिवारिक खर्च के चलते सरकारी बैंक वाले नौकरी छोड़कर दूसरे प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले बिना उन पर ट्रेनिंग खर्च दिये, केवल आकर्षक वेतनमान देकर बढ़िया मानव शक्ति को अपने यहां रख लेते हैं और उनके बेहतर अनुभवों एवं ट्रेनिंग का फायदा उठा रहे हैं। इस माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के पिछले दो बार वेतनमानों में कितना संशोधन किया गया और क्या यह बढ़ती महंगाई और बढ़ती जीवन शैली के खर्चों में महंगाई के अनुरूप है और विद्यमान दो बढ़ोतरी वेतनमानों का कितना प्रतिशत है। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में बैंक सेक्टर कर्मचारियों/अधिकारियों के हालातों में सुधार लाये जाने के लिए क्या रिफार्म्स लाये जा रहे हैं या लाये जाने की संभावना है। लाये जाने से पहले जीवनशैली और बढ़ती महंगाई का ख्याल भी रखा जाये और यह भी ध्यान रखा जाये कि वे बेहतर सुख-सुविधा पाने के लिए ही सरकारी बैंक छोड़ रहे हैं तथा यह बहुत ही बेहतर मानव संसाधन है जिसे सरकारी बैंकों को पलायन करने से रोकना चाहिए।

(बारह) "उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991" को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर) : 6 दिसंबर, 1992 को 400 वर्ष पुरानी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। इसके उत्तरवर्ती प्रभाव में सांप्रदायिक हिंसा का नतीजा ये हुआ कि करीब 2000 लोगों की मौत हो गई, हज़ारों लोग घायल हो गए और कई सौ करोड़ रूपए की संपत्ति का नुकसान हो गया।

हम मांग करते हैं कि सरकार को लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए गए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। इस देश के लोगों ने न्याय पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है और अब वे सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा भी!

इन सब के अलावा, इस देश के लोग "उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991" की पुनः पुष्टि का भी आह्वान करते हैं जो किसी भी उपासना स्थल को परिवर्तित करने से रोकता है और इसकी धार्मिक विशेषता जैसी कि वह 15 अगस्त, 1947 को थी, के लिए रख-रखाव प्रदान करता है। हालांकि, यह अधिनियम बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इसकी पुनः पुष्टि करना जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपासना के अन्य स्थल ऐसी ही सांप्रदायिक हिंसा और विभाजनकारी राजनीति का शिकार न बने जैसा कि बाबरी मस्जिद के साथ हुआ।

(तेरह) केरल के अलथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों के चारों और अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्य सुकर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : केरल के पारंपरिक सांस्कृतिक इतिहास को बनाए रखने और उसे संरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे स्मारकों का सर्वेक्षण कर रहा है और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के एक स्मारक के रूप में अधिसूचित कर रहा है। लेकिन, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिए गए ऐसे बहुत-से स्मारक हैं जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2010 जो जनवरी 2010 में लागू हुआ था, में यह निर्दिष्ट है कि स्मारक केक 100मी. के दायरे में कोई भी विकास कार्य निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित स्थान माना जाता है। इस संशोधित अधिनियम का प्रभाव वडक्कनचेट्टी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वडक्कनचेट्टी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए कुन्नमकुलम निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चोव्वन्नूर कडवल्लूर, कडन्गोडू, कटकम्बल के लोगों के लिए थ्रिस्सुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली कानिस्सेरी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए और अधिक गंभीर तथा दुखदायी है। नए घरों के निर्माण या पहले से मौजूद घरों के नवीकरण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने में अत्यधिक विलंब के कारण बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे कि निवासियों को आवेदन पत्र जमा कराने के और अन्य प्रक्रियागत कदमों के बारे में जागरूक बनाया जा सके। केंद्र के लिए ऐसे आवेदन पत्र को एकत्र और जमा करने के लिए एक राज्य पुरातत्व निदेशक का कार्यालय बनाया गया है। पिछले बजट में किए गए वादों के विपरीत निधि में कमी के चलते, उस कार्यालय को रोजमर्रा के खर्चों और अपने कर्मचारियों को वेतन बांटने में काफी समस्या आ रही है तथा वह कार्यालय अब लगभग निष्क्रिय हो चुका है (इस संशोधित अधिनियम के कारण, विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क, पीने का पानी की व्यवस्था आदि का कार्यान्वयन इन पंचायतों के लिए संभव नहीं हो पा रहा। लोग अपनी ज़मीन रियल स्टेट माफिया की सांठगांठ के चलते जो ज़मीन की कीमत बाज़ार दर से बहुत कमी दे रहे हैं, बेच पाने में भी सक्षम नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधित अधिनियम के कारण हुई ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा एएसआई द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के निवासियों से उनके आवेदन पत्र एकत्र करने और जमा करने के लिए पुरातत्व निदेशक के कार्यालय को आवश्यक निदेश दे।

(चौदह) आंध्र प्रदेश में भद्राचलम और कोवूर के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : मैं माननीय रेल मंत्री के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में कोवूर-भद्राचलम्

[श्री नामा नागेश्वर राव]

रेल लाइन का प्रस्ताव बहुत पहले 1969 में रखा गया था। बहुत मुश्किलों के साथ इसे अंतिम रूप से 2009 के बजट सत्र में शामिल किया गया। मैंने मंत्री के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया और परियोजना की आर्थिक-व्यवहार्यता के बारे में रेल बोर्ड को समझाने में सफल रहा। ब्रॉडगेज रेल लाइन हैदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी लगभग 130 कि.मी. कम कर देगी। इसके अलावा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों के साथ इस क्षेत्र को जोड़ेगी। औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि कोथागुडेम, येल्लेन्डु, मदारम, पालवंचा, सारापका, अस्वपुरम और मनुगुरू भी राज्य के प्रमुख शहरों तक आसानी से पहुंच हो सकेगी। दूरदराज आदिवासी बेल्ट के 200 गांव भी इससे लाथान्वित गतिशीलता होंगे। इन क्षेत्रों के लोगों को परियोजना द्वारा प्रदत्त अधिक से अधिक गातिशीलता का लाभ मिलेगा। बहुत सी कंपनियां जो इनके थोक ग्राहकों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु सड़क परिवहन पर निर्भर हैं, को भी रेल परिवहन पर स्विच करने से लाभ होगा। उपर्युक्त कही गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से पुन: अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और इसके लिए निधि आबंटित करने के लिए तथा इसकी नींव रखने के लिए कदम उठाएं ताकि भद्राचलम से कोवूर ब्रॉडगेज रेल लाइन की नई रेल जोड़ने का काम शुरू किया जा सके।

(पन्द्रह) सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए पंजाब करार पर्यवसन अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता के बारे में राष्ट्रपतीय संदर्भ का अनुसरण किए जाने की आवश्यकता

श्री कुलदीप बिश्नोई (हिसार) : एक राष्ट्रपतीय संदर्भ में 22.7.2004 को बनाए गए पंजाब करार पर्यवसन अधिनियम, 2004 की वैधता का प्रश्न उठाया गया। इस अधिनियम के कारण सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2002 और 04.6.2004 के दो निर्णय, जो सतलुज यमुना लिंग (एसवाईएल) कैनाल के बारे में है, का कार्यान्वयन नहीं हो सका है। सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) को पूरा करने में विलंब के कारण हरियाणा के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर उपयुक्त रूप से विचार करे ताकि इस पर शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई हो सके।

अपराह्न 14.08 बजे

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या-13 पर चर्चा करेगी— श्री शैलेन्द्र कुमार अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के बारे में मैं पिछली बार बोल रहा था और लगभग सारी बातें समाप्त हो चुकी थी। चूंकि आज कन्टीन्यू करना है इसलिए आज ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो सुझाव पूर्व में दिए हैं, उनका सरकार भली प्रकार से पालन करे। जिन बड़ी कंपनियों या बड़े घराने के लोगों को विभिन्न बैंकों से ऋण दिए जाते हैं, उनके कर्ज की वसूली में सख्ती नहीं बरती जाती है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बैंक उनके लिए लिबरल है और उन्हीं के लिए खजाने रखे गए हैं। मैंने एक-दो कंपनियों का उदाहरण भी दिया था। दूसरी तरफ किसान किसी भी बैंक बैंक आफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक या कहीं से भी 10, 20 या 50 हजार या लाख का लोन ले लेता है तो उस पर इतनी सख्ती होती है कि कचहरी से आरसी इश्यू हो जाती है। यहां तक कि उसे लॉकअप में रखा जाता है, उसे जेल जाना पड़ता है। आज यह स्थिति है। भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए देश के किसानों के लिए इस प्रकार की सख्ती बरतेंगे तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष की इकानॉमी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से सोचे कि जितने बड़े देनदार हैं, जो वसूली से मुक्त हुए हैं, उनसे वसूली क्यों नहीं की गई? क्या कारण था? ऐसे लोगों को बचाने में सरकार ने एक विशेष पहल क्यों नहीं की, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनसे ऋण के कर्ज की वसूली हो जाए तो मेरे ख्याल से देश की इकोनोमी जो अरबों-खरबों रुपये में है, इसके आने से देश का विकास हो सकता है। ...*(व्यवधान)* किंगफिशर के बारे में मैं उस दिन बोल चुका

हूं। इस प्रकार से ऐसे कई घराने हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चूंकि वह दूसरे सदन में सम्मानित सदस्य भी हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान दें। जिस तरह से किसानों की ऋण वसूली पर आप सख्ती करते हैं, वैसे ही जो बड़े-बड़े बकाये हैं, उन पर भी सख्ती कीजिए, कार्रवाई कीजिए और कर्ज की वसूली कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मैं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक सम्मिलित कानून है जिसमे दो अधिनियमों में संशोधन की बात कही गई है; वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993।

विधेयकों पर बोलने से पहले मुझे यह अवश्य याद होना चाहिए कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। पहली बार बैंक जमा पर आम जनता का अधिकार हुआ था। और, पहली बार बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र और कृषि ऋण के क्षेत्र में कदम रखा था। इसके अलावा, 1980 में श्रीमती गांधी ने छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई। हमारी बैंकिंग प्रणाली, हमारा विनियामक समय की कसौटी पर खरा उतरा है। 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो यूएसए के लेहमैन ब्रदर्स, सिटी बैंक को टिके रहने के लिए अमेरिकी सरकार से सहयोग लेना पड़ा था, जबकि हमारा कोई भी बैंक बंद नहीं हुआ। इसलिए, यह हम लोगों के हित में था कि हमारी बैंकिंग प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित विनियामक प्रणाली महबूत रही और अप्रभावित रही। यह राष्ट्र के हित में है कि एक ओर बैंकों में जहां जमाकर्ताओं की प्रतिभूति सम्बद्ध होती है, वहीं दूसरी ओर गरीब तबके के लोगों के ऋण सुनिश्चित होते हैं। मुझे याद है जब श्रीमती गांधी ने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था तो दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाने वालों का जूलूस निकला था। पहली बार उनमें उम्मीद जगी कि उन्हें उनकी जरूरतों के लिए बैंकों से ऋण मिल पाएगा। इसलिए, जब हम किसी बैंकिंग कानून पर दृष्टिपात करें, तो निश्चित रूप से हमे इस मौलिक उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जब स्टेट बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब से, 40 या उससे अधिक वर्षों में, बैंकिंग प्रणाली में व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। कुल जमा और ऋण में कई गुणा हुई है। हमारे बैंकों को वैश्विक बाजार में बने रहने के लिए प्रतिस्पर्द्धा के दौर से गुज़रना पड़ता है। यदि मैं कहूं, तो पूर्व में सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। पहला, एस.ए.आर.एफ.ई.एस.आई एक्ट-जैसाकि इसे कहा जाता है- को परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनी नाम से एक नई परिकल्पना के रूप में लाया गया जिसके तहत बैंकों की सुरक्षित परिसम्पत्तियों को भी अधिकार में लिया जाएगा और उनकी उगाही की जाएगी।

दूसरा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 भी एक अच्छा कदम था। इस अधिनियम के तहत ऋण वसूली अधिकरण गठित किए गए जिनमें बैंक ऋण और उनकी उगाही संबंधी मामले को शीघ्रता से निपटाया जाएगा। इसलिए, मेरा मानना है कि बैंकिंग प्रणाली को समग्र रूप से सुदृढ़ करने के लिए ये दोनों ही ठोस क़दम थे।

अब, माननीय वित्त मंत्री ने कुछ और कदम उठाए हैं। तथाकथित उदारीकरण और सुधार की दिशा में सरकार के वर्तमान अभियान में सरकार ने क्या किया? उसने मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को न केवल 51 फीसदी तक बढ़ाया, बल्कि बैंकों के अन्य पहलुओं को भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया। उदाहरणार्थ, परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों को 49 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं समझ पता हूं कि भारत में परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना क्यों की जाए, हमें यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है।

मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी स्वदेशी के लिए जानी जाती थी। इसने विदेशी वस्त्रों के आयात के खिलाफ आंदोलन किया था। अब यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस विदेश कांग्रेस बनती जा रही हैं। यह समझती है कि विदेशी निवेश सभी आर्थिक बुराइयों, जिनसे यह देश जूझ रहा है, के लिए रामबाण है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जो पहले भी 1996 में युनाइटेड फ्रंट के शासन काल में और फिर यूपीए- के पहले भाग में भी वित्त मंत्री रहे हैं और जिन्हें इस पूरे वित्तीय क्षेत्र

[प्रो. सौगत राय]

के बारे में गहन जानकारी है यह स्वष्ट करना चाहेंगे कि परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों को 49 फीसदी देने के पीछे प्रासंगिकता क्या है।

दूसरी चीज, जो 19वें अक्टूबर संकल्प के द्वारा की गयी है- जिस पर मैं तब और विस्तार से बोलना चाहूंगा जब हम बैंकिग विधेयक पर चर्चा करेंगे- वह यह है कि निजी क्षेत्र में 74 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसलिए हमारी जमा पूंजी पर विदेशी कम्पनियों का नियंत्रण होगा और आप यह सुनकर स्तबध रह जाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जिन्हें श्रीमती गांधी ने देश में बड़े एकाधिकारवादी घरानों से दूर रख कर बनाये रखा था, में, उनकी इक्विटी में भी 20 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ही अनुमति दी गई हैं।

मैं समझता हूं कि ये सब पीछे की ओर ले जाने वाले कदम हैं और इन्हें नहीं उठाया जाना चाहिए था। यदि हमारी बैंकिंग प्रणाली 2008 के वैश्विक मंदी के दबाव को झेल सकती है, तो फिर क्यों हम 2012 में अपनी बैंकिंग प्रणाली को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जोखिम में डाल रहे हैं, जहां यह वैश्विक जोखिम के अध्यधीन होगी? हमे मालूम है कि यूरोपीय जोन में बैंकों के साथ क्या हुआ है? हमें मालूम है कि अमेरिका में बैंकों के साथ क्या हुआ है। इसलिए, यह कुछ ऐसा है जो बांछनीय नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हमारी बैंकिंग प्रणाली को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने के बारे मे अपने निर्णय पर फिर से विचार करें।

महोदय, दुर्भाग्य से इस विधेयक को श्री यशवंत सिन्हा की सभापतित्व वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति में नहीं भेजा गया। यह उस सामान्य परिपाटी का उल्लंघन था जिसे हमने सभा में अपनाया है। अन्यथा, इस सभा में एक संक्षिप्त चर्चा में हम इन सभी पहलुओं पर विशिष्ट तरीके से विचार करने में सक्षम नहीं हैं।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार्य सूची में प्रतिदिन बदलाव किया गया है। पहले शिक्षा से संबंधित दो विधेयक सभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। अचानक माननीय वित्त मंत्री के दिमाग में यह विचार आया होगा कि उन्हें बैंकिंग विधेयकों को शीघ्रता से पारित करा लेना चाहिए। कार्य सूची बदल दी गई और बैंकिंग विधेयक व इस विधेयक को प्राथमिक सूची में डाल दिया गया। यहां तक कि हमारे पास इन विधेयकों में संशोधन पेश करने के लिए भी समय नहीं था। कई सदस्य वित्त मंत्री के पास पहुंचे और उनके अनुरोध पर उन्होंने बैंकिंग (कम्पनी) विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जिससे कुछ सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए समय मिल सके। पर, हमें इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला। कृपया आप सदस्यों के अधिकारों का रक्षक होने के नाते यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में सभी विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति में भेजे जाएं और साथ ही, सदस्यों को सभी विधेयकों का अध्ययन करने व उनपर संशोधन प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय मिले।

महोदय, इसके अलावा इस विधेयक में कोई अन्य आपत्तिजनक बातें नहीं हैं। इस विधेयक में परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों और प्रतिभूति कम्पनियों को उधार लेने वाली कम्पनियों के ऋण को इक्विटी शेयर में तब्दील करने की अनुमति का प्रावधान किया गया है; इसमें बैंकों को उधार लेने वाली कम्पनियों की ऋण देयता के बदले में उनकी अचल परिसम्पत्तियों को खरीदने की अनुमति की व्यवस्था की गई है; इसमें मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव बैंकों को बैंकों की परिभाषा में शामिल किया गया है और यदि इससे सहकारिता की परिकल्पना जो गरीबों को ऋण वितरण करने में अत्यधिक उदार है, बाधित होगी, तो यह कुछ ऐसी स्थिति होगी जिस पर माननीय वित्त मंत्री को विचार करना होगा। वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ताओं के अभ्यावेदन पर 7 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देनी होती है, इस विधेयक में इस समय सीमा के वास्ते 15 दिनों का प्रावधान किया गया है। इसमें बैंकों या किसी व्यक्ति को उस स्थिति में कैवियट फाइल करने का अधिकार प्रदान किया गया है जब उन्हें डीआरटी से स्टे मिलने से पहले आघात पहुंचता है। यह केन्द्र सरकार को सेंट्रल रजिस्ट्री किए जाने से पहले जारी प्रतिभूति या परिसम्पत्ति पुनर्सरचना या प्रतिभूति ब्याज के सभी कारोबार का अधिसूचना के जरिए पंजीकरण अनिवार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक में केन्द्र सरकार को जन हित में यह निर्देश करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है कि एसएआरएफएईएसआई का प्रावधान नहीं लागू होगा, या संशोधन के साथ किसी एक वर्ग पर लागू होगा... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : अभी एकदम खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जल्दी खत्म कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक को अब भी स्थायी समिति में भेजा जाना चाहिए।

महोदय, अन्त में, मैं बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। आज मेरे ध्यान में एक बहुत ही रोचक खबर आई। यह समाचार-पत्र के पहले पेज में छपी थी जिसका शीर्षक था, 'वॉलमॉर्ट स्पेन्ट 25 मिलियन इन लास्ट फोर्स टु लॉबी फॉर इंडिया इंट्री'। यह केवल मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में नहीं है। वॉलमॉर्ट ने औपचारिक रूप से बताया है कि उसने यूएस सीनेट, यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स, यूएस ट्रेड रिप्रजेन्टेटिव्स और यूएस डिपाटमेन्ट ऑफ स्टेट के साथ लॉबिंग करने में इतने सारे पैसे खर्च किए। इसने ऐसा क्यों किया? वह भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश चाहता है क्योंकि वर्तमान में खुदरा बाजार का आकलन लगभग 500 बिलियन डॉलर का है और अनुमान है कि वर्ष 2020 तक यह 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा।

यदि वॉल-मॉर्ट ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए लॉबी करने में इतने सारे पैसे खर्च किए हैं- जिसका हमने इस सभा में कड़ा प्रतिरोध किया था- तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वॉल-मॉर्ट ने भारतीय कानून निर्माताओं के साथ लॉबी करने में भी पैसे खर्च किए हैं। यदि हां, तो कितने और इसका ब्यौरा क्या है? मैं समझता हूं कि भारत में अवैध तरीके से प्रवेश की वॉल-मॉर्ट की कोशिश के मुद्दे पर लोक सभा में चर्चा हो: क्योंकि हम परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों वॉल-मॉर्ट ने इतने पैसे खर्च किए है इस बारे में हम सब को विचार करने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने की मुझे अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। बैंक एक ऐसी संस्था है जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों से लेकर देश के बड़े पूंजीपतियों से सीधे संबंध रखती है। बैंक के माध्यम से ही बड़े व्यापारी, उद्योगपति, और झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले सामान्य लोग कर्ज़ लेकर जीवन-यापन करने की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन, बड़े दु:ख के साथ यह बात कहना पड़ रहा है कि इसमें भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। जो व्यवस्था है, उसमें बड़े उद्योगपतियों के साथ तो उदारता का भाव होता है और निचले स्तर के लोगों को ऋण लेने में कठिनाई होती है। अगर वे छोटे-मोटे उद्योग के लिए, कृषि के लिए, अपने अन्य जीविकोपार्जन की व्यवस्था के लिए ऋण लेना चाहें तो बैंक में उन्हें दर्जनों बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें ऋण नहीं मिलता है जब तक कि बिचौलियों का उन्हें कोई सहारा न मिले। जब वसूली की बात आती है तो ठीक इसके विपरीत बात होती है। झुग्गी-झोंपड़ी में सामान्य ढंग से गरीब परिवार और किसानों को जहां ऋण लेने में कठिनाई होती है, वहीं जब वसूली की बात आती है तो बड़े घरानों को सारी सुविधाएं हैं। वे जैसा चाहेंगे, हर तरह से डील कर लेते हैं। हर तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक तरफ बड़े घराने हैं, बड़े उद्योगपति हैं, या देश की वित्तीय व्यवस्थाओं से सीधे जुड़े लोग हैं और दूसरी तरफ सामान्य किसान हैं। यदि उससे ऋण वसूली में कोई कठिनाई होती है तो उस पर आर.सी. लागू होते हैं। वे जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। उन पर मुकदमे कायम हो जाते हैं। महोदय, यह दोहरी नीति बहुत ही कष्टकारी है।

महोदय, एक तरफ तो यह कठिनाई है ही, दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी विदेशी बैंकों को आकर्षित करके यहां स्थापित करने में लगे हैं। उन बैंकों की तुलना में हमारे देश के बैंक कहीं नहीं टिक पाएंगे। उनकी वसूली उनके नियमों के अनुसार होगी। हमारे जो छोटे-मंझोले व्यापारी, किसान या काश्तकार हैं, वे कहीं भी उन सुविधाओं से अपने को जोड़ नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से उन्हें और भी कठिनाई होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां तक एक तरफ इस नियम में संशोधन की बात हो रही है, वहीं जो निचले स्तर के लोग हैं, जो गरीब

[श्री गोरखनाथ पाण्डेय]

हैं, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, जो सामान्य किसान हैं, जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, उनको ऋण प्रदान करने की सुविधा कैसे दी जाए? कहने के लिए तो सूक्ष्म, मध्यम उद्योग के माध्यम से, प्रधानमंत्री ऋण योजना और कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन किसान, गरीब तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला वह किसान उन योजनाओं से लाभ नहीं ले पाता। कहने के लिए तो यह भी सुविधा है कि बिना किसी प्रतिभूति के उन्हें ऋण मिलेगा। पांच लाख या उससे कम, अब तो दस लाख की बात कही गई, बैंकों में जाने के बाद सामान्य वर्ग को ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती, जब तक कि कोई बिचौलिया उन्हें न मिले, अन्य सुविधाएं उन्हें देने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां इसमें संशोधन लाया जा रहा है, वहां ऋण देने और ऋण वसूली, जो बड़े एवं उद्योगपति हैं और जो निचले स्तर के लोग हैं, उनमें भी साम्यता होनी चाहिए। निचले स्तर के लोगों को ये सुविधाएं विशेष रूप से मिलनी चाहिए ताकि उन्हें समय पर ऋण मिले और ऋण वसूली के समय उनके सामने जो कठिनाईयां आती हैं, उन्हें पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाता है, उन पर भी कोई ऐसे सामान्य नियम की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें उसकी सुविधा और लाभ मिल सके। मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए फिर से उन स्तर तक के लोगों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई जाए।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलते हुए उन कतिपय मामलों को उद्धृत करना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में उन कतिपय लोगों द्वारा लाए गए हैं जो बैंकों के कुछेक प्राधिकारियों के संबंध में शिकयतें दर्ज करा रहे हैं।

महोदय, हमारा देश एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब जहां एक ओर किसी निजी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेना, ऋण की सुविधा का लाभ उठाना लोगों के लिए काफी कठिन हो गया है, वहीं दूसरी ओर यदि ऋण की पुनर्अदायगी को लेकर कोई बकाया है और कोई चूक हुई है, तो बैंक के प्राधिकारियों का आम लोगों के प्रति जो रवैया है वह बड़े औद्योगिक घरानों के प्रति अपनाए गए रवैये से कुछ अलग है।

महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने इन विचारों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को संसद की संबद्ध स्थायी समिति में भेज ने इसका और सरसरी तौर पर और आत्मनिरीक्षण करने तथा विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है। अचल सम्पत्ति के पार्ट के रूप में आवासीय घरों की बेदखली मौजूदा अधिनियम के पार्ट के रूप में की जाती है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट या चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस और राजस्व अधिकारियों की सहायता व अन्य तामझाम से पार्टी को उसके आवासीय घर से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पार्टियों ने आत्म-हत्या कर ली हैं, यहां तक कि पूरी फमिली ने आत्महत्या कर ली है। यह एक अक्षम्य पाप है। इस तरह के शब्द का प्रयोग करने के लिए मुझे माफ किया जाए कि हमारे कानून ने भारत के नागरिकों पर इस तरह के बोझ, इस तरह के मृत्युदंड का प्रावधान कर रखा है।

मौजूदा अधिनियम की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रतिभूतिकरण अधिनियम अधिनियम में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह यह है कि *अखबारों* में चार सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं- दो कब्जा करने की और दो बिक्री करने की सूचनाएं होती हैं।

विभिन्न मामलों से मेरी समझ में यह आया है कि सामान्यतया समाचारपत्रों में विज्ञापन सहित इन सभी नोटिसों पर 1 लाख रुपए का व्यय होता है। इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का ऋण लिया है तो उस पर विज्ञापन प्रभारों तथा अन्य मदों के लिए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला जाता है ताकि वह वापसी अदायगी नहीं कर सके। होता यह है कि वह व्यक्ति विशेष छोटी मुसीबत से विकासकर बड़ी मुसीबत में डाल दिया जाता है। मैं कोई राजनैतिक भाषण नहीं दूंगा, मैं सत्ता पक्ष के लोगों पर प्रहार या कटाक्ष नहीं करना चाहता। मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि वे भी कतिपय मामलें में मुझे समर्थन देंगे।

विभिन्न समाचार पत्रों में, विशेषकर आज के समाचार पत्रों में नाबार्ड के बारे में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुयी हैं। कुछ निजी कंपनियों को 6.5 प्रतिशत की काफी कम ब्याज दर पर और

अतिरिक्त नकदी वापसी सहित ऋण प्राप्त हो रहा है; जबकि किसानों का ऋण सात प्रतिशत अथवा इससे अधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है। केवल यही नहीं, नाबार्ड का प्रयोजन क्या है? जब नाबार्ड का गठन हुआ था उस समय मैं स्वयं अभ्यर्थी था और मैंने लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में भाग लिया था, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अधिक भाग्यशाली हूं क्योंकि मुझे इन सभी विद्वान मित्रों का साथ मिला है। हमारे माननीय मंत्री खुश होंगे क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह का हूं, यद्यपि मैं उनसे काफी कनिष्ठ हूं और वकील के पेशे में हूं। नाबार्ड द्वारा 37 करोड़ रुपए का विज्ञान दिए जाने का क्या उपयोग है? नाबार्ड द्वारा विज्ञापन पर एक नया पैसा भी व्यय किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

नाबार्ड के गठन का मुख्य प्रयोजन सहकारिता आंदोलन तथा राज्य सरकारों को पुनर्वित्तीयन सुविधा देना तथा भारत सरकार के कतिपय शीर्ष कार्यक्रमों को अंजाम देना है। यदि यह सही है तो मैं इससे शर्मिंदा महसूस करता हूं। क्या कुछ शीर्ष नौकरशाहों तथा प्रबंधकों द्वारा अपनी सुख सुविधा के लिए विज्ञापनों के लिए 37 करोड़ रुपए तथा अपने अधिकारियों के तथाकथित सुधार के लिए करोड़ों रुपए का व्यय करके हमारे बैंकों का दुरूपयोग किया जाता है? इसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए तथा भारत सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह सहन नहीं किया जा सकता है।

आज और भी समाचार हैं। मेरी समझ से भारत सरकार हमारे एक पड़ोसी देश से एक भारतीय बहु-राष्ट्रीय निगम को संकट से उबारने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। मैं किसी द्विपक्षीय चर्चा की बात नहीं करूंगा अथवा किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कटुता की बात नहीं करूंगा, लेकिन महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आप माननीय वित्त मंत्री द्वारा क्रम सं. 6, खंड 13 में लाए गए संशोधनों को देखिए-

"6. पृष्ठ 6, पंक्ति 15 के बाद अंत: स्थापित करें (एसी) उपधारा (5) के बाद निम्नांकित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, नामत:

"(5क) आवेदन की सुनवाई आरंभ होने के पश्चात् यह दिन-प्रतिदिन आधार पर तब तक जारी रहेगी जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है:

परंतु यह कि ट्रिब्यूनल स्थगन स्वीकृत कर सकती है यदि पर्याप्त कारण बताया जाता है, लेकिन ऐसे स्थगत तीन बार से अधिक नहीं दिए जाएंगे और जहां तीन अथवा अधिक पक्ष हैं वहां ऐसे स्थगनों की कुल संख्या छह से अनधिक होगी।"

महोदय, यह पीठासीन अधिकारी अथवा ट्रिब्यूनल पर कुछ थोपे जाने के समान है। यह ट्रिब्यूनल का हाथ बांधे जाने के समान है। यह न्यायिक कार्य कर रहा है। संसद के लिए यह उचित नहीं है कि वह न्यायपालिका अथवा किसी ट्रिब्यूनल अथवा किसी अर्ध-न्यायिक निकाय का हाथ बांधे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए. सम्पत : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, यह काफी गंभीर मामला है। यह लोगों की जिदंगी और मौत से जुड़ा हुआ मामला है...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से मैं बैंकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को भी समझता हूं क्योंकि बैंकों का कहना है कि ऋण राशि के लिए समान मूल्य की गिरवी का सृजन सामान्यतया किसी अचल संपत्ति के साथ किया जाता है और चूंकि कृषि संपत्ति को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त हैं, इसलिए बैंकों को मिलने वाली राशि को वसूल करने में अत्यधिक विलंब होता है। यह बैंकों का तर्क है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह माननीय वित्त मंत्री का तर्क है। लेकिन यह बैंकों का तर्क है। हमने ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों में भी ऐसी दलीलों को सुना है। अधिनियम की धारा 14 राजस्व प्राधिकारियों अथवा सीजीएम न्यायालयों द्वारा कब्जे में लिया जाता है। इस प्रकार राजस्व प्राधिकारी अथवा सीजीएम न्यायालय प्रतिभूति परिसंपत्ति का वास्तविक कब्जा लेने तथा इसे बैंकों को हस्तांतहित करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। यहां बैंकों द्वारा यह कहा जाता है कि चूंकि इसमें राजस्व प्राधिकारी शामिल है, अत: इसमें अत्यधिक विलंब होता है। यह उनका तर्क है।

महोदय, मैं डीआरटी तथा डीआरएटी के क्षेत्राधिकार के बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं केरल राज्य से आता हूं। वहां डीआरटी की मात्र एक न्यायपीठ है। आपके माध्यम से मैं माननीय

[श्री ए. सम्पत]

मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि केरल और लक्षद्वीप के लिए डीआरटी के एक और पीठ पर विचार किया जाना चाहिए तथा इसकी अनुमति दी जानी चाहिए; न केवल यह बल्कि केरल में डीआरएटी नहीं है। इसलिए एक डीआरएटी पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा इसे स्वीकृत भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और वृद्धि होगी। अतः हम एक ओर वादियों पर तथा दूसरी ओर बैंकों पर और बोझ क्यों डालें? हम त्वरित सुनवाई चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि न्याय में अगर जल्दबाजी की जाए तो न्याय दबा दिया जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय भी मुझसे सहमत होंगे कि न्याय में अगर जल्दबाजी की जाए तो न्याय नहीं मिल पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए. सम्पत : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, माननीय मंत्री भारत के उच्चतम न्यायालय के काफी वरिष्ठ वकील हैं और उनका कैरियर काफी अच्छा था। अतः वह इसे बेहतर समझेंगे। मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोर्ट काफी अच्छी परम्परा नहीं है कि इन सभी विधेयकों को संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा बिना किसी चर्चा अथवा विचार-विमर्श अथवा साक्ष्य लिए सदन में इनके पारित किए जाने को सुनिश्चित किया जाए। अतः एक बार पुनः मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को व्यापक विचार, अध्ययन तथा विचार-विमर्श के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए तथा वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा जुटाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा अच्छी तरह से चर्चा के बाद ही विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में लाए जा रहे इस काफी महत्वपूर्ण विधान पर मेरी पार्टी बीजू जनता दल को बोलने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का 1995 में, 2000 में तथा उसके बाद 2004 में संशोधन किया गया है।

इसी प्रकार वर्तमान अधिनियम, जो कि दूसरा अधिनियम है, जिसमें संशोधन किया जाना है, जो कि एसएआरएफएईएसआई 2002 है, इसमें में वर्ष 2004 में संशोधन किया गया है। यह पहले 2002 में 1993 के अधिनियम को और शक्ति प्रदान करने के लिए लाया गया था तथा इसमें पुनः वर्ष 2004 में संशोधन करना पड़ा।

बार-बार इन संशोधनों के बावजूद वित्त मंत्री ने 23 अगस्त 2012 को दूसरे सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का एनपीए 1,23,462 करोड़ रुपए है जोकि काफी बड़ी राशि है। यह काफी बड़ी राशि है। इसमें से सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक का एनपीए 40,756 करोड़ रुपए है। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री इससे सहमत होंगे कि यह कई छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है।

इससे हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आम लोगों के प्रति जवाबदेही के बारे में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार नियुक्ति के बाद चेयरमैन से लेकर चपरासी तक कोई भी जवाबदेह नहीं रहता है। उपाध्यक्ष महोदय तथा माननीय वित्त मंत्री को मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूं जिसे सरकारी क्षेत्र के बैंक से अपना खाता इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि मैं उनके कार्य करने के तरीके से निराश था। अभी मेरा खाता निजी क्षेत्र के एक बैंक में है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।

इसलिए अगर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस प्रकार जवाबदेही की कमी बनी रहती है तो एक और संशोधन लाए जाने की बात मेरी समझ में नहीं आती है जो कि आज लाया जो रहा है। माननीय वित्त मंत्री में यह भी याद करने की सलाह दी जानी चाहिए कि विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक एनपीए वर्ष 2011-12 में रहा है। स्थिति इतनी बदत्तर हो गयी है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के पूर्व की स्थिति है। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि क्या अगस्त के बाद जबकि एनपीए 1,23,000 करोड़ रुपए था, मेरे अनुसार विगत पांच महीने में एनपीए में और 5,000 करोड़ रुपए से 7000 करोड़ रुपए की वृद्धि अवश्य हुई होगी।

इसके अतिरिक्त इन दोनों विधानों में दक्षता की पूरी तरह से कमी इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों के समक्ष

67,524 मामले लंबित हैं। ये दोनों विधान इस प्रकार पूरी तरह से अप्रभावी हो गए हैं और यह इस तथ्य के बावजूद है कि इन मामलों का निपटान 180 दिनों के अंदर करने के प्रयास किए गए हैं, जो कि सरकार का अधिदेश है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं इस सदन के भीतर सभी प्रकार की राजनैतिक विचारधाराओं के अनेक सदस्यों श्री दुष्यंत सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रो. सौगत राय, श्री ए. सम्पत, स्वयं मैं तथा मेरे नेता श्री भतृहरि महताब के साथ एक होना चाहता हूं जिन्होंने समान प्रस्ताव तथा समान अनुरोध किया है। मुझे यह पता नहीं है कि माननीय वित्तमंत्री को ऐसा क्यों महसूस होता है कि यह वास्तव में इसे पटरी पर से उतारने का एक तरीका है। यह इसे पटरी पर से उतारने का तरीका नहीं है क्योंकि उनके द्वारा जो संशोधन लाए गए हैं वे काफी कम हैं और उन्हें छह महीने के अंदर एक और संशोधन लाना पड़ेगा। अतः बात यह है कि उन्हें इसे स्थायी समिति के पास ले जाना चाहिए तथा वहां समुचित विचार-विमर्श हो सकता है तथा हम अधिक सम्पूर्ण संशोधन ला सकते हैं।

क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे वकालत का अनुभव है, माननीय वित्त मंत्री को कतिपय व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं जो इन दोनों विधानों में मौजूद है और अगर हम स्थायी समिति के पास जाते तो हमें इसे सही करने का अवसर प्राप्त होता तथा हम स्थायी समिति से कह सकते थे कि क्या अपेक्षित है? लेकिन हमें वह अवसर प्राप्त नहीं हुआ और उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इस सदन में बोलने का अवसर दिया है उसका लाभ उठाते हुए मैं वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें कि समस्याएं क्या हैं।

बैंकों द्वारा आपको टुकड़ों-टुकड़ों में सुझाव दिया जाएगा कि आप यहां-वहां थोड़ा-बहुत परिवर्तन करें और वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है?

इन कानूनों का निचोड़ यह है कि अधिनियम में परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के गठन का प्रावधान है जिन्हें पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के जरिए हस्तांतरण और गिरती परिसम्पत्ति के अधिकार समेत कर्जदार की गिरती परिसम्पत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार दिया गया है।

इसका यही उद्देश्य है। यदि यही उद्देश्य है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मौजूदा कानून नहीं यह अनुमति देता है कि ऋण का समनुदेशन परस्पर एक एआरपी से दूसरे में किया जा सके। एसएआरएफएईएसआई का सुविचारित उद्देश्य ऋण की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करना है। इसलिए, यदि एसएआरएफएईएसआई की धारा 5 का समुचित संशोधन और ऋण का परस्पर पुनर्समनुदेशन हो सके, तो यह इस मसले को शीघ्र निपटाने का सर्वाधिक कारगर उपाय हो सकता है।

अब, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। इसके लिए एक संहिताबद्ध (कोडिफाइड स्ट्रक्चर) होना चाहिए जिससे बैंकों में ऋण के एआरसी को समनुदेशन में पूर्ण पारदर्शिता दिख सके। अब तक यह बेहद रहस्यमय वे दिग्भ्रमित करने वाले तरीके से किया गया है जो किसी के लिए भी बिलकुल प्रेरणादायक नहीं है और न ही किसी में कोई विश्वास पैदा करता है।

तीसरी बात कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणदाता जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें से एक है ऋणों की प्राथमिकता का निर्धारण। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस पर कुछ ध्यान देंगे क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अभी उनका ध्यान मेरी और नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी किसी बिन्दु पर मैं उनका ध्यान आकृष्ट कर पाऊंगा. ..*(व्यवधान)*

ऋणों के शोधन के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम का प्रावधान अमल में आया है, किन्तु सांविधिक प्राधिकारियों के लिए दावे की प्राथमिकता होती है जो बार-बार सामने आ रही है। इसमें एक जटिलता है क्योंकि स्टेट सेल्स टैक्स एक्ट में, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जानते हैं, विभिन्न राज्य अधिनियमों में हमेशा ही एक प्रावधान होता है कि पहला प्रभार परिसम्पत्तियों पर लगाया जाएगा। इसलिए ऋणों की उगाही के मामले में जो होता है वह यह है कि सुरक्षित ऋणदाताओं को अलग-थलग कर दिया जाता है और एसएआरएफएईएसआई का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता कि इस बारे में एक ऐसा संशोधन लाया जाये जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम का सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेन्ट्रल एक्साइज समेत सभी सांविधिक बकायों पर अपेक्षाकृत अधिक कारगर हो जिससे कि ऋणों की उगाही में कामगारों के साथ यथानुपात अन्य सुरक्षित ऋणदाताअें की प्राथमिकता होगी-जो बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी कि लगभग 67,000 मामले ऋण वसूली अधिकरणों में लंबित पड़े हुए हैं। इनमें वे याचिकाएं

[श्री पिनाकी मिश्रा]

शामिल नहीं है जो रिट याचिकाओं के रूप में लंबित पड़े हैं। इसका कारण है, मैं स्वयं भी ऐसे कई मामलों में व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में फाइल करने उपस्थित हुआ हूं जहां रिट फाइल करने की व्यवस्था लागू की गई है। इसलिए इस बारे में कुछ संशोधन लाए जाने चाहिए जिससे रिट अदालतों को इस तरह के विवादों में पड़ने से रोका जाए क्योंकि सीधे-सीधे अधिनियम के तहत सरसरी सुनवाई की प्रक्रिया होनी चाहिए स्टैम्प एक्ट की एकरूपता को लेकर समस्या है जिसे उन सभी राज्यों में जहां एसएआर एफ.ए.ई.एस.आई एक्ट लागू है, एक समान तरह से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए इस बारे में संशोधन लाए जाने की जरूरत है।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। धारा 18सी के मामले जो संशोधन के जरिए एक नया प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई है, के दौर में आज कैवियट क्यों होना चाहिए? यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक वाली विचित्र मानसिकता है। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों की मानसिकता है। मैं वित्त मंत्री इस तरह की दूरदृष्टि से आश्चर्य चकित हूं कि उन्हें इसका शिकार होना पड़े जिससे कि किसी व्यक्ति को जिसके द्वारा कैवियट दायर किया गया हो पंजीकृत डाक, पावती रसीद के जरिए कैवियट की नोटिस भेजा जाए। आज के युग में पंजीकृत डाक, पावती रसीद से कौन कारोबार करता है? बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब उस तौर-तरीके से है जिससे हम 21वीं सदी में काम करने जा रहे हैं। हम लोग कहां हैं? आजकल ई-मेल, फैक्स, स्पीड पोस्ट और कूरियर की सुविधा है। यह किस तरह का अधिनियमन है? दरअसल इसकी मंशा यह सुनिश्चित करना है कि अनुपालन ही न हो।

इसलिए, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे कइ संशोधन हैं जिन पर मैं सुझाव दे सकता हूं। सीधे-सीधे इस पर सुझाव देने में मुझे खुशी होगी। मेरे जैसे लोगों को स्थायी समिति के समक्ष सिर झुकाने और उनके सामने इन पर सुझाव देने में खुशी होगी। पर, दुर्भाग्य से वित्त मंत्री इस बात के लिए इच्छुक हैं कि इसे इसी रूप में पारित करा लिया जाए। मैं इससे खुश नहीं हूं। यदि वित्त मंत्री इस पर फिर से विचार करे, तो मैं उनका आभारी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं उन कुछ संशोधनों का स्वागत करता हूं जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में सुझाए गए हैं।

पहली बात यह कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में सुझाया गया संशोधन प्रतिभूतिकरण या पुनर्संरचना कंपनियों को उधार लेने वाली कंपनियों के ऋण को इक्विटी में बदलने करने की अनुमति नहीं देता है। इस संशोधन में ऋण के किसी भी अंश को उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में तब्दील करने के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। निश्चित रूप से इससे बैंकों, और इसके साथ ही, वित्तीय संस्थानों को मदद मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि विधेयक में मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों को मौजूदा अधिनियम में बैंकों की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मेरे सुझावों पर अपना ध्यान दें। यदि आपने मल्टी-स्टेट को-आपरेटिव बैंकों को बैंकों की परिभाषा में शामिल कर लिया है, तो आपने अन्य को-अपरेटिव बैंकों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया है। मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव बैंकों का तात्पर्य उन बैंकों से है जिन्होंने अन्य राज्यों में अपनी शाखा या शाखाएं खोली हैं। उसने उन विशेष राज्यों के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकरण कराया है और या एक से अधिक राज्यों में कारोबार किया है। यदि आप मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव बैंकों को अनुमति दे रहे हैं; यदि उसने अन्य राज्यों में अपनी शाखाएं खोली हैं तो अन्य को-ऑपरेटिव बैंक ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? वे भी 1965 से बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत ही काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे करें।

मैं इस अधिनियम के महत्व को जानता हूं। जब कभी हम बैंकिंग या वित्तीय संस्थानों का कारोबार कर रहे होते हैं, तो वहां दो प्रकार के चूककर्त्ता होते हैं। एक, अंजान होता है और दूसरा जान-बूझकर चूक करने वाला चूककर्ता होता है। जहां तक चूककर्ता का सवाल है तो कुछ ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां होती हैं जो उसे बैंक या वित्तीय संस्थान को राशि का भुगतान न करने के लिए बाध्य कर देती हैं। पर कुछ ऐसे चूककर्ता भी होते हैं जो

बैंक या वित्तीय संस्थान से ली हुई धनराशि का जानबूझकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। यदि उद्देश्य यही है, तो फिर को-ऑपरेटिव बैंकिंग क्या कर रहा है? वे भी बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत वही काम कर रहे हैं। सांविधिक लेखा परीक्षा और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण की व्यवस्था है। मेरा आप से एक बार फिर विनम्र अनुरोध है कि सभी को-ऑपरेटिव बैंकों को इस अधिनियम में उसी तरह शामिल किया जाए जैसा कि आपने इन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया है। इसके लिए मैं अपका आभारी रहूंगा।

दूसरा संशोधन जो बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थानों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा वो यह है कि बैंकों को चूककर्ता कर्जदार के खिलाफ दावे की उगाही में किसी अचल सम्पत्ति को स्वीकार करने के लिए उस स्थिति में जब बैंक ऐसी सम्पत्तियों के लिए खरीदार को ढूंढ पाने में नाकाम होते हैं, अधिकृत नहीं किया गया है। यह एक सच्चाई है। यही कारण है कि आपने संशोधन के जरिए बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थानों को अचल सम्पत्ति को कब्जे में लेने की अनुमति दी है।

मेरे मित्र ने कैवियट के संबंध में कहा है। वे भारत के उच्चतम न्यायालय के वकील हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था। केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधान से बैंकों य वित्तीय संस्थानों के खंड या खंडों को जनहित के आधार पर हटा सकती है। यह भी एक अच्छा संशोधन है। यह जनहित में सहायक सिद्ध होगा। इससे निश्चय ही आम लोगों का कुछ राहत मिलेगी।

एक दूसरा संशोधन भी है जो स्वागत योग्य होगा। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उधार लेने वालों के साथ समझौता करने के लिए सक्षम बनाने का प्रस्ताव किया जाएगा इसमें यह भी कहा गया है कि ऋण वसूली अधिकरण को ऐसे किसी भी निपटान या समझौतो को स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश पारित करने का अधिकार दिया जाए। यह भी सहायक सिद्ध होगा। यदि अधिकरण या अदालत से आदेश पारित होने से पहले निपटान की कोई संभावना बनती है, तो यह भी बैंक के लिए सहायक सिद्ध होगा।

कुल मिलाकर यह संशोधन निश्चय ही अच्छा है। इससे बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थानों को मदद मिलेगी।

महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 03.00 बजे

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि शुरूआत में मैं इस विधेयक की जटिलताओं को समझ नहीं पाया था। पर इसके विस्तार में जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिना मतलब का एक अनावश्यक विधेयक है।

महोदय, एआरसी का गठन बहुत वर्ष पहले किया गया था। यह बैंकों की चूक संबंधी धनराशि, अनुप्रयोज्य उनास्तियों की उगाही करने और उनके तुलना पत्रों को अस्वाभाविक तरीके से ठीक करने के लिए किया गया था।

इस अधिनियम में कई बार बदलाव या संशोधन किए गए। अंततोगत्वा माननीय वित्तमंत्री सदन को यह बताएं कि इसके कारण क्या हैं। यह संख्या का सवाल नहीं है। आप विधेयक को पारित करा सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं; मुद्दा यह नहीं है। उन सभी विधेयकों और संशोधनों के बावजूद जिन्हें सरकार ने पारित कराया है और इस तथ्य के बावजूद कि सबसे ताकतवर वित्त मंत्री जो आज के सबसे बड़े सूत्रधार व और भी बहुत कुछ हैं, वे एक वकील भी हैं, फिर भी सच यही है अनुप्रयोज्य आस्तियां बढ़ रही हैं आज मेरे मित्र कह रहे हैं कि यह 1,17,000 करोड़ है। नहीं, यह लगभग 2,00,000 करोड़ है क्योंकि बैंक एन.पी. को कभी बंद नहीं करता है। जिन लोगों ने पैसा चुराया है वे इस देश के अपराधी हैं, पर संविदा कानून इतना उल्लंघनीय है कि वे इसका पालन करने के बाद भी देश को यह नहीं बताते कि चूककर्त्ता कौन-कौन हैं। केवल वे ही मामले सार्वजनिक होते हैं जिनमें मुकदमें दर्ज लिए जाते हैं। अनुप्रयोज्य आस्तियां बढ़ रही हैं। मैं सरकार और सत्ताधारी दल के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अनुप्रयोज्य आस्तियां क्यों बढ़ रही हैं और चूककर्त्ता कौन-कौन हैं। चूककर्त्ता किंगफिशर है। किंगफिशर जैसी कंपनियां चूककर्ता हैं। किंगफिशर के मालिक की सरकार में सीधी पहुंच है। पर, एक छोटे किसान की, जिसने हो सकता है कि अपने बैंक ऋण की अदायगी में फसल खराब हो जाने के कारण चूक की होगी, राष्ट्रीयकृत बैंक के अर्दलीत कभी पहुंच नहीं है। यही है वर्ग आधारित समाज जो मैं आपको बता रहा हूं।

किंगफिशर की पहुंच है और यह जाहिर-सी बात है कि क्या सह सही है या गलत, मुझे नहीं मालूम। सरकार देयता को समायोजित कर उन्हें फिर से ऋण देने के लिए बैंकों को बताने

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

हेतु अपने सभी राजनीतिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी। मुझे बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सीधे-सीधे कहा," हम उन्हें ऋण नहीं देंगे।" वास्तविक स्थिति यही है।

आपके सशक्त अधिनियम के बावजूद, जिसका संसद ने समर्थन किया है, आप सार्वजनिक धनराशि को वापस नहीं किए जाने की बढ़ती हुई सामाजिक मर्ज का समाधान नहीं कर पाए हैं। बैंक में किसकी धनराशि है? बड़े जमींदार अपने पैसे बैंक में नहीं रखते हैं। हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं। आम आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है।

लोगों के पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा इसके भुगतान में चूक की अनुमति दी जा रही है तथा सरकार ने स्पष्ट रूप से तथा आपराधिक रूप से सार्वजनिक पैसे की चोरी करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए कानून लागू करने में चूक भी है और पूरी तरह से विफल रही है।

इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया जा रहा है। इससे एनपीए को वसूल करने में किस प्रकार मदद मिलेगी?

अपराह्न 03.04 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

महोदय, बात यह है कि एनपीए की सूचना नहीं दी गई है, एनपीए की जानकारी नहीं है, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कवर की गई एनपीए की राशि लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, काफी अधिक एनपीए है।

मुझे पता नहीं है कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। भाषा का इस्तेमाल देखिए। कारपोरेट ऋण को 'उत्तम' ऋण के रूप में समायोजित किया जाता है। इसे तुलनपत्र में इसी प्रकार दर्शाया जाता है। राशि क्या है? क्या यह 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है? अगर हम इन श्रेणियों को शामिल करते हैं, तब एनपीए की राशि कितनी है? यह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है।

महोदय, अतः कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार अपने पास मौजूद सभी साधनों तथा संसद के समर्थन के बावजूद एन.पी.ए वसूल करने में तथा एन.पी.ए कम करने में बुरी तरह से विफल रही है। ऐसा क्यों है? सरकार अपना दायित्व कभी स्वीकार नहीं करेगी।

महोदय, भारतीय संसदीय व्यवस्था की विडंबना यह है कि मंत्री और सरकार अपनी विफलता के कारणों के बारे में कभी नहीं बात करते हैं। वे वक्तव्य देंगे; वे अपनी ताकत और अपनी संख्या बल का उपयोग कर विधेयक पारित करवा लेते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा पारित करवाएं गए सभी विधेयकों, अधिनियमित किए गए सभी कानूनों तथा अपने पास मौजूद सभी साधनों के बावजूद वे एन.पी.ए कम करने में क्यों विफल रहे हैं। इससे उनको किस प्रकार मदद मिलेगी।

मामला क्या है? ए.आर.जी एक रुग्ण कंपनी का शेयरधारक बन जाएगा यह नई बात है। उसे शेयरधारक क्यों बनना चाहिए? क्या वे नीति में परिवर्तन कर सकते है? क्या वे परिवर्तन कर सकते हैं? क्या वे प्रबंधन में परिवर्तन कर सकते हैं? अगर वे प्रबंधन में परिवर्तन भी कर देते हैं तो आज के कारपोरेट यह जानते हैं कि किस प्रकार की युक्ति काम में लाई जाए। केवल सरकार के पास अपनी संख्या का प्रबंध करने का कौशल है, बल्कि कारपोरेट भी जानते हैं कि ऋण का प्रबंध किस प्रकार किया जाए तथा किस तरह युक्ति का उपयोग किया जाए।

महोदय, अतः बात यह है कि देश को एक मजबूत कानून की आवश्यकता है। मैं एक मजबूत न्यायालय की मांग करता हूं, मैं एक मजबूत न्यायालय तथा देश के उन सभी जानबूझ कर ऋण की वापसी अदायगी के भुगतान में चूक करने वाले जिन्होंने हमारे पैसे की चोरी की है तथा देश के साथ धोखा किया है, की त्वरित सुनवाई किए जाने की मांग करता हूं। अगर आप गंभीर हैं तो एक विशेष न्यायालय बनवाइए तथा इस बारे में त्वरित और एक निश्चित समय-सीमा के अंदर इस मुकदमें की सुनवाई हो और कार्रवाई की जाये।

वे देश के लिए आतंकवादियों से कम खतरनाक नहीं है। यशवंत सिन्हा जी, क्या मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं? आप वित्त मंत्री रहे हैं जैसे कि वह हैं। विशेष न्यायालय बनाने में क्या समस्या है? आप आतंकवादियों का ट्रायल करते हैं। वे आतंकवादी हैं क्योंकि उन्होंने आप पर हमला किया था। इसी प्रकार ये चूककर्ता भी आतंकवादी हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय आर्थिक प्रणाली को व्यवहार्यता पर हमला किया है। हम खराब ऋणों के भारी बोझ से दबे हुए हैं; और सरकार हमेशा निर्दोष भाव से कानून बनाती है ताकि वे यह दिखा सकें कि वे कितने गंभीर हैं। लेकिन साधान में तथा उसका उपयोग करने में हमेशा अंतराल होता है।

महोदय, इसलिए उन कारपोरेटों के अपराध की अनदेखी नहीं की जा सकती है जिन्होंने अपने ऋण का भुगतान नहीं किया है। इसके साथ ही किसी कानून को लागू नहीं करा पाने में सरकार की अक्षमता की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : आप श्री चिदम्बरम से बात कर रहे हैं या श्री सिन्हा से?

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं सरकार की बात कर रहा हूं। श्री चिदम्बरम मेरे मित्र है। मैं उनसे यह क्यों कहूंगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया उन्हें परेशान नहीं करें। उन्हें पता है कि क्या बोलना है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : उन्हें विश्वास यह कि यहं कानून परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए वह आशावादी हैं। लेकिन मैं सरकार की सामर्थ्य के बारे में, राजनैतिक प्रणाली की सामर्थ्य के बारे में कह रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को सामूहिक उत्तरदायितव से पृथक् क्यों करुंगा? सामूहिक रूप से सरकार उत्तरदायी है।

महोदय, मैं अपने सहयोगियों से सहमत हूं कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यह सबसे सरल तरीका है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वह इसी के साथ अपना वक्तव्य शुरू करेंगे। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इन सभी कदमों के बावजूद एनपीए में क्यों वृद्धि हो रही है। यह सबसे पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि कि सरकार के चूक करने वालों के नामों का खुलासा करने से कौन सी बात रोक रही है? तीसरी बात यह है कि सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करेगी? मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह आश्वासन दें। मुझे पता है कि सरकार पर कारपोरेट का भारी दबाव है। मुझे पता है कि किसके दबाव में और कितने दबाव में मंत्रालय तथा वित्त मंत्री को काम करना पड़ता है। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। दबाव होगा। इसलिए मैं आश्वासन नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्हें यह बताने दीजिए कि क्या वह त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय, विशेष कानून पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

अंतिम बात यह है कि सरकार को कौन सी चीज उन लोगों के नामों का खुलासा करने से रोकती है जिन्होंने हमारा पैसा चुराया है? अगर हम किसी चोर के नाम का खुलासा कर सकते हैं, तो हम उस व्यक्ति के नाम का खुलासा क्यों नहीं कर सकते हैं जिन्होंने बैंकों से जनता का पैसा चुराया है? सरकार को अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। *[हिन्दी]* सरकार आम आदमी की बात कहती है। देखा जाएगा कि आम आदमी के लिए आपके आंसू में कितना पानी है। हम देखना चाहते हैं। आप दिखाइए, करके दिखाइए, हिम्मत से दिखाइए। केवल भाषण से नहीं होगा।

[अनुवाद]

मैंने इस सरकार को कई वर्षों से देखा है। खाने से ही स्वाद का पता चलता है। हमें देखना है कि सरकार क्या करना चाहती है। इसका यह पाक साफ दिखना एक छलावा है, हमारे सामने जो नतीजे आ रहे हैं उससे इसकी कलई खुल रही है। सरकार बड़ी सरलता से कह रही है कि विधेयक का पारित कीजिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। हम इसे क्यों पारित करें? इससे हमें किस प्रकार मदद मिलेगी? निर्दोषिता एक आवरण के रूप में आता है लेकिन इसके परिणाम से ही सरकार की सदस्यता का पता चलेगा जो कि आम आदमी की बात करती है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, विधेयक का नाम बिना कागज देखे पढ़ा ही नहीं जा सकता है। विधेयक का नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम है। यह विधेयक का नाम है। अंग्रेजी में इसका नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिपूति हिता का प्रवर्तन अधिनियम है। अंग्रेजी में विधेयक का यह नाम है। जब आम आदमी विधेयक का नाम नहीं ले सकते हैं, तो यह कानून कैसा होगा, इसे समझा जा सकता है। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि क्या आपकी मेधा इसमें कारगर नहीं है कि इस विधेयक का सहज नाम हो, जो आम आदमी की जुबान पर कानून का नाम लिया जा सके। मैं कहता हूं कि एक भी माननीय सदस्य बिना कागज देखे विधेयक का नाम नहीं बता सकता है। जब कानून का नाम याद करना कठिन है, तो कानून का प्रावधान कैसे लागू कर सकते हैं?

इसमें सरकार ने दावा किया है कि बैंक द्वारा दिए गए लोन की वसूली सही ढंग से हो जाए, उसके लिए इस कानून से सहायता मिलेगी, इसलिए कानून में दो संशोधन लाए हैं। एक प्रतिभूति हित

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

का प्रवर्तन और ऋण वसूली है और दूसरे विधेयक का नाम बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम है। यह भी ऐसा ही नाम है, जिसे पढ़े बिना नहीं बोला जा सकता है, तो यह कानून कैसे बनेगा और इसका क्या लाभ होगा, क्योंकि लोग इसे जानेंगे ही नहीं। इसके उच्चारण में ही कठिनाई है। इसलिए मेरा कहना है कि इसे सरल बनाएं और इसमें सुधार करें। इसमें एक साधारण क्लॉज है कि बैंक की जगह पर बहुप्रदेशीय मल्टी स्टेट कोपरेटिव, फिर इसका भी बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे। सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि बैंकों का व्यवहार आम आदमी के साथ कैसा है और पूंजीपतियों के साथ कैसा है। मेरा दूसरा सवाल है कि बैंक का व्यवहार बड़े पूंजीपतियों के लिए प्रो है, बैंक प्रो-कारपोरेरटर हैं, प्रो-पुअर, प्रो-फार्मर नहीं हैं। इसका कैसे समाधान होगा, इसके लिए कौन-सा कानून है। वसूली के लिए कानून लाए हैं।

हमारा यह भी सवाल है कि जो गरीब आदमी है, किसान है, बेरोजगार है, उसके साथ क्या व्यवहार है और दूसरी तरफ जो कंपनी है, कॉरपोरेट है, बड़े आदमी हैं, उनके साथ बैंक का क्या व्यवहार है? यह भी देखा जाना चाहिए। हम सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि बैंक का प्रो-पुअर, प्रो-फॉर्मर, प्रो-बेरोजगार इन सबके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि कंपनी और बड़े आदमी के साथ है। यह सारा कंपनी का कब्जा है, यह बात कैसे साबित होती है? नॉन-पर्फोमिंग एसैट पहले कहां था? नॉन पर्फोमिंग एसैट बढ़ गया है। कैसे चालाकी से नाम दिया गया है? नॉन-पर्फोमिंग एसैट-यानी जो पर्फार्म न करे। यह चालाकी आप देखिए कि उसका पैसा डूब गया और नॉन-पर्फोमिंग एसैट नाम रख दिया - यानी ऐसा एसैट जो पर्फोर्म न करे। लेकिन हमारा सवाल है कि जो पर्फोर्म न करे, वह फिर एसैट कैसे हुआ? ...*(व्यवधान)* प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो दुनिया में हैं, सभी ने चालाकी से ऐसा नियम बनाया है। गरीब आदमी या किसान कोई थोड़े ही नॉन-पर्फोमिंग एसैट वाला काम करता है? बड़ा आदमी ही नॉन-पर्फोमिंग एसैट बनाता है। जो अभी 1,11,600 करोड़ नॉन-पर्फोमिंग एसैट है, इसमें माननीय मंत्री जी बताएं कि कंपनी कॉरपोरेट के यहां कितना है और हमारे गरीब किसान या गरीब आदमी के यहां कितना है? मंत्री जी अभी बताएं कि 1,11,000 यानी 85 फीसदी एनपीए में बढ़ोतरी की गई है? यानी जितना लोन हुआ, उसका यह चार प्रतिशत है और री-स्ट्रक्चरिंग अलग है तथा नॉन-पर्फोमिंग और ज्यादा होगा। रीस्ट्रक्चरिंग 2,16,000 करोड़ रुपये की हुई है। ...*(व्यवधान)* नाम बदलकर यह सब हो रहा है। आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

जहां तक बैंकिंग प्रणाली का सवाल है, गांवों में ऐसा होता है कि जिस गरीब किसान ने कर्ज नहीं दिया है तो वह गर्दन में गमछा लगाए, रातभर गमछा लगाकर रखना है और उनको जेल में भी डाल दो। जेल में डालने का भी क्या कानून है? अपराधी, डाकू और आतंकवादी जाएगा तो वह सरकार का खाएगा और यदि वह किसान जो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाया, यदि वह किसान जेल गया तो उसको जेल में डाल देंगे और जो जेल में वह खाएगा तो सब उसके कर्जे में और बढ़ेगा। यह कानून किसने बनाया? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। गांवों में यदि किसी किसान ने नॉन-पर्फोमिंग एसैट कर दिया तो उसको गर्दन में गमछा लगाना है और उसकी चौखट उखाड़ लो तथा उसके बैल जब्त कर लो लेकिन धारा 302, 395 के तहत जो अपराधी जेल में जाएगा तो वह सरकार का खाएगा। यह प्रोविजन है। अगर किसान जेल में खाएगा तो उसके नाम पर कर्जा बढ़ेगा। ...*(व्यवधान)*

कोई कहे कि बैंक के बिना गरीबी कैसे हटायी जा सकती है और जितने अर्थशास्त्री दुनियाभर में हुए, सबने महसूस किया कि बैंक की स्थापना होगी तब बिना पैसे वाले लोगों को बैंक से लोन मिल जाएगा, महाजनी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कहीं वैसा व्यवहार नहीं है।

सरकार की तरफ से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि नगद राशि खाते में जाएगी। आपने भी देखा होगा कि 120 करोड़ में से 20 करोड़ यू.डी. कार्ड बन गये और सबके खाते में भेजेंगे, कहा जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बैंक कितने खुले हैं? बैंक की शाखा गांव में गई ही नहीं तो नगद राशि कहां से दे देंगे? इसलिए यह जो बिना सोचे-समझे ज्ञान की बातें कही जा रही हैं, इन सब पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसान के साथ व्यवहार अच्छा हो। किसान क्रेडिट कार्ड का क्या हाल है, क्या पूछना नहीं चाहिए? शिक्षा के बारे में सरकार ने एलान किया कि पढ़ने के लिए बैंक लोन देगा। आप देख रहे हैं कि यहां घोषणा कुछ होती है और वहां कुछ नहीं मिलता है। यह बड़ा खतरनाक है कि यहां घोषणा हो लेकिन सरजमीं पर काम न हो।

बिहार में यही हुआ है, राज्य सरकार ने घोषणा की, अब जनता ऊब गई है और वहां उलट-पलट करने के लिए तैयार है। भारत सरकार सावधान, देश की या राज्य की सरकारें सावधान, घोषणा बंद करो और जनता को वाजिब बात बताओ, सही काम करो। अब केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। प्रो प्रोफोर्मर, प्रो पुअर, गरीब आदमी, ग्रामों के साथ बैंक का क्या व्यवहार होगा? नॉन परफोर्मिंग एसैट्स और रीस्ट्रक्चरिंग का हिसाब साफ होना चाहिए। नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप किसान के मामले को नहीं देखते हैं। किसान के मामले में लोग घालमेल करते हैं। नहीं चलेगा, अब जनता खड़ी हो रही है। अब जनता जागरूक और संगठित है, अब धोखा नहीं दिया जा सकता है। बैंक को देखना चाहिए कि प्रो पुअर, प्रो-प्रोफोर्मर को कैसे सहूलियत मिले, पूंजी मिले। बेरोजगार और पढ़ने वाले गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, उसका बैंक साथ न दे। ''पवन जगावत आग को, दीप ही दे बुझाए।'' बड़े आदमी की मदद के लिए बैंक हैं और गरीब आदमी के लिए नहीं है। कानून की बात को साफ करें, तभी कानून पास होगा, नहीं तो कानून लाइए हम ठीक करेंगे। काम उलटा हो रहा है।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : आदरणीय सभापति महोदय, इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य खराब ऋण की वसूल है और दूसरा उद्देश्य प्रतिभूति आस्तियों का प्रवर्तन है। विधेयक में कई बार संशोधन किए गए हैं लेकिन ऋण वसूली नहीं हो रही है। इस प्रकार एनपीए लगभग दो लाख हो गया है अर्थात् यह 4 प्रतिशत से अधिक है। रिजर्व बैंक निदेशों के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक ऋण खराब ऋण होता है। ये ऋण किसने लिए हैं? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ऋण आम लोगों, लघु एवं सीमांत किसानों, मजदूरों के साथ ही बड़े व्यावसायिक घरानों, कंपनियों तथा समृद्ध उद्योगपतियों द्वारा लिए गए हैं। यहां तक कि विदेशी भी ऋण ले रहे हैं तथा विदेशी बैंक काफी कारोबार कर रहे हैं। हमारे यहां सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्होंने लोगों को ऋण दिया है। यह विशाल राशि बेकार पड़ी है तथा इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। यह सार्वजनिक धन है। सरकार उदासीन है। कानून हैं लेकिन कभी इनका कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। नौकरशाह निष्क्रिय हैं तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी अनेक समर्थक हैं। वर्ष 2002, 2003, 2005 तथा पुन: 2012 में संशोधन लाए गए हैं लेकिन इनका लाभ नहीं हुआ है।

गरीब, सीमांत किसान बैंकों से ऋण अवश्य लेते हैं लेकिन धनी किसान भी हैं जो ऋण लेते हैं और कभी वापसी अदायगी नहीं करते हैं। जब भी लघु किसान अथिवा मजदूर ऋण की वापसी अदायगी में चूक करते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उनके प्रतिभूतियां ले ली जाती हैं तथा वे बेघर हो जाते हैं। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त की गई भूमि पर हो सकता है कि वाणिज्यिक फसलों का उतपादन किया जा रहा हो। अत: किसानों को जमीन के साथ उपज से भी हाथ धोना पड़ता है। अत: इन गरीब किसानों पर कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार हमेशा ''आम आदमी'' की बात करती है। बैंकों को उन्हें आसान शर्तों पर ऋण देना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार हो सकता है तथा इससे उन्हें गुजर-बसर करने में सहायता मिल सकती है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यह इन लाचार लोगों का ध्यान रखे तथा उन्हें ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से बचाए, क्योंकि यह वास्तव में धनी लोगों के पक्ष में कार्य करता है तथा गरीब किसान मुश्किल में पड़ जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि राज्य सहकारिताओं को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो आम लोगों, सीमांत किसानों को कृषि कार्यकलापों के लिए छोटी राशि का ऋण देती हैं। अन्य छोटी संस्थाएं भी हैं जो लघु किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देती हैं। इन ऋणों की वसूली आसानी से की जा सकती है। सरकार को न सिर्फ धनी लोगों पर बल्कि गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जानते हैं कि गरीब लोगों के काफी अधिक राशि बकाया नहीं है। देश में 67,000 चूक के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन केवल गरीब लोगों को परेशान किया जाता है और उन्हें सजा दी जाती है। कानून की सख्ती से किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि बड़े औद्योगिक घरानों तथा विदेशी कंपनियों को छूट दी जाती है तो इन्हीं लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत: हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। जब दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस समय कांग्रेस पार्टी

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

ने यह प्रचार किया था कि बैंक देश के सामान्य नागरिकों अथवा आम आदमी की मदद करेंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ। केवल धनी लोगों को बैंकिंग प्रणाली का लाभ मिला। उन्हें विशेषाधिकार और सुविधाएं मिली जबकि निर्दोष किसानों को धीरे-धीरे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए विद्वान सदस्य विधेयक के उपबंधों पर चर्चा और विचार-विमर्श कर सकती हैं। इससे सरकार को जमीनी हकीकत का स्पष्ट चित्र जानने में मदद मिलेगी और वह एक काफी बेहतर ताा प्रभावकारी कानून ला सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, मेरे अनेक साथियों ने इस विषय पर बोला है। अत: जो पहले कहा जा चुका है मैं उसे नहीं दोहराऊंगा परंतु मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर लाना चाहता हूं।

पहली बात यह कि सभा की भावना यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और सभा से स्वीकृति लेने से पूर्व इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए मेरी समझ से यह बात प्रत्येक सांसद पुरजोर तरीके से चाहता है।

महोदय, यदि आप इस विधान को देखें, तो जैसा कि होता है इसमें विवरण की कमी है। क्योंकि बी.आई.एफ.आर कार्य नहीं कर रहा; आपने डेर रिकबरी ट्रिब्यूनल का गठन करके यह दायित्व उसे सौंप दिया। मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 65000 मामले लंबित है। आपने इसमें कोई उल्लेख नहीं किया कि आप उन्हें कैसे शीघ्र निपटाएंगे।

उसके बाद उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि 74000 करोड़ रुपए की गैर निष्पादक आस्तियां क्यों हैं और उनके लिए कौन उत्तरदायी है। एक सामान्य विधान की तरह हम यह करना चाह रहे हैं कि हर बार हम यह सोच कर संशोधन लाते हैं कि समस्या को अंतरित कर दिया जाए क्योंकि हमारे देश में कार्यपालक अभिकरण की जबावदेही नहीं होती। इस बात पर ध्यान केन्द्रित करने में जरा भी समय नहीं लगाया जाता कि जबावदेही किसकी है? पिछले सात वर्षों से स्टॉक मार्किट धोखाधड़ी का एक मामला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ है। अत: हम विश्वास करते है कि अचानक से यह अधिकार बैंकों को दे देने से समस्या हल जाएगी।

अन्य समस्या यह है कि इस देश में जब आप एक करोड़ रुपए से कम का ऋण लेते हैं तो यह मेरी स्वयं की समस्या है और एक करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के मामले में यह बैंक की समस्या है। जैसाकि अनेक वक्ताओं ने ठीक ही कहा है हम गरीब लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। महोदय मैं आपके माध्यम से जानना- चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें सरकार गैरनिष्पादक आस्तियों के संबंध में सतत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि आप गेर निष्पादक आस्तियों की संख्या देखें तो आप पाएंगे कि 20% लोग 80% ऋण लेते हैं।

हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम केवल 80% गरीब लोगों पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे और अदालतों में अपना समय बरबाद करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि दिल्ली में एक अदालत में 12 लाख मामले लंबित हैं। इन 12 लाख मामलों में से 8 लाख मामले छोटी राशि के चैकों के बाउंस होने के संबंध में हैं। इसी प्रकार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हम इसमें उलझ जाएंगे क्योंकि संशोधन में विवरण की अत्यधिक कमी है।

अत: आपके माध्यम से मेरा अनुरोध यह है कि सर्वप्रथम बी.आई.एफ.आर असफल हुआ ही क्यों? आप क्या कदम उठा रहे हैं? आप बी.आई.एफ.आर. के साथ कया कदम उठा रहे हैं? आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को और अधिक कुशल कैसे बनाएंगे? क्या आप गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे?

यह सही कहा गया है कि एनपीए बहुत बड़ी संख्या में हैं और लगभग 200000 करोड़ रुपए का पुनर्गठन कया गया है। अब यदि यह तरीका है, सरकार ऋण का पुनर्गठन करना जारी रखती है, तो इसे बहुत गंभीर स्थिति उतपन्न होगी। अत: मेरा आपसे पुन: यह अनुरोध है कि हमें इसमें विवरण चाहिए। आप ऋण वसूली के लिए समयबद्ध प्रावधान कैसे करेंगे? क्या आप गरीब लोगों पर अपना समय बरबाद करने के स्थान पर बड़े लोगों को पकड़ेगे?

मैं आपसे और सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमें अपने विधान में जबावदेही और स्पष्ट ढंग से नियत करनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से 65000 मामले लंबित है? ये

मामले सात वर्षों से लंबित है? इसके आगे उनका यह विश्वास है कि उन्होंने बी.आई.एफ.आर की समस्या को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास अंतरित कर दिया है। ओर देश निष्पादक बन जाएगा और सभी आस्तियां कार्य करने लगेंगी। यह वास्तव में इस मूल तथ्य से भागना है कि आप जमीनी स्तर पर कार्यपालन और कार्यवाही नहीं कर रहे। हमें विश्वास है कि यह कार्यपालक को कार्यपालन के लिए और अधिक उत्तरदायी बनाएगा; एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि एनपीए कौन कौनसी है और किसी है, ओर यह कि 2 लाख करोड़ रुपए के ऋणों के पुनर्गठन में सरकार क्या कदम उठा रही है?

यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यदि आप एक छोटे किसान/ट्रांसपोर्टर है तो आपकी आस्तियां तत्काल जब्त कर ली जाएंगी और यहां हमें जनप्रतिनिधियों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस विधान में और विस्तृत विवरण देने के लिए इसे वित्त समिति के पास भेजने की आवश्यकता है। इस विधेयक में विवरण की बहुत कमी है। हमने अभी कहा हैं कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हमारी सभी समस्याओं को हल कर देगा। इसने हमारी समस्याओं को हल नहीं किया है। क्योंकि 65000 मामले लंबित है और उनमें से अधिकांश 7 वर्षों से लंबित है आर.बी.आई के श्वेतपत्र में प्रतिवर्ष एनपीए पर निष्पादन रिपोर्ट दी जानी चाहिए। यह 50000 करोड़ रुपए, 70000 करोड़ रुपए है और अगले वर्ष इस विधान के बावजूद यह 100000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर विचार करें।

महोदय बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रतिभूति हित परिवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी पार्टी जनता दल (यूनाईटेड) की तरफ से इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को अपने लोन को चुकता करवाने के लिए विशेष शक्तियां दिए जाने के बारे में है। इससे बैंकों की गैर-निष्पादन कार्य संपत्तियां, एनपीए की कम होंगी। एनपीए को कंट्रोल करने में बैंकों द्वारा रिकवरी और अन्य माध्यमों से किया जाता है। केंद्रीय बैंक भी इसका अनुसरण करता है। केंद्रीय बैंक इसका अनुसरण बैंकों की वार्षिक जांच में और बैंकों के नियामक रिटर्न, जो कि स्वयं जा कर जांच से प्राप्त होता है और बैंकों के साथ अंतरकाल मॉनिटरिंग में करता है।

बैंकों के लोन प्राप्त करने के मामले में तीन चैनल हैं। पहला सर्फेसी कानून है। द्वितीय आस्तियों और विभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम, 2002, दूसरा संशोधन ऋण वसूली अधिनियम, 1993, तीसरा लोक अदालत है। लेकिन, इन तीनों चैनलों से लोन रिकवर का मामला हल नहीं हो पाता है। यही रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के जून, 2012 के उपलब्ध आंकड़ों से प्राप्त कुल एनपीए 1 करोड़ 23 लाख 462 रुपये है। जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के 40 हजार 756 करोड़ रुपये हैं। एसबीआई भारतीय बैंकिंग सेक्टर का 25 प्रतिशत हिस्सा है। यह कुल 33 प्रतिशत होता है। सन् 2011-12 में कुल एनपीए में सबसे ज्यादा बढ़ा है।

डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 67524 मामले लंबित हैं, इसलिए बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे एआरसी के थ्रू कंपनी की प्रतिभूति को ही अपने में समाहित करे, लेकिन यह एक क्षणिक समाधान है। समाधान यह होना चाहिए कि लोन लेने वाली कंपनी तथा कारपोरेट सैक्टर की पूरी बारीकी से जांच हो तथा विदेशी बैंकों की तर्ज पर इसकी कैटागरी 'क', 'ख' और 'ग' लाई जाए, जिसमें जांच के बाद कैटागरी 'क' और 'ख' को लोन दिया जाए। इससे लोन रिकवरी का मामला सुगम होगा। लोन लेते समय संपत्ति मॉर्टगेज की जाती है। जिसका जो वैल्यू कंपनी बनाकर देती है, उसको बैंक वाले भी जांच कर सही वैल्यू लगाकर लोन दें, ताकि बाद में यह न हो कि 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति ट्रिब्यूनल में 200 करोड़ रुपये की हो जाए। यह साबित करना होगा। इससे वार्षिक बैलेन्सशीट भी बिगड़ती है। अभी केन्द्रीय बैंक ने यह निदेश दिया है कि जो संपत्ति मूल्य एक्वुअल है, उसे बैलेन्सशीट में दर्ज किया जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री यशवन्त सिन्हा

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदय, कृपया मुझे इस मामले के संबंध में मेरी पार्टी के निर्णय के बारे में कुछ शब्द कहने की अनुमति दें

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री एस. सेम्मलई : महोदय मैं कोई भाषण नहीं दूंगा और मैं इस मामले में अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा।

सभापति महोदय जहां तक इस विधेयक का संबंध है। इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। यद्यपि विधेयक पर चर्चा आरंभ की गई है बहुत देर नही हुई है विधेयकों को किसी भी समय समिति को भेजा जा सकता है। अतः मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि माननीय सभापति महोदय कृपया इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : धन्यवाद महोदय, मैं इस चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और मैं विधेयक के गुणों का गान भी नहीं करना चाहता। मैं केवल उस सुझाव को दोहराऊंगा जो अभी अभी माननीय सदस्य ने दिया है। यह विधेयक पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था और ठीक एक वर्ष बाद यह इस सभा में विचारार्थ तथा पारित किए जाने हेतु आया है। यदि इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा भी जाता तो मुझे विश्वास है कि स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया होता है और फिर विधेयक अपने सभी पहलुओं और पूरे विस्तार के साथ माननीय सदस्यों के विचारार्थ उपलब्ध होता क्योंकि स्थायी समिति भी विधेयक पर विचार करती है।

मैं अब भी ईमानदारी से सरकार से अपील करता हूं कि इस तथ्य के मद्देनजर कि विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में एक साल लग गया है इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाए और स्थायी समिति द्वारा इस पर विचार विमर्श कर लिए जाने के पश्चात् विधेयक पर पुनः इस सभा में विचार किया जाए। यह अपील मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता था। धन्यवाद।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदय यह पूरे विपक्ष की ओर से अपील है। देखें सरकार विपक्ष के विचार पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम) : हमारी पार्टी का भी यही विचार है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया अब बाधा न डाले। माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, यह अधिनियम पहली बार वर्ष 2002 में पारित किया गया था। जब डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसका नाम बहुत जटिल है, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह नाम वर्ष 2002 में आया और इसीलिए साधारण बोल चाल की भाषा में इसे एस.ए.आर. एफ.ए.ई.एस.आई अधिनियम कहते हैं क्योंकि अन्यथा यह नाम बहुत लंबा नाम है। यह किसी दक्षिणी भारतीय नामो जैसा है जो बहत लंबे होते हैं। इस अधिनियम में एक बार वर्ष 2004 के अधिनियम 30 द्वारा संशोधन किया गया है और फिर इस अधिनियम की कार्यप्रणाली में कुछ कठिनाइयां सामने आई। विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। मेरे माननीय पूर्ववर्ती मंत्रीजी ने 12 दिसंबर 2011 को विधेयक को सभा में पुरःस्थापित किया। उन्होंने तत्काल अध्यक्ष को पत्र लिखा कि विधेयक चालू सत्र अर्थात शीतकालीन सत्र में या बजट सत्र में विचारार्थ लिया जाए और इसे वित्त वर्ष के अंत से पूर्व ही पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेक से इस सुझाव को स्वीकार किया और इसलिए विधेयक को स्थायी समिति के पास नहीं भेजा। अतः यह विधेयक स्थायी समिति के पास क्यों नहीं भेजा गया इसका भी एक इतिहास है। और मैं माननीय श्री यशवन्त सिन्हा से सहमत हूं कि यह अनुरोध न किया गया होता या यदि अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया होता, तो यह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया होता और संभवतः अब तक इस पर रिपोर्ट तैयार हो गई होती। परंतु अब मुझे या सभा को या आपको यह बताना कि दिसंबर, 2012 में जब विधेयक पर सभा में चर्चा का अवसर आया है, तो हम इसे समिति के पास भेज दें, इससे मैं मानता हूं कि वह उद्देश्य ही व्यथ हो जाएगा जिसके लिए इस विधेयक को दिसम्बर 2011 में इस मांग के साथ पुरःस्थापित करने की मांग की गई थी कि इस पर उसी सत्र में विचार किया जाए और उसी सत्र में इसे पारित किया जाए और यदि नहीं, तो बजट सत्र में।

मेरा विचार है कि जब माननीय प्रोफेसर सौगत रॉय द्वारा अध्यक्ष महोदय के निदेशों पर आपत्ति उठाई गई थी तो एक निर्णय पहले ही दे दिया गया है। अध्यक्ष ने अपने विवेक से निर्णय लिया हे कि विधेयक पर इस सभा में चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। अतः मेरा सम्मानपूर्वक अनुरोध है कि हालांकि मैं माननीय

सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान करता हूं कि यह विधेयक संभवत: 2011 में स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता था मेरी अपील है कि अब इस बात पर बहुत जोर न दिया जाए।

हमें वर्ष 2012 में यह विधेयक अंतिम रूप से वाद-विवाद में सूचीबद्ध करने के लिए मिल गया है और वर्तमान बैंकिंग प्रणाली जिसे सब बचाना चाहते थे, के हित में ज़रूरी है कि इस विधेयक को अब पारित किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध तकनीकी संशोधन हैं। और मैं हर संशोधन की व्याख्या में यह कहने को तैयार हूं कि इसमें संबंधित अधिनियम के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के अलावा और कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है।

दूसरा बिंदु यह है कि इस विधेयक से किसी भी किसान या किसी भी गरीब ऋणदाता के लिए कोई नुकसान नहीं है क्योंकि, परिभाषा के अनुसार, यह विधेयक 10 लाख रुपए से कम के ऋणों पर लागू नहीं होता। ऋण वसूली अधिनियम 10 लाख रुपए से कम के ऋणों पर लागू नहीं होता। और मैं धारा 1 की उप-धारा (4) को पढ़ूंगा। यह बताता है कि इस अधिनियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगें जहां देय ऋण राशि आदि 10 लाख रुपए से कम है। एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई अधिनियम की धारा 31 के आधार पर यह अधिनियम कृषि भूमि में सृजित प्रतिभूति ब्याज पर लागू नहीं होता। इसलिए, अधिनियमों का उद्देश्य किसी भी गरीब किसान या किसी भी गरीब कर्जदार के लिए नुकसानदेह नहीं है। ऋणों को इन अधिनियमों का उद्देश्य ऐसे ऋणों की वसूली करना है। जो बडे़ ऋण हैं विशेषकर कॉरपोरेट क्षेत्र से, उन ऋणों की वसूली जो लेने के बाद चुकाने में दूरादतन चूक कर रहे हैं अत: बैंकों और आरबीआई तथा डी.आर.टी के साथ इस विषय पर गहन विचार-विमश किया गया क्योंकि डी.आर.टी वह संस्था है जो ऐसे मामलों को देखता रहा है तत्पश्चात्, इसलिए वर्ष 2011 में किया गया और इस प्रकार यह विधेयक सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अब, श्री अड्सुल ने एक प्रश्न पूछा है। मैं उन्हें टोकना नहीं चाहता था। उन्होंने एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा। ये बहु-राज्यीय सहकारी बैंक क्यों अधिसूचित हैं और बाकी बैंक क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर है कि वे बैंक अधिसूचित किए गए हैं। धारा 2(क) (9ग) के अंतर्गत 'बैंकस्' का अर्थ है वे बैंक जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। 28 जनवरी, 2003 की अधिसूचना के द्वारा सहकारी बैंकों को अधिसूचित किया गया और दिनांक 17 मई, 2007 की अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिसूचित कया गया है। अत: सभी बैंकों को अधिसूचित किया गया है। मैं आपके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। केवल यही एक मुद्दा था जिस पर आप स्पष्टीकरण चाहते थे। मुझे आपको स्पष्टीकरण देते हुए प्रसन्नता हो रही है।

हां, एनपीए एक समस्या है। लेकिन इस देश में जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो एनपीए नियंत्रण में रहते हैं। 2006 और 2011 के बीच, एनपीए 3 प्रतिशत से कम पर नियंत्रित रहीं थीं। मार्च, 2006 में एनपीए सकल 3.48 प्रतिशत था। तब से, पांच सालों से, यह 3 प्रतिशत से कम या...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या मैं संख्या के बारे में पूछ सकता हूं?

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे अपनी बात खत्म करने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आप बोल रहे थे तब किसी ने आप को बीच में नहीं टोका।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं टोक नहीं रहा हूं। मैं केवल पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी शायद हमें इसकी मात्रा बताते समय प्रसन्न होंगे। यह शब्दों का एक मायाजाल है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे समाप्त करने दें। मैंने सभी 13 सदस्यों की बात सुनी। मुझे अपनी बात खत्म करने दें और फिर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

यह क्रमश: 2.66%, 2.39%, 2.44%, 2.5% ओर 2.37% थी। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है; और यदि एनपीए का प्रतिशत वही रहे; तो इसका अर्थ मोटे तौर पर यह हुआ कि कुल कर्जदारी बढ़ गई है। एक विकासशील देश में ढाई प्रतिशत सकल एनपीए कोई असामान्य बात नहीं है। एक विकासशील देश में ढाई प्रतिशत सकल एनपीए कोई असामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में चूककर्ताओं की खासी संख्या है यथा किसान और यहां तक कि स्व-सहायता समूह भी इसमें शामिल हैं। ऋण चुकाने

[श्री पी. चिदम्बरम]

के बेहतरीन समूहों का एनपीए एक से दो प्रतिशत है। क्या आप ये कहेंगे कि पूरा स्व-सहायता समूह इरादतन चूककर्ता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे। एनपीए एक से दो प्रतिशत होगा। यदि सब अपना ऋण चुका दें, तो एनपीए बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां सब लोग ऋण चुका देते हैं। और निवल एनपीए अच्छी तरह से नियंत्रण में था, एक प्रतिशत से कुछ अधिक, क्योंकि बैंक ऋण भुगतान कर रहे थे और विनियामक कई सालों से इसके लिए सख्त था। मैं इसके लिए कोई क्षेत्र नहीं लेता। भावी वित्त मंत्री इसको श्रेय ले सकते हैं क्योंकि विनियामक काफी सख्त रहा है तथा निवल एनपीए को केवल एक प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रखने का उपबंध किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ, अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों, अर्थव्यवस्था में दबाव और कुछ क्षेत्रों का सही से कार्य न कर पाने के कारण हुआ। और क्योंकि बहुत से क्षेत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, सकल एनपीए निस्संदेह 3 प्रतिशत से ऊपर हो गया है। यह अब लगभग 3.5 प्रतिशत है। यह तब भी, क्योंकि हम उपबंध करते हैं, क्योंकि भा.रि. बैंक प्रावधान बनाने के लिए बैंकों के प्रति बहुत सख्त है और निवल एनपीए अब तक केवल 1.62 प्रतिशत है। सकल एनपीए लगभग साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक है लेकिन निवल एनपीए केवल 1.62 प्रतिशत है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो क्षेत्र इस समय दबाव में हैं, उन्हें मुश्किल समय से बाहर निकाला जाए तथा उन ईकाइयों से ऋणों की वसूली की जाए जो मुनाफा कमा रहे हैं। वे ईकाईयां जो सचमुच दबाव में हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। मैंने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमें हाथ बढ़ाकर कुछ मदद करनी चाहिए ताकि वे सभी दिवालिया न हों। वे आर्थिक दबाव से बाहर आ जाएं। हमें रोजगार बचाना है; हमें, नौकरियां बचानी हैं, और हमें निर्माण कार्य को भी बचाना है। एक बार जब अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वे अपनी मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और यही मुश्किल है जो बढ़ते हुए सकल एनपीए में झलकती है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि आरबीआई को धन्यवाद, कड़ी निगरानी के लिए धन्यवाद, किए गए प्रावधानों के लिए धन्यवाद, इन सब के कारण निवल एनपीए नियंत्रण में है। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली मुश्किल में है। सच में कई सदस्यों ने हमारी बैंकिंग व्यवस्था का सराहा। जब लगभग हजार से ज्यादा बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में विफल हो गए थे, भारत में एक भी बैंक विफल नहीं हुआ...*(व्यवधान)* अच्छे विनियमन, सुशासन, अच्छे प्रावधान बनाने और हमारी बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि के कारण, ज्यादा लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और ज्यादा लोग उधार ले पाने में सक्षम हैं।

बैंकों का विस्तार हो रहा है। जब बैंकों का विस्तार नए क्षेत्रों में होता है, शुरूआती सालों में कुछ समस्या आती है। वास्तव में, 2009-10 में हमने 5,192 नई शाखाएं, 2010-11 में 5314 नई शाखाएं, और 2010-11 में 6503 नई शाखाएं खोली हैं। हम प्रतिदिन 20 की दर के हिसाब से नई शाखाएं खोल रहे हैं। प्रतिदिन 20 शाखाएं खोलना कोई आसान नहीं है, 20 शाखाएं प्रतिदिन खोली जा रही हैं। इसके बावजूद, भारत के ऐसे कई भाग हैं जहां बैंक अभी तक नहीं पहुंचे हैं और अभी हमें कई सारी शाखाएं खोलनी चाहिए। हमारा इरादा कई सारी नई शाखाएं खोलने का है।

सच कहूं, श्री अडसुल ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी धारा में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। ये धाराएं स्वतः स्पष्ट हैं। वास्तव में किसी के भी संशोधन या किसी भी संशोधित धारा को लेकर कोई गंभीर झगड़े नहीं है। इसलिए, शायद मुझको यह आवश्यक नहीं लगता, कि मै यहां प्रत्येक संशोधन की व्याख्या करूं। किसी भी संशोधन के बारे में बहुत अधिक विवादास्पद कुछ भी नहीं है।

कुछ सामान्य स्तर के बड़े मुद्दे उठाए गए थे। एआरसी कौन हैं? कुल 14 एआरसी हैं। एक एआरसी व्यवसाय का वास्तविक 60 प्रतिशत है और यह केवल एक एआरसी आर्सिल है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रवर्तित किया गया है। अतः देश की सबसे बड़ी एआरसी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रवर्तित किया गया है और वह व्यवसाय का लगभग 60 प्रतिशत है। अन्य एआरसी अब अस्तित्व में आई हैं और निश्चित रूप से व्यवसाय में वे अपना हिस्सा प्राप्त करेंगी। लेकिन अभी 14 एआरसी हैं।

अगला प्रश्न है: क्या एआरसी का का कोई विनियामक है? जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक एआरसी का विनियामक है। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति लेनी होती है और संबंधित अधिनियम

यह बताता है कि किस प्रकार रिजर्व बैंक एआरसी का विनियमन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।

श्री संजय निरुपम ने एआरसी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट के बारे में पूछा था। एआरसी के कार्यकरण के बारे में एक समिति बनायी गयी थी उन्होंने इंगित किया कि एआरसी द्वारा अनुसरण किए जा रहे कुछ लेखा कार्य के तरीके मानकों के अनुरूप नहीं थे। वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और आर्सिता के लेखे सिफारिशों के अनुसार दोबारा बनाए गए तथा आरबीआई ने उन दोबारा बनाए गए लेखाओं को स्वीकार कर लिया है।

श्री संपत द्वारा स्थगन के कुछ संदर्भ प्रस्तुत किए गए। मुझे लगता है कि वे उन बेचारे वकीलों के लिए अनुरोध कर रहे हैं जो और अधिक स्थगन चाहते हैं। एक सांस में वह कहे जा रहे हैं कि वे उन बैंकों के लिए अनुरोध कर रहे हैं जिन्हें उगाही करनी है और उसी सांस में वह चूककर्ताओं के लिए अनुरोध कर रहे हैं। श्री पिनाकी मिश्रा ने कहा कि कुल 64000 मामले विचार के लिए लंबित हैं। क्यों 64000 मामले अभी तक लंबित हैं? एक कारण डीआरटी की अपर्याप्त संख्या है। मैं इस बात से सहमत हूं कि और डीआरटी खोले जाने चाहिए। हम अधिक डीआरटी खोलेंगे। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं, न्यायधीशों को ढूंढने की आवश्यकता है, लेकिन हम और डीआरटी खोलेंगे। मैं आपके इस निवेदन पर विचार करूंगा कि केरल में एक और डीआरटी खोला जाना चाहिए।

लेकिन, मामले लंबित हैं क्योंकि वह हफ्तों से महीनों और महीनों से सालों तक खिंचते चले जाते हैं। इसलिए, हम एक मामले में स्थगनों की संख्या सीमित कर रहे हैं। यह सब वही मामले हैं जहां कई दस्तावेजों द्वारा सुरक्षा हित को सुरक्षित किया गया है। इसमें वास्तव में सबूत देने लायक कुछ भी नहीं है। यह सभी ऋण दस्तावेजों में मौजूद हैं। किसी भी संख्या के दस्तावेजों को दिखाकर कि इस व्यक्ति ने ऋण लिया था, वह व्यक्ति चूककर्ता है, साबित किया जा सकता है। अत: हम एक व्यक्ति कितनी बार अपना मामला स्थगित करा सकता है, उसको सीमित कर रहे हैं।

एक मामले को कितनी बार स्थगित किया जा सकता है? हमने कहा कि यदि प्रतिवादियों की संख्या 'एक्स' है तो स्थगन की संख्या 6 तक सीमित कर दी जाए। नहीं तो, स्थगन की संख्या 3 तक सीमित कर दी जाए। इसमें गलत क्या है? किसी न किसी दिन तो इन मामलों का फैसला होना है। हम सिर्फ पूछने के लिए लगातार और स्थगन नहीं दे सकते। फिर, क्यों 64000, 640000 मामले लंबित होंगे। इन मामलों को एक या दो सुनवाई में समाप्त किया जा सकता है और किया जाना चाहिए क्योंकि यह सभी भली-भांति प्रलेखित मामले हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि स्थगन की संख्या को सीमित करने का प्रावधान हितकारी प्रावधान है। यह प्रावधान उधारकर्ता के पूरी जांच के अधिकार को छीनेगा नहीं। छह स्थगन, क्या यह एक मामले को निपटाए जाने के लिए काफी नहीं है?

मैं सम्मानपूर्वक मेरे साथी-वकील सदस्य, श्री संपत से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को मुद्दा न बनाएं कि क्यों मैं स्थगनों की संख्या सीमित कर रहा हूं। वास्तव में, हमें स्थगनों की संख्या सीमित करनी चाहिए ताकि मामलों का निपटारा हो सके।

तत्पश्चात् लंबितता के बारे में एक प्रश्न था जिसके बारे में मैंने कहा था। एसएआरएफएईएसआई के अध्यारोही प्रभाव हैं। क्या आपने धारा 35 पर ध्यान दिया है - एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के बारे में - श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा दोबारा पूछा गया है - हां, इस अधिनियम के अन्य कानूनों पर अध्यारोही प्रभाव है। उन्होंने कहा कि हमें रिट क्षेत्रप्राधिकार भी ले लेना चाहिए। यह संभव नहीं है। वे मुझसे बेहतर जानते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें।

श्री पी. चिदम्बरम : आप याचिका के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीन सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है? जो माननीय मंत्री जी कहेंगे उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कार्यवाही कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

...*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : हम अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायलय का अधिकार क्षेत्र नहीं छीन सकते। हम केवल सिविल कोर्ट के अधिकार छीन सकते हैं। सिविल कोर्ट के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। परंतु हम उच्च न्यायालय के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं कि आप

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

एक विख्यात वकील हैं लेकिन कृपया मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)* मैं उसका बिल्कुल भी दावा नहीं करता। ...*(व्यवधान)* हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। अत: हमें अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों को अक्षुझण रहने देना होगा। परंतु सिविल कोर्ट के अधिकारों अतिव्याप्ति हुई हैं। इस न्यायाधिकरण को इन मामलों पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

कुछ कंपनियों का संदर्भ दिया गया था जो कि किन्हीं वैयक्तिक मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी स्थिति में मैं किसी के प्रति कोई विशेष पक्षपात नहीं होने दूंगा। एक विशेष मामले का उल्लेख किया गया था जिसमें विशाल एन.पी.ए; बैंकों द्वारा अत्यधिक कड़े कदम उठाए जा रहे और उन्हें किसी भी प्रकार समायोजित करने से पूर्व उन्हें कहा जा रहा है कि वे पुरानी ऋण राशि दें कोई नए ऋण नहीं दिए जा रहे। वास्तव में कर विभाग ने उन आस्तियों की कुर्की करके कठोर कदम उठाया है। अत:किसी को भी विशेष लाभ नहीं दिया जा रहा, चाहे वह कोई भी हो। कानून अपनी प्रक्रिया से कार्य कर रहा है।

महोदय, जहां तक संशोधन के गुणों का संबंध है, मैं सादर वह निवेदन करता हूं। संभवत: संशोधन के गुणों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। यह संशोधन शुद्ध रूप से संशोधन है जिन्हें अधिनियम को अपने कार्यकरण में अधिक प्रभावी बनाने के लिए तथा अधिनियम के अनुप्रयोग के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकों कह सहायता करना है, बैंकों से परामर्श किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य डी.आर.टीज़ को प्रक्रिया शीघ्र करने में सहायता देने का है, डी.आर.टीज़ से परामर्श किया गया है।

अत: मैं अनुरोध करूंगा कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाए। यदि तीसरे वाचन के चरण में किसी माननीय सदस्य को किसी संशोधन विशेष के संबंध में कोई कठिनाई है, तो मैं संशोधन पर स्पष्टीकरण देने को राज़ी हूं परंतु अन्यथा ये संशोधन स्वत: स्पष्ट हैं। मैं सभा से इन संशोधनों को पारित करने का सादर अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, सभी माननीय सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय एक बहुत उचित सुझाव दिया गया है कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए! इसे स्वीकार तक नहीं किया गया; अत: हम सदन से बाहर जाते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.58 बजे

इस समय, श्री यशवंत सिन्हा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री बसुदेव आचार्य : विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने में क्या कठिनाई है?...*(व्यवधान)* हम भी सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 03.58½ बजे

इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय हम इसके विरोध में 'वाक आउट' कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.59 बजे

इस समय, श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

अपराह्न 4.00 बजे

नियम 80(i) के निलंबन—के बारे में प्रस्ताव

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i)" को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i)" को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

नया खंड 2ख धारा 5 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 8 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए—

'2क, मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:—'

"(5) उपधारा (1) के अधीन वित्तीय अस्तियों के अर्जन पर प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी प्रारंभकर्ता की सहमति से किसी लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों में अपने नाम के प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए ऋण वसूली अधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करेगी और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर ऐसा ऋण वसूली अधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय या प्राधिकरण प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के ऐसे लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों के नाम के प्रतिस्थापन के लिए आदेश पारित करेगा।"।' (3)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 2क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड-2क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 धारा 13 का संशोधन

संशोधन किए गए:

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

(ग) उपधारा (9) के आरंभिक भाग और उसके स्पष्टीकरण में, दोनों स्थानों पर आने वाले "तीन-चौथाई" शब्दों के स्थान पर" साठ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड(i)" को, जहां तक उसमें यह

[श्री पी. चिदम्बरम]

अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ओर ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड(i)" को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ओर ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क धारा 15 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5 पंक्ति 34 के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाए—

'11क. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के विरुद्ध जांच के लंबित रहने के दौरान पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के चयन के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष को निलंबित करने वाला आदेश पारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, उसे पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने से प्रविरत रहना चाहिए।"1' (5)

(श्री पी. चिदम्बरम)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि नया खंड 11क, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 धारा 19 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 15 के पश्चात निम्न को अंतःस्थापित किया जाए—

'(कक) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"3(क) यदि अधिकरण के समक्ष किसी ऋण की वसूली के लिए फाइल किए गए किसी आवेदन का उस अधिकरण के समक्ष सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व या अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर निपटान कर दिया जाता है, तो आवेदक को उसके द्वारा संदत्त फीस की ऐसी दरों पर, जो विहित की जाए, प्रतिदाय मंजूर किया जा सकेगा।";

(कख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) प्रतिवादी समन की तामील से तीस दिन के भीतर अपने पक्ष में एक लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

परंतु यह कि जहां प्रतिवादी उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां पीठासीन अधिकारी, ऐसे आपवादिक मामलों में और ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो लेखबद्ध किए जाएं, प्रतिवादी को लिखित कथल फाइल करने के लिए दो से अनधिक विस्तार अनुज्ञात कर सकेगा।";

'(कग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(5क) आवेदन की सुनवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक सुनवाई समाप्त न हो जाए:

परंतु यह कि अधिकरण स्थगन मंजूर कर सकेगा यदि पर्याप्त हेतुक दर्शाया जाए किन्तु किसी पक्षकार को ऐसा स्थगन तीन बार से अधिक मंजूर नहीं किया जाएगा और जहां तीन या उससे अधिक पक्षकार हैं, वहां ऐसे स्थगनों की कुल संख्या सामान्यत: छह से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि पीठासीन अधिकारी, ऐसे खर्चे, जो आवश्यक समझे जाएं, अधिरोपित करने पर अतिरिक्त स्थगन मंजूर कर सकेगा।"।'। (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...*(व्यवधान)*

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड(i)" को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ओर ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड(i)" को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ओर ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15 धारा 36 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6 पंक्ति 28 के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाए-

'15. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) में खंड(ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(गग) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3क) के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की जाने वाली फीस कर दर।"।'। (7)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

"यह कि नया खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किये गये

पृष्ठ 1, "2011" के स्थान पर "2012" प्रतिस्थापित करें। (2)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:–

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "बासठवें" के स्थान पर "तिरसठवें" प्रतिस्थापित करे। (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विस्तृत शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित, रूप में पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित, रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:

"कि विधेयक, संशोधित, रूप में पारित किया जाए।"

प्रो. सौगत राय : महोदय, इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें। उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, मैंने आपको अनुमति दे दी है। आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं केवल एक बिंदु रखना चाहता हूं। पहला यह कि हम विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत न करने संबंधी वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सहमत नहीं है। दूसरा, मैंने उनसे इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं सुना कि उन्होंने आस्ति पुन:निर्माण कंपनियों में 49 प्रतिशत एफडीआई लाने का निर्णय क्यों लिया। जहां तक उन कंपनियों जिन्होंने रुग्ण अथवा बेकार ऋण दिए हैं, का पुनरूद्धार करने के लिए आस्ति पुन: निर्माण कंपनियों के संबंधी में, एफडीआई का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है? उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया। मैं आशा करता हूं कि वे इसे स्पष्ट करें या ये केवल यह दिखाने के लिए है कि वह सुधार कार्य के लिए ऐसा कर रहे हैं और एफडीआई के लिए मार्ग खोल रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जहां तक पहले बिंदु का संबंध है, मैंने पहले इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है कि मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती व्यक्ति द्वारा यह विधेयक 2011 में क्यों लाया गया था, इस अनुरोध के साथ कि उस समय इसे स्थायी समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था तो अब 12 महीने के बाद उसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। मैं अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। कुछ लोग उससे संतुष्ट हैं और कुछ नहीं है पर यही होता है।

जहां तक, एआरसी में एफडीआई का संबंध है, इसे वर्तमान विधेयक के लिए नहीं लाया जा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के 11 नवंबर, 2005 के परिपत्र के माध्यम से एआरसी की इक्विटी में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति मिली है। 2005 से यही एफडीआई है। हालांकि, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केवल एक कंपनी में वास्तविक एफडीआई 31 प्रतिशत है। लगभग नौ कंपनियों में कोई एफडीआई नहीं है। आर्सिल कंपनी जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, में केवल 15 प्रतिशत की एफडीआई है और अन्य कंपनियों में एफडीआई का छोटा सा हिस्सा है।

अब यह सवाल कि हमें एफडीआई की आवश्यकता क्यों है। कोई एफडीआई थोप नहीं रहा। यह कुछ हद तक संभव है कि एक पुन:निर्माण कंपनी बिना एफडीआई के चल सकती है लेकिन आस्ति पुन:निर्माण और प्रतिभूतिकरण बहुत ही तकनीकी विषय हैं।

सबसे पहले भारत में हमारे पास कोई पुन: निर्माण कंपनियां नहीं थीं।

हमारे पास यह अधिनियम पारित होने तक कोई प्रतिभूतिकरण कंपनियां नहीं थीं। अत: हमारे पास प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुन:निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। सरकार के ज़ोर देने पर जब प्रतिभूतिकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाया गया था तब शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस बारे में उन देशों के अनुभवों से सीखना चाहिए जिन्होंने सफलतापूर्वक आस्ति पुन:निर्माण और प्रतिभूतिकरण किया है इसलिए, एफडीआई के लिए एक राह खोली गई थी और उस राह का प्रयोग थोड़ी कंपनियों द्वारा आंशिक रूप से किया जा रहा है। यह भी कुछ हद तक संभव है कि उस राह को बंद कर दिया जाए जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा हमें एफडीआई की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि आस्ति पुर्निर्माण बहुत ही अग्रवर्ती और जटिल साधन हैं, इसलिए शायद भारतीय रिजर्व बैंक ने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि एफडीआई के लिए खोली जाए। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, इस राह का दोहन नहीं किया गया; इस राह का दुरूपयोग नहीं किया गया। वास्तव में बहुत सी कंपनियों में एफडीआई नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 04:12 बजे

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 14 - बैंककारी विधि (संशोधन), विधेयक, 2011 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बैंककारी विधिनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनियां उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंककारी कंपनियां उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक और कतिपय अन्य विधानों में परिणामी संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यहां एक प्रक्रिया का प्रश्न है। हम सभी ने इसकी सूचना दी है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्री कतिपय नियमों की अनदेखी करने के लिए सदन का अनुमोदन चाहते हैं। सदन को इस बारे में एक मत होना चाहिए ताकि नियमों का निलंबन किया जा सके। मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं, और हम नियम के निलंबन के लिए सहमत नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कतिपय संशोधनों को लाने के लिए नियम निलंबन का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में आप कृपया सदन की राय ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सदन उन कुछ नियमों के निलंबन के लिए सहमत होते हैं जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है।.?

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मैं अपने दोनों कलीग्स के साथ एसोसिएट करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह बात शुरू में कह दूं कि इस बिल का लम्बा इतिहास है, मैं मेरिट्स में नहीं जा रहा हूं, प्रोसीजर पर बोल रहा हूं। यह बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को गया, स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आ गयी। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को कंसीडर करने के बाद सरकार यह बिल लाई। अब इसमें मुद्दा क्या उठता है, जो हमारे दोनों डिस्टिंग्विस्ड कलीग्स ने उठाया है।

अपराह्न 04.14 बजे

[**डॉ गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

मुद्दा यह है कि मंत्री महोदय ने नियम 388 के अंतर्गत एक ऑफ मोशन दिया है। इस नोटिस में उन्होंने यह कहा है कि *[अनुवाद]* नियम 80 के उपखंड (1) में छुट देते हुए इस सभा में बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक को संशोधन संख्या 3 पर

[श्री यशवंत सिन्हा]

विचार किया जाना चाहिए। अब नियम 80 में क्या कहा गया है? मैडम आप किताब निकालकर देखें।

नियम 80 में दिया गया है कि किसी विधेयक में निम्नलिखित शर्तें खंडों या अनुसूचियों में संशोधन की ग्राहयता निर्धारित करेगी, जिसे कि ये कर रहे हैं। (i) संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होना चाहिए और जिस खंड से संबंधित है उसके विषय से संगत होना चाहिए। अब, मंत्री जी नियम 388 के अंतर्गत इस नियम से छूट मांग रहे हैं। उन्हें यह क्यों मांगनी पड़ रही हैं? क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जो संशोधन वह लाए हैं, वह विधेयक के क्षेत्र में नहीं है और विधेयक की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, और वह संशोधन लाए हैं।

[हिन्दी]

बिना मैरिट पर बोलते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया था तो स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशों के साथ उसे सदन में लौटा दिया। इन्होंने उनमें से कुछ संशोधन तो स्वीकार कर लिए, लेकिन इन्होंने कम से कम तीन ऐसे नए प्रावधान भी जोड़ दिए हैं, जिससे यह सारा का सारा नया बिल हो गया है। जिस क्लाज़ के लिए ये एक्म्पशन ढूंढ़ रहे हैं, मेरे हाथ में बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 है।

[अनुवाद]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का खंड 8 वायदा व्यापार, वस्तु विनिमय आदि को निषिद्ध करने से संबंधित है।

[हिन्दी]

जो सरकार संशोधन लाई है, उससे स्पेकुलेटिव ट्रेड में बैंक अपना पैसा लगाएं। इस बिल से पहले एनपीए की बात हो रही थी, अब स्पेकुलेटिव ट्रेड में, कमोडिटी फ्यूचर्स में ये बैंक अपना पैसा लगाएंगे तो बैंकों का क्या हश्र होगा। यह संशोधन लाए हैं। यहां पर मोइली साहब बैठे हैं। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मोइली साहब इससे पहले कम्पनी अफेयर्स के मंत्री थे। उन्हें याद होगा, इसीलिए मैं प्रिसीडेंट कोट कर रहा हूं इस सदन में कि कम्पनीज बिल इस सदन में पेश हुआ। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया। उसने अपनी सिफारिशों के साथ कम्पनीज़ बिल को लौटा दिया। उसके बाद सरकार ने उस बिल में जब संशोधन किए तो उन्होंने उसमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाहर जाते हुए नए संशोधन जोड़ दिए। नए संशोधन जोड़ने के बाद जब हमने सरकार से सदन में नहीं, सदन के बाहर निवेदन किया कि इसे दोबारा स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, मैं मोइली साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कम्पनीज बिल को दोबारा स्टैंडिंग क़मेटी को भेजा। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने दोबारा विचार करके उस बिल को लौटा दिया।

मैं वित्त मंत्री से इस प्रिसीडेंट को कोट करते हुए यह आग्रह शुरू में ही करना चाहता हूं कि आपने इस पूरे बिल को, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी ने विचार किया था, यहां लाने में पूरा बदल डाला है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह बिल दोबारा स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : जी नहीं, वह उत्तर नही दे रहे हैं। मैं अपना विनिर्णय दूंगी पर यदि माननीय मंत्री जी को इस विषय में कुछ कहना है, तो मैं उन्हें अनुमति देती हूं। नहीं तो, मैं अपना विनिर्णय दूंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : यदि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें सुना जाएं नहीं तो मैं अपनी रूलिंग दे रही हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 04:19 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री पी.के. बिजू और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : यह विधेयक 2011 में पुर:स्थापित किया गया था। मुझे इसकी भूमिका स्पष्ट करने दें...*(व्यवधान)* आप उत्तर को सुनना नहीं चाहते...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुन लें... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया मंत्री जी की बात सुनें। नहीं तो, मैं अपना निर्णय दे दूंगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। मेरा विनिर्णय सुरक्षित है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं बात को टाल नहीं रहा हूं। आपने आपना विचार रखा और मैं उसका उत्तर दूंगा।...*(व्यवधान)* आपने अपनी बात रखी है और मुझे उसका जवाब देना होगा।...*(व्यवधान)*

उन्होंने आपनी व्यक्त की है। मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया मेरी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आपने आपना ऑब्जेक्शन दिया है लेकिन चेयर की रुलिंग तो आनी बाकी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : आपको अध्यक्षपीठ को सुनना पड़ेगा। मेरा विनिर्णय बाकी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपको सुनना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। पहले उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप रूलिंग तो सुनिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सभा अपराह्न 04.45 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 04.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 04.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 04.45 बजे

लोक सभा अपराह्न 04.45 बजे पुन: समवेत् हुई।

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011–*जारी*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 04.45½ बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री एम.बी. राजेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदया : माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मैं समझता हूं कि वे कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक और..."

[हिन्दी]

सभापति महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। कृपया अपनी सीट पर बठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं इस विषय में पीठ से विनिर्णय दे रही हूं। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 04.46 बजे

सभापति द्वारा टिप्पणी

नियम 80(i) के निलंबन के लिए प्रस्ताव की प्रस्तुति

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यों, यह आपत्ति उस समय उठाई जानी चाहिए जब विधेयक पर खंडवार विचार किया जा रहा हो, लेकिन, फिर भी, कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही आपत्ति उठा चुके हैं। अतः मैं अपना विनिर्णय देती हूं।

इस संदर्भ में, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगी कि जब भी नियम 80(i) के निलंबन के लिए विधेयक के प्रभावी मंत्रियों की ओर से अनुरोध किया जाता है तो सभा की परिपाती होती है कि संबंधित मंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अतः, यह कोई पहली बार नहीं है कि जब विधेयक के प्रभारी मंत्री को नियम 80(i) के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई हो।

इसलिए, सभा की पूर्व परिपाटी के अनुसार और नियम 388 के अन्तर्गत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी को नियम 80(i) के निलंबन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.48 बजे

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011—*जारी*

सभापति महोदया : आप हाउस में डिबेट होने दीजिए।

[अनुवाद]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"बैंककारी विनियमन, अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनियां उपक्रामों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंककारी, कंपनियां उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 80 और कतिपय अन्य विधानों में 1970 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : **सभापति** महोदया, हाउस आर्डर में नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप माननीय सदस्य की बात सुन लीजिए। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदया, आपने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने की बात कही है, लेकिन हाउस ही आर्डर में नहीं होगा, तो न आप मेरी बात सुन पाएंगी और न ही मैं सदन में अपनी बात रख पाऊंगा।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : सभा मंगलवार 11 दिसंबर, 2012 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 04.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलावार, 11 दिसंबर, 2012/ 20, अग्रहायण 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सी. शिवासामी	221
2.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	222
3.	श्री ए. सम्पत	223
4.	श्री पूर्णमासी राम कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	224
5.	श्री सुरेश कलमाडी श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	225
6.	श्री प्रताप सिंह बाजवा श्री भर्तृहरि महताब	226
7.	श्री कमलेश पासवान	227
8.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री लालजी टन्डन	228
9.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	229
10.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	230
11.	श्री भक्त चरण दास	231
12.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री रवनीत सिंह	232
13.	श्री नित्यानंद प्रधान श्री ए.टी. नाना पाटील	233
14.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो श्री असादूद्दीन ओवेसी	234
15.	श्री कमल किशोर 'कमांडो' श्री सुवेन्दु अधिकारी	235
16.	श्री सुदर्शन भगत	236
17.	श्री नवीन जिन्दल	237
18.	श्री पी.के. बिजू	238
19.	श्री महाबल मिश्रा श्री नरहरि महतो	239
20.	श्री ए.के.एस. विजयन श्री दिलीप सिंह जूदेव	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	2615
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	2734
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2666, 2680, 2712
4.	श्री आधि शंकर	2593, 2609
5.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	2723
6.	श्री आनंदराव अडसुल	2666, 2680, 2712
7.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2606, 2642
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	2576, 2651, 2759
9.	श्री सुल्तान अहमद	2683
10.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2635, 2727
11.	डा. रतन सिंह अजनाला	2577

1	2	3
12.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	2713
13.	श्री एम. आनंदन	2612
14.	श्री अनंत कुमार	2658
15.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2664, 2710, 2719
16.	श्री घनश्याम अनुरागी	2647
17.	श्री अशोक अर्गल	2677
18.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2681, 2727
19.	श्री कीर्ति आजाद	2627, 2643, 2732
20.	श्री गजानन ध. बाबर	2680, 2712
21.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2617
22.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	2696
23.	श्री कामेश्वर बैठा	2644
24.	श्री पुलीन बिहारी बासके	2728
25.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2632, 2717
26.	श्री अवतार सिंह भडाना	2654
27.	श्री सुदर्शन भगत	2687
28.	श्री ताराचन्द भगोरा	2565, 2628, 2696, 2712
29.	श्री समीर भुजबल	2622
30.	श्री पी.के. बिजू	2760
31.	श्री कुलदीप बिश्नाई	2591, 2620
32.	श्री हेमानंद बिसवाल	2693, 2700, 2714
33.	श्री सी. शिवासामी	2756
34.	श्री हरीश चौधरी	2715

1	2	3
35.	श्री जयंत चौधरी	2534, 2742
36.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	2625
37.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2636
38.	श्री दारा सिंह चौहान	2662
39.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	2564
40.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2649, 2711, 2751
41.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2689, 2719
42.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2551, 2741
43.	श्री खगेन दास	2674
44.	श्री रमेन डेका	2628, 2694
45.	श्री के.डी. देशमुख	2669
46.	श्रीमती रमा देवी	2656, 2719, 2720
47.	श्री के.पी. धनपालन	2599, 2668
48.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2575, 2617, 2757
49.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2698, 2738
50.	श्री चार्ल्स डिएस	2675
51.	श्री निशिकांत दुबे	2648, 2701
52.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2699
53.	श्रीमती प्रिया दत्त	2601, 2669
54.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2545, 2632
55.	श्री एकनाथ महादेव गायगवाड	2660, 2721, 2722
56.	श्रीमती मेनका गांधी	2568, 2669
57.	श्री वरुण गांधी	2640, 2667

1	2	3
58.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	2603
59.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2562, 2689
60.	श्री शेर सिंह घुबाया	2569, 2754
61.	श्री एल. राजगोपाल	2651
62.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2594, 2609
63.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	2616
64.	शेख. सैदुल हक	2657
65.	श्री महेश्वर हजारी	2558, 2747
66.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	2665
67.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2653, 2669
68.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2596, 2656, 2720
69.	श्री बलीराम जाधव	2541
70.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2703, 2732
71.	डॉ. संजय जायसवाल	2668, 2704
72.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2711
73.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2595, 2632
74.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	2645, 2717
75.	श्री हरिभाऊ जावले	2588
76.	श्री नवीन जिन्दल	2750
77.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2710
78.	श्री प्रहलाद जोशी	2693
79.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2593
80.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2633

1	2	3
81.	श्रीमती कैसर जहां	2648
82.	श्री पी. करुणाकरन	2681
83.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2627
84.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2720
85.	श्री राम सिंह कस्वां	2684, 2725
86.	श्री नलिन कुमार कटील	2538, 2544
87.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2541, 2572, 2726, 2748
88.	श्री चंद्रकांत खैरे	2698
89.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2687
90.	श्री मधु कोड़ा	2573
91.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2735
92.	श्री विश्व मोहन कुमार	2626
93.	श्री अजय कुमार	2681, 2702
94.	श्री पी. कुमार	2586
95.	श्री यशवंत लागुरी	2629, 2715, 2731
96.	श्री पी. लिंगम	2650
97.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2567, 2753
98.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2540, 2690
99.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2748
100.	श्री नरहरि महतो	2643, 2722, 2729
101.	श्री प्रदीप माझी	2608, 2611, 2640, 2697, 2710
102.	श्री जितेन्द्र सिह मलिक	2627, 2705

1	2	3
103.	श्री मंगनी लाल मंडल	2647, 2672
104.	श्री जोस के. मणि	2676
105.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2531, 2672, 2733
106.	श्री भरत राम मेघवाल	2696
107.	श्री महाबल मिश्रा	2713
108.	श्री सोमेन मित्रा	2542, 2668
109.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2685
110.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2613, 2627, 2728
111.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2647, 2691, 2730
112.	श्री नामा नागेश्वर राव	2631
113.	श्री जफर अली नकवी	2624
114.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2698, 2717
115.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2598, 2681
116.	श्री संजय निरुपम	2706, 2714
117.	कुमारी मौसम नूर	2683, 2684, 2643
118.	श्री पी.आर. नटराजन	2707
119.	श्री वैजयंत पांडा	2628, 2651, 2668
120.	श्री प्रबोध पांडा	2614, 2650
121.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2587
122.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2602, 2714
123.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2700
124.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2660, 2721, 2722
125.	श्री देवजी एम. पटेल	2543, 2736
126.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2580

1	2	3
127.	श्री बाल कुमार पटेल	2579
128.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2608, 2611, 2640, 2697, 2710
129.	श्री हरिन पाठक	2719
130.	श्री संजय दिना पाटील	2691
131.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2714
132.	श्री सी.आर. पाटिल	2608, 2645
133.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2660, 2721, 2722
134.	श्रीमती कमला देवी पटले	2592, 2621, 2656
135.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2571, 2617, 2649, 2727, 2755
136.	श्री नित्यानंद प्रधान	2617, 2744
137.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2549, 2690
138.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	2663
139.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभई रादड़िया	2724
140.	श्री एम.के. राघवन	2641
141.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2538, 2544, 2660, 2737
142.	श्री अब्दुल रहमान	2552, 2593, 2594, 2608, 2609
143.	श्री प्रेम दास राय	2652
144.	श्री सी. राजेन्द्रन	2536, 2714
145.	श्री एम.बी. राजेश	2604
146.	श्री रामकिशुन	2572, 2726, 2748

1	2	3
147.	श्री जगदीश सिंह राणा	2557
148.	श्री कादिर राणा	2600
149.	श्री निलेश नारायण राणे	2533, 2540, 2615
150.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2574, 2605, 2611, 2620
151.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2654
152.	श्री रामसिंह राठवा	2585, 2751
153.	डॉ. रत्ना डे	2643
154.	श्री अशोक कुमार रावत	2682
155.	श्री विष्णु पद राय	2570
156.	श्री रुद्रमाधव राव	2671
157.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2581, 2642
158.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2583, 2727, 2731, 2741
159.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2670, 2722, 2729
160.	प्रो. सौगत राय	2660, 2686, 2722, 2731
161.	श्री एस. अलागिरी	2559, 2615
162.	श्री एस. सेम्मलई	2628
163.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2607, 2617
164.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2552, 2609, 2743
165.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2553, 2745
166.	श्री तकाम संजय	2659
167.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2673
168.	श्रीमती सुशीला सरोज	2558, 2747
169.	श्री तूफानी सरोज	2655
170.	श्री हमदुल्लाह सईद	2556, 2620, 2746
171.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2546
172.	श्री एम.आई. शानवास	2638
173.	श्री नीरज शेखर	2630, 2716
174.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2539
175.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2532, 2758
176.	श्री राजू शेट्टी	2550
177.	श्री एंटो एंटोनी	2679
178.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2589, 2618
179.	डॉ. भोला सिंह	2695
180.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2541, 2555, 2643, 2725
181.	श्री दुष्यंत सिंह	2648
182.	श्री गणेश सिंह	2582
183.	श्री जगदानंद सिंह	2688
184.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2578
185.	श्री महाबली सिंह	2590, 2625
186.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2642
187.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2619, 2643, 2717, 2732
188.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2620
189.	श्री रवनीत सिंह	2749
190.	श्री सुशील कुमार सिंह	2640, 2723

1	2	3
191.	श्री उदय सिंह	2566, 2752
192.	श्री यशवीर सिंह	2630, 2716
193.	श्री धनंजय सिंह	2690
194.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2646
195.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2760
196.	श्री विजय बहादुर सिंह	2625
197.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	2718
198.	डॉ. संजय सिंह	2711, 2760
199.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2532, 2597, 2758
200.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2717
201.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2623
202.	श्री ई.जी. सुगावनम	2548, 2740
203.	श्री के. सुगुमार	2554, 2689, 2719
204.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2647, 2730
205.	श्री एन. चेलुवराया स्वामी	2547, 2724, 2739
206.	श्री मानिक टैगोर	2639, 2718
207.	श्रीमती अन्नू टंडन	2535, 2649
208.	श्री बिभू प्रसाद तराई	2661
209.	श्री जगदीश ठाकोर	2692
210.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2720
211.	श्री आर. थामराईसेलवन	2560
212.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2634
213.	श्री पी.टी. थॉमस	2619
214.	श्री मनोहर तिकरी	2670, 2722, 2727
215.	श्री जोसेफ टोप्पो	2656, 2708
216.	श्री जोसेफ टुडु	2584
217.	श्री शिवकुमार उदासी	2610
218.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2558, 2747
219.	श्री हर्ष वर्धन	2678
220.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2596, 2615, 2639, 2719
221.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2709
222.	श्री सज्जन वर्मा	2561
223.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2558, 2747
224.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2649
225.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	2610
226.	श्री पी. विश्वनाथन	2563
227.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2637
228.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2559, 2731
229.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2537, 2666, 2680
230.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2646, 2664, 2719
231.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2574
232.	श्री मधुसूदन यादव	2621
233.	श्री मधु गौड यास्खी	2666, 2697, 2712

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	228, 232, 234
रक्षा	:	223, 238
पर्यावरण और वन	:	226, 229, 230, 235, 236
श्रम और रोजगार	:	224, 237
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	222, 227, 233
पोत परिवहन	:	221
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
इस्पात	:	231
वस्त्र	:	225, 239, 240

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2531, 2533, 2553, 2568, 2571, 2574, 2581, 2601, 2604, 2611, 2612, 2615, 2617, 2618, 2643, 2660, 2664, 2671, 2676, 2692, 2693, 2703, 2710, 2711, 2718, 2719, 2720, 2722, 2734, 2741, 2750
रक्षा	:	2534, 2539, 2543, 2545, 2560, 2566, 2589, 2591, 2593, 2597, 2622, 2627, 2636, 2649, 2650, 2652, 2654, 2666, 2673, 2678, 2680, 2689, 2704, 2715, 2717, 2723, 2730, 2732, 2739, 2743, 2745, 2747, 2751, 2752, 2753, 2755, 2758, 2759
पर्यावरण और वन	:	2532, 2536, 2538, 2544, 2547, 2548, 2549, 2550, 2552, 2559, 2562, 2567, 2570, 2572, 2573, 2576, 2578, 2580, 2587, 2590, 2592, 2595, 2600, 2602, 2603, 2608, 2609, 2613, 2619, 2623, 2624, 2628, 2629, 2644, 2647, 2655, 2659, 2663, 2672, 2675, 2690, 2697, 2712, 2726, 2728, 2737, 2742, 2746, 2749
श्रम और रोजगार	:	2535, 2537, 2541, 2556, 2557, 2558, 2607, 2626, 2633, 2642, 2651, 2656, 2658, 2662, 2669, 2699, 2702, 2708, 2709, 2713, 2714, 2721, 2724, 2735, 2738

सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2540, 2554, 2565, 2575, 2584, 2588, 2594, 2598, 2605, 2620, 2625, 2631, 2632, 2634, 2635, 2637, 2646, 2653, 2665, 2670, 2677, 2679, 2683, 2685, 2686, 2687, 2694, 2696, 2700, 2705, 2725, 2736, 2748, 2756, 2757, 2760
पोत परिवहन	:	2563, 2579, 2585, 2596, 2599, 2639, 2641, 2645, 2661, 2668, 2688, 2691, 2695, 2701, 2729, 2744
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2542, 2546, 2551, 2555, 2561, 2564, 2569, 2577, 2582, 2583, 2606, 2610, 2614, 2616, 2630, 2638, 2640, 2667, 2674, 2682, 2684, 2706, 2707, 2716, 2733, 2754
इस्पात	:	2586, 2621, 2657, 2698, 2731, 2740
वस्त्र	:	2648, 2681, 2727

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.– 48/30/12/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।